भारत की
नम्बर 1
प्राकृतिक
गैस
कम्पनी

वार्षिक रिपोर्ट 2014–15

उत्तरदायी संवृद्धि का अभिप्रेरण

गेल (इंडिया) लिमिटेड

प्राक्कथन

अच्छी कम्पनियों के मूल में महान प्रयोजन होते हैं। महान प्रयोजन अन्यों की तुलना में उत्कृष्ट होते हैं। हालांकि संवृद्धि की सम्पोषणीयता के लिए लाभ महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं, लाभों से परे प्रयोजन ही अच्छी कम्पनियों को बड़ी कम्पनियों से अलग और सुभिन्न करते हैं।

गेल में, विगत वर्षों में हमारी सफलता और प्रगति सदैव उत्तरदायी संवृद्धि के अभिप्रेरण पर केन्द्रित रही है। देश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण संवेदी गैस शृंखला में प्रचालनरत भारत के सर्वाधिक यंगेस्ट महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में हम ने अपनी सफलता प्रदर्शित की है। सफलता के साथ आता है उत्तरदायित्व तथा गेल में हमारा मानना है कि एक सफल संगठन के रूप में बदलाव लाकर अपनी सफलता की साझेदारी करना हमारा उत्तरदायित्व भी है और हमारे लिए एक अवसर भी।

उत्तरदायी संवृद्धि का अभिप्रेरण इस वर्ष की हमारी वार्षिक रिपोर्ट का सार विषय है तथा यह तीन प्रमुख क्षेत्रों जन–ग्रह–लाभ में बदलाव लाने की हमारी सतत् एकाग्रता को दर्शाता है। स्थायित्व के असली प्रतिफल के लिए केवल मात्र आर्थिक संवृद्धि का परिशीलन करना ही आवश्यक नहीं है बल्कि समावेशी वृद्धि का परिशीलन भी करना होगा जो पर्यावरण, पारिस्थितिकी, समाज और समुदाय को जोड़ती और आबद्ध करती है।

आज, गेल कर्मचारी सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक उद्धार पर अपेक्षाकृत अधिक जोर देते हुए नूतनता, उत्पादकता और प्रगति को अभिप्रेरित करने में सबसे अग्रणी है। सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमरीका में अपने कदम बढ़ाकर अपनी महत्वाकांक्षी संवृद्धि योजनाओं को जारी रखते हुए हम अपने कर्मचारियों तथा भागीदारों, अपने शेयरधारकों और निवेशकों, अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेंगे। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता कायम है। हम अपने समाज तथा समुदाय के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। हम अपने राष्ट्र के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं।

संवृद्धि के प्रति भी हम प्रतिबद्ध बने रहेंगे।

उत्तरदायी संवृद्धि का अभिप्रेरण हमारी सतत् प्रतिबद्धता है।

विषय–सूची

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का संदेश	1-2
निगमित परिदृश्य	3-14
निदेशक मंडल	15-16
निदेशकों की रिपोर्ट	17
प्रबंधन चर्चा और बिश्लेषण	32
निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट	42
व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट	77
पंचवर्षीय रूपरेखा	89
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	96
वित्तीय विवरण	101
नकदी प्रवाह विवरण	145
सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों संबंधी जानकारी	148
नियत परिसम्पत्तियों की अनुसूची – (टाऊनशिप)	149
आय और व्यय – (टाऊनशिप इत्यादि)	150
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां – अनुपूरक लेखापरीक्षा	151
समेकित वित्तीय विवरण	152
नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां – अनुपूरक लेखापरीक्षा	199

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का संदेश

भारत की प्रगति में सहायता करने के लिए प्राकृतिक गैस की मूल्य श्रृंखला के परिवेशी महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचे और व्यवसाय के पथ पर आगे बढ़ते हुए अन्य स्टैकधारकों, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से संलिप्त रहकर ग्राहकों, विक्रेताओं, भागीदारों, समुदायों तथा विनियामकों के साथ सुदृढ़ संबंध कायम रखना आपकी कम्पनी के प्रगामी चरित्र की सहज विशेषता है।

प्रिय शेयरधारकगण,

गेल अपने स्टैकधारकों के लिए टिकाऊ मूल्य सृजन के परिशीलन के लिए प्रतिबद्ध है। गेल ने पारेषण सेवाओं के अपने सबसे विशाल नेटवर्क के जरिए देश की अपेक्षाकृत स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करके तथा साथ ही विभिन्न उपयोगिताओं को प्राकृतिक गैस का विपणन करके नेतृत्व की स्थिति को कायम रखा है। हमारा प्रयास युवा अभिप्रेरित कार्यबल के समर्थन से अपने परियोजना प्रबंधन, वित्तीय विवेकशीलता, विश्वस्तरीय परिसम्पत्तियों तथा प्रचालनात्मक पद्धतियों के जरिए सफलता प्राप्त करने का है। वर्ष के दौरान, गेल ने मूल व्यवसायों के सुदृढ़ीकरण के अलावा सुदृढ़ भारत का निर्माण करने के लिए ''मेक इन इंडिया'', ''स्वच्छ भारत'', ''स्किल और डिजिटल इंडिया'' के तहत कार्यक्रमों को गति देने के लिए अनेक पहलें की हैं। वित्त वर्ष 2014–15 की शुरूआत नवीकृत आशा तथा तेजी पकड़ते फुर्तीले आर्थिक कार्यकलाप के साथ हुई। प्रथम तिमाही के आर्थिक संकेतकों में संवृद्धि की कोमल कोपलें स्पष्ट दृष्टिगोचर थी। यह उत्साहवर्धक संवेग गेल की द्वितीय राजकोषीय तिमाही में भी जारी रहा तथा इसके वित्तीय निष्पादन में वर्षानुवर्ष मजबूत वृद्धि प्रतिबिम्बित हुई। कच्चे तेल/जिंस की कीमतों में तेजी से गिरावट के साथ वैश्विक वृहद माहौल में गड़बड़ी फैल गई जिसने कारपोरेटों की संवृद्धि की संभावनाओं को प्रभावित किया तथा नकद प्रवाह स्थितियों पर अत्यधिक दबाव डाल दिया। गेल ने प्रचालनों के अपने मूल क्षेत्र के विस्तार में विवेकपूर्ण ढंग में निवेश करना जारी रखा है यद्यपि ऊर्जा परिदृश्य अभी भी अस्थिर बना हुआ है।

वैश्विक माहौल

पिछले राजकोषीय वर्ष की तुलना में विगत वर्ष वैश्विक वृद्धि मंद रही तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संशोधित अनुमान के अनुसार वर्तमान वर्ष के लिए 3.5% की जीडीपी की वृद्धि दर के साथ वापस 50 आधार अंक पर रहने की संभावना है। कुछ उभर रहीं अर्थव्यवस्थाओं, जिनमें चीन सबसे आगे है, की वृद्धि में गिरावट का रूझान जारी है। उत्तरी अमरीका की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की संवृद्धि में संकुचन परिलक्षित हुआ जिसका कारण संयुक्त राज्य अमरीका में तेल उद्योग द्वारा पूंजीगत व्यय में महत्वपूर्ण कमी का होना था। अवमूल्यित युआन के कारण जिंसों की कीमतों में कुछ अवधि में अस्थिरता आई। प्रमुख यूरो क्षेत्र अर्थव्यवस्थाएं और यू.के. मोटे तौर पर मंद संवृद्धि मार्ग पर चल रही हैं तथा क्षेत्र में युनान और स्पेन इत्यादि की अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक कठिनाइयों से जूझना जारी है। अमरीकी संघीय रिजर्व द्वारा ब्याज दर में बढ़ोतरी के समय निर्धारण पर बढ़ती अनिश्चितता के कारण नकदी स्थितियां डांवाडोल बनी हुई है जिसने वैश्विक जिंस व्यापार चक्र में अस्थिरता एवं मंदी के रूझान को बढ़ा दिया है। भारतीय सरकार द्वारा घरेलू बाजार के लिए शुरू किए गए उपाय संवृद्धि को पुनर्जीवित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं तथा देश अन्य उभर रही बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर संवृद्धि संभावनाओं के लिए तत्पर है।

कच्चे तेल की तत्स्थल कीमतों में अक्टूबर, 2014 से आई तीव्र गिरावट के साथ मांग की वृद्धि में बाधा, वस्तु सूचियों को बट्टे खाते डालने, उत्पादन कम करने में ओपीईसी के प्रतिरोध सहित क्रूड इन्वेंट्री सरप्लस ने मिल कर वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को आशंकापूर्ण और अस्थिर बना दिया है। इरान पर आर्थिक प्रतिबंध उठाने से कच्चे तेल/जिंस की कीमतों में अल्पावधि से मध्यावधि में सभवतः गिरावट का एक और दौर आरंभ हो सकता है। खपत की वृद्धि में सुधार तथा निवेश चक्र की नम्यता की ही आशा की जा सकती है यदि यह अस्थिरता जारी रहती है।

परिणाम

आपकी कम्पनी ने अस्थिर वृहद् माहौल के बावजूद मूल व्यवसाय क्षेत्रों में संवेग बनाए रखने की दिशा में कार्य किया तथा भावी वृद्धि में सहायतार्थ नवीनतम अवसरों का अन्वेषण किया। कच्चे तेल की अंतर्हित कीमतों में 109 डालर/बिलियन की लगभग 50% की तीव्र गिरावट के कठिन माहौल में प्रचालन करने तथा घरेलू गैस की उपलब्धता में वर्षानुवर्ष 10% से अधिक की गिरावट के बावजूद आप की कम्पनी ने 11% का आरओसीई हासिल किया जो इस अवधि के दौरान इसकी अनेक वैश्विक अभिजात कम्पनियों के साथ तुलनीय है। यद्यपि यह अत्यंत चुनौतीपूर्ण है फिर भी आपकी कम्पनी शेयरधारकों के हित को सर्वोपरि मानती है तथा इसने वित्त वर्ष 2014–15 के लिए 60% लाभांश की प्रतिबद्धता की है। विगत राजकोषीय अवधि में ₹ 57.245 करोड़ की तुलना में वर्ष का कुल कारोबार (उत्पाद शुल्क घटाकर) ₹ 56.569 करोड़ का था। वर्ष का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) पिछले राजकोषीय वर्ष में ₹ 6,402 करोड़ की तुलना में ₹ 4,284 करोड़ था जबकि कर पश्चात लाभ (पीएटी) विगत राजकोषीय वर्ष में ₹ 4375 करोड़ की तुलना में ₹3,039 करोड़ दर्ज किया गया। घरेलू गैस की निम्न उपलब्धता तथा कच्चे तेल की मंदित मूल्य व्यवस्था द्वारा अभिप्रेरित वर्तमान परिस्थितियों में, आपकी कम्पनी ने, अधिकतम लाभ अर्जन हेतु विभिन्न मॉड्यूलों को शुरू करने के लिए परियोजना 'संचय' की शुरूआत की है। पेट्रोकेमिकल विनिर्माण के लिए फीड गैस मिश्र में लागत इष्टीकरण के परिकलन के साथ–साथ उत्पाद भाग से मूल्यवर्द्धन बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है तथा मध्यवधि में अन्य सुधार उपाय भी किए जा रहे हैं।

व्यवसाय विस्तार

आपकी कम्पनी ने 2050 किलोमीटर की जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन परियोजना का निष्पादन शुरू किया है। अपने निष्पादन के प्रथम चरण के दौरान, पूर्वी भारत में गोरखपुर तथा बरौनी में पुनर्जीवित की जा रही उर्वरक इकाइयों को जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना इत्यादि में अन्य औद्योगिक इकाईयों और उभरती हुए शहरी गैस परियोजनाओं की पाइपलाइन परियोजनाओं के मार्गस्थ संयोजन का कार्य प्राकृतिक गैस के प्रयोग को अधिकतम करने के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी विधि के तहत देश के अन्य भागों में प्राकृतिक गैस आधारित अवसंरचना विकास परियोजनाओं का विस्तार करने से पूर्व ऐसी विधि के अंतर्गत प्रायोगिक आधार पर 500 किलोमीटर रांची तलचर गैस पाइपलाइन परियोजना का मॉडल तैयार करने का कार्य गेल को सौंपा है। वर्ष के दौरान, आपकी कम्पनी ने पीसी–II चरण के तहत पाता में 400,000 टन प्रति वर्ष की पेट्रोकेमिकल विस्तार परियोजना को कमीशन किया। असम में सहायक कम्पनी से तथा साथ ही पीसी–II, पाता से पेट्रोकेमिकल उत्पादों का पूर्ण विकसित उत्पादन एक तिमाही के भीतर हो जाने की आशा है।

आपकी कम्पनी ने दीर्घावधिक एलएनजी का अंतर्राष्ट्रीय विपणन शुरू कर दिया है। यह किसी भारतीय कम्पनी के लिए विदेशों में एलएनजी का विपणन करने का पहला अवसर है। इसके अतिरिक्त, आपकी कम्पनी को देश में अवरूद्ध विद्युत संयंत्रों के लिए आर.एल.एन.जी की अधिप्राप्ति और आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए गैस पूल प्रचालक के रूप में नामित किया गया है। इसकी सफल शुरूआत के आधार पर गेल को उर्वरक क्षेत्र के लिए भी इसी प्रकार की भूमिका का निर्वहन करने का कार्य समनुदेशित किया गया है।

घरों के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस खण्ड में गैस के प्रयोग में तेजी लाने के केन्द्र सरकार के मिशन के अनुरूप, आपकी कम्पनी के अधीन सहायक कम्पनियों था संयुक्त उद्यमों नें वर्ष के दौरान लगभग 2.5 लाख पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए समन्वय किया जिससे जन साधारण को स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक गैस की अवसंरचना का विस्तार करने पर सरकार द्वारा दिए जाने वाले बल के समनुरूप एक अभूतपूर्व रिकॉर्ड बना। आपकी कम्पनी की सहायक कम्पनी को बंगलूरु और हरिद्वार में शहरी गैस परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विनियामक द्वारा अधिकृत किया गया है। कुछ समय में इन क्षेत्रों में गेल की ट्रंक पाइपलाइन अवसंरचना का बेहतर उपयोग किया जाना प्रत्याशित है जब ये पहलें फलीभूत हो जाएगी।

आपकी कम्पनी मंगलौर को कोच्चि के साथ संयोजित करने के लिये इस मानसून के पश्चात केरल राज्य में चरण-II पाइपलाइन परियोजना क्रियाकलाप आरंभ करने के लिए कार्यरत है। पूर्व–परियोजना क्रियाकलाप जारी है।

वर्ष के दौरान, गेल की संयुक्त राज्य अमरीका आधारित सहायक कम्पनी ने मेरीलैंड, संयुक्त राज्य अमरीका में बुक की गई तरलीकरण क्षमता का पोषण करने के लिए 20 वर्षीय अवधि के लिए उत्तरी अमरीका में मै. डब्ल्यूजीएल मिड–स्ट्रीम इंक के साथ 23 एमएमटीपी के समतुल्य हेनरी हब संबद्ध प्राकृतिक गैस के लिए सहबद्धता की है। यह भी बताया गया है कि सेबीन पास तथ्य डोमिनियन कोन प्वाइंट एलएनजी परियोजनाओं, दोनों के संबंध में सभी दशा पूर्वापेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं जिसमें वर्ष 2018 की आरंभिक अवधि से 5.8 एमएमटीपीए आपूर्तियों का ऑनस्ट्रीम होना पक्का हो गया है।

भारत सरकार की ''भारत में निर्माण'' पहल के तहत गेल नोडल मंत्रालय के मार्गदर्शन से प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शिपयार्डों की भागीदारी को आमंत्रित करने के लिए तौर तरीको को अंतिम रूप दे रहा है ताकि वे गेल द्वारा चार्टर किराए हेतु एलएनजी यानों का निर्माण करने में अपने भारतीय प्रतिपक्षियों के साथ सहयोग करें।

सीमापार पाइपलाइन और एलएनजी परियोजना

वर्ष के दौरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते भारत के साथ तुर्कमेनिस्तान को जोड़ने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन परियोजना के तहत संबंधित देशों में शामिल सदस्य कम्पनियों द्वारा तापी पाइपलाइन कम्पनी लिमिटेड को निगमित किया गया था तथा आपकी कम्पनी संघ की भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सदस्य है। एलएनजी आपूर्ति दीर्घावधिक एसपीए को पुनरुज्जीवित करने के लिए इरानी प्रतिपक्षकारों के साथ वार्ता की शुरूआत भी की गई है।

स्थायी रहन–सहन तथा सामाजिक कल्याण

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपकी कम्पनी ''स्थायी आकांक्षाएं 2020'' परियोजना के अंतर्गत स्वेच्छा से चुने गए आधारिक लक्ष्यों के संबंध में अपनी विनिर्माणकारी और प्रसंस्करण सुविधाओं के कार्बन प्रभावों को कम करने के लिए प्रगामी रूप से प्रयासरत है। वर्ष के दौरान, गेल ने जीएचजी निस्स्राव तथा ताजे जल की खपत की गहनता में आधार वर्ष की तुलना में क्रमशः 41.5% तथा 40% से अधिक की कमी की तथा उपचारित अपशिष्ट जल को डिस्चार्ज करने में भी वर्षानुवर्ष आधार पर लगभग 8% का अपचयन दर्ज किया।

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किए गए आह्वान पर गेल ने नई दिल्ली में लोकप्रिय स्मारकों (Monuments) पुराना किला और सफदरजंग मकबरे को अपनाने सहित अनेक ''स्वच्छ भारत'' मिशन परियोजनाओं का परिशीलन किया तथा यह भीकाजीकामा प्लेस के आसपास के क्षेत्रों के रखरखाव का प्रबंधन कर रही है जहां आपकी कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय का प्रचालन भी करती है। इस मिशन के तहत, गेल ने तीन राज्यों के चौदह जिलों में 3871 कार्यात्मक शौचालय सुविधाओं का निर्माण कर (लक्ष्य सें 90% उच्चतर) 2722 विद्यालयों की सहायता भी की है तथा इस प्रकार एक लाख से अधिक स्कूल जाने वाला बच्चों को जलपूर्ति की स्थायी व्यवस्था द्वारा समर्थित बेहतर सफाई स्वच्छता अवसंरचना उपलब्ध कराके उनके जीवन को स्पर्श किया है।

आपकी कम्पनी के एक महत्वपूर्ण सीआर कार्यक्रम 'उत्कर्ष' के अंतर्गत विगत वर्षों में अनेक परिवारों का उत्थान हुआ है तथा इसकी लोकप्रियता केवल इस कारण से नहीं बढ़ रही है कि इसने आर्थिक रूप से लाभवंचित अनेक मेधावी विद्यार्थियों के जीवन को संवारा है बल्कि इसलिये भी कि यह बेहतर भविष्य की दिशा में उनके परिवारों का भाग्य बदलने में भी सफल रही है। इस वर्ष उत्कर्ष के तहत नामांकित 80% विद्यार्थी प्रतिष्ठित आईआईटी/एनआईटी तथा अन्य प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रवेश पाने में सफल रहे हैं।

मान्यता

आपकी कम्पनी ने सरकार के साथ समझौता ज्ञापन 2013–14 के तहत ''उत्कृष्ट'' निष्पादनकर्ता के रूप में दरनिर्धारण के अपने रिकॉर्ड को कायम रखा है।

आपकी कम्पनी को जलवायु प्रकटन नेतृत्व कार्यक्रम सूचकांक के तहत वर्ष 2014 के दौरान भारत के नेतृत्वकर्त्ताओं में से एक के रूप में अभिस्वीकृत किया गया है तथा इसे उपयोगिता श्रेणी में शीर्षस्थ 22 अग्रणियों में स्थान प्राप्त करने की सुभिन्नता भी हासिल है। कार्य करने के लिए उत्तम स्थान संस्थान ने भी वर्ष 2014 के अपने अध्ययन में गेल को ''कार्य करने के लिए भारत की सौ सर्वोत्तम कम्पनियां'' में स्थान दिया है तथा आपकी कम्पनी को यह सम्मान लगातार तीसरे वर्ष प्राप्त हुआ है।

लगातार छठे वर्ष आपकी कम्पनी को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से वित्त वर्ष 2014–15 के लिए ''शून्य'' टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। सर्वोत्तम लेखाकरण पद्धतियों का आपकी कम्पनी द्वारा अनुपालन पुनः सुनिश्चित हुआ है।

भारत की प्रगति में सहायता करने के लिए प्राकृतिक गैस की मूल्य श्रृंखला के परिवेशी महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचे और व्यवसाय के पथ पर आगे बढ़ते हुए अन्य स्टैकधारकों, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से संलिप्त रहकर ग्राहकों, विक्रेताओं, भागीदारों, समुदायों तथा विनियामकों के साथ सुदृढ़ संबंध कायम रखना आपकी कम्पनी के प्रगामी चरित्र की सहज विशेषता है।

शेयरधारक गण, गेल में निवेश करने के लिए आपकी निष्ठा और विश्वास के लिए आपका धन्यवाद।

त्रिपाठी

(बी. सी. त्रिपाठी)
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

विज़न

प्राकृतिक गैस तथा इतर क्षेत्रों में विश्वजनीन उपस्थिति के साथ ग्राहक–सेवा, सभी स्टेकहोल्डरों के लिए मूल्य सृजन और पर्यावरण के लिए अपने दायित्व के प्रति समर्पित एक अग्रणी कम्पनी बनना।

मिशन

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में प्राकृतिक गैस और इसके अंशों के मितव्ययी और प्रभावी उपयोग में तीव्रता लाना और वृद्धि करना।

गैस मूल्य शृंखला का विस्तारण

प्राकृतिक **गैस**

- 11,000 कि.मी. से अधिक का नेटवर्क
- 15,000 कि.मी. में फैला हुआ
- परिष्कृत गैस प्रबंधन प्रणाली
- बाजारों के विकास हेतु प्रयासरत
- आरजीपीपीएल (5 एमएमटीपीए एलएनजी पुनः गैसीकरण सुविधा) में भागीदारी

पेट्रोकेमिकल

- घरेलू बाजार में हिस्सा – 14%
- पाता (उ.प्र.) में 0.81 एमएमटीपीए की क्षमता वाला पेट्रोकेमिकल संयंत्र
- बीसीपीएल तथा ओपॉल में भागीदारी

G-Lex G-Lene

तरल **हाइड्रोकार्बन**

- एलपीजी, प्रोपेन, पेंटेन तथा नाफ्था इत्यादि का उत्पादन करने वाली 7 गैस प्रसंस्करण इकाइयां
- एलपीजी परिवहन क्षमता 3.8 एमएमटीपीए (2038 कि.मी.)

GAIL PROPANE GAIL PENTANE

अन्वेषण और **उत्पादन**

- ऊर्ध्वस्थ एकीकरण का हिस्सा
- 15 ब्लॉकों में हिस्सेदारी (प्रचालक – 03 ब्लॉक में)
- म्यांमार तथा अमरीका में उपस्थिति

विद्युत एवं **नवीकरणीय ऊर्जा**

- 118 मेगावाट का पवन विद्युत संयंत्र तथा 5 मेगावाट के सौर विद्युत संयंत्र को कमीशन किया
- आरजीपीपीएल में भागीदारी (क्षमता 1967 मेगावाट)

शहर **गैस वितरण**

- सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से 10 लाख से अधिक वाहनों तथा 10 लाख से अधिक परिवारों की सेवा में रत
- 100% सहायक कम्पनी गेल गैस लि. ने देवास, सोनीपत, कोटा, मेरठ तथा ताज ट्रैपेजियम क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क स्थापित किया है।

वर्ष की प्रमुख विशिष्टताएं

वित्तीय निष्पादन (एकल)

बिक्री (ईडी घटाकर, ₹ करोड़ में)

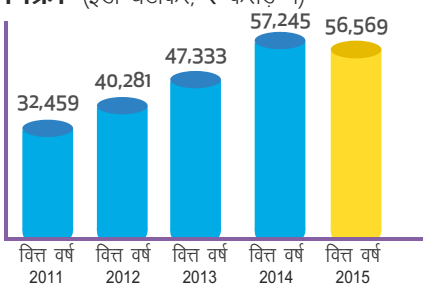

सकल मार्जिन* (पीबीडीआईटी, ₹ करोड़ में)

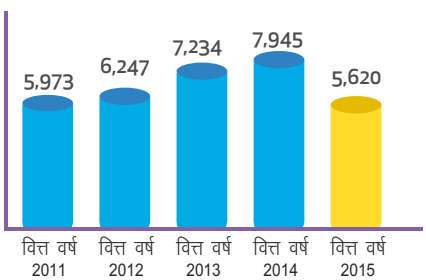

कर पूर्व लाभ (₹ करोड़ में)

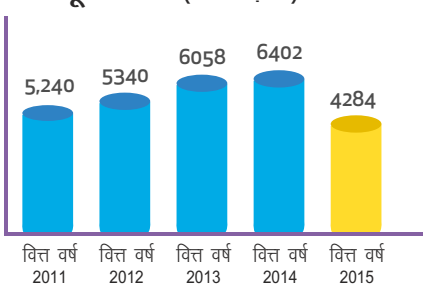

कर पश्चात लाभ (₹ करोड़ में)

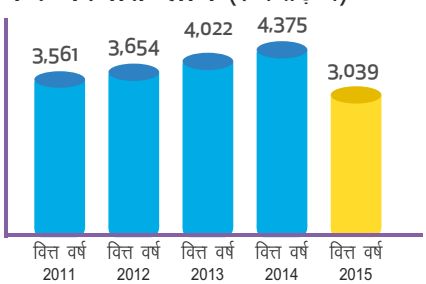

*अपवादात्मक मदों सहित

प्रमुख वित्तीय विशिष्टताएं

बिक्री
₹ 56569 करोड़

पीबीडीआईटी
₹ 5620 करोड़

पीबीटी
(कर पूर्व लाभ) ₹ 4284 करोड़

पीएटी
(कर पश्च लाभ) ₹ 3039 करोड़

लाभांश
₹ 761.05 करोड़

निवल मूल्य
₹ 28888 करोड़

लाभांश
प्रति शेयर
₹ 6.00

प्रचालनात्मक **कार्यनिष्पादन** की प्रमुख विशिष्टताएं

गैस मात्रा का रूझान (एमएमएससीएमडी)

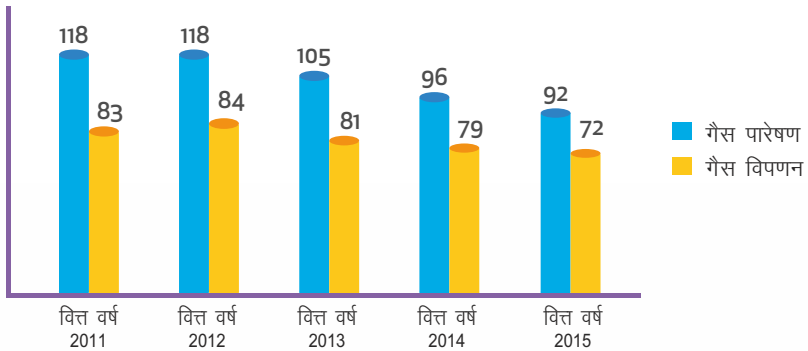

गैस पारेषण समिश्रण
(एमएमएससीएमडी में)

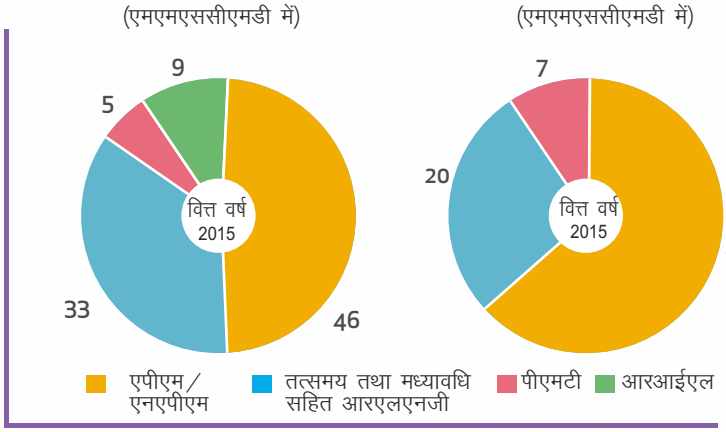

गैस विपणन सम्मिश्रण
(एमएमएससीएमडी में)

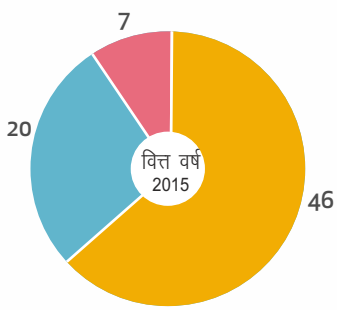

पेट्रोकेमिकल बिक्री (टीएमटी)

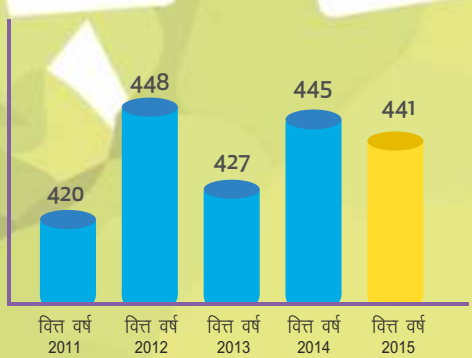

तरल हाइड्रोकार्बन बिक्री (टीएमटी)

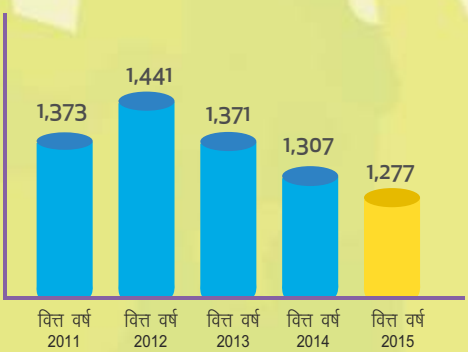

एलपीजी पारेषण (टीएमटी)

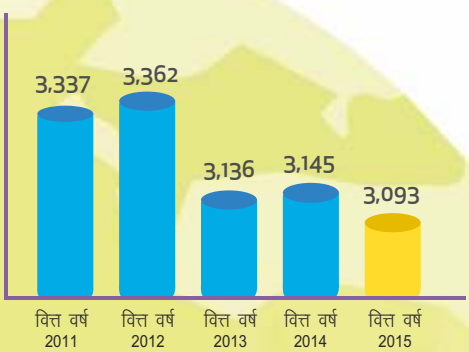

ट्री ऑफ गेल

(गेल का समूह)

संयुक्त उद्यम

- अवंतिका गैस लि.
- भाग्यनगर गैस लि.
- ओएनजीसी पेट्रोएडिशन्स लि.
- महाराष्ट्र नैचुरल गैस लि.
- महानगर गैस लि.
- त्रिपुरा नैचुरल गैस कम्पनी लि.
- सेंट्रल यूपी गैस लि.
- पेट्रोनेट एलएनजी लि.
- रत्नगिरी गैस एण्ड पावर प्रा. लि.
- इंद्रप्रस्थ गैस लि.
- ग्रीन गैस लि.
- गेल चाइना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग्स लि.
- तापी पाइपलाइन कम्पनी लिमिटेड

सहायक कम्पनियां

- गेल गैस लिमिटेड
- ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एण्ड पॉलीमर्स लि.
- गेल (ग्लोबल) सिंगापुर पीटीई लि.
- गेल (ग्लोबल) यूएसए इंक
- गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी

समेकित आधार पर वित्तीय **निष्पादन**

(₹करोड़ में)

बिक्री (ईडी घटा कर)

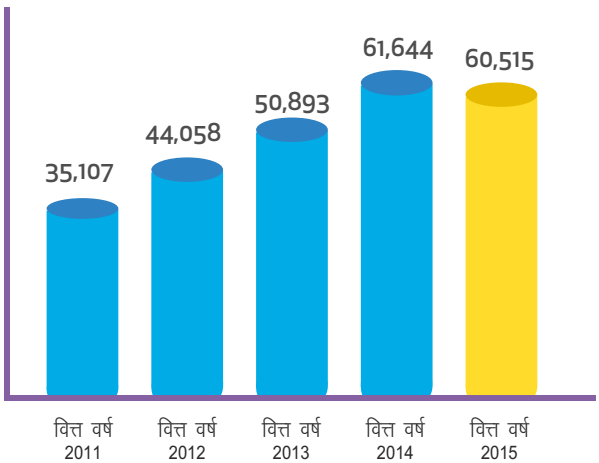

सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)

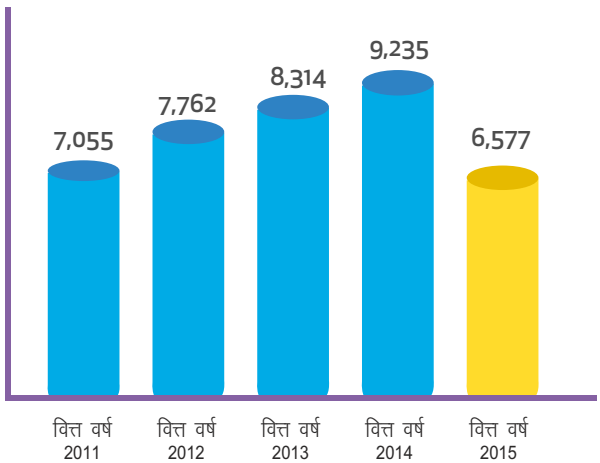

कर पूर्व लाभ

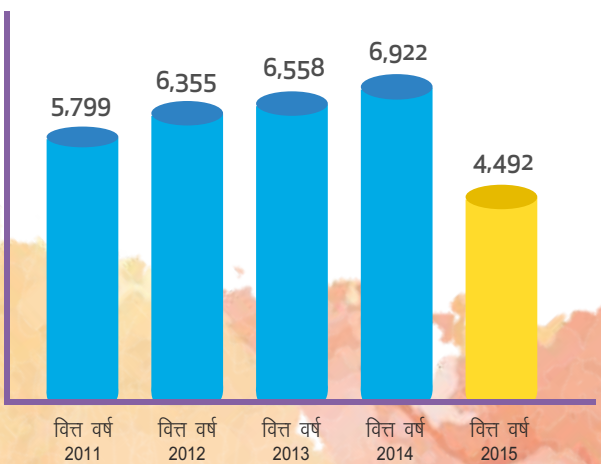

कर पश्चात लाभ

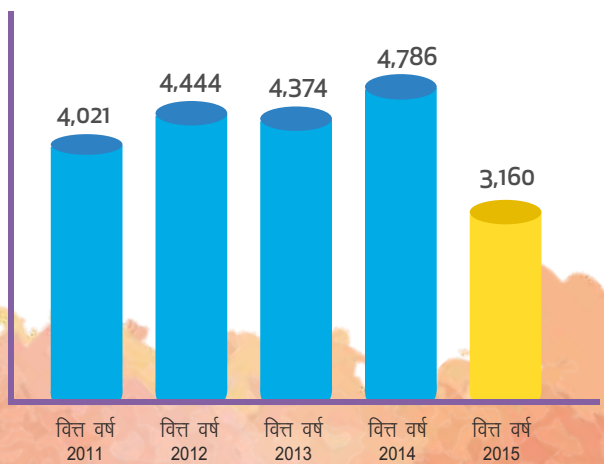

सतत् कार्यनिष्पादन

1984
प्राकृतिक गैस पारेषण और विपणन कम्पनी गेल का जन्म

1987
भारत की प्रथम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एचवीजे कमीशन की गई

1999
पाता में प्रथम पेट्रोकेमिकल संयंत्र

2001
जेएलपीएल, विश्व की सबसे लम्बी एलपीजे पारेषण पाइपलाइन कमीशन की गई

भारत में पारेषित कुल प्राकृतिक गैस के **तीन–चौथाई** हिस्से का प्रचालन करता है

भारत में विक्रीत प्राकृतिक गैस के **आधे से अधिक** हिस्से का योगदान करता है

भारत में उत्पादित पॉलीइथलीन के **1/5वें हिस्से** का उत्पादन करता है

भारत के कुल एलपीजी पारेषण के **एक चौथाई** हिस्से के लिए उत्तरदायी है

के तीन दशक

2011

- अमरीका में शेल गैस एक्रेज को अधिगृहीत करने वाला प्रथम सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
- अमरीका में सहायक कम्पनी
- हेनरी हब संबंद्ध एलएनजी सौदे पर हस्ताक्षर किए

2012

- तापी पाइपलाइन के लिए जीएसपीए पर हस्ताक्षर किए
- 2200 कि.मी. दहेज–विजयपुर भटिंडा पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित
- बीएसई ग्रीनेक्स में शामिल होने वाली एकमात्र कम्पनी बनी

2013

- महारत्न का दर्जा हासिल किया
- दाभोल टर्मिनल और दाभोल बंगलौर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को कमीशन किया
- कोव प्वाइंट एलएनजी टर्मिनल में क्षमता दर्ज की

2014

- अमरीका में 2.3 एमएमटीपीए की गैस आपूर्ति प्राप्त की
- तापी पाइपलाइन कम्पनी लि. निगमित

2015

- पाता में पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता को दो गुना किया

भारत में प्रत्येक 12वें एलपीजी सिलेंडर का उत्पादन करती है

भारत में उत्पादित लगभग आधे उर्वरक के लिए गैस की आपूर्ति करती है

भारत में गैस आधारित विद्युत के लगभग आधे हिस्से के लिए गैस की आपूर्ति करता है

भारत के सबसे युवा महारत्न के रूप में हमने दीर्घावधिक संवृद्धि के लिए एक सुदृढ़ नींव का निर्माण किया है

प्रगति पथ और **कार्रवाई**

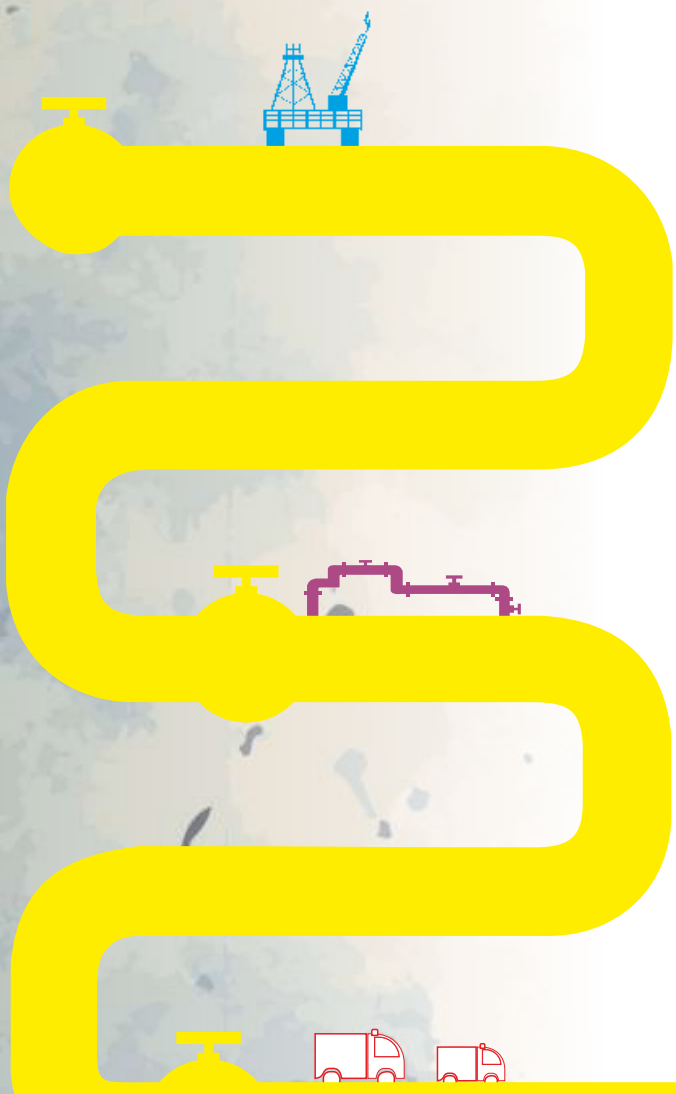

अपस्ट्रीम

प्रगति–पथ

- वैश्विक स्रोतण और अधिग्रहणों पर जोर
- पारम्परिक स्रोतों से एलएनजी और इक्विटी संबंद्ध एलएनजी, समाप्त हो रही स्रोतण संविदाओं का नवीकरण
- अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइनों के जरिए स्रोतण
- एनईएलपी ब्लॉकों के प्रचालकों के साथ घरेलू सहबद्धता

कार्रवाई

- दीर्घावधिक आयात पोर्टफोलियो – 24 एमएमटीपीए
- (13.2–एलएनजी/समुद्री मार्ग, 10– सीमा पर पाइपलाइन/भू–मार्ग)
- वर्ष 2011–15 की अवधि के दौरान 75 तत्स्थल/मध्यावधि कार्गो का आयात किया गया
- कैरिजो ऑयल एण्ड गैस से ईगल फोर्ड शेल में 20% इक्विटी हिस्सा हासिल किया

मिडस्ट्रीम

प्रगति–पथ

- मिडस्ट्रीम क्षेत्र में नेतृत्व स्थिति को कायम रखना
- पाइपलाइन विस्तार को जारी रखना
- एलएनजी पुनः गैसीकरण टर्मिनलों की स्थापना करना तथा पुनः गैस क्षमताओं को दर्ज करना
- ग्राहक खण्डों में मांग का सृजन करना
- अंतिम स्थल संयोजकर्ता पर ध्यान केन्द्रित करना

कार्रवाई

- वित्त वर्ष 2011 से 2800 कि.मी. से अधिक की पाइपलाइन का वर्धन किया गया (डीवीपीएल –II बीएनपीएल, डीबीपीएल)
- मालिक के अभियंता के रूप में दाभोल एलएनजी टर्मिनल को कमीशन किया गया
- दहेज और दाभोल में अतिरिक्त पुनः गैस क्षमता की सहबद्धता
- सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी डेस्क स्थापित किया गया

डाउनस्ट्रीम

प्रगति–पथ

- विविधीकृत प्रमुख हाइड्रोकार्बन कम्पनी बनना
- पेट्रोकेमिकल क्षमताओं का विस्तार जारी रखना
- पेट्रोकेमिकल उत्पाद इष्टीकरण
- 40–60 शहरों में सीजीडी विस्तार के लिए संयुक्त उद्यम/सहायक कम्पनियां
- कार्बन के प्रभाव को अपचित करना – नवीकरणीय ऊर्जा पोर्ट फोलियो का सृजन करना

कार्रवाई

- वर्ष 2015 तक पाता से 0.81 एमएमटीपीए पेट्रोकेमिकल तथा बीसीपीएल से 0.28 एमएमटीपीए पेट्रोकेमिकल का सृजन
- 118 मेगावाट पवन तथा 5 मेगावाट सौर विद्युत संयंत्र स्थापित
- आविर्भावी परियोजनाएं : ईस्ट कोस्ट एफएसआरयू, पीबीआर, नौवहन इत्यादि
- सीजीडी नेटवर्क के लिए पीएनजीआरबी के बोली दौरों में प्रतिभागिता

गेल की आकांक्षा महत्वपूर्ण अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम उपस्थिति के साथ एकीकृत प्रमुख हाइड्रोकार्बन कम्पनी के रूप में उभरने की है।

जन और ग्रह की **देखभाल** में रत

सीएसआर पहलें

गेल सीएसआर के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है जिसके बारे में उसका सुदृढ़ मानना है कि देश के विकास में उसकी अहम् भूमिका है। आपकी कंपनी की सभी शेयर धारकों के लिए 'मूल्य सृजन' की संकल्पना सामाजिक कल्याण प्रयासों के पीछे मार्गदर्शक बल बनी हुई है। सीएसआर प्रोफेशनलों के समर्पित दल वाली ऊपर से नीचे तक मजबूत अधिशासन संरचना उन अर्थपूर्ण सामाजिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन और चयन करने में सहायक होती है जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत विनिर्दिष्ट उपायों के क्षेत्रों के साथ संरेखित है।

जैसा कि सीएसआर नीति में विस्तृत रूप से वर्णित है, सभी सीएसआर प्रयासों के लिए एक परियोजना आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए आपकी कंपनी ने सीएसआर कार्यक्रम प्रमुखतः उन ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किए हैं जो आपकी कम्पनी के प्रमुख कार्य केन्द्रों/संस्थापनाओं के सन्निकट अवस्थित है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII के तहत पहचाने गए अनुसार, आप की कम्पनी ने सीएसआर प्रयासों के सात व्यापक क्षेत्रों का पता लगया है जिनमें से प्रत्येक को उस उद्देश्य का शीर्षक दिया गया है जो वह प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है अर्थात आरोग्य (सुस्वस्थता) – पोषाहार, स्वास्थ्य तथा सफाई स्वच्छता और पेयजल परियोजनाएं, उज्जवल (उज्जवल भविष्य की ओर) – शिक्षा पहलें; कौशल (कौशल) – आजीविका सृजन और कौशल विकास पहलें; उन्नति (प्रगति) – ग्रामीण विकास, सशक्त (सशक्तिकरण) – महिला सशक्तिकरण पहलें, सक्षम (सक्षम) – वयोवृद्ध तथा विकलांगों की देखभाल, और हरित (हरा) – पर्यावरण केन्द्रित पहलें। इन व्यापक क्षेत्रों में से प्रत्येक के तहत पहलों के ब्यौरे प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण के अंतर्गत दिए गए हैं।

सीमांतीय समुदायों से मेधावी बच्चों के लिए लक्षित आपकी कंपनी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'उत्कर्ष' सभी प्रकार के व्यय, विशेषीकृत आवासीय कोचिंग/गहन परामर्श की व्यवस्था करता है ताकि वे आईआईटी/जेईई, एआईईईई तथा यूपीटीयू जैसी प्रतियोगी इंजीनियरी प्रवेश परीक्षाओं में भाग ले सकें। वर्ष 2014–15 के लिए एक सतर्क चयन प्रक्रिया के जरिए इस कार्यक्रम के लिए 100 विद्यार्थियों को चुना गया था। इनमें से 92 विद्यार्थी आईआईटी मेन परीक्षा में सफल/अर्हक रहे है तथा 50 ने अग्रिम चरण की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है।

गेल मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखण्ड, आंध्र प्रदेश तथा पंजाब राज्यों में 374 ग्रामों और लगभग 3,20,000 की आबादी को आवृत्त करते हुए आरोग्य (स्वास्थ्य देखभाल पहलें) के अंतर्गत 18 चल चिकित्सा यूनिटों का प्रचालन कर रहा है।

कौशल (कौशल विकास और आजीविका वर्धन पहलें) के तहत, गेल गुणा (म.प्र.), देदियापाडा (नर्मदा, गुजरात), तंदूर (रंगारेड्डी, तेलंगाना) में सेवा क्षेत्र के ट्रेडों यथा खुदरा/बिक्री, आतिथ्य सत्कार प्रबंधन, बुनियादी इंजीनियरी इत्यादि में कार्यसंबद्ध कौशल प्रशिक्षण सुदूरवर्ती/पिछड़े जिलों में ग्रामीण तथा अर्ध शहरी युवाओं को प्रदान करने के लिए 3 कौशल विद्यालयों का संचालन कर रहा है। इन कौशल विद्यालयों में पिछले वित्त वर्ष 2014–15 में 3380 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया था। इन 3 कौशल विद्यालयों के अतिरिक्त, नगरम, पूर्व गोदावरी, आंध्र प्रदेश में गेल कौशल संस्थान की स्थापना की गई है जहां 49 विद्यार्थियों को वेब डिजाइनिंग, ऑटो सीएडी तथा औद्योगिक इलेक्ट्रीशियन में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। लाभ वंचित समुदाय से 60 लाभानुभोगियों को अहमदाबाद के केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट)के माध्यम से प्लास्टिक उद्योग संबंधित ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 500 लोगों को तमिलनाडु तथा पांडीचेरी में कृषक परामर्शी केन्द्र के माध्यम से कृषि आधारित प्रशिक्षण दिया गया।

गेल के उन्नति (ग्रामीण विकास) कार्यक्रम जो अत्यधिक सफल एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम है, के तहत परियोजना जलधर 48 स्व–सहायता समूहों के कार्यकरण में परिणामी हुई है जिसके परिणामस्वरूप झाबुआ की आदिवासी महिलाओं में आय सर्जन संभव हुआ है तथा बचत का संवर्धन हुआ है, 15 जल संभर संरचनाओं का सृजन हुआ है तथा 3500 से अधिक वृक्ष/पौधें रोपित की गई है। ये सभी क्रियाकलाप व्यापक आकलन तथा झाबुआ जलसंभार के लिए मृदा गुणवत्ता, जलगुणवत्ता तथा परियोजना क्षेत्र की स्थलाकृति के लिए डाटा–बेस के सृजन के साथ–साथ समुदाय के साथ भी नियमित परस्पर संपर्क और बैठकों के पश्चात् किए गए हैं।

गेल के सक्षम (वयोवृद्ध तथा विकलांग लोगों की देखभाल) के तहत भारत के 18 राज्यों के लगभग 48 जिलों में परियोजना स्वाधीन के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम की भागीदारी में 1500 विकलांग लोगों को विभिन्न ट्रेडों में कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया गया।

पुरस्कार तथा सम्मान

- विश्व की शीर्षस्थ 100 कम्पनियों में रैंक तथा वर्ष 2014 के लिए 'प्लैटस 250'' वैश्विक ऊर्जा कम्पनी रेटिंग में एशिया/प्रशांत रिम क्षेत्र में गैस उपयोगिता उद्योग में दूसरे स्थान पर।

- फ्यूचरस्केप तथा आईआईएम उदयपुर सहित ईटी द्वारा सीएसआर 2014 के लिए भारत की सर्वोत्तम कम्पनियों में 11वें स्थान पर तथा शीर्षस्थ 115 भारतीय कम्पनियों में शामिल।

- गेल को इंडिया टुडे पीएसयू पुरस्कार 2014 में ''सर्वोत्तम निष्पादनकारी कम्पनी'' (महारत्न श्रेणी) निर्णीत किया गया।

- गेल इंडिया लि. को ''दि सुपर हेवीवेट्स'' श्रेणी के तहत व्यवसाय विश्व में दूसरी ''तीव्रतम विकासशील कम्पनी'' के रूप में क्रम निर्धारित किया गया है।

- इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस और सस्टेनबिलिटी विज़न अवार्ड 2015 ।

- गेल को डून एवं ब्रैडस्ट्रीट कारपोरेट अवार्ड 2014 में 'गैस प्रोसेसिंग, वितरण और विपणन' क्षेत्र में शीर्षस्थ भारतीय कम्पनी घोषित किया गया है।

- ऊर्जा क्षेत्र में मान्य उत्कृष्ट योगदान के लिए एसीसीजीएच 2014 अवार्ड।

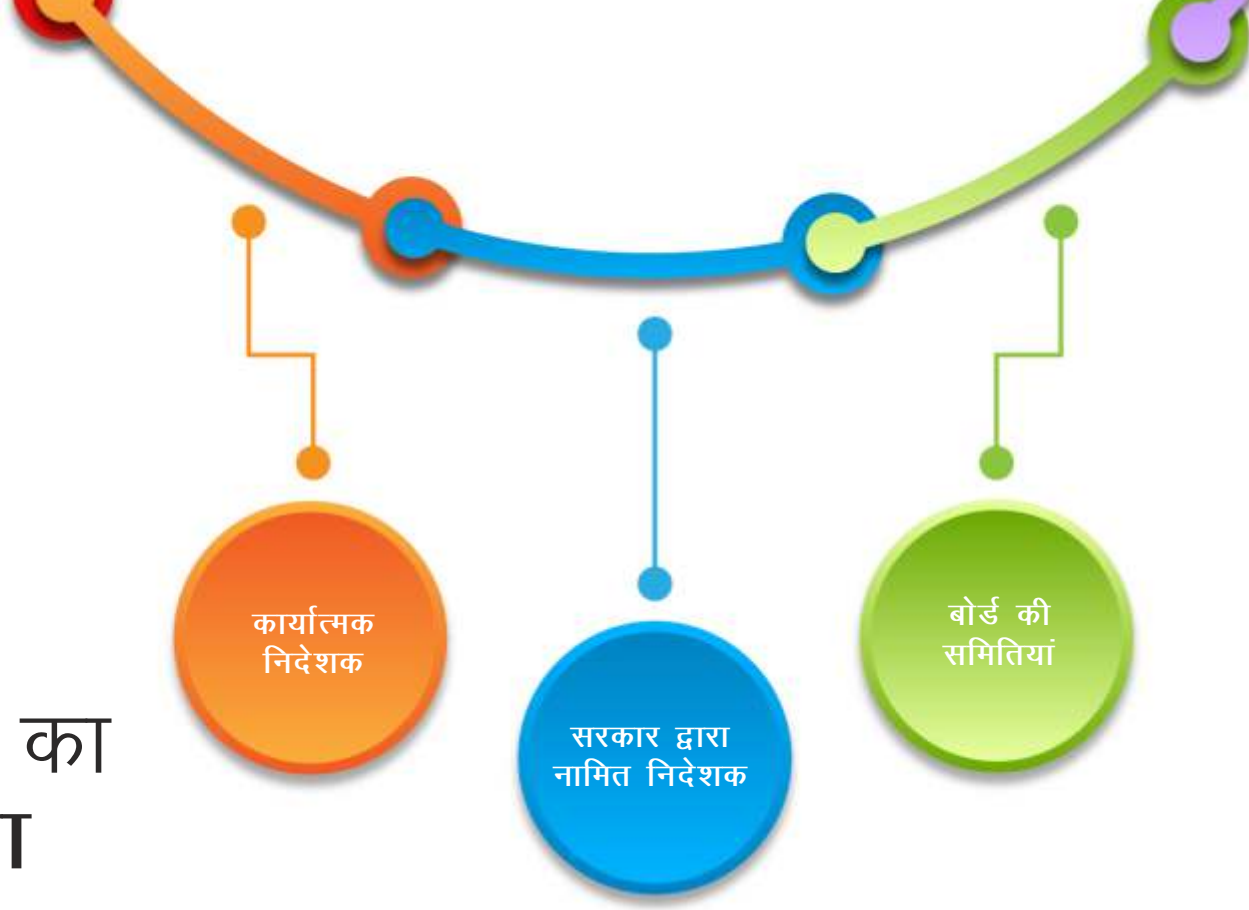

बोर्ड का ढांचा

कार्यात्मक निदेशक

श्री बी. सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं. 01657366

श्री प्रभात सिंह
निदेशक (विपणन)
डीआईएन सं. 03006541

श्री एम. रविन्द्रन
निदेशक (मानव संसाधन)
डीआईएन सं. 02309551

डॉ. आशुतोष कर्नाटक
निदेशक (परियोजना)
डीआईएन सं. 03267102

श्री सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)
डीआईएन सं. 06850526

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री आशुतोष जिंदल
सरकारी नामिती
डीआईएन सं. 05286122

श्रीमती अनुराधा एस. चगती
सरकारी नामिती
डीआईएन सं. 07191011

बोर्ड की समितियां

लेखापरीक्षा समिति
- निदेशक (मा.सं.) – अध्यक्ष
- निदेशक (विपणन)
- निदेशक (परियोजना)

व्यवसाय विकास और विपणन समिति
- निदेशक (विपणन) – अध्यक्ष
- निदेशक (वित्त)
- निदेशक (मा.सं.)
- संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

निगमित सामाजिक दायित्व समिति
- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक – अध्यक्ष
- निदेशक (मा. सं.)
- संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिकार संपन्न संविदा और क्रय समिति
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – अध्यक्ष
- सभी कार्यात्मक निदेशक

प्राकृतिक गैस/एलएनजी/पॉलीमर के आयात हेतु अधिकार संपन्न समिति (प्राकृतिक गैस, एलएनजी और पॉलीमर)
- अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक – अध्यक्ष
- निदेशक (विपणन)
- निदेशक (वित्त)
- निदेशक (मा. सं.)
- संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

वित्त समिति
- निदेशक (विपणन) – अध्यक्ष
- निदेशक (वित्त)
- निदेशक (परियोजना)

मानव संसाधन समिति
- अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक – अध्यक्ष
- सभी कार्यात्मक निदेशक

परियोजना मूल्यांकन समिति
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – अध्यक्ष
- निदेशक (वित्त)
- संबंधित कार्यात्मक निदेशक
- संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नामांकन और वेतन समिति
- संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष
- निदेशक (विपणन)
- निदेशक (परियोजना)

शेयरधारक संबंध समिति
- संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय – अध्यक्ष
- निदेशक (मा.सं.)
- निदेशक (परियोजना)

शेयरधारक शिकायत समाधान समिति
- निदेशक (वित्त) – अध्यक्ष
- निदेशक (विपणन)
- संबंधित कार्यात्मक निदेशक जो विवाद के विषय से संबंधित नहीं हैं

संधारणीय विकास समिति
- निदेशक (परियोजना) – अध्यक्ष
- निदेशक (मा.सं.)
- निदेशक (वित्त)
- निदेशक (विपणन)

निदेशक मण्डल

बी. सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रभात सिंह
निदेशक (विपणन)

एम. रविन्द्रन
निदेशक (मानव संसाधन)

डा. आशुतोष कर्नाटक
निदेशक (परियोजना)

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)
(01.05.2015 से)

आशुतोष जिंदल
निदेशक
(24.02.2015 से)

अनुराधा शर्मा चगती
निदेशक
(21.05.2015 से)

एस. वेंकटरमन
निदेशक (व्यवसाय विकास)
(30.09.2014 तक)

पी. के. जैन
निदेशक (वित्त)
(30.04.2015 तक)

राजीव कुमार
निदेशक
(01.12.2014 तक)

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ
निदेशक
(28.02.2015 तक)

डा. ए. के खंडेलवाल
निदेशक
(28.02.2015 तक)

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे आपकी कम्पनी के निदेशक मण्डल की ओर से वित्त वर्ष 2014–15 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ आपकी महारत्न कम्पनी की 31वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

भारत के प्राकृतिक गैस लीडर के साथ भागीदार संवृद्धि

₹56,569 करोड़ के कुल कारोबार के साथ, गेल (भारत) लि. भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस कम्पनी है तथा एशिया की शीर्षस्थ गैस उपयोगिताओं में इसका स्थान है। आपकी कम्पनी की उपस्थिति सम्पूर्ण गैस मूल्य श्रृखला में है तथा इसके क्रियाकलापों में गैस पारेषण तथा विपणन से लेकर प्रसंस्करण (एलपीजी, प्रोपेन, एसबीपी साल्वेंट एवं पेंटेन को फ्रैक्शनेट करने के लिए), एलपीजी का पारेषण तथा एचडीपीई और एलएलडीपीई जैसे पैट्रोरसायनों का उत्पादन और विपणन शामिल है। आपकी कंपनी ने इक्विटी और संयुक्त उद्यम सहभागिता के माध्यम से विद्युत, एलएनजी पुनः गैसीकरण, शहर गैस वितरण एवं अन्वेशण और उत्पादन में अपने पैर फैलाएं है तथा सौर और पन विद्युत उत्पादन में भी विविधीकरण किया है।

गैस पारेषण गेल की एक मूल सक्षमता है तथा इसकी मजबूती का आधार लगभग 11,000 कि.मी. का प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क और 2038 कि.मी. का एलपीजी पाइपलाइन पारेषण नेटवर्क है।

4,266 कर्मचारियों के अल्प कार्यबल के साथ आपकी कम्पनी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाती है तथा इसकी ऊर्जा सुरक्षा में इसका महत्वपूर्ण योगदान है।

वित्तीय विशिष्टताएं

आपकी कम्पनी के 2014–15 के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय प्राचल है और महत्वपूर्ण वित्तीय उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

विवरण	2014-15		2013-14	
	मिलियन अमरीकी डॉलर में	(करोड़ रुपए में)	मिलियन अमरीकी डॉलर में	(करोड़ रुपए में)
कारोबार (ईडी को घटाकर)	8,952	56,569	9,445	57,245
अन्य आय (अपवादात्मक मदों सहित)	173	1,096	249	1,506
विक्री की लागत (ब्याज तथा मूल्यह्रास को छोड़कर)	8,236	52,045	8,383	50,806
सकल मार्जिन (अपवादात्मक मदों सहित)	889	5,620	1,311	7,945
ब्याज	57	361	60	366
मूल्यह्रास	154	975	195	1,177
कर पूर्व लाभ	678	4,284	1,056	6,402
कर के लिए प्रावधान	197	1,245	334	2,027
कर पश्चात लाभ	481	3,039	722	4,375
विनियोजन				
अंतरिम लाभांश	60	381	94	571
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	60	381	123	748
निगमित लाभांश कर	24	154	37	224
ब्रॉण्ड मोचन प्रारक्षित राशि को / से निवल अंतरण	6	37	(1)	(6)
सीएसआर प्रारक्षित राशि को अंतरण	(5)	(30)	3	18
सामान्य प्रारक्षित राशि को अंतरण	48	304	72	438
विनियोजन के बाद निवल अधिशेष	287	1814	393	2,382
संबंधित वित्त वर्ष की 31 मार्च के अनुसार प्रचलित विनिमय दर यूएस डॉलर पर एक भारतीय रुपए में परिवर्तित	63.19		60.61	

गेल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री बी. सी. त्रिपाठी, मुम्बई में निवेशकों और विश्लेषकों के साथ बातचीत करते हुए

भारत के राष्ट्रपति द्वारा विनिवेश

भारत सरकार ने 27 मार्च 2014 को सीपीएसई ईटीएफ के माध्यम 15,672,024 शेयरों का विनिवेश किया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने सीपीएसई ईटीएफ के माध्यम से बोनस यूनिटों के रूप में 8 अप्रैल को 37,819 शेयरों का विनिवेश किया है। विनिवेश के पश्चात्, गेल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या 711,695,832 है जो कि गेल की प्रदत्त शेयर पूंजी का 56.11 प्रतिशत है।

लाभांश

आपकी कंपनी का लाभांश भुगतान करने का निरंतर ट्रैक रिकार्ड रहा है। अभी तक आपकी कंपनी ने शेयरधारकों को ₹13,043 करोड़ से अधिक के लाभांश का संवितरण किया है जिसमें भारत सरकार को लाभांश के रूप में संवितरित ₹7,925 करोड़ की राशि शामिल है।

आपकी कंपनी के निदशक मण्डल ने प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर पर 30 प्रतिशत (3 रुपए प्रति इक्विटी शेयर) की दर से अंतरिम लाभाश का भुगतान करने के लिए पहले अनुमोदन कर दिया था जिसकी कुल राशि ₹380.54 करोड़ है और जिसका भुगतान मार्च, 2015 में कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने 2014–15 के लिए प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर पर 30 प्रतिशत (3 रुपए प्रति इक्विटी शेयर) की दर से अंतिम लाभांश के भुगतान की अनुशंसा की है जिसकी कुल राशि ₹380.54 करोड़ है। इसके साथ, राजकोषीय वर्ष 2014–15 के लिए प्रत्येक 10 रुपए के इक्विटी शेयर पर 60% (6 रुपए प्रति इक्विटी शेयर) की दर से अंतिम कुल ₹761.09 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया जाएगा। यह भुगतान इसकी ₹1268.48 करोड की प्रदत्त पूंजी तथा ₹153.56 करोड़ के लाभांश वितरण कर पर किया जाएगा। भुगतान किया जाने वाला कुल लाभांश निगमित लाभांश कर सहित कर पश्चात् लाभ का ₹30.10 प्रतिशत होगा।

राजकोष में अंशदान

आपकी कंपनी ने वर्ष 2014–15 में लाभांश, शुल्क, कर तथा अन्यों के माध्यम से ₹5,788करोड़ का अंशदान किया है जबकि वर्ष 2013–14 में यह ₹6,933 करोड़ था।

क्रेडिट रेटिंग

आपकी कंपनी को आईसीआरए, सीएआरई, क्रिसिल तथा भारतीय दर निर्धारण से उच्चतम घरेलू AAA की क्रेडिट रेटिंग प्रदान किए जाने की पुष्टि की गई है जो न्यूनतम जोखिम का सूचक है। अन्तर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज इंटरनेशनल, हांगकांग ने भी कम्पनी को पुनः निगमित निर्गमकर्ता रेटिंग Baa2 प्रदान की है जो संप्रभुत्व रेटिंग से एक दर्जा ऊपर है। इसके अतिरिक्त, फिच रेटिंग ने भी दीर्घावधि विदेशी मुद्रा निर्गमकर्ता व्यतिक्रम रेटिंग BBB - स्थिर दृष्टिकोण के साथ प्रदान की है जो संप्रभुत्व रेटिंग के बराबर है।

नैगम कार्यनीति

आपने विकास पथ में प्रमात्रात्मक उछाल लाने के लिए आपकी कंपनी ने 2011–2020 की अवधि के लिए अपनी निगमित कार्यनीति विकसित की है। वर्तमान में यह कार्यनीति निष्पादन के अधीन है और कम्पनी विभिन्न कार्यनीतिक प्रयासों की प्रगति की सूक्ष्म रूप से मॉनीटरिंग कर रही है तथा साथ ही गेल के व्यवसाय पर वृहत माहौल के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए इस पर भी निरंतर नजर रख रही है। आपकी कंपनी का प्रबंधन कार्यनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने तथा कम्पनी को 2020 तक महत्वपूर्ण अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम हितों के साथ एकीकृत हाइड्रोकार्बन प्रमुख बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

अपप्रवाही खण्ड में, आपकी कम्पनी की योजना पारम्परिक मार्ग तथा टर्मिनल क्षमता बुकिंग के माध्यम से एलएनजी का आयात बढ़ाने की है। इसकी योजना इक्विटी–सम्बद्ध एलएनजी का स्रोतण करने के लिए उत्पादक परिसम्पत्तियों/द्रवीकरण सुविधाओं में इक्विटी अर्जित करने की भी है। आपकी कंपनी ने आपूर्तिकर्ताओं यथा सेबीन पास द्रवीकरण एलएलसी (सं.रा. अमरीका), गाजपॉम (रूस) तथा डब्ल्यूजीएल मिडस्ट्रीम ईंक के साथ अनेक दीर्घावधिक सौदों को अंतिम रूप देकर एलएनजी के स्रोतण में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। आपकी कंपनी की यूएसए में स्थित सहायक कंपनी गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी ने मेरीलैंड राज्य में डोमिनियन कॉव प्वाइंट एलएनजी द्रवीकरण टर्मिनल में एलएनजी क्षमता बुक की है। इसके अलावा, आपकी कंपनी एलएनजी पोत चार्टर किराए पर लेकर एलएनजी शिपिंग व्यवसाय में भी प्रवेश करने की कोषिष कर रही है जिससे कि यूएसए एलएनजी का परिवहन भारत तथा अन्य वैश्विक बाजारों को को किया जा सके। आपकी कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी गेल ग्लोबल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड के माध्यम से एलएनजी ट्रेडिंग व्यवसाय के क्षेत्र में भी प्रवश किया है।

एलएनजी की प्रमात्रा वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए, आपकी कंपनी की योजना भूमि–आधारित एलएनजी टर्मिनल तथा प्लवमान भण्डारण तथा पुनर्गैसीकरण इकाइयां स्थापित करने की है। यह अन्य कम्पनियों द्वारा स्थापित किए जा रहे मौजूदा एवं नए टर्मिनलों में अतिरिक्त गैसीकरण क्षमता की बुकिंग भी कर रही है। आपकी कंपनी ने पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) के साथ दहेज एलएनजी टर्मिनल में अतिरिक्त पुनः गैसीफिकेशन क्षमताओं की संहबद्धता की है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने एलएनजी स्रोतण प्रयासों के समनुरूप भारत में अपने घरेलू गैस बाजार विकास प्रयासों को गहन किया है ताकि अधिक ग्राहकों को आकृष्ट किया जा सके तथा उन्हें प्रतिधारित रखा जा सके।

प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति के अंतराल को भरने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए आपकी कंपनी तुर्कमेनिस्तान –अफगानिस्तान – पाकिस्तान–भारत (टीएपीआई) अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन परियोजना में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। इस पाइपलाइन के माध्यम से देश में 38 एमएमएससीएमडी गैस के लिए तुर्कमेनिस्तान के साथ द्विपक्षीय जीएसपीए पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त टीएपीआई निकायों द्वारा आइल ऑफ मैन में टीएपीआई पाइपलाइन कम्पनी लि. को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में शामिल किया गया है।

मिडस्ट्रीम खंड में आपकी कंपनी पाइपलाइन नेटवर्को पर ग्राहक तत्परता के समकालिक पाइपलइन नेटवर्क के निरंतर अखिल भारतीय विस्तार के माध्यम से नेतृत्व की स्थिति में बने रहने की आकांक्षा रखती है। देश में अब आपकी कंपनी का कुल प्राकृतिक गैस का पाइपलाइन नेटवर्क लगभग 11,000 किलोमीटर हो गया है। आगे बढ़ती मांग को पूरा करने और अपनी भौगोलिक पहुंच को बढ़ाने के लिए कई अन्य पाइपलाइन परियोजनाएं निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं जिनसे नेटवर्क का आकार 15,000 कि.मी. हो जाएगा।

डाउनस्ट्रीम खण्ड में आपकी कंपनी विपणन के लिए उत्पाद उठाव अधिकारों सहित मौजूदा क्षमताओं का विस्तार कर, नए संयंत्र स्थापित कर, आगामी परियोजनाओं में इक्विटी हिस्से अर्जित कर देश की शीर्षस्थ पेट्रोकेमिकल कम्पनी बनने की आकांक्षा रखती है। इसने पाता में दूसरे पेट्रोकेमिकल यूनिट को आरंभ कर पाता की मौजूदा पेट्रोकेमिकल क्षमता को दुगुना कर दिया है आपकी कंपनी की सहायक कम्पनी ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल) के माध्यम से असम में हरितक्षेत्र पेट्रोकेमिकल संयंत्र भी स्थापित किया जा रहा है। दहेज में संयुक्त उद्यम ओएनजीसी पेट्रोएडिशन्स लिमिटेड (ओपॉल) के माध्यम से एक अन्य पेट्रोकेमिकल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। वर्ष 2016 तक आपकी कंपनी से 1.7 एमएमओपीए पॉलीमर के विपणन की प्रत्याशा की जाती है।

खुदरा क्षेत्र में, आपकी कंपनी आगामी कुछ वर्षों में अपनी सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से शहर गैस वितरण (सीजीडी) के लिए अतिरिक्त 40–50 शहर/भौगोलिक क्षेत्रों (जीएएस) का लक्ष्य निर्धारित कर रही है। आपकी कंपनी की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी गेल गैस लि. की कोटा, देवास, मेरठ और सोनीपत शहरों में प्रगति समयानुसार चल रही है। इसके अतिरिक्त, गेल गैस लि. ने बंगलूरु शहर के लिए सीजीडी नेटवर्क का विकास करने के लिए सीजीडी बोली के चौथे दौर में पीएनजीआरबी से प्राधिकार हासिल कर लिया है।

आपकी कंपनी का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से कार्बन प्रभाव को कम करने और निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान देने का है। तदनुसार, आपकी कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं और इस दिशा में अभी तक महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की गई है। आपकी कंपनी के पास पन ऊर्जा की 118 मेगावाट की संस्थापित क्षमता है। इसने एक 5 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना भी स्थापित की है। इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

मंत्रालय और नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तत्वावेधान के अंतर्गत ग्रिड संयोजित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सृजित एसपीवी में एक शेयरधारक है।

दक्षतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से कार्यनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपकी कम्पनी अपने मानव संसाधन को मजबूत बनाने तथा उसका विकास करने पर महत्वपूर्ण जोर दे रही है। तदनुसार, कम्पनी की भर्ती, प्रशिक्षण और विकास नीतियों को कार्यनीतिक उद्देश्यों के साथ समुचित रूप से एकात्मक किया जा रहा है ताकि कम्पनी 2020 तक कार्यनीतिक योजनाओं को कार्यान्वित कर अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके।

व्यवसाय निष्पादन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कम्पनी के खण्डवार व्यावसायिक निष्पादन का उल्लेख नीचे किया गया है :

- **प्राकृतिक गैस विपणन**

  प्राकृतिक गैस आपकी कम्पनी का निरंतर महत्वपूर्ण कारोबार बना हुआ है। वर्ष 2014–15 के दौरान, गैस की बिक्री गत वित्त वर्ष में 79 एमएमएससीएमडी की तुलना में 72 एमएमएससीएमडी रही। प्राकृतिक गैस की मुख्य आपूर्तियां पॉवर संयंत्रों को ईंधन, गैस आधारित उर्वरक संयंत्रों को फीड स्टॉक के रूप में और एलपीजी के निष्कर्षण के लिए की जाती हैं। भारत में आपकी कम्पनी के लगभग 60% बाजार षेयर हैं।

- **पारेषण**

  - **प्राकृतिक गैस**

    आपकी कम्पनी लगभग 11,000 कि.मी. की उच्च दाब ट्रंक पाइपलाइन नेटवर्क की स्वामी है और उसका प्रचालन करती है जिसकी अखिल भारतीय क्षमता लगभग 206 एमएमएससीएमडी प्राकृतिक गैस है। वर्ष के दौरान औसत गैस पारेषण 92 एमएमएससीएमडी था जबकि गत वित्त वर्ष में यह 96 एमएमएससीएमडी था।

  - **एलपीजी**

    भारत में केवल आपकी कम्पनी ही एकमात्र कम्पनी है जो अनन्य रूप से तृतीय पक्ष के प्रयोग के लिए एलपीजी पारेषण के लिए पाइपलाइन का स्वामित्व तथा प्रचालन करती है। आपकी कम्पनी के पास दो एलपीजी पाइपलाइन पारेषण प्रणालियों का स्वामित्व और प्रचालन है जिनकी कुल लम्बाई 2,038 कि.मी. है। इसमें से 1,415 कि.मी. पाइपलाइन नेटवर्क में भारत के पश्चिमी से उत्तरी भाग (जामनगर–लोनी पाइपलाइन) में एलपीजी का परिवहन होता है और शेष 623 कि. मी. पाइपलाइन नेटवर्क से देश के दक्षिणी भाग (विशाखापत्तनम–सिकंदराबाद पाइपलाइन) में एलपीजी का परिवहन होता है। एलपीजी पारेषण प्रणाली की क्षमता 3.8 एमएमटीपीए एलपीजी परिवहन करने की है। वर्ष 2014–15 में एलपीजी पारेशण थ्रूपूट लगभग 3.09 मिलियन मी. टन प्राप्त किया गया।

- **पेट्रोकेमिकल**

  वर्ष 2014–15 के दौरान आपकी कम्पनी ने 477 हजार मी.टन पॉलीमर का उत्पादन किया और 441 हजार मी.टन पॉलीमर का विक्रय किया।

- **एलपीजी और अन्य द्रव हाइड्रोकार्बन उत्पादन**

  देश में आपकी कम्पनी के 7 एलपीजी संयंत्र हैं। उसार एलपीजी संयंत्र पूर्ण रूप से बंद पड़ा है तथा इसे परिरक्षण मोड में रखा गया है। वर्ष 2014–15 में द्रव हाइड्रोकार्बन का कुल उत्पादन लगभग 1276 हजार मीटरी टन था जिसमें मुख्य रूप से 1039 हजार मीटरी टन एलपीजी 115,81 हजार मीटरी टन प्रोपेन, 22.76 हजार मीटरी टन पेंटेन और 98.75 हजार मीटरी टन नाफ्था शामिल था।

- **अन्वेषण और उत्पादन (ई एवं पी)**

  आपकी कंपनी का ई एवं पी पोर्ट फोलियो निम्नानुसार है :

	भारत	विदेशी	कुल
तटीय ब्लॉक	8	–	8
उथले जल ब्लॉक	3	2	5
गहरे जल ब्लॉक	2	–	2
कुल	13	2	15

माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र प्रधान हुबली–धारवाड शहर, कर्नाटक में गैसापूर्ति का उद्घाटन करते हुए

वर्ष 2014–15 के दौरान, ईएवंपी व्यवसाय से आत्मनिर्भर होने के लिए पर्याप्त राजस्व का सृजन हुआ है। म्यांमार से इसके ए–1 तथा ए–3 ब्लॉक से गैस का उत्पादन 14 एमएमसीएमडी के चरम उत्पादन स्तर पर पहुंच गया है। वर्ष 2014–15 में इसके चार उत्पादन ब्लॉकों नामतः ए–1 तथा ए–3 म्यांमार और कैम्बे भूतल ब्लॉक, सीबी–ओएनएन–2000/1 (अहमदाबाद) तथा सीबी–ओएनएन–2003/2 (अंकलेश्वर), गुजरात से हाइड्रोकार्बन की बिक्री से लगभग ₹663.10 करोड़ का राजस्व सृजित हुआ है।

आपकी कंपनी 03 भूतल ब्लॉकों अर्थात (i) आरजे–ओएनएन–2004/1 राजस्थान बेसिन (गंगानगर) में जिसे एनईएलपी–VI बोली चक्र के दौरान आबंटित किया गया था, (ii) सीवाई–ओएनएन–2005/1 कावेरी बेसिन तमिलनाडु (तंजावूर और थिरूवारूर) में जिसे एनईएलपी–VII बोली चक्र के दौरान आबंटित किया गया था तथा (iii) सीबी–ओएनएन–2010/11 कावेरी बेसिन में जिसे एनईएलपी– IX बोली चक्र के दौरान आबंटित किया गया था, की प्रचालक है। शेष 12 ब्लॉकों में आपकी कंपनी गैर–प्रचालक हिस्सेदार है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, ब्लॉक सीवाई–ओएनएन–2005/1 में अन्वेषणात्मक कूपों के वेधन के लिए तैयारी चल रही थी। वास्तविक वेधन भू–अधिप्राप्ति के बाद शुरू होगा। ब्लॉक सीबी–ओएनएन–2010/11 में वर्ष 2014–15 के दौरान, 131 कि.मी.^{2} 3डी भूकम्पीय डाटा का अधिग्रहण, प्रक्रियान्वयन और इंटरप्रेटशन (एपीआई) पूर्ण कर लिया गया है। अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन 2015–16 में करने की योजना है।

भावी संवृद्धि के लिए पहलें

- **वैश्विक पहलें**

  नवम्बर 2014 में, अमरीका में आपकी कंपनी की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनी गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी (जीजीयूएलएल) ने 2.3 एमएमटीपीए डोमिनियन को प्वाइंट एलएनजी टर्मिनल को पोषित करने के लिए अपेक्षित प्राकृतिक गैस अधिप्राप्त करने के लिए डब्ल्यूजीएल मिडस्ट्रीम इंक (यूएसए) के साथ 20 वर्षीय गैस स्रोतण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पूर्व वर्ष 2013 में, जीजीयूएलएल ने अमरीका में मेरीलैंड राज्य में लस्बी में अवस्थित कोव प्वाइंट एलएनजी द्रवीकरण परियोजना में 2.3 एमएमटीपीए तरलीकरण क्षमता दर्ज करने के लिए डोमिनियन कोव प्वाइंट एलएनजीएलपी के साथ टर्मिनल सेवा करार (टीएसए) पर हस्ताक्षर किए थे।

  आपकी कम्पनी तुर्कमेनिस्तान में गाल्किंश क्षेत्र से प्राकृतिक गैस प्राप्त करने के लिए टीएपीआई पाइपलाइन परियोजना में अग्रणी भूमिका का निरंतर परिशीलन कर रही है। पाइपलाइन परिसंघ कम्पनी टीएपीआई पाइपलाइन कम्पनी लि. (टीपीसीएल) का निगमन 11 नवम्बर, 2014 को आईरिश सागर में अवस्थित एक ब्रिटिश आधिपत्याधीन क्षेत्र आईल ऑफ मैन में किया गया था। टीएपीआई प्रस्तावित टीएपीआई पाइपलाइन का निर्माण करने, उसका स्वामित्व ग्रहण करने और उसका प्रचालन करने के लिए अधिदेशित है।

- **घरेलू पहलें**

  आपकी कंपनी की घरेलू व्यवसाय पहलें निम्नानुसार थीं :

  - **एलएनजी पुनः गैसीकरण टर्मिनल**

    आपकी कंपनी की योजना भारत के पूर्वी तट पर एक प्लवमान भंडारण तथा पुनः गैसीकरण यूनिट (एफएसआरयू)/पुनःगैसीकरण टर्मिनल स्थापित करने

की है। इस संबंध में ओडिशा में धामरा पत्तन पर प्रस्तावित पुनः गैसीकरण टर्मिनल में इक्विटी प्रतिभागिता तथा क्षमता की बुकिंग के लिए अदानी पोर्टस एण्ड स्पेशल इकोनामिक जोन लि. (एपीएसईजेड) के साथ चर्चाएं जारी हैं।

- **एलएनजी नौवहन**

  वर्ष 2011 में, आपकी कम्पनी ने 20 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए एफओबी आधार पर चेनीर एनर्जी, यूएसए से 3.5 एमएमटीपीए एलएनजी की संविदा की थी। इसके बाद वर्ष 2013 में आपकी कंपनी ने 20 वर्ष के लिए डोमिनियन कोव प्वांयट टर्मिनल में 2.3 एमएमटीपीए की द्रवीकरण क्षमता की बुकिंग के लिए एक टर्मिनल सेवा करार (टीएसए) पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इन दोनों संविदाओं से आरंभिक आपूर्तियां दिसम्बर, 2017 से आरंभ होने की आशा है। वर्तमान में आपकी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बोली मार्ग के जरिए एलएनजी पोतों के दीर्घावधिक चार्टर किराए की प्रक्रिया में रत है।

- **प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाएं**

  वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 11 राज्यों नामतः उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल में विभिन्न पाइपलाइन नेटवर्कों के वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ाने के लिए लगभग 129 कि.मी. की पाइपलाइन को आवृत्त करते हुए 36 ''अंतिम मील कनेक्टीविटी'' पूरी की है।

- **गैर–पारंपरिक ऊर्जा**

  आपकी कंपनी की पवन ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं की कुल संस्थापित क्षमता 118 मेगावाट की है। मार्च 2010 में आपकी कंपनी ने गुजरात राज्य में कैप्टिव प्रयोग हेतु 4.5 मेगावाट पवन ऊर्जा की मामूली क्षमता से शुरूआत की थी। प्रथम पवन ऊर्जा उत्पादन परियोजना की सफलता के बाद गुजरात राज्य में कैप्टिव प्रयोग के लिए जनवरी 2012 में 14.7 मेगावाट क्षमता की अतिरिक्त, पवन ऊर्जा जनन परियोजना स्थापित की गई। मार्च, 2012 में, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में 98.75 मेगावाट की पवन ऊर्जा उत्पादन परियोजनाएं आरंभ करके आपकी कंपनी ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

  वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत राजस्थान में 5 मेगावाट सौर संयंत्र की स्थापना करके सौर ऊर्जा उत्पादन में भी प्रवेश किया है।

- **कोयला गैसीकरण**

  आपकी कंपनी तलचर, ओडिशा में राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाईजर्स लि. (आरसीएफ), फर्टिलाईजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (एफसीआईएल तथा कोल इण्डिया लि. (सीआईएल) के साथ कोयला गैसीकरण सह उर्वरक उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित कर रही है। यह प्रस्ताव है कि संयंत्र के लिए आवंटित कोयला ब्लॉक से आपूर्ति किए जाने वाले कोयले पर आधारित कोयला गैसीकरण इकाई स्थापित की जाए।

  परियोजना से प्रतिदिन 3850 मी. टन यूरिया का उत्पादन परिकल्पित है। इस परियोजना की सफलता प्रचुर रूप से उपलब्ध घरेलू कोयले से उर्वरक के उत्पादन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी जिससे उर्वरकों के आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी।

संबंधित पक्षकार–सहायक कंपनियां /सहयोगी कम्पनियां/संयुक्त उद्यम

आपकी कंपनी ने शहर गैस वितरण (सीजीडी), पेट्रोकैमिकल, एलएनजी, गैस ट्रेडिंग, विद्युत जनन और शेल गैस के लिए सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम कंपनियां बनाई हैं। आपकी कंपनी भारत की उन अग्रणी कंपनियों में से एक है जिसने अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से घरेलू, वाणिज्यिक और परिवहन क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए भारत में शहर गैस परियोजनाएं आरंभ की हैं। इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों का ब्यौरा यहां नीचे दिया गया है :

प्राकृतिक गैस, एलएनजी और विद्युत

गेल ग्लाबेल (सिंगापुर) प्रा. लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

गेल ग्लोबल (सिंगापुर) प्रा. लि. को मुख्यतया आपकी कंपनी की विदशी निवेश शाखा के रूप में आरंभ किया गया था और 2012 में यह एलएनजी ट्रेडिंग के लिए प्रचालन में आई। इसने मई, 2012 में अपने व्यापारिक प्रचालन आरंभ किए। जीजीएसपीएल अब एलएनजी कारोबार के क्षेत्र में व्यवसाय क्रियाकलापों में सक्रियता से लगी हुई है। 31 मार्च, 2015 तक जीजीएसपीएल ने आठ एलएनजी कार्गो का कारोबार किया है जिनमें से तीन का कारोबार वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान किया गया है।

जीजीएसपीएल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी यूएसए स्रोतित एलएनजी के 3 एमएमटीपीए का विपणन करने के लिए भी आपकी कम्पनी द्वारा अधिदेशित किया गया है। जीजीएसपीएल पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इतनी प्रमात्रा का विपणन कर रही है। उक्त प्रमात्राओं के प्रति आपूर्तियां वर्ष 2018 से आरंभ होने की आशा है।

जीजीएसपीएल गेल को एलएनजी कार्गो की आपूर्ति करने के साथ–साथ अब एलएनजी के तृतीय पक्ष कारोबार, पोत किराए पर लेने तथा जोखिम प्रबंधन क्रियाकलापों को भी लक्षित कर रही है।

- **गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक (पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनी)**

गेल ग्लोबल (यूएसए) (जीजीयूआई) का निगमन ईगल फोर्ड शेल गैस परिसम्पत्ति में निवेष करने के लिए आपकी कम्पनी की पूर्णतया स्वामित्वाधीन कम्पनी के रूप में किया गया था। इस निवेश के पीछे प्राथमिक उद्देश्य अमरीकी शेल गैस बाजार में प्रवेश करना तथा भारत में शेल गैस प्रौद्योगिकी को लाना था। जीजीयूआई ने टेक्सास में ईगल फोर्ड शेल परिसम्पत्ति में अनिगमित संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने के लिए 28 सितम्बर, 2011 को मै. कैरिजो आयल एंड गैस ईंक, यूएसए (कैरिजो) के साथ एक सुपरिभाषित करार निष्पादित किया। जीजीयूआई ने इस संयुक्त उद्यम में 20 प्रतिशत प्रतिभागिता हित अधिग्रहीत किया। शेष 80 प्रतिशत प्रतिभागिता हित के साथ कैरिजो संयुक्त उद्यम के लिए प्रचालक के रूप में कार्यरत है।

वर्ष के दौरान, 12 कुएं चालू हुए जिससे इनकी कुल संख्या 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार 79 हो गई है। इसके अतिरिक्त, 16 कुएं इस तिथि की स्थिति के अनुसार वेधन और पूर्णता के विभिन्न चरणों पर हैं। वर्ष 2014 के दौरान जीजीयूआई की सकल उत्पादन प्रमात्रा 978.5 एमबीओई थी।

माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र प्रधान, गेल प्रबंधकों के साथ चर्चा करते हुए

- **गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजीएलएलसी (जीजीयूआई की पूर्णतया स्वामित्वाधीन कम्पनी)**

गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजीएलएलसी (जीजीयूएलएल) का गठन इसके डीसीपीएलएनजी टर्मिनल में 23 एमएमटीपीए की एलएनजी टोलिंग क्षमता बुक करने के लिए डोमिनियन कोव प्वांयट एलएनजी, एलपी (डीसीपी) के साथ संविदात्मक करार निष्पादित करने के लिए मार्च 2013 के दौरान किया गया था। जीजीयूएलएल ने कोव प्वाइंट टर्मिनल पर लगभग 2.3 एमएमटीपीए एलएनजी उत्पादित करने के लिए 20 वर्षीय अवधि के लिए कोव प्वाइंट पाइपलाइन/टर्मिनल के प्रवेश द्वार पर परिदत आधार पर गैस के स्रोतण के लिए डब्ल्यूजीएल मिडस्ट्रीम ईंक के साथ 30 नवम्बर, 2014 को गैस बिक्री और क्रय करार (जीएसपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। जीजीयूएलएल तथा डीसीपी ने टर्मिनल सेवा करार (टीएसए) की सभी पूर्व शर्तें पूरी कर ली हैं जिससे टीएसए 19 दिसम्बर, 2014 से प्रभावी हो गया है।

- **गेल चाइना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड**

संयुक्त उद्यम कंपनी गेल चाइना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड का गठन मुख्यतः चीन में गैस क्षेत्र संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से किया गया था। कंपनी द्वारा कार्यान्वयन हेतु संभावित गैस क्षेत्र परियोजनाओं की पहचान की जा रही है। इसमें समान भागीदार के रूप में चाइना गैस होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ आपकी कंपनी के पास 50% इक्विटी हित है।

- **पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल)**

पीएलएल जिसका गठन एलएनजी आयात और पुनःगैसीकरण सुविधाओं की स्थापना करने के लिए किया गया था, वर्तमान में दहेज, गुजरात स्थित 10 एमएमटीपीए की क्षमता वाले एलएनजी पुनः गैसीकरण टर्मिनल का स्वामी है और इसका प्रचालन करता है। पीएलएल ने 7.5 एमएमटीपीए एलएनजी के आयात के लिए रास गैस, कतर के साथ दीर्घावधिक एलएनजी आपूर्ति संविदा की है। पीएलएल दहेज में 15 एमएमटीपीए क्षमता विस्तार कर रही है, जिसके 2016 के अंत तक पूर्ण होने की आशा है। पीएलएल ने 5 एमएमटीपीए की क्षमता वाले एक एलएनजी पुनःगैसीकरण टर्मिनल का कोच्चि, केरल में भी निर्माण किया है। पीएलएल ने अपने कोच्चि टर्मिनल को 1.44 एमएमटीपीए एलएनजी की आपूर्ति के लिए एक्जॉन मोबिल की गॉरगॉन परियोजना के साथ दीर्घावधिक एलएनजी आपूर्ति अनुबंध भी किया है।

आपकी कंपनी की पीएलएल में 12.5 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी है तथा बीपीसीएल, ओएनजीसी और आईओसीएल इसमें समान रूप से भागीदार हैं।

- **रत्नगिरी गैस एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल)**

एनटीपीसी के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में आरजीपीपीएल का गठन अक्तूबर, 2005 में किया गया था ताकि वह भूतपूर्व दाभोल पावर परियोजना की परिसंपत्तियों को लेकर उनका प्रचालन कर सके। इन परिसंपत्तियों में 1967.08 मे.वा. का गैस आधारित कम्बाइन्ड साइकिल पावर ब्लॉक तथा 5 एमएमटीपीए एलएनजी ब्लॉक शामिल थे। इन्हें अक्तूबर, 2005 में आरजीपीपीएल को अंतरित कर दिया गया था।

पॉवर ब्लॉक का पुनरुद्धार किया गया है और यह 19 मई, 2009 से व्यावसायिक प्रचालन कर रहा है। वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान इस पॉवर ब्लॉक को घरेलू गैस की अनुपलब्धता तथा निधियों की कमी के कारण प्रचालित नहीं किया जा सका।

एलएनजी टर्मिनल को जनवरी, 2013 में हाई प्रेशर डिलीवरी सिस्टम के जरिए गैस की डिलीवरी शुरू की गई तथा इसे 22 मई 2013 में कमीशन किया गया था। चूंकि यह माना जा रहा है कि विद्युत उत्पादन के लिए पूरी तरह घरेलू गैस का ही उपयोग किया जाएगा, इसलिए एकीकृत एलएनजी टर्मिनल का उपयोग टॉलिंग प्रयोजन के लिए भी किया जाता है। आरजीपीपीएल पहले ही एलएनजी टर्मिनल के व्यावसायिक उपयोग हेतु गेल के साथ एक दीर्घावधिक करार कर चुका है और टॉलिंग प्रचालन शुरू कर दिया गया है। कमीशन होने के बाद से 25 कार्गो सफलतापूर्वक अनलोड किए गए हैं जिनमें से 10 कार्गो वर्ष 2014–15 के दौरान अनलोड किए गए हैं।

अपने लाभार्थियों से उच्च प्राप्य राशियों के अनकदीकरण तथा विद्युत उत्पादन के लिए घरेलू गैस की अनुपलब्धता के कारण आरजीपीपीएल कठिन वित्तीय संकट की स्थिति में है जिसके कारण वर्ष 2014–15 के लिए अपने ऋण शोधन दायित्वों को पूरा करने में यह असमर्थ रहा है।

गैर–निष्पादनकारी परिसम्पत्ति होने से बचने के लिए, आरजीपीपीएल ने उधारदाताओं की बकाया देयताओं को इक्विटी में परिवर्तित कर लिया है। परिणामस्वरूप आपकी कंपनी का आरजीपीपीएल में 25.51 प्रतिशत इक्विटी हिस्सा है जबकि एनटीपीसी की धारिता 25.51 प्रतिशत, एमएसईबी होल्डिंग कम्पनी की धारिता 13.51 प्रतिशत और भारतीय वित्तीय संस्थाओं की धारिता 35.47 प्रतिशत है।

शहर गैस वितरण (सीजीडी)

- **गेल गैस लि. (पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनी)**

गेल गैस का निगमन देश में शहर गैस वितरण (सीजीडी) परियोजनाओं के संकेंद्रित क्रियान्वयन के उद्देश्य से किया गया था। गेल गैस को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने देवास, कोटा, सोनीपत, मेरठ, बडोदरा तथा ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में शहर गैस वितरण परियोजनाएं क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, गेल गैस अपने संयुक्त उद्यमों के माध्यम से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल इत्यादि के राज्य में शहर गैस व्यवसाय का परिशीलन कर रही है। इसे बंगलूरु शहर के लिए सीजीडी नेटवर्क का विकास करने के लिए सीजीडी बोली के चौथे दौर में पीएनजीआरबी से प्राधिकार हासिल हुआ है। इसने सीजीडी बोली के 5वें दौर के तहत संयुक्त प्रतिभागिता के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है तथा हरिद्वार जिले (जीए) में शहर गैस वितरण के क्रियान्वयन हेतु इसे पीएनजीआरबी द्वारा अधिकृत किया गया है।

संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी)

वर्ष के दौरान, गेल ने विद्यमान केन्द्रों की क्षमता को बढ़ाकर और सोनीपत में नए केन्द्र स्थापित कर अपनी सीएनजी वितरण अवसंरचना को मजबूत किया है। वर्ष 2014–15 में सीएनजी की बिक्री बढ़कर 31 एमएमएससीएम हो गई।

पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी)

पीएनजी व्यवसाय में, गेल गैस अपने प्राधिकृत शहरों में घरेलू ग्राहकों को प्रगामी रूप से पीएनजी की आपूर्ति कर रहा है। वर्तमान में यह कम्पनी 8,700 परिवार को गैस की पूर्ति करती है।

गैल गैस ने एक संभावी वृद्धि क्षेत्र के रूप में पीएनजी औद्योगिक और वाणिज्यिक खंड पर अपना ध्यान केन्द्रित रखा है। वर्ष 2014–15 में इसके सकेन्द्रित प्रयासों से वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों की कुल संख्या बढ़कर 503 हो गई है।

गेल गैस ने सोनीपत, देवास, कोटा तथा मेरठ के भौगोलिक क्षेत्र में स्टील नेटवर्क कमीशन किए है। इसके अतिरिक्त, ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में इस्पात नेटवर्क वर्धन किया जा रहा है। घरेलू कनेक्शनों के लिए और प्रभार क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए, स्टील ग्रिड नेटवर्क तथा एमडीपीई पाइपलाइन नेटवर्क को सोनीपत मेरठ, देवास, कोटा के शहरों और ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में वर्ष 2014–15 में क्रमशः 374.21 कि.मी. और 586.74 कि.मी. में विस्तारित किया गया है।

वर्ष के दौरान, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों से बिक्री मात्रा बढ़कर 526 एमएमएससीएम हो गई।

- **अवंतिका गैस लिमिटेड (एजीएल)**

एजीएल का गठन मध्य प्रदेश राज्य में शहर गैस वितरण (सीजीडी) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के उद्देश्य से किया गया था। 31 मार्च, 2015 को यह 7 डॉटर स्टेशनों, 8 ऑनलाइन स्टेशनों और 3 मदर स्टेशनों सहित 18 सीएनजी स्टेशनों का प्रचालन कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार एजीएल ने अपने प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 2500 घरेलू ग्राहकों, 32 वाणिज्यिक और 52 औद्योगिक उपभोक्ताओं को पीएनजी की आपूर्ति की। एजीएल इस क्षेत्रों में चलने वाले लगभग 20,000 सीएनजी वाहनों की ईंधन की आवश्यकता को भी पूरा कर रहा है। आपकी कंपनी की एजीएल में 22.5% हिस्सेदारी है तथा इसमें एचपीसीएल समान भागीदार है।

- **भाग्यनगर गैस लिमिटेड (बीजीएल)**

बीजीएल का निगमन आंध्र प्रदेश राज्य में शहर गैस वितरण (सीजीडी) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया गया था। 31 मार्च, 2015 को बीजीएल 32 सीएनजी स्टेशनों का प्रचालन कर रहा था जिनमें 3 डॉटर बूस्टर स्टेशन, 8 ऑनलाइन स्टेशन तथा 7 मदर स्टेशन शामिल हैं।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, बीजीएल ने अपने प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों में 3100 से अधिक घरेलू, 46 व्यावसायिक तथा 3 औद्योगिक उपभोक्ताओं को पीएनजी की आपूर्ति की। बीजीएल इस क्षेत्र में चलने वाले लगभग 31,600 सीएनजी वाहनों की ईंधन की आवश्यकता को भी पूरा कर रहा है। आपकी कंपनी की इस कंपनी में 22.5% हिस्सेदारी है और एचपीसीएल इसमें समान भागीदार है।

- **सेंट्रल यू.पी. गैस लिमिटेड (सीयूजीएल)**

सीयूजीएल का निगमन उत्तर प्रदेश में शहर गैस वितरण (सीजीडी) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया गया था। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार सीयूजीएल 16 सीएनजी स्टेशनों का प्रचालन कर रहा है जिनमें 4 मदर स्टेशन, 9 ऑनलाइन स्टेशन और 3 डॉटर बूस्टर स्टेशन शामिल है।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार सीयूजीएल ने अपने प्राधिकृत भौगालिक क्षेत्रों में 8300 से अधिक घरेलू, 119 वाणिज्यिक तथा 39 औद्योगिक ग्राहकों को पीएनजी की आपूर्ति की। सीयूजीएल इस क्षेत्र में चलने वाले लगभग 46,600 सीएनजी वाहनों की ईंधन की आवश्यकता को भी पूरा कर रहा है। आपकी कंपनी इस संयुक्त उद्यम में 25% की हिस्सेदार है और बीपीसीएल समान भागीदार है।

- **ग्रीन गैस लिमिटेड (जीजीएल)**

जीजीएल का निगमन उत्तर प्रदेश राज्य में शहर गैस वितरण (सीजीडी) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के उद्देश्य से किया गया था। 31 मार्च, 2015 को जीजीएल 14 सीएनजी स्टेशनों का प्रचालन कर रहा है जिनमें 5 डॉटर स्टेशन, 5 आनॅलाइन स्टेशन तथा 4 मदर स्टेशन शामिल है।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2015 के अनुसार जीजीएल ने अपने प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्र में 7800 से अधिक घरेलू, 4 औद्योगिक तथा 9 व्यावसायिक उपभोक्ताओं को पीएनजी की आपूर्ति की। जीजीएल इस क्षेत्र में सीएनजी से चलने वाले लगभग 33400 वाहनों की ईंधन की आवश्यकता को भी पूरा कर रहा है। आपकी कंपनी की इसमें 22.5% हिस्सेदारी है और आईओसीएल समान भागीदार है।

- **इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल)**

आईजीएल का निगमन दिल्ली के एनसीटी तथा संलग्न राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्थित शहरों में सीजीडी परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किया गया था। 31 मार्च, 2015 को आईजीएल 68 मदर स्टेशनों, 228 ऑनलाइन स्टशनों तथा 38 डॉटर स्टेशनों सहित 326 सीएनजी स्टेशनों का प्रचालन कर रहा था।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2015 के अनुसार आईजीएल ने अपने प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्र में 56 लाख से अधिक घरेलू, 717 औद्योगिक और 1560 वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पीएनजी की आपूर्ति की जिसमें राष्ट्रीय राजधानी का संपूर्ण सार्वजनिक परिवहन शामिल है तथा यह दुनिया में सीएनजी पर आधारित सबसे बड़ी बसों का बेड़ा है। आईजीएल, दिल्ली/एनसीआर में चलने वाले लगभग 7.6 लाख सीएनजी वाहनों की ईंधन आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। आपकी कंपनी की इसमें हिस्सेदारी 22.5% है और बीपीसीएल समान भागीदार है।

- **महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल)**

एमजीएल का निगमन मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में शहर गैस वितरण (सीजीडी) परियोजनाओं के कार्यान्वयन के उद्देश्य से किया गया था। 31 मार्च, 2015 को एमजीएल 180 सीएनजी स्टेशनों जिनमें 19 मदर स्टेशन, 137 ऑनलाइन स्टेशन तथा 24 डॉटर स्टेशन शामिल हैं, का प्रचालन कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, एमजीएल ने अपने प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्र में 8 लाख से अधिक घरेलू ग्राहकों, 57 औद्योगिक और 2607 वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को पीएनजी की आपूर्ति की। एमजीएल इस क्षेत्र में चलने वाले लगभग 4.2 लाख सीएनजी वाहनों की ईंधन आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। आपकी कंपनी की इसमें 35% हिस्सेदारी है तथा ब्रिटिश गैस इसमें समान रूप से भागीदार है।

- **महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड (एमएनजीएल)**

एमएनजीएल का गठन पुणे और उसके आसपास शहर गैस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया गया था। 31 मार्च, 2015 को एमएनजीएल 5 मदर स्टेशनों, 11 ऑनलाइन स्टेशनों और 14 डॉटर स्टेशनों सहित 30 सीएनजी स्टेशनों का प्रचालन कर रहा था।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, एमएनजीएल ने अपने प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्र में 16147 से अधिक घरेलू, 97 औद्योगिक और 47 वाणिज्यिक ग्राहकों को पीएनजी की आपूर्ति की। एमएनजीएल इस क्षेत्र में चलने वाले लगभग 79,400 सीएनजी वाहनों की ईंधन की आवश्यकता को भी पूरा कर रहा है। आपकी कंपनी की इसमें 22.5% भागीदारी है तथा बीपीसीएल समान रूप से भागीदार है।

- **त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड (टीएनजीसीएल)**

टीएनजीसीएल का निगमन अगरतला में सीजीडी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के उद्देश्य से किया गया था। 31 मार्च, 2015 को टीएनजीसीएल 3 मदर स्टेशनों और 2 डॉटर स्टेशनों सहित 5 सीएनजी स्टेशनों का प्रचालन कर रहा था।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, टीएनजीसीएल ने अपने प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्र में 18000 से अधिक घरेलू, 47 औद्योगिक और 294 वाणिज्यिक ग्राहकों को पीएनजी की आपूर्ति की। टीएनजीसीएल इस क्षेत्र में सीएनजी से चलने वाले लगभग 6986 वाहनों की ईंधन की आवश्यकता को भी पूरा कर रहा है। आपकी कंपनी की इस संयुक्त उद्यम में 29% हिस्सेदारी है।

- **बडोदरा गैस लिमिटेड (वीजीएल)**

शेयरधारकों ने बडोदरा में आपकी कम्पनी के सीएनजी स्टेशनों और संबंद्ध पाइपलाइन का अंतरण वडोदरा म्युनिसीपल सेवा सदन के साथ गेल गैस की प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कम्पनी को करने के लिए अनुमोदन वर्ष 2011 में दे दिया था।

तदनुसार, वीजीएल को वडोदरा शहर में संपीडित प्राकृतिक गैस ("सीएनजी") और पाइप्ड प्राकृतिक गैस ("पीएनजी") की आपूर्ति के लिए गेल गैस लिमिटेड और वडोदरा महानगर सेवा सदन की संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में निगमित किया गया। आपकी कंपनी ने वीजीएल के साथ व्यवसाय अंतरण करार पर हस्ताक्षर किए तथा अपनी परिसम्पत्तियां वीजीएल को अंतरित कर दी। वीजीएल वडोदरा में पहली जनवरी, 2014 से सीजीडी व्यवसाय का प्रचालन कर रही है। वीजीएल को परिसम्पत्तियां अंतरित करने के पश्चात् आपकी कंपनी का हिस्सा 32.93 प्रतिशत है। गेल गैस लि. की धारिता 17.07 प्रतिशत की है तथा वीएमएसएस की धारिता 50 प्रतिशत है।

वीजीएल वदोदरा में सीएनजी स्टेशन प्रचालित कर रहा है तथा प्रतिदिन 65000 कि.ग्रा. सीएनजी वितरित करता है। वडोदरा शहर में सीएनजी नेटवर्क में 2 मदर स्टेशनों, 1 आनॅलाइन स्टेशन तथा 6 डॉटर बूस्टर स्टेशनों के साथ–साथ 13 कि.मी. लंबी पाइपलाइनें शामिल हैं।

वीजीएल घरेलू तथा वाणिज्यिक क्षेत्रों में अपने उपभोक्ताओं की पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वीजीएल 750 कि.मी. लम्बी पीई पाइपलाइन वितरण ग्रिड तथा 07 जिला दाब विनियमन प्रणाली के जरिए शहर में 76000 घरों तथा 2800 वाणिज्यिक ग्राहकों को पीएनजी की आपूर्ति करता है।

पेट्रोकैमिकल

- **ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलीमर लिमिटेड (बीसीपीएल) (सहायक कंपनी)**

बीसीपीएल डिब्रूगढ़, असम में 2,80,000 टीपीए पॉलीमर संयंत्र की स्थापना कर रहा है। कम्पनी अब परियोजना निष्पादन के अंतिम चरण में है तथा इसने वित्तीय वर्ष के अंत तक 99.6% की समग्र भौतिक प्रगति और 96% की वित्तीय प्रगति हासिल कर ली है। परियोजना की कमीशनिंग निकट भविष्य में होने की संभावना है।

आपकी कंपनी की बीसीपीएल में 70% इक्विटी हिस्सेदारी है तथा ऑयल इंडिया

लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और असम सरकार प्रत्येक की इसमें 10% इक्विटी हिस्सेदारी है।

- **ओएनजीसी पेट्रो–एडशिन्स लिमिटेड (ओपॉल)**

ओपॉल गुजरात राज्य में दहेज में 1.4 एमएमटीपीए पॉलीमर क्षमता वाले एक ग्रीन फील्ड पेट्रोकैमिकल कॉम्प्लेक्स का कार्यान्वयन कर रहा है। आपकी कंपनी इस परियोजना में एक सह–प्रमोटर है जिसकी ओपॉल में 15.50% इक्विटी हिस्सेदारी है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओएनजीसी) तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीएसपीसी) ओपॉल के अन्य प्रमोटर हैं।

अन्य

- **टीएपीआई पाइपलाइन कम्पनी लि.**

आपकी कंपनी तुर्कमेनिस्तान के गालिकंश क्षेत्र से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान – पाकिस्तान – भारत (टीएपीआई) पाइपलाइन परियोजना का परिशीलन कर रही है। पाइपलाइन परिसंघ कंपनी (टीपीसीएल) का निगमन 11 नवम्बर 2014 को आईल ऑफ मैन में प्रस्तावित टीएपीआई पाइपलाइन का निर्माण करने, स्वामित्व ग्रहण करने तथा प्रचालन करने के लिए किया गया था। वर्तमान में इसका गठन भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की क्रमशः चार नामांकित कम्पनियों (गेल, आईएसजीएस, एजीई तथा तुर्कमेंगज) द्वारा समान भागीदारी के साथ किया गया है। परिसंघ के लीडर को यथासमय शामिल किया जाएगा।

- **साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन कम्पनी लि. (एसईएजीपी)**

साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन कम्पनी लि. (एसईएजीपी) का गठन म्यांमार में ए1/ए3 ब्लॉकों से म्यांमार–चीन सीमा तक प्राकृतिक गैस का परिवहन करने के लिए किया गया था। वर्तमान में यह पाइपलाइन लगभग 15 एमएमएससीएमडी प्राकृतिक गैस का परिवहन कर रही है। आपकी कंपनी का एसईएजीपी में इक्विटी हिस्सा 4.17% है।

ऋण, निवेश और कारपोरेट गारंटी

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129(3) के प्रथम परन्तुक के अनुसार आपकी कंपनी की सहायक कंपनियों, सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशिष्टताएं सन्निहित करने वाला विवरण समेकित वित्तीय विवरण में शामिल है। इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल ऋणों और निवशों के ब्यौरे वित्त वर्ष 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट में एक पृथक खंड वित्तीय विवरण का भाग हैं।

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुसार ऋण लेने के लिए केवल अपनी सहायक कम्पनियों को कारपोरेट गारंटियां दी है जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

श्री एम. रविन्द्रन, निदेशक (मानव संसाधन), गेल भारत में जीआरआई–4 रिपोर्ट से ज्ञान अर्जन कार्यशाला के दौरान संबोधित करते हुए।

- ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पालीमर लि. की ओर से तेल औद्योगिक विकास बोर्ड को ₹504.34 करोड़ दिए गए।
- गेल गैस लि. की ओर से तेल औद्योगिक विकास बोर्ड को ₹118 करोड़ दिए गए।
- गेल, ग्लोबल (यूएसए) ईंक की ओर से भारतीय स्टेट बैंक, न्यूयार्क शाखा को 114.1 मिलियन अमरीकी डालर दिए गए।
- गेल ग्लोबल (सिंगापुर) प्रा. लि. की ओर से मिजुहु बैंक लि. को 100 मिलियन अमरीकी डालर दिए गए।

सूचना प्रौद्योगिकी विकास

आपकी कंपनी सूचना प्रौद्योगिकी सुविज्ञ रही है तथा व्यवसायों और अंतर्हित प्रचालनों के पारदर्शी, दक्ष और प्रभावी निष्पादन के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सदैव अग्रणी रही है। एक युवा कार्यबल के साथ अपेक्षाकृत तीव्र प्रौद्योगिकी वक्र अभिग्रहण आपकी कंपनी के लिए स्वाभाविक ही है। आज आपकी कंपनी के ग्राहकों, विक्रेताओं, कर्मचारियों, व्यवसाय एसोसिएटों तथा भागीदारों के साथ लेनदेन नियोजन विभिन्न ईआरपी मॉडयूलों के जरिए इलेक्ट्रॉनिक आधार पर किए जाते हैं।

कुछेक पहलें जैसे ई–निविदाकरण, ई–नीलामी/प्रतिवर्ती नीलामी, ई–भर्ती, बिल निगरानी प्रणाली, ई–भुगतान इत्यादि को आपकी कंपनी द्वारा काफी पहले अपना लिया गया था जिससे संबंधित स्टैकधारकों के साथ पारदर्शी लेनदेन संभव हो गए हैं। नवीनतम तथा आधुनिकतम सूचना प्रौद्योगिकी समाधान अपना कर आपकी कंपनी तीव्र परिवर्तनशील उद्योग माहौल में कदम से कदम मिलाकर चल रही है। यह निरंतर कर्मचारियों के दक्षता वर्धन के लिए प्रयासरत है तथा इसने नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा समाधानों का प्रयोग कर सही व्यक्ति की अपेक्षित जानकारी तक पहुंच संभव बनाई है।

आपकी कंपनी के तीनों डाटा केन्द्र सूचना सुरक्षा प्रबंधन ढांचे (आईएसएमएस) के लिए आईएसओ 27001 : 2013 प्रमाणित हैं। यह प्रमाणन आपकी कंपनी के डाटा केन्द्रों को उद्योग के सुरक्षित डाटा केन्द्रों के रूप में मान्यता प्रदान करेगा। आईएसओ 27001 आईएसएमएस ढांचा परिसम्पत्तियों के लिए उच्चतम सुरक्षा स्तर सुनिश्चित करता है। आईएसओ 27001 आधारित आईएसएमएस ढांचे के क्रियान्वयन ने साईबर आक्रमणों और साईबर आतंकवाद का सामना करने के लिए संकट प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन में भी सहायता की है।

आपकी कंपनी ने अपने अंतर्देशीय पाइपलाइन नेटवर्क के लिए केन्द्रीकृत पाइपलाइन एकीकरण प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन ओएण्डएम डाटा का निरंतर अद्यतनीकरण तथा पाइपलाइन पर पुरातनता के प्रभाव का समापन सुनिश्चित करने के लिए किया है। आपकी कंपनी ने पाइपलाइन पेट्रोलिंग के अनुवीक्षण के लिए एक स्वचलित जीपीएस आधारित प्रणाली भी क्रियान्वित की है।

आपकी कंपनी ने पेट्रोकेमिकल तथा एलपीजी संयंत्रों, कम्प्रेसर स्टेशनों तथा पम्पिंग स्टेशनों के कार्यालय भवनों और संयंत्र परिसरों में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए बायोमेट्रिक आधारित प्रवेश नियंत्रण प्रणाली को क्रियान्वित किया है।

आपकी कंपनी विभिन्न प्रक्रियाओं का अनुवीक्षण करने के लिए पर्यावरण स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन के नवीनतम रूपांतरण सहित अलार्म जनन और मूल कारण विश्लेषण के लिए उद्यम अनुप्रयोग के साथ संयंत्र प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए विनिर्माण एकीकरण और आसूचना को क्रियान्वित कर रही है। आपकी कंपनी मोबाइल डिवाईस पर संयंत्र अनुरक्षण अनुप्रयोग के संचालन हेतु अपने फील्ड इंजीनियरों के लिए सचलता समाधान भी क्रियान्वित कर रही है।

आपकी कंपनी किसी भी डिवाईस पर किसी भी समय कहीं भी अभिगम्य नवीनतम व्यवसाय मैट्रिकों या प्रमुख निष्पादन संकेतकों को उपलब्ध कराने के लिए शीर्ष प्रबंधन हेतु उद्यम विश्लेषण का क्रियान्वयन कर रही है।

उत्कृष्टता की ओर संचलन

निरंतर बेहतर बनते संगठन के रूप में आपकी कंपनी कार्यात्मक उत्कृष्टता हासिल करने के कदमों में निष्पादन स्तरों को सुधारने में विश्वास रखती है। इस उद्देश्य से आपकी कंपनी ने वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न पहलें की हैं।

आपकी कंपनी ने सभी विभागों तथा अपने कर्मचारियों को डिजीटल सेवाओं के साथ एकीकृत करने की पहल की है ताकि कागजी कार्य कम किया जा सके। आपकी कंपनी

अपनी व्यवसाय प्रक्रिया के संचालन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने में अग्रणी रही है। 2020 संकल्पना को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी को मजबूत प्रक्रियाओं, संरचना तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से तुरंत निर्णयन की आवश्यकता थी जो प्रमुख समर्थकारकों तथा त्वरितों के रूप में कार्य कर सके।

ई–समर्थीकरण के भाग के रूप में, आपकी कंपनी अपने पाइपलाइन अनुरक्षण कार्मिकों के लिए सेल फोन अनुप्रयोग नियोजित करने की योजना बना रही है ताकि सुरक्षा, प्रक्रियाविधियों, अतिरिक्त पुर्जों इत्यादि से जुड़ी जानकारी तब भी सहजता उपलब्ध हो जब वे क्षेत्र में हों। वैश्विक रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और प्रचालनात्मक प्रौद्योगिकी का विश्व में प्रसार हो रहा हैं तथा इस कारण आपकी कंपनी का इरादा इन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर सम्पूर्ण संगठन में समग्र परिसम्पत्ति प्रबंधन और सुरक्षा में सुधार लाने का है तथा इसने संयंत्र प्रणालियों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी का एकीकरण आरम्भ कर दिया गया है जिससे बेहतर निर्णयों, अपचित, लागतों, अपेक्षाकृत निम्न जोखिमों, इत्यादि के लिए वर्धित जानकारी प्राप्त होगी।

देश भर में तीव्र शहरीकरण होने से, अंतर्देशीय पाइपलाइन का एकीकरण प्रबंधन अब मात्र अनुरक्षण क्रियाकलाप नहीं रहा है तथा इसके लिए विभिन्न अन्य तत्वों पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि उनका एकीकरण प्रबंधन पर सीधा प्रभाव पड़ता है तथा आपकी कंपनी आज के एकीकरण प्रबंधन की बहुल आवश्यकताओं अर्थात् सुरक्षा, प्रचालनों, अनुरक्षण, माहौल, स्टैकधारक, प्रौद्योगिकी और शिक्षा पर विशेष ध्यान देती है।

आपकी कंपनी में निष्पादित किए जा रहे सभी क्रियाकलापों का सामयिक पूर्ति हेतु अनुवीक्षण और नियंत्रण किया जा रहा है। सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए चूकों/विपथनों, यदि कोई हो, का पता लगाने के लिए दल सदस्यों द्वारा सुधार लेखापरीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।

आपकी कंपनी आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/परामर्शदाताओं को संवृद्धि में संवेदी भागीदार मानती है इन प्रमुख स्टैकधारकों के साथ एक सहचालन संबंध न केवल परियोजना के आर्थिक लाभ, उच्चतर गुणवत्ता, बेहतर आयोजना और सामयिकता सुनिश्चित करता है बल्कि अपेक्षाकृत अधिक दीर्घावधिक समर्थन और मूल्य भी सुनिश्चित करता है। आपकी कंपनी ने एक प्रभावी स्टैकधारक प्रबंधन प्रक्रम विकसित किया है जिसके अंतर्गत प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं/संविदाकारों/परामर्शदाताओं के साथ नियमित बैठकों का आयोजन उनकी समस्याओं/सरोकारों को समझने और समयबद्ध तरीके से उन पर समुचित ध्यान देने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी वर्तमान में एक पूर्व विवाद समाधान प्रक्रम विकसित करने की प्रक्रिया में रत है जिसके माध्यम से बंद होने के पश्चात् कानूनी विवादों/विवाचनों को लक्षित कर उन्हें काफी सीमा तक कम किया जाता है।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण

आपकी कंपनी की एचएसई नीति स्थायी विकास के जरिए पर्यावरण के साथ सामंजस्य को सुधारने पर सकेन्द्रित एक मजबूत और एकीकृत स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के साथ व्यवसाय संचालन करने की है। आपकी कंपनी के लिए इसके लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा ये विशेषताएं आपकी कंपनी के मूल संगठनात्मक मूल्यों में अंतर्हित हैं। आपकी कंपनी के कर्मचारियों और संविदा कर्मकारों को एचएसई नीति का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित कार्य संस्कृति और व्यवहार, को अपनाने हेतु अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है। आपकी कंपनी सभी स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण खतरों को पहचान करती है, संबंद्ध जोखिमों का मूल्यांकन करती है तथा प्रभावी और समुचित नियंत्रण कार्यक्रमों और नवीनतम प्रौद्योगिकियों के नियोजन के माध्यम से इनका प्रबंधन करती है।

आपकी कंपनी प्रमुखतः हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में प्रचालनरत है जो अंतर्हित रूप से ही काफी जोखिमपूर्ण है। आपकी कंपनी नियमित रूप से खतरों का पता लगाती है और अपने प्रचालनों के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी जोखिम संभाव्यता का मूल्यांकन करती है। जहां एक ओर, आपकी कंपनी अभिकल्पन, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण क्रियाकलापों के दौरान जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए पर्याप्त निवारक उपाय करती है, दूसरी ओर आपकी कंपनी, किसी अवांछनीय घटना के मामले में परिणामों का शमन करने के उपाय करती है। आपकी कंपनी सर्वोत्तम श्रेणी की प्रौद्योगिकियां नियोजित करती है तथा एक मजबूत एचएसई प्रबंधन प्रणाली के जरिए सुरक्षा को अनुपूरित करती है कठोर मानक प्रचालनात्मक प्रक्रियाविधियों, कार्य परमिट प्रणालियां, प्रक्रिया सुरक्षा प्रबंधन, सुरक्षा लेखापरीक्षा एचएसई प्रबंधन प्रणाली के कुछ प्रमुख तत्व है जिनका कठोर और नियमित अनुवीक्षण किया जाता है तथा आपकी कंपनी में उच्चतम स्तर पर उनकी समीक्षा की जाती है। इस वर्ष, आपकी कंपनी ने सभी अवस्थलों के एसओपी की समीक्षा की तथा सुरक्षा एवं प्रक्रिया लाइसेंसरों में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के जरिए एसओपी को मानकीकृत किया। आपकी कंपनी ने प्रत्येक माह की 10 तारीख का अनुपालन मासिक सुरक्षा दिवस के रूप में करने की प्रक्रिया को अपनाया है जब सभी स्थलों के प्रभारी अधिकारी सुरक्षा मुद्दों की समीक्षा करने में आधा दिन समर्पित करते हैं। नोट किए गए अपवाद शीर्ष प्रबंधन की तत्काल जानकारी में लाए जाते हैं।

नियमित आधार पर की जाने वाली तथा वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के संरेखित होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से विख्यात परामर्शदाताओं द्वारा संवीक्षा की जाने वाली प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए प्रणालियां, प्रक्रियाविधियां और एसओपी का विकास करने के लिए व्यापक कवायद शुरू की गई है। समानांतर रूप से, सहजता से डाटा अभिगम और डाटा अभिलेकागारण के लिए विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए वेब/ऑनलाइन पोर्टेल विकसित किए गए हैं।

निदेशक मंडल की स्थायी विकास समिति एचएसई निष्पादन और आपात स्थिति तत्परता की समीक्षा करने के लिए आपकी कंपनी का शीर्षस्थ निकाय है और वर्ष के दौरान इसकी 3 बैठकें हुई।

आपकी कंपनी की अपनी सभी संस्थापनाओं के लिए सुव्यवस्थित एक आपात स्थिति अनुक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना है जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अनुमोदित तृतीय पक्षकार प्रमाणन एजेन्सी द्वारा प्रमाणित किया गया है और आपकी कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात् पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है। आपकी कंपनी ने आपदाओं संबंधी कार्रवाई करने के लिए मंत्रालय के अनुदेशानुसार एक आपदा प्रबंधन योजना भी तैयार की है।

आपकी कम्पनी ने सभी स्टैकधारकों में सुरक्षा की संस्कृति अभिप्रेरित करने के लिए सभी अवस्थलों पर व्यवहार आधारित सुरक्षा (बीबीएस) कार्यक्रम क्रियान्वित किया है। अग्रणी प्रशिक्षण विकसित किए गए है तथा सभी स्थलों पर विभिन्न अनुवीक्षण समितियों का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि बीबीएस संस्कृति का पोषण और विकास स्थायी आधार पर हो।

सुरक्षा प्रणालियों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्राधिकारियों, प्रतिष्ठित तृतीय पक्षकारों तथा आंतरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा वर्ष के दौरान आपकी कंपनी में सुरक्षा लेखापरीक्षा की गई। सुरक्षा लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं के सामयिक अनुपालन का अनुवीक्षण किया जाता है तथा आपकी कंपनी के शीर्ष प्रबंधन सहित विभिन्न स्तरों पर समीक्षा भी की जाती है।

सु–संरचित मॉड्यूलों के जरिए सुरक्षा प्रशिक्षण और यूनिट विशिष्ट प्रशिक्षण आपकी कंपनी के सभी कर्मचारियों को भर्ती के समय तथा साथ ही नए अवस्थल पर स्थानांतरण के समय कार्य रूपरेखा के अनुसार प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट कार्य क्षेत्र से जुड़ा आवधिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा विशेषीकृत प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाता है।

आपकी कंपनी के सुरक्षा निष्पादन को ''एचएसई सूचकांक'' के जरिए मापा जाता है जिसका मूल्यांकन महत्वपूर्ण एचएसई प्रबंधन प्रणाली तत्वों के आधार पर किया जाता है। सुरक्षा निश्पादन मूल्यांकन को अधिक उद्देश्यपरक बनाने के लिए एचएसई सूचकांक प्रणाली की समीक्षा एक वरिष्ठ स्तरीय समिति द्वारा की गई तथा मूल्यांकन प्रणाली में एचएसई प्रबंधन प्रणाली के अतिरिक्त तत्व शामिल कर इसे और व्यापक और कठोर बनाया गया है। एचएसई स्कोर नामक संशोधित प्राचलन को सितम्बर, 2014 से क्रियान्वित किया जा रहा है।

आपकी कंपनी की कारपोरेट स्तरीय व्यावसायिक स्वास्थ्य समिति की बैठक वर्ष के दौरान तिमाही आधार पर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सफाई स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन का अनुवीक्षण करने के लिए की गई। कारपोरेट व्यावसायिक स्वास्थ्य समिति के सदस्यों द्वारा इस वर्ष उसर और गांधार स्थित दो प्रक्रिया संयंत्रों की प्रोसेस व्यावसायिक स्वास्थ्य लेखापरीक्षा की गई। व्यावसायिक स्वास्थ्य प्राचलनों का आकलन करने तथा सुधारात्मक उपाय करने के लिए आपकी कंपनी में कर्मचारियों और संविदा कर्मकारों की व्यावसायिक स्वास्थ्य जांच की गई।

गेल के निदेशक (परियोजना) श्री आशुतोष कर्नाटक, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सी एण्ड पी प्रमुखों की बैठक में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए

स्थायित्व पहलें

आपकी कंपनी ने वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआर) दिशानिर्देशों पर आधारित वर्ष 2014–15 की अपनी पांचवीं स्थायितत्व रिपोर्ट – 'उत्तरदायी संवृद्धि का अभिप्रेरण'' प्रकाशित की है। स्थायित्व रिपोर्टिंग से हमें हमारी कंपनी के निष्पादन को मापने और उसका अनुवीक्षण करने तथा संगठन में स्थायित्व को अक्षरशः अंतर्हित करने की अधिदेशात्मक अपेक्षाओं से परे संचलन करने में सहायता मिली है। इसने एक महत्वपूर्ण प्रबंधन साधन के रूप में कार्य करते हुए हमें हमारी कंपनी की प्रणालियों, नीतियों और प्रक्रियाविधियों पर पुनः विचार करने में सहायता की है।

मापन से एक कदम आगे बढ़ते हुए सही दिशा में ठोस कार्रवाई करना भी महत्वपूर्ण है। आपकी कंपनी उन कुछेक कम्पनियों में से एक है जिसने स्थायित्व आकांक्षाएं 2020 के माध्यम से स्वैच्छिक लक्ष्य निर्धारित किए है तथा सार्वजनिक अधिक्षेत्र में उनका पारदर्शी रूप से खुलासा किया है। आपकी कंपनी ने स्थायित्व रिपोर्ट में संशोधित स्थायित्व आकांक्षाएं 2020 के जरिए अतिरिक्त लक्ष्यों का प्रकटन किया है। ये लक्ष्य विशिष्ट ऊर्जा अपचयन, विशिष्ट जीएचजी निस्राव अपचयन, विशिष्ट ताजा जल खपत अपचयन और शून्य अपशिष्ट जल डिस्चार्ज के क्षेत्र में हैं।

आरम्भ से ही आपकी कंपनी जवाबदेहिता और पारदर्शिता के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित रही है। वर्ष 2011 में आपकी कंपनी ने औपचारिक रूप से अपनी स्थायित्व यात्रा आरंभ की। आपकी कंपनी का मानना था कि यद्यपि यह कुछेक कदम पीछे थी, सही दिशा में छोटे किन्तु कार्यनीतिक कदम उठाना अधिक महत्वपूर्ण था। आप की कंपनी में एक स्थायी विकास समिति है जिसके सदस्यों के रूप में कार्यात्मक निदेशक नियमित रूप से इसकी स्थायित्व पहलों और कार्यनिष्पादन का अनुवीक्षण करते हैं आपकी कंपनी ने अपने विभिन्न स्थलों में विश्वसनीय और प्रामाणिक डाटा का अभिग्रहण करने के लिए अपनी डाटा प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ किया है।

आपकी कंपनी को पहली बार सीडीपी के भारत अग्रणी 2014 में अभिस्वीकृत किया गया है तथा जलवायु प्रकटन नेतृत्व सूचकांक (सीडीएलआई) में इसका नाम आया है। आपकी कंपनी शीर्षस्थ 22 भारत अंग्रणियों में आने वाली उपयोगिता श्रेणी की एक मात्र कंपनी है।

आपकी कंपनी का मानना है कि राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्थायित्व चुनौतियों का निवारण करने और एक साझे लक्ष्य की दिशा में कार्य करने के लिए उद्योग लीडरों, संघों तथा अभिजात वर्ग के साथ सहयोग करना महत्वपूर्ण है। इसका सकेन्द्रण अन्यों के साथ–साथ टेरी, सीआईआई, जीआरआई, यूएनजीसी, फिक्की तथा सीडीपी जैसे विभिन्न बाह्य स्टैकधारकों के साथ सहयोग करने पर रहा है ताकि स्थायित्व के क्षेत्र में उनके ज्ञान और अनुभव से कुछ सीखा जा सके। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान जीआरआई फोकल प्वाइंट इंडिया और सीडीपी जैसे संगठनों के सहयोग से कार्यशालाओं का संचालन किया।

सूचीयन करार की अपेक्षाओं के समनुरूप व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) 2014–15 वार्षिक रिपोर्ट में एक पृथक खंड में सन्निहित है। आपकी कंपनी को स्थायी व्यवसाय नेतृत्व मंच द्वारा संचालित 2013–14 के वीआरआर के आधार पर भारत के पर्यावरणीय सामाजिक तथा अधिशासन प्राप्तांक अध्ययन (2014) में दूसरे स्थान पर रखा गया है।

सतर्कता

आपकी कंपनी का सतर्कता विभाग आईएसओ – 9001:2008 की अपेक्षाओं के अनुपालन में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को अपनाने के लिए आईएसओ प्रमाणित है। प्रणालियों के प्रभावी उपयोग के लिए आपकी कंपनी में विभिन्न ई पहलें तथा प्रणाली सुधार क्रियान्वित किए गए जो भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक हैं तथा सर्वोत्तमुखी अच्छे अधिशासन को सुनिश्चित करते है। इन में से कुछ सुधार निम्नलिखित हैं :

- ओ एवं एम, एआरसी तथा सिविल संविदा कार्य निविदाओं के लिए प्रतिशत मार्क–अप मॉडल की शुरूआत
- सभी एककों के संबंधित ओआईसी को स्वचलित एमआईएस सचेतक के क्रियान्वयन द्वारा संविदाकारों की प्रतिधारण राशि की सामयिक निर्मुक्ति का अनुवीक्षण
- आपकी कंपनी की वेबसाइट पर धोखाधड़ी निवारण नीति डाली गई है
- गेल गैस लि. में एसएपी के माध्यम से न्यूनतम गारंटीशुदा उठान (एमजीओ) के सृजन हेतु प्रक्रियाविधि का मानकीकरण
- कर्मचारियों की जागरूकता के लिए सभी सतर्कता और सीवीसी प्रपत्र इंट्रानेट पोर्टल पर अपलोड किए गए

कारपोरेट कार्यालय तथा साथ ही आपकी कंपनी के सभी कार्य केन्द्रों में भी 27 अक्तूबर से पहली नवम्बर, 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2014 का अनुपालन किया गया जिसका सार विषय था ''भ्रष्टाचार का सामना करने में समर्थकारक के रूप में प्रौद्योगिकी''। इसमें भ्रष्टाचार रोधी अभियान का विस्तार करने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप, लेनदेन आधार के सृजन के लिए समर्थकारी प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों को परस्पर गूंधने के लिए विचार विमर्श सत्र शामिल थे। यह पारदर्शी तथा दक्ष निर्णयन को बढ़ाने और सक्रिय निष्पादन को सुधारने की दिशा में उठाया गया एक कदम है।

एक पत्रिका ''जागरूक'' भी प्रकाशित की गई जिसमें भ्रष्टाचार संबंधी सीवीसी परिपत्र, लेख तथा मामला अध्ययन सन्निहित थे। हमारी प्रणालियों और प्रक्रियाविधियों का मूल्यांकन करने के लिए एक ग्राहक परस्पर चर्चा बैठक का आयोजन किया गया। ग्राहकों को भी आपकी कंपनी द्वारा न्यूनतम मानव हस्तक्षेप से प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए की गई विभिन्न ई–पहलों से अवगत कराया गया। ग्राहकों ने आपकी कंपनी के साथ अपने अनुभवों की साझेदारी की है, अपने विचार सुझाव तथा शिकायतें प्रस्तुत की हैं। पाता में आपकी कंपनी के पेट्रोकेमिकल संयंत्र में विभिन्न परस्पर क्रियात्मक बैठकें आयोजित की गई थी।

क्षमता निर्माण

- **मानव पूंजी**

  आपकी कंपनी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को आकर्षित और प्राप्त् करने तथा कंपनी की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार सही कार्यों पर कुशल जनशक्ति को तैनात करने पर बल देती है। प्रति कर्मचारी मूल्यवर्धन से कंपनी के कर्मचारियों के प्रयासों का लेखा–जोखा मिलता है जिससे उपलब्ध संसाधनों तथा व्यवसाय अवसरों के उत्कृष्ट और अत्यधिक उत्पादक प्रयोग का पता चलता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी मूल्यवर्धन ₹173.73 लाख था।

- **नेतृत्व विकास कार्यक्रम**

  आपकी कंपनी का मानना है कि भावी नेतृत्व पदों के लिए अपने वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों की क्षमता और दक्षता में वृद्धि और विकास करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें भावी नेतृत्व पदों के लिए तैयार किया जा सके। नेतृत्व विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में, वरिष्ठ प्रबंधन विकास केन्द्र (एसएमडीएस) प्रक्रिया शुरू की गई है। मुख्य् प्रबंधक और उससे ऊपर के ग्रेडों के वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए एसएमडीसी का आयोजन किया गया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से अब तक लगभग 670 वरिष्ठ कार्यपालकों को शामिल किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मुख्य् प्रबंधक के स्तर पर पदोन्नत 95 प्रतिशत से अधिक कार्यपालक एसडीएमसी प्रक्रिया के तहत शामिल थे।

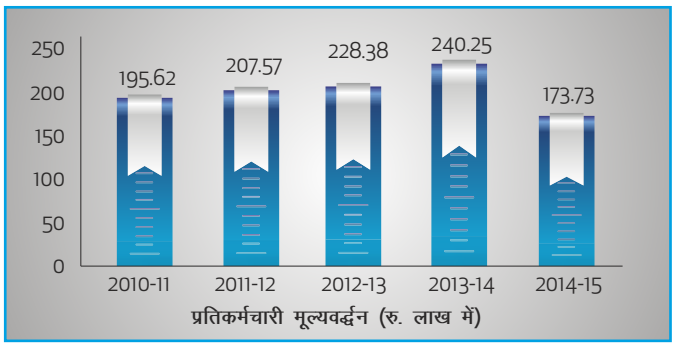

एसएमडीसी प्रक्रिया के जरिए चयनित ऐसे कार्यपालकों की विकास संबंधी कमी को पूरा करने के लिए एसएमडीसी प्रक्रिया के सभी भागीदारों के लिए एक व्यापक व्यक्तिगत विकास योजना (आईडीपी) तैयार की गई है। आईडीपी में अग्रणी व्यवसाय स्कूलों में आवश्यकतानुरुप प्रशिक्षण कार्यक्रम, ई–शिक्षा पाठ्यक्रमों तथा पुस्तकों का वितरण करना शामिल है।

- **प्राथमिकता वाले क्षेत्र का प्रतिनिधित्व**

  आपकी कपंनी अनसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तथा विकलांग व्यक्तियों को सीधी भर्ती में आरक्षण, छूट, रियायत आदि प्रदान करने के संबंध में भारत सरकार की नीतियों और पद्धतियों के संबंध में समय–समय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देशों और अन्य अनुदेशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है।

  31 मार्च, 2015 को आपकी कपंनी में कर्मचारियों की समूह –वार कुल संख्या तथा उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है :

समूह	नामावली में कर्मचारी	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)	पीडब्ल्यूडी
क	3081	478	191	557	40
ख	576	117	68	100	12
ग	551	97	22	165	35
घ	52	17	5	14	2
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी	6	–	–	–	
कुल	**4266**	**709**	**286**	**836**	**89**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कुल 314 नए कर्मचारियों ने आपकी कंपनी में कार्यभार ग्रहण किया। दिनांक 31.03.2015 को कंपनी की कुल जनशक्ति (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और सीवीओ सहित) 4266 थी और इसके 16.62% कर्मचारी अ.जा. श्रेणी, 6.70% अ.ज.जा. श्रेणी, 19.60% अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी (एनसीएल), 8% अल्पसंख्यक तथा 2.09 पीडब्ल्यूडी श्रेणी के थे। आपकी कंपनी के कार्यबल में 31.03.2015 को 5.98% महिला कर्मचारी शामिल थीं।

- **क्षमता विकास**

  आपकी कंपनी का मानना है कि इसका मानव संसाधन इसकी संकल्पना, लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। अतः इसके मानव संसाधनों का क्षमता निर्माण और योग्यता विकास आपकी कंपनी का प्रमुख संकेन्द्रण क्षेत्र रहा है।

  गेल प्रशिक्षण संस्थान (जीटीआई) संगठन के अंतर्गत सभी स्तरों पर क्षमता निर्धारण हेतु प्रणालीबद्ध और संरचित कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके द्वारा की गई पहलों के मान्यता स्वरूप जीटीआई को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक राष्ट्रीय प्रशिक्षण अवार्ड – 2014 प्राप्त हुआ है। जीटीआई ने प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्तारक्षित समझौता ज्ञापन में सभी पैरामीटर में उत्कृष्ट समझौता ज्ञापन निष्पादन का ट्रैक रिकार्ड कायम रखा है।

  योग्यता विकास के लिए की गई कुछ प्रमुख पहलें/उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

  - अपने तकनीकी मानव संसाधनों के लिए आधुनिकतम विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए एनएसीई, एएसएमई, ओईएम तथा प्रौद्योगिकी लाइसेंस प्रदाताओं से विभिन्न प्रमाणन प्रशिक्षण कार्यक्रम।
  - कंपनी की कार्यनीति 2020 के समनुरूप शेल गैस, ऊर्जा कारोबार सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन इत्यादि जैसे नए व्यवसाय क्षेत्रों संबंधी विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
  - मुख्य प्रबंधक और उससे ऊपर के स्तर के कार्यपालकों के लिए एसएमडीसी प्रक्रिया पर आधारित व्यक्ति विकास योजना (आईडीपी) को निष्पादित किया गया। आईडीपी में सक्षमता आधारित पुस्तकों का वितरण, हार्वर्ड प्रबंध परामर्शदाता (एचएमएस) से ई–अध्ययन मॉड्यूलों तक पहुंच तथा आईआईएम, बंगलूरु और कोलकाता के जरिए कस्टमाईज्ड प्रबंध विकास कार्यक्रम शामिल हैं।
  - अग्रणी प्रबंधक संस्थानों से विशेषकर मानव संसाधन विधा के कार्यपालकों के लिए कस्टमाईज्ड प्रबंधन विकास पाठ्यक्रम।
  - कार्यभार ग्रहण करने वाले सभी नए कार्यपालकों के लिए परामर्शी कार्यक्रम।
  - समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी 5 से अधिक प्रशिक्षण कार्यदिवस।
  - स्वस्थ रहने और तनाव को कम करने के लिए पोषाहार से उपचार कार्यक्रम का आयोजन कर्मचारियों के लिए किया गया।
  - स्थलों पर कर्मचारियों के लिए स्थायी विकास संबंधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
  - सभी स्थलों पर सर्वोत्तम पद्धतियों की साझेदारी करने के लिए कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने हेतु ज्ञान साझेदारी संगोष्ठी।
  - ज्ञानाधारित तथा प्रतिस्पर्धी माहौल का सृजन करने के लिए आंतरिक व्यवसाय पहेलियों तथा व्यवसाय अनुरूपण का आयोजन कर्मचारियों के व्यवसाय क्षेत्रों में नवीनत्तम घटनाक्रम की अद्यतन जानकारी देने के लिए किया गया।

  बाह्य संगठनों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करने तथा स्वयं को एक राजस्व सृजन केन्द्र के रूप में रूपांतरित करने के परिशीलन में, जीटीआई ने आरजीपीपीएल, एचपीसीएल, बीसीपीएल, आईजीएल, एमजीएल, एमएनजीएल, जीएसपीएल, एचएमईएल इत्यादि जैसे अनेक संगठनों से प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकन सोसायटी ऑफ मेकेनीकल इंजीनियर्स (एएसएमई), यूएसए के सहयोग से जीटीआई विभिन्न बाह्य संगठनों के लिए एएसएमई बी 31.8 प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है।

  आपकी कंपनी राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के समर्थन हेतु हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में क्षमता निर्माण को अग्रेनीत करने के लिए हाइड्रोकार्बन कौशल परिषद के गठन में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है।

- **राजभाषा**

  आपकी कंपनी संघ सरकार की राजभाषा नीति का प्रचार–प्रसार करने और सफल कार्यान्वयन करने के लिए लगातार कड़े प्रयास कर रही है। कॉरपोरेट और कार्य केन्द्र स्तर पर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां, वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए तिमाही बैठकों का नियमित रूप से आयोजन करती हैं।

  जीटीआई, जयपुर, तथा नोएडा के साथ–साथ अन्य कार्य केन्द्रों पर हिन्दी कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों का नियमित आधार पर आयोजन किया जा रहा है। हिन्दी

कम्प्यूटर प्रशिक्षण सत्र इन कार्यक्रमों का अभिन्न भाग है। वर्ष 2014–15 के दौरान कुल 65 कार्यशालाएं आयोजित की गई जहां 865 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। कंपनी के सभी कम्प्यूटर ट्रांसलिटरेशन कुंजी पटल टंकण सुविधा सहित यूनीकोड हिन्दी फोंटों से सुसज्जित हैं।

कर्मचारियों में अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता और सचेतना का सृजन करने के लिए हिन्दी पखवाड़े का आयोजन 15–29 सितम्बर 2014 को सम्पूर्ण कंपनी में किया गया। माह के प्रत्येक सोमवार/प्रथम कार्य दिवस का अनुपालन कंपनी में हिन्दी दिवस के रूप में किया जाता है।

एसएपी से वेतन पर्ची, सीपीएफ कार्ड, पेंशन कार्ड, पदोन्नति आदेश, स्थानांतरण आदेश, कार्यमुक्ति आदेश इत्यादि का द्विभाषीय रूप में जनन करने के लिए विशेष साफ्टवेयर को क्रियान्वित करने हेतु एक अद्वितीय पहल की गई है। आपकी कंपनी इस सुविधा को क्रियान्वित करने वाले कुछेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है।

एक अद्वितीय पहल के रूप में, आपकी कम्पनी के सभी कर्मचारियों के नाम सरकारी ई–मेल आईडी में हिन्दी में भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। आपकी कंपनी में प्रयुक्त की जा रही शब्दावली को मानकीकृत तथा परिचालित किया गया है।

आपकी कंपनी की द्विभाषी वेबसाइट को नियमित रूप से नवीनतम समाचारों और प्रेस विज्ञप्तियों से अद्यतन किया जाता है। आपकी कंपनी का इंट्रानेट भी द्विभाषी प्रारूप में उपलब्ध है।

आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों में हिन्दी के प्रचार हेतु हिन्दी पत्रिका ''राजभाषा सहयोग'' का एक अंक प्रकाशित किया है। हिन्दी में पठन की आदत विकसित करने के उद्देश्य से आपकी कंपनी के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को प्रेरणात्मक तथा उत्साहवर्धक पुस्तकें वितरित की गई।

वर्ष 2014–15 के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति ने राजभाषा की प्रगति की समीक्षा करने हेतु आपकी कंपनी के बंगलूरु और नोएडा स्थित कार्यालयों की समीक्षा की। उप–समिति ने राजभाषा के क्रियान्वयन हेतु आपकी कंपनी के प्रयासों और निष्ठा की सराहना की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी के प्रभावी तथा व्यापक क्रियान्वयन और प्रचार हेतु आपकी कंपनी के प्रयासों को मान्य किया है तथा आपकी कंपनी को राजभाषा शील्ड योजना के तहत पुरस्कृत किया है।

- **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न**

  कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के समनुरूप कम्पनी में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और समाधान) संबंधी एक नीति सुव्यवस्थित है। यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का समाधान करने के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। अधिनियम के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति इस नीति के अंतर्गत आते हैं।

  वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्त तथा निपटान की गई यौन उत्पीड़न शिकायतों का सारांश निम्नानुसार है :

– प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य
– निपटाई गई शिकायतों की संख्या	शून्य

नूतनता, अनुसंधान और विकास

आपकी कंपनी सदैव परिवर्तनशील व्यवसाय परिदृश्य की चुनौतियों का निवारण नूतनता से करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी ने अपनी सुझाव योजना के माध्यम से कर्मचारियों में नूतनता और सृजनात्मकता को प्रोत्साहन देने के लिए सतत् प्रयास किए हैं। सुझाव योजना वर्धनात्मक नूतनता के लिए संगठन व्यापी विचार सृजन के संवर्धन में सहायता करती है। आपकी कंपनी के सभी कर्मचारियों को कार्य के अपने संबंधित क्षेत्रों में सुधारों का सुझाव देने के लिए प्रेरित किया जाता है। सुझावों को कार्यान्वित किए जाने के लिए समयबद्ध तरीके से उनका मूल्यांकन किया जाता है तथा सर्वोत्तम सुझाव को सीएमडी ट्रॉफी से पुरस्कृत किया जाता है।

आपकी कंपनी क्षेत्र में उद्योग व्यापी नूतनता का संवर्धन करने के लिए तेल और गैस उद्योग के मिडस्ट्रीम क्षेत्र की समन्वयक भी है। इस पहल के भाग के रूप में नूतनता कार्यशालाएं आयोजित की गई जहां विभिन्न विभागों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम और नूतन पद्धतियों की साझेदारी यथेष्ट मान्यताकरण और आगामी प्रचार के लिए की गईं।

आपकी कंपनी ने जीएचडी निस्राव को कम करने के लिए दिल्ली स्थित गाजीपुर में एक प्रायोगिक लैंडफिल गैस (एलएफजी) परियोजना स्थापित की है। विद्युत का उत्पादन करने के लिए निम्न गुणवत्ता एलएफजी का उपयोग करने के लिए एक और पहल की जा रही है। एलएफजी के आंशिक उन्नयन के पश्चात् उससे विद्युत का उत्पादन करने के लिए एक 30 कि. वाट माइक्रोटरबाईन आधारित विद्युत संयंत्र संस्थापित किया जा रहा है। इस प्रयास की सफल परिणति नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में एलएफजी के प्रयोग को प्रदर्शित करेगी। इससे अपशिष्ट ऊर्जा के सम्पोषणीय उपयोग और इसके कार्बन प्रभाव के अपचयन की दिशा में आपकी कंपनी की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होती है।

आपकी कंपनी अधिक इष्टतम और स्थायी तरीके से विद्यमान व्यवसायों का संचालन करने के लिए उच्च प्रभाव नूतन प्रौद्योगिकी विकसित करने पर सकेन्द्रण के साथ अपने अभिज्ञात महत्ता क्षेत्रों में अनेक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का भी जोर शोर से परिशीलन कर रही है। आपकी कंपनी के आर एवं डी पोर्टफोलियो में इसके द्वारा चलाई जा रही परियोजनाएं प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला से संबंधित विभिन्न बुनियादी/व्यावहारिक/प्रायोगिक और प्रौद्योगकीय विकास की परियोजनाओं का इष्टतम मिश्रण हैं। साथ ही, कुछ परियोजनाएं भविष्य के संभावित क्षेत्रों जैसे भूमिगत कोयला गैसीकरण, ईंधन सेल, हाइड्रोजन और गैस हाइड्रेट्स पर भी चलाई जा रही हैं। ये परियोजनाएं प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों/संस्थानों के सहयोग से चलाई जा रही हैं। आपकी कंपनी ने विद्यमान प्रचालनों की दक्षता में सुधार लाने और बेहतर प्रौद्योगिकियों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए कई विकासात्मक परियोजनाएं भी क्रियान्वित की हैं।

संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन

आपकी कंपनी ने प्रक्रिया, प्रणाली और कार्यात्मक क्षेत्रों में सतत् और स्थायी सुधार के लिए ध्यान केन्द्रित करना जारी रखा है। ग्राहक की संतुष्टि आपकी कंपनी की कार्यसूची में शीर्ष पर होती है और इसकी नियमित बातचीत के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। टीक्यूएम में आपकी कंपनी की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार है :

- आपकी कंपनी द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान प्राप्त ग्राहक संतुष्टि सूचकांक 89.72%
- आपकी कंपनी ने गेल के विभिन्न कार्य केन्द्रों में 105 क्वालिटी सर्कल परियोजनाएं चलाई हैं जिनके परिणाम स्वरूप रुपए 278.65 लाख की मूर्त लाभ वर्ष 2014–15 के दौरान आवर्ती अमूर्त लाभों के अतिरिक्त प्राप्त हुआ है।
- आपकी कंपनी के गैस प्रोसेसिंग यूनिट, वाघोड़िया को आईएसओ : 50001–2011 ऊर्जाप्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र के लिए अनुशंसित किया गया है।

एमएसईज़ से खरीद

भारत सरकार के आदेश 2012 के द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमियों (एमएसईज़) के लिए एक लोक खरीद नीति अधिसूचित की है। इस नीति की शर्तों के अनुसार वर्ष 2014–15 के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए एमएसई एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व एमएसई वाले सहित से की गई वार्षिक खरीद 138 करोड़ रुपए थी जिसमें से एमएसई से (एससी व एसटी उद्यमियों से सहित) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की गई सामग्री और सेवाओं की कुल खरीद 2.6 करोड़ रुपए थी जो 138 करोड़ रुपए का लगभग 19% है।

समझौता ज्ञापन निष्पादन (एमओयू)

प्रतिवर्ष आपकी कंपनी और प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं जिसका उद्देश्य इसमें निर्धारित लक्ष्यों के माध्यम से कंपनी के निष्पादन स्तर को ऊंचा उठाना है। वर्ष 2014–15 के एमओयू पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा सचिव (एमओपीएनजी), भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2014 को हस्ताक्षर किए गए।

एमओयू लक्ष्यों को निर्धारित करते समय कंपनी की प्रमुख गतिविधियों के निष्पादन में सुधार पर अधिक बल दिया गया है जिनमें अन्य के अलावा गैस मार्केटिंग, गैस संचरण, परियोजना कार्यान्वयन, पूंजीगत व्यय, व्यवसाय के नए क्षेत्र, इत्यादि शामिल हैं। निगमित

सामाजिक दायित्व, अनुसंधान और विकास परियोजनाओं तथा मानव संसाधन प्रबंधन पर भी महत्वपूर्ण बल दिया गया है।

आपकी कंपनी को एमओयू प्रणाली प्रारंभ होने के वर्ष 1989–90 से 2013–14 तक लगातार उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग प्राप्त हुई है। विगत वर्षों की तुलना में आर्थिक विकास गति धीमी होने और अपेक्षाकृत प्रतिकूल व्यवसाय माहौल होने के बावजूद भी आपकी कंपनी ने वर्ष 2013–14 के लिए 1288 का समझौता ज्ञापन सम्मिश्र प्राप्तांक हासिल किया है जिसे उत्कृष्ट समझौता ज्ञापन दर निर्धारण माना जाता है।

वित्त वर्ष 2014–15 में, समझौता ज्ञापन लक्ष्यों तथा वास्तविक उपलब्धि में अंतराल है जिसका प्रमुख कारण घरेलू गैस उपलब्धता में गिरावट, तत्स्थल/आरएलएनजी की कीमतों में गिरावट, पेट्रोकेमिकल और एलएचसी की कीमतों में गिरावट तथा कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट का होना है। वित्त वर्ष 2014–15 के लिए अंतिम मूल्यांकित समझौता ज्ञापन प्राप्तांक तथा दरनिर्धारण की घोषणा दिसम्बर, 2015 में किए जाने की आशा है।

वर्ष 2015–16 के लिए समझौता ज्ञापन पर अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक तथा भारत सरकार के सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) के बीच हस्ताक्षर 31 मार्च 2015 को किए गए थे।

पुरस्कार

निगमित

- आपकी कंपनी का नाम ग्रेट प्लेस टू वर्क संस्थान द्वारा संचालित "इंडिया 100 बेस्ट कम्पनीज टू वर्क फॉर 2014 स्टडी" में तीसरे निरंतर वर्ष के लिए शामिल किया गया है।
- वित्त वर्ष 2013–14 की स्थायित्व रिपोर्ट को अंतराष्ट्रीय संगठन वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई) द्वारा वांछित 'ए+अनुप्रयोग स्तर" विवरण प्राप्त हुआ है।
- पेट्रोलियम फेडरेशन ऑफ इण्डिया (पेट्रोफेड) तेल और गैस उद्योग अवार्ड, 2013 में इसकी दाभोल–बंगलूरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन श्रेणी में इसे "वर्ष की कंपनी" घोषित किया गया है।

एचएसई

- गेल पाता तथा गेल एनसीआर को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद, यू. के. से अंतराष्ट्रीय सुरक्षा अवार्ड–2014
- एचवीजे कम्प्रेसर स्टेशन, विजयपुर को ब्रिटिश सुरक्षा परिषद, यू. के. से अंतराष्ट्रीय सुरक्षा अवार्ड–2015
- भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मुम्बई द्वारा एलपीजी रिकवरी संयंत्र, विजयपुर को 'सुरक्षा पुरस्कार (कांस्य ट्राफी)–2013
- एचवीजे कम्प्रेसर स्टेशन, विजयपुर, (म.प्र.) को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मुम्बई द्वारा प्रशंसापत्र (प्रमाणपत्र) सुरक्षा पुरस्कार – 2013
- जीपीयू, विजयपुर को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मुम्बई द्वारा वर्ष 2014 के लिए श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार (द्वितीय स्तर – रजत ट्राफी)
- एचवीजे कम्प्रेसर स्टेशन, विजयपुर को भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, मुम्बई द्वारा वर्ष 2014 के लिए सुरक्षा पुरस्कार (तृतीय स्तर –कांस्य ट्राफी)
- गेल, विजयपुर को निदेशक संस्थान, नई दिल्ली द्वारा गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन अवार्ड–2014
- गेल, एनसीआर को निदेशक संस्थान, नई दिल्ली द्वारा गोल्डन पीकॉक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा अवार्ड – 2014
- महाराष्ट्र क्षेत्र पाइपलाइन प्रणाली को इंजीनियरी संस्था (भारत), दिल्ली राज्य केन्द्र द्वारा सुरक्षा नूतनता अवार्ड – 2014
- गेल, पाता को वर्ष 2012 के लिए डीजी फासली से राष्ट्रीय सुरक्षा अवार्ड
- गेल, विजयपुर को एनएससीएमपी – चैप्टर से सर्वश्रेष्ठ के रूप में एनएससी सुरक्षा अवार्ड – 2013

सूचना का अधिकार

पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार कंपनी में एक उपयुक्त प्रणाली स्थापित की गई है। आपकी कंपनी ने

तृतीय विश्व ऊर्जा दिवस समारोहों में गेल प्रबंधन

देश भर में इकाइयों/कार्यालयों में एसीपीआईओ/सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी को आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए नामित किया है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

विस्तृत प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण और इस रिपोर्ट का हिस्सा है जो **अनुलग्नक–क** पर दिया गया है।

निगमित अधिशासन

आपकी कंपनी का मानना है कि अच्छा निगमित आधिशासन सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति की स्थापना करने में महत्वपूर्ण होता है और यह इसके शेयरधारकों के प्रति इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही, संगतता, निष्पक्षता तथा पारदर्शिता से परिलक्षित होता है। निगमित अधिशासन पर स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुए सूचीकरण करार के संशोधित खंड 49 तथा डीईपी दिशानिर्देशों के अनुसरण में निगमित अधिशासन पर एक रिपोर्ट को **अनुलग्नक–ख** में इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। बोर्ड की बैठकों के ब्यौरे, निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक तथा अन्य मामलों पर कंपनी की नीति, सचेतक प्रक्रम की स्थापना के ब्यौरे इत्यादि निगम अधिशासन का भाग है।

विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण तथा सारभूत आदेश पारित नहीं किए गए है जो चालू कंपनी प्रास्थिति तथा कंपनी के भावी प्रचालनों को प्रभावित काते हो।

कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षकों ने निगमित अधिशासन पर सूचीकरण करार के संशोधित खण्ड 49 और डीपीई दिशा–निर्देशों में वर्णित शर्तों के संबंध में आपकी कंपनी के अनुपालन की जांच की है और उसे प्रमाणित किया है। यह प्रमाण–पत्र **अनुलग्नक–ग** के रूप में इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

लेखा–परीक्षक

- **सांविधिक लेखा परीक्षक**

  आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा–परीक्षक को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त किया जाता है। मैसर्स जी. एल. माथुर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, नई दिल्ली और मैसर्स एस. के. मित्तल एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट नई दिल्ली को वर्ष 2014–15 के लिए आपकी कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा–परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

  सीएजी द्वारा 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण की समीक्षा और टिप्पणियां, यदि कोई हों, वित्तीय विवरण का हिस्सा है। लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित वित्तीय विवरण पर लेखा टिप्पणियां स्वतः स्पष्ट है और इसलिए आगे किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

- **लागत लेखा–परीक्षक**

  आपकी कंपनी ने मैसर्स रोहित एंड एसोसिएट्स को पांडिचेरी, राजमुंद्री और बंगलूरु यूनिटों के लिए, मैसर्स आर नानाभोए एंड कंपनी को हजीरा, वाघोडिया, बडोदरा,

झाबुआ, खेरा, विजयपुर, औरैय्या, आगरा, कैलारस, छांयसा और नोएडा (एनसीआर) यूनिट के लिए, मैसर्स एम गोयल कम्पनी को मुम्बई और वडोदरा एकको के लिए, मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, पुणे, को वीएसपीएल और जेएलपीएल यूनिटों के लिए तथा मैसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट्स, गुवाहाटी को अगरतला और लाकवों यूनिटों के लिए वित्त वर्ष 2014–15 के लिए लागत लेखा–परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। मै. चन्द्र बाधवा एंड कं. अग्रणी लागत लेखापरीक्षक है।

31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लागत लेखा–परीक्षा रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 27 सितम्बर 2014 थी और इसे 26 सितम्बर, 2014 को कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास जमा किया गया था।

- **आन्तरिक लेखा–परीक्षक**

  आपकी कंपनी का एक अंदरूनी आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है जिसके अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक है।

- **सचिवीय लेखा–परीक्षक**

  आपकी कंपनी ने वर्ष 2014–15 के लिए सचिवीय लेखा–परीक्षकों के रूप में मै. अग्रवाल एस एण्ड एसोसिएट्स को सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम 2013, के लागू प्रावधानों, सूचीकरण करार और अन्य प्रयोज्य कानूनों की व्यवसायरत कंपनी सचिव द्वारा अनुपालन की पुष्टि करते हुए **अनुलग्नक–घ** पर सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट का भाग है।

सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किए गए अवलोकन निम्नानुसार हैं :

i. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 3 के साथ पठित धारा 149(1) का परन्तुक अर्थात् कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति

ii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4), सूचीयन करार का खंड 49(II) (क) तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के लिए निगमित अधिशासन संबंधी दिशानिर्देश अर्थात् कार्यपालक और गैर–कार्यपालक निदेशकों का इष्टतम संयोजन

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1), 177(2) तथा धारा 178(1) और कंपनी (बोर्ड की बैठकों और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 का नियम 6, जो सीएसआर समिति, लेखापरीक्षा समिति, तथा नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संगठन से संबंधित है।

iv. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–IV (VIII) तथा धारा 178(2) के साथ पठित धारा 149(8) जो स्वतंत्र निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के संबंध में है।

सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा किए गए अवलोकनों पर स्पष्टीकरण संक्षेप में निम्नानुसार हैं :

क) 31 मार्च, 2015 को आपकी कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा एक सरकारी नामिती निदेशक सहित पांच पूर्ण कालिक निदेशक थे। गेल में कोई महिला निदेशक नहीं है। महिला निदेशक सहित आपकी कंपनी के बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 28 फरवरी, 2015 को समाप्त हो गया था। तदनंतर, बोर्ड में 21 मई, 2015 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सरकारी नामिती निदेशक के रूप में श्रीमती अनुराधा शर्मा चगती की नियुक्ति के साथ महिला निदेशक की नियुक्ति संबंधी धारा 145(1) की अपेक्षाएं पूर्ण हो गई हैं।

ख) आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है जिसमें सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जरिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के लिए आपकी कंपनी निरंतर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ परिशीलन कर रही है।

ग) आपकी कंपनी 28.02.2015 तक सीएसआर समिति, लेखापरीक्षा समिति, तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के संगठन की अनुपालक थी। तथापि, 28.02.2015 से स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 के उपर्युक्त प्रावधानों की अनुपालक नहीं रही जैसा कि ऊपर (ख) में उल्लेख किया गया है।

घ) आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है जिसमें सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जरिए किया जाता है। और स्वतंत्र निदेशकों सहित व्यक्ति निदेशकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है जो

श्री प्रभात सिंह, निदेशक (विपणन) जीआरआई नीदरलैंड के सीईओ श्री माइकल मीहान से बाचचीत करते हुए

नियुक्ति प्राधिकारी है।

यथोक्त क्रम सं. ii) तथा iii) पर सचिवीय लेखापरीक्षक के अवलोकनों का अनुपालन पूरा कर लिया जाएगा जैसे ही स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आपकी के कंपनी के बोर्ड में कर दी जाती है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी का मानना है कि सीएसआर देश के विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है इसलिए, उसने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को अपनी नीतियों और संस्कृति के अभिन्न हिस्से के रूप में माना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) तथा 135(2) के साथ पठित कंपनी/निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली 2014 के नियम 8 के तहत यथापेक्षित सीएसआर क्रियाकलापों संबंधी वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक–ड.** पर दी गई है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन के **अनुलग्नक–च** पर ब्यौरे इस रिपोर्ट का भाग है।

संबंधित पक्षकरों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं के विवरण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में यथा उल्लिखित संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं या व्यवस्थाओं के ब्यौरे **अनुलग्नक–छ** पर दिए गए हैं। आपकी कंपनी ने संबंधित पक्षकार लेने देनों पर कार्रवाई संबंधी नीति निरूपित की है तथा उसे आपकी कंपनी की वेबसाइट पर http://www.gailonline.com/final_site/pdf/GAIL_Related_Party_Transaction_Pollicy.pdf पर डाला गया है।

कर्मचारियों के ब्यौरे

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी से यह अपेक्षित है कि वह निदेशकों की रिपोर्ट में औसत कर्मचारी के पारिश्रमिक इत्यादि के प्रति प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक के अनुपात का प्रकटन करें।

तथापि, कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दि. 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट प्राप्त है। आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, अतः ऐसे विवरण निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल नहीं किए गए है।

वार्षिक विवरणी के उद्धरण

अनुलग्नक–ज पर वार्षिक विवरणी के उद्धरण इस रिपोर्ट का भाग हैं।

शेयरों का निर्गम और सावधि जमा राशियां

आपकी कंपनी ने लाभांश मतदान या अन्यथा के संबंध में तथा शेयरों (स्वीट, इक्विटी शेयरों सहित) के निर्गम के संबंध में परिवर्ती अधिकारों वाले इक्विटी शेयर किसी भी योजना के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निगमित नहीं किए है।

आपकी कंपनी ने कोई सावधि जमा राशियां स्वीकार नहीं की है और इसलिए, तुलन–पत्र तारीख को कोई मूल या ब्याज की राशि बकाया नहीं है।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आय 644.49 करोड़ रुपए थी तथा विदेशी मुद्रा में व्यय 8088.49 करोड़ रुपए था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने विदशी दौरों और प्रशिक्षण पर 2.20 करोड़ रुपए खर्च किए।

प्रमुख प्रबंधीय कार्मिक और निदेशक

वर्ष के दौरान निम्नलिखित आपकी कंपनी के बोर्ड में प्रमुख प्रबंधीय कार्मिक नहीं रहे:

- अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 सितम्बर 2014 से श्री एस. वेंकटरमन, निदेशक (व्य.वि.)
- अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 अप्रैल, 2015 से श्री पी. के जैन, निदेशक (वित्त)

वर्ष के दौरान निम्नलिखित निदेशक आपकी कंपनी के बोर्ड में नहीं रहे:

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पदाधिकारी न रहने पर 26 सितम्बर, 2014 से श्री पी. के. सिंह, सरकारी नामिती निदेशक
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पदाधिकारी न रहने पर 1 दिसम्बर 2014 से श्री राजीव कुमार, सरकारी नामिती निदेशक
- 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर 28 फरवरी, 2015 से श्रीमती श्यामला गोपीनाथ और डा. ए. के. खंडेलवाल, स्वतंत्र निदेशक

  आपकी कंपनी के साथ अपने सहयोग के दौरान सेवामुक्त निदेशकों द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए बोर्ड अपनी गहरी प्रशंसा रखता है।

श्री आशुतोष जिंदल को 24 फरवरी, 2015 से आपकी कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक निदेशक (सरकारी नामिती) नियुक्त किया गया। श्री सुबीर पुरकायस्थ को 1 मई 2015 से आपकी कंपनी के बोर्ड द्वारा निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। श्रीमती अनुराधा शर्मा चगती को 21 मई, 2015 से आपकी कंपनी के बोर्ड द्वारा सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

निदेशक (विपणन) के रूप में श्री प्रभात सिंह का कार्यकाल भारत सरकार द्वारा 24.02. 2015 से आगे 30.11.2016 तक अर्थात् उनकी अधिवार्षिता की तिथि तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया।

इसके अतिरिक्त, श्री एम. रविन्द्रन, निदेशक (मा.सं.) और डा. आशुतोष कर्नाटक, निदेशक (परियोजना) क्रमानुचक्र में सेवानिवृत्त हो रहे है तथा पात्र होने पर उन्होंने स्वयं की पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव किया है।

आपकी कंपनी का कोई भी निदेशक आपकी कंपनी की किसी सहायक कंपनी से कोई कमीशन प्राप्त नहीं कर रहा।

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(त) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के संबंध में एक विवरण निदेशक रिपोर्ट का भाग होगा जिससे बोर्ड द्वारा किए गए स्वयं अपने निष्पादन के तथा अपनी समितियों और व्यक्ति निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन का तरीका निर्दिष्ट किया जाएगा।

तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131(3) (त) के प्रावधानों का अनुपालन करने से सरकारी कम्पनियों को कंपनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार छूट प्राप्त है। आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है तथा निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल, निष्पादन मूल्यांकन इत्यादि का कार्य भारत सरकार द्वारा किया जाता है, अतः ऐसे विवरणों को निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा इसके कर्मचारियों के पारिश्रमिक का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। सूचीयन करार के खंड 49 की अपेक्षा के अनुसार, बोर्ड के लिए मूल्यांकन कसौटी का निरूपण किया जा रहा है।

सूचीकरण करार के खंड 49 की अपेक्षाओं के अनुसरण में बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिकों ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुद वित्तिय वर्ष के लिए आचरण की सुहृता के अनुपालन की पुष्टि की है।

निदेशकों की जिम्मेदारी का वक्तव्य

आपके निदेशकों ने यह पुष्टि की है कि :

(i) 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में प्रयोज्य लेखांकन मानकों का, उल्लेखनीय विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित, अनुपालन किया गया है;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा निर्णय और अनुमान लगाए है जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों तथा समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के लाभ की सही और उचित स्थिति बताने हेतु उपुयक्त और विवेकसम्मत है:

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए तथा धोखे और अन्य अनियमिताओं से बचने तथा पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव हेतु उचित सावधानी बरती है;

(iv) निदेशकों ने चालू कंपनी आधार पर 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे तैयार किए हैं:

(v) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियां विकसित की गई है और ये प्रणालियां पर्याप्त थी और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही थी; और

(vi) कंपनी द्वारा पालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है और प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे हैं।

आभार :

आपके निदेशक भारत सरकार, विशेषकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों, विनियामक और सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा किए गए निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन के लिए अपना आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक सांविधिक लेखा–परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से प्राप्त विद्वत परामर्श को अभिस्वीकृत करते हैं और उनके सतत् समर्थन और मदद के लिए आभारी हैं।

आपके निदेशक सभी शेयर धारकों, व्यावसायिक हिस्सेदारों और गेल परिवार के सदस्यों को आपकी कंपनी में निष्ठा, आस्था और विश्वास बनाए रखने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।

आपके निदेशकों की ओर से मैं कंपनी के कार्यपालकों, कर्मचारियों और कर्मकारों की प्रतिबद्ध सेवाओं की गहन प्रशंसा करता हूं।

आपके निदेशकगण और कर्मचारी पूर्ण आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता के साथ सभी स्टैकधारकों के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण हेतु आशावान है।

बोर्ड के लिए और उनकी ओर से

त्रिपाठी

बी. सी. त्रिपाठी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 5 अगस्त, 2015

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

अनुलग्नक–क

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1. ऊर्जा क्षेत्र : विहंगावलोकन

वैकल्पिक ऊर्जा खपत बहुत से विकसित देशों में आर्थिक विकास में मंदी के बावजूद लगातार बढ़ रही है। बीपी सांख्यिकीय समीक्षा, 2015 के अनुसार वैश्विक प्राथमिक ऊर्जा खपत में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014 में लगभग 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विश्व भर में ऊर्जा की खपत तेल द्वारा प्रबल बनी हुई है जो विश्व का अग्रणी ईंधन बना हुआ है, जो वैश्विक ऊर्जा खपत में 32.6 प्रतिशत योगदान दे रहा है वर्ष 2014 के लिए वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस के हिस्से में वर्ष 2013 के 23.8 प्रतिशत से मामूली सी कमी होकर 23.4 प्रतिशत रह गया। वैश्विक प्राकृतिक गैस की खपत में पिछले वर्ष की तुलना में 0.4 प्रतिशत की अल्प वृद्धि हुई।

ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 2014 तेल की कीमतों में प्रचण्ड और अप्रत्याशित कमी के कारण बहुत उल्लेखनीय वर्ष रहा। कच्चे तेल के एक बैरल का मूल्य वर्ष की दूसरी छमाही में लगभग 110 डालर से 48 डालर तक गिर गया, जो पिछले छः वर्षों में निम्नतम है। यह बहुकारकों जैसे यूएस से कच्चे तेल की आपूर्ति में भारी वृद्धि, रूस और अन्य मध्य एशिया के देशों से बढ़ती हुई आपूर्ति, ओपीईसी का उत्पादन में कटौती करने में इच्छुक न होना, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी का परिणाम था। अनुमान न लगाए जा सकने वाले प्रतिवात के बावजूद वैश्विक आर्थिक सुधार गति पकड़ रहा है।

तेल के मूल्यों में भारी कमी ने भारत के बाजारों के लिये मिश्रित परिणाम दिए। सरकार ने इस अवसर का ईंधन आर्थिक सहायता को समाप्त करने या कम करने और करों को बढ़ाने के लिए किया। इसने पिछले वर्ष डीजल पर आर्थिक सहायता को समाप्त कर दिया। तथापि, ऊर्जा मूल्यों में उच्च घट–बढ़ उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं दोनों के लिए अत्यावश्यक चिंता बन गई। इसके अलावा, कच्चे तेल के मूल्यों में भारी कमी से अनोखी स्थिति बन गई जिसमें एलएनजी की हाजिर कीमतें भारत में आयातित दीर्घकालीन एलएनजी की कीमतें काफी कम है। इसके फलस्वरूप, घरेलू ग्राहक एलएनजी आपूर्ति संविदाओं के तहत अपने दीर्घकालीन संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। दीर्घकालीन एलएनजी की निकासी कम होने और हाजिए एलएनजी के लिए तरजीह गैस आपूर्तिकर्ताओं, ट्रांसपोर्टरों और विपणन करने वालों के लिए समान बहुत से अनुवर्ती जोखिमों को पैदा कर रही है और जिसका कारण ऊर्जा मूल्य शृंखला में उनके द्वारा वचनबद्ध एक के बाद एक जोड़ना है।

भारत में ऊर्जा क्षेत्र

भारत विश्व में एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभरा है। ऊर्जा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। तेजी से बढ़ता हुआ औद्योगिक आधार, शहरीकरण के साथ–साथ रहन–सहन के स्तर में सुधार ने ऊर्जा की मांग और आपूर्ति में अंतर को बढ़ा दिया है। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए आकांक्षा करते हुए 1.26 बिलियन लोगों के साथ भारत में ऊर्जा मांग में वृद्धि अपरिहार्य है। वर्ष 2014 के दौरान भारत, चीन, यूएसए और रूस के पश्चात विश्व में ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता था। यह विश्व की ऊर्जा खपत का 4.9 प्रतिशत से अधिक की खपत करता है। वर्ष 2025 तक आशा है कि यूएसए के पश्चात चीन और भारत सबसे बड़े उपभोक्ताओं के रूप में उभरेंगे।

भारत विश्व में अब तीसरा सबसे बड़ा कोयला बाजार है। उसके ऊर्जा मिश्रण में कोयला के हिस्से में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 प्रतिशत (54.5 प्रतिशत से 56.5 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और वर्ष 2014 के लिए 35.9 मिलियन टन तक खपत में रिकार्ड वृद्धि हुई। नए आवंटित कोयला ब्लॉकों से नई आपूर्ति से भारत में पहले से ही दबावग्रस्त प्राकृतिक गैस बाजार पर दबाव महसूस किया जा रहा है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए अधिक कोयले की आपूर्ति की जा रही है, दूसरी ओर बहुत से गैस आधारित प्राकृतिक गैस विद्युत संयंत्र बेकार पड़े हैं।

वर्तमान ऊर्जा बास्केट में कोयले का हिस्सा 56.5 प्रतिशत, तेल का 28.3 प्रतिशत, प्राकृतिक गैस का 7.1 प्रतिशत, पनबिजली का 4.6 प्रतिशत, नवीकरणीय का 2.2 प्रतिशत और न्यूक्लियर का 1.2 प्रतिशत हिस्सा है। सीमित घरेलू उत्पादन के कारण भारत लगातार ऊर्जा आयातों पर अधिक निर्भर हो गया है। इसके पास तेल भंडारों के 5.7 बिलियन बैरल (वैश्विक तेल भंडारों का 0.3 प्रतिशत), गैस भंडारों का 1.4 ट्रिलियन घन मीटर (वैश्विक गैस भंडारों का 0.8 प्रतिशत) और इसके साथ वैश्विक कोयला भंडारों का लगभग 6.8 प्रतिशत है। वर्ष 2014 में भारत ने खपत के लिए इसके तेल के 77 प्रतिशत और इसके प्राकृतिक गैस के 37 प्रतिशत का आयात किया।

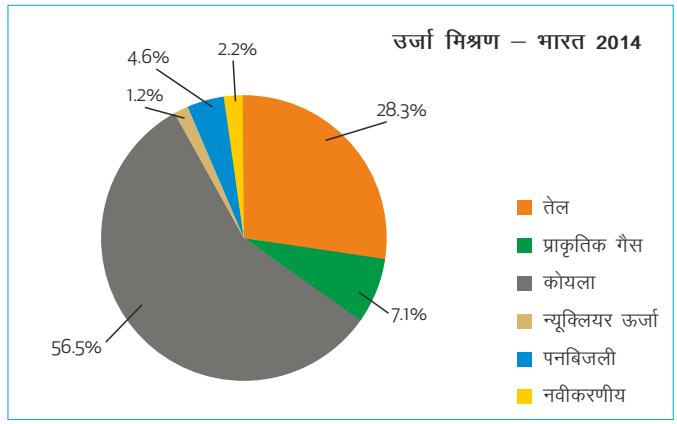

2. प्राकृतिक गैस क्षेत्र : विहंगावलोकन

मांग और आपूर्ति

भारत की प्राकृतिक गैस की खपत लगातार घरेलू उत्पादन से बढ़ी है। एलएनजी आयातों ने मांग और आपूर्ति के बढ़ते हुए अंतर को पूरा करने में ऐतिहासिक रूप से सहायता की है। हाल के वर्षों में भारतीय प्राकृतिक गैस क्षेत्र ने घरेलू गैस की निम्न उपलब्धता के कारण उल्लेखनीय गिरावट का सामना किया है। भारत में गैस के उत्पादन में वर्ष 2013 की तुलना में 2014 में 5.9 प्रतिशत की कमी हुई है और गैस की खपत में 1.5 प्रतिशत तक की कमी हुई है। परम शर्तों में वर्ष 2014 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन और खपत क्रमशः 31.7 और 50.6 बिलियन घनमीटर था।

भारत – प्राकृतिक गैस के आंकड़े

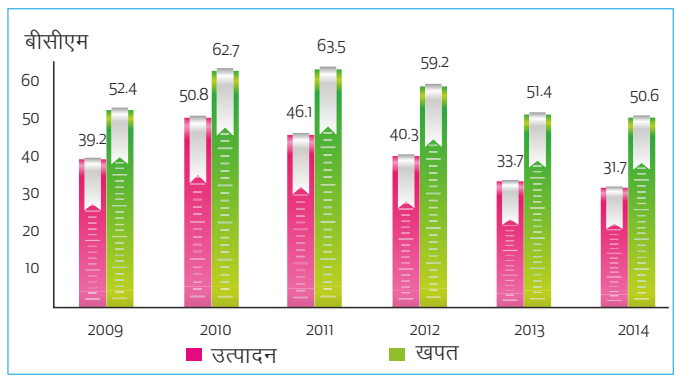

स्रोत : विश्व ऊर्जा बीपी सांख्यिकी समीक्षा, 2015

विभिन्न क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की बिक्री में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में कमी देखी गई है। अब तक विद्युत, उर्वरक और अन्य क्षेत्रों को गैस आपूर्ति में कमी हुई है जबकि क्षेत्रों जैसे शहर गैस और स्वयं–खपत में वर्ष के दौरान वृद्धि हुई है।

नीतिगत पहलें

भारत सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लक्ष्य से निवेश को आकर्षित करने और मांग बढ़ाने के लिए नई नीतियां शुरू की है। कुछ आधारभूत निम्न नीति पहलें की गई थीं :

- **गैस मूल्य निर्धारण का नया फार्मूला**

  सरकार ने अक्टूबर, 2014 में नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को अनुमोदित किया और नए गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश, 2014 जारी किए। नए फार्मूले में सितम्बर, 2015 तक 4.66 अमरीकी डालर/एमएमबीटीयू–जीसीवी पर लगभग सभी घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस के निश्चित मूल्य हैं। फार्मूला एक तिमाही के अंतर के साथ हैनरी हब यूएसए, यूके का राष्ट्रीय संतुलनकारी, बिन्दु, अलबर्टा (कनाडा) और रूस में औसत मूल्य का प्रयोग करता है।

- **गैस ग्रिड अवसंरचना**

  मौजूदा 15,000 कि.मी. गैस पाइपलाइन नेटवर्क के अलावा राष्ट्रीय गैस ग्रिड को पूरा करने के लिए 15,000 कि.मी. और योजना बनाई गई है।

- **स्टेंनडिड गैस आधारित क्षमता के उपयोग के लिए नवीन तंत्र**

  ₹60,000 करोड़ मूल्य के निवेश से स्टेंनडिड विद्युत परियोजनाओं के पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार ने विद्युत उत्पादन कंपनियों के लिए नवीन नीति और कर सहायता पैकेज को अनुमोदित किया है ताकि उनको विद्युत के उत्पादन के लिए महंगी आयातित गैस (एलएनजी) का प्रयोग करने में समर्थ बनाया जा सके।

  27 मार्च, 2015 को विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए देश में गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए स्कीम अधिसूचित की। आपकी कंपनी प्रस्तावित स्कीम के तहत ई–बोली आरएलएनजी के प्रापण के लिए नामित एजेंसी है। स्कीम में स्टेंनडिड संयंत्रों के साथ–साथ घरेलू गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों को उपलब्ध आरएलएनजी ''ई–बोली आरएलएनजी'' की विपरीत–बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयन किए जाने की परिकल्पना की गई है।

  प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मानसून अवधि (मई से सितम्बर) और गैर–मानसून अवधि (अक्टूबर से अप्रैल) के दौरान अलग–अलग बोली दौर आयोजित किए जाएंगे। आपूर्ति की जाने वाली मात्रा मानसून अवधि के दौरान 8–10 एमएमएससीएमडी और गैर–मानसून अवधि के दौरान 15–18 एमएमएससीएमडी के बीच है।

- **उर्वरक यूनिटों के लिए एकसमान सुपुर्द किए गए मूल्यों के लिए नवीन तंत्र**

  भारत सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में गैस पूलिंग के लिए एक स्कीम को भी अनुमोदित किया है जिसे 20 मई, 2015 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अनुसूचित किया गया था। स्कीम के अनुसार घरेलू गैस को यूरिया के निर्माण के प्रयोजनार्थ सभी गैस–आधारित यूरिया संयंत्रों को एक समान डिलीवरी किए गए मूल्यों पर प्राकृतिक गैस प्रदान करने के लिए आरएलएनजी के साथ पूल किया जाएगा। स्कीम में गैस पूलिंग को दो चरणों में क्रियान्वित किए जाने की परिकल्पना की गई है :

  क. चरण–I मौजूदा यूरिया संयंत्रों के लिए वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक, और

  ख. चरण–II वर्ष 2018–19 से आगे जिसमें ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड योजनाएं भी शामिल होंगी।

  आपकी कंपनी को पूल आपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया है और इसे उर्वरक क्षेत्र के लिए लगभग 4–5 एमएमएससीएमडी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आरएलएनजी प्राप्त करने के लिए बोली करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

- **सीजीडी व्यवसाय के लिए घरेलू गैस का आवंटन**

  सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) खंडों के लिए सीजीडी कंपनियों की उनके वास्तविक खपत स्तर के आधार पर गैस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए घरेलू प्राकृतिक गैस के आवंटन/आपूर्ति के लिए नवंबर, 2013 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में प्रत्येक छः महीने के अंत में उनकी वास्तविक खपत के अनुसार आपकी कंपनी द्वारा सीजीडी कंपनियों को घरेलू गैस आवंटित की जा रही है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत सीजीडी कंपनी की सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) की शत–प्रतिशत आवश्यकता के अतिरिक्त 10 प्रतिशत घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए प्राधिकृत किया गया है।

- **उर्वरक संयंत्रों का पुनरुद्धार**

  भारत सरकार ने एफसीआई–गोरखपुर, एफसीआई–सिन्दरी और एचएफसी – बरौनी के उर्वरक संयंत्रों के पुनरुद्धार को शुरू किया है। चयनित बोलीदाता द्वारा इन संयंत्रों के पुनरुद्धार के लिए करार चालू वित्त वर्ष के अंत तक किए जाने की आशा है। एफसीआई, गोरखपुर और एचएफसी बरौनी का पुनरुद्धार और पानागढ़ में नए मेट्रिक्स, उर्वरक एक संयंत्र के फलस्वरूप 6–7 एमएमएससीएमडी के आस–पास की अधिक गैस मांग होगी। एक बार गैर आपूर्ति करारों के होने पर गैस की आपूर्ति, आपकी कंपनी की जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के माध्यम से की जाएगी।

परिदृष्य

- **गैस की खपत**

  भारत के लिए वर्ष 2014 की आईईए ऊर्जा संभावना के अनुसार अगले कुछ वर्षों तक प्राकृतिक गैस का बाजार दबाव में रहेगा जिसके पश्चात बढ़ते एलएनजी आयात और उच्च घरेलू उत्पादन मांग की वृद्धि को बनाए रखेंगे तथापि, आपूर्ति स्थिति में सुधार के साथ दशक के बाद के भाग में खपत के बढ़ने का पूर्वानुमान है। भारत की गैस की खपत के वर्ष 2012 में 57 बीसीएम से वर्ष 2020 में 82 बीसीएम और वर्ष 2040 में लगभग 200 बीसीएम तक बढ़ने का अनुमान है, जो विद्युत क्षेत्र (यद्यपि वर्ष 2040 तक गैस का हिस्सा केवल 12 प्रतिशत पहुंचने का अनुमान है) से और सड़क परिवहन के लिए अधिक मांग द्वारा चालित होगी। विद्युत क्षेत्र के वर्ष 2040 तक कुल गैस के प्रयोग के लगभग आधा होने से अग्रणी रहने की आशा है।

3. व्यवसाय विहंगावलोकन

- **वैश्विक उपस्थिति**

  उद्योग और आपकी कंपनी के लिए वर्ष 2014 अशांत वर्ष था। ऊंचे मूल्यों के बहुत से वर्षों के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल और गैस के मूल्यों मे नाटकीय ढंग से गिरावट आने और घटबढ़ के उनके परिचित पैटर्न के लिए वापसी हुई। घरेलू गैस परिदृष्य भी डांवाडोल था। अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस में गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद भारतीय ऊर्जा क्षेत्र अभी भी प्रतिस्पर्धी ईंधनों की खोज कर रहा है। आपकी कंपनी प्राकृतिक गैस मूल्य श्रृंखला के साथ अपनी सहभागिता के माध्यम से अपनी वैश्विक उपस्थिति का लगातार विस्तार कर रही है। यह देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए गैस आपूर्ति प्राप्त करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ विभिन्न वैश्विक अवसरों का मूल्यांकन भी कर रही है।

  ठीक निवेश का चयन करना उन्हें जारी रखना उच्चतम प्राथमिकता बनी हुई है। आपकी कंपनी उन परिसंपत्तियों पर ध्यान केन्द्रित करके, जो इसकी सुदृढ़ता और आस्तियों के निवेश भूमिका निभाती है, जो इसकी कार्यनीति के लिए अब सही नहीं है, अपने पोर्टफोलियों को सक्रिय रूप से संबंधित करना जारी रख रही है। वर्ष 2014 में जीजीयूएलएल ने खाड़ी के बिंदु टर्मिनल पर एलएनजी का लगभग 2.3 एमएमटीपीए का उत्पादन करने के लिए 20 वर्ष की अवधि के लिए खाड़ी की बिन्दु पाइपलाइन/टर्मिनल के प्रवेश द्वार पर डिलीवर के आधार पर गैस को प्राप्त करने के लिए डब्ल्यूजीएल, मिडस्ट्रीम इंक के साथ गैस की बिक्री और खरीद करार पर हस्ताक्षर किए। पहले वर्ष 2011 में आपकी कंपनी ने 20 वर्ष की शुरुआती अवधि के लिए एफओबी आधार पर चेनीयार एनर्जी, यूएसए से एलएनजी के 3.5 एमएमटीपीए संविदा किया। वर्ष 2013 में आपकी कंपनी ने 20 वर्ष के लिए खाड़ी बिन्दु टर्मिनल में 23 एमएमटीपीए की तरलीकरण क्षमता की बुकिंग के लिए टर्मिनल सर्विस करार (टीएसए) पर भी हस्ताक्षर किये थे।

  शेल गेस का पहले ही यूएस गैस मूल्यों और मांग पर उल्लेखनीय प्रभाव था और इसके आशा है कि भविष्य में वैश्विक प्राकृतिक गैस आपूर्तियों में प्रमुख हिस्से का योगदान देने की संभावना है। जीजीयूआई, आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने टेक्सास में ईगल फोर्ड शेल एसेट में अनिगमित संयुक्त उद्यम (जेवी) बनाने के लिये केरिजो तेल और गैस इंक, यूएसए के साथ निश्चयक करार निष्पन्न करके ईगल फोर्ड शेल गैस में निवेश किया है। जीजीयूआई ने जेवी में 20 प्रतिशत सहभागिता हित अधिगृहीत किया है। वर्ष के दौरान 12 कुएं आनलाइन और 31 दिसम्बर, 2014 को कुल आनलाइन कुएं 79 हो गए।

  आपकी कंपनी आशा करती है कि भारत में बढ़ती जनसंख्या और बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय ऊर्जा की मांग को ऊपर की ओर बढ़ाती रहेगी। प्राकृतिक गैस के, विशेष रूप से घरेलू मांग को पूरा करने में बढ़ी हुई भूमिका निभाने की संभावना है। आपकी कंपनी घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए वैश्विक रूप से प्राप्त की गई गैस के विपणन के लिए सभी प्रयास कर रही है। आपकी कंपनी के नौवहन और चार्टरिंग गतिविधियों का प्राथमिक उद्देश्य भारत के लिए यूएसए से एलएनजी परिवहन के लिए समय–चार्टर्ड और स्पाट चार्टर्ड पोतों के मिश्रण का प्रयोग करके समूह कंपनियों द्वारा वैश्विक रूप से प्राप्त की गई समूह की प्राकृतिक गैस का परिवहन करना है। आपकी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एलएनजी जहाजों के चार्टर किराए पर लेने की प्रक्रिया में हैं।

आपकी कंपनी तुर्कमेनिस्तान में गल्कीनयेश फील्ड से प्राकृतिक गैस को प्राप्त करने के लिए टीएपीआई पाइपलाइन परियोजना को दृढ़ता से आगे बढ़ा रही है। पाइपलाइन कंसोर्टियम कंपनी, तापी पाइपलाइन कंपनी लि. को 'आइल ऑफ मैन', आयरिश समुद्र में स्थित ब्रिटिश क्राउन निर्भरता में प्रस्तावित तापी पाइपलाइन को बनाने, धारित करने और प्रचालित करने के आदेश के साथ 11 नवम्बर, 2014 को निगमित किया गया था।

आपकी कंपनी मिस्र में दो खुदरा गैस कंपनियों नामतः फेयम गैस कंपनी (एफजीसी) और नेशनल गैस कंपनी (नेट गैस) में इक्विटी हित रखती है। ये नगर गैस वितरण कंपनियां मिस्र में रिहायशी, वाणिज्यिक और छोटे औद्योगिक ग्राहकों को गैस की आपूर्ति करती हैं। आपकी कंपनी चीन गैस होल्डिंग लिमिटेड (चीन गैस), एक खुदरा गैस कंपनी, में इक्विटी साझीदार है, जो चीन में नगर गैस और सीएनजी कारोबार करती है।

- **घरेलू उपस्थिति**
  - **प्राकृतिक गैस परिसंचरण**

    आपकी कंपनी लगभग 11,000 कि.मी. लंबे पाइपलाइन नेटवर्क के साथ बाजार में प्राकृतिक गैस परिसंचरण में सबसे अग्रणी है। आपकी कंपनी मौजूदा शिपर्स से प्राप्त जानकारी के आधार पर संचरण सेवाओं के अधिक प्रयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए उपाय कर रही है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने अपनी विभिन्न भावी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में क्षमता की बुकिंग हेतु संभावित शिपर्स से अभिरुचि की अभिव्यक्ति मांगी है ताकि आपकी कंपनी के पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग सुनिश्चित हो। आपकी कंपनी को प्राकृतिक गैस की विभिन्न भावी पाइपलाइनों की क्षमता बुकिंग के लिए कई शिपर्स से अच्छा प्रत्युत्तर मिला है। आपकी कंपनी ने विभिन्न राज्यों में मांग का अनुमान लगाने के कार्य हेतु विशेषज्ञ एजेंसियों को भाड़े पर लेने सहित भारत में प्राकृतिक गैस बाजार की व्यापकता हेतु कई प्रयास किए हैं। आपकी कंपनी ने सभी किस्म के शिपरों (छोटे, मध्यम और बड़े) की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैस परिसंचरण करार विकसित किया है। इसकी अंतिम मील संबद्धता नीति है जिसके तहत ग्राहकों को पाइपलाइन संबद्धता प्रदान करने के लिए तेजी से निर्णय लिए जाते हैं जो पाइपलाइन की उपयोग की क्षमता में वृद्धि को सुनिश्चित करता है।

    आंध्र प्रदेश में स्वैपिंग व्यवस्था के अंतर्गत गैस परिवहन एवं आपूर्ति के लिए विभिन्न शिपर्स के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि पॉवर उत्पादन हेतु गैस की कमी को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही, भावी पाइपलाइनों के लिए नए गठबंधन किए गए हैं ताकि आपकी कंपनी के स्वामित्व एवं प्रचालन वाली पाइपलाइनों का उपयोग सुनिश्चित हो सके। एलएनजी के संबंध में, गैस परिवहन के लिए अनेक शिपर्स के साथ जीटीए निष्पादन प्रगत्यधीन है।
  - **अंतर–राज्यीय गैस ग्रिड**

    आपकी कंपनी निम्नलिखित प्रमुख प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों को क्रियान्वित कर रही हैं :
    - कोच्चि–कूट्टनाड–बंगलूरु/मंगलौर पाइपलाइन (चरण–II)
    - जगदीशपुर–हल्दिया पाइपलाइन (जेएचपीएल)
    - विजयपुर–औरेया – फूलपुर स्परलाइन (वीएपीपीएल)

    जेएचपीएल के लिए निर्माण गतिविधियां चरणों में की जाएंगी और वर्तमान में पटना–डोबी–बरौनी खंड में की जा रही है और इसके पश्चात गोरखपुर और वाराणसी स्परलाइनों सहित फूलपुर–डोबी खंड में की जाएंगी। वीएपीपीएल को जेएचपीएल के साथ परिकल्पित आने वाले उर्वरक संयंत्रों और नगर गैस वितरण परियोजनाओं के रास्ते में मौजूदा ग्राहकों की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए निष्पन्न की जाएगी।

    आपकी कंपनी की 'सार्वजनिक निजी साझेदारी विधि' के तहत प्राकृतिक गैस के परिसंचरण के लिए रांची–तालचेर–पारादीप पाइपलाइन (लंबाई लगभग 670 कि.मी) के कार्यान्वयन के लिए 'प्रायोजितकर्ता प्राधिकारी' के रूप में पहचान की गई है।

इसके अतिरिक्त आपकी कंपनी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ की संबद्धता हेतु स्परलाइनों को भी निष्पादित कर रही है। यह केजी बेसिन, कावेरी बेसिन और गुजरात क्षेत्र में अपने पाइपलाइन नेटवर्क को भी अपग्रेड कर रही है।

चालू ट्रंक पाइपलाइनों का प्रभावी प्रयोग करने के लिए अंतिम मील उपभोक्ता संबद्धता का निष्पादन भी किया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान प्राकृतिक गैस के 2.43 एमएमएससीएमडी की आपूर्ति करने के लिए 36 उपभोक्ताओं को लगभग 128.90 कि.मी. की अंतिम मील पाइपलाइन संबद्धता का विस्तार किया गया है। वर्ष 2015–16 के लिए अंतिम मील की संबद्धता के तहत आपकी कंपनी का लगभग 130 कि.मी. पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य है।

- **गैस का स्रोत और व्यापार**

  दीर्घकालीन ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति आपकी कंपनी के प्रयासों ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। यूएसए से दीर्घकालीन एलएनजी आपूर्ति परियोजनाएं, नामतः सबीना पास और डोमिनियन कोव प्वाइंट ने उल्लेखनीय परियोजना में उपलब्धता हासिल की हैं और 2017 की चौथी तिमाही से 2018 की पहली तिमाही के बीच आपूर्तियां शुरू करने के रास्ते पर हैं। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने डोमिनियन कोव प्वाइंट पर अपनी कर वसूलने की क्षमता सहमति के तहत तरलीकरण के लिए गैस आपूर्ति प्रदान करने के लिए डब्ल्यूजीएल मिडस्ट्रीम इंक के साथ एक करार निष्पन्न किया है। आपकी कंपनी ने आयोजित 1800 कि.मी. परिवहन लाइन को बनाने एवं धारित करने और प्रचालित करने के लिए सदस्य देशों द्वारा टीएपीआई पाइपलाइन कंपनी लि. (टीपीसीएल) के बनाने के साथ तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान – पाकिस्तान–भारत (टीएपीआई) पाइपलाइन परियोजना में भी प्रगति की है। यह और कतर, आस्ट्रेलिया और रूस से अपनी एलएनजी की आपूर्ति को मिलाकर आपकी कंपनी को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाया है। विविधिकृत पोर्टफोलियों आपकी कंपनी को लंबे समय के दौरान प्रतिस्पर्धी व्यवसाय में सर्वोत्तम संभव ढंग में अपने ग्राहकों की सेवा करने में लचीलापन प्रदान करता है।

  अल्प/मध्यावधि भाग को पूरा करने के लिए आपकी कंपनी ने अपने मौजूदा अल्प/मध्यावधि पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए पेट्रोनास एलएनजी, मलेशिया के साथ एक वर्ष का आपूर्ति संविदा निष्पादित किया है। इस वित्त वर्ष के दौरान घरेलू गैस की आवश्यकताओं को तुरंत पूरा करने के लिए आपकी कंपनी ने विभिन्न स्रोतों से अल्पावधि और स्पाट आधार पर 23 एलएनजी कार्गो (लगभग 140 एमएमटीपीए के समकक्ष) का आयात किया है।

  आपकी कंपनी द्वारा किए गए विभिन्न अपस्ट्रीम गठजोड़ों पर विचार करते हुए, जिनसे वर्ष 2018 से आपूर्ति शुरू होने की आशा है, आरजीपीपीएल का दाभोल एलएनजी टर्मिनल स्पाट एलएनजी व्यवसाय के लिए अधिक प्रचालनात्मक लचीलापन प्रदान करता है। यह टर्मिनल उच्च मांग वाले पश्चिमी/उत्तरी क्षेत्रों और आने वाले दक्षिणी बाजारों को वितरण के लिए गैस अवसंरचना के व्यापक नेटवर्क को तुरंत पहुंच के साथ ठीक स्थित है। इसके अलावा, ब्रेकवाटर का निर्माण यह आश्वस्त करेगा कि अपनी पूर्ण क्षमता में पूरे वर्ष टर्मिनल प्रचालनात्मक है। वर्ष के दौरान दाभोल टर्मिनल में 10 एलएनजी कार्गो को खाली किया गया था। आरजीपीपीएल सभी हितधारकों के साथ अपनी दीर्घकालीन व्यवहार्यता से कार्य कर रहा है जिसमें एलएनजी टर्मिनल और विद्युत संयंत्र का अविलय शामिल है।

  आपकी कंपनी विश्व में अग्रणी एलएनजी कारोबारी के रूप में विकसित होने के लिए वैश्विकरण नीति के अनुरूप अपनी सिंगापुर की सहायक कंपनी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलएनजी पोर्टफोलियो का कुछ व्यापार भी कर रही है। यह संपूर्ण एलएनजी शृंखला में उपस्थिति बनाने के लिए गैस परिसंपत्तियों, तरलीकरण सुविधाओं और एलएनजी नौवहन में अपस्ट्रीम निवेश करने पर भी ध्यान केन्द्रित कर रही है। यह इसे राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा और अपने ग्राहकों को बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए लचीलेपन का सृजन करने के जुड़वां उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ बनाएगा।

  आपकी कंपनी भारत के पूर्वी तट पर एफएसआरयू/पुनर्गैसीकरण टर्मिनल स्थापित करने की योजना बना रही है। इस संबंध में इक्विटी सहभागिता और

ओडिशा में धामरा पत्तन पर प्रस्तावित पुनर्गैसीकरण टर्मिनल में क्षमता की बुकिंग के लिए मै. अदानी पोर्ट और विशेष आर्थिक जोन लि. (एपीएसईजेड) के साथ चर्चा जारी है।

- **पेट्रोकेमिकल**

भारत में पेट्रोकेमिकल व्यापार में ठोस प्रगति होने से आपकी कंपनी को अपने पेट्रोकेमिकल व्यापार का और अधिक विस्तार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। गत 15 वर्षों में आपकी कंपनी देश भर में व्याप्त विपणन नेटवर्क के साथ अग्रणी पेट्रोकेमिकल कंपनियों में से एक के रूप में उभरी है। पेट्रोकेमिकल कारोबार को सुदृढ़ करने के लिए ब्राउन और ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के माध्यम से पेट्रोकेमिकल क्षमता को बढाने और उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करना प्रस्तावित है।

वर्ष के दौरान पोशक स्टाक और उत्पाद मूल्यों में तेजी से कमी देखी गई। पालीमर के मूल्य भी अनक्षेप आधार पर गिरे और वर्षांत मूल्य वर्ष के शुरू की तुलना में 15–19 प्रतिशत कम थे।

वित्त वर्ष 2014–15 के लिए प्रवेश और निकास मूल्य

$/एमटी	01 अप्रैल, 2014 को प्रवेश मूल्य	31 मार्च, 2015 को निकास मूल्य
तेल–दुबई ($/बीबीएल)	104	53
एथीलीन	1,430	1,260
प्रोपीलीन	1,320	990

आपकी कंपनी ने पाटा संयंत्र की पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता दुगनी करके 900,000 टीपीए कर दी है। परियोजना का यांत्रिक पूरा करना पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। सभी उपयोगिताओं को सफलतापूर्वक चालू किया गया है। गैस क्रेकिंग और पालीमर उत्पादन मार्च, 2015 में शुरू हो गया है।

ब्रह्मपुत्र क्रेकर और पालीमर लिमिटेड (बीसीपीएल), ओएनजीसी पेट्रो–एडिशन लि. (ओपीएएल) के माध्यम से आपकी कंपनी द्वारा सवंर्धित ग्रीन फील्ड पेट्रोकेमिकल परियोजनाएं पूरा होने की अग्रिम अवस्था में हैं। इन संयंत्रों के चालू होने से आपकी कंपनी भारत और विदेश में विपणन के लिए 1.7 एमएमटीपीए के पेट्रोकेमिकल पोर्टफोलियो को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगी।

- **एलपीजी और अन्य तरल हाइड्रोकार्बन**

आपकी कंपनी के पास देश में सात एलपीजी संयंत्र है जिनकी उत्पादन क्षमता 1.4 मिलियन एमटी एलपीजी और अन्य तरल हाइड्रोकार्बन, जैसे प्रोपेन, पेंटेन तथा नाफ्था हैं।

आपकी कंपनी के पास तृतीय पक्ष प्रयोग के लिए एलपीजी परिसंचरण हेतु विशिष्ट पाइपलाइनें हैं। यह दो एलपीजी पाइपलाइन परिसंचरण प्रणालियों का प्रचालन करती है जिसका 2038 कि.मी. लंबा नेटवर्क है और 3.8 एमएमटीपीए एलपीजी के परिवहन की क्षमता है।

- **अन्वेषण और उत्पादन**

आपकी कंपनी 15 अन्वेषण एवं उत्पादन ब्लॉक में भागीदार है (13 भारत में और विदेश में म्यांमार में 2)। जिन ब्लॉकों में हाइड्रोकार्बन खोजें हुई हैं उनमें से 4 ब्लॉकों में उत्पादन प्रारंभ हो गया है जबकि 2 ब्लॉकों में मूल्यांकन गतिविधियां प्रगत्यधीन हैं।

पोर्टफोलियो मिक्स में संतुलन के लिए इस वर्ष कम संभावना वाली अन्वेषण परिसंपत्तियों की समीक्षा की गई है और धीरे–धीरे उत्पादन एवं विकास वाली अधिक परिसंपत्तियों की ओर बढ़ने की योजना है। ईएण्ड पी ब्लॉकों की अवस्थाओं में मिक्स ने पहले ही समग्र रूप से ई एण्ड पी के जोखिम बोध को कम करने में सुधार हुआ है और ई एण्ड पी के स्वयं संधारणीय होने में भी परिणत हुआ है।

- **अक्षय ऊर्जा**

नई प्रौद्योगिकियों, सरकारी प्रोत्साहनों और पर्यावरणीय आदेशों के कारण अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विकास होने से आपकी कंपनी अक्ष्य ऊर्जा, विशेषकर पवन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत रुचि ले रही है। आपकी कंपनी की कुल पवन ऊर्जा क्षमता 123 मेगावाट है जिसमें से 118 मेगावाट पवन और 15 मेगावाट सौर ऊर्जा है। आपकी कंपनी की योजना आने वाले वर्षों में अपने पवन और सौर ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार करने की है।

4. वित्तीय कार्यनिष्पादन

भारतीय प्राकृतिक गैस क्षेत्र को घरेलू गैस की निम्न उपलब्धता के कारण पर्याप्त गिरावट का सामना करना पड़ा। आरआईएल केजीडी 6 गैस की मात्रा जो वर्ष 2010–11 में औसतन 30.50 एमएमएससीएमडी थी, वह वर्ष 2014–15 में कम होकर 8.77 एमएमएससीएमडी रह गई। प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में गिरता जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में 50–55 अमरीकी डालर प्रति बैरल के स्तर की कमी के फलस्वरूप स्पाट एलएनजी मूल्य में 10 अमरीकी डालर प्रति बैरल से कम हो गई है जो कि दीर्घकालीन संविदा किए गए एलएनजी मूल्य से काफी कम है जिसके कारण बहुत से उपभोक्ता रासगैस से एलएनजी की संविदा की गई मात्रा नहीं उठा रहे हैं। कच्चे तेल के मूल्यों में कमी के फलस्वरूप एलएचसी की निम्न मूल्य प्राप्ति हुई है।

पीएनजीआरबी द्वारा पाइपलाइन टैरिफ में कटौती भी आपकी कंपनी की लाभप्रदता पर अतिरिक्त दबाव डाल रही है। पाइपलाइनों और पेट्रोकेमिकल संयंत्रों में बड़े पूंजीगत व्यय होने के कारण पिछले वर्ष के दौरान उधार पर्याप्त रूप से बढ़ा है जिससे मूल्यह्रास और ब्याज व्यय में वृद्धि हुई है।

पाता में पेट्रोकेमिकल संयंत्र घरेलू गैस की आपूर्ति में कमी होने के कारण प्रमुख रूप से आरएलएनजी पर प्रचालित हो रहा है। इसके फलस्वरूप उत्पादन की लागत जो वर्ष 2013–14 में ₹75,000/एमटी थी, बढ़कर वर्ष 2014–15 में औसतन ₹1,05,000/– हो गयी है।

- **बिक्री (ईडी का निवल)**

बिक्री (ईडी का निवल) वर्ष 2013–14 के ₹57,245 करोड़ पर 1% दर की वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹56,569 करोड़ हो गई।

- **कर पश्चात लाभ (पीएटी)**

कर पश्चात लाभ वर्ष 2013–14 में ₹4,375 करोड़ से वर्ष 2014–15 में 31% की कमी से ₹3,039 करोड़ हो गया।

- **प्रति शेयर आय (ईपीएस)**

पीएटी में कमी को देखते हुए ईपीएस जो 31 मार्च, 2014 को ₹34 थी, 31 मार्च, 2015 को कम होकर ₹24 प्रति शेयर रह गई।

- **मूल्य आय (पीई) अनुपात**

31 मार्च, 2015 को मूल्य आय अनुपात 16 था और 31 मार्च, 2014 को यह 11 था, जो आपकी कंपनी की दीर्घकालीन वृद्धि में निवेशकों के सतत् विश्वास को निर्दिष्ट करता है।

- **शेयरधारकों का कोष**

चालू वित्त वर्ष के अंत में आरक्षित एवं अधिशेष बढ़कर ₹27,851 करोड़ हो गए जबकि पिछले वर्ष में यह ₹25,804 करोड़ था। दिनांक 31 मार्च, 2015 को कंपनी का निवल मूल्य ₹28,888 करोड़ था जबकि 31 मार्च 2014 को यह ₹26,858 करोड़ था।

- **ऋण एवं ब्याज**

दिनांक 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ऋण–इक्विटी अनुपात बेहद अच्छी स्थिति में है। वर्ष के अंत में यह ऋण सेवा आच्छादन अनुपात 3 गुना था।

- **अनुपात विश्लेषण**

चालू वित्त वर्ष में कंपनी का निवल मूल्य (पीएटी/निवल मूल्य) पर आय 10.52% थी। 31 मार्च, 2015 को नियोजित पूंजी पर अन्य (पीबी आईटी/नियोजित पूंजी) 11.07% थी।

- **नकद प्रवाह**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
प्रचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह	2,499.32	4,921.57
निवेशगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(1,019.68)	(3231.73)
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(2988.98)	(1396.80)
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि	**(1509.34)**	**293.04**

- **खंडानुसार कार्यनिष्पादन**

कारोबार (ईडी का निवल)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2014-15	2013-14
1	परिसंचरण सेवाएं		
	क) प्राकृतिक गैस	3,049	3,828
	ख) एलपीजी परिसंचरण	440	418
2	गैस कारोबार	42,686	42,623
3	पेट्रोकेमिकल	4,595	4,537
4	एलपीजी एवं अन्य तरल हाइड्रोकार्बन	5,053	5,462
5	गैर आवंटित	746	377
	कुल बिक्री	**56,569**	**57,245**

- **वास्तविक निष्पादन**

विवरण	2014-15	2013-14
प्राकृतिक गैस थ्रूपुट (एमएमएससीएमडी)	92.10	96.22
प्राकृतिक गैस कारोबार (एमएमएससीएमडी)	72.07	79.18
तरल हाइड्रोकार्बन बिक्री (टीएमटी)	1,277	1,307
पॉलीमर बिक्री (टीएमटी)	441	445
परिवहित एलपीजी (टीएमटी)	3,093	3,145

- **समेकित वित्तीय वितरण**

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसरण में आपकी कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों तथा संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए हैं। समेकित वित्तीय परिणामों की विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
आय	60,515	61,644
कर पूर्व लाभ	4,492	6,922
कर पश्चात् लाभ	3,071	4,728

*सहयोगियों से लाभ का हिस्सा जोड़ने के पहल और अल्पसंख्यक हित को समाप्त करने

- **परियोजना लाभ को अधिकतम करना (संचय)**

आपकी कंपनी लाभप्रदता को बनाए रखने के लिए चुनैतियों हेतु गति बढ़ा रही है, जो अगले कुछ वर्षों में बाह्यकारणों जैसे गैस व्यवसाय में घटबढ़, घरेलू गैस की मात्रा में कमी, पेट्रोकेमिकल की कीमतों में कमी के कारण दबाव में रह सकती है। अतः आपकी कंपनी के सभी व्यवसाय खंडों में व्यापक पहल शुरू की गई ताकि मौजूदा संसाधनों को इष्टतम, प्रचालनात्मक और प्रोसेस कुशलताओं में सुधार, लागतों को कम और लाभप्रदता को अधिकतम किया जा सके। परियोजना संचय, जैसा कि इसे कहा जाता है, ने 5 लाभ को अधिकतम करने वाले स्तरों की पहचान की है।

i. गैस प्राप्त करना, बिक्री और विपणन

ii. संयंत्र प्रचालन (पेट्रोकेमिकल और एलपीजी)

iii. पाइपलाइन प्रचालन

iv. पेट्रोकेमिकल और एलएचसी विपणन और बिक्री

v. वित्त, एचआर और सी एंड पी प्रोसेस और लागतों को इष्टतम करना

5. जोखिम, चुनौतियां और प्रशमन

- **न्यून वसूलियों को साझा करना**

भारत सरकार आपकी कंपनी की प्रमुख शेयरधारक है। पेट्रोलियम उत्पादों पर न्यून वसूलियों को समझा करने पर निर्णय को तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के लिए बट्टे पर लिए जाते हैं जो भारत सरकार द्वारा शासित किए जाते हैं।

भारत सरकार के निदेशों के अनुसार संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए खरीदने में समर्थ होने के लिए आपकी कंपनी ने वर्ष 2003–04 से ओएमसी की कुल ₹19,,419 करोड़ की राशि की न्यून वसूली को साझा किया है। अगले वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने ओएमसी की न्यून वसूली को साझा करने के कारण ₹1,000 करोड़ (पिछले वर्ष : ₹1,900 करोड़) का प्रावधान किया है। आपकी कंपनी समय–समय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को ओएमसी द्वारा दावित न्यून वसूलियों को साझा करने के बोझ से छूट देने के लिए अनुरोध करती रही है।

- **विनियामक ढांचा**

केन्द्र सरकार ने 1 अक्तूबर, 2007 से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) की स्थापना की है ताकि पीएनजीआरबी अधिनियम, 2006 के विभिन्न प्रावधानों पर कार्य किया जा सके। पीएनजीआरबी शोधन, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन तथा पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की बिक्री के विनियमन के लिए एक विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है लेकिन कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस का उत्पादन इसमें शामिल नहीं है ताकि उपभोक्ताओं तथा इन कार्यों में लगी हुई कंपनियों के हितों की रक्षा हो सके।

पीएनजीआरबी के मुख्य कार्यों में, अन्यों के साथ–साथ, ये शामिल हैं : (क) साधारण वाहक का संविदा वाहक के रूप में बनाना, नई पाइपलाइनों का प्रचालन या विस्तार और नए गैस वितरण नेटवर्क (सीजीडी नेटवर्क) के प्रचालन या विस्तार करने के लिए स्थापित करने हेतु अनुमोदन प्रदान करना, (ख) मौजूदा पाइपलाइनों और सीजीडी नेटवर्क को साधारण वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषित करना, (ग) साधारण वाहकों या संविदा वाहकों की पहुंच को विनियमित करना, (घ) साधारण वाहकों या संविदा वाहकों की परिवहन दरों को विनियमित करना और (ड.) ऐसे अन्य कार्य करना जो निष्पादन के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों को निष्पादित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सौंपे जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान पीएनजीआरबी ने प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के संबंध में विनियम/संशोधन अधिसूचित किए हैं। सीजीडी नेटवर्क के संबंध में विनियम/संशोधन और प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों, पेट्रोलियम उत्पाद लाइनों और सीजीडी नेटवर्क के संबंध में विभिन्न अनुमोदन/आदेश/निर्णय भी जारी किए हैं। उक्त विनियमों/संशोधनों/अनुमोदनों/आदेशों/निर्णय पीएनजीआरबी की आधिकारिक वेब–साइट (www.pngrb.gov.in) पर उपलब्ध है और संबंधित कंपनियों/व्यवसाय गतिविधियां पर इनका घटता–बढ़ता निहितार्थ है।

पीएनजीआरबी के विनियम/संशोधन/अनुमोदन/आदेश/निर्णय पीएनजीआरबी बैंच/अपीलीय अधिकरण/न्यायालयों के समक्ष अपील योग्य है और तदनुसार, आपकी कंपनी से संबंधित उनमें से कुछ अपील के विभिन्न चरणों में भी है।

विनियामक द्वारा किए गए विनियमों में किन्हीं अंतिम परिवर्तन का समय और विषय–वस्तु आपकी कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। तथापि, विनियामक बोर्ड द्वारा आयोजित की गई सार्वजनिक परामर्श कवायदों में नियमित सहभागिता और विनियामक को लिखित में किए गए निवेदन विनियमों में किन्हीं अचानक या अप्रत्याशित परिवर्तनों से संबद्ध हमारे जोखिमों का अनुमान लगाने या न्यूनतम करने में सहायता करता है।

- **प्राकृतिक गैस के मूल्य**

  आपकी कंपनी वर्तमान में घरेलू के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से खरीदी गई प्राकृतिक गैस का विपणन कर रही है।

  अक्टूबर, 2014 तक घरेलू प्राकृतिक गैस का मूल्य या तो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित था या उत्पादन साझा करने के संविदाओं (पीएससी) के प्रावधानों के अनुसार था। भारत सरकार ने अपने दिनांक 25 अक्टूबर, 2014 के आदेश द्वारा नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं। अधिसूचना के अनुसार, 1 नवम्बर 2014 से गैस के मूल्य विशेष फार्मूले के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे जो अनिवार्य रूप से विश्वव्यापी प्रमुख केन्द्रों में व्यापारित प्राकृतिक गैस के बारह महीनों का औसत मूल्य है। मूल्य छः महीने के लिए वैध होंगे। नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों, 2014 के तहत पहला अधिसूचित मूल्य 1 नवम्बर, 2014 से प्रभावी था बाद के संशोधन 1 अप्रैल, 2015 में शुरू होने वाले प्रत्येक छः महीनों में होंगे। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण कक्ष (पीपीएसी) को फार्मूले में यथा विनिर्दिष्ट मूल्य की परिकलित और प्रकाशित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

  नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश, 2014 अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, ओएनजीसी और ऑयल, एनईएलपी ब्लॉकों, एनईएलपी पूर्व ब्लॉकों, जिनको पीएससी और सीबीएम ब्लॉकों के अनुसार सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होता है, के नामित क्षेत्रों को एकसमान रूप से प्रयोज्य हैं, जबकि ये नामांकन ब्लॉकों, जो वर्ष 2013 के मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के तहत कवर होते हैं, में छोटे और अलग क्षेत्रों, ऐसे संविदा जिनमें मूल्य कतिपय अवधि के लिए संविदात्मक रूप से निश्चित किए गए हैं, ऐसी अवधि के अंत तक, जिनमें पीएसी विशेष फार्मूले के लिए और एनईएलपी ब्लॉक जिन्हें पीएससी के अनुसार सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होता के मामले में लागू नहीं होंगे।

  ऐसी घरेलू गैस का बिक्री मूल्य खरीद मूल्य के बराबर है। आपकी कंपनी घरेलू प्राकृतिक गैस की बिक्री पर विपणन मार्जिन अर्जित करती है।

  उपर्युक्त के अलावा कंपनी दहेज, गुजरात में पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) से आयातित प्राकृतिक गैस खरीदती है। ऐसी प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्य पर आधारित होता है। इसके अलावा कंपनी क्रायोजेनिक पोतों के माध्यम से प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का सीधे ही आयात भी करती है और इसे दहेज, गुजरात स्थित पीएलएल को पुनर्गैसीकरण टर्मिनल या दाभोल, महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी गैस एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) के पुनर्गैसीकरण टर्मिनलों में पुनर्गैसीकृत करती है। ऐसा एलएनजी आयात तीन वर्ष तक के मध्यावधि करार के अंतर्गत या स्पॉट कार्गो क्रय के अंतर्गत आयातित होता है। मध्यावधि के आयात के अंतर्गत विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पर आधारित होता है। तथापि स्पॉट कार्गो आयात के अंतर्गत विक्रय मूल्य देश में मांग एवं आपूर्ति परिदृश्य तथा ग्राहक के वहनीय मूल्य पर आधारित होता है। स्पॉट कार्गो का आयात ग्राहक की वहनीयता, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ–साथ घरेलू बाजार में गैस की उपलब्धता एवं ग्राहक की प्राकृतिक गैस की मांग पर आधारित होता है।

- **पॉलीमर, एलपीजी एवं अन्य तरल हाइड्रोकार्बन (एलएचसी)**

  आपकी कंपनी विभिन्न स्रोतों से गेल द्वारा खरीदी गई प्राकृतिक गैस से उत्पादित पेट्रोकेमिकल, एलपीजी एवं अन्य एलएचसी जैसे अपने उत्पादों का विपणन भी करती है। इन उत्पादों का मूल्य वैश्विक एवं राष्ट्रीय मांग एवं आपूर्ति परिस्थिति से प्रभावित होता है और समय–समय पर बदलता रहता है।

- **विदेशी मुद्रा में विचलन का जोखिम**

  आपकी कंपनी अनेक नई परियोजनाओं के लिए पूंजीगत माल के आयात, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए आयात, पूंजीगत व्यय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और विदेश में निवेश के लिए ऋण के रूप में विदेशी बाजारों से जुड़ी है। इससे आपकी कंपनी को विदेशी मुद्रा अंतर तथा ब्याज दर जोखिम का अधिक सामना करना पड़ा है।

  विदेशी मुद्रा संबंधी मुद्दे के समाधान हेतु आपकी कंपनी के पास बदलते बाजार परिदृष्य के अनुरूप अनुमोदित विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति है। इस नीति की निरंतर आधार पर पुनरीक्षा की जाती है।

- **प्राकृतिक या मानव सृजित आपदा जोखिम**

  गैस परिसंचरण एवं वितरण के साथ कई जोखिम जैसे कि पाइपलाइनों का फटना, भूकंप, सूनामी, आतंकवादी गतिविधियां आदि जुड़े रहते हैं।

  इन जोखिमों को परियोजनाओं के डिजाइन स्तर पर ही कम किया जा रहा है। तथापि ऐसे प्राकृतिक या मानव सृजित जोखिम अचानक होने वाली घटनाएं हैं और इन्हें पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसी कोई घटना होती है तब कंपनी को भारी दायित्व उठाने पड़ सकते हैं।

- **जोखिम प्रबंधन ढांचा**

  आपकी कंपनी ने एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क (नीति एवं प्रक्रियाएं) स्थापित की है ताकि निम्नवर्णित उद्देश्य हेतु संगठन एवं इसके स्टेकधारकों की सुरक्षा एवं मूल्यवर्धन किया जा सके :

  - संगठन के लिए जोखिम–सजग ढांचे की स्थापना;
  - कारोबार की एकल प्रणाली के बजाए उसके अभिन्न भाग के रूप में समग्र संगठन में पूरी तरह स्वामित्व स्थापित करना और सन्निहित जोखिम प्रबंधन करना;
  - संगठन के निर्णयकर्ताओं को स्पष्ट रूप से अस्थिरता की जिम्मेदारी उठाने, उसकी किस्म और उसके समाधान की दिशा में काम करने में मदद करना;
  - सुनिश्चित करना कि संगठन के सभी विद्यमान एवं भावी जोखिम प्रतिक्रियाओं को पहचाना जाए, उन्हें गुणवत्तापूर्वक एवं मात्रात्मक रूप से आंका जाए, विश्लेषण किया जाए एवं समुचित रूप से प्रबंधन किया जाए;
  - संबंधित विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं और अंतर्राष्ट्रीय मानंदडों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए; और
  - संगठन की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं प्राप्ति योग्य प्रदर्शनीय उद्देश्यों का आश्वासन।

  विभिन्न स्तरों पर जोखिमों का मूल्यांकन, मात्रा का हिसाब लगाना और प्राथमिकता तय की जाती है और जोखिम घटाने की योजनाओं की समीक्षा एवं निगरानी की जाती है। निगमित स्तरीय जोखिम मार्गदर्शक समिति गठित की गई है ताकि जोखिम प्रबंधन नीति एवं प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन पर नजर रखी जा सके। कार्यात्मक निदेशकों, लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल द्वारा आवधिक रूप से समीक्षा एवं निगरानी की जाती है।

  निगमित स्तरीय मुख्य जोखिमों की पहचान कर ली गई है तथा समय–समय पर इन जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए प्रभाव घटाने वाली योजनाओं को समय–समय पर श्रेणीकरण/श्रेणी को बढ़ाया/पुनः श्रेणीकरण किया जाता है। मुख्य जोखिम प्राकृतिक गैस (एनजी) के स्रोत, संभार एवं पोर्ट सुविधाओं तथा प्राकृतिक गैस की मांग संवेदनशीलता और बाजार वहनीयता, पॉलीमर की विपणन क्षमता, विनियामक ढांचा, अन्वेषण और उत्पाद में सीमित क्षमता, विदेशी मुद्रा, परियोजना निष्पादन में अप्रत्याशित घटना आदि से संबंधित है और विभिन्न समितियों में इन पर चर्चा की जाती है।

6. निवेशक संबंध एवं विनियोजन

कंपनी की निवेशक संबंध गतिविधियों का उद्देश्य न केवल शेयरधारकों, अपितु निवेशकों और विश्लेषकों सहित अन्य सभी स्टेकधारकों को सूचना के निष्पक्ष प्रकटन द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके उनके साथ विश्वास के आधार पर दीर्घावधि संबंध बनाना और साथ ही द्विपक्षीय संवाद द्वारा उनका विश्वास और सम्मान हासिल करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करते हुए आपकी

कंपनी निरंतर आवश्यक सूचनाओं का प्रकटन करती है और अनेक निवेशक–संबंध गतिविधियों का आयोजन करती रहती है। निवेशक–प्रस्तुतीकरण कंपनी के वेबसाइट पर डाले गए हैं और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाता है।

कैलेण्डर वर्ष 2014 की एक मुख्य विशेषता विश्लेषक और निवेशक समुदाय में प्रतिक्रिया दिखाने वालों के साथ कंपनी द्वारा किया गया निवेशक संबंध सर्वेक्षण है। इस पहल को विश्लेषक समुदाय द्वारा निवेशक संबंध प्रबंधन के लिए बहुत सक्रिय दृष्टिकोण के रूप में सराहा और प्रशंसा की गई है।

वर्ष 2014 में निवेशकों के साथ प्रभावी संवाद के उद्देश्य को आगे बढ़ाने हेतु आपकी कंपनी ने वर्ष 2013–14 के लिए विश्लेषक बैठक और वर्ष 2014–15 की पहली छमाही और वर्ष 2014–15 तीसरी तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा के तत्काल पश्चात सम्मेलन आयोजित किया। ऐसे बैठकें आयोजित करने और निवेशकों के साथ नियमित बैठकों का प्रबंधन करने के अलावा, आपकी कंपनी ने देश की प्रतिष्ठित ब्रोकरेज कंपनियों द्वारा आयोजित 4 घरेलू निवेशक सम्मलनों और हांगकांग और सिंगापुर में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भी भाग लिया। इन सभी बैठकें और सम्मेलनों में स्थल कार्यालयों से कार्यपालकों के अलावा वित्त, विपणन, व्यवसाय विकास और परियोजनाओं से उच्च प्रबंधन/वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा भाग लिया गया था।

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 की अपेक्षाओं के अनुसार आपकी कंपनी ने निम्न को अनुमोदित किया है :

- इनसाडर द्वारा विनियमित, मानीटर और ट्रेडिंग को रिपोर्ट करने के लिए आचरण संहिता (इनसाइडर ट्रेडिंग कोड) और
- अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के निष्पक्ष प्रकटन के लिए निष्पक्ष प्रकटन का कोड और आचरण–प्रथा और प्रक्रियाएं (निष्पक्ष प्रकटन के सिद्धान्त)।

ये कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

आपकी कंपनी ठीक समय और ठीक लोगों से निवेशकों और विश्लेषकों के लिए सूचना के प्रसार में विश्व श्रेणी की निवेशक संबंध सेवाएं प्रदान करने के लिए अपना प्रयास जारी रखेगी। उपर्युक्त को देखते हुए कारपोरेट वेबसाइट के निवेशक जोन की समीक्षा की गई है और इसे अधिक सूचना देने वाला और निवेशक के अनुकूल बनाया गया है। आपकी कंपनी विश्वास करती है कि इसे पूंजी बाजार के प्रतिभागियों (जिसमें शेयरधारक, निवेशक और प्रतिभूति विश्लेषक शामिल हैं) को सही सूचना देनी चाहिए जो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करती है।

7. मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी विभिन्न आयामों, जैसे लिंग, धर्म, जाति और समुदाय की विविधता पर ध्यान देती है। यह संगठन में रोजगार और कैरियर के अवसरों के संदर्भ में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करती है। परिणामस्वरूप कर्मचारियों का स्वरूप मिश्रित है जिसमें देश के लगभग सभी धर्मों के और समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हैं।

कंपनी के औद्योगिक कर्मचारी संबंध वातावरण सौहार्दपूर्ण एवं रचनात्मक बने रहे। किसी प्रकार के औद्योगिक विवाद के कारण मानव दिवस एवं मानव घंटों का नुकसान नहीं हुआ।

परिवर्तनशील कारोबारी अपेक्षाओं को पूरा करने के प्रयास के रूप में और स्थायी प्रतियोगी बढ़त बनाए रखने के लिए आपकी कंपनी मानव संसाधन नीतियों की लगातार समीक्षा करती है ताकि निगमित मानव संसाधन नीतियों को संगठन की नीतियों के अनुरूप रखा जा सके।

आपकी कंपनी द्वारा सर्वोत्तम मानव पूंजी को आकर्षित करने और उसे हासिल करने के लिए सघन प्रयास किए जाते हैं और मानव संसाधन का कुशलता से नियोजन किया जाता है ताकि वे प्रोत्साहित और व्यस्त रहे। टैलेंट पूल के चिन्हित कौशल अंतराल को भरने पर निरंतर बल दिया जा रहा है। मानव संसाधन प्रक्रियाओं और नीतियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि प्रचलित सर्वोत्तम प्रक्रिया और नीतियों की तुलना में उन्हें बेंचमार्क किया जा सके। वर्ष के दौरान कर्मचारी मुआवजा, कल्याण, भर्ती और सेवा की सामान्य शर्तों और नियमों, आचरण, अनुशासन और अपील नियमों और व्हिसल ब्लोअर नीति के संबंध में मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा की गई। इसके अलावा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को भी क्रियान्वित किया गया था।

8. पर्यावरण संरक्षा और संरक्षण/अक्षय ऊर्जा विकास/विदेशी मुद्रा संरक्षण

आपकी कंपनी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और सदैव समुदायों, जिनमें यह प्रचालित करती है, के लगातार विकास हेतु प्रयास करती है। हमारे प्रचालनों में सुरक्षा के उच्चतम स्तर, कर्मचारियों के स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण को सवंर्धित करने के लिए आपकी कंपनी के ''कोर संगठन मूल्यों'' में अंतःस्थापित हैं स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण। आपकी कंपनी के पास विस्तृत और व्यापक पर्यावरण प्रबंध प्रणाली है।

आपकी कंपनी ने पर्यावरण संरक्षा और इसके संरक्षण के लिए व्यवसायों में विभिन्न उपाय अपनाए हैं। इसके प्रारंभ से आपकी कंपनी इसके विजन और मिशन वक्तव्य में पक्की संधारणीयता के निचोड़ के साथ देखभाल करने वाला जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक होने के उद्देश्य से मार्गदर्शित है। आपकी कंपनी का व्यवसाय दर्शन जिम्मेदारी को बढ़ावा देने जो संधारणीय और अर्थव्यवस्था, हितधारकों, समुदाय और पर्यावरण के लिए समावेशी हो। आपकी कंपनी ने इसके ग्राहकों के लिए बढ़ती ऊर्जा मांग को संतुलित करने, हितधारकों के लिए मूल्य सृजन करके और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करके प्रतिबद्ध कारपोरेट नागरिक होकर तिगुनी आधार रेखा के अनुरूप होने का प्रयास किया है।

आपकी कंपनी के पास बहुत सी अन्तरराज्यीय के साथ भारत में क्षेत्रीय प्राकृतिक पाइपलाइन का 11,000 कि.मी का नेटवर्क है। इस नेटवर्क के माध्यम से यह विद्युत, उर्वरक, चीनी, और स्टील क्षेत्रों में बहुत से उद्योगों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करती है जो उनको पर्यावरण संरक्षण के निमित्त सहायता करता है। खरीदने में समर्थ होने और स्वच्छ ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति संधारणीय विकास के लिए पूर्वापेक्षा है। इस संबंध में प्राकृतिक गैस अत्यधिक अनुकूल ईंधन के रूप में उभरा है। प्राकृतिक गैस नए युग का ईंधन है। हाइड्रोजन के प्रति निम्नतम कार्बन होने से यह पूर्ण रूप से जलती है जो इसे जीवाष्म ईंधनों में स्वच्छतम बनाता है।

प्राकृतिक गैस आधुनिक दिन की औद्योगिक सोसायटी में ईंधनों से अधिकांश अपेक्षाओं को पूरा करता है, कुशल, गैर–प्रदूषणकारी और अपेक्षाकृत किफायती होने के कारण प्राकृतिक गैस का प्रयोग विद्युत उपयोगिताओं, उर्वरक उद्योग, औद्योगिक क्षेत्रों, घरेलू और वाणिज्यिक उपयोगों, आटोमोटिव उद्योग और पेट्रोकेमिकल उद्योग में गैर–प्रदूषणकारी और फीड स्टाक के रूप में किया जाता है। गैस का पाइपलाइन से परिवहन सुरक्षित, किफायती और पर्यावरणीय रूप से ऊर्जा परिवहन की अधिकांश अन्य विधियों की तुलना में सुदृढ़ विकल्प प्रस्तुत करता है। पाइलाइनों के माध्यम से संचारित एलपीजी लाखों घरों के लिए स्वच्छ ईंधन का स्रोत है। पाइपलाइनों ने सड़कों पर टैंकर यातायात को काफी हद तक कम करके पर्यावरण के निमित्त सहायता की है जो बेहतर पर्यावरण और उच्च सुरक्षा का संवर्धन कर रहा है।

- **जल और अपशिष्ट पानी का प्रबंधन**

  आपकी कंपनी के प्रचालनों में जटिल रासायनिक क्रियाएं शामिल नहीं है जो कि अपशिष्ट पानी के उपचार को कठिन बना दें। प्राकृतिक गैस से भारी हाइड्रोकार्बन को कूलिंग और संघनन तकनीक को प्राप्त किया जाता है। एलपीजी और प्रोपेन के निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्री स्वच्छ और इको अनुकूल प्राकृतिक गैस है जो पाइपलाइन के माध्यम से प्राप्त की जाती है। वसूली के पश्चात् इसे डाउनस्ट्रीम ग्राहकों को पाइपलाइन से परिवहन किया जाता है। अधिकांश संस्थापनाओं में केवल प्रोसेस बहिःस्राव फर्श धुलाई है, कूलिंग पानी सीवेज को बहा देता है।

  गैस प्रोसेसिंग संयंत्रों में प्रोसेस में उत्पादित बहिःस्राव पानी के आवश्यक उपचार के लिए बहिःस्राव का उपचार संयंत्र है। किसी बहिःस्राव पानी को परिसर से बाहर नहीं छोड़ा जाता है। उपचारित बहिःस्राव जल को पुनःचक्रित किया जाता है और संयंत्र और नगर परिसरों के अंदर बागवानी प्रयोजनों के लिए आंतरिक रूप से प्रयोग किया जाता है। उपचारित अपशिष्ट जल उच्चतम गुणवत्ता का होता है और यह इस मूल्यवान संसाधन के संरक्षण को सुनिश्चित करता है।

ओडिशा में तालचर में एकीकृत कोयला गैसीकरण–सह–उर्वरक और अमोनियम नाइट्रेड काम्प्लेक्स की स्थापना के लिए संयुक्त उद्यम करारों (जेवीए) का हस्ताक्षर करना

पानी मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है, अतः इसके उपभोग को सावधानीपूर्वक मानीटर और नियंत्रित किया जाता है। अपशिष्ट पानी के पैदा होने को कम करने और जो भी उत्पादित होता है का उपचार करने के लिए प्रौद्योगिकियां अपनाई गई हैं। इस प्रकार अधिकतम पुनःप्रयोग और पुनःचक्रण के लिए विशेष देखभाल की जाती है। सभी स्थानों में निर्मुक्ति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदण्डों के अनुवर्ती है।

- **वायु गुणवत्ता प्रबंध**

  संधारणीय विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप आपकी कंपनी ने परियोजना जैसे कि प्रौद्योगिकी चयन, प्रोसेस डिजाइन और परियोजना निष्पादन के विभिन्न चरणों के दौरान पर्यावरणीय मान्यताओं को उच्चतम प्राथमिकता दी है।

  आपकी कंपनी के सभी संयंत्र नामतः गैस प्रोसेसिंग यूनिट, गैस क्रैकिंग यूनिट, उच्च घनत्व वाला पालीथीलीन यूनिट और निम्न लिनिअर घनत्व का पालीथीन यूनिट (एचडीपीई और एलएलडीपीई) विश्व के प्रसिद्ध प्रोसेस लाइसेंसरों से अत्याधुनिक हैं।

  आपकी कंपनी उपलब्ध एक स्वच्छतम ईंधन का प्रयोग करती है, जो इसकी कच्ची सामग्री के साथ–साथ फीड स्टाक है नामतः सल्फर मुक्त प्राकृतिक गैस। चूंकि आपकी कंपनी इसकी फीडस्टाक के साथ–साथ ईंधन अपेक्षाओं के लिए प्राकृतिक गैस का प्रयोग करती है, इसलिए प्रदूषकों के स्तर को लगातार राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मानदण्डों से काफी नीचे रखा जाता है।

  सभी बायलर और भट्ठी स्टैक की सतत आधार पर स्टैक वायु गुणवत्ता की मानीटरिंग के लिए आनलाइन विश्लेषकों से भी सज्जित हैं। प्रदूषकों के प्रभावी विसर्जन के लिए पर्याप्त स्टैक ऊंचाई प्रदान की गई है। सभी भट्ठियों में निम्न नोक्स बर्नरों का प्रयोग किया जाता है। लोडिंग सुविधाओं के लिए वाष्प रिटर्न सर्किट प्रदान किए गए हैं। किसी गैस के रिसाव का तेजी से पता लगाने को सुनिश्चित करने के लिए गैस का पता लगाने वाले संस्थापित किए गए हैं।

- **ठोस अपशिष्ट का प्रबंध**

  आपकी कंपनी सर्वोत्तम संभव ढंग से अपने अपशिष्ट का प्रबंध करती है। इसकी पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि अपशिष्ट का न्यूनतम उत्पादन हो। यदि किसी अपशिष्ट का उत्पादन अपरिहार्य है तो यह पर्यावरण को हानि से बचाने पर ध्यान केन्द्रित करती है और स्थल पर संभव उपचार और अपशिष्ट की किस्म के आधार पर निपटान करती है। आपकी कंपनी गैर–जोखिमी अपशिष्टों से जोखिमी अपशिष्टों को अलग करने पर ध्यान केन्द्रित करती है। आपकी कंपनी के प्रोसेस संयंत्रों में जोखिमी अपशिष्ट को सर्वोत्तम उपलब्ध प्रथाओं के अनुसार भंडारित और निपटाया जाता है। एकत्रित ठोस अपशिष्टों को ऐसे ढंग से एकत्रित, भंडारित और संभाला जाता है जिसका भूमिगत जल और पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं हैं।

- **हरित पट्टी**

  आपकी कंपनी की सभी संस्थापनाएं अपने संबंधित स्थलों पर व्यापक वनरोपण करती है और कम से कम एक तिहाई क्षेत्र को हरित पट्टी के रूप में बनाए रखती है।

  आपकी कंपनी की एकल सबसे बड़ी भूमिधारिता, पाता में पेट्रोकेमिकल यूनिट है, पर 5 लाख से अधिक पौधों वाली बहुत उल्लेखनीय हरित पट्टी हे। कई किस्म की तितलियों, मोर, कछुओं, बत्तखों, खरगोश, रेंगने वाले जंतुओं और अन्य विरली प्रजातियों ने इस स्थल को अपना प्राकृतिक निवास बना लिया है। इस स्थल पर आने वाले प्रवासी पक्षी पर्यावरण मंत्रालय के निमित्त इस संस्थापना द्वारा किए गए विनम्र योगदान की ओर संकेत करते हैं।

- **पर्यावरण मानीटरिंग**

  आपकी कंपनी आंतरिक माध्यम के साथ–साथ तृतीय पक्ष की एजेंसियों द्वारा नियमित आधार पर पर्यावरणीय गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए पर्यवरणीय पैरामीटरों को मानीटर करती है। पर्यावरण की गुणवत्ता को मानीटर करने के लिए सभी नवीनतम और परिष्कृत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण गुणवत्ता की मानीटरिंग नियमित रूप से की जाती है और रिपोर्टिंग संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भेजी जाती है। जल और अपशिष्ट जल के नमूनों का

नियमित रूप से आंतरिक प्रयोगशाला के साथ–साथ बाह्य प्रयोगशालाओं में भी विश्लेषण किया जाता है।

कुछ पर्यावरणीय पहलें जिन्हें आपकी कंपनी ने हाल ही में शुरू किया है निम्नानुसार हैं :

- **एचएसई संकेत :** आपकी कंपनी ने अपना एचएसई संकेत तैयार किया है जिसे 14 जनवरी, 2015 को शुरू किया गया। आपकी कंपनी का एचएसई संकेत हैं : ''एक वृक्ष का रोपण, एक सुरक्षा प्रशिक्षण करना और प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रत्येक वर्ष अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर परिमाण सूचकांक (बीएमआई) का मापन।'' इसे एचएसई के प्रत्येक कारक अर्थात स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के संबंध में चुना गया है।
- **स्वास्थ्य :** मानीटर और स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रत्येक कर्मचारी के शरीर परिमाण सूचकांक (बीएमआई) का मापन।
- **सुरक्षा :** सुरक्षा बोध में सुधार के लिए संकेन्द्रित सुरक्षा प्रशिक्षण देना और सुरक्षित कार्य परिवेश के सृजन के लिए कौशल निर्माण को बढ़ाना।
- **पर्यावरण :** हरे–भरे पर्यावरण के प्रति प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रत्येक वर्ष एक वृक्ष लगाकर योगदान देना।
- आपकी कंपनी ने संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (यूएस–ईपीए) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने के माध्यम से विजयपुर, झाबुआ और हजीरा में वैश्विक मीथेन पहल (जीएमआई) शुरू की है। आपकी कंपनी प्राकृतिक गैस स्टार कार्यक्रम में साझीदार बन गई है ताकि निकलने वाले और मीथेन उत्सर्जनों के संबंध में अध्ययन किया जा सके। यूएस ईपीए द्वारा अध्ययन विजयपुर, हजीरा और झाबुआ सुविधाओं में शुरू किया गया है। आपकी कंपनी विजयपुर सुविधा में मीथेन उत्सर्जन को वर्ष 2010–11 इसकी आधार रेखा पर 2.89 एमएमएससीएम (घन मिलियन)/वर्ष तक कम करने में समर्थ हुई है जो CO_2e के 41.225 टन तक कम करने के बराबर है। कम्प्रेसर वेट सील डीगैसिंग वेन्ट के कारण आवर्ती निकलने वाले उत्सर्जनों का सील गैस रिकवरी परियोजना द्वारा समाधान किया जाएगा जो निकलने वाले गैस उत्सर्जन को पुनःप्राप्त करेगा और कम्प्रेसर के सक्शन को वापिस इसे चक्रित करेगा जिससे इसकी वातावरण में निर्मुक्ति समाप्त होगी।
- आपकी कंपनी ने गेल गांव नगर में पानी एवं मल उपचार संयंत्र (एसटीपी) पर आधारित मेंबरेन बायो रिएक्टर की स्थापना की है। एमबीआर से उपचारित पानी बागवानी कार्यों जैसे लॉन आदि सिंचाई के लिए उपयुक्त है। कुशल पानी एवं मल उपचार प्रोसेस गंध रहित और स्वच्छ पर्यावरण को सुनिश्चित करता है। उपचारित पानी की सुधरी हुई गुणवत्ता स्वास्थ्य के स्तर को भी बढ़ाती है। एमबीआर आधारित एसटीपी होने का लाभ यह है कि संपूर्ण बहिःस्राव प्रयोग हो जाता है और पानी एवं मल जल शून्य व्यर्थ जाता है। लॉन और हरित पट्टियों की सिंचाई जो पहले बोर कुओं से की जाती थी अब रोकी जा रही है। जिससे मूल्यवान भूमिगत जल की बचत हो रही है और जल पदचिन्ह में सुधार हो रहा है।
- आपकी कंपनी ने वर्षा के पानी को संचित करने के उपायों को कार्यान्वित करके जल संरक्षण प्रारंभ किया है। गेल विजयपुर में जल संरक्षण में सहायता देने के लिए संरचनाओं (नियंत्रण बांध) और लैगून का निर्माण किया गया है और काम्पलेक्सों और नगर में वर्षा के पानी को संचित करने के गड्डे बनाकर भूमिगत जल टेबल को बढ़ाया गया है।
- आपकी कंपनी वेस्ट हीट रिकवरी स्टीम जनरेशन सिस्टम के माध्यम से वाघोडिया में गैस टरबाइन कम्प्रेसर (जीटसी) के निर्गम से अपशिष्ट उष्मा को पुनः प्राप्त करती है। इस परियोजना को मै. अपोलो टायर को भाप की आपूर्ति के लिए क्रियान्वित किया गया था। हीट रिकवरी स्टीम जनरेशन सिस्टम गैस टरबाइनों से गैसों के निर्गम से फ्लू गैस ऊर्जा का उपयोग करता है जो अपने संबंधित कम्प्रेसरों को माप पैदा करने के लिए खुले चक्र में चलाती है। इस फ्लू गैस के 450° सेंटीग्रेड के चालू तापमान को खुले वातावरण में जाने पर लगभग 240° सेंटीग्रेड तक कम करता है, इस प्रकार तापीय प्रदूषण को कम करने के साथ–साथ भाप पैदा करने के लिए अपेक्षित ऊर्जा को बचाता है।
- आपकी कंपनी ने वाघोडिया में पहले के हाथ से नियंत्रण वाले अकुशल बर्नरों को प्रतिस्थापित करने के लिए गर्म तेल हीटरों में सुधरी हुई आटोमेटिड बर्नर प्रणाली संस्थापित की है। गर्म तेल प्रणाली का प्रयोग एलपीजी की पुनः प्राप्ति के लिए फ्रैक्शन प्रोसेस के दौरान आसवन कालमों में एलएचसी को दोबारा उबालने के लिए किया जाता है। इन पुनः ब्यालरों, में आपूर्ति किए जाने वाले गर्म तेल को गर्म तेल हीटर में गर्म किया जाता है। गर्म तेल के हीटरों में पारम्परिक किस्म के गैस से जलने वाले हीटर थे जिनमें पायलट प्रचालित चार प्राकृतिक ड्राफ्ट बर्नर हैं। नई प्रणाली ने वर्तमान भट्टी को प्राकृतिक ड्राफ्ट से बलित ड्राफ्ट में बदल दिया है जिसमें वायु से ईंधन के अनुपात को बनाए रखने के लिए उचित नियंत्रण हैं, इस प्रकार अधिक वायु के साथ–साथ उचित उष्मा की बरबादी को समाप्त किया है। गर्म तेल के हीटरों में इस रिट्रोफीटिंग ने दहन कुशलता में सुधार किया है। इससे गैस की खपत कम हुई है। इसके अलावा, यह प्रचालनात्मक सुरक्षा बढ़ाता है। ईंधन गैस की खपत में 12 प्रतिशत की कटौती जो ऊर्जा की बचत के 2,957 एमडब्ल्यूएच प्रति वर्ष के तदनुरूप है।

9. कारपोरेट सामाजिक दायित्व

आपकी कंपनी के विजन के अनुसार अपने प्रचालन क्षेत्रों में समाज और समुदाय के लिए सतत विकास का संवर्धन करने के लिए अपनी सेवाओं, आचरण और प्रयासों के माध्यम से समाज और समुदाय में मूल्य सृजन बढ़ाने के लिए सीएसआर पहलें प्रयास करती हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का भाग बनती है।

10. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां एवं उनकी पर्याप्तता

आपकी कंपनी ने अपने कारोबार के आकार तथा स्वरूप के अनुरूप अपनी विभिन्न व्यापारिक प्रक्रियाओं में आंतरिक प्रणाली को और सुदृढ़ किया है ताकि वह अपने उद्देश्य को पूरा कर सके।

आपकी कंपनी में एक स्वतंत्र आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जो कार्यात्मक रूप से लेखापरीक्षा समिति बोर्ड (बोर्ड की उप–समिति) को रिपोर्ट करता है और जिसे सर्वोत्तम वैश्विक प्रथा के रूप में माना जाता है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा समिति द्वारा स्वीकृत वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के अनुसार जोखिम आधारित लेखापरीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक लेखा विभाग आईएसओ 9001 प्रमाणित है जो प्रणालियों और पद्धतियों का मानकीकरण सुनिश्चित करता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग में विभिन्न विषयों के व्यावसायिक रूप से योग्य कार्यपालक कार्यरत हैं जो आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता, जोखिम प्रबंधन फ्रोमवर्क आदि की समीक्षा करने के अलावा बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर मैनुअल जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा के व्यवसाय की सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाएं शामिल हैं, के अधीन कंपनी की वित्तीय, व्यावसायिक, तकनीकी तथा अन्य व्यापारिक कार्यकलापों की लेखा परीक्षा करते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के पास समय–समय पर उल्लेखनीय आंतरिक लेखापरीक्षा मुद्दों के अनुपालन की स्थिति पर उच्च प्रबंधन और लेखापरीक्षा समिति को अवगत कराने की प्रणाली है।

कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्त नियंत्रण हैं।

चेतावनी स्वरूप विवरण

निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा विश्लेषण में दिए गए विवरणों को, जो कंपनी के उद्देश्यों प्राक्कलनों और अनुमानों, अपेक्षाओं, पूर्वानुमानों आदि को वर्णित करते हैं, लागू विधि एवं विनियमों के अर्थ में 'प्रगति सूचक विवरण' माना जा सकता है। इसमें अन्तर्विष्ट 'प्रगति सूचक विवरण' कुछ जोखिमों एवं अनिश्चितताओं के अधीन हैं जिनके कारण प्रगति सूचक विवरण में प्रदर्शित वास्तविक परिणामों में तात्विक रूप से अंतर हो सकता है। वास्तविक परिणाम, कार्यनिष्पादन या उपलब्धियां, आर्थिक स्थितियों, सरकार की नीतियों और अन्य प्रासंगिक तथ्यों जैसे मुकदमेबाजी तथा औद्योगिक संबंध के आधार पर व्यक्त, या अभिप्रेत कथन से भिन्न हो सकते हैं। हितधारकों को चेतावनी दी जाती है कि वे प्रगति सूचक विवरण को अनावश्यक रूप से महत्व न दें।

अनुलग्नक–ख

निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट

1. अभिशासन के कोड पर कंपनी का दर्शन

कारपोरेट अभिशासन एक नीतिपरक रूप से चालित व्यवसाय प्रोसेस है जो मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है और आचरण का लक्ष्य संगठन की संस्कृति में सुधार करना है। कारपोरेशन शासन के मूलभूत सिद्धान्तों जैसे कि जवाबदेही, जिम्मेदारी और उचित प्रकटन कंपनी के भीतर सर्वोत्तम कारपोरेट प्रथाओं को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण साधनों के रूप में कार्य करते हैं।

आपकी कंपनी व्यवसाय में इन पहलुओं को ग्रहण करने के प्रति लगातार प्रयास करती है जिससे दीर्घकालीन संधारणीय मूल्य को पैदा करती है। कंपनी का कारपोरेट अभिशासन का दर्शन कोर मूल्यों, व्यावहारिक नीति आचरण को परिरक्षित करने पर आधारित है और सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने के प्रति प्रतिबद्ध है। यह आपकी कंपनी की संस्कृति, नीतियों मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता और हिस्सेदारों के साथ इसके संबंध में प्रकट होता है।

जोखिम प्रबंधन आपकी कंपनी के अभिशासन ढांचे के मूल में है। इसलिए आपकी कंपनी का निदेशक मंडल और प्रबंधन संगठन में सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाते हुए ठोस आंतरिक नियंत्रणों के सृजन और अनुरक्षण के लिए प्रयास करता है।

सुदृढ़ अभिशासन सिद्धान्तों की प्रथा के प्रति प्रतिबद्धता में आपकी कंपनी निम्नलिखित निगमित अभिशासन के कोर सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होती है :

1. निदेशक मंडल द्वारा रणनीतिक तैनाती और पर्यवेक्षण।
2. जवाबदेही और जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए ठोस आंतरिक नियंत्रण एवं प्रणालियों को बनाना।
3. विभिन्न हितधारकों के साथ सूचना के संचार में पारदर्शिता और खुलापन।
4. प्रयोज्य कानूनों के तहत सांविधिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन।
5. निष्पक्ष और नीतिपरक ढंग से व्यवसाय करना।

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी के विजन और मिशन के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने का प्रयास करता है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल को प्रबंध, निदेष और कंपनी के निष्पादन की अंततः जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यापालक (कार्यात्मक) और गैर–कार्यापालक (अंशकालिक) निदेशकों का मिश्रण है। पूर्णकालिक निदेशक कंपनी के दिन–प्रतिदिन प्रबंध में शामिल होते हैं। जबकि अंशकालिक निदेशक (सरकारी नामिती) भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं और अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निर्देशों से अल्पसंख्यक शेयरधारकों सहित हितधारकों के हित की देखभाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

- **विचारार्थ विषय**

  सुदृढ़ निगमित अभिशासन ढांचे के अनुरूप सभी सांविधिक, उल्लेखनीय और तथ्यपरक सूचना, जिसमें सूचीकरण करार, कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा सूचीबद्ध शामिल है। सीपीएसई के लिए कारपोरेट अभिशासन (निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश) पर दिशानिर्देशों को आवधिक रूप से निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है।

- **संरचना**

  आपकी कंपनी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है, इसलिए निदेशकों को भारत सरकार द्वारा नामित/नियुक्त किया जाता है। कंपनी के संगम अनुच्छेदों में यह निर्धारित किया गया है कि निदेशकों की संख्या 3 (तीन) से कम और 20 (बीस) से अनधिक नहीं होगी।

  31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार बोर्ड में 6 (छः) निदेशक थे, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित 5 (पांच) पूर्णकालिक निदेशक और 1 (एक) अंशकालिक निदेशक शामिल है। प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, अन्य निदेशकता और समितियों की अध्यक्षता/सदस्यता की संख्या के संदर्भ में ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

निदेशक का नाम और पदनाम	अवधि के दौरान भाग ली गई बैठकों की संख्या	पिछली आम वार्षिक बैठक में उपस्थिति	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में धारित निदेशकता	अन्य कंपनियों में समिति की सदस्यता	अन्य कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता
I. पूर्णकालिक निदेशक					
श्री बी.सी. त्रिपाठी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	14	हां	03	शून्य	शून्य
श्री प्रभात सिंह, निदेशक (विपणन)	12	हां	02	01	शून्य
श्री पी. के. जैन, निदेशक (वित्त)	14	हां	02	01	01
श्री एम. रविन्द्रन, निदेशक (एचआर)	14	हां	05	01	शून्य
डा. आशुतोष कर्नाटक, निदेशक (परियोजना)	13	हां	01	01	षून्य
श्री एस. वेंकटरमण (30.09.2014 तक)	7	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

निदेशक का नाम और पदनाम	अवधि के दौरान भाग ली गई बैठकों की संख्या	पिछली आम वार्षिक बैठक में उपस्थिति	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में धारित निदेशकता	अन्य कंपनियों में समिति की सदस्यता	अन्य कंपनियों की समितियों की अध्यक्षता
II. अंशकालिक निदेशक					
(सरकारी नामिति)					
श्री राजीव कुमार (30.11.2014)	09	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री पी.के. सिंह (25.09.2014 तक)	06	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री आशुतोष जिंदल (24.02.2015 से)	02	लागू नहीं	01	शून्य	शून्य
III. अंशकालिक गैर–सरकारी					
(स्वतंत्र) निदेशक					
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ (28.02.2015 तक)	11	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
डा. ए. के. खंडेलवाल (28.02.2015 तक)	13	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी :

1. 30वीं वार्षिक आम सभा 17.09.2014
2. संबंधित निदेशक (को) से प्राप्त प्रकटन के आधार पर :
   i. निदेशकगण एक–दूसरे से संबंधित नहीं हैं।
   ii. निदेशक मण्डल का कोई भी निदेशक उन सभी कम्पनियों में, जिनमें वह निदेशक है, 10 (दस) से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या 5 (पांच) से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है। समिति में सदस्यता/अध्यक्ष पद की गणना लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति से संबंधित है।
   iii. किसी भी गैर–सरकारी निदेशक के पास कम्पनी के इक्विटी शेयर नहीं हैं।
   iv. 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष में किसी भी गैर–सरकारी निदेशक का कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या संव्यवहार नहीं था।

- **बैठकों का ब्योरा**

  वित्त वर्ष 2014–15 में निदेशक मंडल की 14 (चौदह) बैठकें दिनांक 4 अप्रैल 26, मई, 18 जुलाई, 23 जुलाई, 1 अगस्त, 11 अगस्त, 26 सितम्बर, 31 अक्तूबर, 14 नवम्बर, 28 नवम्बर, 10 दिसम्बर और 6 फरवरी, 26 फरवरी तथा 9 मार्च, 2014 को आयोजित हुई।

- **स्वतंत्र निदेशकों की बैठक**

  स्वतंत्र निदेशक समय–समय पर कार्यपालक निदेशकों या प्रबंधन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति के बिना बैठक करते हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशकों के बीच बोर्ड बैठक के बाहर औपचारिक विचार–विमर्श भी होता है।

- **बोर्ड में प्रवेश, प्रशिक्षण और मूल्यांकन**

  नियुक्ति पर नए निदेशकों को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों का ब्यौरा देते हुए स्वागत किट और उनके कानूनी और विनियामककारी दायित्वों पर आवश्यक सूचना प्रदान की जाती है। रणनीतिक बैठकें भी आयोजित की जाती हैं जिनमें कार्यात्मक प्रधान बोर्ड के साथ अपनी अल्पावधि और दीर्घकालीन योजनाओं को साझा करते हैं।

इसके अलावा आपकी कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण नीति भी तैयार की है। आपकी कंपनी के निदेशकों को निगमित अभिशासन और डीपीई, स्कोप अन्य ख्याति–प्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित अन्य उद्योग के मामलों पर नियमित अंतरालों पर सम्मेलनों में भाग लेने के लिए नामित किया जाता है।

आपकी कंपनी के निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं, इसलिए मूल्यांकन अपेक्षित नहीं है, इसके अलावा, निगमित कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट है। तथापि, बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए नीति तैयार की जा रही है।

3. बोर्ड की समितियां

बोर्ड ने प्रत्यायोजित प्राधिकार के ढांचे के भीतर सुविचारित निर्णय लेने के लिए और उनके क्षेत्रों या दायरे में मामलों पर बोर्ड को विशिष्ट सिफारिशें करने के लिए विभिन्न सांविधिक और गैर–सांविधिक बोर्ड स्तर की समितियां गठित की हैं। समितियों के सभी निर्णयों और सिफारिशों को बोर्ड के समक्ष सूचना के लिए या अनुमोदन के लिए रखा जाता है। अनुमोदित कार्यवृत्त को समिति के सदस्यों और निर्णय के कार्यान्वयन के लिए संबंधित विभाग/समूह को भी परिचालित किया जाता है। समिति के कार्यवृत्त के सदस्यों की पुष्टि के लिए समिति की अगली बैठक और बोर्ड बैठक में सूचनार्थ रखा जाता है। कृत कार्रवाई रिपोर्ट जिसके लिए कार्रवाई की जानी अपेक्षित होती है समिति को सूचित की जाती है और इसे समिति को आवधिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

सांविधिक समितियों नामतः लेखापरीक्षा समिति, हितधारक संबंध समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति सहित बोर्ड की 12 समितियां हैं। बोर्ड ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को बोर्ड की समितियों को पुनर्गठित करने का अधिकार प्रदान किया है। बोर्ड की उप–समितियों के ब्यौरे जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं, अलग से दिए गए हैं।

क. लेखा परीक्षा समिति

- **विचारार्थ विषय**

  लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, सूचीकरण करार और सार्वजनिक लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देशों के

अनुसार हैं। इसमें, अन्यों के साथ–साथ, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण, लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तें, वार्षिक और तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, सांविधिक/आंतरिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की समीक्षा करना, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंध प्रणाली का मूल्यांकन, संबंधित पार्टी लेनदेनों का अनुमोदन और सुधार, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा, आंतरिक जांच के निश्कर्षों की समीक्षा करना, सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और व्हिसल ब्लोअर तंत्र की समीक्षा करना आदि शामिल है।

- **संरचना**

  दिनांक 31 मार्च, 2015 को लेखापरीक्षा समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री एम. रविन्द्रन, श्री प्रभात सिंह, डा. आशुतोष कर्नाटक सदस्य के रूप में शामिल थे। समिति के सभी सदस्यों के पास वित्तीय मामलों में अपेक्षित अनुभव है।

  आपकी कंपनी के निदेशक (वित्त), वैधानिक लेखापरीक्षक तथा आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में स्थाई रूप से आमंत्रित सदस्य हैं। इसमें अन्य कार्यात्मक निदेशक एवं अन्य वरिष्ठ कार्यात्मक कार्यपालकों को भी आवश्यकतानुरूप आमंत्रित किया जाता है ताकि समिति को आवश्यक सूचनाएं/स्पष्टीकरण दिए जा सकें। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

  वर्ष के दौरान ऐसा कोई मौका नहीं था जब बोर्ड ने लेखापरीक्षा समिति की संस्तुति(यों) को स्वीकार नहीं किया।

- **बैठकों का विवरण**

  वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 08 (आठ) बैठकें दिनांक 26 मई, 27 मई, 1 अगस्त, 11 अगस्त, 11 सितम्बर, 31 अक्तूबर, 6 फरवरी और 12 फरवरी को संपन्न हुई। बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत हैं :

क्रम सं.	सदस्य	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल में आयोजित	उपस्थिति
1.	श्री प्रभात सिंह	08	07
2.	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ (28.02.2015 तक)	08	08
3.	डा. ए. के. खंडेलवाल (28.02.2015 तक)	08	08
4.	श्री एम. रविन्द्रन (05.03.2015 से)	-	-
5.	डा. आशुतोष कर्नाटक (05.03.2015 से)	-	-

- **जोखिम प्रबंधन ढांचा**

एक सशक्त जोखिम प्रबंधन ढांचा आपकी कंपनी की कारोबारी रणनीति एवं प्रचालनों की सहायता करता है। जोखिम प्रबंधन ढांचे को कारोबार में विस्तार तथा हितों से उत्पन्न हो रहे नए एवं भावी जोखिमों हेतु लगातार अद्यतन किया जाता है।

जोखिमों को मूल्यांकित, परिमाण निर्धारित करना और प्राथमिकता देने और कम करने की योजनाओं की प्रत्येक अवस्था में समीक्षा और मानीटर किया जाता है। जोखिम प्रबंधन नीति और प्रक्रियाओं की जोखिम प्रबंध समिति, लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड में आवधिक रूप से समीक्षा और मानीटर किया जाता है। प्रबंधन और चर्चा विश्लेषण खण्ड में जोखिम प्रबंधन ढांचे का ब्यौरा शामिल किया गया है।

- **सतर्कता व्यवस्था–भंडाफोड़क नीति एवं धोखाधड़ी रोकथाम**

आपकी कंपनी ने 'भंडाफोड़क नीति' को कार्यान्वित किया है जिसमें कर्मचारियों द्वारा किसी कर्मचारी की किन्हीं अनुचित गतिविधियों, जिनके परिणामस्वरूप कानूनों, नियमों, विनियमों, कदाचार संहिता का उल्लंघन होता है कि सूचना सक्षम प्राधिकारी को देने की पूरी छूट है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग किसी भंडाफोड़क की शिकायत की जांच करने और उचित कार्रवाई करने हेतु प्राधिकृत है।

इस नीति में आपवादिक मामले में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच अनुमत है। साथ ही भंडाफोड़क नीति के तहत की जाने वाली किसी जांच के दौरान जांच करने वाली नामित एजेंसी द्वारा शिकायतकर्ता/सूचना प्रदाता की पहचान, यहां तक कि लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्ष को भी शिकायत के तथ्यों के अलावा, उद्घाटित नहीं की जाती है।

इसके अलावा, आपकी कंपनी ने धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी को रोकने, पता लगाने और तेजी से निपटान की अनुमति देने के लिए धोखाधड़ी निवारण नीति बनाई है।

भंडाफोड़क व्यवस्था के अंतर्गत लेखापरीक्षा समिति तिमाही आधार पर प्राप्त शिकायतों और स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भंडाफोड़क व्यवस्था और धोखाधड़ी रोकथाम नीति के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

ख. हितधारक संबंध समिति

निदेशक मंडल ने उनकी दिनांक 26 मई, 2014 को आयोजित बैठक में शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की नामावली और कार्यक्षेत्र को हितधारक संबंध समिति के रूप में बदल दिया ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा सके।

- **विचारार्थ विषय**

समिति के विचारार्थ विषय, अन्यों के साथ–साथ, कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों के समाधान और आर एण्ड टीए के संबंधित मामलों को देखना है। इसके अलावा, समिति डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्रों को जारी करने को अनुमोदित करेगी।

हितधारक संबंध समिति की भूमिका सूचीकरण करार और समय–समय पर यथा संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार है।

- **संरचना**

31 मार्च, 2015 के अनुसार हितधारक संबंध समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री आशुतोष जिंदल और सदस्य के रूप में श्री एम. रविन्द्रन और डा. आशुतोष कर्नाटक शामिल थे। कंपनी सचिव कंपनी के अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करता है।

- **बैठक एवं अन्य विवरण**

वर्ष 2014–15 में 31 अक्तूबर, 2014 को समिति की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे।

सेबी/स्टॉक एक्सचेंज/एमसीए/डिपोजिटरीज/अन्य वैधानिक प्राधिकरणों के माध्यम से प्राप्त पत्र को "शिकायत" माना गया है। शेयरधारकों से प्राप्त दैनिक शिकायतों पर एमसीएस लिमिटेड एवं शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) द्वारा सीधे ही कार्रवाई की गई और इन्हें शिकायतों में शामिल नहीं किया गया। प्राप्त शिकायतों और निपटान की गई शिकायतों की यथा स्थिति को संबंधित तिमाहियों में लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2014–15 में शेयरधारकों/निवेशकों को 19 शिकायतें सेबी/स्टॉक एक्सचेंज तथा अन्य वैधानिक निकायों के माध्यम से प्राप्त हुई जोकि लाभांश, वार्षिक रिपोर्ट आदि के न मिलने आदि से संबंधित थीं। इन सभी 19 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है।

आर एंड टीए/कंपनी ने कई उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए किए हैं ताकि शेयरधारकों से संबंधित मामले/इश्यू को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके और इन्हें समुचित अवधि में निपटाया जा सके। सदस्यों को अपने अनुरोध, यदि काई हों, को रजिस्टर करने में सुविधा देने के लिए आर एण्ड टीए और कंपनी की नामित ई–मेल

आईडी है : mcsgail@mcsdel.com और shareholders@gail.co.in. इसके अलावा, कंपनी की वेबसाइट, www.gailonline.com में 'निवेशक जोन' नामक एक अलग खंड है जिससे निवेशक शेयरधारक पैटर्न, घोषित लाभांश, आईईपीएफ अंतरण आदि पर अद्यतन घटनाक्रम एवं नवीनतम सूचना प्राप्त कर सकें।

ग. नामांकन और परिश्रमिक समिति

निदेशक मंडल ने दिनांक 26 मई, 2014 को हुई अपनी बैठक में पारिश्रमिक समिति की नामावली और कार्यक्षेत्र नामांकन और पारिश्रमिक समिति के रूप में परिवर्तित किया ताकि इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाया जा सके।

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए इसके पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अंशकालिक निदेशक (सरकारी नामिती) कंपनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं। इसके अलावा, अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को बोर्ड और समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए उसके प्रासंगिक व्ययों के अलावा क्रमशः 40,000/–रुपए और 30,000/– रुपए (26.5.2014 को आयोजित बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित) सिटिंग फीस अदा की जा रही है।

- **विचारार्थ विषय**

इस समिति के विचारार्थ विषय निम्न के लिए हैं :

1. कर्मचारियों को निष्पादन से संबंधित वेतन (पीआरपी) के वितरण की नीति और पीआरपी पूल पर विचार–विमर्श और निर्णय करना।
2. बोर्ड द्वारा विचार किए जाने से पूर्व पीआरपी को छोड़कर वेतन और परिलब्धियों से संबंधित मुद्दों की जांच करना।
3. निदेशक बनने के लिए योग्य व्यक्तियों की पहचान करने और जो निर्धारित की गई पद्धति के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है, उनकी नियुक्ति या हटाने की बोर्ड को सिफारिश करना और योग्यता, सकरात्मक गुणों और किसी निदेशक की स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए पद्धति बनाना और बोर्ड को निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और अन्य कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक से संबंधित नीति की बोर्ड को सिफारिश करना।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की भूमिका सूचीकरण करार; कंपनी अधिनियम, 2013; समय–समय पर यथा संशोधित डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

- **संरचना**

31 मार्च, 2015 को कंपनी की नामांकन और पारिश्रमिक समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री आशुतोष जिंदल, सदस्यों के रूप में श्री प्रभात सिंह और डा. आशुतोष कर्नाटक शामिल थे और निदेशक (वित्त) और निदेशक (एचआर) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रिती हैं।

- **बैठक और अन्य ब्यौरे**

वर्ष 2014–15 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक 17 सितम्बर, 2014 को आयोजित की गई थी जिसमें तत्कालीन सदस्यों अर्थात डा. ए. के. खंडेलवाल, अध्यक्ष और श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, सदस्य ने भाग लिया था।

वर्ष 2014–15 के लिए कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(₹ लाख में)

क्र सं.	निदेशक का नाम	वेतन एवं भत्ते	पीएफ को अंशदान	अन्य लाभ और परिलब्धियां	निष्पादन से संबंधित भुगतान	कुल
1.	**श्री बी.सी. त्रिपाठी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**	38.87	5.78	8.62	20.41	73.68
2.	**श्री प्रभात सिंह निदेशक (विपणन)**	25.17	2.37	5.32	13.54	46.40
3.	**श्री एस. वेंकटरमण निदेशक (व्यावसाय विकास) (30.09.2014 तक)**	44.13	2.52	4.4	13.92	64.97
4.	**श्री पी. के. जैन निदेशक (वित्त)**	39.02	5.14	7.19	13.64	64.99
5.	**श्री एम. रविन्द्रन निदेशक (एचआर)**	26.33	5.09	7.63	12.04	51.09
6.	**डा. ए. कर्नाटक निदेशक (परियोजना)**	24.88	4.92	5.40	5.71	40.91

कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को किए गए भुगतान में एएस–15 के अनुसार अवकाश, उपदान और सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभों के लिए प्रावधान शामिल नहीं है क्योंकि वैयक्तिक कर्मचारी के लिए इनका निर्धारण नहीं किया गया था। (टिप्पणी 41 देखें) समीक्षाधीन वर्ष में आपकी कंपनी ने कोई स्टॉक आप्शन योजना लागू नहीं की है।

पूर्णकालिक निदेशकों की सेवा संविदा पांच वर्षों के लिए या अधिवर्षिता तक, जो भी पहले हो, होती है। सेवा मुक्ति के लिए तीन माह का नोटिस या उसके बदले तीन महीने का वेतन अपेक्षित है। अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आम तौर पर तीन वर्ष हेतु की जाती है। साथ ही, भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशकालिक निदेशक (सरकार की ओर से नामित) मंत्रालय छोड़ने तक कंपनी के निदेशक रहते हैं।

वर्ष के दौरान अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को निदेशक मण्डल या उसकी समिति (समितियां) की बैठकों में उपस्थिति के लिए भुगतान किए गए शुल्क, कंपनी की रिवर्स प्रभार व्यवस्था के अनुसार भुगतान किए गए सेवा कर को छोड़कर, का ब्यौरा निम्नलिखित हैं :

(₹ लाख में)

क्र.सं.	स्वतंत्र निदेशक का नाम	राशि
1	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ	10.30
2	डा. ए. के. खण्डेलवाल	13.00

घ. निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति

- **विचारार्थ विषय**

  बोर्ड को सीएसआर नीति को तैयार करने और सिफारिश करने, किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करने, समय–समय पर कंपनी की सीएसआर नीति को मानीटर करने और बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित अन्य गतिविधि करने।

  सीएसआर समिति की भूमिका कंपनी अधिनियम, 2013; समय–समय पर यथा संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार है।

- **संरचना**

  31 मार्च, 2015 को कंपनी की सीएसआर समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री बी.सी. त्रिपाठी, सदस्यों के रूप में श्री एम. रविन्द्रन और श्री आशुतोष जिंदल शामिल थे।

- **बैठक एवं अन्य विवरण**

  वर्श 2014–15 के दौरान सीएसआर समिति की 05 (पांच) बैठकें 27 मई, 5 सितम्बर, 31 अक्टूबर, 29 जनवरी, और 26 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई। बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्न अनुसार थीं :

क्रम सं.	सदस्य	बैठकों की संख्या	
		कार्यकाल में संपन्न	उपस्थिति
1.	श्री बी. सी. त्रिपाठी	5	5
2.	श्री एम. रविन्द्रन	5	5
3.	श्रीमती श्यामला गोपीनाथ (28.02.2015 तक)	5	5
4.	डा. ए. के. खंडेलवाल (28.02.2015 तक)	5	5
5.	श्री. आशुतोष जिंदल (05.03.2015 से)	-	-

सीएसआर गतिविधियां और उन पर किये गये व्यय का ब्यौरा निदेशकों की रिपोर्ट/प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण में दिया गया है।

4. सहायक कंपनियां – मानीटरिंग ढांचा

आपकी कंपनी सहायक कंपनियों के बोर्ड में अपने प्रतिनिधि नामित करती है। इसके अलावा, सहायक कंपनियों के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त समय–समय पर कंपनी के बोर्ड के पास रखे जाते हैं। सूचीकरण करार के खंड 49 और कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार सहायक कंपनियों के निष्पादन, अन्य बातों के साथ–साथ, की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड द्वारा निम्नानुसार की जाती है:

(i) असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए निवेश;

(ii) सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों वाले समेकित वित्तीय विवरण आदि;

(iii) सहायक कंपनियों द्वारा किए गए आवधिक रूप से उल्लेखनीय लेनदेन और व्यवस्था का विवरण।

कंपनी ने 'महत्वपूर्ण सहायक कंपनी (कंपनियों) के लिए नीति' तैयार की है। यह कंपनी की वेबसाइट http://www.gailonline.com/final_site/pdf/GAIL_Material_Subsidiary_policy.pdf. पर उपलब्ध है। कंपनी की सूचीकरण करार के खंड 49 और कारपोरेट अभिशासन डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कोई महत्वपूर्ण असूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं है।

5. प्रकटन

क. कंपनी की नीतियां

क. कंपनी ने सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार संबंधित पक्ष लेनेदेन नीति तैयार की है। नीति कंपनी की वेबसाइट http://www.gailonline.com/final_site/df/GAIL_Related_Party_Transaction_Policy.pdf. पर उपलब्ध है।

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक कारोबार निषेध) विनियम, 1992 के अनुसरण में बोर्ड ने "आंतरिक कारोबार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता" निर्धारित की है जिसका उद्देश्य निदेशकों/अधिकारियों/नामित कर्मचारियों द्वारा अप्रकाशित मूल्यन संवेदनशील जानकारी के आधार पर, जो उनको कंपनी में उनकी हैसियत की वजह से उपलब्ध है, कंपनी के शेयरों के क्रय और/या विक्रय की रोकथाम करना है। इस कोड का उद्देश्य किसी मूल्य संवेदी सूचना के दुरूपयोग को रोकने और कंपनी के शेयरों में सौदों द्वारा किसी आंतरिक व्यापारिक गतिविधि को रोकना है ताकि समग्र रूप से शेयरधारकों के हित का संरक्षण किया जा सके।

ख. अभिपुष्टि और अनुपालन

क. वार्षिक वित्तीय विवरण 2014–15 लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं। वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण सम्बंधित पक्ष लेनदेन नहीं हुए हैं जिनका कम्पनी के हितों के साथ टकराव होने की संभावना हो। "संबंधित पक्ष प्रकटीकरणों" को वार्षिक रिपोर्ट में लेखाओं की टिप्पणी संख्या 50 में प्रकट किया गया है। एक सरकारी उद्यम होने के नाते संबंधित पक्ष प्रकटन के एएस–18 के अनुसार सरकारी कंपनियों, जिसमें सहायक कंपनियां भी शामिल है, से संबंधित लेन–देन के विवरण का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

ख. निदेशक मण्डल और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए कंपनी की आचरण संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ग. आपकी कंपनी ने विनिर्धारित प्रारूप में निगमित नियंत्रण रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंज, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/लोक उद्यम विभाग को निर्धारित समय में भेज दी है।

घ. सूचीकरण करार के खण्ड 49 के अधीन अपेक्षित अनुसार कंपनी के सीईओ/सीएफओ ने अन्य बातों के साथ–साथ, वित्तीय विवरणों की शुद्धता, की पुष्टि आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता और अन्य मामलों को बोर्ड तथा लेखापरीक्षा समिति को सत्यापित किया है।

ड. आपकी कंपनी ने ऑनलाइन विधिक अनुपालन प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित किया है जिसमें आपकी कंपनी पर लागू कानूनों के पूर्ण अनुपालन को शामिल किया गया है। अनुपालन रिपोर्ट तैयार की जाती है और द्विवार्षिक रूप से बोर्ड की समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

च. समीक्षाधीन वर्ष में कंपनी को राष्ट्रपति का कोई दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

छ. खाता बहियों में व्यय की कोई ऐसी मदें डेबिट नहीं की गई है जो कारोबार के प्रयोजनों के लिए नहीं है और निदेशक मण्डल तथा शीर्ष प्रबंधन के लिए निजी स्वरूप के कोई भी खर्च नहीं किए गए हैं।

वर्ष 2014–15 में प्रशासनिक एवं कार्यालयी तथा वित्तीय व्यय कुल का क्रमशः 2.62% और 0.68% है जो वर्ष 2013–14 में 2.38% एवं 0.70% था।

ग. लंबित मामलों का प्रकटन/अननुपालन की घटनाएं

क. गेल स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के संबंध में बोर्ड की संरचना से संबंधित अपेक्षाओं को छोड़कर सूचीकरण करार के खंड पर और कंपनी अधिनियम, 2013 की

श्री नरेन्द्र मोदी, भारत के माननीय प्रधानमंत्री पटना, बिहार में जगदीशपुर–हल्दिया पाइपलाइन परियोजना के निर्माण के पहले चरण का उद्घाटन करते हुए

अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है। इसके अलावा, आपकी कंपनी 28.02.2015 तक अर्थात महिला निदेशक सहित तत्कालीन दो स्वतंत्र निदेशकों की समाप्ति तारीख, करार और कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार महिला निदेशक, लेखा परीक्षा समिति की संरचना, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और सीएसआर समिति की अपेक्षाओं का भी अनुपालन कर रही है।

सूचीकरण करार के खंड 49 की अनिवार्य अपेक्षाओं के अलावा, निम्नलिखित गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं को नीचे दी गई सीमा तक क्रियान्वित किया गया है :

- कंपनी की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है, जो कंपनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी है जिसे कंपनी के संगम अनुच्छेदों की अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- वित्तीय विवरणों को व्यापक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है और कंपनी की वेबसाइट पर भी दिया जाता है।
- कंपनी ने वित्त वर्ष 2014–15 के लिए अपने वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों से कोई अर्हता प्राप्त नहीं की है।
- कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जो कार्यात्मक रूप से लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है और प्रशासनिक रूप से सीएमडी को रिपोर्ट करता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार कंपनी के बोर्ड में महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति से संबंधित मामले को समझता है। भारत सरकार महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के चयन के प्रक्रिया में है।

किसी स्टाक एक्सचेंज के पास, पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर सेबी के पास अननुपालन का कोई मामला नहीं है।

ख. लोक उद्यम विभाग ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश, 2010 तैयार किए हैं। आपकी कंपनी निदेशक मंडल की संरचना को छोड़कर इन दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है। इसके अलावा, आपकी कंपनी 28.02.2015 तक अर्थात तत्कालीन दो स्वतंत्र निदेशकों के समाप्त होने की तारीख तक लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति की संरचना की अपेक्षाओं का अनुपालन भी कर रही है।

6. निवेशक संबंध

वित्तीय निष्पादन पर संगत और विश्वसनीय सूचना का समय पर प्रकटन अच्छे अभिशासन के कोर में है। इस दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं :

- **तिमाही/वार्षिक परिमाण** : कम्पनी के गैर लेखा परीक्षित/तिमाही परिणाम और लेखा परीक्षित वार्षिक परिणाम संबंधित तिमाही की समाप्ति के क्रमशः 45/60 दिन के अन्दर घोषित किए गए। अधिकतम शेयरधारकों तक पहुंचने के प्रयोजन से वर्ष 2014–15 के दौरान कम्पनी के वित्तीय परिणाम अग्रणी अंग्रेजी दैनिक (दी हिन्दु, बिजनस लाइन, इकनामिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया) और प्रादेशिक भाषा (हिन्दी) समाचार पत्र (बिजनस स्टैन्डर्ड, दैनिक जागरण और नवभारत टाइम्स) में प्रकाशित किए गए थे, जिनका देश भर में व्यापक परिचालन है। इसके अलावा, इन्हें कंपनी की वेबसाइट पर भी दिया गया था।
- **नए प्रकाशन, प्रस्तुतीकरण आदि** : कार्यालय समाचार/प्रेस विज्ञप्तियों तथा विश्लेषकों को दिए गए प्रस्तुतिकरणों को भी समय–समय पर कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाया जाता है और उन्हें स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाता है।
- **वेबसाइट** : कंपनी की वेबसाइट में www.gailonline.com में एक समर्पित 'इन्वेस्टर जोन' में शेयरधारकों हेतु अद्यतन संगत सूचनाएं उपलब्ध है।
- **वार्षिक रिपोर्ट** : वार्षिक रिपोर्ट जिसमें लेखापरीक्षित लेखे, समेकित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, निगमित नियंत्रण रिपोर्ट तथा शेयरधारकों के लिए सूचनाएं तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं शामिल होती हैं, सभी सदस्यों और इसके हकदारों को परिचालित की जाती है।
- प्रतिवर्ष शेयरधारकों को अदत्त/गैर दावागत लाभांश का दावा करने हेतु अनुस्मारक भेजे जाते हैं।
- निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा की गई हरित पहल की शुरूआत के अनुसार सदस्यों को दस्तावेज इलेक्ट्रानिक विधि से भेजे जाने चाहिए और तदनुसार आपकी कंपनी पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न सम्प्रेषण/दस्तावेज जैसे वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना, एनईसीएस सूचना आदि उन शेयरधारकों को जिन्होंने अपनी ई–मेल आईडी डीपी/आर एंड टीए के पास पंजीकृत कराई है, को ई–मेल के माध्यम से भेज रही है।

7. आम बैठकें

- **स्थान एवं समय–जहां गत तीन वार्षिक आम बैठकें हुई**

पिछले तीन वार्षिक आम बैठकों का स्थान एवं समय और उनमें पारित विशेष प्रस्तावों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14
वार्षिक आम बैठक	28वीं	29वीं	30वीं
तारीख तथा समय	05.09.2012 10:30 प्रातः	25.09.2013 10:30 प्रातः	17.09.2014 10:30 प्रातः
स्थान	एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली–110019	मानेकशॉ सेन्टर, परेड रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली–110010	मानेकशॉ सेन्टर, परेड रोड, दिल्ली कैन्टोनमेंट, नई दिल्ली–110010
पारित विशेष प्रस्ताव	कोई नहीं	कोई नहीं	अगली एजीएम के सम्पन्न होने तक 2000 करोड़ रुपए तक के सुरक्षित/असुरक्षित, विमोज्य कराधेय गैर–परिवर्तनीय बांड, निजी प्लेसमेंट आधार पर एक या अधिक ट्रांश में
ब्यौरा	लागू नहीं	लागू नहीं	2000 करोड़ रुपए तक के सुरक्षित, कराधेय, विमोच्य, गैर–परिवर्तनीय आईएनआर बांड गैर–परिवर्तनीय ऋणपत्र के स्वरूप के और विदेशी करेंसी बांड (रेग एस बांड) के माध्यम से 70 मिलियन यूएसडी तक के माध्यम से निधियां जुटाने के लिए पेशकश या आमंत्रण करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने के लिए कंपनी के शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया था।

उपर्युक्त के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत किसी अन्य मद पर डाक द्वारा मतदान अपेक्षित नहीं था। आगामी वार्षिक आम सभा में किसी विशेष संकल्प को डाक द्वारा मतदान से पारित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

8. सामान्य शेयरधारक सूचना

- **आगामी एजीएम :** तारीख, समय और स्थान

  कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, सितम्बर के 16वें दिन, 2015 को प्रातः 10:30 बजे, मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, दिल्ली केन्ट, नई दिल्ली–110010 के लिए निर्धारित की गई है।

- **31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अस्थायी कैलेण्डर**

विवरण	अस्थायी तारीख
पहली तिमाही के परिणाम	12 अगस्त, 2015
लागत लेखा रिपोर्ट का अनुमोदन	23 सितम्बर, 2015
दूसरी तिमाही और अर्ध–वार्षिक परिणाम	9 नवम्बर, 2015
तीसरी तिमाही के परिणाम	10 फरवरी, 2016

- **लाभांश**

  वर्ष 2014–15 के लिए निदेशक मण्डल ने लाभांश के भुगतान के लिए अनुमोदन प्रदान किया है जिसके लिए संबंधित रिकॉर्ड तारीख/बही खाता बंद करने और लाभांश भुगतान करने की तारीखों का उल्लेख नीचे किया गया है :

क्रम सं.	घोषित लाभांश	लगभग (%)	रिकॉर्ड बही खाता बंद करने की तारीख	भुगतान करने की तारीख
1.	अंतरिम लाभांश	30% (₹3/– प्रति शेयर)	03.03.2015	07.03.2015
2.	अंतिम लाभांश (प्रस्तावित)	30% (₹3/– प्रति शेयर)	29.08.2015 से 16.09.2015	24.09.2015

इसके साथ, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2014–15 के लिए कुल 60% (₹6/– प्रति इक्विटी शेयर) प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर लाभांश प्रस्तावित किया है।

- **निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ)**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अनुसरण में भुगतान के लिए देय होने की तारीख से सात वर्ष तक अदावाकृत तथा अदा न हुई राशि (राशियों) को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अन्तरित किया जाना आवश्यक है।

वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2006–07 के लिए दावा न किए गए/अदा न किए गए अंतिम लाभांश पर वित्त वर्ष 2007–08 का अंतरिम लाभांश निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया है जो क्रमशः ₹5.49 लाख तथा ₹13.14 लाख है। आज की तारीख तक ₹1.61 करोड़ आईईपीएफ में स्थानांतरित किए गए हैं।

सन्निकट वित्त वर्ष हेतु गैर भुगतान/गैर दावाकृत लाभांश के आईईपीएफ में अंतरण की नियत तारीखें निम्नवत हैं :

वित्त वर्ष	लाभांश का प्रकार	लाभांश (%)	भुगतान न किए गए लाभांश का दावा करने की अंतिम तारीख	निवेशक निधि में अंतरण की शिक्षा संरक्षण नियत तारीख
2007–08	अंतिम	60	03.09.2015	03.10.2015
2008–09	अनंतिम	40	27.01.2016	27.02.2016

चूंकि किसी भी अदत्त अदावागत राशि के आईईपीएफ में अंतरित होने के बाद कंपनी/आर एंड टीए/कोष के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है, सदस्य जिन्होंने अभी तक अपने लाभांश वारंट(टों) का भुगतान नहीं लिया है, वे कृपया आर एंड टीए/कंपनी से ऐसे वारंट के बदले में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर डिमांड (ड्राफ्ट्स) निर्गम हेतु संपर्क करें। तथापि, जिनन शेयरधारकों के अदत्त/अदावागत लाभांश आईईपीएफ को स्थानांतरित कर दिए गए हैं वे भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे दावों की वापसी पाने के हकदार होंगे।

कंपनी ने आईईपीएफ (कंपनी के पास पड़े अदत्त और अदावागत राशि की सूचना को अपलोड करना) नियम, 2012 के अनुसार 30वीं आम सभा की तारीख तक अदावागत लाभांशों की सूचना कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है।

- **अन्य विवरण**

पते/बैंक विवरण/लाभांश अधिदेश/ई–मेल आईडी, यदि कोई है, में परिवर्तन के लिए सदस्य निम्नलिखित से सम्पर्क करें :

i) यदि शेयर वास्तविक रूप में हैं तो आर एंड टीए/कंपनी

ii) यदि शेयर इलेक्ट्रानिक रूप में है तो उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी)। आर एंड टीए/कंपनी ऐसे अनुरोधों पर, यदि कोई हो, विचार नहीं करेंगे।

डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के रिकॉर्ड में दर्ज उनके बैंक का ब्यौरा तथा उनके बैंकरों के 9 अंक वाले एमआईसीआर कोड को लाभांश वारंट पर छापने या राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सर्विस (एनईसीएस), जहां लागू हो, द्वारा लाभांश भेजने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। लाभांश संबंधी गतिविधियों पर एक विस्तृत नोट कंपनी की वेबसाइट में ''निवेशक जोन'' के अंतर्गत उपलब्ध है।

स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करना

स्टॉक एक्सचेंज	प्रतिभूति कोड	प्रतिभूति का प्रकार
मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)	532155	इक्विटी शेयर
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.	गेल–ईक्यू	इक्विटी शेयर
लंदन स्टॉक एक्सचेंज	जीएआईडीएलआई गेल वाई यूएस	जीडीआर

इसके अतिरिक्त कम्पनी की अपरिवर्तनीय विमोचन योग्य बॉण्ड शृंखला–I (6.10%), बांण्ड शृंखला–I, 2010 (8.80%), बॉण्ड शृंखला–I, 2012 (9.14%) और बॉण्ड शृंखला–I, 2015 (8.30%) एनएसई के थोक ऋण बाजार (डब्ल्यूडीएम) खण्ड में सूचीबद्ध किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दिल्ली बॉण्ड शृंखला–I (6.10%) का बॉण्ड न्यासी है और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, मुंबई बॉण्ड शृंखला–I, 2010 (8.80%), बॉण्ड शृंखला–I, 2012 (9.14%) और बॉण्ड शृंखला–I, 2015 (8.30%) का बॉण्ड न्यासी है।

वर्ष के दौरान बॉण्ड शृंखला–I, (6.10%) की चौथी शृंखला जिसका आईएसआईएन कोड आईएनई 129ए07040 है अंतिम शृंखला आईएसआईएन 22 अगस्त, 2014 को विमोचित किया गया है।

कम्पनी के सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और बॉण्ड के संबंध में वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का मांग किए जाने पर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को भुगतान कर दिया गया है। आपकी कंपनी ने वर्ष 2014–15 को फोलियो/आईएसआईएन की स्थिति के आधार पर नेशनल सिक्योरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को वित्त वर्ष 2014–15 के संबंध में वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान भी कर दिया है।

बाजार मूल्य आंकड़े

बाजार मूल्य आंकड़े: वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान प्रात्येक माह में निम्न

महीना	बीएसई			एनएसई			बाजार पूंजीकरण (₹ करोड़ में)		बाजार सूचकांक	
	उच्च (₹ में)	निम्न (₹ में)	मात्रा (शेयरों की संख्या)	उच्च (₹ में)	निम्न ₹(में)	मात्रा (शेयरों की संख्या)	बीएसई	एनएसई	सेंसेक्स	निफ्टी
अप्रैल	388	357	1322794	389	357	32474768	46858	46946	22939	6870
मई	439	357	3208593	437	357	43361049	47847	47923	25376	7564
जून	470	378	3937154	469	377	52363470	58648	58737	25725	7700
जुलाई	475	421	2102624	474	420	27238177	55350	55299	26300	7841
अगस्त	445	387	1798143	447	387	29187054	56295	56244	26674	7968
सितम्बर	469	435	1619563	470	435	22642837	56936	57012	27355	8180
अक्टूबर	551	432	2135498	552	431	30938907	67121	67077	27894	8331
नवम्बर	536	469	3116732	534	469	31481647	61895	61927	28822	8617
दिसम्बर	490	405	5283733	490	405	33945458	56441	56422	28810	8627
जनवरी	451	413	3076162	451	413	36855456	53815	53657	29844	8997
फरवरी	443	392	3219898	443	391	28460340	52452	52420	29560	8941
मार्च	415	373	2146776	415	372	31276925	49325	49192	30025	9119

पिछले सार्वजनिक प्रस्ताव के साथ कंपनी ने जिस मुल्य पर प्रस्ताव किया था उसकी तुलना में कंपनी के शेयरों हेतु मार्केट उद्धरण में ना तो कोई कमी या वृद्धि दर्ज की गई।

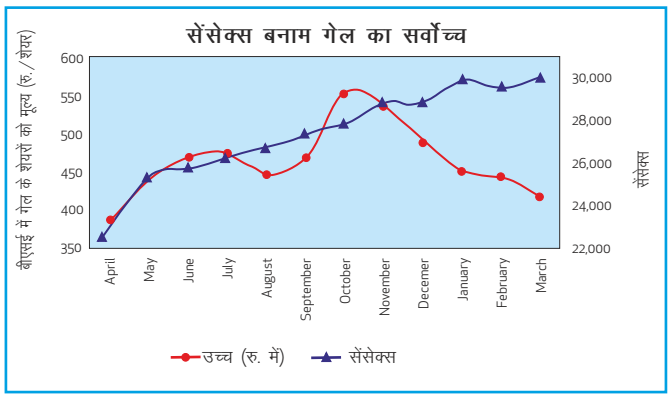

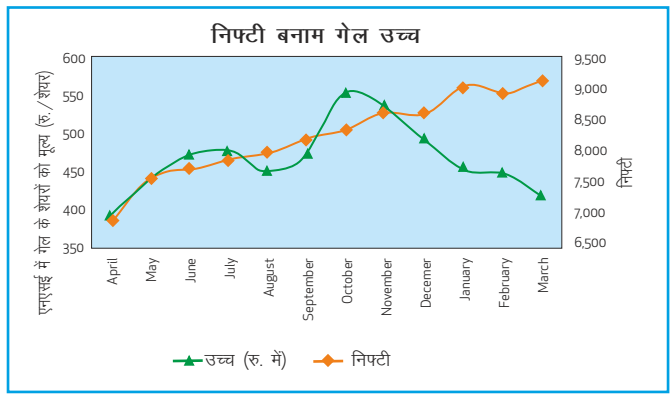

- **शेयर अंतरण प्रणाली**

आपकी कंपनी के शेयरों का कारोबार अनिवार्यतः डिमैटिरियलाइज्ड रूप में किया जा रहा है और भारत में दोनों डिपॉजिटरी यथा एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के अधीन कारोबार के लिए उपलब्ध हैं। एमसीएस लिमिटेड कम्पनी का डिपोजिटरी इन्टरफेस है।

आपकी कंपनी ने शेयरों के अन्तरण, पारेषण, डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने तथा री– मैटिरियलाइजेशन आदि के अनुरोधों पर विचार करने के लिए एक शेयर अन्तरण समिति का गठन किया है। सभी अंतरण/प्रेषण/पारेषण अनुरोध(धों) के लिए केवाईसी नियमों का अनुपालन किया जाता है।

- **शेयरधारिता वितरण**

31 मार्च, 2015 को कंपनी की शेयरधारिता के वितरण का उल्लेख नीचे किया गया है :

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %
1	6701	0.00	6701	4.02
2-10	134052	0.01	19825	11.88
11-50	2023481	0.16	63550	38.10
51-100	2574104	0.20	31336	18.78
101-200	3425928	0.27	22302	13.37
201-750	6577313	0.52	19012	11.40
751-5000	5332100	0.42	3321	1.99
5001-10000	1583183	0.12	220	0.13
10001-15000	990327	0.08	78	0.05
15001 and above	1245830211*	98.22	475	0.28
कुल	**126,84,77,400**	**100.00**	**166820**	**100.00**

*इसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित 711,733,651 इक्विटी शेयर शामिल हैं।

- **31 मार्च, 2015 को 10 सर्वोच्च शेयरधारक**

क्र सं.	शेयरधारक (कों) का नाम	शेयरों की संख्या	%
1	भारत के राष्ट्रपति	711733651	56.11
2	लाइफ इंश्युरेंस कॉपरेशन ऑफ इंडिया	116105407	9.15
3	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.	61259323	4.83
4	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	30629661	2.42
5	मैथ्यू पेसिफिक टाइगर फंड	24282108	1.91

क्र सं.	शेयरधारक (कों) का नाम	शेयरों की संख्या	%
6	ड्यूश बैंक ट्रस्ट कंपनी अमेरिकास	17947026	1.42
7	भारतीय जीवन बीमा निगम की और जीएस निधि	17863260	1.41
8	सरकारी पेंशन फंड ग्लोबल	12401862	0.98
9	ओर्बिस सिकाव–एशिया एक्स–जापान इक्विटी फंड	9179383	0.72
10	एबर्डीन ग्लोबल इंडियन इक्विटी (मारीशस) लिमिटेड	9007302	0.71

- **31 मार्च, 2015 को शेयरधारिता की रूपरेखा**

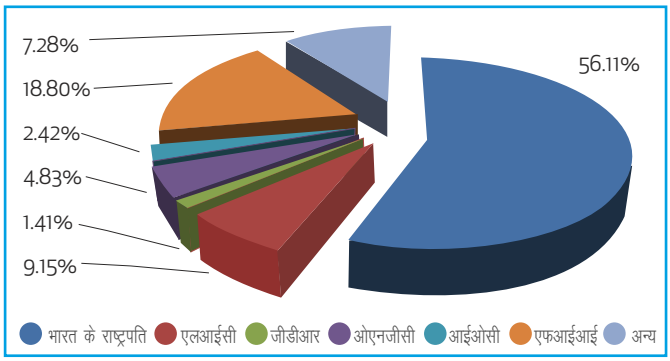

- **शेयरों और तरलता की डीमेटेरियलाइजेशन**

31 मार्च, 2015 को कंपनी के 1,66,820 शेयरधारक हैं, जिनमें से 1,64,622 शेयरधारक डीमैट रूप में शेयरधारण करते हैं और 2198 शेयरधारक वास्तविक रूप से शेयर धारण करते हैं। कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीमैट आईएसआईएन संख्या आईएनई 129ए01019 तथा कंपनी की निगमित पहचान संख्या एल40200डीएल1984 जीओआई018976 है।

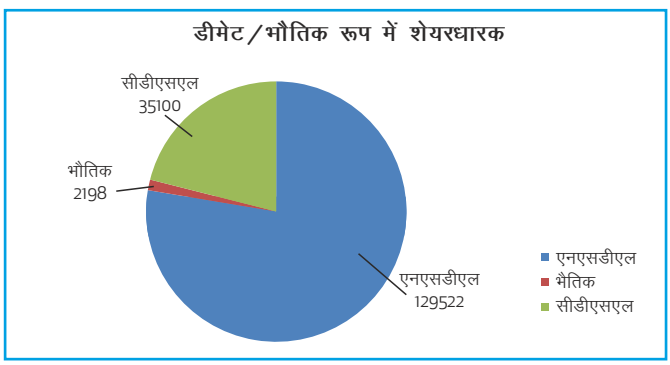

- **बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय इंस्ट्रूमेंट**

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कुल 29,91,171 जीडीआर, जो 1,79,47,026 (1.41%) इक्विटी शेयरों की द्योतक हैं, बकाया थे। जीडीआर के इक्विटी शेयरों में परिवर्तन से कुल इक्विटी पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध जीडीआर के अंतिम मूल्य को दर्शाने वाले जीडीआर का निष्पादन नीचे दिया गया है :

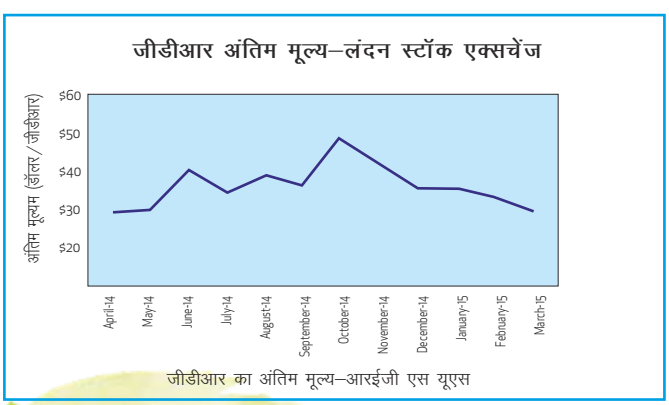

प्रमुख संयंत्रों की अवस्थिति

कम्पनी के प्रमुख संयंत्रों की अवस्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :

यू.पी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, पाता
पो.आ. पाता–206241
जिला औरैया (उ.प्र.)

एलपीजी रिकवरी प्लांट उसर
पो.आ. मालयन 402203
ताल्लुका–अलीबाग
जिला–रायगढ़ (महाराष्ट्र)

एलपीजी रिकवरी प्लांट, विजयपुर
गेल कॉम्प्लेक्स
विजयपुर–473112
जिला–गुना (म.प्र.)

एलपीजी रिकवरी प्लांट, वाघोडिया
जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट
वाघोडिया–391760
जिला –वडोदरा (गुजरात)

एलपीजी रिकवरी प्लांट, लकवा
शिवसागर–785688 (असम)

एलपीजी रिकवरी परियोजना, गंधार
गांव रोजन टंकारिया,
तालुका आमोद
जिला –भरुच–392140 (गुजरात)

- **पत्राचार के लिए पता**
  गेल (इंडिया) लिमिटेड
  16, भीकाजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली–110066

फोन : 91–11–26172580/26182955
फैक्स : 91–11–26185941
वेबसाइट : www.gailonline.com
ई–मेल : shareholders@gail.co.in

शेयरधारक पत्राचार के लिए कंपनी के आर एंड टीए से निम्न पते पर संपर्क कर सकते है :

एमसीएस लिमिटेड
यूनिट : गेल (इंडिया) लिमिटेड
एफ–65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,
फेस–I, नई दिल्ली–110020
फोन : 91–11–41406149/50/51/52
फैक्स : 91–11–41709881
वेबसाइट: www.mcsdel.com
ई–मेल : mcsgail@mcsdel.com

9. अनुपालन प्रमाणपत्र

कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों ने सूचीकरण करार की धारा 49 एवं निगमित पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के संबंध में आपकी कंपनी द्वारा किए गए अनुपालन की जांच की है और प्रमाणित किया है। प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट का भाग है।

सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट, पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, सूचीकरण करार, लोक उद्यम विभाग द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हेतु जारी निगमित नियंत्रण दिशानिर्देश एवं पूंजी बाजार से संबंधित अन्य नियमों एवं विनियमों के अनुपालन की पुष्टि करती है और यह निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है।

अनुलग्नक–ग

निगमित अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण–पत्र

गेल (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों हेतु

हमने 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा निगमित नियंत्रण की शर्तों के अनुपालन की जांच की है जो स्टॉक एक्सचेंजों में उक्त (कंपनी के सूचीकरण करार के खण्ड 49 में अनुबंधित तथा लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम, 2010 के लिए निगमित नियंत्रण संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

निगमित नियंत्रण की शर्तों का पालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच निगमित नियंत्रण की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया तथा इसकी जांच करने तक सीमित थी। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है न ही कम्पनी के वित्तीय विवरणों के बारे में मत का प्रकटीकरण।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में अनुबंधित निगमित नियंत्रण की शर्तों तथा डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, सिवाय निदेशक मंडल के संयोजन से संबंधित पूरे वर्ष में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षा और लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, निगमित सामाजिक दायित्व समिति और 28.02.2015 से महिला निदेशक के। कंपनी द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार हम सूचित करते हैं कि कंपनी के विरूद्ध किसी निवेशक की शिकायत एक माह से अधिक अवधि के लिए लंबित नहीं है।

हम यह भी सूचित करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कम्पनी की भावी संभाव्यता और न ही उसकी कार्य कुशलता अथवा प्रभाविता के बारे में आश्वासन है जिससे प्रबंधन ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते एस. के. मित्तल एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म संख्या : 001135N

एम. के जुनेजा
साझेदार
सदस्यता सं. : 013117

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.07.2015

कृते जी.एस. माथुर एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म संख्या : 008744N

राजीव कुमार वधावन
साझेदार
सदस्यता सं. : 091007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 14.07.2015

अनुलग्नक–घ

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2014(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में

सदस्य,

गेल (इंडिया) लिमिटेड

मैंने प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और गेल (इंडिया) लिमिटेड (इसके पश्चात् गेल/कंपनी कहा जाएगा) द्वारा आदर्श निगमित प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा ऐसे ढंग से आयोजित की गई थी जिसने हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उन पर मेरी राय व्यक्त करने के लिए समुचित आधार प्रदान किया।

गेल की बहियों, पेपर, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और दाखिल की गई विवरणियां और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकार्ड और सचिवीय लेखापरीक्षा करने के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एंजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के भी मेरे सत्यापन के आधार पर मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय अवधि को कवर करते हुए लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास ढंग से और इसमें इसके पश्चात् की गई रिपोर्टिंग के अध्यधीन उस सीमा तक उचित बोर्ड प्रोसेस और अनुपालन–तंत्र है।

मैंने 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए गेल द्वारा बनाई गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्म और दाखिल की गई विवरणियों और अन्य रिकॉर्डों की निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार जांच की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (''एससीआरए'') और इसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपाजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियमन और उप–विधियां;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके तहत बनाए गए नियम और विनियमन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (''सेबी अधिनियम'') के तहत विनिर्धारित निम्नलिखित विनियमन और दिशानिर्देश:

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं नियंत्रण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक कारोबार का निषेध) विनियम, 1992;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियम, 2008;

(घ) कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009; **लागू नहीं होता**

(च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टाक विकल्प स्कीम और कर्मचारी स्टाक खरीद स्कीम) दिशानिर्देश, 1999; **लागू नहीं होता**

(छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2002; **लागू नहीं होता** और

(ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998; **लागू नहीं होता**

(vi) अन्य विशिष्ट **प्रयोज्य कानूनों** (जैसा कि उद्योग के लिए प्रयोज्य हैं) के तहत अनुपालन/प्रोसेस/सिस्टम, जैसा कि नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं, कंपनी के लिए आवधिक प्रमाणपत्र/आंतरिक अनुपालन प्रणाली कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत की गई है के आधार पर सत्यापित किए जा रहे हैं :

1) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934
2) पेट्रोलियम नियम, 2002
3) आयलफील्ड (विनियम और विकास) अधिनियम, 1948
4) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959
5) पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962
6) विस्फोटक अधिनियम, 1884 और भारतीय विस्फोटक नियम, 1983
7) गैस सिलेण्डर नियम, 2004
8) तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974
9) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियम बोर्ड अधिनियम, 2006
10) विलायक, रैफिनेट और स्लोप (अधिग्रहण, बिक्री, भंडारण और आटोमोबाइल में प्रयोग का निवारण) आदेश, 2000
11) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (अनन्य रूप में नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क) विनियमन, 2008
12) पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और आपूर्ति का अनुरक्षण) आदेश, 1999
13) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986
14) जोखिमी अपशिष्ट (प्रबंध और संभालना) नियम, 1989
15) ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000
16) जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 और जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) उपकर नियम, 1978
17) बैटरी (प्रबंध और संभालना) नियम, 2001
18) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989
19) जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
20) वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
21) जोखिमी रसायन का निर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989
22) एसएमपीवी (यू) नियम, 1999 द्वारा यथा संशोधित स्थिर और मोबाइल दबाव बर्तांव (अनफायरड) नियम, 1981
23) भारतीय वन अधिनियम, 1927

24) ओजोन समाप्त करने वाले पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000

25) सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

26) भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय तार नियम, 1951

27) भारतीय वायरलैस टेलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो आपरेटर प्रमाणपत्र प्रवीणता और वैश्विक समुद्रीय और सुरक्षा प्रणाली चलाने के लिए लाइसेंस) नियम, 1994

28) भारतीय वायरलैस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933

29) खान अधिनियम, 1952

30) सशस्त्र अधिनियम, 1959

मैंने निम्नलिखित के प्रयोज्य खंडों के साथ अनुपालन की भी जांच की है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक (लेखापरीक्षा अवधि के लिए अनिवार्य नहीं)।

(ii) एनएसई और बीएसई के साथ इक्विटी सूचीकरण करार, एनएसई के साथ ऋण सूचीकरण करार, लंदन स्टाक एक्सचेंज के पास जीडीआर सूचीकरण करार और सीपीएसई के लिए कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश।

आलोच्य अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित प्रेक्षणों के अध्यधीन उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है :

प्रेक्षण सं. 1 : कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला की नियुक्ति के संदर्भ में कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पठित धारा 149(1) के परन्तुक का अननुपालन।

कंपनी का उत्तर : दिनांक 31.03.2015 को कंपनी के निदेशक मंडल में कोई महिला निदेशक नहीं थी। तथापि, वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक थी जो 3 वर्ष के अपने कार्यकाल को पूरा करने के पश्चात् 28.02.2015 से निदेशक नहीं रही।

प्रेक्षण सं. 2 : कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना के संदर्भ में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 और सूचीकरण खंड 49(II) क और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) का अननुपालन।

कंपनी का उत्तर : दिनांक 31.03.2015 को गेल के बोर्ड में सीएमडी और एक सरकारी नामिती निदेशक सहित पांच पूर्णकालिक निदेशक शामिल थे। गेल के बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों की अवधि 28.02.2015 को समाप्त हुई। स्टाक एक्सचेंजों को निगमित अभिशासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के आधार पर समय–समय पर स्टॉक एक्सचेंजों से इस संबंध में कंपनी को नोटिस भी प्राप्त हुआ है।

गेल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी है, निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित/नियुक्त किए जाते हैं। कंपनी स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के लिए भारत सरकार को लगातार अनुरोध करती रहती है ताकि डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 49 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया जा सके।

प्रेक्षण सं. 3 : सीएसआर समिति, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1), 177(2) और 178(1) और कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 का अननुपालन।

कंपनी का उत्तर : कंपनी दिनांक 28.2.2015 तक सीएसआर समिति, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना का अनुपालन कर रही थी। तथापि, दिनांक 28.02.2015 को स्वतंत्र निदेशक के न रहने के पश्चात् कंपनी अधिनियम, 2013 के उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी।

प्रेक्षण सं. 4 : स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–IV (VIII) और धारा 178(2) के साथ पठित धारा 149(8) का अननुपालन।

कंपनी का उत्तर : गेल एक सरकारी कंपनी है, इसलिए स्वतंत्र निदेशों का कार्यकाल, निष्पादन मूल्यांकन और अवधि का विस्तार कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि :

गेल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सरकारी कंपनी है, निदेशकों को नामित/नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या का चयन करने के प्रोसेस में है। स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के अभाव में कंपनी ने वर्ष 2014–15 के लिए निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित अनिवार्य अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है। 28.02.2015 से गेल के बोर्ड में दो स्वतंत्र निदेशकों की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् कंपनी सूचीकरण करार के खंड 49 और कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा विनिर्दिष्ट नामांकन और पारिश्रमिक समिति और सीएसआर समिति की संरचना और महिला निदेशक, स्वतंत्र निदेशकों, योग्यता और स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति की नियुक्ति के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी।

सामान्यतः बोर्ड बैठकों को आयोजित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया जाता है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट सात दिन पहले भेजे गए थे और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और सूचना और स्पष्टीकरणों को मांगने और प्राप्त करने और बैठकों में अर्थवान सहभागिता के लिए प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड/समिति बैठकों में किए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मति के किए गए थे।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित और मानीटर करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई विशेष घटनाएं/कार्रवाई नहीं हुई थी जिसका उपर्युक्त उल्लिखित कानूनों के अनुसरण में कंपनी के कार्यों पर प्रमुख प्रभाव हो।

कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट

कंपनी सचिव

सचिन अग्रवाल

एफसीएस नं. : 5774

सी.पी. नं. : 5910

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 11 जून, 2015

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो **"अनुलग्नक–1"** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

अनुलग्नक – 1

सेवा में

सदस्य,

गेल (इंडिया) लिमिटेड

हमारी समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी चाहिए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड के अनुरक्षण की जिम्मेदारी कम्पनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर मत व्यक्त करना है।
2. हमने लेखा प्रथाएं और प्रक्रिया अपनाएं है जैसा कि वे सचिवीय रिकार्डों की सामग्री की शुद्धता के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन जांच आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकार्डों में सही तथ्य प्रतिबिंबित होते हैं। हम विश्वास करते है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और प्रथाएं हमारे मत के लिए समुचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों और खाता बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित किया है।
4. जहां कहीं अपेक्षित है हमने प्रबंध का कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं के होने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. निगमित और अन्य प्रयोज्य कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक समिति थी।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए आश्वासन है और न ही क्षमता और प्रभाविता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

कृते अग्रवाल एस. एण्ड एसोसिएट
कंपनी सचिव

(सचिन अग्रवाल)
एफसीएस सं. : 5774
सी.पी. सं. 5910

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11 जून, 2015

अनुलग्नक–ङ

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा और शुरू की जाने वाली परियोजनाएं या प्रस्तावित कार्यक्रम

आपकी कंपनी निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्ध रही है जिन्हें यह दृढ़ता से विश्वास करती है कि देश के विकास में निर्धारक भूमिका निभाते है। आपकी कंपनी का सभी हितधारकों के लिए 'मूल्य सृजन' का विजन सामाजिक हस्तक्षेपों के पीछे मार्गदर्शक बल बना हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक जोरदार अभिशासन संरचना और सीएसआर व्यावसायिकों की समर्पित टीम अर्थवान सामाजिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन और चयन में सहायता करती है जिनको कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विनिर्दिष्ट हस्तक्षेप के क्षेत्रों के अनुरूप बनाया गया है। सभी सीएसआर हस्तक्षेपों से प्रति परियोजना आधारित दृष्टिकोण का अनुपालन करते हुए, जैसा कि सीएसआर नीति में दिया गया है, आपकी कंपनी ने सीएसआर कार्यक्रमों के मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किया है जो आपकी कंपनी के प्रमुख निर्माण कार्यों/संस्थाओं के निकट से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VIII के तहत यथा परिभाषित आपकी कंपनी ने सीएसआर हस्तक्षेप के सात व्यापक क्षेत्रों की पहचान की है। उनमें से प्रत्येक को वह शीर्षक दिया गया है जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं नामतः **आरोग्य** (स्वास्थ्य) – पोषण, स्वास्थ्य और स्च्छता और पीने की परियोजनाएं, **उज्जवल** (उज्जवल भविष्य की ओर) –शिक्षा पहलें, **कौशल** (कौशल) –जीवन निर्वाह पैदा करना और कौशल विकास पहलें, **उन्नति** (प्रगति) – ग्रामीण विकास, **सशक्त** (सशक्तिकरण) – महिला सशक्तिकरण पहलें, **सक्षम** (सक्षम) – वृद्धों और विकलांगों की देखभाल और **हरित** (हरा) – पर्यावरण पर केन्द्रित पहलें। इन प्रत्येक व्यापक क्षेत्रों के तहत पहलों के ब्यौरे प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में प्रदान किए गए हैं।

आपकी कंपनी विश्वास करती है कि यह लोगों की जरूरतों पर ध्यान दें रही है, समुदायों को लाभ दे रही है। और पर्यावरण का संरक्षण कर रही है जो अंततः बृहत्तर की संधारणीय प्रगति के लक्ष्य की ओर ले जाएगा। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और उसमें सीएसआर नियमों के अनुसार आपकी कंपनी की सीएसआर नीति मार्च, 2015 में संशोधित की गई थी और तदनुसार इसे कंपनी के वेबसाइट www.gailonline.com पर दिया गया है। जैसा कि सीएसआर नीति में स्थापित किया गया है आपकी कंपनी बहु–हितधारक दृष्टिकोण अपनाती है, समुदायों, सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं और अन्यों के साथ सहयोग करती हैं, उभरती मुद्दों की पहचान करने का प्रयास करती है, परियोजनाएं विकसित की जाएं और चुनौतियों का प्रभावशाली ढंग से उत्तर दिया जा सके। आपकी कंपनी इसके सीएसआर हस्तक्षेपों की पहचान करने, क्रियान्वित करने, संधारणीयता और मानीटरिंग के लिए संधारणीयता, मापनीयता और पारदर्शिता को अधिकल्प किया जा सके। कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा अधिदेशित आपकी कंपनी वार्षिक आधार पर सीएसआर हस्तक्षेपों के लिए पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ (कर पूर्व लाभ) का दो प्रतिशत आवंटित करती है।

- **महत्वपूर्ण सीएसआर हस्तक्षेप**

लक्षित लाभभोगियों के लिए आपकी कंपनी के सीएसआर प्रयासों को अधिक प्रभावी और मूर्त बनाने के उद्देश्य से स्वतः संधारणीयता के लिए दीर्घकालीन वचनबद्धता और उपाय प्रमुख परियोजनाओं के डिजाइन में परस्पर–गुंथा हुआ है। वर्ष के दौरान सीएसआर के तहत शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें नीचे दी गई हैं :

भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में हाथ मिलाना

माननीय प्रधानमंत्री के ''स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत'' मिशन के लिए आह्वान के भाग के रूप में आपकी कंपनी ने अभियान को ज्वाइन किया है और सभी के लिए स्वास्थ्य सफाई सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभा रही है। स्वास्थ स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने के प्रति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए उल्लेखनीय उपाय में आपकी कंपनी ''स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय'' कार्यक्रम के तहत निर्माण करने के साथ–साथ जल सुविधा के साथ लगभग 3500 शौचालयों के निर्माण/कार्यात्मकता का समर्थन कर रही है।

उत्तराखण्ड में अचानक आई बाढ़ के पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास – परियोजना सृजन

उत्तराखण्ड में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ के पश्चात् आपकी कंपनी मैं पुनर्वास और समुदाय के दीर्घकालीन पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण पहल की हुई भारी विनाश और हानि–मानव, सामग्री और वित्तीय, आवश्यक जरूरत दीर्घकालीन उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था। यह खाद्य और पोषण, सुरक्षा प्रदान करके आय पैदा करने के अवसरों का सृजन करके और सबके महत्वपूर्ण अति संवेदनशील समूहों–महिलाओं और बच्चों (युवा व्यस्क) को सशक्त बनाना था। परियोजना सृजन (सृजन) 4 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई थी और परियोजना के प्रमुख घटक क्षमता निर्माण, जीवन निर्वाह पुष्टि, अवसंरचना/परिसंपत्ति सृजन, आपदा प्रबंधन और कम करना था। परियोजना सृजन के तहत 1000 महिलाओं से वैसन्धिक जीवननिर्वाह पैदा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, रुद्रप्रयाग के आपदाग्रस्त क्षेत्र में आपदा अभेद्य निर्माण के लिए मिस्त्रियों को प्रशिक्षण और उत्तराखंड, सामुदायिक संसाधन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। बनाए गए 36 स्वयं सहायता समूह और कृषक हित समूह परियोजना में शामिल किए गए, एसएचजी/व्यक्तियों के उत्पाद को बेचने के लिए दुकानें स्थापित की जा रही है। पूर्व निर्मित प्रौद्योगिकी और बांस की सामग्री के आधार पर आपदा से सुरक्षित परिवार स्थापित किए गए प्रायोगिक और बहु घराट के रूप में – पन बिजली आधारित पीसने और विद्युत पैदा करने की इकाइयां स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त परियोजना में जागरूकता पैदा करने और सुग्रहीकरण के लिए 53 कार्यशालाओं में आपदा प्रबंधन और कम करना आयोजित किया गया जिसमें 800 से अधिक लोगों की सहभागिता देखी गई।

इसके अतिरिक्त, उत्तराखण्ड बाढ़ के प्रभावित लोगों के लिए एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं और रुद्रप्रयाग क्षेत्र में वृद्ध जनसंख्या को 45 गांवों और 6000 लोगों को कवर करते हुए 2 मोबाइल चिकित्सा यूनिट के रूप में विस्तार किया गया।

- **पहचान किए गए संकेन्द्रित क्षेत्रों के तहत प्रमुख परियोजनाएं**

आपकी कंपनी की सीएसआर परियोजनाएं हस्तक्षेप के व्यापक क्षेत्रों की परिधि में की जाती हैं का नाम/शीर्षक ठीक ही रखा गया है ताकि वे जो प्राप्त करना चाहते है कि भावना और उद्देश्य प्रदर्शित हो। इन परियोजनाओं में से कुछ की मुख्य–मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :

उज्जवल : शिक्षा केन्द्रित पहलें

कम सुविधा वालों में शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने के लिए आपकी कंपनी ने स्कूल अवसंरचना जैसे कक्षा के कमरे, आईटी सुविधाएं, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला के सृजन में योगदान दिया है और विद्यार्थियों में सृजनता को बढ़ाने और बच्चों की उपस्थिति में सुधार के लिए स्कूलों को उपस्कर और लेखन–सामग्री का प्रावधान। आपकी कंपनी का समावेशी विकास दर्शन विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए शिक्षा को श्रवण सहायता और अन्य सहायता उपकरणों के प्रावधान के माध्यम से संभावना बनाता है ताकि ऐसे विशेष बच्चों को मुख्य धारा में ज्वाइन करने की मदद दी जा सके। सामाजिक लांछनों से हटते हुए आपकी कंपनी ने सामाजिक हस्तक्षेप जैसे परियोजना **उदय** भी शुरू की है जिसमें उच्च जोखिम वाले बच्चों/सेक्स कामगारों के बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास को मध्य प्रदेश के गुणा जिले में शुरू किया गया था।

आपकी कंपनी का फ्लैगशिप कार्यक्रम **उत्कर्ष** का लक्ष्य सीमान्तिक समुदायों से प्रशंसनीय बच्चों पर है; विशेष रिहायशी कोचिंग/व्यापक परामर्श सभी खर्चों का प्रावधान किया जाता है ताकि वे इंजीनियरी प्रवेश परीक्षा जैसे कि आईआईटी/जेडीई, एआईईईई और यूपीटीयू के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें। वर्ष 2014–15 के लिए इस कार्यक्रम के लिए अतिसावधान चयन प्रोसेस के माध्यम से 100 विद्यार्थियों की पहचान की गई थी। इनमें से 92 ने आईआईटी मेन पास किया है और 50 ने अग्रिम चरण की पास की है।

उज्जवल बाल क्षेत्र के तहत किए गए शिक्षा केन्द्रित हस्तक्षेपों के अलावा आपकी कंपनी ने मेरिट के आधार पर जरूरतमंद बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के

लिए गेल धर्माथ और शिक्षा ट्रस्ट भी स्थापित किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में आपकी कंपनी ने असम और जम्मू व कश्मीर के जिलों में 600 हिंसा प्रभावित बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की। परियोजना उत्कर्ष के 281 लाभभोगियों को छात्रवृत्तियां, 2 वर्ष के लिए दिल्ली/एनसीआर में 123 कम सुविधा प्राप्त बच्चों के लिए स्कूली षिक्षा और आईआईटी/जेईई के लिए सहायता, आपकी कंपनी के कार्य केन्द्रों में विभिन्न स्कूलों से 370 प्रशंसनीय बच्चों को छात्रवृत्ति, गणित ओलम्पियाड के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों से कम सुविधा प्राप्त 40 प्रशंसनीय बच्चों को प्रशिक्षण और तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के चुनिंदा जिलों में सरकारी स्कूलों में स्कूल फर्नीचर, शिक्षण उपकरण, कम्प्यूटर और प्रोजेक्ट, पानी के कूलर आदि की खरीद और वितरण के लिए वित्तीय सहायता।

आरोग्यः स्वास्थ्य और स्वच्छता, पीने के पानी और पोषण से संबंधित पहलों को कवर करते हुए समग्र स्वस्थता

आपकी कंपनी हस्तक्षेप जो ग्रामीण और सीमांतिक समुदायों के लिए कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं अभिगम्य और खर्च सहने योग्य बनाते हैं शुरू करके स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए सक्रिय प्रयास कर रही है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्यों में 374 गांवों और लगभग 3,20,000 की जनसंख्या को कवर करते हुए हुए 18 मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रचालित कर रही है। व्यवसाय प्रचालनों को आगे बढ़ाने के लिए परिवाहकों/चालकों/ट्रकरों की भूमिका और महत्व को समझते हुए और इस खंड के साथ संबंद्ध एचआईवी/एड्स की समस्या को संबोधित करने के लिए आपकी कंपनी उत्तर प्रदेश में एसटीआई क्लिनिक चला रही है। पीएचसी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र), नगरम (गांव), मामिडीकुद्रु मंडल और सीएचसी, राजोल को नए चिकित्सा उपस्कर भी प्रदान किए गए थे। आपकी कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच चिकित्सा/स्वास्थ्य कैम्प नियमित रूप से आयोजित करती रही है।

जल की कमी एक वैश्विक चिंता है, इसलिए आपकी कंपनी समाप्त होते हुए प्राकृतिक संसाधन के रूप में जल को महत्व देती हैं। पहुंच में समर्थ होने और पीने के पानी की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए आपकी कंपनी ने एकीकृत प्रबंध कार्यनीति अपनायी है जो जिम्मेदारी प्रबंध और पर्यावरणीय प्रबंधक का समर्थन करती है। आपकी कंपनी ने बोर–वैल, ट्यूबवैल, हैंडपम्प, उपरी टैंक, सबमर्सिबल पम्प के साथ–साथ भंडारण सुविधाओं की स्थापना में सुविधा दी है और वर्षा के पानी के संचय और इस हस्तक्षेप के मांग के रूप में गांवों में रोक बांधों/सिंचाई प्रणालियों का संवर्धन किया है।

कौशल : जीवन निर्वाह पैदा करना और कौशल विकास पहलें सीमांत को समर्थ और सशक्त बनाना ताकि वे आपकी कंपनी के कौशल विकास केन्द्रित पहलों के हृदय में बैठे परिवर्तन के एजेंट बन सकें। आपकी कंपनी आईएलएण्डएफएस के सहयोग से गुना (मध्य प्रदेश), डेडियापड़ा (नर्मदा, गुजरात), टनडूर (रंगारेड्डी, तेलंगाना) के सुदूर/पिछड़े जिलों में ग्रामीण और अर्धशहरी युवाओं को सेवा क्षेत्र ट्रेड जैसे कि खुदरा व्यापार/बिक्री आतित्य प्रबंध, बुनियादी इंजीनियरी आदि में नौकरी से जुड़े कौशल को प्रदान करने के लिए 3 कौशल स्कूल प्रचालित कर रही है। इन कौशल स्कूलों में पिछले वित्त वर्ष 2014–15 में 3380 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया था। इन तीन कौशल स्कूलों के अलावा, गेल कौशल संस्थान नगरम, पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है जहां 49 विद्यार्थियों को वेबडिजाइनिंग, आटो सीएडी और औद्योगिक इलेक्ट्रिशियन पाठ्यक्रमों में कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया था। केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीईटी), अहमदाबाद के माध्यम से प्लास्टिक से संबद्ध ट्रेंडो में सुविधाहीन समुदाय से 60 लाभभोगियों को प्रशिक्षण दिया गया था। 500 लोगों को तमिलनाडु और पांडिचेरी में कृषक सलाहकार केन्द्र के माध्यम से कृषि आधारित प्रशिक्षण दिया गया था।

सशक्त : महिला सशक्तिकरण पहलें

आपकी कंपनी दृढ़ता से विश्वास करती है कि महिला की स्थिति समाज की प्रगति का सही प्रतिबिंब है। यद्यपि महिलाओं को लाभभोगियों के भाग के रूप में सदैव शामिल किया जाता है फिर भी आपकी कंपनी ने अब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से संकेन्द्रित नए बल वाले क्षेत्र का सृजन किया है। यह डीपीई के दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के नियमों के अनुरूप भी है। पिछले वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम के साथ साझेदारी में बीपीओ, व्यक्तित्व विकास, और काल सेंटर से संबंधित कौशलों में असम ढौर त्रिपुरा के राज्यों से 486 सफाई कर्मचारी महिलाओं को प्रशिक्षण और प्लेसमेंट समर्थन प्रदान किया गया था, दिल्ली के शहरी स्लम से 100 किशोर लड़कियों और महिलाओं को लिंग सुग्राहीकरण, कानूनी जागरूकता और रोजगार कौशल प्रशिक्षण और समुदाय के नेतृत्व में माइक्रो वित्त के लिए महिलाओं की संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता और राजस्थान में अजमेर जिले के मसुडा और पिसान गांव में स्थानीय संवर्ग विकसित करने के लिए सहायता।

उन्नति : ग्रामीण विकास और अवंसरचना पहलें

आपकी कंपनी तिहरी आधार रेखा अर्थात लोग, लाभ, प्लेनट द्वारा मार्गदर्शित है और इस तथ्य का संज्ञान लेती है कि समाज की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्वास्थ्य से परस्पर संबद्ध है। इसलिए इस बल क्षेत्र के तहत आपकी कंपनी के हस्तक्षेप इन तीन लक्ष्यों को क्रमबद्ध रूप से पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए है। भारी सफल वाटरशेड विकास और प्रबंध कार्यक्रम, परियोजना जलधर 48 से अधिक स्वयं सहायता समूहों के कार्यकरण में परिणत हुआ था जिसने इसके बदले में झाबुआ की जनजातीय महिलाओं मे आय पैदा करने और बचतों को बढ़ावा देने, 15 वाटरशेड संरचनाएं और 3500 वृक्ष/पौधों के रोपण में सुविधा दी है। ये सभी गतिविधियां झाबुआ वाटरशेड, मूश्दा गुणवत्ता और परियोजना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और समुदाय के साथ नियमित परस्पर संपर्क और बैठकों के लिए डाटाबेस के सृजन और व्यापक मूल्यांकन के पश्चात् शुरू किया गया है। आपकी कंपनी ने सड़कों, नहरों, सीसी सड़कों, औराया (उत्तर प्रदेश), पूर्वी गोदावरी (मध्य प्रदेश) और एर्नाकुलम (केरल) के विभिन्न गांवों में दीवारों को रखकर और पहचान किए गए गांवों में 1200 से अधिक सौर स्ट्रीट लाइटों की संस्थापना और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के विभिन्न गांवों में ऊर्जा के गैर–पारम्परिक स्रोतों के संवर्धन के माध्यम से परिसंपत्ति सृजन में निवेश किए।

सक्षम : वृद्ध और विकलांगों की देखभाल

आपकी कंपनी इस तथ्य के प्रति संवेदी है कि हस्तक्षेपों को विकास की परिधि पर समुदायों की जरूरतों को संबोधित करने चाहिए और यह अपनी जिम्मेदारी को विभिन्न हितधारक समूहों, सभी के समग्र विकास के लिए पहचानती है। स्वाधीन परियोजना के तहत राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास कारपोरेशन के साथ भागीदारी में भारत में 18 राज्यों के लगभग 48 जिलों में विभिन्न व्यवसायों में विकलांग 1500 व्यक्तियों को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया था वृद्धों के दुरुपयोग के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक नवीन परियोजना लाखों मुस्कुराहटों की वापसी नाम की परियोजना शुरू की गई थी। परियोजना में युवाओं को सुग्राही करने पर लक्षित समग्र मीडिया अभियान शुरू करना और उनकी कमजोर और वृद्धों की समस्याओं/मुद्दों के प्रति जागरूकता के उनके स्तरों को बढ़ाना है।

पिछले वित्तीय वर्ष में शुरू की गई सीएसआर पहलों पर आपकी कंपनी का सामाजिक निवेश 118 करोड़ रुपए रहा है। आपकी कंपनी की सीएसआर नीति वेबसाइट http://www.gailonline.com/final_site/pdf/final_policy2010.pdf. में दी गई है।

2. बोर्ड की सीएसआर समिति

दिनांक 31.3.2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड की सीएसआर समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री बी.सी. त्रिपाठी, सदस्यों के रूप में श्री एम. रविन्द्रन और श्री आशुतोष जिंदल शामिल थे।

श्रीमती श्यामला गोपीनाथ और डा. ए.के. खण्डेलवाल, स्वतंत्र निदेशक (सीएसआर) समिति के सदस्य थे (28.02.2015 तक)

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए औसत निवल लाभ

वित्तीय वर्ष	कर से पहले निवल लाभ (करोड़ रुपए)
2011-12	5340.01
2012-13	6057.77
2013-14	6402.32
जोड़ (क)	17800.10
03 वित्तीय वर्षों का औसत = (क)/3	**5933.37**

4. विनिर्धारित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद 3 में राशि का से दो प्रतिशत)

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वित्त वर्ष 2014–15 के लिए विनिर्धारित सीएसआर व्यय 118.67 करोड़ रुपए था।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर खर्चे का ब्यौरा

(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि – 118.67 करोड़ रुपए

(ख) खर्च की राशि, यदि कोई हो लगभग* 77.31 करोड़ रुपए (71.69 करोड़ रुपए वर्ष के दौरान खर्च किए गए जिसमें से 41.36 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2014–15 से संबंधित हैं)।

(ग)ढंग जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान राशि खर्च की गई के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

* वित्त वर्ष 2014–15 में अनुमोदित परियोजनाओं के लिए :

(₹ राशि में)

क्रम सं.	सीएसआर परियोजना या पहचान की गई गतिविधि	क्षेत्र जिसमें परियोजना कवर होती है (कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची vii के अनुसार गतिविधि)	परियोजना या कार्यक्रम (i) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (ii) राज्य या जिला जहां परियोजना या कार्यक्रम शुरू किया गया	राशि परियोजना (बजट) परियोजना या कार्यक्रम–वार	परियोजना या कार्यक्रमों पर खर्च राशि उप–शीर्ष : (1) परियोजना या कार्यक्रमों पर सीधा व्यय (2) उपरी खर्चे*	रिपोर्टिंग अवधि के लिए संचित व्यय	खर्च की गई राशि : सीधे या क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	गेल कौशल–कौशल विकास और जीवन निर्वाह पैदा करने की पहलें	(i) व्यावसायिक कौशल बढ़ाना और जीवननिर्वाह बढ़ाना (ii) महिला सशक्तिकरण	स्थानीय क्षेत्र पूर्व गोदावरी (आंध्र प्रदेश), गुना (मध्य प्रदेश), गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिवसागर (असम), अगरतला (त्रिपुरा), नर्मदा (गुजरात) रंगारेड्डी (तेलंगाना)	11,00,36,000	1,70,53,740	1,70,53,740	क्रियान्व्यन एजेंसी–सीपीएसई / लि. कंपनी
2	गेल उज्जवल–अवसंरचना विकास सहित शिक्षा पहलें	(i) शिक्षा का संवर्धन	मेहबूबनगर (तेलंगाना), कानपुर (उत्तर प्रदेश)	5,79,64,000	2,76,50,869	2,76,50,869	क्रियान्वयन एजेंसी–सरकारी एजेंसी / एनजीओ
3	गेल उन्नति–अवसंरचना विकास सहित ग्रामीण विकास पहलें	(i) ग्रामीण विकास (ii) व्यावसायिक कौशल बढ़ाना और जीवन निर्वाह बढ़ाना	स्थानीय क्षेत्र ओराया (उत्तर प्रदेश), झाबुआ (मध्य प्रदेश) अन्य रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड)–आपदा प्रभावित	8,80,97,000	6,06,70,000	6,06,70,000	क्रियान्वयन एजेंसी–सरकारी एजेंसी / एनजीओ
4	गेल आरोग्य–पोषण, स्वास्थ्य की देखभाल और पीने के पानी के लिए पहलें	(i) निवारक स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन (ii)पीने के पानी का प्रावधान	स्थानीय क्षेत्र पूर्वी गोदावरी (आंध्र प्रदेश), मुरैना, झाबुआ, गुना, उज्जैन (मध्य प्रदेश), भरुच (गुजरात), फरीदाबाद, गुडगांव (हरियाणा), हरिद्वार (उत्तराखण्ड), लुधियाना (पंजाब), ओराया (उत्तर प्रदेश)	15,15,09,000	5,98,02,000	5,98,02,000	क्रियान्वयन एजेंसी–एनजीओ / ट्रस्ट
5	स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्कूल प्रसाधनों का प्रावधान	(i) स्वच्छता	स्थानीय क्षेत्र पूर्व और पश्चिमी गोदावरी (आंध्र प्रदेश) अन्य ओडिशा के विभिन्न जिले	26,64,00,000	63,60,691	63,60,691	क्रियान्वयन एजेंसी–निविदा के जरिए पहचान की गई एजेंसियां

^ किसी उपरी खर्चे पर विचार नहीं किया गया है।

टिप्पणी : इस सूची में केवल वित्त वर्ष 2014–15 में क्रियान्वयन के लिए प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं, जिन्हें चालू वर्ष में भी जारी रखा जा रहा है। इसमें (i) परियोजनाएं जिन्हें छोड़ दिया गया है (ii) परियोजनाएं जो आज तक शुरू नहीं हुई (iii) 1 करोड़ रुपए मूल्य की छोटी परियोजनाएं शामिल नहीं है।

गेल प्रबंधन पुस्तक पंख का लोकार्पण करते हुए, गेल उत्कर्ष लाभभोगियों की सफलता की कहानी

6. निर्धारित व्यय की तुलना में कम खर्च करने के लिए कारण

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ (118.67 करोड़ रुपए) के 2% के निर्धारित खर्च के विरूद्ध आपकी कंपनी ने भारत में क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए 118.06 करोड़ रुपए (औसत निवल लाभ का 1.99%) सरकार के स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रमों के प्रति प्रतिबद्ध किया गया था, जिसमें ओडिशा (जिला खुरदा और जिला नयागढ़) और आंध्र प्रदेश (जिला पूर्व गोदावरी और पश्चिम गोदावरी) में प्रसाधन यूनिटों को निर्माण/नवीनीकरण के लिए हाथ में लिया गया था।

उक्त वचनबद्धता के विरूद्ध आपकी कंपनी ने लगभग 71.89 करोड़ रुपए का व्यय किया है जो पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 1.21% बनता है। निर्धारित/विनिर्धारित व्ययों से कमी निम्नलिखित कारणों से हैं :

1. बजट का लगभग 23% भुगतान संबद्ध उपलब्धियों के साथ स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय के भाग के रूप में प्रसाधन निर्माण के प्रति वचनबद्ध किया गया था। चूंकि स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय के तहत गतिविधियां जनवरी–फरवरी, 2015 में शुरू हुई और कार्यान्वयन 4–6 महीनों में फैला हुआ है, इसलिए आवंटित बजट के विरूद्ध प्रमुख व्यय क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ हस्ताक्षरित करार में यथा दी गई परियोजना की प्रगति की प्राप्ति पर अगले तीन या चार महीनों में किया जाएगा।
2. चालू वित्तीय वर्ष के दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही में बोर्ड द्वारा बहुत से परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था और क्रियान्वयन एक से दो वर्षों के दौरान फैला हुआ है। चूंकि लगभग सभी सीएसआर परियोजनाओं को परियोजना विधि में निष्पन्न किया जाता है और भुगतान लक्ष्यों की प्राप्ति से संबद्ध होते हैं, इसलिए उनके विरूद्ध व्यय वित्तीय वर्ष से परे तक जाता है, अब वित्तीय वर्ष के दौरान वचनबद्ध परियोजनाओं के लिए भुगतान बाद के महीनों में जारी किए जाएंगे।

बोर्ड की सीएआर समिति का जिम्मेदारी वक्तव्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और मानीटरिंग कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

एम रविन्द्रन

(एम. रविन्द्रन)
निदेशक (एचआर)

त्रिपाठी

(बी.सी. त्रिपाठी)
अध्यक्ष, सीएसआर समिति

दिनांक : 5 अगस्त, 2015

अनुलग्नक–च

कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

क. ऊर्जा संरक्षण

(i) ऊर्जा संरक्षण हेतु किए गए उपाय अथवा उन पर प्रभाव :

1. **वाघोडिया में एचआरएसजी ड्रम स्तरीय नियंत्रण हेतु आशोधन :** एचआरएसजी ड्रम स्तर नियंत्रण में मामूली आशोधन से 47 मेगावाट प्रतिमाह की ऊर्जा बचत हुई है। इसने 80 तक किफायतकारी ट्यूबों में रिसाव की घटनाओं को भी कम किया है। इस आशोधन से कुल वास्तविक लाभ ₹ 42.30 लाख हुआ है।
2. **विजयपुर में ClO_2 सिस्टम लगाना :** अधिक सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल क्लोरीन डाई–आक्साइड सिस्टम को CT-1 और CT-2 में पहले से प्रयुक्त क्लोरीन गैस डोजिंग सिस्टम को बदलते हुए जल शोधन हेतु शुरू किया गया था।
3. **एचवीजे कम्प्रेसर में एफजीडीसीएस को उन्नत बनाना :** फायर एवं गैस डिटेक्शन एवं सुप्रेक्षण नियंत्रण सिस्टम (एफजीडीसीएस) को एचवीजे कम्प्रेसर में सभी गैस टर्बाईन कम्प्रेसर (जीटीसी) में संस्थापित किया गया है, जो जीटीसी का एक बड़ा सेफ्टी सिस्टम है। इन सिस्टमों को नवीनतम अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से उन्नत बनाया गया है।
4. **सभी कम्प्रेसर स्टेशनों में वाइब्रेशन उपकरण के आनलाइन रोटेटिंग मॉनीटरिंग सिस्टम का एकीकरण :** वाइब्रेशन उपकरण प्राकृतिक गैस संचरण में बड़ी भूमिका अदा करता है। आपकी कंपनी ने केन्द्रीय रूप में वाइब्रेशन उपकरण की कार्यप्रणाली को मॉनीटर करने के लिए एकीकृत ऑनलाइन रोटेटिंग मॉनीटरिंग सिस्टम लगाए हैं।
5. **वैश्विक मिथेन पहल के संबंध में बचनबद्धता :** आपकी कंपनी वैश्विक मिथेन पहल के तहत यूएसईपीए प्राकृतिक गैस स्टार प्रोग्राम की एक भागीदार कम्पनी है। इस प्रोग्राम के भाग के रूप में हम अपने क्षणभंगुर उत्सर्जनों को कम करने के लिए बचनबद्ध हैं। हमने इस कार्यक्रम के तहत कई पहल किए हैं, जैसे कि अस्थायी उत्सर्जनों के निर्धारण हेतु इन्फ्रारेड की प्राप्ति और कम्प्रेसरों पर गैस निकास पुनःप्राप्ति सिस्टम को सील करना।
6. **अप्रचलित प्रौद्योगिकी को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से अद्यतन बनाना:** आपकी कंपनी ने सेंट्रल रीजन ओ एवं एम के तहत अप्रचलित प्रौद्योगिकीयों को उन्नत बनाने के लिए और नवीनतम सिस्टमों से बदलने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जैसे कि – झाबुआ में फेसिलिटी कंट्रोल पैनल को वाघोडिया में जीईजी कंट्रोल सिस्टम को उन्नत बनाना; जीपीयू वाघोडिया आदि में एसआईएल 3 बेस्ड पीएलसी सिस्टम के लिए एलपीजी प्लांट ईएसडी सिस्टम को उन्नत बनाना।
7. **वीएफडी के जरिए प्रवाह नियंत्रण :** सिस्टम अपेक्षा के अनुसार सीडब्ल्यू निर्माण पम्प की आवृत्ति ने प्रवाह एवं हेड को ईष्टतम बनाने के लिए वीएफडी के जरिए कम किया है। इससे प्रतिवर्ष 39 मेगावाट एच ऊर्जा की बचत हुई है, जो ₹ 2.5 लाख/वर्ष की तदनुरूपी वर्ष की तुलना में है।
8. **विद्युत सिस्टम में किया गया आशोधन :** आपकी कंपनी जैसे कि जेएलपीएल और गांधार के विभिन्न स्थानों में T5/एलईडी बिजली सिस्टमों की अधिक ऊर्जा दक्षता के साथ अभिसामयिक बिजली सिस्टम (एचपीएमवी/एचपीएसवी/T8/जीएलएस) का प्रतिस्थापन ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने के लिए किया गया है।

(ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए कम्पनी द्वारा उठाए गए कदम :

1. एसवी स्टेशनों में विभिन्न उपकरणों की फीडिंग हेतु विद्युत के प्राथमिक स्रोत के रूप में जेएलपीएलएसवी स्टेशनों में सौर आधारित विद्युत पैनल तैयार किए गए हैं। एसवी–60, 61 एवं एसवी 62 में सौर आधारित विद्युत के लिए प्रापण कार्रवाई पहले से शुरू की गई है। इन एसवी स्टेशनों पर लागू करने के बाद सौर आधारित विद्युत पैनलों को चरणबद्ध तरीके में जेएलपीएल में अन्य एसवी स्टेशनों में भी स्थापित किया जाएगा।
2. सौर आधारित विद्युत आपूर्ति का राजस्थान प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क में नये एससीएडीए परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव किया गया है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश :

जेएलपीएल में एसवी–60/61/62 में सौर पैनलों के संबंध में लगभग ₹90 लाख का पूंजी निवेश।

(ख) प्रौद्योगिकी समावेषन :

(i) प्रौद्योगिकी समावेशन के संबंध में किए गए प्रयास

1. केन्द्रीकृत पाइपलाइन अखण्डता प्रबंधन सिस्टम (सीपीआईएमएस) के रूप में उद्यम–वार साफ्टवेयर एप्लीकेशन को क्रियान्वयन हेतु शुरू किया गया था। सीपीआईएमएस में विभिन्न मॉड्यूल शामिल हैं। अर्थात् डाटा बेस मॉड्यूल, भय एवं जोखिम निर्धारण मॉड्यूल, क्षारण विश्लेषण, कैथोडिक संरक्षण विश्लेषक, भू–आकाशीय विश्लेषक, प्रेसर परीक्षण मॉड्यूल कार्य प्रबंधक, रिपोर्टिंग मॉड्यूल, प्रबंधन डैशबोर्ड, जो एकीकृत एवं विस्तृत कार्यप्रणाली को सुकर बनाएंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। सीपीआईएमएस अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत डाटा बेस सिस्टम है, अर्थात् सभी पाइपलाइन से संबंधित डाटा के प्रबंधन हेतु पाइपलाइन ओपन डाटाबेस (पीओडीएस)।
2. आपकी कंपनी अपने सभी 13000 किमी. पाइपलाइनों को क्रियान्वित कर रहा है। जीआईएस मैपिंग, पाइपलाइन समाधान साफ्टवेयर है, जहां समस्त पाइपलाइन से संबंधित जानकारी सेटेलाइट पर एकल प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
3. आपकी कंपनी लाइन पेट्रोलिंग की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए पाइपलाइन मार्ग में पेट्रोलमैन क्रिया विधि का पता लगाने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग समाधान का उपयोग कर रही है।

(ii) प्राप्त लाभ, जैसे कि उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन

उपरोक्त प्रौद्योगिकियों का क्रियान्वयन, प्रचालन एवं रखरखाव पद्धतियों में निम्नलिखित गुणात्मक सुधार को प्रभावित करेगा :

1) केन्द्रीकृत पाइपलाइन अखंडता प्रबंधन सिस्टम (सीपीआईएमएस) निम्नलिखित फायदे पहुंचाएगा:

   क. सभी पाइपलाइनों के जोखिम निर्धारण को पूरा करने की क्षमता

   ख. अखण्डता निर्धारण सर्वेक्षणों के विश्लेषण हेतु विश्लेषणात्मक साधन

   ग. कम्पनी के संबंध में अखण्डता प्रबंधन सिस्टम को जीआईएस डाटाबेस से एकीकृत करता है

   घ. वेब आधारित प्रबंधन डैशबोर्ड को अखण्डता एवं जोखिम रैंकिंग से एकीकृत करता है

   ङ सभी पाइपलाइनों की अखण्डता डाटा विश्लेषण एवं आधान हेतु ऑनलाइन एवं एकल प्लेटफॉर्म

2) भौगोलिक जानकारी सिस्टम (जीआईएस) मैपिंग का क्रियान्वयन निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगा:

- यह पूरे देश में भौगोलिक स्थान समन्वय के साथ सभी गेल नेटवर्कों से संबंधित समेकित पाइपलाइन एवं अन्य सम्पत्ति डाटा उपलब्ध कराएगा, जिसमें, भूमि रिकॉर्ड, पाइपलाइन के साथ जनसंख्या घनत्व, पाइपलाइन की गहराई, एकल ऑनलाइन वेब प्लेटफार्म पर आपात एवं आपदा अनुक्रिया

जानकारी शामिल है।

- दूसरे हित बिन्दुओं जैसे कि नजदीकी अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि को ऑनलाइन देखने और आपात स्थितियों की स्थिति में त्वरित जवाबदेही हेतु प्रमुख सड़कों से पाइपलाइन आरओयू के पहुंच मार्ग भी उपलब्ध होंगे।
- हाई रेजोल्यूशन सेटेलाइट एमेजरी (एचआरएसआई) प्रोसेसिंग और पाइपलाइन मार्ग क्षेत्र के डिजिटल एलीवेटर मॉडल (डीईएस) द्वारा आधार मैप सृजन।

3) जीपीएस ट्रैकिंग समाधान पाइपलाइन पेट्रोलिंग को पूरा करते समय पेट्रोलमैन की गतिविधि का पता लगाने में और वास्तविक आरओयू के पास पेट्रोलमैन की गतिविधि को कंट्रोल करने में मदद करेगा, ताकि तीसरे पक्ष में कार्यकलापों, अतिक्रमण अथवा आपात स्थिति, जैसे कि रिसाव, मृदा सफाई आदि के कारण पाइपलाइन को संभावित आशंका की सही से पहचान की जा सके और उल्लेख किया जा सके।

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में, (वित्तीय वर्ष की शुरूआत से गिने गए विगत तीन वर्षों के दौरान आयातित) निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की जाए :

क. आयातित प्रौद्योगिकी :

i. 450 केटीए ईथीलीन क्षमता शामिल के लिए पाटा में गेल पेट्रोकैमिकल्स काम्पलेक्स–II के लिए ईथीलीन क्रैकर प्रौद्योगिकी, शॉ एनर्जी एण्ड कैमिकल्स इंटरनेशनल इंक से (अब टेकनिप स्टोन एण्ड वेब्सटर प्रोसेस प्रौद्योगिकी) यूएसए।

ii. एलएलडीपीई/एचडीपीई स्विंग प्रौद्योगिकी; 400 केटीए पॉलीथिलीन क्षमता शामिल करने के लिए पाटा में गेल पेट्रोकैमिकल कॉम्पलेक्स II के लिए युनीवेशन प्रौद्योगिकी यूएसए से।

iii. ब्यूटेन–I प्रौद्योगिकी, 20000 टीए ब्यूटेन–I उत्पादन क्षमता शामिल करने के लिए पाता में गेल पेट्रोकैमिकल काम्पलेक्स–II के लिए एक्सेन्स (आईएफपी ग्रुप प्रौद्योगिकी) से।

ख. आयात वर्ष : 2010 (क) (i) के लिए लगातार और 2011–15 (क) (ii) एवं (क) (iii) के लिए।

ग. क्या प्रौद्योगिकी को पूर्णतया समावेशित किया गया है? :(क) (i) के लिए प्रगति पर है, पूर्णतया समावेशित और (क) (ii) एवं (क) (iii) के लिए प्लांट को शुरू किया गया।

घ. यदि पूर्णतया समावेशित नहीं किया गया तो जो क्षेत्र, जहां इसे समावेशित नहीं किया गया, उसके कारण : लागू नहीं होता

(iv) **आर एवं डी पर व्यय**

क. पूंजी	₹31.30 करोड़ (*)
ख. आवर्ती/राजस्व :	₹20.31 करोड़ (**)
ग. जोड़ :	₹51.61 करोड़

(*) इस राशि में डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार ई एवं पी में आर एवं डी के संबंध में ₹3.56 करोड़ का व्यय शामिल है।

(**) इस राशि में डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार ई एवं पी में आर एवं डी के संबंध में ₹3.30 करोड़ का व्यय शामिल है।

(ग) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा अर्जन ₹210.01 करोड़ थी और विदेशी मुद्रा व्यय ₹9,229.22 करोड़ था।

अनुलग्नक – छ

फॉर्म सं. एओसी – 2

[अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खण्ड (ज) और कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार]

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में उल्लिखित सम्बंधित पक्षों के साथ कम्पनी द्वारा निष्पन्न संविदाओं / व्यवस्थाओं के ब्यौरों के प्रकटन हेतु फॉर्म जिसमें, उसके तीसरे परन्तुक के तहत कुछेक महत्वपूर्ण (आर्म्स लेंथ) लेन–देन शामिल हैं।

1. **संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों के ब्यौरे जो घनिष्ठता आधार पर नहीं है** – गेल (इंडिया) लिमिटेड ने कोई संविदा अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहार अपने संबंधित पक्षों के साथ निष्पन्न नहीं किया है, जो वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान आर्म्स–लेंथ नहीं है।

2. **आर्म्स लेंथ आधार पर महत्वपूर्ण संविदाओं अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहारों के ब्यौरे**

   क. **संबंधित पक्ष का नाम और संबंध का स्वरूप** : पेट्रोनेट एल एनजी लिमिटेड (पीएलएल) गेल का एक संयुक्त उद्यम है।

   ख. **संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों का स्वरूप** : रिगैसीफाइड द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की खरीद और एलएनजी गैसीफिकेशन टर्मिनल(लों) की रिगैसीफिकेशन सुविधाओं का उपयोग।

   ग. **संविदाओं / व्यवस्थाओं / संव्यवहारों की अवधि** : करार दिनांक 26 सितम्बर, 2003 और 26 अगस्त, 2009 व्यवस्था में है।

   घ. **मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं अथवा संव्यवहारों की मुख्य–मुख्य शर्तें**– रिगैसीफिकेशन सुविधाएं प्रदान करने हेतु पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड आरएलएनजी (दीर्घ अवधि एवं स्पॉट) की आपूर्ति। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के साथ लेन–देन लगभग ₹21500 करोड़ था।

   ङ **बोर्ड द्वारा मंजूरी की तारीख, यदि कोई हो** : लागू नहीं, क्योंकि संविदा सामान्य कार्य प्रक्रिया में निष्पन्न किया गया था और आर्म्स लेंथ आधार पर था।

   च. **अग्रिम रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो** : शून्य

कृते एवं बोर्ड की ओर से

त्रिपाठी

बी. सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 5 अगस्त, 2015

अनुलग्नक – ज

फॉर्म सं. एमजीटी – 9

वार्षिक विवरणी का उद्धरण
31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I. पंजीकरण एवं अन्य ब्यौरे :

सीआईएन	L40200DL1984GOIO18976
पंजीकरण की तारीख	16.08.1984
कम्पनी का नाम	गेल (इंडिया) लिमिटेड
कम्पनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	सरकारी कम्पनी
पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क ब्यौरे	16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर. के. पुरम, नई दिल्ली–110066 सम्पर्क सं. 011–26182955/26172580
क्या सूचीबद्ध कम्पनी है (हां/नहीं)	हां
रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता एवं सम्पर्क ब्यौरे :	एमसीएस लिमिटेड, एफ–65, ओखला इंडस्ट्रीयल क्षेत्र, फेज–I, नई दिल्ली–110020 सम्पर्क सं. 011–41406149/50/51/52

II. कम्पनी का मुख्य व्यावसायिक कार्यकलाप

कम्पनी के कुल कारोबार के 10% अथवा अधिक का अंशदान करने वाले सभी व्यावसायिक कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगा :

क्रम सं.	मुख्य उत्पाद/सेवा का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल पण्यावर्त्त का %
1.	गैस मार्केटिंग	लागू नहीं	75

III. सम्पत्ति, सहायक एवं सम्बद्ध कम्पनियों के ब्यौरे

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	कम्पनी का पता	सीआईएन/जीएलएन	कम्पनी/सहायक/संबद्ध	धारित शेयर %	अनुप्रयोज्य धारा
1	गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड	वंज व्यवसाय सेंटरः 43–01, सनटेक टॉवर वन, 7 टीमासेक, बुलवर्ड, सिंगापुर–038987	लागू नहीं	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	100	2(87)
2	गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक	333 क्ले स्ट्रीट, स्यूट 3300, हॉस्टन, टेक्सास – 77002	लागू नहीं	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	100	2(87)
3	गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी (गेल ग्लोबल यूएसए इंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	333 क्ले स्ट्रीट, स्यूट 3300, हॉस्टन, टेक्सास– 77002	लागू नहीं	सहायक कम्पनी	–	2(87)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	कम्पनी का पता	सीआईएन/जीएलएन	कम्पनी/सहायक/संबद्ध	धारित शेयर %	अनुप्रयोज्य धारा
4	गेल गैस लिमिटेड	16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066	यू40200DL2008GOI178614	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी	100	2(87)
5	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एवं पॉलीमर लिमिटेड	होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, एम.जी. रोड, गुवाहाटी असम, 781001	यू111OIS2007GOI008290	सहायक कम्पनी	70	2(87)
6	गेल चायना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड	क्लैरीडन हाऊस–2 चर्च स्ट्रीट, हैमिल्टन एचएम 11, बरमुडा	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम/सहायक कम्पनी	50	2(6)
7	अवन्तिका गैस लिमिटेड	द्वितीय तल, एलआईसी बिल्डिंग, जीवन प्रदीप, 12–12ए, अनूप नगर, ए बी रोड़, इंदौर, मध्य प्रदेश–452008	यू40107MP2006PLC018684	संयुक्त उद्यम/सहायक कम्पनी	22.5	2(6)
8	त्रिपुरा नेचुरल गैस कम्पनी लिमिटेड	33 ऑफिस लेन अगरतला, त्रिपुरा–799001	यू23201TR1990SGC003451	संयुक्त उद्यम/सहायक कम्पनी	29	2(6)
9	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	परिश्रम भवन, बशीरबाग, हैदराबाद, तेलंगाना–500004	यू40200TG2003PLC041566	संयुक्त उद्यम/सहायक कम्पनी	22.5	2(6)
10	रत्नागिरी गैस एण्ड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड	एनटीपीसी भवन, कोर 7, स्कोप कॉम्पलेक्स 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003	यू40105DL2005PTC138458	संयुक्त उद्यम/सहायक कम्पनी	28.91	2(6)
11	सेंट्रल यू.पी. गैस लिमिटेड	ए–1/4 लाखनपुर यूपीएसआईडी काम्पलेक्स, कानपुर, उत्तर प्रदेश–208024	यू40200UP2005PLC029538	संयुक्त उद्यम/सहायक कम्पनी	25	2(6)
12	ग्रीन गैस लिमिटेड	फॉर्चुना टॉवर, दूसरा तल, 10, राना प्रताप मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001	यू23201UP2005PLC030834	संयुक्त उद्यम/सहायक कम्पनी	22.5	2(6)

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	कम्पनी का पता	सीआईएन/जीएलएन	कम्पनी/सहायक/संबद्ध	धारित शेयर %	अनुप्रयोज्य धारा
13	इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	आईजीएल भवन, प्लॉट नं. 4, कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर–9, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110022	एल23201DL1998PLC 097614	संयुक्त उद्यम/सहायक उद्यम	22.5	2(6)
14	महानगर गैस लिमिटेड	एमजीएल हाऊस, ब्लॉक नं. जी 33, बान्द्रा कुर्ला, काम्पलेक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई, महाराष्ट्र–400051	यू40200MH1995PLC 088133	संयुक्त उद्यम/सहायक उद्यम	49.75	2(6)
15	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	प्लांट नं. 27, नरवीर तानाजी वाड़ी, पीएमटी बस डिपो, कामर्शियल बिल्डिंग, प्रथम तल, शिवाजी नगर, पुणे, महराष्ट्र–411005	यू11102PN2006PLC 021839	संयुक्त उद्यम/सहायक उद्यम	22.5	2(6)
16	ओएनजीसी पेट्रो–एडीशन्स लिमिटेड	प्रथम तल, ओमकारा बिल्डिंग, साई चौकड़ी, मंजालपुर, वड़ोदरा, गुजरात–390011	यू23209GJ2006PLC 060282	संयुक्त उद्यम	15.50	2(6)
17	पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	प्रथम तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बाबर रोड, नई दिल्ली–110001	एल74899DL1998PLC 093073	संयुक्त उद्यम	12.5	2(6)
18	तापी पाइपलाइन कम्पनी लिमिटेड	मार्फत केएन्स फिड्यूसिजरीज लिमिटेड, फोर्ट एन्ने डोगलस इस्ले ऑफ मैन, आईएम 15 पीडी	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम/सहायक उद्यम	25	2(6)
19	साऊथ – ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन कम्पनी लिमिटेड	सिडोना होटल (मंदालय) नं. 1, जंक्शन ऑफ 26 स्ट्रीट एवं 66 स्ट्रीट, चनआई थार्जन टॉउनशिप मंदालय म्यामांर	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम/सहायक उद्यम	4.17	2(6)

IV. **शेयरहोल्डिंग (अंशधारण) पद्धति**

(कुल इक्विटी प्रतिशत के अनुसार इक्विटी शेयर पूंजी ब्यौरा)

i. **श्रेणीवार शेयरधारण**

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरम्भ में धारित शेयर सं. (31 मार्च, 2014 के अनुसार)				वर्ष के अंत में धारित शेयर सं. (31 मार्च, 2015 के अनुसार)				वर्ष के दौरान परिवर्तित %
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयर %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयर %	
क. प्रोमोटर									
(1) भारतीय									
क)अलग–अलग/अ.हि.प.									
ख) केन्द्र सरकार	711733651	0	711733651	56.11	711733651	0	711733651	56.11	0.00
ग) राज्य सरकार									
घ) निगमित निकाय									
ङ) बैंक/वि. संस्थान									
च) कोई अन्य									
ट्रस्ट									
संस्था									
शैक्षणिक संस्थान									
प्रोमोटर (क) की कुल शेयरहोल्डिंग	**711733651**	**0**	**711733651**	**56.11**	**711733651**	**0**	**711733651**	**56.11**	**0.00**
ख. सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग									
1. संस्थान									
क) म्यूचुअल फण्ड	31351517	15100	31366617	2.47	11910546	15100	11925646	0.94	-1.53
ख) बैंक/वि. संस्थान	25855511	1050	25856561	2.04	27080330	1050	27081380	2.13	0.10
ग) केन्द्र सरकार	91888984	0	91888984	7.24	91888984	0	91888984	7.24	0.00
घ) राज्य सरकार									
ङ) उद्यम पूंजी निधि									
च) बीमा कम्पनी	139382059	0	139382059	10.99	140867506	0	140867506	11.11	0.12
छ) विदेशी संस्थागत निवेशक	220067635	2600	220070235	17.35	238376116	2600	238378716	18.79	1.44
ज) विदेशी उद्यम पूंजी फण्ड									
अन्य (उल्लेख करें)									
उप–जोड़ (ख) (1) :	**508545706**	**18750**	**508564456**	**40.09**	**510123482**	**18750**	**510142232**	**40.22**	**0.12**
2. गैर–संस्थान									
क) निगमित निकाय									
I) भारतीय	6818755	300	6819055	0.54	6294347	300	6294647	0.50	-0.04
ii) विदेशी									
ख) अलग–अलग									

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरम्भ में धारित शेयर सं. (31 मार्च, 2014 के अनुसार)				वर्ष के अंत में धारित शेयर सं. (31 मार्च, 2015 के अनुसार)				वर्ष के दौरान परिवर्तित %
	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयर %	डिमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयर %	
I) 1 लाख रुपए तक के मामूली शेयर रखने वाले अलग–अलग शेयरहोल्डर	20503563	91055	20594618	1.62	19296557	84799	19381356	1.53	-0.10
ii) 1 लाख रुपए से अधिक के मामूली शेयर रखने वाले अलग–अलग शेयरधारक	991761	0	991761	0.08	1021861	0	1021861	0.08	0.00
ग) अन्य (उल्लेख करें)									
अप्रवासी भारतीय	924302	5452	929754	0.07	752873	5452	758325	0.06	-0.01
विदेशी निगमित निकाय									
विदेशी राष्ट्रीय									
क्लीयरिंग सदस्य									
न्यास	1118185	0	1118185	0.09	1198302	0	1198302	0.09	0.01
विदेशी निकाय–डीआर									
उप–जोड़ (ख) (2) :	**30356566**	**96807**	**30453373**	**2.40**	**28563940**	**90551**	**28654491**	**2.26**	**-0.14**
कुल सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग (ख) = (ख) (1) + (ख) (2)	538902272	115557	539017829	42.49	538687422	109301	538796723	42.48	-0.02
ग. जीडीआर एवं एडीआर हेतु परीक्षक द्वारा धारित शेयर	17725920	0	17725920	1.40	17947026	0	17947026	1.41	0.02
सकल जोड़ (क + ख + ग)	**1268361843**	**115557**	**1268477400**	**100**	**1268368099**	**109301**	**1268477400**	**100**	**0.00**

(ii) प्रोमोटरों का अंशधारण

क्रम सं.	शेयरधारकों का नाम	वर्ष के शुरू में शेयरहोल्डिंग			वर्ष के अंत में शेयरहोल्डिंग			वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन %
		शेयर सं.	कम्पनी के शेयरों की कुल %	कुल बंधक/ ऋणग्रस्त शेयरों का शेयर %	शेयर सं.	कम्पनी के शेयरों की कुल %	कुल बंधक/ ऋणग्रस्त शेयरों का शेयर %	
1	**भारत के राष्ट्रपति**	711733651	56.11	0	711733651	56.11	0	0
	जोड़	**711733651**	**56.11**	**0**	**711733651**	**56.11**	**0**	**0**

(iii) प्रोमोटरों के शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन (कृपया उल्लेख करें, यदि इसमें कोई परिवर्तन न हो)
– कोई परिवर्तन नहीं

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग पद्धति (जीडीआर एवं एडीआर के निदेशकों, प्रोमोटरों एवं धारकों को छोड़कर) :

क्रम सं.	नाम	शेयरहोल्डिंग		तारीख	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि / (कमी)	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग (01/04/20014 से 31/03/2015)	
		वर्ष के शुरू में (01.04.14) वर्ष के अंत में (31.03.15) शेयरों की सं.	कम्पनी के शेयरों का कुल %				शेयरों की सं.	कम्पनी का कुल शेयर %
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	**95,906,319**	**7.56**	**1–अप्रैल–14**				
				4–अप्रैल–14	(589.412)	अन्तरण	95,316,907	7.51
				9–मई–14	147,197	अन्तरण	95,464,104	7.53
				23–मई–14	7,455	अन्तरण	95,471,559	7.53
				7–नवम्बर–14	(1,428,064)	अन्तरण	94,043,495	7.41
				14–नवम्बर–14	(1,188,562)	अन्तरण	92,854,933	7.32
				21–नवम्बर–14	(2,001,345)	अन्तरण	90,853,588	7.16
				28–नवम्बर–14	(632,263)	अन्तरण	90,221,325	7.11
				5–दिसम्बर–14	(42,861)	अन्तरण	90,178,464	7.11
				12–दिसम्बर–14	2,431,788	अन्तरण	92,610,252	7.30
				19–दिसम्बर–14	1,850,918	अन्तरण	94,461,170	7.45
				31–दिसम्बर–14	3,100,547	अन्तरण	97,561,717	7.69
				9–जनवरी–15	1,919,924	अन्तरण	99,481,641	7.84
				16–जनवरी–15	1,715,747	अन्तरण	101,197,388	7.98
				23–जनवरी–15	1,310,938	अन्तरण	102,508,326	8.08
				30–जनवरी–15	1,594,280	अन्तरण	104,102,606	8.21
				6–फरवरी–15	2,003,336	अन्तरण	106,105,942	8.36
				13–फरवरी–15	673,910	अन्तरण	106,779,852	8.42
				20–फरवरी–15	1,376,811	अन्तरण	108,156,663	8.53
				27–फरवरी–15	1,387,874	अन्तरण	109,544,537	8.64
				6–मार्च–15	1,666,864	अन्तरण	111,211,401	8.77
				13–मार्च–15	2,604,681	अन्तरण	113,816,082	8.97
				20–मार्च–15	1,605,482	अन्तरण	115,421,564	9.10
				27–मार्च–15	683,843	अन्तरण	116,105,407	9.15
		116,105,407	9.15	**31–मार्च–15**				
2	तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड	61,259,323	4.83	1–अप्रैल–14	शून्य	वर्ष के दौरान शून्य लेन–देन	शून्य	शून्य
		61,259,323	4.83	31–मार्च–15				

क्रम सं.	नाम	शेयरहोल्डिंग		तारीख	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि / (कमी)	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग (01/04/20014 से 31/03/2015)	
		वर्ष के शुरू में (01.04.14) वर्ष के अंत में (31.03.15) शेयरों की सं.	कम्पनी के शेयरों का कुल %				शेयरों की सं.	कम्पनी का कुल शेयर %
3	भारतीय तेल निगम लिमिटेड	30,629,661	2.41	1–अप्रैल–14	शून्य	वर्ष के दौरान शून्य लेन–देन	शून्य	शून्य
		30,629,661	2.41	31–मार्च–15				
4	मैथ्यू पेसीफिक टाइगर फण्ड	24,682,108	1.95	1–अप्रैल–14				
				11–अप्रैल–14	(400,000)	अन्तरण	24,282,108	1.91
		24,282,108	1.913	31–मार्च–15				
5	ड्यूश बैंक ट्रस्ट कम्पनी अमेरिकास	**17,725,920**	**1.40**	**1–अप्रैल–14**				
				11–अप्रैल–14	900,738	अन्तरण	18,626,658	0.00
				18–अप्रैल–14	354,648	अन्तरण	18,981,306	1.50
				25–अप्रैल–14	64,092	अन्तरण	19,045,398	1.50
				2–मई–14	312,000	अन्तरण	19,357,398	1.53
				9–मई–14	168,000	अन्तरण	19,525,398	1.54
				16–मई–14	42,828	अन्तरण	19,568,226	1.54
				23–मई–14	(288,954)	अन्तरण	19,279,272	1.52
				6–जून–14	13,638	अन्तरण	19,292,910	1.52
				13–जून–14	227,130	अन्तरण	19,520,040	1.54
				20–जून–14	27,960	अन्तरण	19,548,000	1.54
				30–जून–14	(81,678)	अन्तरण	19,466,322	1.53
				4–जुलाई–14	(70,098)	अन्तरण	19,396,224	1.53
				25–जुलाई–14	64,842	अन्तरण	19,461,066	1.53
				1–अगस्त–14	274,704	अन्तरण	19,735,770	1.56
				14–अगस्त–14	(363,720)	अन्तरण	19,372,050	1.53
				22–अगस्त–14	(69,126)	अन्तरण	19,302,924	1.52
				29–अगस्त–14	114,690	अन्तरण	19,417,614	1.53
				5–सितम्बर–14	1,110	अन्तरण	19,418,724	1.53
				12–सितम्बर–14	218,190	अन्तरण	19,636,914	1.55
				19–सितम्बर–14	119,178	अन्तरण	19,756,092	1.56

क्रम सं.	नाम	शेयरहोल्डिंग		तारीख	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि / (कमी)	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग (01/04/20014 से 31/03/2015)	
		वर्ष के शुरू में (01.04.14) वर्ष के अंत में (31.03.15) शेयरों की सं.	कम्पनी के शेयरों का कुल %				शेयरों की सं.	कम्पनी का कुल शेयर %
				30–सितम्बर–14	762	अन्तरण	19,756,854	1.56
				17–अक्तूबर–14	(51,846)	अन्तरण	19,705,008	1.55
				7–नवम्बर–14	34,326	अन्तरण	19,739,334	1.56
				5–दिसम्बर–14	(106,098)	अन्तरण	19,633,236	1.55
				19–दिसम्बर–14	1,067,832	अन्तरण	20,701,068	1.63
				31–दिसम्बर–14	(941,040)	अन्तरण	19,760,028	1.56
				9–जनवरी–15	(62,976)	अन्तरण	19,697,052	1.55
				16–जनवरी–15	(149.454)	अन्तरण	19,547,598	1.54
				23–जनवरी–15	(337.884)	अन्तरण	19,209,714	1.51
				30–जनवरी–15	(71,646)	अन्तरण	19,138,068	1.51
				6–फरवरी–15	274,722	अन्तरण	19,412,790	1.53
				13–फरवरी–15	(123,036)	अन्तरण	19,289,754	1.52
				20–फरवरी–15	(258,300)	अन्तरण	19,031,454	1.50
				13–मार्च–15	(502,146)	अन्तरण	18,529,308	1.46
				20–मार्च–15	(413,688)	अन्तरण	18,115,620	1.43
				27–मार्च–15	(168,594)	अन्तरण	17,947,026	1.41
		17,947,026	**1.41**	**31–मार्च–15**				
6	भारतीय जीवन बीमा निगम पी एवं जीएस फंड	**8986812**	**0.71**	**1–अप्रैल–14**				
				30–सितम्बर–14	1,261,369	अन्तरण	10,248,181	0.00
				10–अक्तूबर–14	852,082	अन्तरण	11,100,263	0.88
				17–अक्तूबर–14	159,204	अन्तरण	11,259,467	0.89
				12–दिसम्बर–14	220,000	अन्तरण	11,479,467	0.90
				31–दिसम्बर–14	300,000	अन्तरण	11,779,467	0.93
				9–जनवरी–15	220,687	अन्तरण	12,000,154	0.95
				16–जनवरी–15	674,471	अन्तरण	12,674,625	1.00
				23–जनवरी–15	916,474	अन्तरण	13,591,099	1.07
				30–जनवरी–15	817,966	अन्तरण	14,409,065	1.14
				6–फरवरी–15	1,099,266	अन्तरण	15,508,331	1.22
				13–फरवरी–15	364,303	अन्तरण	15,872,634	1.25

क्रम सं.	नाम	शेयरहोल्डिंग		तारीख	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि / (कमी)	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग (01/04/20014 से 31/03/2015)	
		वर्ष के शुरू में (01.04.14) वर्ष के अंत में (31.03.15) शेयरों की सं.	कम्पनी के शेयरों का कुल %				शेयरों की सं.	कम्पनी का कुल शेयर %
				13–मार्च–15	418,821	अन्तरण	16,291,455	1.28
				20–मार्च–15	865,622	अन्तरण	17,157,077	1.35
				27–मार्च–15	706,183	अन्तरण	17,863,260	1.41
		17,863,260	**1.41**	**31–मार्च–15**				
7	सरकारी पेंशन							
	निधि, वैश्विक	**0**	**0**	**1–अप्रैल–14**				
				14–नवम्बर–14	8,521,468	अन्तरण	8,521,468	0.00
				5–दिसम्बर–14	924,798	अन्तरण	9,446,266	0.74
				9–जनवरी–15	247,130	अन्तरण	9,693,396	0.76
				16–जनवरी–15	451,912	अन्तरण	10,145,308	0.80
				23–जनवरी–15	1,621,225	अन्तरण	11,766,533	0.93
				30–जनवरी–15	635,329	अन्तरण	12,401,862	0.98
		12,401,862	**0.98**	**31–मार्च–15**				
8	ओआरबीआईएस –	**12,353,009**	**0.97**	**1–अप्रैल–14**				
	एशिया एक्स–			4–अप्रैल–14	219,814	अन्तरण	12,572,823	0.00
	जापान इक्विटी निधि			23–मई–14	167,790	अन्तरण	12,740,613	1.00
				8–अगस्त–14	166,490	अन्तरण	12,907,103	1.02
				30–सितम्बर–14	(362,753)	अन्तरण	12,544,350	0.99
				10–अक्तूबर–14	(1,213,028)	अन्तरण	11,331,322	0.89
				17–अक्तूबर–14	(1,164,609)	अन्तरण	10,166,713	0.80
				5–दिसम्बर–14	(152,349)	अन्तरण	10,014,364	0.79
				16–जनवरी–15	(261,108)	अन्तरण	9,753,256	0.77
				30–जनवरी–15	(7,405)	अन्तरण	9,745,851	0.77
				6–फरवरी–15	(433,622)	अन्तरण	9,312,229	0.73
				13–फरवरी–15	(104,941)	अन्तरण	9,207,288	0.73
				27–फरवरी–15	(12,156)	अन्तरण	9,195,132	0.72
				6–मार्च–15	(15,749)	अन्तरण	9,179,383	0.72
		9,179,383	**0.72**	**31–मार्च–15**				

क्रम सं.	नाम	शेयरहोल्डिंग		तारीख	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि / (कमी)	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग (01/04/20014 से 31/03/2015)	
		वर्ष के शुरू में (01.04.14) वर्ष के अंत में (31.03.15) शेयरों की सं.	कम्पनी के शेयरों का कुल %				शेयरों की सं.	कम्पनी का कुल शेयर %
9	अबेरदीन ग्लोबल इंडियन इक्विटी (मॉरीशिस) लिमिटेड	**15130000**	**1.19**	**1–अप्रैल–14**				
				2–मई–14	(1,690,000)	अन्तरण	13,440,000	0.00
				16–मई–14	(1,432,698)	अन्तरण	12,007,302	0.95
				31–अक्तूबर–14	(1,055,000)	अन्तरण	10,952,302	0.86
				7–नवम्बर–14	(45,000)	अन्तरण	10,907,302	0.86
				20–मार्च–15	(1,000,000)	अन्तरण	9,907,302	0.78
				27–मार्च–15	(900,000)	अन्तरण	9,007,302	0.71
		9,007,302	**0.71**	**31–मार्च–15**				
10	प्लेटीनम इंटरनेशनल फंड	**0**	**0**	**1–अप्रैल–14**				
		0	0	17–अक्तूबर–14	255,492	अन्तरण	255,492	0.00
				31–अक्तूबर–14	1,175,474	अन्तरण	1,430,966	0.11
				7–नवम्बर–14	1,314,676	अन्तरण	2,745,642	0.22
				14–नवम्बर–14	1,400,000	अन्तरण	4,145,642	0.33
				21–नवम्बर–14	418,366	अन्तरण	4,564,008	0.36
				28–नवम्बर–14	143,050	अन्तरण	4,707,058	0.37
				12–दिसम्बर–14	248,459	अन्तरण	4,955,517	0.39
				19–दिसम्बर–14	1,142,583	अन्तरण	6,098,100	0.48
				31–दिसम्बर–14	342,707	अन्तरण	6,440,807	0.51
				30–जनवरी–15	279,000	अन्तरण	6,719,807	0.53
				13–मार्च–15	262,997	अन्तरण	6,982,804	0.55
				20–मार्च–15	701,256	अन्तरण	7,684,060	0.61
				27–मार्च–15	445,922	अन्तरण	8,129,982	0.64
		8,129,982	**0.64**	**31–मार्च–15**				

(v) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के शेयरहोल्डिंग

क्रम सं.	नाम	शेयरहोल्डिंग		तारीख	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि / (कमी)	कारण	वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग (01/04/20014 से 31/03/2015)	
		वर्ष के शुरू में (01.04.14) वर्ष के अंत में (31.03.15) शेयरों की सं.	कम्पनी के शेयरों का कुल %				शेयरों की सं.	कम्पनी का कुल शेयर %
1	श्री प्रभात सिंह	300	0.00	1–अप्रैल–14	शून्य	वर्ष के दौरान शून्य लेन–देन	300	शून्य
		300	0.00	31–मार्च–14				
2	श्री एम. रविन्द्रन	75	0.00	1–अप्रैल–14	शून्य	वर्ष के दौरान शून्य लेन–देन	शून्य	शून्य
		75	0.00	31–मार्च–15				
3	श्री एस. वेंकटरमन	300	0.00	1–अप्रैल–14	शून्य	वर्ष के दौरान शून्य लेन–देन	शून्य	शून्य
		300	0.00	31–मार्च–15				
4	श्री पी. के. जैन	45	0.00	1–अप्रैल–14				
				13–मार्च–15	–45	बिक्री	0	0
		0	0	31–मार्च–15				
5	श्री एन. के नागपाल	1	0.00	1–अप्रैल–14				
				6–जून–14	1	खरीद	2	0.00
		2	0.00	31–मार्च–15				

V. ऋणग्रस्तता

बकाया / उद्भूत ब्याज सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता, परन्तु भुगतान हेतु देय नहीं

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	आरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण ग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	4680	5588	-	10268
ii)ब्याज देय, परन्तु अदा नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) ब्याज उद्भूत परन्तु देय नहीं	83.44	95.42	-	178.86
जोड़ (i + ii + iii)	**4763.44**	**5683.42**	**-**	**10446.86**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
परिवर्धन	500	234	-	734
घटाएं	-1529	-116	-	-1645
विनिमय दर घट–बढ़	-	199	-	199
निवल परिवर्तन	**-1029**	**317**	**-**	**-712**

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	जमा को छोड़कर रक्षित ऋण	आरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण ग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	3651	5905	-	9556
ii)ब्याज देय, परन्तु अदा नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) ब्याज उद्भूत परन्तु देय नहीं	76.27	102.39	-	178.66
कुल (i + ii + iii)	**3727.27**	**6007.39**	**-**	**9734.66**

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक एवं/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक :

(₹लाख में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम						कुल राशि
		श्री बी. सी. त्रिपाठी (सीएमडी)	श्री प्रभात सिंह (डब्ल्यूटीडी)	श्री पी.के. जैन (डब्ल्यूटीडी) एवं सीएफओ	श्री एम. रविन्द्रन (डब्ल्यूटीडी)	डा. आशुतोष कर्नाटक (डब्ल्यूटीडी)	श्री एस. वेंकटरमन (डब्ल्यूओडी) (30.09.2014तक)	
1	**सकल वेतन**							
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	44.65	27.54	44.16	31.42	29.80	46.65	224.22
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत पूर्वअपेक्षित मूल्य	8.62	5.32	7.19	7.64	5.40	4.40	38.57
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	20.41	13.54	13.64	12.03	5.71	13.92	79.25
2	स्टॉक विकल्प	0	0	0	0	0	0	0
3	स्वेट इक्विटी	0	0	0	0	0	0	0
4	**कमीशन** – लाभ के % के रूप में – अन्य, उल्लेख करें	0	0	0	0	0	0	0
5	**अन्य**	0	0	0	0	0	0	0
जोड़ (क)		73.68	46.0	64.99	51.09	40.91	64.97	342.04
अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा		**लागू नहीं होता**						

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

(₹लाख में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक के ब्यौरे	निदेशकों के नाम		कुल राशि
	स्वतंत्र निदेशक	**श्रीमती श्यामला गोपीनाथ**	**डा. ए. के. खण्डेलवाल**	
1.	बोर्ड एवं कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	10.30	13.50	23.80
	कमीशन	0	0	0
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	0	0	0
	जोड़ (1)	**10.30**	**13.50**	**23.80**
कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार समग्र उच्चतम सीमा			**लागू नहीं होता**	

टिप्पणी : अंशकालिक निदेशक (सरकारी नामिती) कम्पनी से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते।

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी से भिन्न मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्रम	पारिश्रमिक के ब्यौरे	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	
		कम्पनी सचिव (श्री एन. के. नागपाल)	जोड़
1.	सकल वेतन	31.53	31.53
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन		
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत पूर्व अपेक्षित राशियों का मूल्य	2.17	2.17
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	4.66	4.66
2.	स्टॉक विकल्प	0.00	0.00
3.	स्वेट इक्विटी	0.00	0.00
4.	कमीशन	0.00	0.00
	लाभ के % के रूप में	0.00	0.00
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	0.00	0.00
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें	0.00	0.00
	जोड़	**38.36**	**38.36**

VII. शास्ति/दण्ड/अपराध शमन :

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति/दण्ड/लगाया गया शमन शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकरण (आरडी/एनसीएलटी न्यायालय)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरे दें)
क. कम्पनी					
शास्ति	-	-	-	-	-
दण्ड	-	-	-	-	-
शमन	-	-	-	-	-
ख. निदेशक					
शास्ति	-	-	-	-	-
दण्ड	-	-	-	-	-
शमन	-	-	-	-	-
ग. दोषी, अन्य अधिकारी					
शास्ति	-	-	-	-	-
दण्ड	-	-	-	-	-
शमन	-	-	-	-	-

व्यवसाय
उत्तरदायित्व रिपोर्ट

व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) गेल (इंडिया) लि. का वित्तीय वर्ष 2014–15

भाग क: कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1. **कंपनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)**
   एल 40200 डीएल 1984 जीओआई 018976
2. **कंपनी का नाम**
   गेल (इंडिया) लिमिटेड
3. **पंजीकृत पता**
   16 भीकाएजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली–110066
4. **वेबसाइट**
   http://www.gailonline.com
5. **ई–मेल आईडी**
   shareholders@gail.co.in
6. **उल्लिखित वित्तीय वर्ष**
   2014–15
7. **क्षेत्र, जिसमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक कार्यकलाप कोड–वार)**
   राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार कंपनी कार्यकलापों में कार्यरत है, जैसा कि नीचे समूहित है:

493	– पाइपलाइन के जरिए ट्रांसपोर्ट
201	– मूलभूत रसायनों, खाद एवं नाइट्रोजन मिश्रण प्रारंभिक रूप में प्लास्टिक एवं सिंथेटिक रबड़ का निर्माण।
061	– कच्चे पेट्रोलियम का निष्कर्षण
062	– प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण
351	– इलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण

8. **तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं की सूची बनाए, जिसे कंपनी तैयार करती है/उपलब्ध कराती है (तुलनपत्र के अनुसार)**
1. प्राकृतिक गैस मार्केटिंग और पारेषण
2. पेट्रोकैमिकल्स (पॉलीथिलिन एवं पॉलीप्रोपीलीन)
3. लिक्विड हाइड्रोकार्बन उत्पादन–(एलपीजी, प्रोपेन, पेंटेन, नाप्था आदि)

9. **स्थानों की कुल संख्या जहां व्यावसायिक कार्यकलाप कंपनी द्वारा किए जाते हैं**

i. अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 के ब्यौरे प्रदान करना)

सिंगापुर एवं यूएसए

3 अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनियां हैं:–

1. गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड
2. गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक
3. गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजीएलएलसी

ii. राष्ट्रीय स्थानों की संख्या

गेल की विधि व्यवसाय खंडों में, जैसे कि मार्केटिग एवं ट्रांसमिशन, एलएचसी उत्पादन, गैस आयात आदि में पैन इंडिया उपस्थिति है। गेल के प्रमुख प्रचालन साइट एवं कार्यालय निम्नानुसार हैं:

- एलपीजी प्लांट (7): विजयपुर (एम पी) में दो संयंत्र, जिसमें वाघोडिया (गुजरात), लकवा (असम), औरैया (यू.पी), गांधार (गुजरात) और उसर (महाराष्ट्र) प्रत्येक में एक–एक हैं।
- पाता (यू.पी) में पेट्रोकैमिकल्स प्लांट।
- विजयपुर, खेड़ा, झाबुआ एवं कैलारस (एम पी) हजीरा वाघोडिया (गुजरात), औरैया (यू.पी.), छायसा (हरियाणा) में कंम्प्रेसर स्टेशन।
- दिल्ली, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), चेन्नई (त.ना.), बंगलौर (कर्नाटक), भोपाल (एम.पी.), चंडीगढ़ (हरियाणा), जयपुर (राजस्थान), हैदराबाद (ए. पी.), लखनऊ (यू.पी.), मुम्बई (महाराष्ट्र), अहमदाबाद (गुजरात) में 11 क्षेत्रीय मार्केटिंग कार्यालय।
- नोएडा (यू.पी.) और जयपुर (राजस्थान) में 2 गेल प्रशिक्षण संस्थान।

10. **कंपनी द्वारा उपलब्ध बाजार–स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय**
राष्ट्रीय

भाग ख: राष्ट्रीय कंपनी के वित्तीय ब्यौरे

1. **प्रदत्त पूंजी (आईएनआर)** : 1,268 करोड़ रु.
2. **कुल पण्यावर्त (आईएनआर)** : 56,569 करोड़ रु.
3. **कर पश्चात कुल लाभ (आईएनआर)** : 3,039 करोड़ रु.
4. **कर पश्चात लाभ प्रतिशत के रूप में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (%)**
   वित्तीय वर्ष 2014–15 में उद्भूत कुल व्यय वित्तीय वर्ष 13–14 (पूर्ववर्ती वर्ष) के पीएटी का 1.64 प्रतिशत, अर्थात् 71.89 करोड़ रुपए था।
   इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसकी सीएसआर नियमावली की अपेक्षा अनुसार उद्भूत वास्तविक सीएसआर व्यय (सुझाव के रूप में) पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के निवल लाभ का 1.21 प्रतिषत अर्थात् 71.89 करोड़ रुपए था।
5. **कार्यकलापों की सूची, जिसमें उपरोक्त 4 में व्यय प्राप्त किया गया है:**

क. निर्माण एवं स्पोर्टिंग निर्माण तथा ''स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय (साफ भारत, साफ स्कूल)'' के तहत लगभग 3500 शौचालयों की कार्यात्मकता।
ख. शिक्षा
ग. कौशल विकास
घ. स्वास्थ्य

भाग गः अन्य ब्यौरे

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां है?

जी हां।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार गेल की सहायक कंपनियों की संख्या 5 थी। 5 सहायक कंपनियों में से 3 सहायक कंपनियां भारत से बाहर कार्य कर रही हैं और 2 सहायक कंपनियां भारत आधारित है।

2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तब ऐसी सहायक कंपनी (यों) की संख्या बताएं ।

जी हां।

गेल की दोनों सहायक कंपनियां, जो भारत में कार्यरत हैं– बीसीपीएल (निर्माणाधीन परियोजना) और गेल गैस ने सीएसआर और दूसरी बीआर पहलें शुरू की हैं।

3. क्या कोई अन्य कंपनी/कंपनियां (अर्थात् आपूर्तिकर्त्ता, वितरक आदि) जिसके साथ कंपनी का कारोबार जुड़ा है, कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं? यदि हां, तो ऐसी कंपनी/कंपनियों के प्रतिशत को बताएं ? (30 प्रतिशत से कम, 30–60 प्रतिशत, 60 प्रतिशत से अधिक)

जी, हां।

गेल (इंडिया) लि. द्वारा शुरू किए गए व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में इसके सभी पणधारकों, जैसे कि भारत सरकार, कर्मचारी, ठेकेदार, आपूर्तिकर्त्ता, ग्राहकों एवं समुदाय का बड़े स्तर पर सहयोग है और ये पणधारी गेल (इंडिया) लि. के साथ उसके व्यावसायिक उत्तरदायित्वों को प्राप्त करने में शामिल हैं। ऐसे पणधारियों का प्रतिशत <30 प्रतिशत है।

निम्नलिखित भाग घ एवं भाग ङ में उल्लिखित नियमों की सूची हैः

नियम सं.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासन मानक (एनवीजी–एसईई) के अनुपालन को निर्धारित करने के नियम
नियम 1: (पी1)	व्यवसायों को नीतिपरक पारदर्शिता एवं जवाबदेयता के साथ स्वयं शुरू करना चाहिए और अधिशासित करना चाहिए।
नियम 2: (पी2)	व्यवसायों को माप एवं सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जो सुरक्षित हों और उनके पूरे जीवनचक्र को संधारणीयता प्रदान करने में सहयोग करते हों।
नियम 3 (पी3)	व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ाना चाहिए।
नियम 4: (पी4)	व्यवसायों को सभी स्टेकधारकों, विशेष रूप से उनके, जो अहितप्रद अवस्था में असुरक्षित एवं उपेक्षित हैं, के संबंध में उनके हितों का सम्मान करना चाहिए और जवाबदेयता होना चाहिए।
नियम 5 (पी5)	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।
नियम 6: (पी6)	व्यवसायों को पर्यावरण के पुनरुद्धार का सम्मान, संरक्षण करना चाहिए एवं प्रयास करने चाहिए।
नियम 7: (पी7)	व्यवसायों को, जब सार्वजनिक एवं विनियामक नीति तैयार करने में व्यस्त हों, एक जिम्मेदाराना तरीके में काम करना चाहिए।
नियम 8 (पी8)	व्यवसायों को विकास एवं साम्यता विकास सहित सहायक होना चाहिए
नियम 9 (पी9)	व्यवसायों को एक जवाबदेय तरीके में अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं के लिए काम करना चाहिए और उन्हें महत्व प्रदान करना चाहिए।

भाग घः बी आर जानकारी

1. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के ब्यौरे

निदेशक–मंडल की संधारणीय विकास समिति

क. बीआर नीति/नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों के ब्यौरे

(i)डीआईएन नम्बर	03006541
नाम	श्री प्रभात सिंह
पदनाम	निदेशक (विपणन)
(ii)डीआईएन नम्बर	03039646
नाम	श्री एस वेंकटरमन (30.09.2014 तक)
पदनाम निदेशक	(बीडी)
(iii)डीआईएन नम्बर	02145534
नाम	श्री पी के जैन
पदनाम	निदेशक (वित्त)
(iv)डीआईएन नम्बर	02309551
नाम	श्री एम रविन्द्रन
पदनाम	निदेशक (एच आर)
(v)डीआईएन नम्बर	3267102
नाम	डॉ. आशुतोष कर्नाटक
पदनाम	निदेशक (परियोजना)

ख. बीआर प्रमुख के ब्यौरे	निदेशक (एचआर)
1 डीआईएन नम्बर (यदि अनुप्रयोज्य हो)	02309551
2 नाम	श्री एम रविन्द्रन
3 पदनाम	निदेशक (एच आर)
4 टेलीफोन नम्बर	011–26102055
5 ई–मेल आईडी	mravindran@gail.co.in

2	नियमानुसार (एनवीजी के अनुरूप) बी आर नीति/नीतियां (हां/ना में उत्तर दें)									
	प्रश्न	**पी1**	**पी2**	**पी3**	**पी4**	**पी5**	**पी6**	**पी7**	**पी8**	**पी9**
1	क्या आपके पास..... के लिए नीति/नीतियां हैं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2	क्या नीति को संगत स्टेकधारकों के साथ परामर्श करके तैयार किया जाता है?									
	उपरोक्त प्रश्न का प्रत्युत्तर–जी, हां, नीतियों को संगत स्टेकधारकों के साथ परामर्श करके तैयार किया जाता है।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
	टिप्पणी गेल (इंडिया), जो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, भारत सरकार द्वारा जारी नीतियों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों प्रक्रियाओं द्वारा अधिशासित है। नीतियों को संगत पणधारियों के साथ व्यापक परामर्श एवं चर्चा करने के बाद तैयार किया जाता है। गतिमान व्यावसायिक परिवेश में गेल (इंडिया) लि. अपनी व्यावसायिक नीतियों एवं पद्धतियों की समय–समय पर पुनरीक्षा करती है।									
3	क्या नीति राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो उल्लेख करें (50 शब्दों में)	हां संदर्भ क	हां संदर्भ ख	हां संदर्भ ग	हां संदर्भ क	हां संदर्भ घ	हां संदर्भ ङ	नहीं –	हां संदर्भ च	हां संदर्भ क
	क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसकी सीएसआर नियमावली, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर डीपीई दिशा–निर्देश और 2014 की संधारणीयता, आर एवं डी पर डी पी ई दिशा–निर्देश, कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश सूचीयन करार, भारत सरकार का पीआईडी पीआई प्रस्ताव सं.89 पारदर्शिता अंतर्राष्ट्रीय। **ख, ग.** सेफ्टी पर राष्ट्रीय नीति, कार्य स्थल पर स्वास्थ्य एवं परिवेश, श्रम रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेधन और क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2013 **घ.** संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन–उत्पीड़न (निषेधन एवं निवारण) अधिनियम, 2013 **ङ** : सेफ्टी पर राष्ट्रीय नीति कार्यस्थल एवं माहौल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार **च.** संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 और 2014 की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एवं संधारणीयता पर डीपीई दिशा–निर्देश।								
	प्रश्न	**पी1**	**पी2**	**पी3**	**पी4**	**पी5**	**पी6**	**पी7**	**पी8**	**पी9**
4	क्या नीति, बोर्ड द्वारा स्वीकृत हैं यदि हां, तो क्या यह एमडी/मालिक/सीईओ/उपयुक्त निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षरित है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
		हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
	टिप्पणी– नीतियां उस बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत है, जिसे बोर्ड द्वारा अपेक्षित प्राधिकार प्रत्यायोजित किया गया है।									
5	क्या कंपनी के पास नीति के क्रियान्वयन की जांच हेतु बोर्ड/निदेशक/कर्मचारियों की कोई विनिर्दिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6	ऑनलाईन देखें जाने वाली नीति के लिए लिंक को दर्शाएं :	हां संदर्भ क,ख,ग	हां संदर्भ घ	हां संदर्भ च	हां संदर्भ घ	हां संदर्भ च	हां संदर्भ घ	नहीं	हां संदर्भ ङ,घ	हां संदर्भ घ
	बाहरी स्टेकधारकों से संबंधित सभी नीतियां निम्नलिखित पतों पर गेल वेबसाइट http://gailonline.com/final site/index.html पर उपलब्ध हैं क. आचार संहिता http://www.gailonline.com/final site/pdf/Code_of_Conduct_2014.pdf ख. धोखाधड़ी निवारण नीति http://www.gailonline.com/final site/pdf/DraftPolicy2012.pdf ग. गेल (इंडिया) लि. और टीआईआई के बीच समझौता ज्ञापन http://www.gail.nic.in/final site/pdf/MOU-With-TII-23rd.July-2007.pdf घ. सतत् विकास नीति http://gailonline.com/final site/pdf/GAIL Sustainable Development PolicyEnglish.pdf ड. गेल सीएसआर नीति http://gailonline.com/final site/pdf/final policy2010.pdf च. ''कार्य स्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने, निषेधन एवं निवारण हेतु नीति, अधिसूचना के बाद आंतरिक शिकायत समिति का गठन http://www.gailonline.com/final site/pdf/Sexual Harassment Women Workplace.pdf सभी नीतियां, जो आंतरिक स्टेकधारकों के लिए सुसंगत हैं, गेल इंटरनेट पोर्टल पर उपलब्ध हैं।									

7	क्या नीति को सभी आंतरिक एवं बाहरी स्टेकधारकों को औपचारिक रूप से भेज दिया गया है?									
	सभी संगत स्टेकधारकों (वेबसाइट, बैठकों, ईमेल, परिपत्रों आदि के जरिए भेजा गया)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8	क्या कंपनी के पास नीति/नीतियों को लागू करने के लिए आंतरिक ढांचा है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
	प्रश्न	**पी1**	**पी2**	**पी3**	**पी4**	**पी5**	**पी6**	**पी7**	**पी8**	**पी9**
9	क्या कंपनी के पास स्टेकधारकों की नीति/नीतियों से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित कोई शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10	क्या कंपनी ने इस नीति के कार्यकरण की किसी आंतरिक अथवा बाहरी एजेंसी द्वारा स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन किया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

2क यदि किसी नियम के संबंध में क्र.सं.1 का उत्तर नहीं है, तो कृपया स्पष्ट करें कि क्यों: (दो विकल्पों पर √ का निशान लगाएं)

	प्रश्न	**पी1**	**पी2**	**पी3**	**पी4**	**पी5**	**पी6**	**पी7**	**पी8**	**पी9**
1	कंपनी ने नियमों को समझा नहीं है									
2	कंपनी ऐसी अवस्था में नहीं है जहां वह अपने आप को विनिर्दिष्ट नियमों संबंधी नीतियों को तैयार करने और लागू करने की स्थिति में पाती हो।	लागू नहीं होता								
3	कंपनी के पास कार्य के लिए उपलब्ध वित्तीय अथवा जनशक्ति संसाधन नहीं हैं।									
4	इसे अगले 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने की योजना है।									
5	इसे अगले 1साल के भीतर तैयार किए जाने की योजना है।									
6	कोई अन्य कारण (कृपया उल्लेख करें)									

3. बीआर से संबंधित अभिशासन

उस आवृत्ति का उल्लेख करें जिससे निदेशक मंडल, बोर्ड अथवा सीईओ समिति, कंपनी के बीआर कार्यनिष्पादन को निर्धारित कर सकें। 3 माह के भीतर, 3–6 माह के भीतर, वार्षिक रूप में, 1 वर्ष से अधिक।

वित्त वर्ष 2014–15 में संधारणीय विकास समिति द्वारा कुल तीन बैठकें आयोजित की इसके अलावा, गेल में बोर्ड की विभिन्न उप समितियां हैं, जो समय–समय पर व्यावसायिक जिम्मेदारी से संबंधित पहलूओं की पुनरीक्षा करने के लिए बैठकें करती हैं।

क्र.सं.	**बोर्ड की समितियां**	**वित वर्ष 2014–15 में आयोजित बैठकों की सं.**
1	कारपारेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति	5
2	लेखा परीक्षा समिति	8
3	एचआर समिति	5
4	परियोजना मूल्यांकन समिति	1
5	स्टेकधारक संबंध समिति	1 (पादटिप्पणी 1 को देखें)
6	स्टेकधारक शिकायत निवारण समिति	4
7	सतत् विकास समिति	3

पादटिप्पण–1: निदेशक–मंडल ने 26 मई, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में स्टेकधारकों/निवेशक शिकायत समिति की नामावली एवं कार्य क्षेत्र को बदलकर स्टेकधारक संबंध समिति कर दिया है।

क्या कंपनी बीआर अथवा संधारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है?	जी हां, गेल जीआरआई दिशा–निर्देशों के अनुसार वार्षिक रूप से बाह्य रूप से आश्वासित सतत् विकास रिपोर्ट प्रकाशित करती है।
इस रिपोर्ट का देखने के लिए हाइपर लिंक क्या है?	http://gailonline.com/final site/Sustainable Development.html
इसे कब–कब प्रकाशित किया जाता है?	वार्षिक रूप से

निम्नलिखित भाग सुझाए गए बी आर आर फार्मेट के संबंध में जानकारी प्रदान करता है, तथापि संधारणीय कार्यकलापों पर और ब्यौरों के लिए गेल की सतत् विकास रिपोर्ट 2014–15 को देखें, जो इस लिंक http://gailonline.com/final site/Sustainable Development.html पर उपलब्ध होगी।

भाग ङः नियम–वार निष्पादन

नियम 1

व्यवसायों को नीतिपरक, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ स्वयं संचालित एवं अधिशासित होना चाहिए।

1. **क्या नीतिशास्त्र, घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार से संबंधित नीति सिर्फ कंपनी तक सीमित है? हां/नहीं।**

   क्या इसका विस्तार ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्त्ता/ठेकेदारों/एनजीओ/अन्यों के लिए किया गया है?

   जी नहीं, कंपनी के अलावा, यह किसी सहायक अथवा संयुक्त उद्यम कंपनी में सेकंडमेंट अथवा प्रतिनियुक्ति पर गए गेल कर्मचारियों के लिए भी विस्तारित है।

   आचार संहिता, सीडीए नियम/स्थायी आदेश, धोखाधड़ी निवारण नीति और व्हीसल ब्लोअर नीति सभी गेल कर्मचारियों पर लागू है, जिमसें संयुक्त उद्यम कंपनियों, सहायक कंपनियों, सरकारी निकायों जिसमें स्वायत्त संस्थान, विनियामक प्राधिकरण आदि शामिल हैं, में सेकंडमेंट अथवा प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारी शामिल हैं।

   इसके अलावा, सतर्कता विभाग, सीवीसी दिशा–निर्देशों एवं संबंधित परिपत्रों पर आधारित मुद्दों से संबंधित घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर ध्यान दे रहा है। गेल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों के लिए, वहां क्षेत्र का विस्तार किया गया है, जहां, गेल की इक्विटी 50 प्रतिशत से अधिक है।

   आपूर्तिकर्त्ताओं, ठेकेदारों आदि के लिए विस्तारित ''सत्यनिष्ठा संधि'' और ''धोखाधड़ी निवारण नीति'' का गेल, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल संविदा (यूएनजीसी) के नियमों का पालन करता है, जो भ्रष्टाचार–रोधी मुद्दों पर नियम को सूचीबद्ध करते हैं।

2. विगत वित्तीय वर्ष में कितने स्टेकधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने प्रतिशत शिकायतों को प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से हल किया गया था?

स्टेकधारक	प्राप्त शिकायतें	लंबित शिकायतें	समाधान प्रतिशत
शेयर धारक/निवेशक	19	0	100
ग्राहक	58	1	98.28
कर्मचारी	10	1	90
सतर्कता	103	46	55.34
ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्त्ता (सत्यनिष्ठा संधि से संबंधित)	4	0	100
मीडिया, विज्ञापनकर्त्ता एजेंसियां	0	0	0
जोड़	194	48	72.25%

यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों अथवा आदि में उनके ब्यौरे उपलब्ध कराएं।

टिप्पणी: उल्लिखित शिकायतें, उस नियम पर ध्यान दिए बगैर कुल शिकायतें हैं, जिसके तहत वे आती हैं।

गेल में सत्यनिष्ठा संधि लागू करने के लिए मै. ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे प्रक्रियाओं के प्रापण में पारदर्शिता प्राप्त की जा सके। स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर नियुक्त किए गए हैं, जो गेल में भ्रष्टाचार, घूसखोरी अथवा किसी अनीतिपरक पद्धतियों को रोकने के लिए सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम के कियान्वयन की जांच के लिए जिम्मेदार हैं।

नियम 2

व्यवसायों को सामान एवं सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए, जो सुरक्षित हों और उनके पूरे जीवन चक्र में संधारणीयता में सहयोग करें।

1. अपने 3 उत्पादों अथवा सेवाओं की सूची बनाएं, जिसके डिजाइन में सामाजिक अथवा पर्यावरणिक चिंताओं, जोखिमों और/अथवा अवसरों को शामिल किया गया हो।

   i. प्राकृतिक गैस एवं एलपीजी पारेषण।

   ii. लिक्विड हाइड्रो कार्बन।

   iii. पेट्रोकैमिकल्स (एचडीपीई एवं एलएलडीपीई)

   टिप्पणी– नये उत्पादों/प्रक्रिया/सेवाओं को स्वीकार करने की प्रक्रिया–

   विस्तृत इंजीनियरिंग, विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन, जिसमें नया गैस प्रोसेसिंग एवं पेट्रोकैमिकल्स प्लांटों के लिए लागत अनुमान एवं निवेश मंजूरी के मार्गस्थ विभिन्न ग्राहकों को अंतिम मील कनेक्टीविटी के लिए लागत अनुमान एवं निवेश मंजूरी शामिल है।

   उपरोक्त सभी परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है और निम्नलिखित कार्यकलापों को शामिल करके पर्यावरणिक एवं सामाजिक चिंताओं, जोखिमों एवं अवसरों को ध्यान में रखते हुए निष्पादित किया जा रहा है।

   - ई एम पी (पर्यावरणीय प्रबंधन योजना)
   - ई आई ए (पर्यावरण प्रभाव निर्धारण)
   - एस आई ए (सामाजिक प्रभाव निर्धारण)
   - आर आर ए (त्वरित जोखिम निर्धारण)
   - सीसीओई मंजूरी (मुख्य विस्फोट नियंत्रक)
   - एचएजेडओपी (खतरा एवं प्रचालीयता अध्ययन)
   - बाजार अध्ययन

2. **ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए उत्पाद के प्रतियूनिट संसाधन प्रयोग (ऊर्जा, पानी, अपरिष्कृत सामग्री आदि) के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरे उपलब्ध कराएं (वैकल्पिक):**

   I. पूर्ववर्ती वर्ष के पूरे मूल्य चेन से प्राप्त स्रोतीकरण/उत्पादन/वितरण के दौरान घटौती?

   i. प्राकृतिक गैस एवं एलपीजी ट्रांसमिशन:

   संपूर्ण मूल्य चेन में, कंपनी की एकीकृत प्रबंधन से निम्नलिखित उद्योग बेहतर पद्धतियों, सुरक्षित मसकों द्वारा पाइपलाइन और कम्प्रेसर/पम्पिंग स्टेशनों के जरिए ग्राहकों को स्रोत से प्राकृतिक गैस (एनजी) एवं एलपीजी के पारेषण की जिम्मेदारी है।

   गेल की एनजी एवं एलपीजी के पारेषण का सिस्टम समग्र मॉनीटरिंग के लिए सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम के साथ स्काडा सिस्टम से समर्थित है।

   - एनजी ट्रांसमिशन– हमारे प्रबंधन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राप्त कुल ऊर्जा खपत में 7.37 प्रतिशत कमी।
   - एलपीजी ट्रांसमिशन– हमारे प्रचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राप्त कुल ऊर्जा खपत में 0.5 प्रतिशत की कमी।

   ii. लिक्विड हाइड्रोकार्बन:

   गेल का एलपीजी प्लांट प्राकृतिक गैस को इसके मूल्य वर्धित उत्पादों अर्थात लिक्विड हाइड्रोकार्बनों में परिवर्तित करता है। प्लांटों को बेहतर उद्योग मानकों, पद्धतियों एवं मानकों, जैसे कि ओआईएसडी के एक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपना करके तैयार किया जाता है। नवीनतम कंट्रोल सिस्टम को सभी एलपीजी प्लांटों में अपनाया जाता है।

   एलपीजी को थोक में एलपीजी खुदरा कंपनियों को बेचा जाता है और अन्य लिक्विड हाइड्रो कार्बन उत्पादों के उद्योगों को उनके प्रयोग हेतु बेचा जाता है।

   हमारे प्रचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राप्त विशिष्ट जल खपत में 1.6 प्रतिशत की कमी।

   iii. पेट्रोकैमिकल्स (एचडीपीई एवं एलएलडीपीई): गेल के पेट्रोकैमिकल प्लांट में, ईथेन प्रोपेन ($सी_2/सी_3$) गैस प्रोसेसिंग यूनिट में प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है और ईथेलीन एवं प्रोपीलीन उत्पन्न करने के लिए गैस क्रैकर यूनिट में क्रैक किया जाता है। ईथेलीन को तीन पॉलीमर

यूनिटों में अंतिम उत्पादों–एचडीपीई (उच्च घनत्व पॉलीथिलीन) और एलएलडीपीई (लाइनीयर कम घनत्व पॉलीथीलीन) में परिवर्तित किया जाता है।

अनुपालित प्रक्रिया से वांछित उत्पादन स्तर में ऊर्जा अपरिष्कृत सामग्री, जल आदि का ईष्टतम प्रयोग हुआ है।

हमारे प्रचालन में वित्तीय वर्ष 2013–14 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राप्त विशिष्ट ऊर्जा खपत में 0.38 प्रतिशत की कमी आई है।

टिप्पणी 2 का संदर्भ।

II. **उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग के दौरान विगत वर्ष से (ऊर्जा, जल) कमी आई है?**

वित्तीय वर्ष 2014–15 में, गेल ने अपने ग्राहकों को लगभग 72एमएमएससीएमडी प्राकृतिक गैस की बिक्री है अथवा आपूर्ति की है। कुछ नये ग्राहकों को भी ईलिक्विड एवं अन्य ईंधनों से प्राकृतिक गैस में परिवर्तित किया गया है। जैसा कि प्राकृतिक गैस अति हल्का जिवाश्म ईंधन है, यह ग्राहक स्तर पर जीएचजी उत्सर्जनों के घटाव को प्रेरित करता है।

कृपया टिप्पणी 3 को भी देखें

3. **क्या कंपनी में संधारणीय सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं (परिवहन सहित)?**

गेल ने ई–टेंडरिंग शुरू की है है, जो प्रतिस्पर्धात्मकता के सिद्धांत पर आधारित है और ऐसी प्रापण पद्धतियों को ऐसे तरीके में निष्पादित किया जाता है, जो पारदर्शी हों, उचित हों, प्रतिस्पर्धात्मक हों और लागत प्रभावी हो। यह प्रकिया भी पेपर बचत की दिशा में सहयोग करती है और संगठन की एक ग्रीन पहल है। गेल की आई टी टीम भीतरी एवं बाहरी ग्राहकों को समाधान प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों के साथ निरंतर रूप में कार्य करती है और संपूर्ण प्रक्रिया में आई टी समर्थित सेवाओं का विस्तार किया है।

इसके अलावा, गेल ने माइक्रो एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति कियान्वित की है। नीति एमएसई से 20 प्रतिशत प्रापण का लक्ष्य रखती है जो ऐसे संगठनों द्वारा प्रदान की गई माल एवं सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 4 प्रतिषत के उपलक्ष्य के साथ है। इसके अलावा, गेल के टेंडरों को इसकी वेबसाइट पर डाला गया है, जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और जो कोई भी इच्छुक हो, टेंडर जारी करने वाली साइट पर गए बगैर भी उन निविदाओं में भाग ले सकते हैं।

ऊर्जा दक्षता एवं संधारणीय उत्पादों को प्राप्त करने की दिशा में गेल ने निम्नलिखित प्रावधान शुरू किए हैं:

i) पम्प/मोटर/जेनरेटरों एवं टर्बाइनों को प्राप्त करने के मामले में लोडिंग मापदंड को ध्यान में रखा जा रहा है। ये मापदंड उपकरण की विनिर्दिष्ट अवधि (अर्थात 10/15 वर्ष) संबंधी ईंधन/बिजली खपत पर आधारित हैं। लोडिंग मापदंडों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए मूल्यों को बोली का मूल्यांकन करते समय अद्भुत मूल्यों में जोड़ा जाता है। यह कंपनी को ईंधन/बिजली दक्षता उपकरण प्राप्त करने में मदद करता है।

ii) स्टार रेटिंग बिजली उपकरण।

iii) सभी नई बिल्डिंग परियोजनाओं में ग्रीन बिल्डिंग संकल्पना।

इसके अलावा, गेल ने 118 मेगावाट (लगभग) पवन उर्जा एवं 5 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता संस्थापित की है।

3(i) यदि हां तो, आपके कितने प्रतिशत इनपुट संधारणीय रूप से स्रोतरत थे? साथ ही लगभग 50 शब्दों अथवा आदि में उनके आंकड़े भी उपलब्ध कराएं।

जी, हां, गेल ने माइक्रो एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति लागू की है। नीति एमएमई से 20 प्रतिशत प्रापण पर लक्ष्यरत है, जो ऐसे संगठनों द्वारा प्रदान की गई माल एवं सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाली एमएसई से 4 प्रतिशत के उप–लक्ष्य के साथ है। इसके अलावा, गेल सरकार की सभी नीतियों को लागू करती है, जो टिकाऊ स्रोतसाधन प्रदान करते हैं। सभी, बोली–दाताओं को गेल की निविदाओं की सामान्य संविदा शर्तों को स्वीकार करने हेतु अपेक्षित हैं, जिनमें उन्होंने (क) समाज (ख) माहौल (ग) श्रम मूल्य (घ) मानव अधिकार पहलू पर प्रभाव से संबंधित सभी प्रावधानों को स्वीकार करने की पुष्टि की।

4. **क्या कंपनी ने स्थानीय एवं लघु उत्पादकों से जिसमें उनके कार्य–स्थल के आस–पास के समुदाय शामिल हैं, माल एवं सेवाओं की प्राप्ति हेतु कोई कदम उठाए हैं?**

गेल की प्रापण नीति टेंडर दस्तावेज में उल्लिखित विनिर्देशनों के लिए न्यूनतम मूल्य दृष्टिकोण पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, गेल, भारत सरकार की योजनाओं के अनुसार एमएसई (माइक्रो एवं लघु उद्यमों) को लाभ प्रदान करता है।

गेल ने माइक्रो एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए ''सार्वजनिक प्रापण नीति'' लागू की है, जो एमएसई को टेंडर फीस एवं ईएमडी खरीद अधिमान आदि से अधित्याग जैसे विभिन्न लाभों का विस्तार किया गया।

नीति, ऐसे संगठनों द्वारा प्रदान की गई माल एवं सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएमई से 4 प्रतिशत के उप–लक्ष्य के साथ एमएसई से 20 प्रतिशत प्रापण हेतु लक्ष्यरत है। ये उद्योग, सामान्यतः कार्य स्थल के आस–पास के समुदायों से स्थानीय एवं लघु उत्पादक होते हैं।

गेल (इंडिया) लिमिटेड, जो भारत की प्रमुख प्राकृतिक गैस कंपनी है, ने औरेया, उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक पार्क के विकास को सुकर बनाने के लिए यूपी एसआईडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इन औद्योगिक यूनिटों की वृद्धि एवं विकास के लिए गेल प्रतिस्पर्धात्मक बाजार मूल्य पर अपरिष्कृत सामग्री की नियमित आपूर्ति, प्लास्टिक प्रोसेसरों को तकनीकी सहायता प्रदान करने, औद्योगिक यूनिटों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पॉलीमर गोदाम स्थापित करने के संबंध में सहयोग करेगा।

4 (i) यदि हां, तो स्थानीय एवं लघु वेंडरों की क्षमता एवं सक्षमता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु एवं माइक्रो उद्यमों की भागीदारी को बढ़ाने के क्रम में निम्नलिखित सुविधाओं पर विचार किया गया है:

1 (क) टेंडर दस्तावेजों को निःशुल्क जारी करना

(ख) ईएमडी/बोली प्रतिभूति आदि के भुगतान से छूट।

2. लघु एवं माइक्रो उद्यमों को स्वीकृत खरीद अधिमान, जिससे माइक्रो एवं लघु उद्यमों को गेल के टेंडरों में भाग लेने और आदेशों को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

3. स्थानीय बाजार से की गई तत्काल खरीद।

इसके अलावा गेल ने पेपर वर्क कम करने के लिए तथा टेंडरिंग प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए ई प्रापण पहले से शुरू किया है। यह स्थानीय एवं लघु वेंडरों को सहजता के साथ बड़ी संख्या में दर्ज करने में तथा थोक बोली दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में शामिल उनकी टेंडरिंग लागत को कम करने में मदद करता है। सभी टेंडरों में प्री–टेंडर/प्री–बोली मीटिंग की व्यापकता को सुनिश्चित करने के लिए तथा टेंडरिंग प्रक्रिया में वेंडरों को शिक्षित बनाने के लिए शुरू की गई है।

गेल, ने विभिन्न मंचों पर, जैसे कि वेंडर मीट/एमएसई बैठक/उद्योग गुप्त सभा आदि में लघु एवं स्थानीय वेंडरों के साथ आपसी बातचीत भी की है और पहलें शुरू की हैं तथा उन्हें गेल की अपेक्षाओं के बारे में जागरूक बनाता है।

रिपोर्टिंग अवधि में, एमएसई के लिए वेंडर विकास कार्यक्रम पाटा, विजयपुर, जयपुर, कारपोरेट कार्यालय, मुम्बई, झाबुआ, राजमुन्द्री एवं वड़ोदरा में शुरू किए गए हैं।

5. **क्या कंपनी के पास उत्पादों एवं अपशिष्ट को रिसाइकिल करने के लिए कोई तंत्र है?**

i. यदि हां, तो उत्पादों एवं अपशिष्ट का रिसाइकिलिंग प्रतिशत क्या है? (अलग–अलग रूप में < 5 प्रतिशत, 5–10 प्रतिशत> 10 प्रतिशत) लगभग 50 शब्दों अथवा आदि में उनके ब्यौरे भी उपलब्ध कराएं।

जी हां, संधारणीय विकास नीति में शामिल।

प्राकृतिक गैस (एनजी) गेल की प्रोसेस प्लांटों के लिए प्रमुख इनपुट संघटक है। एनजी की प्रोसेसिंग के बाद इसे ग्राहको को भेजा जाता है और केवल एनजी के छोटे अंश को सेफ्टी अपेक्षाओं के अनुसार प्रदीप्त किया जाता है,

इसलिए रिसाइकिल किए गए एनजी को इनपुटों के रूप में अपरिष्कृत सामग्री के रूप में पुनःप्रयोग करने की सीमित संभावना है। इसके अलावा, उत्पादों एवं प्रक्रियाओं का डिजाइन शून्य/न्यूनतम अपशिष्ट के एक तरीके में किया जाता है।

गेल, पहलों के जरिए, जैसे कि हीट पुनःप्राप्ति स्टीम जेनरेशन (एचआरएसजी) के संस्थापन, निस्सारी शोधन प्लांटों (ईटीपी). सीवेज शोधन प्लांटों (एसटीपी), अपशिष्ट जल शोधन प्लांट (डब्ल्यू डब्ल्यू टीपी) वर्षा जल हार्वेस्टिंग आदि के जरिए संसाधन उत्पादकता को इष्टतम बनाने का प्रयास करता है। खतरनाक अपशिष्ट का गेल के संबंध में स्वीकृत एजेंसी द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जरिए निपटान किया जाता है।

जल प्रबंधन

प्रकीर्ण कार्यकलापों के रूप में उत्पन्न अपशिष्ट जल को निस्सारी शोधन प्लांटों (ईटीपी) के जरिए शोधित किया जाता है। संसाधित अपशिष्ट जल को बागवानी आदि जैसे विभिन्न गैर पेय प्रयोगों के लिए प्रयोग किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में 33.9 प्रतिशत अपशिष्ट जल को पुनः प्रयोग/रिसाइकिल किया गया था।

गेल अपने संसाधनों में अपशिष्ट जल की अधिकतम मात्रा के प्रयोग को सुनिश्चित करता है।

अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस अपशिष्ट निपटान सुविधा, गेल के प्लांटों में मौजूद है जिनमें प्लांट अपशिष्ट में अंतर्निहित मूल्य नहीं है और जिन्हें स्वरूप में खतरनाक समझा जाता है, उन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृत एजेंसी द्वारा निपटाया जाता है।

ई–अपशिष्ट प्रबंधन

ई–अपशिष्ट को या तो बाइबैक प्रणाली के जरिए वापसी द्वारा या फिर राज्य की एजेंसियों द्वारा स्वीकृत रिसाइकिलरों द्वारा निष्पादित करके व्यवस्थित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में 6.79 एमटीई–रिसाइकिल किया गया अपशिष्ट

टिप्पणी 2 को देखें

नियम 3

व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई को प्रोत्साहित करना चाहिए।

1. **कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं।**

   4266 (31.03.2015 के अनुसार, जिसमें बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक एवं सीएमडी, सीवीओ सहित शामिल हैं)

2. **कृपया अस्थायी/संविदात्मक/अस्थायी आधार पर किराए पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं**

   13400

3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   255

4. **कृपया अशक्तता वाले स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएं।**

   89

5. **क्या आपकी कोई कर्मचारी संस्था है, जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त हो?**

   जी हां।

   गेल संस्था की स्वतंत्रता का समर्थन करता है और प्रभावी रूप से कामगार यूनियनों, अधिकारी संगठनों, महिला फोरमों, एससी/एसटी, कर्मचारियों आदि को उदारतापूर्वक मान्यता देकर एवं प्रोत्साहित करके सामूहिक वार्तालाप में के अधिकार को स्वीकार करता है।

   गेल में, दो यूनियनें हैं, जो अपने संबंधित कामगारों/स्टाफ के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गेल कर्मचारी संस्था (जीईए) पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों/प्लांटों/संस्थापनों में तैनात गैर–कार्यपालकों की एक प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय है, इसमें कारपोरेट कार्यालय शामिल नहीं हैं। कारपोरेट कार्यालय में तैनात गैर कार्यपालकों का प्रतिनधित्व गेल कर्मचारी संघ (जीकेएस) द्वारा किया जाता है।

6. **आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संस्था के सदस्य है?**

   इन मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियन के सदस्यों के रूप में नियमित कर्मचारियों का प्रतिशत 21.41% है।

7. **कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित बाल मजदूर, प्रबलित मजदूर, अनैच्छिक मजदूर, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत संख्या बताएं।**

श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर शिकायतों की सं.	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की सं.
बाल मजदूर/प्रबलित मजदूर/अनैच्छिक मजदूर	शून्य	शून्य
यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य
विभेदी नियोजन	शून्य	शून्य

8. **पिछले वर्ष में उल्लिखित कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सेफ्टी एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था ?**

स्थायी कर्मचारी	कुल : 94.5 प्रतिशत
स्थायी महिला कर्मचारी	कुल : 96 प्रतिशत
अनियमित/अस्थायी/संविदा कर्मचारी	कुल : 25 प्रतिशत(इस डाटा साइट/परियोजना की सीमा हेतु टिप्पणी 2 को देखें:– 100 प्रतिशत सेफ्टी जागरूकता)।
अशक्तता वाले कर्मचारी	कुल : 91 प्रतिशत

टिप्पणी:– 95 प्रतिशत पुरुष स्थायी कर्मचारियों को विगत वर्ष में सेफ्टी एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था।

सभी कर्मचारियों को, जो साइटों एवं परियोजनाओं में तैनात थे, अनिवार्य सेफ्टी जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया है। इन निर्धारित प्रशिक्षणों के अलावा, कर्मचारियों को जानकारी साझा करने वाले कार्यक्रमों, सेफ्टी सप्ताह, राष्ट्रीय सेफ्टी दिवस आदि जैसे विभिन्न अवसरों पर आयोजित ऑनलाईन प्रश्नोत्तरों एवं प्रतिस्पर्धात्मक विषयों के जरिए कार्यात्मक क्षेत्रों एवं व्यवहारात्मक पहलूओं में सेफ्टी एवं कौशल उन्नयन के संबंध में इनपुट भी प्रदान किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2014–15 में गेल ने उन्नत स्वास्थ्य एवं सेफ्टी संस्कृति हेतु व्यवहार आधारित प्रणाली (बीबीएस) को और सुदृढ़ बनाया है।

नियम 4

व्यवसायों को सभी स्टेकधारकों के हितों के, विशेष रूप से उन स्टेकधारकों का जो असुविधा में है, अरक्षित हैं और उपेक्षित हैं, सम्मान करना चाहिए और इस संबंध में जवाबदेय होना चाहिए।

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक एवं बाहरी स्टेकधारकों की रूपरेखा तैयार की है?**

   जी हां।

   गेल ने सीएसआर से संबंधित आंतरिक एवं बाहरी स्टेकधारकों की कंपनी के कार्य के रूप में पहचान की है जिसमें बाहरी स्टेकधारक जैसे कि सरकार/रेगुलेटर, लागूकर्त्ता एजेंसियां, सेवा प्रदायक, स्थानीय समुदाय, सिविल सोसायटी, ग्राहक, निवेशक, मिडिया, उपभोक्ता, हिमायती समूह आदि तथा कर्मचारियों के रूप में आंतरिक स्टेकधारक शामिल हैं।

2. **उपरोक्त में से क्या कंपनी ने सुविधाहीन, अरक्षित और उपेक्षित स्टेकधारकों की पहचान की है।**

   जी हां।

गेल ने कंपनी की वर्तमान सीएसआर नीति के अनुसार सुविधाहीन, अरक्षित एवं उपेक्षित स्टेकधारकों की पहचान की है। इनकी पहचान कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 135 के उपबंधों एवं उनकी सीएसआर नियमावली के अनुसार की गई है।

इसके अलावा, डीपीई सीएसआर और 2014 के संधारणीयता दिशा निर्देशों का भी पालन किया जाता है। इनमें प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित करेगा, अशक्तता वाले लोग, महिलाएं एवं बच्चे, जनजातीय लोग, एससी/एसटी, अतिपिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सुविधाहीन युवा, वरिष्ठ नागरिक एचआईवी प्रभावित वोडा अहिंसा के शिकार लोग शामिल हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, समुदाय के संबंध में अनुकम्पा के आधार पर दखल गेल के हृदय में है।

3. **क्या कंपनी द्वारा अभावग्रस्त, दुर्बल एवं उपेक्षित स्टेकधारकों को काम पर लगाने के लिए कोई विशेष पहल की जाती है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों अथवा आदि में उनके ब्यौरे प्रदान करें।**

जी हां।

गेल द्वारा बड़े स्तर पर उपेक्षित स्टेकधारक समूहों एवं समुदाय के संपूर्णतावादी एवं संधारणीय विकास हेतु विशिष्ट हस्तक्षेप तैयार किए जाते हैं और लागू किए गए हैं।

गेल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII के निर्धारित क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें गेल की सीएसआर नीति में चिन्हित सात क्षेत्रों में हस्तक्षेपों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 एवं उसके सीएसआर नियमों के संरेखण में हैं।

वर्ष 2014–15 में शुरू किए गए विशेष पहलें:

झाबुआ, मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र में कियान्वित सफल एकीकृत वाटरशेड विकास एवं प्रबंधन कार्यक्रम प्रोजेक्ट जलधार ने 48 स्व–सहायता समूह का निर्माण हुआ है जिन्होंने बाद में आय सृजन को सफल बनाया ओर 3500/– वृक्ष/छोटे वृक्ष के संबंध में 15 वाटरशेड संरचनाओं एवं प्लांटेशन के सृजन से जनजातीय महिलाओं में मौद्रिक बचत को प्रोत्साहित किया।

गेल द्वारा आईएल एवं एफएस के सहयोग से संचालित 4 कौशल विद्यालयों ने सेवा क्षेत्र ट्रेडो में, जैसे कि खुदरा/बिक्री, आतिक्य प्रबंधन, बेसिक इंजीनियरिंग आदि में 3380 से अधिक ग्रामीण एवं अर्ध शहरी युवाओं को जॉब से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है। प्रशिक्षण, सीआईपीईटी, अहमदाबाद के जरिए कौशल से संबंधित प्लास्टिक उद्योग में शोषित समुदाय से 60 लाभार्थियों को दिया गया था।

कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रोजेक्ट स्वाधीन के तहत राष्ट्रीय विक्लांग वित्त एवं विकास निगम की साझेदारी में अशक्तता वाले 1500 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। प्रौढ़ समस्या के मुद्दे को हल करने के लिए करोड़ों मुस्कानों की परियोजना वापसी शुरू की गई थी जो एक संपूर्णतावादी मीडिया अभियान है, जो जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी पर लक्ष्यगत है।

विनाशकारी भयंकर बाढ़ के परिणामतः, जो उत्तराखंड राज्य में घटित हुआ, प्रोजेक्ट सृजन (सृजन) को समुदाय के पुनर्वास एवं दीर्घ अवधि पुनर्निमाण हेतु शुरू किया गया था, परियोजना का प्रमुख संघटक, क्षमता निर्माण, जीविका पोषण, अवसंरचना/संपत्ति सृजन, आपदा प्रबंधन एवं न्यूनीकरण का।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की स्वास्थ्यकारी सफाई सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में बचनबद्धता को पूरा करने के संबंध में महत्वपूर्ण कार्रवाई में गेल वित्तीय वर्ष 2014–15 और वित्तीय वर्ष 2015–16 के ''स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय'' (क्लीन इंडिया, क्लीन स्कूल) कार्यक्रम के तहत लगभग 3500 शौचालयों का निर्माण कर रहा है और निर्माण/कार्यात्मकता में सहायता कर रहा है।

नियम 5

व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए

1. **क्या मानव अधिकार पर कंपनी की नीति में केवल कंपनी शामिल है अथवा ग्रुप/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्त्ता/ठेकेदार/एनजीओ/अन्यों तक विस्तारित है?**

जी, हां।

मानव अधिकार से संबंधित सभी कानूनी अपेक्षाओं का पालन करता है और इसका पालन इसके संयुक्त उद्यमों, सहायक कंपनियों ठेकेदारों आदि द्वारा भी वास्तविक रूप में किया जाता है।

गेल में, हमारे सभी कार्यों के संबध में मानव अधिकारों के समर्थन में सदैव प्राथमिकता देता है। मानव अधिकारों के समर्थन में वैश्विक बचनबद्धता, गेल द्वारा यूएनजीसी नियमों का सिगनेटरी बनने पर मई, 2011 में की गई थी। गेल की नीतियों को उपयुक्त रूप से तैयार किया गया है और मानव अधिकार नियमों, भारत के संविधान तथा श्रम कानूनों में पूर्ण तथा इसके अनुरूप हैं। एक समर्पित शिकायत निवारण तंत्र हमारे सभी स्टेकधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए व्यवस्थित है। गेल, समाज के अल्पसंख्यकों और आर्थिक रूप से शोषित वर्गो के विकास में भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करता है। लिंग सुमेलीकरण, सम्मिलीकरण एवं सकारात्मक कार्यक्रम भी कंपनी द्वारा शुरू किए जाते हैं।

गेल, महिला प्रकोष्ठ को महिला कर्मचारियों की विकासात्मक जरूरतों को देखने के लिए स्थापित किया गया है। प्रकोष्ठ, महिला कार्यबल का पता लगाने, चर्चाए शुरू करने तथा उनकी चिंताओं को दूर करने पर ध्यान देता है, जिसमें कार्यस्थल पर भेदभाव और यौन–उत्पीड़न शामिल है। गेल समस्त जेंडर के लिए समान अधिकार हेतु बचनबद्ध है और इसे कर्मचारियों की क्षतिपूरण नीति में दर्शाया गया है। प्रत्येक राज्य में जहां गेल के प्रचालन में है, अनुप्रयोज्य मानकों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अपेक्षाओं को भी सुनिश्चित करता है।

गेल में कार्य संविदाओं एवं करारों को मानव अधिकारों के समर्थन में खंडों के साथ अंतःस्थापित किया जाता है। गेल में इसके किसी भी प्रचालन में बाल अथवा प्रबलित मजदूर के संबंध में नॉन टॉलरेंस नियम का पालन किया जाता है।

सामूहिक वार्तालाप, एक महत्वपूर्ण कामगार अधिकार को गेल में कामगार यूनियनों के मान्यकरण एवं प्रोत्साहन के जरिए हमारे सभी प्रचालनों के समर्थन में किया जाता है। गेल द्वारा कई पहल किए गए हैं, जैसे कि कर्मचारी समूहों के साथ नियमित आपसी बातचीत, श्रम प्राधिकारियों के साथ सहयोग, औद्योगिक विवादों का समाधान, कार्य सेंटर स्तर के मुद्दों की रिकॉर्डिंग एवं विश्लेषण और यूनियनों के साथ दीर्घ अवधि समझौता।

गेल प्रबंधन ने पूरे गेल में सामाजिक उत्तरदायित्व एस ए 8000 का चरण–वार कियान्वयन अनुमोदित किया है। चरण–I में एस ए 8000 के संदर्भ में अंतराल निर्धारण प्रायोगिक साइट हजीरा में शुरू किया गया है। हाल ही में, एस ए 8000 लेखा परीक्षा तीसरे पक्ष द्वारा शुरू की गई है। सुधार क्षेत्रों एवं जानकारियों को पूरे गेल में साझा किया जाएगा और एस ए 8000 के आगे क्रियान्वयन हेतु उपयुक्त प्रणाली अथवा आशोधनों को पूरा किया जाएगा।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितने स्टेकधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषजनक रूप से समाधान किया गया था?**

यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों अथवा आदि में उसके ब्यौरे प्रदान करें।

कृपया नियम 1, उत्तर–2 को देखें

नियम 6

व्यवसाय को परिवेश का सम्मान करना चाहिए बचाव करना चाहिए, और पुनःप्राप्ति हेतु प्रयास करना चाहिए।

1. **क्या नियम 6 से संबंधित नीति में सिर्फ कंपनी शामिल है अथवा यह ग्रुप/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों/जीओ/अन्यों के लिए विस्तारित है।**

नीति में केवल कंपनी शामिल नहीं है, बल्कि संयुक्त उद्यमों सहित इसका अन्य स्टेकधारकों के लिए भी विस्तार किया गया है।

2. **क्या कंपनी ने वैश्विक पर्यावरणिक मुद्दों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि को हल करने के लिए कार्यनीतियां बनाई हैं पहलें शुरू की हैं? हां/नहीं**

जी, हां।

यदि हां, तो कृपया वेबपेज आदि के संबंध में हाइपरलिंक दें।

गेल की संधारणीयता रिपोर्ट 2014–15 का ब्यौरों के विषय में संदर्भ लिया जाए, जो इस लिंक पर उपलब्ध होगी:

http://www.gailonline.com/finalsite/SustainableDevelopment.html.

3. **क्या कंपनी ने संभावित पर्यावरणिक जोखिमों की पहचान की है और मूल्यांकन किया है? हां/नहीं।**

जी हां।

चार प्रक्रिया प्लांट, अर्थात पाता, विजयपुर, वाधोडिया, गांधार एवं दोनों एलपीजी पाइपलाइनें गेल के जोखिम प्रबंधन ढांचे में पहले से शामिल हैं। नामित जोखिम अधिकारी संबंधित साइट के लिए पर्यावरणिक जोखिम प्राप्त करने हेतु जिम्मेदार है। अभिज्ञात जोखिमों को साइट स्तरीय जोखिम समिति एवं जोखिम ऑनर (ओ आई सी) द्वारा मान्य ठहराया जाता है।

सभी उल्लिखित साइटों को पर्यावरणीय जोखिम में पहले ही शामिल किया गया है जो सभी कर्मचारियों की पहुंच में है। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन विभाग प्रतिष्ठित व्यक्तियों से परामर्श करके जोखिम द्वारा बेस की पुनरीक्षा के कार्य में लगा हुआ है।

4. **क्या कंपनी की क्लीन विकास प्रणाली से संबंधित कोई परियोजना है?**

यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में अथवा आदि में उसके ब्यौरे दें।

यदि, हां तो यह भी क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दायर की गई है?

जी हां, गेल की निम्नानुसार वर्णित दो सीडीएम परियोजनाएं हैं –

i) **गाजीपुर, दिल्ली में लैंडफिल गैस परियोजना का उपयोग:**

गाजीपुर, दिल्ली में क्रियाशील लैंड फिल साइट से लैंड फिल गैस (एलएफजी) को प्राप्त करने और नष्ट करने के लिए एक अग्रगामी परियोजना क्रियान्वित की गई है।

लगभग 25 प्रतिशत मीथेन मात्रा के साथ लगभग 125 एम3/एचआर–एलएफजी का निष्कर्ष किया जा रहा है और इस प्रकार जीएचजी उत्सर्जनों में कमी करके प्रदीप्त कर रहा है, क्योंकि मीथेन ग्लोबल वार्मिंग के कारण सीओ$_2$ से 25 गुना अधिक शक्तिशाली है।

परियोजना, नामोदिष्ट प्रचालनात्मक संस्था (डीओई) द्वारा वैधीकृत है और क्लीन विकास प्रणाली के तहत कार्बन क्रेडिटों का लाभ लेने के लिए यूएनएफ सीसीसी में सफलतापूर्वक पंजीकृत है।

परियोजना ने स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है और समाज के प्रति गेल की बचनबद्धता को प्रदर्शित करती है। अब इसकी योजना माइक्रो टर्बाइन के संस्थापन के जारी लगभग 30 किलोवाट विद्युत उत्पादन हेतु कम गुणवत्ता के एलएफजी का उपयोग करने की है।

जी हां, पर्यावरण मंजूरी ''स्थापना हेतु सहमति'' प्राप्त की गई थी और ''प्रचालन हेतु सहमति'' किसी प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से प्रदान की गई है।

ii) **गेल द्वारा जैसलमेर में संस्थापित 5 मेगावाट सौर विद्युत प्लांट परियोजना:**

गेल के सौर पॉवर प्लांट ने ग्रिड को 8.59 मिलियन यूनिट का निवल निर्यात किया है। यह परियोजना यूएनएफसीसीसी द्वारा सीडीएम प्रोजेक्ट के रूप में पंजीकृत थी।

जी हां, सभी विनियामक मंजूरियां परियोजना को शुरू करने के लिए ली गई थीं।

5. **क्या कंपनी ने क्लीन प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल शुरू की है? हां/नहीं**

यदि हां, तो कृप्या वेबपेज आदि पर हाइपरलिंक दें।

जी, हां।

क्लीन प्रौद्योगिक, ऊर्जा दक्षता:

1. सीओ$_2$ के बहुमूल्य रसायनों में परिवर्तन पर आर एवं डी पहल।
2. अपशिष्ट प्लास्टिक का मूल्यवान हाइड्रोकार्बन (डीजल) में परिवर्तन पर आर एवं डी पहल।
3. छाइन्सा यूनिट में ग्रीन बिल्डिंग हेतु 4 सितारा जीआरआईएचए रेटिंग।
4. गान्धार गैस प्रोसेसिंग यूनिट में ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली आईएसओ 50001 का कियान्वयन।
5. इन गेल साइट दिबियापुर, झाबुआ, पाता और विजयपुर में एलईडी आधारित लाइटिंग सिस्टमों बीईई स्टार रेटिंग एयर कंडीशनरों का कियान्वयन।

(अधिक जानकारी के लिए संधारणीयता रिपोर्ट 2012–13, 2013–14, 2014–15 को देखें)

गेल की संधारणीयता रिपोर्ट प्राप्त हो सकती है–

http://www.gailonline.com/finalsite/SustainableDevelopment.html.

6. **क्या कंपनी द्वारा उत्पादित उत्सर्जनों/अपशिष्ट का सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत्य सीमाओं के भीतर वित्तीय वर्ष हेतु उल्लेख किया जा रहा है?**

जी, हां।

7. **सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित हैं (अर्थात समाधानप्रद हल नहीं निकाला गया है)**

शून्य

नियम 7

व्यवसायों को जब वे सार्वजनिक एवं विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हुए हों, इस तरह एक जिम्मेदार तरीके में करना चाहिए।

1. **क्या आपकी कंपनी किसी ट्रेड और चैम्बर अथवा संगठन की सदस्य है?**

यदि हां, तो उस प्रमुख कंपनी का नाम बताएं जिसके साथ आपका कारोबार किया जाता है:

जी हां।

क. अंतर्राष्ट्रीय गैस यूनियन (आईजीयू)

ख. लोक उद्यमों की स्टैंडिंग कांफ्रेंस (स्कोप)

ग. ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई)

घ. ग्लोबल काम्पैक्ट नेटवर्क ऑफ इंडिया

ङ. संधारणीय विकास हेतु टेरी व्यावसायिक परिषद।

च. पेट्रोफेड

छ. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)

ज. जीआईआईजीएनएल, दि इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ लिक्वीफाइड नेचुरल गैस इम्पोटर्स

झ. भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर्स परिसंघ (फिक्की)

ञ. ग्लोबल रिपोर्टिंग इनीशिएटिव (जीआरआई) फोकल प्वाइंट इंडिया फाउंडिंग मेम्बर

ट. डब्ल्यू आर आई*, टीईआरआई* एवं सीआईआई द्वारा संचालित इंडिया जीएचजी* कार्यक्रम

*जीएचजी–ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन

*डब्ल्यूआरआई–विश्व संसाधन संस्थान

* टीईआरआई–ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान।

2. **क्या आपने लोक कल्याण के उन्नति अथवा सुधार के लिए उपरोक्त संगठनों के जरिए समर्थन किया है लॉबीकृत किया है? हां/नहीं।**

यदि हां, तो व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्रॉप बाक्स, अधिशासन एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, महत्वपूर्ण विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, संधारणीय व्यवसाय नियम, अन्य)

जी हां।

गेल, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, विभिन्न सरकारी निकायों जैसे कि

एमओपी एवं एनजी, पीपीएसी, ओआईएसडी, पीसीआरए आदि को औपचारिक और अनौपचारिक फीडबैक नियमित आधार पर उपलब्ध कराती है। यह जन कल्याण की उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण आधार तैयार करता है। इसके अलावा, गेल प्रतिष्ठित संगठनों का, जैसा कि ऊपर सूचीबद्ध है, जन कल्याण हेतु सहायता करने हेतु सदस्य भी है।

वित्त वर्ष 2014–15 में गेल ने हिमायती कार्य किए हैं, जो संक्षेप में निम्नानुसार विनिर्दिष्ट हैं–

गेल, भारतीय पेट्रोलियम परिसंघ का एक अधिशासी परिषद सदस्य है। पेट्रोफेड भारत में तेल उद्योग के लिए सुसाधक के रूप में काम करता है। यह सरकारों, विनियामक एजेंसियों तथा अन्य प्रतिनिधि निकायों के साथ पेट्रोलियम उद्योग में, मुद्दों पर जैसे कि संसाधनों के जुटाव एवं एकीकरण प्रयास पर कार्य करने में समन्वय करता है, उद्योग से संबंधित अन्य मामलों में सेफ्टी, स्वस्थ पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण को बढ़ाता है। इसके अलावा, गेल प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन संगठन (आईपीएमए) में "शिक्षा एवं प्रशिक्षण बोर्ड" में सदस्य के रूप में निरूपित है।

सीएमडी, गेल, फिक्की हाइड्रोकार्बन समिति का सह–अध्यक्ष है। समिति, ने देश की ऊर्जा से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करने का प्रयास किया है और अपने बौद्धिक इनपुट के जरिए इस क्षेत्र में कार्यरत भारत सरकार तथा अन्य निकायों के विभिन्न प्रयासों को पूरा करने का प्रयास किया है। इसके अलावा,गेल, फिक्की पर्यावरण समिति में भी प्रतिनिधित्व करती है जो पर्यावरण मुद्दों, जैसे कि म्युनीसिपल इलेक्ट्रॉनिक एवं खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन, कारपोरेट संधारणीयता, क्लीन प्रौद्योगिकी पर्यावरण एवं वन मंजूरी जैव विविधता आदि के व्यापक स्पेक्ट्रम पर कार्य करती है।

गेल, तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओआईडीबी) में भी प्रतिनिधित्व करता है। गेल अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) को भी ओआईडीबी से सहयोग से ऊर्जा धारित विशिष्ट संस्कान के रूप में सह–प्रोत्साहित करता है।

गेल, जीआरआई (ग्लोबल रिपोर्टिंग पहल) फोकल प्वाइंट भारत का संधारणीय एवं पारदर्शी सहायता संघ का संस्थापक सदस्य बन गया है जो हमें व्यवसाय लीडरों, राष्ट्रीय सरकारों, रेगुलेटरों संधारणीयता विशेषज्ञों, लिंक टैक निकायो तथा व्यावसायिक संस्थानों के साथ संधारणीयता रिपोर्टिंग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने में मदद करता है।

गेल, टीईआरआई–बीसीएसडी (टैरी–संधारणीय विकास संबंधी व्यावसायिक परिषद) का भी सदस्य है, जो संधारणीयता प्रैक्टीशनरों का एक उद्योग आधारित सहायता संघ है। इसके अलावा गेल, मानव अधिकार, श्रम मानकों, पर्यावरण एवं भ्रष्टाचार रोधी क्षेत्र में काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट (यूएनजीसी) का हस्ताक्षरकर्ता भी है।

सीएसआर कार्यकलापों पर अनिवार्य खर्च पर नये कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं पर विचार करते हुए आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन अनुरोध को सीएसआर व्यय पर छूट हेतु विशेष रूप से स्वीकार करते हुए भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था।

नियम 8

व्यवसाय को महत्वपूर्ण विकास एवं न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए।

1. क्या कंपनी की नियम 8 से संबंधित नीति के अनुपालन में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/ पहलें/परियोजनाएं हैं ? यदि हां, उनके ब्यौरे दें।

जी, हां

गेल, नियम 8 में यथा–सूचीबद्ध लक्ष्यों के अनुसरण में महत्वपूर्ण एवं न्यायसंगत विकास सुनिश्चित करता है। गेल की सकारात्मक नीतियां, जो भारत सरकार की दिशा–निर्देशों के अनुपालन में हैं, विविधता एवं साम्यता को बढ़ाती है और उनकी प्रजाति, जाति, धर्म, रंग, वंश, वैवाहिक स्थिति, लिंग, आयु एवं राष्ट्रीयता पर ध्यान दिए बगैर उनकी योग्यता एवं कौशल पर लोगों को मान्यता देता है। यह अर्धकुशल एवं अकुशल ठेका कार्मिकों के लिए न्यूनतम क्षतिपूरण मजदूरी की शर्तों में उद्योग से संबंधित शाखा विनियमनों का भी पालन करता है।

गेल का सामाजिक निवेश 7 अभिज्ञात महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है, जिसमें से प्रत्येक उद्देश्य के तहत शीर्षांकित है, जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात आरोग्य (स्वास्थ्यता) पोषण, स्वास्थ्य एवं सफाई और पेयजल परियोजनाएं, उज्जवल (उज्जवल भविष्य के संबंध में) शिक्षा सेंट्रिक पहल, कौशल (कौशल) आजीविका उत्पादन एवं कौशल विकास पहल, उन्नति (प्रोग्रेस)–ग्रामीण विकास, सशक्त (इम्पॉवरमेंट)–महिला सशक्तीकरण पहल, सक्षम (कैपेबल)–प्रौढ़ रूप में और भिन्न रूप में अक्षम लोगों की देखभाल एवं हरित (ग्रीन)–पर्यावरण सेंट्रिक पहल। सीएसआर हस्तक्षेपों को उपेक्षित वर्गो की विभिन्न जरूरतों को हल करने के लिए तैयार किया गया है और महत्वपूर्ण विकास एवं न्यायसंगत विकास के लक्ष्यों के अनुपालन में है।

आरोग्य (वेलनेस) के तहत शुरू किया गया मुख्य हस्तक्षेप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और पंजाब सभी राज्यों में संचालित 18 मोबाइल चिकित्सा यूनिटें हैं, जिनमें 374 गांव शामिल हैं और लगभग 3,20,000 जनसंख्या है। इन मोबाइल चिकित्सा यूनिटों (एमएमयू) के जरिए निःशुल्क दवाईयां उपलब्ध कराई जाती हैं, इसके साथ ही स्वास्थ्य जांच (हैल्थ चेक–अप) मशीन के रूप में मोबाइल पैथोलॉजी प्रयोगशाला की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। व्यवसाय प्रचालन में सहायता प्रदान करने में तथा इस भाग से जुड़े एचआईवी/एड्स की समस्या को दूर करने में ट्रांसपोर्टरों/ड्राइवरों/ट्रकरों के कार्य एवं महत्व को समझते हुए आपकी कंपनी उत्तर प्रदेश में एक एसटीआई क्लिनिक चला रही है।

गेल का प्रमुख कार्यक्रम उत्कर्ष (एक्सीलेंस), जो वित्तीय साधनों के बगैर मेधावी विद्यार्थियों के लिए 9 माह का आवासीय संपूर्णतावादी परामर्शदात्री कार्यक्रम प्रदान करता है, ने 100 में से 92 विद्यार्थियों ने आईआईटी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने का एक रिकॉर्ड बनाया है और उनमें से 50 ने वर्ष 2014–15 में उन्नत स्तर को पार किया है। वर्षों से 90 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों ने भारत के प्रीमीयर इंजीनियरिंग कॉलेज में सफलतापूर्वक दाखिला प्राप्त किया है।

परियोजना सृजन (क्रीएशन), जिसे उत्तराखंड में विनाशकारी बाढ़ के बाद शुरू किया गया, ने लगभग 1000 महिलाओं को वैकल्पिक जीविका अर्जन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया है। आपदा–रोधी निर्माण हेतु राजमिस्त्री को प्रशिक्षण दिया है तथा 36स्व–सहायता ग्रुपों और किसान अभिरूचि ग्रुपों के निर्धारण को सुकर बनाया है। क्षेत्र के लोगों को पुनर्वास के संबंध में प्रयास भी आपदा–रोधी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए घरों के निर्माण के जरिए किया गया है।

प्रशिक्षण एवं व्यवस्थापन सहायता को असम एवं त्रिपुरा राज्यों से बीपीओ व्यक्तित्व विकास, कॉल सेंटर से संबंधित कौशल आदि में 480 सफाई कर्मचारी महिला के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की भागीदारी में विस्तार किया गया है। एक दीर्घ अवधि एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम परियोजना जलधार (कजर्निंग वाटर) जीविका संवर्धन एवं समुदाय विकास के साथ जल अभाव के महत्वपूर्ण मुद्दें को हल करते हुए झाबुआ के जनजातीय क्षेत्र में प्रचालन में है।

गेल का सीएसआर लक्ष्य सामाजिक चुनौतियां के प्रतिक्रियाओं की पहचान करना है और संधारणीय समाधान के विकास में सक्रिय रूप से सहयोग करना है।

2. क्या कार्यक्रमों/परियोजनाओं को आंतरिक टीम/स्वयं के फाउंडेशन/बाहरी एनजीओ/सरकारी संरचनाओं/किसी अन्य संगठन के जरिए शुरू किया जाता है?

अपनी सामाजिक बचनबद्धताओं को प्राप्त करने के प्रयास में गेल अपने हस्तक्षेपों को लागू करने के लिए एक बहुविध स्टेकधारक दृष्टिकोण को समुदायों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्यों के सहयोग से उभरते मुद्दों, विकास परियोजनाओं की पहचान करने तथा चुनौतियों के प्रभावी प्रत्युत्तर हेतु स्वीकार करता है। हस्तक्षेपों/पहलों की एक बार पहचान होने पर गेल के समर्पित व्यावसायिकों द्वारा कारपोरेट और ऑन साइट लेवल दोनों पर बारीकी से मॉनीटर किया जाता है।

इसके अलावा, गेल ने अपने गेल धर्मार्थ एवं शिक्षा न्यास के जरिए सरकारी निकायों एवं एनजीओ आदि की भागीदारिता में पिछले कुछ वर्षों से कई शैक्षणिक सेंट्रिक पहलें शुरू की हैं। गृह मंत्रालय के अधीन सामुदायिक सौहार्द संबंधी नेशनल फाउंडेशन के परियोजना सहायक द्वारा एक विशेष उल्लेख अधिदेशित है, जिसमें गेल, असम और जम्मू एवं कश्मीर जिलों में 600 हिंसा प्रभावित बच्चों को छात्रवृत्ति की सहायता/प्रदान करने हेतु भागीदार था।

छात्रवृत्ति को गेल छात्रवृत्ति योजना के तहत गेल कार्य सेंटरों का चारों ओर विभिन्न स्कूलों में अध्ययन कर रहे 370 बच्चों के लिए भी विस्तार किया गया है।

3. **क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?**

जी हां।

गेल, ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में सम्मिलित सीएसआर परियोजनाओं का तीसरे पक्ष का प्रभाव निर्धारण अध्ययन की वार्षिक प्रक्रिया पूरी की है। वर्ष 2014–15 के लिए तीसरा पक्ष प्रभाव निर्धारण अध्ययन गेल के 03 प्रमुख कार्यक्रमों के लिए संचालित किया गया था। विशिष्ट महत्व की दीर्घ अवधि परियोजनाओं के लिए इन वार्षिक अध्ययनों के अतिरिक्त, गेल ने पिछले दशकों में संस्थानों और प्रतिष्ठित निर्वाचन क्षेत्रों से अपनी सीएसआर परियोजनाओं के लिए 03 स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए हैं, जिनमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियल साइंस (मुम्बई, महाराष्ट्र), सोल एस कन्सल्टैंट्स (गुड़गांव, हरियाणा) दिल्ली स्कूल ऑफ सोशिल वर्क एंड जामिया मिलिया इस्लामिया (दिल्ली) शामिल हैं।

सीएसआर परियोजनाओं को प्रत्येक गेल कार्य सेंटर में सूत्रबद्ध कॉस फंक्शनल सीएसआर कमेटी द्वारा प्राप्त मुख्य आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। परियोजना की समाप्ति पर कियान्वयनकर्ता भागीदार कार्यक्रम से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें परियोजना के मुख्य बिंदुओं पर और उत्पन्न मात्रात्मक एवं गुणात्मक लाभों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है।

4. **आपकी कंपनी का समुदाय विकास परियोजनाओं–आईएनआर में राशि और शुरू की गई परियोजनाओं के ब्यौरों का सीधे क्या सहयोग है?**

जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबंधों एवं सीएसआर नियमावली की शर्तों में अभिज्ञात है, गेल ने अपने सीएसआर हस्तक्षेपों के लिए 7 अलग–अलग महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है। तथापि, अधिदेशों के अनुपालन से परे, गेल के सभी सामाजिक निवेश समुदाय है, वास्तविक परानुभूति की अनुमति से पैदा हुई। तत्वतः सभी हस्तक्षेपों को एक संचयी लक्ष्य की ओर निदेशित किया गया है– जो समुदाय के अतिउपेक्षित वर्ग के समग्र उत्थान से संबंधित है।

महत्वपूर्ण क्षेत्र कौशल (स्किल) के तहत विशिष्ट हस्तक्षेप जीविका सृजन और कौशल विकास पहल, सशक्त (इम्पावरमेंट), महिला सशक्तिकरण पहल, सक्षम (कैपेबल)–प्रौढ़ एवं अलग–अलग रूप में अक्षम की देखभाल, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, जैसे कि जलधार, सुस्पष्ट लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के साथ पूर्व निर्धारित पणधारी ग्रुपों के संबंध में निदेशित है।

दीर्घ अवधि हस्तक्षेप, जो मानव विकास पर फोकस करते हैं के अलावा, गेल ने महत्वपूर्ण क्षेत्र उन्नति (प्रोग्रेस) ग्रामीण विकास के तहत वास्तविक सम्पत्ति सृजन में भी निवेश किया है। वर्ष 2014–15 में इन पहलों के लिए कुल वचनबद्धता लगभग 118.07 करोड़ रुपए हैं।

5. **क्या अपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए है कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक स्वीकार किया जाता है? कृप्या 50 शब्दों में अथवा आदि में स्पष्ट करें।**

जी हां, सभी समुदाय विकास पहलें समुदाय अंतर्ग्रस्तता/पारस्परिक बातचीत, जागरूकता पैदा करना, कार्यव्यस्तता, स्टेकधारक पारस्परिक वार्ता और क्षमता निर्माण के आयाम का प्रयास करती हैं और शामिल करती हैं। पहलों को सामूहिक प्रयासों के जरिए और स्थानीय समुदाय के साथ मिल कर प्रक्रिया के जरिए शुरू किया जाता है, जिसमें स्थानीय अधिशासन ढांचा एवं संस्थान शामिल है। कंपनी कियान्वयनकर्त्ता एजेंसी पर एक चरणबद्ध तरीके में समुदाय में भाग लेने पर भी जोर देती है। इसके साथ ही सामुदायिक अभिप्रेरणा निर्माण और अपने स्वयं के संबंध में कार्यक्रम अथवा सेवा प्रचालित करने में योग्यता निर्माण पर भी जोर देती है।

परियोजना के पूरा होने के बाद समुदाय विकास पहलों के मामले में एजेंसियों के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता का विस्तार किया जाता है जिसे सम्पत्तियों को स्थानीय सरकार के प्रतिनिधियों/ग्राम प्रतिनिधियों को सौंपने के साथ किया जाता है। कौशल विकास परियोजनाओं के मामले में व्यवस्थापन सहायता का उनकी रोजगार प्रास्थिति (मजदूरी/स्व रोजगार) के नियमिता अनुवर्तन के साथ बड़ी संख्या में लाभार्थियों के लिए बढ़ाया जाता है।

नियम 9

व्यवसाय को एक जिम्मेदार तरीके में अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं से जोड़ना चाहिए और महत्व प्रदान करना चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित हैं?

ग्राहक	प्राप्त शिकायतें	लंबित शिकायतें	लंबित प्रतिशत
	58	1	1.72 प्रतिशत

2. **क्या कंपनी उत्पाद लेबल पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है, जो स्थानीय कानून के इसके अतिरिक्त जो स्थानीय कानूनों अनुसार अधिदेशित है, हां/नहीं। लागू नहीं/टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)**

पॉलीमर्स के मामले में, गेल का लोगो, उत्पाद का नाम, लॉट नम्बर, बनाने की तारीख, प्लांट का पता, ग्रेड नाम का निशान तथा बैच संख्या का बैगो पर उल्लेख किया जाता है। गेल का पॉलीमर उत्पादों को पाता प्लांट में 25 किग्रा के बुने हुए बैगों में पैक किया जाता है।

इसके अलावा, विस्तृत विनिर्देशन, उत्पाद एप्लीकेशन आदि मुद्रित उत्पाद ब्रांच पर और गेल की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

लिंक हैं: http://www.gailonline.com/final site/petrochemical overview.html

लिक्विड हाइड्रोकार्बन उत्पादों को गेल द्वारा सिर्फ थोक में चिन्हित किया जता है और ग्राहकों द्वारा उपलब्ध रोड टैंकरों और अथवा रेलवे वैगनों में एक्स–वर्कस आधार पर बेचा जाता है। ले जाए जा रहे उत्पाद पर तकनीकी/सेफ्टी से संबंधित जानकारी को ट्रक टैंकर/रेल वैगन पर स्थानीय कानूनों के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है और संबंधित ग्राहक/ट्रांसपोर्टर द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोकार्बन उत्पादों के थोक में होने से उत्पादन जानकारी को प्रदर्शित करने के लिए अलग लेबल नहीं होते हैं।

जब एलएचसी को रोड टैंकरों को जरिए ले जाया जाता है। यदि उत्पाद ज्वलनशील हो, तो टैंकरों पर स्पष्ट रूप से लिखा जाता है (ग्राहकों द्वारा नामित) उत्पाद का नाम, सेफ्टी चिन्ह, खतरनाक कैमिकल संकेत, आपात सम्पर्क सं. ट्रांसपोर्टर का नाम और सम्पर्क सं., को टैंकरों पर प्रदर्शित किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी विभिन्न फोरमों में, जैसे कि बैठकों में, एक–एक के साथ पारस्परिक बातचीत तथा उत्पाद की जानकारी प्रदान करने हेतु दूरभाष वार्ता, अतिरिक्त अनिवार्य अपेक्षा हेतु ग्राहकों को स्वेच्छा से काम करने का प्रयास करती है। पॉलीमर उत्पाद गुणवत्ता के संबंध में ग्राहकों की चिंता को भी गेल पॉलीमर प्रौद्योगिकी सेंटर (जीपीटीसी) द्वारा मामला आधार पर गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्रदान करके दूर किया जाता है।

3. **क्या किसी स्टेकधारक द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित ट्रेड पद्धतियों, गैर–जिम्मेदाराना विज्ञापन और/अथवा प्रतिस्पर्धारोधी व्यवहार के संबंध में कंपनी के विरूद्ध कोई मामला दायर किया गया है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में अथवा आदि में उसके ब्यौरे दें।**

जी हां।

मामलों की स्थिति, जिनका अनुचित ट्रेड पद्धतियों, प्रतिस्पर्धारोधी व्यवहार, एकाधिकरण के संबंध में निपटान किया गया था। लंबित थे, जैसा कि गेल के संबंध में पहचान की गई है, निम्नानुसार हैं:

i) जीएसपीसीएल ने पीएनजीआरबी में प्रतिबंधित ट्रेड पद्धति (आरटीपी) का दावा करते हुए गेल के खिलाफ एक मामला दायर किया, जिसमें पीएनजीआर की द्वारा उनके पक्ष में निर्णय दिया गया है। गेल ने निर्णय के खिलाफ एपीटीईएल में अपील की और एपीटीईएल ने पीएनजीआरबी के निर्णय को पलट दिया और निर्णय दिया कि गेल की ओर से कोई आरटीपी नहीं है। अब जीएसपीसीएल ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है और यह सर्वोच्च न्यायालय में निपटान हेतु लंबित है।

ii) जीएसपीसी गैस ने आरटीपी का दावा करते हुए गेल के खिलाफ पीएनजीआरबी में मामला दायर किया परंतु इसे गेल के पक्ष में निर्णित किया गया था। जीएसपीसी गैस ने उक्त आदेश के खिलाफ एपीटीईएल में अपील दायर की है और यह लंबित है।

iii) जीएसपीसीएल ने आरटीपी का दावा करते हुए पीएनजीआरबी में गेल के खिलाफ आरोप लगाते हुए मामला दायर किया है कि उचित प्रयास (आरई) आधार पर उनकी बुकिंग क्षमता के अनुरोध को गेल ने अस्वीकार कर दिया है, जो आरटीपी पर आरोपित है। पीएनजीआरबी ने गेल के खिलाफ निर्णय दिया। गेल ने उक्त आदेश के खिलाफ एपीटीईएन में अपील की। एपीटीईएल ने पीएनजीआरबी के आदेश का समर्थन किया। गेल ने उक्त आदेश को सर्वोत्तम न्यायालय में चुनौती दी है, जो निपटान हेतु लंबित है।

iv) साबरमती ने गेल एवं बीपीसीएल के खिलाफ पीएनजीआरबी में आरटीपी का दावा करते हुए मामला दायर किया, जिसे पीएनजीआरबी ने बीपीसीएल के पक्ष में आरटीपी का समर्थन किया और गेल के पक्ष में नहीं। बीपीसीएल ने निर्णय के खिलाफ एपीटीईएल में अपील की है और गेल को पक्ष बनाया है और यह निपटान हेतु लंबित है।

v) स्रावंथी इनर्जी प्रा. लि., बीटा इन्फ्राटेक प्रा. लि. और गामा इन्फ्राप्रोप प्रा. लि. ने पीएनजीआरबी में आरटीपी का आरोप लगाते हुए गेल के विरूद्ध शिकायत दायर की है, जो निपटान हेतु लंबित है।

4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता समाधान ट्रेंड पूरा किया है?

जी हां।

ग्राहक समाधान सूची (सीएसआई) कंपनी के उत्पादों पर ग्राहक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। सीएसआई अभियान को वित वर्ष 2014–15 के दौरान अर्ध वार्षिक आधार पर शुरू किया जा रहा है। गेल में ग्राहक समाधान सूची प्राप्त करने के लिए एक ऑन–लाईन एसएपी सिस्टम है। सीएसआई को ग्राहकों द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप में जमा फीडबैक के आधार पर ऑन–लाइन परिकलित किया जाता है।

वित वर्ष 2014–15 के लिए भारित औसत सीएसआई स्कोर 89.72 प्रतिशत है।

टिप्पणी 2:

प्रस्तुत डाटा में निम्नलिखित गेल यूनिटें शामिल हैं:

- गांधार, पाता, उसर, वाघोडिया एवं विजयपुर में गैस प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू);
- पाता में पेट्रोकैमिकल यूनिट;
- दिबियापुर, हजीरा, झाबुआ, खेड़ा, वाघोडिया एवं विजयपुर में प्राकृतिक गैस कम्प्रेसर स्टेशन;
- आबू रोड चेर्लापल्ली, जी कोडुंरू, जामनगर, कांडला, लोनी, मनसारामपुरा, नसीराबाद, समाखियाली एवं विभाग में एलपीजी पम्पिंग/रिसीविंग स्टेशन;
- अगरतला, बड़ौदा, मुम्बई, पुद्दुचेरी एवं राजामुंद्री में क्षेत्रीय पाइपलाइन कार्यालय;
- जयपुर एवं नोएडा में गेल प्रशिक्षण संस्थान (जीटीआई);
- नई दिल्ली में कारपोरेट कार्यालय;
- नोएडा में इन्फो हब; और
- दिल्ली, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), चेन्नई (त.ना.), बंगलूरु (कर्नाटक), भोपाल (एम पी), चंडीगढ़ (हरियाणा), जयपुर (राजस्थान), हैदराबाद (ए.पी), लखनऊ, (यू.पी), मुम्बई, (महाराष्ट्र), अहमदाबाद (गुजरात) में 11 क्षेत्रीय मार्केटिंग कार्यालय।

टिप्पणी 3: ऊर्जा, सामग्री एवं जल के प्रयोग की उपभोक्ता–वार कमी विस्तार में उपलब्ध नहीं है क्योंकि वर्तमान में गेल में उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा सामग्री एवं जल प्रयोग में कमी का पता लगाने के लिए प्रणाली नहीं है।

पंचवर्षीय रूपरेखा

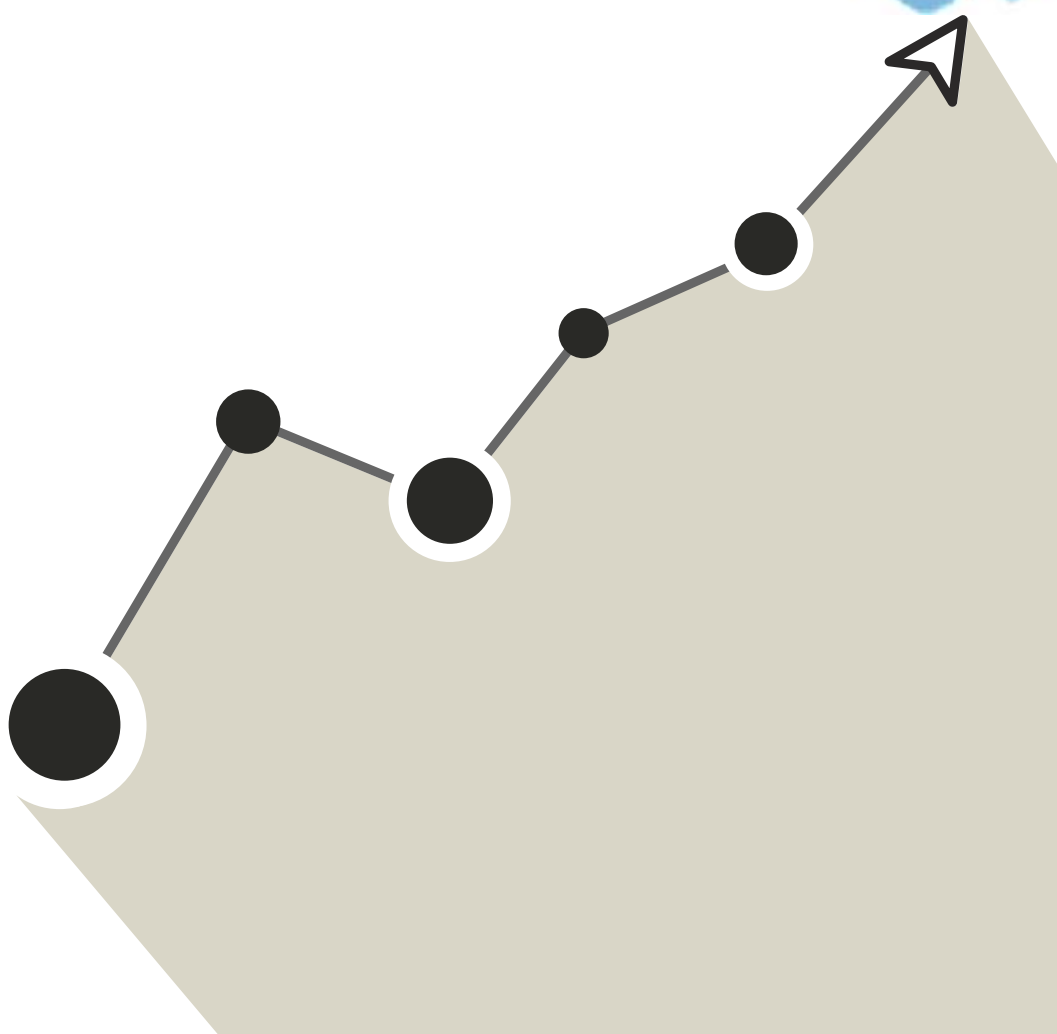

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्तियों एवं देयताओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

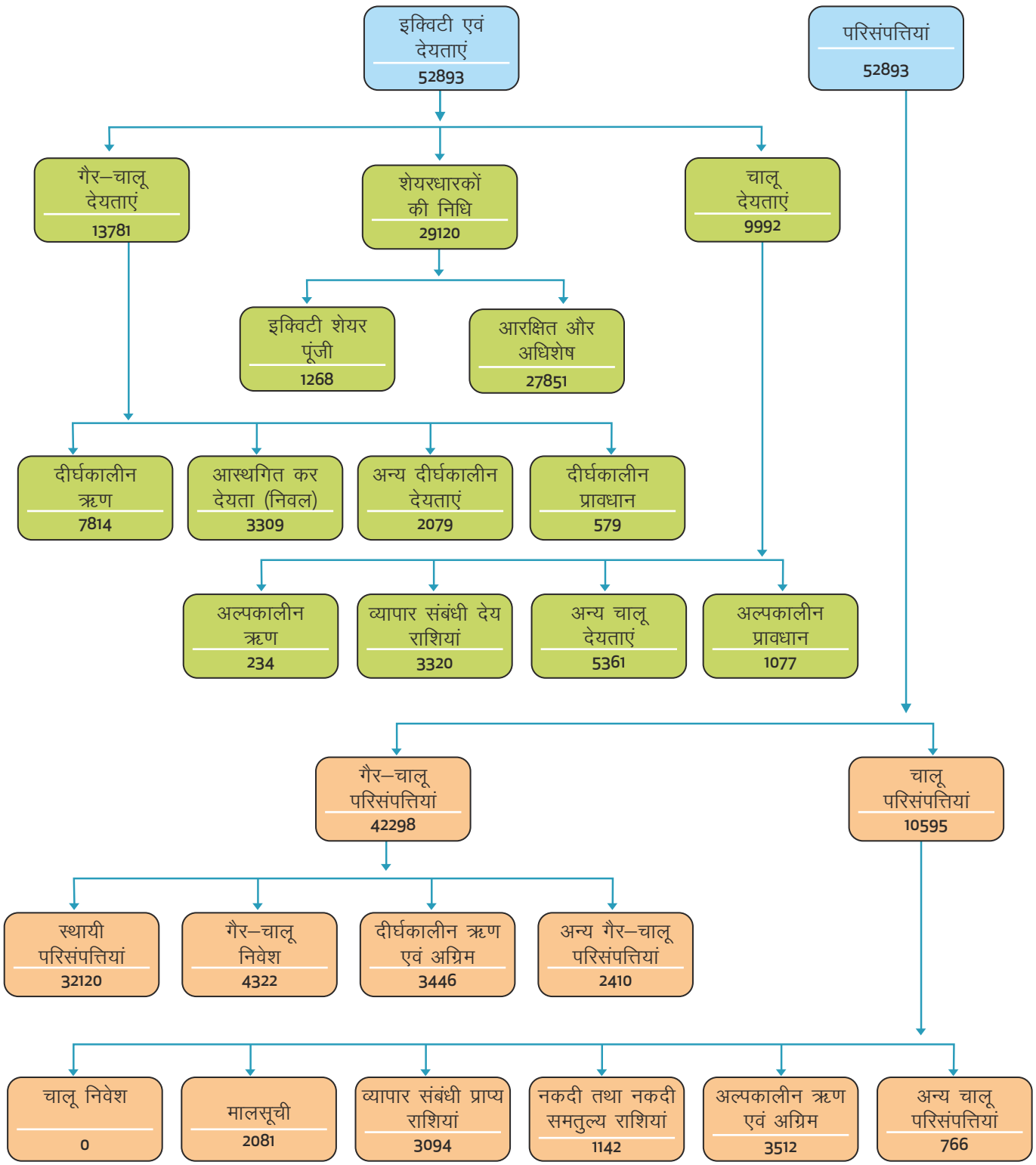

पांच वर्षों की रूपरेखा (एकल)

(क) वित्तीय

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
प्रदत्त–पूंजी	1,268.48	1,268.48	1,268.48	1,268.48	**1,268.48**
आरक्षित और अधिशेष	17,984.86	20,357.35	22,959.32	25,803.85	**27,851.04**
रक्षित ऋण	2,310.00	3,023.50	4,106.00	4,679.75	**3,651.00**
अरक्षित ऋण	-	2,323.35	4,957.50	5,588.33	**5,904.92**
आस्थगित कर देयता (निवल)	1,633.24	1,768.64	2,300.06	2,566.37	**3,308.65**
कुल	**23,196.58**	**28,741.32**	**35,591.36**	**39,906.78**	**41,984.09**
निम्न द्वारा दर्शाए गए हैं:					
सकल ब्लॉक	**22,144.38**	**26,306.63**	**31,148.97**	**34,056.32**	**41,389.26**
घटा : मूल्यह्रास	9,740.81	10,449.01	11,441.52	12,579.69	**13,629.58**
निवल स्थायी परिसंपत्तियां	**12,403.57**	**15,857.62**	**19,707.45**	**21,476.63**	**27,759.68**
प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य	5,879.17	8,241.76	9,118.99	9,757.19	**4,360.02**
निवेश/निवेश के लिए अग्रिम (लंबित आबंटन)	2,582.52	3,548.93	3,955.15	4,288.70	**4,322.36**
निवल चालू परिसंपत्तियां					
निवल चालू परिसंपत्तियां	2,331.32	1,093.01	2,809.77	4384.26	**5,542.03**
	23,196.58	**28,741.32**	**35,591.36**	**39906.78**	**41,984.09**
सकल बिक्री	32,907.09	40,821.79	48,005.27	58012.06	**57,291.97**
सकल मार्जिन	5,973.10	6,247.18	7,233.73	7944.66	**5,617.92**
मूल्यह्रास	650.25	790.71	980.94	1,176.15	**974.26**
ब्याज	82.86	116.46	195.02	366.19	**361.30**
कर–पूर्व लाभ/(हानि)	5,239.99	5,340.01	6,057.77	6,402.32	**4,284.36**
कर–पश्चात लाभ/(हानि)	3,561.13	3,653.84	4,022.20	4,375.27	**3,039.17**
लाभांश, अंतरिम लाभांश सहित	951.36	1,103.57	1,217.74	1,319.21	**761.08**
निगमित लाभांश कर	155.32	179.02	203.03	224.20	**153.56**
आंतरिक सृजन	4,211.38	4,444.55	5,003.14	5,551.42	**4,013.43**
निवल मूल्य	19,054.12	21,449.44	24,038.17	26,858.08	**28,888.31**
निर्माण तथा निवेश के अंतर्गत आस्तियों सहित नियोजित पूंजी	23,196.58	28,741.32	35,591.36	39,906.78	**41,984.09**

(ख) गैस थ्रुपुट–उत्पादन

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
प्राकृतिक गैस (एम एम एस सी एम डी)	117.91	117.62	104.90	96.22	**92.10**
एल पी जी (एम/टी)	1068156	1124341	1077866	1026543	**1039494**
एस बी पी साल्वेंट/नाफ्था (एम/टी)	111140	144165	147988	119713	**98745**
पेंटेन (एम/टी)	34523	23144	20739	21669	**22758**
प्रोपेन (एम/टी)	155152	146015	129570	134411	**115808**
इथिलीन (एम/टी)	428444	457080	448534	450870	**460059**
एच डी पी ई/एल एल डी पी ई (एम/टी)	416396	446041	441051	440155	**451625**

(ग) वित्तीय अनुपात

(₹ करोड़ मे)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
प्रदत्त पूंजी का प्रति रुपए निवल मूल्य (रुपए)	15.02	16.91	18.95	21.17	**22.79**
निवल मूल्य की तुलना में ऋण (रुपए)	0.12	0.25	0.38	0.38	**0.33**
नियोजित पूंजी की तुलना में कर–पूर्व लाभ (प्रतिशत)	22.59	18.58	17.02	16.04	**10.20**
निवल मूल्य की तुलना में कर–पूर्व लाभ (प्रतिशत)	27.50	24.90	25.20	23.84	**14.82**
सकल बिक्री की तुलना मे ंकर–पूर्व लाभ (प्रतिशत)	15.92	13.08	12.62	11.04	**7.47**
सकल स्थायी परिसंपत्तियों की तुलना में कर–पूर्व लाभ (प्रतिशत)	23.66	20.30	19.45	18.80	**10.35**
नियोजित पूंजी की तुलना में सकल बिक्री (प्रतिशत)	141.86	142.03	134.88	145.37	**136.46**
प्रति शेयर आय (रुपए)	28.07	28.80	31.71	34.49	**23.96**
प्रति शेयर लाभांश	7.50	8.70	9.60	10.40	**6.00**
लाभांश भुगतान अनुपात (लाभांश कर सहित)	31.08	35.10	35.32	35.28	**30.10**

यूएस डालर में परिवर्तित पांच वर्षों की वित्तीय रूपरेखा (एकल)

(यूएस डालर मिलियन में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
प्रदत्त–पूंजी	280	246	231	209	201
आरक्षित और अधिशेष	3,976	3,943	4,175	4257	4,408
रक्षित ऋण	511	586	747	772	578
अरक्षित ऋण	-	450	902	922	934
आस्थगित कर देयता (निवल)	361	343	418	423	524
कुल	**5,129**	**5,567**	**6,472**	**6584**	**6,644**
निम्न द्वारा दर्शाए गए हैं :					
सकल ब्लॉक	**4,896**	**5,095**	**5,664**	**5,619**	**6,550**
घटा : मूल्यह्रास	2,154	2,024	2,081	2,076	2,157
निवल स्थायी आस्तियां	**2,742**	**3,071**	**3,584**	**3,543**	**4,393**
प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य	1,300	1,596	1,658	1,610	690
निवेश/निवेश के लिए अग्रिम (लंबित आबंटन)	571	687	719	708	684
निवल चालू परिसंपत्तियां	515	212	511	723	877
कुल	**5,129**	**5,567**	**6,472**	**6,584**	**6,644**
सकल बिक्री	7,276	7,907	8,730	9,571	9,067
सकल मार्जिन	1,321	1,210	1,315	1,311	889
मूल्यह्रास	144	153	178	194	154
ब्याज	18	23	35	60	57
कर–पूर्व लाभ/(हानि)	1,159	1,034	1,102	1,056	678
कर–पश्चात लाभ/(हानि)	787	708	731	722	481
लाभांश, अंतरिम लाभांश सहित	210	214	221	218	120
निगमित लाभांश कर	34	35	37	37	24
आंतरिक सृजन	931	861	910	916	635
निवल मूल्य	4,213	4,154	4,371	4,431	4,572
निर्माण तथा निवेश के अंतर्गत परिसंपत्तियों सहित नियोजित पूंजी	5,129	5,567	6,472	6,584	6,644
#संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को प्रचलित विनिमय दर पर भारतीय मुद्रा यूएस डालर में परिवर्तित	**45.23**	**51.63**	**54.99**	**60.61**	**63.19**

पांच वर्षों की वित्तीय रूपरेखा (समेकित)

(₹ करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
प्रदत्त–पूंजी	1,268.48	1,268.48	1,268.48	1,268.48	**1,268.48**
आरक्षित और अधिशेष	19,945.39	23,646.05	27,526.18	31,188.47	**32,754.19**
रक्षित ऋण	6,263.97	7,664.76	9,281.57	11,793.64	**11,237.71**
अरक्षित ऋण	640.13	3,840.87	7,190.75	6,743.30	**7,053.64**
अल्प ब्याज	547.19	981.99	1,456.62	1,758.78	**1,758.30**
आस्थगित कर देयता (निवल)	1,715.12	1,864.99	2,426.49	2,730.35	**3,547.69**
कुल	**30,380.28**	**39,267.14**	**49,150.09**	**55,483.02**	**57,620.01**
निम्न द्वारा दर्शाए गए हैं :					
सकल ब्लॉक	26,605.14	31,769.19	37,244.72	42,294.60	**49,786.55**
घटा : मूल्यह्रास	10,642.94	11,611.93	12,941.32	14,515.23	**15,936.50**
निवल स्थायी परिसंपत्तियां	15,962.20	20,157.26	24,303.40	27,779.37	**33,850.05**
प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य	10,636.79	15,578.49	19,894.30	20,400.43	**16,247.80**
निवेश / निवेश के लिए अग्रिम (लंबित आबंटन)	1,236.25	1,284.06	1,525.96	1,476.85	**1,633.06**
निवल चालू परिसंपत्तियां	2,545.04	2,247.33	3,426.43	5,826.37	**5,889.10**
विविध व्यय	-	-	-	-	-
कुल	**30,380.28**	**39,267.14**	**49,150.09**	**55,483.02**	**57,620.01**
सकल बिक्री	35,665.34	44,736.73	51,737.86	62,598.79	**61,428.73**
सकल मार्जिन	7,064.79	7,776.94	8,329.06	9,254.63	**6,576.76**
मूल्यह्रास	887.98	1,055.67	1,333.90	1,663.50	**1,432.57**
प्रारंभिक / आस्थगित राजस्व					
बट्टे खाते डाले गए व्यय	-	-	-	-	-
ब्याज	377.86	366.43	437.31	668.71	**651.83**
कर–पूर्व लाभ / (हानि)	5,798.95	6,354.84	6,557.85	6,922.42	**4,492.36**
कर–पश्चात लाभ / (हानि) (समूह)	4,020.97	4,443.61	4,373.60	4,786.22	**3,160.05**
लाभांश, अंतरिम लाभांश सहित	951.36	1,103.57	1,217.74	1,319.21	**761.08**
निगमित लाभांश कर	155.32	179.02	203.03	224.20	**153.56**
आंतरिक सृजन	4,908.95	5,499.28	5,707.50	6,449.72	**4,592.62**
निवल मूल्य	20,130.17	23,237.35	26,006.58	28,957.58	**30,419.63**
निर्माण तथा निवेश के अंतर्गत परिसंपत्तियों सहित नियोजित पूंजी	30,380.28	39,267.14	49,150.09	55,483.02	**57,620.01**

टिप्पणी : पूर्ववर्ती वर्ष के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, आंकड़ों को पुनः समूहित किया गया है।

यूएस डालर में पांच वर्षों की वित्तीय रूपरेखा (समेकित)

(यूएस डालर मिलियन में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
प्रदत्त–पूंजी	280	246	231	209	**201**
आरक्षित और अधिशेष	4,410	4,580	5,006	5,146	**5,183**
रक्षित ऋण	1,385	1,485	1,688	1,946	**1,778**
अरक्षित ऋण	142	744	1,308	1,113	**1,116**
अल्प ब्याज	121	190	265	290	**278**
आस्थगित कर देयता (निवल)	379	361	441	450	**561**
कुल	**6,717**	**7,605**	**8,938**	**9,154**	**9,119**
निम्न द्वारा दर्शाए गए हैं :					
सकल ब्लॉक	**5,882**	**6,153**	**6,773**	**6,978**	**7,879**
घटा : मूल्यह्रास	2,353	2,249	2,353	2,395	**2,522**
निवल स्थायी परिसंपत्तियां	**3,529**	**3,904**	**4,420**	**4,583**	**5,357**
प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य	2,352	3,017	3,618	3,366	**2,571**
निवेश/निवेश के लिए अग्रिम (लंबित आबंटन)	273	249	277	244	**258**
निवल चालू परिसंपत्तियां	563	435	623	961	**932**
कुल	**6,717**	**7,605**	**8,938**	**9,154**	**9,119**
सकल बिक्री	7,885	8,665	9,409	10,328	**9,721**
सकल मार्जिन	1,562	1,506	1,515	1,527	**1,041**
मूल्यह्रास	196	204	243	274	**227**
ब्याज	84	71	80	110	**103**
कर–पूर्व लाभ/(हानि)	1,282	1,231	1,193	1,142	**711**
कर–पश्चात लाभ/(हानि)	889	861	795	790	**500**
लाभांश, अंतरिम लाभांश सहित	210	214	221	218	**120**
निगमित लाभांश कर	34	35	37	37	**24**
आंतरिक सृजन	1,085	1,065	1,038	1,064	**727**
निवल मूल्य	4,451	4,501	4,729	4,778	**4,814**
निर्माण तथा निवेश के अंतर्गत परिसंपत्तियों सहित नियोजित पूंजी	6,717	7,605	8,938	9,154	**9,119**
#संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को प्रचलित विनिमय दर पर भारतीय मुद्रा यूएस डालर में परिवर्तित	**45.23**	**51.63**	**54.99**	**60.61**	**63.19**

टिप्पणी : पूर्ववर्ती वर्ष के लिए, जहां कहीं आवश्यक हो, आंकड़ों को पुनः समूहित किया गया है।

वार्षिक लेखा

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

गेल (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों के लिए

एकल वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार गेल (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरण जिनमें तुलन पत्र और लाभ–हानि लेखों एवं नकद प्रवाह विवरण शामिल हैं की लेखापरीक्षा की है। इसमें महत्त्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश एवं अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां शामिल हैं।

एकल वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुतिकरण के संबंध में, जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह का सही और उचित अवलोकन देते हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम') की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियां की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकना और पता लगाने, उचित लेखाकरण नीतियों का चयन और प्रयोग, निर्णय और अनुमान लगाना जो समुचित और विवेकपूर्ण हैं, पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण, जो लेखाकरण रिकार्ड, जो वित्तीय विवरणों जो सही और उचित अवलोकन और तथ्यपरक गलत बयानों, चाहे वे धोखाधड़ी या गलती के कारण हों, की शुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली ढंग से प्रचालित किए जा रहे थे के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों का रखरखाव शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा दायित्व, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन एकल वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखाकरण और लेखा परीक्षा मानक और मामलों, जो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने अपेक्षित हैं, को ध्यान में रखा है।

हमने हमारी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार की है। उन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें तथा योजना बनाकर लेखा परीक्षा करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरण तथ्यपरक गलत बयानों से मुक्त हैं।

किसी भी लेखापरीक्षा, वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकट किए गए तथ्यों की पुष्टि करने वाले प्रमाण प्राप्त करने हेतु कार्यप्रणाली अपनाना शामिल हैं। चयन की गई कार्य प्रणाली लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती है, जिसमें वित्तीय विवरण में तथ्यपरक गलत बयान के जोखिमों का आकलन, भले ही वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटिवश शामिल है। इन जोखिमों का आकलन करते समय लेखापरीक्षक कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार करने तथा स्पष्ट प्रस्तुतिकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर भी विचार करता है ताकि ऐसी लेखापरीक्षा की प्रक्रिया तैयार की जा सके, जो परिस्थिति के अनुकूल हो परंतु यह कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर कोई अभिमत व्यक्त करने के लिए नहीं है। लेखापरीक्षा प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करता है और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों के औचित्य का तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का भी मूल्यांकन करता है।

हमे विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा प्रमाण हासिल किए हैं, वे हमें एकल वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा अभिमत बनाने के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रदान करते हैं।

अभिमत

हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण, जिस सीमा तक अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना यथा अपेक्षित तरीके से उपलब्ध कराते हैं और 31 मार्च, 2015 को कपंनी के कार्यों और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए इसके लाभ और इसके नकद प्रवाह को भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित अवलोकन देते हैं।

विषय का महत्त्व

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी में निम्नलिखित विषयों के लिए ध्यान आकर्षित करते हैं:

1. टिप्पणी संख्या 43 : दिनांक 30.09.2014 तक संवेदी पेट्रोलियम उत्पादों पर न्यून वसूलियों को साझा करने के संबंध में।
2. टिप्पणी संख्या 45 : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पी एन जी आर बी) द्वारा जारी विभिन्न अनंतिम परिवहन टैरिफ आदेशों के संबंध में, इन आदेशों का कंपनी द्वारा विद्युत (ए पी टी ई एल) के लिए अपीलीय अधिकरण में विरोध किया गया है और यदि कोई समायोजन हों, जो जब भी मामला अंतिम रूप से निर्णीत होता है, अभिज्ञात किया जाएगा।
3. टिप्पणी संख्या 46 और 47 : सी–सीरीज गैस के लिए गैर–एपीएम मूल्य के संबंध में ओएनजीसी द्वारा उठाए गए डेबिट नोट ओएनजीसी की उरान ट्राम्बे पाइपलाइन के विभेदी टैरिफ और अपने ग्राहकों पर गेल द्वारा उठाए गए तदनुरूपी टैरिफ नोट के संबंध में।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय को संशोधित नहीं किया जाता।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 (''आदेश'') द्वारा यथा अपेक्षित हम आदेश, जिस सीमा तक प्रयोज्य है, के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुबंध ''क'' में विवरण देते हैं।
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत जारी दिनांक 19.10.2014 के पूरक निदेशों के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा यथा अपेक्षित प्रबंधन से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर हम संलग्न अनुबंध ''ख'' में विनिर्दिष्ट मामले पर हमारी रिपार्टें देते हैं।
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम सूचित करते हैं कि :

(क) हमने अपने पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर वे सभी आवश्यक सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो कि हमारे लेखापरीक्षा प्रयोजनों हेतु आवश्यक थे;

(ख) जहां तक लेखा बहियों की जांच से पता चलता है कि हमारी राय में कंपनी ने लेखा खातों को विधि सम्मत ढंग से रखा है;

(ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलनपत्र, लाभ–हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाती है;

(घ) हमारी राय में उपरोक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

(ङ) दिनांक 31 मार्च, 2015 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों, निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में लिया गया, के आधार पर अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए 31 मार्च, 2015 को किसी निदेशक को अयोग्य नहीं किया जाता है; और

(च) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i) कंपनी ने लंबित मुकदमों के प्रभाव को अपने वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव को प्रकट किया है – वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणी 32(1)(क), 33 और 55 देखें;

ii) कंपनी के डेरीवेटिव संविदाओं, जिनके लिए कोई तथ्यपरक पहले से अनुमान लगाए जाने योग्य हानियां थीं, सहित कोई दीर्घकालीन संविदा नहीं हैं।

iii) कंपनी द्वारा निवशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित की जाने वाली राशियों को अंतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

कृते **एस. के. मित्तल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म संख्या 001135एन

(**एम. के. जुनेजा**)
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 013117

कृते **जी. एस. माथुर एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म संख्या 08744एन

(**राजीव कुमार वाधवा**)
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 091007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2015

अनुलग्नक ''क''

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु, गेल (इंडिया) लिमिटेड के शेयर धारकों के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पैरा 1 में संदर्भित अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट के अनुलग्न1 पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

(i) क) कंपनी ने स्थायी परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्योरे एवं अवस्थिति सहित पूरा विवरण दर्शाते हुए सामान्य उचित रिकार्ड रखे गए हैं।

ख) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, यहां पर स्थायी परिसंपत्तियों के सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जो कि हमारी राय में कंपनी के आकार एवं परिसंपत्तियों की प्रकृति के अनुसार उचित है। वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा समस्त स्थायी परिसंपत्तियों का वास्तविक रूप से सत्यापन किया गया है और रिपोर्ट के अनुसार ऐसे सत्यापनों में कोई भी विसंगति नहीं पाई गई है।

(ii) क) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तथा अन्य संविदाकारों के पास रखे गए भंडार और अतिरिक्त पुर्जों को छोड़कर वर्ष के अंत में प्रबंधन ने भंडार एवं अतिरिक्त कलपुर्जों के स्टॉक की वस्तुतः जांच की है। हमें बताया गया है कि वर्ष के अंत में गैस के स्टॉक को टर्मिनलों पर स्थापित टरबाइन फ्लोमीटर/गैस क्रोमेटोग्राफ की रीडिंग के अनुसार लिया गया है, एलजीपी/पेंटेन/ एसबीपी साल्वेंट का स्टॉक, टैंक लेवल गेज मापन के अनुसार निर्धारित किया जाता है जिन्हें तापमान के लिए शोधन घटक प्रयोग करते हुए घनत्व माप द्वारा टन भार में परिवर्तित किया जाता है। एलपीजी वाष्प मात्रा को मानक सूत्र द्वारा टन भार में परिवर्तित किया जाता है।

ख) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार और इसके व्यापार की प्रकृति के अनुसार प्रबंधन द्वारा मालसूची के वास्तविक सत्यापन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सर्वथा उचित और पर्याप्त है।

ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी भंडार का उचित रिकार्ड रख रही है और किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

(iii) हमें दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में कवर होने वाली कंपनियों, फर्म या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, रक्षित या अरक्षित नहीं प्रदान किया है।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास भंडार सामग्री और स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद और माल की बिक्री एवं सेवाओं से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया कंपनी के आकार और इसके कारोबार की प्रकृति को देखते हुए पर्याप्त है।

(v) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी ने वर्ष के दौरान जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की है।

(vi) हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत लागत रिकार्ड अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए आदेश के अनुसरण में कंपनी द्वारा रखे जा रहे लागत रिकार्डों की व्यापक पुनरीक्षा की है और हमारी यह राय है कि प्रथम दृष्टया विनिर्धारित लेखे और रिकार्ड बनाए गए हैं।

(vii)क) कंपनी के रिकार्ड के अनुसार कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, अधिभार और उपयुक्त प्राधिकरणों के पास आर्थिक वैधानिक बकाया राशि सहित विवाद रहित वैधानिक राशि जमा कराने में प्रायः नियमितता रखती है। हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा अन्य वैधानिक बकाया के संबंध में कोई अविवादित राशि वर्ष के अंत में भुगतान योग्य होने की तिथि से छः माह से अधिक समय से बकाया नहीं है।

ख) प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित, जिस पर हमने विश्वास किया है, आयकर या बिक्री कर या संपत्ति कर या सेवा कर या उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क मूल्य वर्धित कर या उपकर जो कि विवाद के कारण जमा नहीं करवाए गए, उनकी बकाया राशि तथा वे फोरम जहां विवाद लंबित है, का विवरण नीचे दिया गया है :

दिनांक 31.03.2015 को यथा स्थिति विभिन्न विधानों के अंतर्गत भुगतान न की गई विवादित राशि की मांग से संबंधित मामलों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्थिति		विवाद का विषय	राशि (2014–15)	विवाद अवधि	स्थिति–फोरम
1	प्रवेश कर	(क)	उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक गैस पर प्रवेश कर की मांग	189.24	1999–00 से 2009–10	इलाहाबाद उच्च न्यायालय, वाणिज्य कर ट्रिब्यूनल एवं अपर आयुक्त (अपील)
		(ख)	राजस्थान में प्राकृतिक गैस पर प्रवेश कर की मांग	5.18	2002–03 से 2005–06	उपायुक्त (अपील) अजमेर
		(ग)	मध्य प्रदेश में प्राकृतिक गैस पर प्रवेश कर की मांग	6.28	2008–09, 2011–12 एवं 2012–13	ट्रिब्यूनल, भोपाल और अपर आयुक्त (अपील), ग्वालियर
2	बिक्री कर एवं वैट	(क)	रियायती बिक्री कर हेतु घोषणा फार्म की अस्वीकृति	0.37	1995–96 एवं 1996–97	ट्रिब्यूनल, भोपाल
		(ख)	निर्धारण आदेश के अनुसार बिक्री कर की मांग	4.24	2005–06 एवं 2006–07	अपर आयुक्त (अपील), नोएडा
		(ग)	निर्धारित आदेश के अनुसार वैट की मांग	35.78	2010–11	अपर आयुक्त (अपील), नोएडा
		(घ)	संचरण प्रभार पर सीएसटी की मांग	1.91	2006–07	वाणिज्य कर अधिकारी, नागापट्टीनम
		(ङ)	सामग्री के अंतरण पर वैट पर की मांग	6.28	2011–12	अपर आयुक्त (अपील), ग्वालियर
		(च)	एलपीजी अवशोषण क्रेडिट नोट को अस्वीकार करने के कारण सीएसटी की मांग	1.44	2011–12 एवं 2012–13	अपर आयुक्त (अपील), ग्वालियर
		(छ)	इनपुट कर क्रेडिट को अस्वीकार करने के कारण वैट की मांग	107.58	2011–12 एवं 2012–13	अपर आयुक्त (अपील), ग्वालियर और संयुक्त आयुक्त (अपील), मुंबई
		(ज)	एलपीजी आर्थिक सहायता को अस्वीकार करने के कारण वैट की मांग	18.2	2005–06	संयुक्त आयुक्त (अपील), मुंबई
		(झ)	बिजली कंपनी को प्राकृतिक गैस की बिक्री पर वैट की मांग	123.06	2007–08	संयुक्त आयुक्त (अपील), मुंबई
		(ञ)	बैंडविडथ प्रभारों पर वैट की मांग	2.58	2008–09	संयुक्त आयुक्त (अपील), मुंबई

(₹ करोड में)

क्र. सं.	स्थिति		विवाद का विषय	राशि (2014–15)	विवाद अवधि	स्थिति–फोरम
		(ट)	घरेलू प्रयोग के लिए एलपीजी की बिक्री पर वैट की मांग	38.6	2007–08, 2008–09 एवं 2010–11	संयुक्त आयुक्त (अपील), मुंबई
		(ठ)	स्परलाइन प्रभारों पर वैट की मांग	4.23	2011–12	अपर आयुक्त (अपील), इटावा
		(ड)	एलपीजी आर्थिक सहायता पर बट्टे की अस्वीकृति के कारण जी वैट और सीएसटी की मांग	37.72	2006–07	अधिकरण, गुजरात
		(ढ)	बिक्री कर के भुगतान में देरी के लिए	0.6	2003–04	संयुक्त आयुक्त (अपील), मुंबई
		(ण)	दर में परिवर्तन के कारण वैट की मांग	0.49	अक्तू.2011 से दिस.2011	संयुक्त आयुक्त, त्रिची
		(त)	एलपीजी पर आर्थिक सहायता बट्टे की अस्वीकृति के कारण सीएसटी की मांग	49.38	2005–06	उच्च न्यायालय, ग्वालियर
		(थ)	स्थानीय बिक्री के रूप में सीएसटी को मानने के लिए मांग	0.15	2003–04	असम राजस्व बोर्ड
		(द)	बिक्री कर की मांग	0.2	1998–99	मुंबई अधिकरण
		(ध)	निर्धारण आदेश के अनुसार संशोधित बिक्री कर मांग	2.59	2003–04	संयुक्त आयुक्त (अपील), वडोदरा
3	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर	(क)	एलपीजी मूल्यांकन विवाद	18.72	जन.2001 से फर.2005	सी ई एस टी ए टी, मुंबई
		(ख)	पेंटेन वर्गीकरण पर विवाद	106.7	अग.2005 से जुल.2009	सी ई एस टी ए टी, अहमदाबाद
		(ग)	एम एफ ओ के वर्गीकरण पर विवाद	75.33	जुल.2004 से मार्च 2011	सी ई एस टी ए टी, अहमदाबाद
		(घ)	आगत सेवाओं पर उधार हेतु सीसीआर, 2004 के नियम 6(3) के अंतर्गत मांग	13.8	2008–09 एवं 2009–10	सी ई एस टी ए टी, कोलकाता
		(ङ)	मार्केटिग मार्जिन पर सेवा कर की मांग	733.28	अक्तू.2006 से मार्च 2013	सी ई एस टी ए टी, दिल्ली
		(च)	संयुक्त उद्यमों और सरकारी विभागों में कार्मिक की प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर की मांग	37.17	अक्तूबर 2006 से जून 2012	सी ई एस टी ए टी, दिल्ली
		(छ)	सेवा कर विवरणी के आधार पर सेवा कर के अंतर की मांग	0.11	अक्तूबर 2006 से मार्च, 2007	आयुक्त (अपील), वडोदरा
		(ज)	हजीरा में ली गई सेन्वेट एवं सेवा कर क्रेडिट को नकारते हुए मांग	9.01	अगस्त 2005 से मार्च 2012	सी ई एस टी ए टी, अहमदाबाद और सी ई एस टी ए टी, दिल्ली
		(झ)	आगत सेवाओं पर सेन्वेट एवं क्रेडिट को नकारते हुए मांग	0.20	2008–09 एवं दिसम्बर 2010 से मार्च 2011	सी ई एस टी ए टी, दिल्ली और आयुक्त (अपील), कानपुर
		(ञ)	एसएपी साफ्टवेयर की खरीद पर सीवीडी की मांग	0.07	मार्च 2006	सी ई एस टी ए टी, दिल्ली
			उप–योग	1630.49		
4	आयकर	(क)	अदत्त भाग	76.75	निर्धारण वर्ष 2012–13	सी आई टी (अपील)
		(ख)	टीडीएस की मांग	3.1	निर्धारण वर्ष 2008–09 से निर्धारण वर्ष 2015–16	आई टी ओ (टीडीएस)
5	अन्य कर		अधिसूचित क्षेत्र कर एवं जीआईडीसी कर संशोधित मूल्य पर (ब्याज सहित)	3.98	1998–99 से अगस्त, 2005 और 1998–99 से दिसम्बर 2009	अहमदाबाद उच्च न्यायालय
			योग	1714.32		

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के संगत प्रावधानों के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

(viii) कंपनी को वित्तीय वर्ष के समापन पर कोई संचित हानि नहीं है और इस वित्तीय वर्ष एवं इससे पिछले वर्ष में कोई नकद हानि भी नहीं हुई है।

(ix) हमारी लेखापरीक्षा की प्रक्रिया एवं प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर हमारा मत है कि कंपनी ने वित्तीय संस्थान, बैंक और डिबेंचर धारकों को देय राशि के पुनर्भुगतान के मामले में कोई चूक नहीं की है।

(x) हमारी राय में और हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान इसकी सहायक कंपनियों को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा लिए गए ऋणों पर कंपनी ने गारंटी दी है। हमारी राय में नियम एवं शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हित में है।

(xi) समग्र आधार पर सावधि ऋणों के संबंध में कोष के उपयोग की समीक्षा तथा हमें उपलब्ध कराई गई संबंधित सूचना के आधार पर कंपनी द्वारा लिए गए आवधिक ऋणों का उपयोग उन्हीं प्रयोजनों हेतु किया गया है जिनके लिए उन्हें लिया गया था।

(xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आलोच्य वर्ष के दौरान कंपनी पर कोई धोखाधड़ी या कंपनी द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना या को सूचित नहीं किया गया है।

कृते **एस. के. मित्तल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म संख्या 001135एन

(एम. के. जुनेजा)
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 013117

कृते **जी. एस. माथुर एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म संख्या 08744एन

(राजीव कुमार वाधवां)
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 091007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2015

अनुलग्नक "ख"

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखों पर गेल (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	आदेश/उप–आदेश	की गई कार्रवाई	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1	क्या कंपनी का विनिवेश के लिए चयन किया गया है, तो विनिवेश प्रोसेस की वर्तमान अवस्था और विधि सहित परिसंपत्तियों के मूल्यांकन (जिसमें अमूर्त परिसंपत्तियां और भूमि शामिल है) और देयताओं (जिसमें वचनबद्ध और सामान्य प्रारक्षित शामिल है) के अनुसार पूर्ण स्थिति रिपोर्ट की जांच की जाएं।	कंपनी का विनिवेश के लिए चयन नहीं किया गया है।	शून्य
2	कृपया बताएं कि क्या कर्जों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते डालने के कोई मामले हैं, यदि हैं तो उसके लिए कारण और अंतर्ग्रस्त राशि।	हमें सूचित किया गया है कि कर्ज/ब्याज/ऋण आदि को माफ, बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।	शून्य
3	क्या तीसरे पक्ष के पास पड़ी मालसूची और सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्ति के लिए उचित रिकार्ड रखे जाते हैं?	कंपनी ने तीसरे पक्षों के पास पड़ी मालसूची सहित मालसूचियों के उचित रिकार्ड बनाए हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पास पड़े भंडार और फालतू पुर्जों को छोड़कर प्रबंधन द्वारा समुचित अंतरालों पर माल सूचियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमें सूचित किया गया है कि सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।	शून्य
4	विचाराधीनता के कारण और सभी कानूनी मामलों (विदेशी और स्थानीय) पर व्यय के लिए मानीटरिंग तंत्र की मौजूदगी/प्रभाविता सहित लंबित कानूनी/मध्यस्थता मामलों के आयु–वार विश्लेषण पर रिपोर्ट दी जाए।	कंपनी के विरुद्ध 695 कानूनी/ मध्यस्थता मामले लंबित हैं। प्रबंधन से प्राप्त आयु–वार वर्गीकरण निम्नानुसार है : मामले की आयु / मामलों की संख्या 2 वर्ष से कम / 112 2 से 3 वर्ष / 422 3 वर्ष से अधिक / 161 मामले सामान्यतः (i) सुनवाई प्रोसेस में है या मध्यस्थों/न्यायालयों द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त ब्योरों/दस्तावेजों की कमी के कारण सुनवाई पूरी नहीं हुई है (ii) न्यायालयों द्वारा तारीख तय न करना या प्रदान किए गए स्थगनों के कारण लंबित हैं। जहां तक सभी मानीटरिंग तंत्र की मौजूदगी/प्रभावित का संबंध है, सभी कानूनी मामलों पर व्यय के लिए हमें बताया गया है कि कंपनी ने विभिन्न कानूनी मामलों के लिए दरों की अनुसूची निश्चित की है। तथापि, यह सुझाव दिया जाता है कि कंपनी को बेहतर मानीटरिंग के लिए इतिहास के साथ प्रत्येक और हर मामले के संबंध में किए गए कानूनी व्ययों का रिकार्ड रखना चाहिए।	शून्य

कृते **एस. के. मित्तल एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म संख्या 001135एन

(एम. के. जुनेजा)
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 013117

कृते **जी. एस. माथुर एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म संख्या 08744एन

(राजीव कुमार वाधवां)
(साझेदार)
सदस्यता संख्या 091007

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2015

31 मार्च, 2015 को तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
(i) इक्विटी तथा देयताएं			
(1) शेयरधारकों की निधियां			
क) शेयर पूंजी	2	1,268.48	1,268.48
ख) आरक्षित और अधिशेष	3	27,851.04	25,803.85
		29,119.52	27,072.33
(2) गैर–वर्तमान देयताएं			
क) दीर्घावधि उधार	4	7,814.49	9,526.09
ख) आस्थगित कर देयता (निवल)	52	3,308.65	2,566.37
ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	5	2,079.41	771.17
घ) दीर्घावधि प्रावधान	6	578.92	404.04
		13,781.47	13,267.67
(3) वर्तमान देयताएं			
क) अल्पावधि उधार	7	233.80	-
ख) व्यापार देय	8	3,320.48	3,974.83
ग) अन्य वर्तमान देयताएं	9	5,361.09	4,047.54
घ) अल्पावधि प्रावधान	10	1,076.87	1,448.96
		9,992.24	9,471.33
	योग	52,893.23	49,811.33
(ii) परिसंपत्तियां			
गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां			
क) स्थायी परिसंपत्तियां			
i मूर्त परिसंपत्तियां	11	27,015.75	20,728.02
ii अमूर्त परिसंपत्तियां	11	743.94	748.61
iii प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य	12	4,360.02	9,727.85
		32,119.71	31,204.48
ख) गैर–वर्तमान निवेश	13	4,322.36	4,288.70
ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	14	3,445.87	2,489.87
घ) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	15	2,409.95	718.41
		42,297.89	38,701.46
(2) वर्तमान परिसंपत्तियां			
क) वर्तमान निवेश	16	2,081.05	2,254.76
ख) व्यापार देय	17	3,094.52	2,811.99
ग) नकद तथा नकद समतुल्य	18	1,141.64	2,650.98
घ) अल्पावधि ऋण तथा अग्रिम	19	3,511.70	3,261.93
ङ) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	20	766.42	130.21
		10,595.33	11,109.87
	योग	52,893.23	49,811.33

अनुषंगी टिप्पणी 1 से 66 वित्तीय विवरण के अभिन्न भाग के रूप में हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

एन. के. नागपाल
सचिव

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)

प्रभात सिंह
निदेशक (विपणन)

बी. सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.एस. माथुर एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं. 008744एन

राजीव कुमार वाधवां
(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

कृते एस.के. मित्तल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं. 001135एन

एम. के. जुनेजा
(साझेदार)
सदस्यता सं. 013117

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष
(i) प्रचालनों से राजस्व (सकल)	21	**57,464.50**	58,274.89
घटा : उत्पाद शुल्क		**722.52**	766.96
प्रचालनों से राजस्व (निवल)		**56,741.98**	**57,507.93**
(ii) अन्य आय	22	**860.86**	898.52
(iii) कुल राजस्व **(i+ii)**		**57,602.84**	**58,406.45**
(iv) व्यय			
उपभुक्त कच्चे माल की लागत		4,813.16	4,843.43
व्यापार हेतु स्टॉक की खरीद	23	40,348.33	41,234.42
तैयार माल की मालसूची	24	232.17	(626.86)
प्रगत्यधीन कार्य तथा व्यापारगत भंडार			
कार्मिक हितलाभ व्यय	25	906.40	847.73
वित्त लागत	26	361.30	366.19
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	27	974.26	1,176.15
अन्य व्यय	28	5,745.72	4,508.02
कुल व्यय		**53,381.34**	**52,349.08**
(v) अपवाद एवं असाधारण मदों के लिए पूर्व लाभ एवं कर (iii-iv)		**4,221.50**	6,057.37
(vi) अपवादित मद	29	**62.86**	344.95
(vii) अपवाद एवं असाधारण मदों के लिए पूर्व लाभ एवं कर (v+vi)		**4,284.36**	**6,402.32**
(viii) असाधारण मदें		**-**	**-**
(ix) कर पूर्व लाभ (vii-viii)		**4,284.36**	6,402.32
(x) कर व्यय			
– वर्तमान वर्ष		**836.91**	**1,807.74**
– पहले के वर्ष		**(22.00)**	**(47.00)**
		814.91	**1760.74**
– घटा : एमएटी क्रेडिट हकदारी			
– चालू वर्ष		**357.07**	**-**
निवल कर		**457.84**	**1760.74**
आस्थगित कर		**787.35**	**266.31**
पहले के वर्षों का आयकर का अधिक प्रावधान पुनरांकित			
कुल कर खर्च		**1,245.19**	**2,027.05**
(xi) कर पश्चात लाभ (ix-x)		**3,039.17**	**4,375.27**
प्रति इक्विटी शेयर आय का विवरण (अंकित मूल्य प्रत्येक के लिए 10/–रुपए)			
– मूल		**23.96**	34.49
– तनुकृत		**23.96**	34.49
अवधि पूर्व समायोजन	30		
निर्माण अवधि के दौरान व्यय	31		

अनुषंगी टिप्पणी 1 से 66 वित्तीय विवरण के अभिन्न भाग के रूप में हैं।
उपर्युक्त अवधि में कोई अपवादात्मक अथवा असाधारण मदें या बंद प्रचालन नहीं है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

एन. के. नागपाल
सचिव

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)

प्रभात सिंह
निदेशक (विपणन)

बी. सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.एस. माथुर एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं. 008744एन

राजीव कुमार वाधवां
(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

कृते एस.के. मित्तल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं. 001135एन

एस. के. जुनेजा
(साझेदार)
सदस्यता सं. 013117

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार

1.01 लेखांकन प्रथा

वित्तीय विवरणें को सामान्यतः मान्य भारतीय लेखा सिद्धांतों तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के तहत अनुसूचित और लेखाकरण मानकों सहित कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधानों एवं उनके अधीन अधिसूचित मानकों के अनुसार प्रारंभिक लागत प्रथा के अंतर्गत लेखा के प्रोद्भवन आधार पर तैयार किया जाता है।

1.02 अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमानों और पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है जो रिपोर्टिंग अवधि की आस्तियों, देयताओं, राजस्व और व्यय की सूचित राशि को प्रभावित करता है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के अंतर को इस अवधि में दर्शाया जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात या वास्तविक होते हैं।

1.03 मालसूची

(क) पाइपलाइनों में एलएनजी एवं प्राकृतिक गैस के भंडार को प्रथम आगत प्रथम निर्गत (फीको) आधार पर या वसूली योग्य मूल्य पर, जो भी कम है, पर मूल्यांकित किया जाता है।

(ख) कच्चे माल एवं तैयार उत्पादों को भारित औसत लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य पर, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है। तैयार उत्पादों में उत्पाद शुल्क और रायल्टी, जहां कहीं भी हो, शामिल की जाती है।

(ग) प्रक्रिया में स्टॉक का मूल्य भारित औसत लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर लगाया जाता है। इसका उस भारित औसत लागत पर मूल्य लगाया जाता है जहां तैयार उत्पाद, जिसमें इन्हें बेचे जाने के लिए शामिल किया जाना है, या उपर्युक्त भारित औसत लागत पर बेचे जाने की संभावना है।

(घ) माल के उत्पादन में प्रयोग के लिए स्टोर और पुर्जे तथा अन्य सामग्री का मूल्य भारित औसत मूल्य या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर लगाया जाता है। इसका मूल्य भारित औसत लागत जहां तैयार उत्पाद, जिनमें इन्हें बेचे जाने के लिए शामिल किया जाएगा अथवा को उपर्युक्त लागत पर बेचे जाने की संभावना है।

(ङ) अधिशेष/अप्रचलित स्टोर और पुर्जों का मूल्य लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर लगाया जाता है।

(च) अधिशेष/अप्रचलित कैपिटल स्टोर, जो पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण में प्रयोग के लिए अलग से रखे हों, का मूल्य लागत या निवल वसूली योग्य मूल्य से कम मूल्य पर लगाया जाता है।

(छ) नवीकरण योग्य ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) का मूल्यांकन प्रथम आगत प्रथम निर्गत (फीफो) आधार पर या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकन किया जाता है।

1.04 मूल्यह्रास/परिशोधन

(क) नियत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, जो नीचे दी गई परिसंपत्तियों के अलावा हो, को यथानुपात आधार पर (परिसंपत्तियां निकालने के लिए मासिक यथानुपात) स्ट्रेटलाइन पद्धति (एस एल एम) पर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है।

(i) कर्मचारियों के प्रयोग के लिए प्रदान किए गए फर्नीचर और बिजली के उपस्करों का 7 वर्ष के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास किया जाता है। कर्मचारियों के प्रयोग के लिए प्रदान किए गए मोबाइल फोन का 2 वर्ष के उपयोगी जीवन के आधार मूल्यह्रास किया जाता है।

(ii) पट्टाधारी भूमि की लागत शाश्वत पट्टों को छोड़कर पट्टा अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

(iii) स्थायी परिसंपत्तियों की मूल लागत में मूल्य समायोजन के कारण मूल्यह्रास भविष्यलक्षी प्रभाव से प्रभारित किया जाता है।

(iv) परिसंपत्तियों (समर्थनकारी सुविधाएं) पर पूंजीगत व्यय, जिनका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं हैं, राजस्व को प्रभारित किया जाता है।

(v) अमूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकरण की तारीख से पांच वर्ष के अनधिक लाभदायक जीवन पर सीधी रेखा विधि (एस एल एम) पर परिशोधित किया जाता है।

(vi) उपयोग का अधिकार (आर ओ यू) की लागत 99 वर्ष के रूप में आर ओ यू के जीवन पर विचार करते हुए परिशोधित किया जाता है।

(vii) परिसंपत्तियों की क्षति, यदि कोई हो, के पश्चात मूल्यह्रास इसके शेष लाभदायक जीवन पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

(ख) उस भूमि पर, जिसका स्वामित्व कंपनी के पास नहीं, उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित पूंजीगत परिसंपत्तियों की सुविधाओं को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में यथाविनिर्दिष्ट लाभदायक जीवन के अनुसार एस एल एम आधार पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

1.05 राजस्व मान्यता

(i) बिक्री को पर्याप्त जोखिमों के अंतरण तथा क्रेता को मालिकाना अधिकार प्रदान करने, जो सामान्य तथा ग्राहकों को वस्तुओं की सुपुर्दगी से मेल खाता हो, के लिए अनुमति दी जाती है। बिक्री में उत्पाद शुल्क शामिल होता है लेकिन मूल्य वर्धित कर शामिल नहीं होता। मूल्यों में किसी विगत प्रभाव से संशोधन की गणना ऐसे संशोधन वर्ष में की जाती है।

(ii) परामर्शी/संविदा सेवाएं, यदि कोई हों, से आय को आनुपातिक पूर्णता पद्धति के आधार पर मान्यता दी जाती है।

(iii) लाभांश आय की गणना तब की जाती है जब इसे प्राप्त करने का अधिकार प्रमाणित हो जाता है।

(iv) दावों (जिनमें ग्राहकों से विलंब से प्राप्त ब्याज सहित) की गणना तभी की जाती है जब यह निश्चित हो कि दावे प्राप्त हो जाएंगे।

(v) प्राकृतिक गैस के एमजीओ के संबंध में देयता उपलब्ध नहीं कराई जाती है क्योंकि इसके ग्राहकों से वसूली गई एमजीओ द्वारा प्राप्त किया जाता है। एमजीओ के कारण वर्ष के दौरान भुगतान/प्राप्तियों को प्राप्ति के आधार पर समायोजित किया जाता है।

(vi) एलपीजी के परिवहन से संबंधित न्यूनतम प्रभारों की गणना प्राप्ति आधार पर की जाती है।

(vii) 5 लाख रुपए तक के प्रत्येक भुगतान–पूर्व व्यय और पूर्व आवधिक व्यय/आय को वर्तमान वर्ष के संबंधित लेखा शीर्ष में डाला जाता है।

1.06 स्थायी परिसंपत्तियां

(क) स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्य सतत आधार पर प्रारंभिक लागत पर लगाया जाता है तथा यह वापसी योग्य करों और शुल्कों, जहां–कहीं लागू हों, का निवल रूप होता है। ऐसी परिसंपत्तियों की स्थापना होने तक नियत परिसंपत्तियों के अर्जन से संबंधित सभी लागत को पूंजीकृत किया जाता है। स्थापित परिसंपत्तियों, जहां ठेकेदारों को अंतिम भुगतान किया जाना है, के मामले में पूंजीकरण अनंतिम आधार पर किया जाता है जिसमें सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन होने का अनंतिम देयता शामिल होती है बशर्ते कि निपटान वर्ष में लागत और मूल्यह्रास में आवश्यक समायोजन हो।

(ख) मशीनी पुर्जे, जिनका इस्तेमाल केवल स्थायी परिसंपत्ति की मद के संबंध में किया जा सकता है और उनका इस्तेमाल अनियमित होने की संभावना हो, को उस स्थायी परिसंपत्ति की लागत के साथ पूंजीकृत किया जाता है और उसका परिसंपत्ति की शेष उपयोगी आयु के मुकाबले पूर्णतया मूल्यह्रास किया जाता है।

1.07 अमूर्त परिसंपत्तियां

सॉफ्टवेयर, लाइसेंस तथा उपयोग का अधिकार जैसी अमूर्त परिसंपत्तियां, जिनमें अन्य कंपनियों के साथ आरओयू की हिस्सेदारी शामिल है तथा जिनके भावी आर्थिक लाभ उपलब्ध कराए जाने की संभावना है, को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया जाता है।

1.08 चल रहा पूंजीगत कार्य

(क) जब कभी कार्य शुरू होता है, और जहां आरओयू का अर्जन किया जाता है, वहां फसल के मुआवजे की गणना वास्तविक भुगतान/अनुमानित देयता के आधार पर चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत की जाती है।

(ख) चल रहे पूंजीगत कार्य में परियोजनाओं में प्रयोग के लिए मार्गस्थ सामग्री/सामग्री मूल्य/उपकरण/सेवाएं, आदि शामिल हैं।

(ग) परियोजनाओं से संबंधित परियोजना पूर्व व्यय, जो अव्यवहार्य/समाप्त माने जाते हैं, से घोषणा वर्ष/समाप्त वर्ष में राजस्व में लिया जाता है।

1.09 निर्माण अवधि के दौरान किया गया व्यय

वर्ष के दौरान समस्त राजस्व व्यय, जो विशेषकर स्थायी परिसंपत्तियों के अर्जन/निर्माण के कारण होता है, को ऐसी परिसंपत्तियों की स्थापना के समय पूंजीकृत किया जाता है।

1.10 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

(i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की प्रारंभिक गणना लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।

(ii) वर्ष के अंत में बकाया विदेशी मुद्रा में नामित मौद्रिक मदों (जैसे नकद, वसूली योग्य राशि, ऋण, देयताएं आदि) को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरों (देयता के लिए बीएस बिक्री दर तथा प्राप्ति योग्य राशि के लिए टीटी क्रय दर) में परिवर्तित किया जाता है।

(iii) लेनदेन (नों) की तारीख को प्रचलित विनिमय दर विदेशी मुद्रा में नामित गैर–मौद्रिक मदों जैसे (निवेश, नियत परिसंपत्तियों आदि) की गणना की जाती है।

(iv) निपटान या लेनदेन में विनिमय अंतर के कारण हुए किसी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरणी में समायोजित किया जाता है जिसमें मूल्यह्रास योग्य पूंजी परिसंपत्ति के अर्जन से संबंधित दीर्घावधि विदेशी मुद्रा आर्थिक मदों के मामले शामिल नहीं होते। ऐसे मामले में इन्हें इन परिसंपत्तियों की विद्यमान लागत में समायोजित किया जाता है तथा अन्य मामलों में इन्हें वित्तीय विवरणों में ''विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद लेनदेन अंतर खाते'' में जमा किया जाता है तथा ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचान द्वारा ऐसी दीर्घावधि परिसंपत्ति या देयता की बकाया अवधि की तुलना में परिशोधित किया जाता है।

(v) विदेशी करेंसी जोखिम के बचाव के लिए किए गए वायदा संविदाओं के प्रारंभ से उठने वाले प्रीमियम/बट्टे को संविदा के जीवन के दौरान व्यय/आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। रिपोर्टिंग तारीख को बकाया वायदा संविदा उस तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर पुनः बताया जाता है।

विदेशी करेंसी और ब्याज दर जोखिम के बचाव के लिए किए गए अन्य डेरीवेटिव संविदा के संबंध में निपटाना और पुनः बताने पर (उनको बाजार के लिए मार्किंग करने द्वारा) लाभ/हानियां तुलन पत्र की तारीख पर लाभ और हानि के विवरण में अभिज्ञात किया जाता है।

1.11 अनुदान

मूल्यह्रास योग्य परिसंपत्तियों के मामले में परिसंपत्तियों की लागत को सकल मूल्य में दर्शाया जाता है तथा उस पर अनुदान को पूंजी राजस्व में लिया जाता है जिसकी पहचान परिसंपत्ति की उपयोगी आयु अवधि की तुलना में लाभ और हानि विवरणी में आय के रूप में की जाती है।

1.12 निवेश

निवेश को वर्तमान और गैर–वर्तमान निवेश में वर्गीकृत किया जाता है। वर्तमान मौजूदा निवेश को लागत या बाजार मूल्यों से कम पर दर्ज किया जाता है। गैर–वर्तमान निवेश को लागत पर दर्ज किया जाता है तथा मूल्य में मूल्यह्रास का प्रावधान तभी किया जाता है जब ऐसी गिरावट प्रबंधन की राय में अस्थायी के अलावा हो।

1.13 कर्मचारी हित लाभ

(i) सभी अल्पावधि कर्मचारी हितलाभों की ऐसी लेखांकन अवधि में छूट न दी गई राशि पर पहचान की जाती है जिसमें उन्हें खर्च किया जाता है।

(ii) भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान, पात्र कर्मचारी के वेतन के एक नियत प्रतिशत के आधार पर इस प्रयोजन के लिए स्थापित एक पृथक ट्रस्ट में जमा किया जाता है तथा उसे लाभ और हानि विवरण में नामे दर्ज किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी भावी अवधि में ब्याज की सांविधिक दर, जिसकी प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा भविश्य निधि ट्रस्ट में की जाएगी, को पूरा करने के लिए निधि परिसंपत्तियों में किसी कमी के लिए वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार प्रावधान करती है।

(iii) छुट्टी नकदीकरण, प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना, दीर्घ सेवा पुरस्कार तथा अन्य टर्मिनल लाभों के अंतर्गत कर्मचारी हितलाभों को परिभाषित हितलाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसकी गणना अनुमानित इकाई ऋण पद्धति का प्रयोग करके वास्तविक मूल्यांकन आधार पर की जाती है। वर्ष के दौरान संबंधित योजना परिसंपत्तियों से अधिक बीमांकिक दायित्व को मान्यता दी जाती है।

(iv) उपदान हेतु प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के अनुरूप एक पृथक ट्रस्ट में वित्तपोषित किया जाता है।

1.14 उधार लागत

विशेषकर अर्हक परिसंपत्तियां प्राप्त करने के उद्देश्य से निधियों की उधार लागत और परिसंपत्तियों की लागत सहित पूंजीकरण की पात्रता की उस तारीख तक पूंजी बनाई जाती है जब परिसंपत्ति ऐसी निधियों के अस्थायी निवेश से अर्जित किसी आय में से घाटे को निकालने के बाद प्रयोग हेतु तैयार होती है।

1.15 आय पर कर

वर्तमान कर के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार प्रावधान किया जाता है। बही खाते लाभ और करयोग्य लाभ के बीच समय अंतराल के परिणामस्वरूप उत्पन्न आस्थगित कर देयता की गणना कर दर लागू किए जाने या तुलन पत्र की तारीख को वास्तविक रूप से लागू अथवा अनुवर्ती लागू कानूनों पर विचार कर की जाती है। आस्थगित कर संपत्ति, यदि कोई हो, को मान्यता दी जाती है तथा उसे उस सीमा तक आगे ले जाया जाता है ताकि इस बात की वास्तविक सुनिश्चितता हो कि परिसंपत्ति को भविष्य में प्राप्त कर लिया जाएगा।

1.16 अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान और विकास पर पूंजी लेखा के अलावा सभी व्यय को लाभ और हानि विवरण में नामे डाला जाता है।

1.17 हानि

परिसंपत्तियों की विद्यमान राशि की समीक्षा प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को की जाती है। यदि आंतरिक/बाहरी तथ्यों के आधार पर नुकसान होने का कोई संकेत हो तो ऐसी हानि की पहचान की जाती है, जहां–कहीं किसी परिसंपत्ति की विद्यमान राशि उसकी वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है।

1.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, आकस्मिक परिसंपत्तियां और पूंजी प्रतिबद्धताएं

(i) माप में अनुमान की व्यावहारिक मात्रा वाले प्रावधानों की पहचान की जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान बाध्यता हो तथा ऐसी संभावना हो कि संसाधनों का प्रवाह होगा। आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही उनका वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है। प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपए से अधिक आकस्मिक देयताओं का लेखा टिप्पणियों द्वारा खुलासा किया जाता है, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां निपटान में किसी प्रवाह की बहुत कम संभावना हो।

(ii) पूंजी खातों में लागू किए जाने वाले ठेकों की अनुमानित राशि का 5 लाख रुपए से ऊपर प्रत्येक मामले में प्रकटन किया जाता है।

1.19 अन्वेषण और विकास लागत

(i) तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन कार्यकलापों के लेखांकन के लिए कंपनी सफल प्रयास पद्धति अपनाती है जिसमें निम्नलिखित शामिल होता है :

क) सर्वेक्षण लागत को उस वर्ष के राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिनमें इन्हें खर्च किया जाता है।

ख) अन्वेषी कुओं की लागत को "विकासशील अन्वेषी कुएं" के रूप में लिखा जाता है। ऐसे विकासशील अन्वेषी कुओं को उस वर्ष में पूंजीकृत किया जाता है जिस वर्ष में उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन होता है या शुष्क परित्यक्त निर्धारित करते समय हटाया जाता है।

ग) उन कुओं को छोड़कर, जिनके लिए भंडार की पर्याप्त मात्रा के समुचित संकेत हैं और उद्यम भंडारों को निर्धारित करने और परियोजना की किफायती और परियोजना की प्रचालन व्यवहार्यता में पर्याप्त प्रगति करता है, सभी "विकासशील अन्वेषी कुएं" की लागत को लाभ तथा हानि के विवरण के नामे डाला जाता है।

(ii) उत्पादक परिसंपत्तियों का पूंजीकरण

क) उत्पादक परिसंपत्तियों का पूंजीकरण "पूर्ण कुएं/उत्पादक कुएं" के तौर पर तब किया जाता है जब क्षेत्र/फील्ड में कुएं वाणिज्यिक उत्पादन करने के लिए तैयार हों और उनसे तेल और गैस भंडार का विकास प्रमाणित हो गया हो।

ख) उत्पादक परिसंपत्तियों की लागत में सफल अन्वेषी कुओं, विकास कुओं, उपकरणों और सुविधाओं के समर्थन का प्रारंभिक ह्रास मूल्य और प्रसुविधाएं तथा अनुमानित भावी परित्याग करने की लागत शामिल होती है।

(iii) उत्पादक परिसंपत्तियों में कमी

उत्पादक परिसंपत्तियों में कमी "उत्पादन पद्धति की इकाई (यूओपी)" का प्रयोग करके की जाती है। सभी पूंजीगत लागत के लिए प्रभारित उत्पादन की कमी या इकाई की गणना वर्ष के दौरान उत्पादन के अनुपात में की जाती है जिसे वर्ष के अंत में विकसित रिजर्व प्रमाणित किया जाता है।

(iv) उत्पादक संपत्तियों की उत्पादन लागत

प्रचालक द्वारा दर्शाए गए अनुसार उत्पादन लागत के कंपनी शेयर में प्रिवेल शीर्ष तथा पोस्ट वेल शीर्ष व्यय शामिल होता है जिसमें सहायक उपकरण और सुविधाओं का मूल्यह्रास तथा विद्यमान प्रचालन लागत शामिल होती है।

1.20 अन्य

(i) परिनिर्धारित क्षति/मूल्य कमी अनुसूची, यदि कोई हो, की वसूली के प्रभावी होने पर गणना की जाती है तथा मामले को प्रबंधन द्वारा निपटाया गया माना जाता है। परिनिर्धारित क्षति/मूल्य कमी अनुसूची, यदि निपटान किया जाता हो, परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के बाद राजस्व से ली जाती हैं यदि प्रत्येक मामले में यह 50 लाख रुपए से कम हो, अन्यथा उसे संगत परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित किया जाता है।

(ii) बीमा दावों की गणना बीमाकर्ताओं द्वारा स्वीकृत दावों के आधार पर की जाती है।

टिप्पणी 2 : शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
अधिकृत		
प्रत्येक 10/–रुपए मूल्य के 200,00,00,000	2,000.00	2,000.00
(गत वर्ष 200,00,00,000) इक्विटी शेयर		
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
प्रत्येक 10/–रुपए मूल्य के पूर्ण प्रदत्त 126,84,77,400		
(गत वर्ष 126,84,77,400) इक्विटी शेयर	1,268.48	1,268.48
जोड़	1,268.48	1,268.48

क) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण

	31 मार्च, 2015		31 मार्च, 2014	
	संख्या	प्रतिशत होल्डिंग	संख्या	प्रतिशत होल्डिंग
प्रत्येक 10/–रुपए मूल्य के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर				
(I) भारत के राष्ट्रपति (प्रवर्तक)	71,17,33,651	56.11%	71,17,33,651	56.11%
(II) भारतीय जीवन बीमा निगम	11,61,05,407	9.15%	9,59,06,319	7.56%

ख) कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर है जिसका अंकित मूल्य 10/–रुपए प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर के धारक समय–समय पर घोषित किए जाने वाले लाभांश प्राप्त करने के हकदार होते हैं तथा शेयरधारकों की बैठक में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में मतदान के हकदार होते हैं।

ग) 1,79,47,026 (पूर्ववर्ती वर्ष 1,77,25,920) शेयर वैश्विक डिपाजिटरी रसीद के रूप में रखे जाते हैं।

टिप्पणी 3 : आरक्षित एवं अधिशेष

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
आरक्षित पूंजी		
(नोएडा में गैस टेक्नोलॉजी इंस्टीटयूट के निर्माण हेतु डेनमार्क सरकार से प्राप्त अनुदान)		
गत वित्तीय विवरण के अनुसार	1.16	1.29
घटा : लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित	0.12	0.13
इति शेष	1.04	1.16
शेयर प्रीमियम लेखा	0.27	0.27
बांड विमोचन आरक्षित		
गत वित्तीय विवरण के अनुसार	167.27	173.21
जमा : लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष से स्थानांतरित	61.77	49.06
घटा : लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष से स्थानांतरित	(25.00)	(55.00)
समाप्ति पर शेष	204.04	167.27
सी एस आर आरक्षित		
गत वित्तीय विवरण के अनुसार	31.00	13.13
जमा : लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष से अंतरित	-	31.00
घटा : लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष से अंतरित	(30.00)	(13.13)
समाप्ति पर शेष	1.00	31.00
विदेशी विनिमय मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर लेखा	25.13	14.81
सामान्य आरक्षित		
गत वित्तीय विवरण के अनुसार	3,891.79	3,453.79
जमा : आरक्षित निवेश भत्ता (प्रयुक्त) से अंतरित	-	-
जमा : लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष से अंतरित	304.00	438.00
समाप्ति पर शेष	4,195.79	3,891.79
लाभ एवं हानि विवरण का अधिशेष		
गत वित्तीय विवरण के अनुसार	21,697.55	19,315.63
घटा : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II के अनुसार 01.04.2014 को शेष जीवन शून्य के साथ आस्तियों की राशि ले जाने का समायोजन	87.54	-
लाभ एवं हानि के विवरण में अधिशेष (निवल)	21,610.01	19,315.63
जमा : लाभ एवं हानि के विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	3,039.17	4,375.27
घटा : विनियोजन		
अंतरिम लाभांश	380.54	570.81
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	380.54	748.40
निगमित लाभांश कर	153.56	224.21
बांड विमोचन आरक्षित से अंतरित	(25.00)	(55.00)
बांड विमोचन आरक्षित में अंतरित	61.77	49.06
सी एस आर आरक्षित से अंतरित	(30.00)	(13.13)
सी एस आर आरक्षित में अंतरित	-	31.00
सामान्य आरक्षित	304.00	438.00
	-	
विनियोजन पश्चात निवल अधिशेष	1,813.76	2,381.92
	23,423.77	21,697.55
जोड़	27,851.04	25,803.85

क) **कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए 10/–रुपए मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 3/–रुपए की दर से (गत वर्ष : 5.90/–रुपए प्रति इक्विटी शेयर) अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है।**

टिप्पणी 4 : दीर्घावधि ऋण

(₹ करोड़ में)

	गैर–वर्तमान भाग		वर्तमान परिपक्वता	
	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
रक्षित				
(क) बांड				
बांड शृंखला–1 (6.10 प्रतिशत रक्षित अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य बांड शृंखला–1 आबंटन की मान्य तारीख 22 अगस्त, 2003 से 8वें वर्ष की समाप्ति से 12वें वर्ष की समाप्ति तक 5 समान किस्तों में मोचनयोग्य हैं)। (बांड को ग्राम टंडालजा, वडोदरा में फ्रीहोल्ड, गैर–कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ उस पर निर्मित विद्यमान एवं भावी समूचे भवन और कंपनी की एलपीजी वाघोडिया संयंत्र, हजीरा संयंत्र, जीआईपी वाघोडिया संयंत्र, गंधार संयंत्र, डीयूपीएल परियोजनाओं और वडोदरा संयंत्र में समस्त संयंत्र तथा मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, औजार तथा उपकरण एवं अन्य तथा विद्यमान एवं भावी दोनों सहित तथा स्थापित या अन्यथा और अलग या भंडार में पड़े हुए सहित चल परिसंपत्तियों को समरूप आधार पर प्रभारित कर रक्षित किया गया है)।	-	100.00	100.00	100.00
बांड 2010 शृंखला–1 (8.80 प्रतिशत रक्षित अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य बांड 2010 शृंखला–1 की आबंटन की मान्य तारीख 13 दिसम्बर, 2010 के सातवें वर्ष की समाप्ति से 10वें वर्ष की समाप्ति तक मांग विकल्प के साथ 4 समान किस्तों में मोचनयोग्य हैं) (बांड को ग्राम टंडालजा, वडोदरा में फ्रीहोल्ड, गैर–कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ उस पर निर्मित विद्यमान एवं भावी समूचे भवन और कंपनी की विजयपुर–दादरी पाइपलाइन परियोजनाओं में समस्त संयंत्र तथा मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, औजार तथा उपकरण एवं अन्य चल परिसंपत्तियों को विद्यमान एवं भावी दोनों सहित तथा स्थापित या अन्यथा और अलग या भंडार में पड़े हुए सहित समरूप आधार पर प्रभारित कर रक्षित किया गया है)।	500.00	500.00	-	-
बांड शृंखला 2012 (9.14 प्रतिशत रक्षित अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य बांड 2012 शृंखला–1 की आबंटन की मान्य तारीख 11 जून, 2012 के 5वें वर्ष की समाप्ति से 10वें वर्ष की समाप्ति तक मांग विकल्प के साथ 4 समान किस्तों में मोचनयोग्य हैं) (बांड को ग्राम टंडालजा, वडोदरा में फ्रीहोल्ड, गैर–कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ उस पर निर्मित विद्यमान एवं भावी समूचे भवन और कंपनी की विजयपुर स्थित कम्प्रेसर स्टेशन को छोड़कर विजयपुर–दादरी पाइपलाइन परियोजनाओं में समस्त संयंत्र तथा मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, औजार तथा उपकरण एवं अन्य चल परिसंपत्तियों को विद्यमान एवं भावी दोनों सहित तथा स्थापित या अन्यथा और अलग या भंडार में पड़े हुए सहित समरूप आधार पर प्रभारित कर रक्षित किया गया है)।	750.00	750.00	-	-

(₹ करोड़ में)

	गैर–वर्तमान भाग		वर्तमान परिपक्वता	
	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
बांड शृंखला 2015 (8.30 प्रतिशत रक्षित अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य बांड 2015 शृंखला–1 की आबंटन की मान्य तारीख 23 फरवरी, 2015 के 7वें वर्ष की समाप्ति तक मांग विकल्प के साथ 7वें वर्ष की समाप्ति तक 10वें वर्ष के अंत तक 4 समान किस्तों में मोचनयोग्य हैं) (बांड को ग्राम टंडालजा, वडोदरा में फ्रीहोल्ड, गैर–कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ उस पर निर्मित विद्यमान एवं भावी समूचे भवन और कंपनी की विजयपुर स्थित कम्प्रेसर स्टेशन को छोड़कर विजयपुर–दादरी पाइपलाइन परियोजनाओं में समस्त संयंत्र तथा मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, औजार तथा उपकरण एवं अन्य चल परिसंपत्तियों को विद्यमान एवं भावी दोनों सहित तथा स्थापित या अन्यथा और अलग या भंडार में पड़े हुए सहित समरूप आधार पर प्रभारित कर रक्षित किया गया है)।	500.00	-	-	-
बैंकों से: **एच डी एफ सी बैंक से ऋण** (ऋणों की दहेज–विजयपुर चरण–2 पाइपलाइन परियोजना की संपूर्ण पाइपलाइन, स्पर लाइन, संयंत्र एवं मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, उपकरण, औजार तथा उपकरण एवं अन्य चल परिसंपत्तियां, विद्यमान एवं भावी दोनों सहित, या तो खुले में या बंद रूप में पड़ी हुई हो या अन्यथा और अलग या भंडार में पड़ी हुई हो या मार्गस्थ अथवा गहरे समुद्र में हों, सहित संपूर्ण चल स्थायी परिसंपत्तियों का प्रथम समरूप आधार पर प्रभारित कर रक्षित कर दिया गया है। झाबुआ और विजयपुर कम्प्रेसर स्टेशन में प्लांट और मशीनरी को छोड़कर)। अंतिम भुगतान की तिथि 05.05.2013 से 2 वर्ष के विलंबन की पूर्णता के पश्चात 6 माह से आरंभ होकर 12 वर्षों की अवधि के लिए छमाही समान किस्त।	-	900.00	-	-
अन्य पार्टियों से : तेल उद्योग विकास बोर्ड, (संपूर्ण पाइपलाइन, स्पर लाइनें, संयंत्र एवं मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे उपकरण, औजार तथा उपसाधन और वर्तमान एवं भावी दोनों, अन्य चल परिसंपत्तियां, जो संस्थापित की गई हैं अथवा नहीं, तथा या तो खुले रूप में पड़ी हैं जो डिब्बों में बंद है या अब ऐसे ही पड़ी हैं या भंडार में हैं या समय–समय पर उनकी समीक्षा करते हुए उन्हें भंडार किया जाता है अथवा स्पर लाइनों सहित उधारकर्ता की दादरी–बवाना–नंगल पाइपलाइन परियोजना में लाया जाएगा या भंडार किया जाएगा या उधारकर्ता के आदेश या अवस्थिति के कारण किसी भी पार्टी के पास हों या मार्गस्थ हो अथवा समुद्र में हों या उधारकर्ता के अधिकार में कहीं भी और कभी भी आदेश या सुपुर्दगी की स्थिति में हों और स्थानापन्न या वृद्धि की स्थिति में हां, उनको प्रथम प्रभार द्वारा गिरवी के माध्यम से रक्षित किया गया है)। भुगतान की तारीख से एक वर्ष के विलंबन की समाप्ति के पश्चात चार समान किस्तों में भुगतान योग्य। ऋण का भुगतान किस्तों में जुलाई 2009 से मार्च, 2011 तक भुगतान की तिथि के आधार पर 6.74 प्रतिशत से 8.31 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर किया गया।	-	121.00	121.00	237.50
आगे बढाया	1,750.00	2,371.00	221.00	337.50

टिप्पणी 4 : दीर्घावधि ऋण

(₹ करोड़ में)

	गैर–वर्तमान भाग		वर्तमान परिपक्वता	
	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
आगे लाया	**1,750.00**	**2,371.00**	**221.00**	**337.50**
तेल उद्योग विकास बोर्ड	788.75	1,205.00	416.25	291.25
(संपूर्ण पाइपलाइन, स्पर लाइनें, संयंत्र एवं मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे उपकरण, औजार तथा उपसाधन और वर्तमान एवं भावी दोनों, अन्य चल परिसंपत्तियां, जो संस्थापित की गई हैं अथवा नहीं, तथा या तो खुले रूप में पड़ी हैं जो डिब्बों में बंद है या अब ऐसे ही पड़ी हैं या भंडार में हैं या समय–समय पर उनकी समीक्षा करते हुए उन्हें भंडार किया जाता है अथवा स्पर लाइनों सहित उधारकर्ता की दादरी–बवाना–नंगल पाइपलाइन परियोजना में लाया जाएगा या भंडार किया जाएगा या उधारकर्ता के आदेश या अवस्थिति के कारण किसी भी पार्टी के पास हों या मार्गस्थ हो अथवा समुद्र में हों या उधारकर्ता के अधिकार में कहीं भी और कभी भी आदेश या सुपुर्दगी की स्थिति में हों और स्थानापन्न या वृद्धि की स्थिति में हां, उनको प्रथम प्रभार द्वारा गिरवी के माध्यम से रक्षित किया गया है)।				
भुगतान की तारीख से एक वर्ष के विलंबन की समाप्ति के पश्चात चार समान किस्तों में भुगतान योग्य। जुलाई, 2011 से जून, 2013 तक किस्तों में संवितरित ऋण 7.67 प्रतिशत से 8.98 प्रतिशत तक प्रतिवर्ष ब्याज दर के साथ, जो संवितरण की तारीख पर निर्भर कराता है।				
तेल उद्योग विकास बोर्ड				
(संपूर्ण पाइपलाइन, स्पर लाइनें, संयंत्र एवं मशीनरी, अतिरिक्त पूर्जे, उपकरण, औजार तथा उपसाधन और वर्तमान एवं भावी अन्य चल परिसंपत्तियां, जो संस्थापित की गई हैं अथवा नहीं तथा या तो खुले रूप में पड़ी हैं या डिब्बों में बंद हैं या अब ऐसे ही पड़ी हैं या भंडार में हैं या समय–समय पर उनकी सुरक्षा करते हुए उन्हें भंडार किया जाता है अथवा स्पर लाइनों सहित उधारकर्ता को दहेज विजयपुर पाइपलाइन–II परियोजना में लाया जाएगा या भंडार किया जाएगा या उधारकर्ता के आदेश या अवस्थिति के कारण किसी भी पार्टी के पास हों या मार्गस्थ हों अथवा समुद्र में हों या उधारकर्ता के अधिकार में कहीं भी और कभी भी आदेश या सुपुर्दगी की स्थिति में हों और स्थानापन्न या वृद्धि की स्थिति में हां, उनको प्रथम प्रभार द्वारा गिरवी के माध्यम से रक्षित किया गया है)।	356.25	475.00	118.75	-
भुगतान की तारीख से एक वर्ष के विलंबन की समाप्ति के पश्चात चार समान किस्तों में भुगतान योग्य। ऋण का भुगतान किस्तों में नवम्बर 2013 से मार्च, 2014 तक भुगतान की तिथि के आधार पर 8.94 प्रतिशत से 9.27 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर किया गया।				
	2,895.00	**4,051.00**	**756.00**	**628.75**

(₹ करोड़ में)

	गैर–वर्तमान भाग		वर्तमान परिपक्वता	
	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
अरक्षित				
सावधि ऋण				
बैंक से :				
–बैंक आफ टोक्यो मित्सुबिसी यूएफजे लिमिटेड (निकासी की अंतिम तिथि अर्थात अगस्त, 2016 से पांचवे वर्ष की समाप्ति पर बुलेट पुनर्भुगतान) ऋण पर प्लवमान ब्याज दर लागू है जो 6 माह एलआईबीओआर प्लस स्प्रेड से जुड़ा हुआ है।	947.85	909.15	-	-
–बैंक आफ टोक्यो मित्सुबिसी यूएफजे लिमिटेड (निकासी की अंतिम तिथि अर्थात दिसम्बर, 2015, दिसम्बर, 2016, तथा दिसम्बर 2017 से चौथे, पांचवें वर्ष की समाप्ति ऋण पर प्लवमान ब्याज दर लागू है जो 6 माह एल आई बी ओ आर प्लस स्प्रेड से जुड़ा हुआ है।	421.27	606.10	210.63	-
–मिजुहो कारपोरेट बैंक (निकासी की अंतिम तिथि अर्थात जनवरी, 2016, जनवरी, 2017 तथा जनवरी, 2018 से चौथे, पांचवें एवं छठे वर्ष की समाप्ति पर 1/3 का पुनर्भुगतान) ऋण पर प्लवमान ब्याज दर लागू है जो 6 माह एल आई बी ओ आर प्लस स्प्रेड से जुड़ा हुआ है।	421.27	606.10	210.63	-
–सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कारपोरेशन (निकासी की अंतिम तिथि अर्थात फरवरी, 2016, फरवरी, 2017 तथा फरवरी, 2018 से चौथे, पांचवें एवं छठे वर्ष की समाप्ति पर 1/3 का पुनर्भुगतान) ऋण पर प्लवमान ब्याज दर लागू है जो 6 माह एल आई बी ओ आर प्लस स्प्रेड से जुड़ा हुआ है।	421.27	606.10	210.63	-
–सुमिटोमो बैंक (निकासी की अंतिम तिथि अर्थात नवम्बर, 2017 तथा नवम्बर, 2018 से पांचवें एवं छठे वर्ष की समाप्ति पर 1/2 का पुनर्भुगतान) ऋण पर प्लवमान ब्याज दर लागू है जो 6 माह एल आई बी ओ आर प्लस स्प्रेड से जुड़ा हुआ है।	1,895.70	1,818.30	-	-
–केएफडब्ल्यू जर्मनी (काप्रियन सुविधा) (नवम्बर, 2014 से आरंभ 14 छमाही बराबर किस्तों में वापसी अदायगी)	69.29	78.55	12.60	6.04
–सोसायटी जनरल (22 अक्तूबर, 2012 से आरंभ 20 अर्द्ध वार्षिक समान किस्तों में पुनर्भुगतान)	305.31	337.90	46.97	45.05
–जापान बैंक फार इंटरनेशनल को–आपरेशन (जेबीआईसी) जून, 2013 से आरंभ 20 छमाही समान किस्तों में वापसी–अदायगी	191.42	245.35	27.35	30.67
–के एफ डब्ल्यू (सीमेंस सुविधा) (मार्च 2014 से आरंभ 20 अर्द्ध वार्षिक समान किस्तों में पुनर्भुगतान)	246.11	267.54	32.82	31.48
	4,919.49	**5,475.09**	**751.63**	**113.24**
जोड़	**7,814.49**	**9,526.09**	**1,507.63**	**741.99**

क. वर्ष के दौरान उस पर किसी भी कर्ज या ब्याज की चुकौती में कोई चूक नहीं रहा है।

टिप्पणी 5 : अन्य दीर्घावधि देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
परित्यक्त लागत (ई एंड पी) हेतु देयता	1.13	1.13
गैर पूल राशि (अनन्तिम) [संदर्भ नोट संख्या 37 (ग)]	1,998.33	652.50
ठेकेदारों तथा अन्यों से जमा / प्रतिधारण राशि	12.81	58.25
अन्य देयताएं	67.14	59.29
जोड़	2,079.41	771.17

टिप्पणी 6 : दीर्घावधि प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
कार्मिक हितलाभ हेतु प्रावधान (संदर्भ नोट संख्या 41)	578.92	404.04
जोड़	578.92	404.04

टिप्पणी 7 : अल्पावधि ऋण

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
अन्य ऋण एवं अग्रिम		
अरक्षित		
बैंकों से		
कोटक महिन्द्रा बैंक से खरीददार क्रेडिट 90 दिन में वापसी अदायगी	233.80	-
जोड़	233.80	-

क. वर्ष के दौरान उस पर किसी भी कर्ज या ब्याज की चुकौती में कोई चूक नहीं रहा है।

टिप्पणी 8 : भुगतान योग्य व्यापार

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
भुगतान योग्य व्यापार	3,320.48	3,974.83
[जेवी कंसोर्शियम को भुगतान योग्य 30.50 करोड़ रुपए (गत वर्ष : 28.06 करोड़ रुपए) सहित]		
जोड़	3,320.48	3,974.83

टिप्पणी 9 : अन्य वर्तमान देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
(क) दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता (संदर्भ नोट संख्या 4)		
(i) रक्षित		
– बांड	100.00	100.00
– सावधि ऋण	656.00	528.75
(ii) अरक्षित		
– सोसायटी जनरल	46.97	45.05
– जापान बैंक फार इंटरनेशनल को–ऑपरेशन (जेबीआईसी)	27.35	30.67
– के एफ डब्ल्यू (सीमेंस सुविधा)	32.82	31.48
– के एफ डब्ल्यू (कॉप्रियन सुविधा)	12.60	6.04
– बैंक आफ टोकियो मितसुबिशी यूएफजे लिमिटेड	210.63	-
– मिजुहो कारपोरेट बैंक	210.63	-
– सूमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कारपोरेशन	210.63	-
(ख) **ऋण पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं**	182.70	182.53
(ग) **ग्राहकों से अग्रिम**	601.56	639.37
(घ) **अदत/गैर–दावित लाभांश**	2.62	2.45
(ड.) **अन्य भुगतान योग्य :**		
i) ठेकेदारों तथा अन्यों से जमा/प्रतिधारण राशि	425.71	392.61
ii) गैस पूल राशि (संदर्भ नोट संख्या 37 (ख))	816.81	1,035.71
iii) असंतुलन तथा अधिक प्रभार (संदर्भ नोट संख्या 37 (घ))	80.38	70.62
iv) अन्य :		
– सांविधिक भुगतान योग्य	257.27	248.60
– विदेशी करेंसी संविदा के लिए देनदारी	765.40	111.98
– भुगतान योग्य पूंजीगत व्यय	118.87	130.85
– पाइपलाइन शुल्क में समायोजन	236.10	36.37
– भुगतान योग्य ई एंड पी व्यय	160.51	249.79
– भुगतान योग्य कार्मिक हितलाभ	50.92	93.19
– अन्य भुगतान योग्य	154.61	111.48
जोड़	5,361.09	4,047.54

क) **उपर्युक्त निर्दिष्ट दीर्घावधि ऋण की रक्षित तथा अरक्षित वर्तमान परिपक्वता के पुनर्भुगतान की अवधि तथा उस पर ब्याज की दर का विवरण नोट संख्या 4 में दर्शाया गया है।**

ख) **निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा कोष में भुगतान हेतु कोई राशि देय नहीं है।**

टिप्पणी 10 : अल्पावधि प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
कार्मिक हितलाभ हेतु प्रावधान (संदर्भ नोट संख्या 41)	42.21	47.54
अन्य :		
प्रस्तावित लाभांश हेतु प्रावधान	380.54	748.40
प्रस्तावित लाभांश पर कर हेतु प्रावधान	77.47	127.19
संभाव्य अनिवार्यताओं हेतु प्रावधान	576.65	525.83
जोड़	1,076.87	1,448.96

टिप्पणी 11 : स्थायी परिसंपत्तियां (मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियां)

मूल्य ह्रास	सकल/ब्लाक (लागत पर)				मूल्यह्रास				पूरा न होने वाली हानि				निवल ब्लॉक	
	01.04.2014 को	वर्ष के दौरान जमा/समायोजन	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	31.3.2015 को	31.03.2014 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.105 को	31.03.2014 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान संशोधित	31.03.2015 को	31.03.2015 को	31.03.2014 को
मूर्त परिसंपत्तियां (क)														
भूमि : फ्रीहोल्ड	171.78	2.60	(0.97)	173.41	-	-	-	-	-	-	-	-	**173.41**	171.78
लीज होल्ड	167.55	1.13	(1.16)	167.52	14.84	2.52	(0.10)	17.26	-	-	-	-	**150.26**	152.71
भवन: कार्यालय/	600.18	284.90	(28.16)	856.92	177.27	19.67	48.06	245.00	-	-	-	-	**611.92**	422.91
अन्य आवासीय	306.84	49.92	1.64	358.40	83.26	8.51	13.73	105.50	-	-	-	-	**252.90**	223.58
बंक हाउस	2.49	0.36	-	2.85	1.99	0.23	0.16	2.38	-	-	-	-	**0.47**	0.50
संयंत्र और मशीन	30,423.22	6,752.53	(52.69)	37,123.06	11,829.89	775.74	(13.76)	12,591.87	7.61	6.09	-	13.70	**24,517.49**	18,585.71
रेलवे लाइनें एवं साइडिंग	5.47	-	-	5.47	5.18	0.01	0.01	5.20	-	-	-	-	**0.27**	0.29
विद्युत उपकरण	243.49	170.36	2.48	416.33	101.43	25.79	26.94	154.16	0.46	-	-	0.46	**261.71**	141.60
फर्नीचर एवं फिक्सचर	97.38	37.47	(2.65)	132.20	51.84	9.51	(2.24)	59.11	-	-	-	-	**73.09**	45.54
परिवहन उपकरण	6.15	1.43	1.38	8.96	3.73	0.75	0.16	4.64	-	-	-	-	**4.32**	2.42
कार्यालय उपकरण	204.58	33.57	(16.91)	221.24	127.44	29.11	(2.37)	154.18	-	-	-	-	**67.06**	77.14
अन्य उपकरण	123.88	43.84	(17.86)	149.86	58.85	19.84	4.47	83.16	-	-	-	-	**66.70**	65.03
ईएंडपी परिसंपत्तियां														
उत्पादनशील संपत्ति	864.00	61.46	-	925.46	**26.51**	64.68	(0.22)	90.97	-	-	-	-	**834.49**	837.49
सहायक उपकरण एवं सुविधाएं	2.05	0.43	0.01	2.49	0.73	0.10	-	0.83	-	-	-	-	**1.66**	1.32
जोड़ (क)	**33,219.06**	**7,440.00**	**(114.89)**	**40,544.17**	**12,482.96**	**956.46**	**74.84**	**13,514.26**	**8.07**	**6.09**	**-**	**14.16**	**27,015.75**	**20,728.02**
अमूर्त परिसंपत्तियां (ख)														
उपयोग का अधिकार	741.95	5.44	(0.00)	747.39	21.05	7.53	-	28.58	-	-	-	-	**718.82**	720.91
सॉफ्टवेयर/लाइसेंस	95.31	8.01	(5.62)	97.70	67.61	10.66	(5.69)	72.58	-	-	-	-	**25.12**	27.70
जोड़ (ख)	**837.26**	**13.45**	**(5.62)**	**845.09**	**88.66**	**18.19**	**(5.69)**	**101.16**	**-**	**-**	**-**	**-**	**743.94**	**748.61**
जोड़ (क + ख)	**34,056.32**	**7,453.45**	**(120.51)**	**41,389.26**	**12,571.62**	**974.65**	**69.15**	**13,615.42**	**8.07**	**6.09**	**-**	**14.16**	**27,759.69**	**21,476.63**
गत वर्ष	31,148.97	2,969.83	(62.48)	34,056.32	11,439.01	1,175.24	(42.63)	12,571.62	2.51	5.62	(0.06)	8.07	**21,476.63**	19,707.45

उधार लागत को स्थायी परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया गया तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) 378.19 करोड़ रुपए (गत वर्ष 351.35 करोड़ रुपए) है। जमा/समायोजन कालम के द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों के प्रमुख शीर्ष के लागत में उधार लागत तथा विनिमय भिन्नता का संपत्तिवार विवरण नीचे दिए गए हैं :

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष हेतु	
	उधार लागत	विनिमय भिन्नता	उधार लागत	विनिमय भिन्नता
विवरण				
संयंत्र एवं मशीनरी	311.33	186.19	12.97	203.41
सी डब्ल्यू आई पी	66.86	12.41	338.38	299.08
जोड़	378.19	198.60	351.35	502.49

टिप्पणी 12 : प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
क) संयंत्र एवं मशीनरी				
कैथोडिक सुरक्षा सहित लाइनपाइप निर्माण तथा संबंधित सुविधाएं	1,074.97		865.17	
घटा : लाइनपाइप तथा संबंधित सुविधाओं हेतु प्रावधान	95.70	979.27	87.49	777.68
डिस्पैच/रिसीविंग टर्मिनल		12.17		2.47
कम्प्रेसर स्टेशन		12.09		4.82
दूरसंचार तथा दूर पर्यवेक्षण प्रणाली		8.20		6.79
एलपीजी पाइपलाइन परियोजना		0.63		0.22
एलपीजी परियोजना		0.10		0.67
पेट्रोकैमिकल		1,248.78		5,425.43
दूरसंचार परियोजना		-		0.02
अन्य		79.74		95.51
प्रगत्यधीन अन्वेषणात्मक कूप		365.06		385.29
प्रगत्यधीन विकासात्मक कूप		95.72		128.03
अमूर्त		9.04		0.41
ख) भवन	91.76		149.14	
घटा : परित्यक्त भवन हेतु प्रावधान	5.28	86.48	5.28	143.86
ग) भंडार में/मार्गस्थ लाइनपाइप, पूंजीगत मद	1,469.29		2,756.93	
घटा : हानि/पुराने हेतु प्रावधान	6.55	1,462.74	0.28	2,756.65
जोड़		4,360.02		9,727.85

टिप्पणी 13 : गैर–चालू निवेश

(₹ करोड़ में)

	शेयर/बांड/यूनिटों की संख्या वर्तमान वर्ष/(गत वर्ष)	(रुपए) में प्रति शेयरों/बांड/यूनिट का अंकित मूल्य वर्तमान वर्ष/(गत वर्ष)	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
1. **व्यापार**				
उद्धृत				
(क) इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश :				
(i) सहयोगी कंपनी चीन गैस होल्डिंग लिमिटेड चीन	15,00,00,000	HK$ 0.01/-	**97.37**	97.37
*1.148 हांगकांग डालर पर अधिगृहीत	(15,00,00,000)	(HK$ 0.01/-)		
			97.37	**97.37**
(ii) **संयुक्त उद्यम कंपनियों में :**				
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	3,15,00,000	10.00	**31.50**	31.50
	(3,15,00,000)	(10.00)		
पेट्रोनेट एल एन जी लिमिटेड	9,37,50,000	10.00	**98.75**	98.75
*5/–रुपए प्रति शेयर के प्रीमियम पर आबंटित 1,00,00,000 इक्विटी शेयर सहित	(9,37,50,000)	(10.00)		
			130.25	**130.25**
(iii)**अन्य**				
गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड	5,70,600	10.00	**0.86**	0.86
*15/–रुपए प्रति शेयर के प्रीमियम पर अर्जित किए गए 1,90,200 इक्विटी शेयर सहित	(5,70,600)	(10.00)		
ओ एन जी सी लिमिटेड	20,56,01,068	5.00	**556.29**	556.29
*1999–2000 के दौरान 10/–रुपए प्रत्येक के 3,42,66,845 शेयर 162.34/–रुपए प्रति शेयर के मूल्य पर अर्जित किए गए, 2006–07 के दौरान 10/–रुपए प्रत्येक के 1,71,33,422 बोनस शेयर प्राप्त किए गए, वर्ष 2010–11 के दौरान 10–10 रुपए मूल्य के 5,14,00,267 इक्विटी शेयर को 5–5 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया तथा 2010–11 के दौरान प्राप्त विभाजन के पश्चात प्रत्येक 5–5 रुपए मूल्य के 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए गए।	(20,56,01,068)	(5.00)		
			557.15	**557.15**
कुल उद्धृत			**784.77**	**784.77**
अनुद्धृत				
(क) इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश :				
(i) सहायक कंपनी में				
सिंगापुर में स्थापित गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई, लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी)	21,00,000	USD 1/-	**9.64**	9.64
	(21,00,000)	(USD 1/-)		
ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	79,30,10,083	10.00	**793.01**	793.01
	(79,30,10,083)	(10.00)		
गेल गैस लिमिटेड	30,00,00,000	10.00	**300.00**	254.35
	(25,43,51,265)	(10.00)		
गैल ग्लोबल यूएसए इंक	3,60,00,000	USD 1/-	**179.17**	179.17
	(3,60,00,000)	(USD 1/-)		
			1,281.82	**1,236.17**

(₹ करोड़ में)

	शेयर/बांड/यूनिटों की संख्या वर्तमान वर्ष/(गत वर्ष)	(रुपए) में प्रति शेयरों/बांड/यूनिट का अंकित मूल्य वर्तमान वर्ष/(गत वर्ष)	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
(ii) सहयोगी कंपनियों में				
गुजरात स्टेट एनर्जी जनरेशन लिमिटेड	2,07,60,000 (2,07,60,000)	10.00 (10.00)	**20.76**	20.76
फायम गैस कंपनी, मिस्र में पंजीकृत	19,000 (19,000)	LE 100/- (LE 100/-)	**8.10**	8.10
			28.86	**28.86**
(iii) संयुक्त उद्यम कंपनियों में				
महानगर गैस लिमिटेड	4,44,50,000 (4,44,50,000)	10.00 (10.00)	**44.45**	44.45
भाग्यनगर गैस लिमिटेड	2,25,00,000 (12,500)	10.00 (10.00)	**22.50**	0.01
सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड	1,50,00,000 (1,50,00,000)	10.00 (10.00)	**15.00**	15.00
ग्रीन गैस लिमिटेड	2,30,42,500 (12,500)	10.00 (10.00)	**23.04**	0.01
महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	2,25,00,000 (2,25,00,000)	10.00 (10.00)	**22.50**	22.50
रत्नागिरि गैस पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड	97,43,08,300 (97,43,08,300)	10.00 (10.00)	**974.31**	974.31
अवन्तिका गैस लिमिटेड	2,25,00,000 (12,500)	10.00 (10.00)	**22.50**	0.01
त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड	1,92,000 (1,92,000)	100.00 (100.00)	**1.92**	1.92
ओ एन जी सी पेट्रो एडिशन्स लिमिटेड	99,49,45,000 (99,49,45,000)	10.00 (10.00)	**994.95**	994.95
			2,121.17	**2,053.16**
2. अन्य निवेश (अनुद्धृत – लागत पर)				
(क) इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश :				
(i) दर्पण को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, वडोदरा (1,500/–रुपए)	30 (30)	50.00 (50.00)	-	-
(ii) अशोक अपार्टमेंट्स को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, वडोदरा (2,500/–रुपए)	50 (50)	50.00 (50.00)	-	-
(iii) सानन्द मेम्बर्स एसोसिएशन, अहमदाबाद (4,000/–रुपए)	400 (400)	10.00 (10.00)	-	-

(₹ करोड़ में)

	शेयर/बांड/यूनिटों की संख्या वर्तमान वर्ष/(गत वर्ष)	(रुपए) में प्रति शेयरों/बांड/यूनिट का अंकित मूल्य वर्तमान वर्ष/(गत वर्ष)	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
(iv) ग्रीन फील्ड (बी) को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, मुंबई (2,750/–रुपए)	55 (55)	50.00 (50.00)	-	-
(v) एवीलिअन ग्रीन फील्ड को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, मुंबई (250/–रुपए)	50 (50)	5 (5)	-	-
(vi) सूरज हाइट्स एक को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, मुंबई (1500/–रुपए)	50 (50)	30 (30)	-	-
(vii) शील जीत को ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. मुंबई (50/– रुपए)	10 (10)	5.00 (5.00)	-	-
(viii). साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन लिमिटेड (हांगकांग में पंजीकृत)	8,347 (8,347)	USD 1/- (USD 1/-)	**0.04**	0.04
			0.04	**0.04**
कुल अनुद्धृत			**3,431.89**	**3,318.23**
3. संबंधित पक्षों को निवेश के लिए अग्रिम (आबंटन लंबित)				
संयुक्त उद्यम कंपनियां				
I) भाग्यनगर गैस लिमिटेड			-	22.49
ii) ग्रीन गैस लिमिटेड			-	23.03
iii) अवंतिका गैस लिमिटेड			-	22.48
			-	68.00
सहायक कम्पनी				
i) गेल गैस लिमिटेड			-	12.00
			-	12.00
अन्य				
i) साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन लिमिटेड			105.70	105.70
			105.70	**105.70**
निवेशों के विरूद्ध कुल अग्रिम			**105.70**	**185.70**
कुल निवेश			**4,322.36**	**4,288.70**
उद्धृत निवेशों की कुल राशि				
– खाता मूल्य (लागत पर)			**784.77**	784.77
– बाजार मूल्य			**10,760.85**	10,173.09
अनुद्धृत निवेशों की कुल राशि			**3,431.89**	**3,318.23**
निवेशों के लिए अग्रिमों की कुल राशि (आबंटन लंबित)			**105.70**	**185.70**

टिप्पणी 14 : दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
(क) पूंजीगत अग्रिम				
– रक्षित, असंदिग्ध माने गए	-		-	
– अरक्षित, असंदिग्ध माने गए	11.36		29.34	
– अरक्षित, संदिग्ध माने गए	0.35		0.35	
	11.71		29.69	
घटा : संदिग्ध अग्रिम हेतु प्रावधान	0.35	11.36	0.35	29.34
(ख) प्रतिभूति जमा				
– रक्षित, असंदिग्ध माने गए	140.76		122.22	
– अरक्षित, संदिग्ध माने गए	6.58		23.59	
	147.34		145.81	
घटा : संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान	6.58	140.76	23.59	122.22
(ग) संबंधित पक्ष को ऋण एवं अग्रिम				
– अरक्षित, असंदिग्ध माने गए				
गेल ग्लोबल सिंगापुर (पीटीई) लिमिटेड (सिंगापुर में गठित 100 प्रतिशत अनुषंगी कंपनी)	52.89		56.38	
पेट्रोनेट एल एन जी	421.35	474.24	140.45	196.83
(घ) अन्य ऋण एवं अग्रिम				
(i) कार्मिक को ऋण एवं अग्रिम				
– रक्षित, असंदिग्ध माने गए	300.30		269.48	
– अरक्षित, असंदिग्ध माने गए	98.73		87.02	
(निदेशकों एवं अधिकारियों से देय 0.13 करोड़ रुपए (गत वर्ष 0.25 करोड़ रुपए) (वर्ष के दौरान किसी भी समय देय अधिकतम राशि:0.38 करोड़ रु.) (गत वर्ष 0.65 करोड़ रुपए)		399.03		356.50
(ii) एमएटी क्रेडिट हकदारी	357.07	357.07	-	-
(iii) लंबित मांग की तुलना में अग्रिम आयकर				
– अरक्षित, असंदिग्ध माने गए	1,256.08		1,298.13	
– अरक्षित, संदिग्ध माने गए	107.57		85.72	
	1,363.65		1,383.85	
घटा : लंबित मांग की तुलना में असंदिग्ध आयकर हेतु प्रावधान	107.57	1,256.08	85.72	1,298.13
(iv) अग्रिम कर/टीडीएस				
– आरक्षित, असंदिग्ध माने गए	2,935.65		3,497.20	
घटा : कराधान हेतु प्रावधान	2,628.08	307.57	3,271.86	225.34
(v) ऋण/अन्य को अग्रिम				
– अरक्षित, असंदिग्ध माने गए				
दक्षिण पूर्व एशिया गैस पाइपलाइन		234.64		195.17
(vi) अन्य				
क) प्राप्ति योग्य वैट क्रेडिट		265.09		66.31
ख) अन्य अग्रिम		0.03		0.03
– अरक्षित, असंदिग्ध माने गए				
जोड़		3,445.87		2,489.87

टिप्पणी 15 : अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
दीर्घावधि व्यापार प्राप्य योग्य				
– रक्षित, असंदिग्ध माने गए	2,409.95		718.41	
– अरक्षित, संदिग्ध माने गए	527.85	2,937.80	597.10	1,315.51
घटा : संदिग्ध अग्रिम हेतु प्रावधान		527.85		597.10
जोड़		2,409.95		718.41

टिप्पणी 16 : मालसूची

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
(क) प्रगत्यधीन स्टॉक		10.69		5.29
(ख) तैयार माल				
पॉलीमर / एलपीजी और अन्य उत्पाद		193.00		121.07
(ग) व्यापारगत स्टॉक				
गैस स्टॉक (कैलोरी मूल्य के समायोजन के पश्चात) 0.06 करोड़ रुपए (गत वर्ष 0.11 करोड़ रुपए) आरईसी सहित		1,138.47		1,447.97
(घ) भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे				
(प्रबंधन द्वारा लिए गए, मूल्यांकित किए गए तथा प्रमाणित)'				
भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे	640.71		574.76	
घटा : हानि / अप्रचलित हेतु प्रावधान	3.16		2.79	
		637.55		571.97
निर्माण अधिशेष : पूंजी भंडार	121.95		128.60	
घटा : हानि / अप्रचलित हेतु प्रावधान	20.61		20.14	
		101.34		108.46
*मार्गस्थ 33.73 करोड़ रुपए (गत वर्ष 34.25 करोड़ रुपए) सहित				
जोड़		2,081.05		2,254.76

टिप्पणी 17 : प्राप्ति योग्य व्यापार

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
(i) छः माह से अधिक अवधि के लिए बकाया प्राप्ति योग्य व्यापार				
– रक्षित, असंदिग्ध माने गए	845.74		14.87	
– अरक्षित, संदिग्ध माने गए	2.44	848.18	-	14.87
(ii) अन्य प्राप्ति योग्य				
– रक्षित, असंदिग्ध माने गए	2,248.78		2,797.12	
– अरक्षित, संदिग्ध माने गए	-	2,248.78	-	2,797.12
		3,096.96		2,811.99
घटा : असंदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान		2.44		-
जोड़		3,094.52		2,811.99

टिप्पणी 18 : नकद तथा उसके समतुल्य

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
(i) नकद और नकद समकक्ष				
(क) **बैंकों में शेष**				
(i) चालू खाता		4.26		22.25
(ii) निगमित नकद सावधि जमा (सी एल टी डी)		23.02		497.35
(iii)अल्पावधि जमा		200.92		1,002.02
(ख) **हस्तगत नकद**		0.30		0.34
(ग) **हस्तगत स्टाम्प**		0.02		0.07
(ii) चिह्नित खाता				
– चालू खाता – प्राप्ति योग्य लाभांश	2.62		2.45	
– अल्पावधि जमा – गैस पूल राशि (अर्जित ब्याज, लेकिन देय नहीं 34.27 करोड़ रुपए (गत वर्ष 28.99 करोड़ रुपए सहित) [संदर्भ टिप्पणी संख्या 37(ख)]	800.08		1,028.26	
– अल्पावधि जमा – असंतुलन तथा अधिक (अर्जित ब्याज, लेकिन देय नहीं 3.11 करोड़ रुपए (गत वर्ष 5.62 करोड़ रुपए सहित) [संदर्भ टिप्पणी संख्या 37(घ)]	79.92		70.18	
– अल्पावधि जमा – जेवी कंसोर्शियम अर्जित ब्याज, लेकिन देय नहीं 1.09 करोड़ रुपए (गत वर्ष 2.29 करोड़ रुपए सहित) [संदर्भ टिप्पणी संख्या 37(क)]	30.50		28.06	
		913.12		1,128.95
जोड़		1,141.64		2,650.98

टिप्पणी 19 : अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
(क) **संबंधित पक्ष को ऋण एवं अग्रिम**				
– अरक्षित, असंदिग्ध माने गए	157.99		137.63	
– अरक्षित, संदिग्ध माने गए	-	-	-	
[24.12 करोड़ रुपए (गत वर्ष 16.56 करोड़ रुपए)अर्जित ब्याज सहित]				
	157.99		137.63	
घटा : संदिग्ध अग्रिम हेतु प्रावधान	-	157.99	-	137.63
(ख) **अन्य**				
(i) प्रतिभूति जमा				
– अरक्षित, असंदिग्ध माने गए		324.89		311.48
(ii) कार्मिकों को ऋण एवं अग्रिम				
– रक्षित, असंदिग्ध माने गए	37.21		41.36	
– अरक्षित, संदिग्ध माने गए	10.86	48.07	8.60	49.96
[निदेशकों तथा अधिकारियों से देय राशि 0.15 करोड़ रुपए (गत वर्ष 0.22 करोड़ रुपए) सहित]				
(iii) पूर्वदत्त व्यय				
– अरक्षित, असंदिग्ध माने गए		48.75		46.94
(iv) सरकारी प्राधिकरणों में शेष				
– अरक्षित, असंदिग्ध माने गए				
प्राप्ति योग्य जमा सी ई एन वी ई टी	113.97		320.26	
प्राप्ति योग्य जमा वी ए टी	2,093.90		1,750.82	
प्राप्ति योग्य जमा सेवा कर	19.83	2,227.70	38.58	2,109.66

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
(v) आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अग्रिम				
– अरक्षित, असंदिग्ध माने गए	70.06		90.91	
– अरक्षित, संदिग्ध माने गए	0.99		0.67	
	71.05		91.58	
घटा : संदिग्ध अग्रिम हेतु प्रावधान	0.99	70.06	0.67	90.91
(vi) वसूली योग्य दावा				
– अरक्षित, असंदिग्ध माने गए	62.74		144.51	
– अरक्षित, संदिग्ध माने गए	1.13		2.28	
	63.87		146.79	
घटा : संदिग्ध दावों हेतु प्रावधान	1.13	62.74	2.28	144.51
(vii) नकद अथवा वस्तु के रूप में वसूली योग्य अन्य अग्रिम				
– अरक्षित, असंदिग्ध माने गए		536.30		317.06
(viii) अन्य को ऋण एवं अग्रिम				
– अरक्षित, असंदिग्ध माने गए				
– दक्षिण पूर्व एशिया पाइपलाइन		35.20		53.78
जोड़		3,511.70		3,261.93
क) निम्नलिखित संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम :				
गेल ग्लोबल सिंगापुर (पीटीई) लिमिटेड		1.00		0.24
भाग्यनगर गैस लिमिटेड		99.74		91.83
इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड		1.12		0.05
त्रिपुरा नेचुरल गैस लिमिटेड		0.04		0.08
ग्रीन गैस लिमिटेड		0.64		0.63
सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड		0.51		0.08
महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड		0.08		0.01
अवंतिका गैस लिमिटेड		0.61		0.86
महानगर गैस लिमिटेड		0.02		0.01
रत्नगिरि पावर एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड		46.37		40.15
ओपाल		0.11		0.04
गेल ग्लोबल यूएसए इंक		0.15		0.12
बी सी पी एल		2.03		1.65
गेल गैस लिमिटेड		5.57		1.88
जोड़		157.99		137.63

टिप्पणी 20 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं	11.07	18.23
हस्तगत स्वर्ण सिक्के	0.09	-
विदेशी करेंसी डेरीवेटिव संविदा पर प्रीमियम	755.26	111.98
जोड़	766.42	130.21

टिप्पणी 21 : प्रचालनों से राजस्व (सकल)

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष
क) उत्पादों की बिक्री		
गैस की बिक्री	45,336.14	45,616.70
पॉलीमर की बिक्री	5,167.15	5,095.02
एलपीजी की बिक्री	3,921.36	3,905.82
प्रोपेन/पेंटेन/एसबीपीएस/नाफ्था की बिक्री	1,277.87	1,754.62
क्रूड आयल की बिक्री	63.05	73.84
सीएनजी की बिक्री	27.61	79.02
पावर बिक्री	56.00	61.50
ख) सेवा बिक्री		
एलपीजी संचरण/आर एल एन जी शिपर्स प्रभार	1,439.83	1,422.57
ग) संचार से आय	2.96	2.97
	57,291.97	58,012.06
घटा : उत्पाद शुल्क	722.52	766.96
जोड़	56,569.45	57,245.10
अन्य प्रचालन आय	172.53	262.83
जोड़ (निवल)	56,741.98	57,507.93

क) अन्य प्रचालन आय में कंपनियों/विभागों में कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति के चलते वसूला गया वेतन व्यय 79.90 करोड़ रुपए (गत वर्ष 74.33 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

टिप्पणी 22 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	
निम्न पर ब्याज :				
– बांड (अल्पावधि व्यापार निवेश)	-		-	
– बैंकों में जमा	93.21		152.78	
– अन्य	234.37		143.44	
	327.58		296.22	
[स्रोत पर काटा गया कर : 17.29 करोड़ रुपए (गत वर्ष 17.19 करोड़ रुपए)]				
घटा : निर्माण अवधि के दौरान व्यय को अंतरित (संदर्भ नोट संख्या 31)	2.43	325.15	5.53	290.69
व्यापार निवेश से प्राप्त लाभांश		324.75		336.34
आरक्षित पूंजी से अंतरित		0.12		0.13
विदेशी मुद्रा में लेनदेन तथा परिवर्तन से निवल प्राप्ति		50.97		25.21
वापसी हेतु किए गए अधिक प्रावधान		126.87		195.71
विविध आय	33.45		51.26	
[स्रोत पर काटा गया कर: 1.21 करोड़ रुपए (गत वर्ष 0.40 करोड़ रु.)]				
जमा : निर्माण अवधि के दौरान व्यय में अंतरित (संदर्भ नोट संख्या 31)	0.45	33.00	0.82	50.44
जोड़		860.86		898.52

टिप्पणी 23 : व्यापारगत स्टॉक की खरीद

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष
प्राकृतिक गैस की खरीद	40,348.26	41,229.30
पॉलीमर की खरीद	0.07	5.12
जोड़	40,348.33	41,234.42

टिप्पणी 24 : तैयार माल की मालसूची, प्रगत्यधीन कार्य तथा व्यापारगत स्टॉक में (वृद्धि)/कमी

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष
वर्ष की समाप्ति पर मालसूची		
प्रगत्यधीन कार्य	10.69	5.29
तैयार माल	193.00	121.07
व्यापार गत स्टॉक	1,138.47	1,447.97
जोड़	1,342.16	1,574.33
वर्ष के आरंभ में मालसूची		
प्रगत्यधीन कार्य	5.29	5.20
तैयार माल	121.07	160.02
व्यापार गत स्टॉक	1,447.97	782.25
जोड़	1,574.33	947.47
(वृद्धि)/कमी	232.17	(626.86)

टिप्पणी 25 : कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी तथा भत्ता	675.92	657.51
भविष्य तथा अन्य निधियों में अंशदान	131.42	114.83
कर्मचारी कल्याण व्यय	147.36	132.68
जोड़	954.70	905.02
घटा : कार्मिक हितलाभ व्यय प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य में अंतरित (संदर्भ नोट संख्या 31)	48.30	57.29
जोड़	906.40	847.73

क) सेवानिवृत्ति हितलाभ अर्थात भविष्य निधि, छुट्टी नकदीकरण, चिकित्सा, दीर्घ सेवा पुरस्कार, परिसमापन हितलाभ, बीमारी –छुट्टी तथा उपदान के कारण कार्मिक हितलाभ व्यय में 112.75 करोड़ रुपए (गत वर्ष : 78.64 करोड़ रुपए) शामिल है।

टिप्पणी 26 : वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	
निम्न पर ब्याज :				
– सावधि ऋण	584.30		549.98	
– बांड	125.25		134.03	
– अन्य	7.37	716.92	2.11	686.12
अन्य उधार लागत		20.28		31.42
जोड़		737.20		717.54
घटा : प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य में अंतरित ब्याज तथा वित्त प्रभार (संदर्भ नोट संख्या 31)		375.90		351.35
जोड़		361.30		366.19

टिप्पणी 27 : मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	974.65	1,175.24
पूरी न की जाने वाली क्षति	6.09	5.62
	980.74	1,180.86
घटा : प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य में अंतरित मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय (संदर्भ नोट संख्या 31)	6.48	4.71
जोड़	974.26	1,176.15

क) लेखांकन मानक (एएस) 28 द्वारा यथा अपेक्षित 6.09 करोड़ रुपए (गत वर्ष 5.62 करोड़ रुपए) की परिसंपत्तियों की क्षति गेलटेल कैश जेनरेटिंग यूनिट के संबंध में हुई है। (संदर्भ नोट संख्या 54)

टिप्पणी 28 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	
गैस पूल व्यय		1,517.48		454.77
उपभुक्त भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे		306.64		345.56
पावर तथा ईंधन प्रभार				
पावर प्रभार	268.61		236.30	
ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैस	1,608.03		1,433.85	
		1,876.64		1,670.15
जल प्रभार		6.87		6.20
किराया		21.49		23.96
मरम्मत और अनुरक्षण				
संयंत्र और मशीनरी	395.26		288.86	
भवन	33.65		19.78	
अन्य	62.59	491.50	38.81	347.45
बीमा		23.38		20.12
दर एवं कर (गैस पर प्रवेश कर सहित)		224.59		157.36
विविध व्यय :				
– लाइसेंस शुल्क – दूरसंचार		1.88		2.01
– बैंडविड्थ खपत		0.69		0.03
– संचार व्यय		10.21		10.45
– मुद्रण एवं लेखन सामग्री		3.29		3.58
– यात्रा व्यय		98.00		94.06
– पुस्तकें तथा पत्रिकाएं		2.69		1.45
– विज्ञापन और प्रचार		44.90		36.20
– आतिथ्य व्यय		0.27		0.21
– भर्ती तथा प्रशिक्षण व्यय		15.33		15.54
– वाहन किराया तथा चलाने का व्यय		33.95		29.82
– सर्वेक्षण व्यय		20.41		69.01
– बट्टे खाते डाले कर शुष्क कूप व्यय		113.40		41.38
– ऑयल तथा गैस उत्पादन व्यय (प्रचालक)		66.52		58.19
– क्रूड ऑयल पर रॉयल्टी*		167.14		65.09
– परामर्शदायी प्रभार		55.25		53.35
– डाटा प्रोसेसिंग व्यय		2.50		6.35
– दान		-		0.01
– अनुसंधान तथा विकास व्यय		17.01		28.45
– बिक्री पर हानि/बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियां (निवल)		2.78		1.23
– बट्टे खाते डाली गई भंडार सामग्री/अप्राप्य ऋण/दावा/अग्रिम		0.75		0.02
– संदिग्ध ऋणों, अग्रिमों, दावों, जमा और अप्रयुक्त भंडार और पूंजीगत मदों के लिए प्रावधान		67.49		382.45
– संभाव्य अनिवार्यताओं/ आकस्मिकताओं के प्रावधान		49.83		180.45
– स्टॉक पर उत्पाद शुल्क (निवल)		3.19		(9.01)
– सहायक सुविधाओं पर व्यय		15.38		30.29
– विक्रय और वितरण व्यय		36.13		26.58
– बिक्री पर छूट		146.59		153.75
– बिक्री पर कमीशन		16.46		16.28
– सुरक्षा व्यय		98.74		83.78
– निगमित सामाजिक दायित्व व्यय		71.89		62.57
– अन्य व्यय		124.80		64.93

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	
लेखापरीक्षकों को भुगतान				
लेखापरीक्षा शुल्क	**0.37**		0.37	
कर लेखापरीक्षा शुल्क	**0.16**		0.07	
अन्य सेवाएं (प्रमाण पत्र, आदि जारी करने के लिए)	**0.31**		0.29	
यात्रा और फुटकर खर्च	**0.50**	**1.34**	0.32	1.05
निवेशों की बिक्री पर निवल हानि		**-**		**-**
अवधि पूर्व समायोजन (संदर्भ नोट 30)		**107.37**		**(6.55)**
जोड़		**5,864.77**		**4,528.57**
घटा : निर्माण के दौरान किए गए आकस्मिक व्यय को प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य में अंतरित (संदर्भ नोट संख्या 31)		**119.05**		20.55
जोड़		**5,745.72**		**4,508.02**

*पेट्रोलियम पर लाभ में सरकार के शेयर के रूप में 108.06 करोड़ रुपए (गत वर्ष 43.96 करोड़ रुपए) सहित

टिप्पणी 29 : अपवादित मदें

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष
सीएनजी की बिक्री पर लाभ	62.86	-
निवेश की बिक्री पर लाभ	-	344.95
जोड़	**62.86**	**344.95**

टिप्पणी 30 : अवधि पूर्व समायोजन

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	
गैस की खरीद		**(10.95)**		(1.28)
वेतन, मजदूरी और भत्ते		**0.05**		-
कल्याण व्यय		**106.00**		-
उपभुक्त भंडार और फालतू पुर्जे		**(0.53)**		-
किराया		**1.40**		0.61
दर एवं कर		**0.27**		0.15
मरम्मत और अनुरक्षण		**(3.70)**		0.20
बीमा		**(0.05)**		-
परामर्शदायी प्रभार		-		(0.29)
मूल्यह्रास (निवल)		**1.87**		3.90
ब्याज		**8.31**		1.03
अन्य व्यय		**3.45**		1.22
जोड़		**106.12**		**8.78**
घटा :				
– बिक्री	**(1.48)**		3.18	
– आई सी	**0.06**		-	
– ब्याज आय	**0.11**		0.16	
– विविध आय	**0.06**	**(1.25)**	11.99	15.33
जोड़ (निवल)		**107.37**		(6.55)

टिप्पणी 31 : निर्माण अवधि के दौरान व्यय

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	
कार्मिकों को पारिश्रमिक और लाभ				
वेतन, मजदूरी और भत्ते	39.81		42.11	
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	4.68		9.13	
कल्याण व्यय	3.81	48.30	6.05	57.29
पावर, ईंधन और जल प्रभार		103.69		1.11
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे		1.70		0.15
किराया		0.61		0.78
दर और कर		0.01		-
मरम्मत और अनुरक्षण – संयंत्र और मशीनरी		0.14		0.15
मरम्मत और अनुरक्षण – अन्य		10.67		0.48
बीमा		0.14		0.32
संचार व्यय		0.26		0.49
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		0.05		0.12
यात्रा व्यय		4.63		9.04
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		0.01		0.02
विज्ञापन तथा प्रचार		0.10		0.22
आतिथ्य व्यय		0.26		0.56
भर्ती तथा प्रशिक्षण व्यय		0.21		0.27
वाहन किराया तथा चलाने का व्यय		0.06		0.01
परामर्शदात्री प्रभार		0.75		1.24
डाटा प्रोसेसिंग व्यय		0.01		-
अन्य व्यय		(4.25)		5.59
मूल्यह्रास		6.48		4.71
ब्याज तथा वित्त प्रभार		375.90		351.35
		549.73		433.90
घटा : ब्याज आय	2.43		5.53	
– विविध आय	0.45		0.82	
– बिक्री	-	2.88	-	6.35
निवल व्यय		546.85		427.55
घटा : प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य में अंतरित				
क) कार्मिक हितलाभ व्यय	48.30		57.29	
ख) ब्याज तथा वित्त प्रभार	375.90		351.35	
ग) मूल्यह्रास	6.48		4.71	
घ) अन्य व्यय	119.05		20.55	
ङ) अन्य आय	(2.88)	546.85	(6.35)	427.55
तुलन पत्र में लाया गया शेष		NIL		NIL

32 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (जहां प्रावधान नहीं किया गया है)

I. आकस्मिक देयता

(क) कंपनी के विरूद्ध ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे : 8202.58 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष : 7596.61 करोड़ रुपए) जिसमें मुख्यतः निम्नलिखित शामिल है:

(i) परिसमाप्त हर्जानों/कीमत कटौती अनुसूची तथा प्राकृतिक गैस की कीमत में अंतर आदि के कारण व्यापार द्वारा और प्राकृतिक गैस संचरण प्रभारों आदि के लिए ग्राहकों द्वारा 1709.68 करोड रुपए (पिछले वर्ष 1649.56 करोड़ रुपए) के दावा के संबंध में कानूनी मामले।

(ii) निर्धारण वर्ष 2012–13 तक के लिए आयकर निर्धारण पूरा कर लिया गया है और विभाग द्वारा कुछ अस्वीकृतियों/परिवर्धनों के कारण प्रस्तुत की गई निर्धारण वर्ष 1996–97 से 2015–16 से संबंधित 1335.95 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष : निर्धारण वर्ष 1996–97 से 2010–11 से संबंधित 1337.15 करोड़ रुपए (प्रावधान का निवल) कंपनी की ओर से विवादित है क्योंकि यह सूचित किया गया है कि अपील प्राधिकरणों द्वारा मांग समाप्त की जा सकती है या उसमें समुचित कटौती की जा सकती है। कंपनी ने सभी निर्धारण वर्षों के संबंध में समुचित अपील प्राधिकारियों को अपील दायर की है। तथापि, विभाग द्वारा बल प्रयोग की कार्रवाई से बचने के लिए अपील प्राधिकारियों द्वारा निर्णय किए जाने तक पहले ही 1256.08 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष : 1298.13 करोड़ रुपए) की अदायगी की गई है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने भी कंपनी के पक्ष में सीआईटी (ए) द्वारा प्रदान की गई राहत के विरूद्ध आयकर अपील अधिकरण, दिल्ली के समक्ष 170.05 करोड़ रुपए (ब्याज सहित) (पिछले वर्ष : 100.32 करोड़ रुपए) की राशि के लिए अपीलें दायर की हैं।

(iii) उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, प्रवेश कर तथा सेवा कर आदि के लिए विवादग्रस्त कर मांग के संबंध में 4753.53 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष : 4238.36 करोड़ रुपए)।

(ख) (i) कंपनी ने सहायक कंपनियों की ओर से ऋण प्राप्त करने के लिए 1974.60 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1919.99 करोड़ रुपए) की निगमित गारंटी जारी की है। इन निगमित गारंटियों के तहत बकाया ऋण की राशि 1073.9 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1555.37 करोड़ रुपए) है।

(ii) संयुक्त उद्यमों के लेखापरीक्षित/गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर उनकी आकस्मिक देयताओं में हिस्सा 824.01 करोड़ रुपए (गत वर्ष 980. 49 करोड़ रुपए)।

II. प्रतिबद्धताएं :

(क) पूंजीगत लेखा में निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है : 2573.42 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2658.21 करोड़ रुपए)।

(ख) संयुक्त उद्यमों के लेखापरीक्षित/गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर पूंजीगत लेखा में निष्पादन किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि में कंपनी का हिस्सा : 588.62 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 842.47 करोड़ रुपए)।

(ग) अन्य प्रतिबद्धताएं :

(i) 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार संयुक्त उद्यम कंपनियों तथा संबद्ध कंपनियों में और आगे निवेश एवं ऋण संवितरण के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता 546.49 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 772.16 करोड़ रुपए)।

(ii) 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार सहायक कंपनियों में और आगे निवेश के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता 1316.75 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 140.93 करोड़ रुपए)।

(iii) 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार संयुक्त उद्यमों, संबद्ध कंपनियों तथा सहायक कंपनियों से भिन्न कंपनियों में और आगे निवेश के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता 134.15 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 147.58 करोड़ रुपए)।

(iv) संयुक्त नियंत्रित परिसंपत्तियों के संबंध में न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता टिप्पणी 53(ख)(v) में प्रकट की गई है।

33. गुजरात राज्य में हजीरा इकाई के लिए 3449.18 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 3449.18 करोड़ रुपए) और उस पर ब्याज 1513.04 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1513.04 करोड़ रुपए) की बिक्री कर मांग : बिक्री कर प्राधिकरण, अहमदाबाद ने कंपनी द्वारा अप्रैल, 1994 से मार्च, 2001 के दौरान गुजरात राज्य से अन्य राज्यों को प्राकृतिक गैस के अंतरण को केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अधीन अंतर्राज्यीय बिक्री माना है। विशेष रिट याचिका में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर अधिकरण ने शाखा अंतरण के रूप में अंतर्राज्यीय अंतरण मानते हुए कानून के अनुसार पुनर्निर्धारण के लिए अनुदेश दिए। राज्य बिक्री कर विभाग ने अधिकरण के पास गुजरात बिक्री कर अधिनियम, 1969 की धारा 72 के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया था जिसने इसे खारिज कर दिया था। उसके पश्चात, बिक्री कर विभाग ने अधिकरण के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और यह लंबित है। प्रबंधन की राय में इस देयता का निर्णय होने की बहुत कम संभावना है।

34. (क) 16.78 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 19.92 करोड़ रुपए) मूल्य की अर्जित पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और 78.75 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 79.50 करोड़ रुपए) मूल्य की अर्जित पट्टे वाली भूमि का अनंतिम आधार पर मूल्यांकन/पूंजीकरण किया गया है।

(ख) 10.67 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 14.21 करोड़ रुपए) मूल्य की पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और 25.52 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 25.55 करोड़ रुपए) मूल्य की पट्टे वाली भूमि के हक विलेखों का निष्पादन लंबित है।

(ग) एशियाड विलेज, नई दिल्ली में 1.67 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.17 करोड़ रुपए) मूल्य के दस आवासीय फ्लैटों के संबंध में हक विलेख अभी तक ओ एन जी सी एल के नाम पर हैं। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इन फ्लैटों को कंपनी के नाम पर अंतरित कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(घ) निपटान के लिए चिन्हित परंतु प्रयोग में लाई जा रही "भवन" संबंधी निवल परिसंपत्ति में 0.51 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.52 करोड़ रुपए) की राशि शामिल है।

(ङ) कंपनी के नाम में दर्ज 0.63 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.63 करोड़ रुपए) मूल्य की फ्रीहोल्ड भूमि और 0.80 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.80 करोड़ रुपए) की पट्टे वाली भूमि इससे संबंधित नहीं है, अतः पूंजीकृत नहीं किया गया।

(च) सरकार के माध्यम से फ्रीहोल्ड भूमि के अधिग्रहण के लिए कंपनी ने 0.09 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.09 करोड़ रुपए) जमा किए थे और इसका आबंटन लंबित है।

35. "अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें और लेखा नीति में परिवर्तनों" संबंधित लेखा मानक 5 के अनुसार प्रकटन।

(क) कंपनी ने 1 अप्रैल, 2014 से स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान करने के प्रयोजनों हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II पर आधारित स्थायी आस्तियों के उपयोगी जीवन को संशोधित किया है। तदनुसार, गैर–परिशोधित ले जाने के मूल्य को संशोधित/शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रासित/परिशोधित किया जा रहा है। स्थायी आस्तियों, जिनका 1 अप्रैल, 2014 को जीवन समाप्त हो गया है, के मूल्य को घटाकर लिखे जाने को अपशिष्ट मूल्य को घटाकर समायोजित किया गया है और लाभ तथा हानि खाते के विवरण के अथ शेष 87.54 करोड़ रुपए है। इस प्रकार, वर्ष के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय में 263.03 करोड़ रुपए की कमी हुई और वर्ष के लिए कर से पूर्व लाभ तदनुरूप राशि से बढ़ गया।

(ख) कंपनी ने 1 अप्रैल, 2014 से किराया खरीद स्कीम के तहत कर्मचारियों को प्रदान किए गए फर्नीचर, बिजली उपस्करों और मोबाइल फोन के उपयोगी जीवन को फर्नीचर और विद्युत उपकरणों के संबंध में मौजूदा 6.4 (15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से) वर्षों को 7 वर्ष और मोबाइल फोन के लिए 6.4 (15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से) वर्ष से 2 वर्ष तक संशोधित किया है। लेखाकरण नीति में परिवर्तन के फलस्वरूप, मूल्यह्रास/परिशोधन व्यय में 0.39 करोड़ रुपए की कमी हुई है, इस प्रकार वर्ष के लिए लाभ में 0.39 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।

(ग) कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधि के संबंध में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार कंपनी ने भुगतान आधार पर ऐसे व्यय को पहले दर्ज करने के विरूद्ध वर्ष के दौरान पूर्ण की गई गतिविधियों तक के लिए अपने संविदात्मक दायित्वों के संबंध में की गई देनदारी का प्रावधान किया है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने सीएसआर व्ययों के प्रति मिलने वाली रकम पर 21.00 करोड़ रुपए की देनदारी दर्ज की है जिसके लिए वर्ष के लिए लाभ उतनी राशि से कम हो गया है।

36. वित्त वर्ष 2014–15 के लिए सीएसआर व्यय के तहत प्रकटन निम्नानुसार हैं :

(i) कंपनी द्वारा खर्च किए जाने वाली सकल राशि 118.76 करोड़ रुपए है और राशि को निम्नानुसार खर्च किया गया :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	नकद	नकद में अभी अदा किया जाना है	कुल
(I)	निर्माण / किसी आस्ति का अधिग्रहण	0	0	0
(ii)	उपर्युक्त (i) को छोड़कर प्रयोजनों पर	23.61	17.75	41.36
	कुल	**23.61**	**17.75**	**41.36**

37. (क) पन्ना मुक्ता ताप्ती (पीएमटी) जेवी कंसोर्शियम की 30.50 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 28.06 करोड़ रुपए) के प्रतिधारित शेष में वर्ष के लिए अल्पावधि जमा राशियों पर 1.09 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.29 करोड़ रुपए) का ब्याज शामिल है। यह ब्याज की आय कंपनी की नहीं है अतः इसे आय के रूप में लेखाबद्ध नहीं किया गया है।

(ख) 816.81 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1035.71 करोड़ रुपए) गैस पूल धन के कारण देयता में अल्पावधिक जमा राशियों पर 34.27 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 28.99 करोड़ रुपए) की ब्याज की राशि शामिल है। यह ब्याज कंपनी का नही है अतः इसे आय के रूप में नहीं लिया गया है।

(ग) ''अन्य दीर्घकालिक देयताएं'' के अंतर्गत गैस पूल धन (अनंतिम) लेखे में दर्शायी गई राशि 1998.33 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 652.20 करोड़ रुपए) जब भी ग्राहकों से प्राप्त होंगे, उसका निवेश किया जाएगा।

(घ) 80.38 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 70.62 करोड़ रुपए) के पाइपलाइन ओवर रन तथा असंतुलित प्रभारों के कारण देयता में वर्ष में अल्पावधि 3.11 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 5.62 करोड़ रुपए) की ब्याज की राशि शामिल है। यह ब्याज कंपनी का नहीं है अतः इसे आय के रूप में नहीं लिया गया है।

38. कंपनी ने गैस के परिवहन के लिए काशीपुर क्षेत्र में तीन जहाजी माल भेजने वालों के साथ वर्ष 2010 में गैस परिवहन करार (जीटीए) किया था। जीटीए के अनुसार विभिन्न माल भेजने वालों के लिए क्षमता ट्रांश (सीटी) तारीख 1 जून, 2011, 15 दिसम्बर, 2011 और 25 दिसम्बर, 2011 के रूप में निश्चित की गई थी, जिसे संशोधित करके 1 जून, 2012 का दिया गया था। सीटी के पूरा होने की तारीख को जहाजी माल भेजने वालों को 21 अक्तूबर, 2014 को सूचित किया गया। 1 जून, 2012 से 21 अक्तूबर, 2014 की अवधि के लिए 562.61 करोड़ रुपए की राशि का बीजक प्राप्त की गई कानूनी राय और लेखाकरण मानकों के अनुपालन में इसकी प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण नहीं बनाया गया था। गेल ने 21 अक्तूबर 2014 (ग्राहकों को सीटी की सूचना की तारीख) से जहाज या भुगतान प्रभारों के लिए बीजक बनाना शुरू कर दिया। तदनुसार, 22 अक्तूबर, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि के लिए 103.56 करोड़ रुपए जिसमें 11.42 करोड़ रुपए का सेवा कर शामिल है की राशि का बीजक बनाया गया था जिसके विरूद्ध कंपनी के पास 69.99 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी और प्रतिभूति जमा है। ग्राहकों ने, अन्य बातों के साथ–साथ, बीजकों का विवाद किया और मामले को पीएनजीआरबी के पास उठाया जिसने बदले में कंपनी को यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। पीएनजीआरबी द्वारा मामले के अंतिम निपटान लंबित होने से 33.87 करोड़ रुपए के तदनुरूपी प्रावधान के साथ विविध देनदारों में 103. 86 करोड़ रुपए की राशि शामिल की गई है अर्थात बैंक गारंटी और प्रतिभूति जमा के अतिरिक्त राशि।

39. ''विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों का प्रभाव'' से संबंधित लेखा मानक 11 के अनुसार प्रकटन

(i) लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत विनिमय अंतर (निवल) की राशि 50.97 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 25.21 करोड़ रुपए)।

(ii) स्थायी परिसंपत्तियों की रखरखाव राशि में डेबिट की गई विनिमय अंतर की राशि 198.60 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 502.49 करोड़ रुपए) है।

40. कंपनी का 974.31 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश के साथ रत्नागिरि गैस और पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) में एनटीपीसी, एमएसईबी और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त उद्यम करार है और 31 मार्च, 2015 को कंपनी का इक्विटी हिस्सा (वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान वित्तीय संस्थाओं को आंशिक ऋणों / देयताओं के रूपांतरण के पश्चात) 28.91 प्रतिशत है। नवीनतम उपलब्ध लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार आरजीपीपीए के खातों में हानि है जिसका कारण विद्युत ब्लाक का गैर–प्रचालन और देशी गैस की अनुपलब्धता है, जो आरजीपीपीएल को जारी कंपनी के रूप में क्षमता पर अनिश्चितता और संदेह के अस्तित्व को निर्दिष्ट करता है। तथापि, कंपनी के प्रबंधन की राय है कि कंपनी के निवेशों का रणनीतिक स्वरूप होने और भविष्य की योजनाओं में बदलाव होने से 31 मार्च, 2015 को इसके निवेश के मूल्य में कोई स्थायी कमी नहीं हुई है जिसके लिए इस अवस्था में कोई प्रावधान अपेक्षित हो।

41. **संशोधित लेखा मानक 15 के अधीन अपेक्षित प्रकटन का उल्लेख नीचे किया गया है :**

(i) अधिवर्षिता हित लाभ निधि (निश्चित अंशदान निधि)

कंपनी ने अधिवर्षिता हित लाभ निधि न्यास में 59.22 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष : 52.07 करोड़ रुपए) की राशि का भुगतान किया है और उसे लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया है।

(ii) भविष्य निधि

कंपनी ने पात्र कर्मचारी के वेतन के पूर्वनिर्धारित नियत प्रतिशत पर भविष्य निधि न्यास में 48.58 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 43.83 करोड़ रुपए) के अंशदान का भुगतान किया है और उसे लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया है। इसके अतिरिक्त भावी अवधि में ब्याज की सांविधिक दर पर आधारित निधि परिसंपत्तियों में कमी, यदि कोई हो, को पूरा करना कंपनी का दायित्व है। वर्ष के दौरान कंपनी ने बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार 2.31 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 24.72 करोड़ रुपए का प्रावधान) का प्रावधान किया है और 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी द्वारा भविष्य में कोई कमी पूरी करने के लिए भविष्य निधि न्यास में प्रतिपूर्ति किए जाने वाला शेष प्रावधान शून्य (पिछले वर्ष 2.31 करोड़ रुपए)।

(iii) अन्य हितलाभ योजनाएं

(क) उपदान

सेवा के प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। निहित अवधि 5 वर्ष है और अदायगी 10 लाख रुपए तक प्रतिबंधित है।

(ख) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (पी आर एम एस)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना है जिसके अंतर्गत पात्र पूर्व कर्मचारियों को एक बार निर्धारित अंशदान का भुगतान करने पर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। इसके लिए देयताओं की गणना बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने 01.01.2007 के देनदारी में घाटे के प्रति प्रावधान किया है, जिनका 31 मार्च, 2015 को 114.48 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जैसाकि लाभ तथा हानि के विवरण में बीमा द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें से 106 करोड़ रुपए पूर्व अवधि के व्यय के रूप में खाते में लिए गए है।

(ग) अर्जित अवकाश हितलाभ (ईएल)

प्रतिवर्ष 30 दिन का उपचित अवकाश। सेवा के दौरान शेष अर्जित अवकाश के 75 प्रतिशत का नकदीकरण, एक बार में अधिकतम 90 दिनों के अधीन प्रति कैलेंडर वर्ष में दो बार किया जा सकता है। सेवा निवृत्ति या अधिवर्षिता पर अधिकतम 300 दिन का नकदीकरण।

(घ) सेवांत हितलाभ (टीबी)

अधिवर्षिता के समय कर्मचारी अपने चुनिंदा स्थान पर बसने के लिए हकदार हैं और वे स्थानांतरण यात्रा भत्ता के लिए पात्र हैं।

(ङ) अर्द्धवेतन अवकाश (एचपीएल)

प्रतिवर्ष 20 दिन का उपचित अवकाश। सेवा के दौरान नकदीकरण नहीं, सेवानिवृत्ति पर पूरा नकदीकरण।

(च) दीर्घ सेवा के लिए पुरस्कार (एलएसए)

कंपनी के पास सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरा करने पर और सेवानिवृत्ति के समय पर भी कर्मचारियों को पूरी की गई सेवा की अवधि के आधार पर विभिन्न वजन के सोने के सिक्के पुरस्कार में दिए जाते हैं।

निम्नलिखित तालिका में लाभ और हानि विवरण में स्वीकृत निवल लाभ संबंधी व्यय के घटकों का संक्षिप्त विवरण बीमांकिक मूल्यांकन आधार दिया गया है :

	उपदान निधिबद्ध		पीआरएमएस गैर निधिबद्ध		ईएल गैर निधिबद्ध		टीबी गैर निधिबद्ध		एचपीएल गैर निधिबद्ध		एलएसए गैर निधिबद्ध	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
क. लाभ और हानि लेखा विवरण में मान्य व्यय												
वर्तमान सेवा लागत	33.57	29.35	14.84	3.11	28.71	29.63	0.72	0.52	11.59	10.12	1.02	0.87
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हितलाभ संबंधी दायित्व पर ब्याज	10.14	10.32	5.83	4.62	16.84	16.26	0.62	0.52	9.85	8.32	0.95	0.89
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	(11.33)	(10.94)	-	-	-	-		-	-	-	-	-
वर्ष में स्वीकृत निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	(29.42)	(27.75)	105.19	12.67	14.05	4.11	0.84	0.98	2.52	8.11	4.54	1.63
वित्त वर्ष 2014–15 के लिए लाभ एवं हानि लेखा में मान्य व्यय	02.95	0.98	125.86	20.40	59.61	50.00	2.18	2.02	23.96	26.55	6.51	3.39
ख. उचित मूल्य योजना परिसंपत्तियों और निश्चित हितलाभ संबंधी दायित्व के वर्तमान मूल्य का मिलान												
31.03.2015 की स्थिति के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य	140.21	128.37	197.80	73.76	250.11	230.52	9.89	7.90	146.19	123.96	17.13	13.13
31.03.2015 की स्थिति के अनुसार को योजना संपत्ति का उचित मूल्य	134.82	125.93	-	-	-	-	-	-		-	-	-
अंतर	(5.38)	(2.43)	(197.80)	(73.76)	(250.11)	(230.52)	(9.89)	(7.90)	(146.19)	(123.96)	(17.13)	(13.13)
तुलनपत्र में मान्य निवल परिसंपत्ति / (देयता)	(5.38)	(2.43)	(197.80)	(73.76)	(250.11)	(230.52)	(9.89)	(7.90)	(146.19)	(123.96)	(17.13)	(13.13)
ग. निश्चित हितलाभ संबंधी दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन का मिलान :												
01.04.2014 की स्थिति के अनुसार वर्तमान दायित्व	128.36	123.05	73.76	55.21	230.52	202.18	7.90	6.28	123.96	98.53	13.13	11.21
ब्याज की लागत	10.14	10.32	5.83	4.62	16.84	16.26	0.62	0.52	9.85	8.32	0.95	0.89
वर्तमान सेवा लागत	33.57	29.35	14.84	3.11	28.71	29.63	0.72	0.52	11.59	10.12	1.02	0.87
पिछली सेवा लागत		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(3.24)	(3.15)	(1.82)	(1.85)	(40.01)	(21.66)	(0.19)	(0.40)	(1.73)	(1.12)	(2.50)	(1.47)
दायित्व पर निवल बीमांकिक लाभ / (हानि)	(28.63)	(31.21)	(105.19)	12.67	14.05	4.11	0.84	0.98	2.52	8.11	4.54	1.63
31.03.2015 की स्थिति के अनुसार निश्चित हितलाभ संबंधी दायित्व का वर्तमान मूल्य	140.21	128.36	197.80	73.76	250.11	230.52	9.89	7.90	146.19	123.96	17.13	13.13
घ. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्यों में परिवर्तन का मिलान												
01.04.2014 की स्थिति के अनुसार योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	125.93	121.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योजना परिसंपत्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल	11.33	10.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
नियोक्ता द्वारा अंशदान		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(3.24)	(3.15)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	0.78	(3.46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2015 की स्थिति के अनुसार योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	134.82	125.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ तुलनपत्र की तारीख को मूल बीमांक परिकल्पना												
छूट दर	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%	8.00%	8.50%
योजना परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	9.00%	9.00%	-	-	-	-		-	-	-	-	-
लागत में वार्षिक वृद्धि		-	10%	10%	-	-	10%	10%	-	-	10%	10%
वेतन में वार्षिक वृद्धि	12%	12%	-	-	12%	12%		-	12%	12%	-	-

च. अन्य प्रकटीकरण

(i) तुलनपत्र में दिखाई गई निवल परिसंपत्तियां/(देयता) (अनुभव समायोजन प्रभाव सहित)

(₹ करोड़ में)

ग्रेच्युटी	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2011
31.03.2015 को परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	140.21	128.3	123.05	110.47	102.50
31.03.2015 को संयंत्र परिसंपत्तियों का सही मूल्य	134.82	125.93	121.60	109.95	103.89
स्थिति (अधिशेष/(घटना))	(5.38)	(2.43)	(1.43)	(0.52)	1.38
संयंत्र परिसंपत्तियों का अनुभव समायोजन (लाभ/(हानि))	2.05	(3.35)	5.62	0.24	2.03
दायित्व का अनुभव समायोजन (लाभ/(हानि))	(32.31)	31.18	20.12	19.20	20.64

पीआरएमएस	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2011
31.03.2015 को परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	197.80	73.76	55.21	47.50	38.60
दायित्व का अनुभव समायोजन (लाभ/(हानि))	87.17	(16.12)	(2.31)	(6.64)	(6.06)

अर्जित अवकाश	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2011
31.03.2015 को परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	250.11	230.52	202.18	197.62	158.82
दायित्व का अनुभव समायोजन (लाभ/(हानि))	(0.65)	(5.93)	(10.42)	(15.55)	(43.47)

सेवांत लाभ	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2011
31.03.2015 को परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	9.89	7.90	6.28	5.46	3.45
दायित्व का अनुभव समायोजन (लाभ/(हानि))	(0.30)	(0.94)	(0.05)	(1.75)	(0.26)

एचपीएल	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2011
31.03.2015 को परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	146.19	123.96	98.53	95.37	86.51
दायित्व का अनुभव समायोजन (लाभ/(हानि))	(5.59)	(9.06)	10.74	15.53	(37.59)

दीर्घ सेवा पुरस्कार	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2011
31.03.2015 को परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	17.13	13.13	11.21	10.12	8.30
दायित्व का अनुभव समायोजन (लाभ/(हानि))	(3.93)	(1.31)	(1.13)	(2.39)	(0.56)

(ii) पीआरएमएस की चिकित्सा लागत में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि/कमी/का प्रभाव

विवरण	वृद्धि	कमी
वर्तमान सेवा लागत	11.22	11.00
दायित्व का वर्तमान मूल्य	99.04	97.10

(iii) ग्रेच्युटी न्यास की योजना परिसंपत्तियों के निवेश पैटर्न का विवरण

विवरण	(निवेश का प्रतिशत)	
	31.03.2015	31.03.2014
केंद्र सरकार प्रतिभूतियां	12.79	13.64
राज्य सरकार प्रतिभूतियां	6.06	6.45
पीएसयू बांड	9.48	11.07
निजी बांड	0.37	0.39
बीमा निवेश	71.30	68.44
कुल	**100.00**	**100.00**

निर्देशित मृत्यु दर तालिका	आयु	आईएएलएम 2006–2008	आईएएलएम (2006–2008) पूर्णतः आशोधित
		आहरण दर प्रतिशत (2014–15)	आहरण दर प्रतिशत (2013–14)
आहरण	30 वर्ष तक	3%	3%
दर/कर्मचारी	44 वर्ष तक	2%	2%
परिवर्तन दर	44 वर्ष से ऊपर	1%	1%

टिप्पणी : (i) बीमांकिक मूल्यांकन में भावी वेतन में वृद्धियों, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों के अनुमान हिसाब में लिए जाते हैं।

(ii) बीमांकिक द्वारा किए गए कुल बीमांकिक मूल्यांकन पर प्रबंधन ने विश्वास जताया है।

42. उधार की लागतों संबंधी लेखा मानक (एएस) 16 के अनुसार प्रकटन वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार संबंधी लागत 378.19 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष : 351.35 करोड़ रुपए)।

43. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर कम वसूलियों की भागीदारी योजना जारी की थी। वर्ष के दौरान कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष : 1900 करोड़ रुपए) की छूट प्रदान की है। सीएसटी के कारण 9.42 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष : 12.85 करोड़ रुपए) का तदनुरूप समायोजन किया गया है।

44 (क) कंपनी आरएलएनजी की बिक्री के लिए अनंतिम बीजक प्रस्तुत कर रही है क्योंकि आपूर्तिकर्ता मैसर्स पेट्रोनेट एलएनजी (पीएलएल) भी कंपनी को समान रूप से अनंतिम बीजक प्रस्तुत कर रही है क्योंकि पीएलएल द्वारा एलएनजी के आयात पर सीमा शुल्क का अनंतिम आधार पर निर्धारण किया गया है।

(ख) 1 अप्रैल, 2002 से द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस की कीमतों को विनियंत्रित कर दिया गया है और अब कीमतें तेल कंपनियों द्वारा निर्धारित की गई आयात सममूल्यों पर आधारित है। तथापि मूल्य निर्धारण प्रक्रिया अनंतिम है और उसे अंतिम रूप दिया जाना है। ऐसे परिवर्तन के कारण से उत्पन्न अतिरिक्त परिसंपत्ति/देयता या लाभ पर प्रभाव, यदि कोई हो, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने पर स्वीकृत किया जाएगा।

45. (i) प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ पीएनजीआरबी द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न विनियमों के अध्यधीन हैं। पाइपलाइन टैरिफ निर्धारण में उपभोक्ताओं और जनता को निष्पक्ष अवसर दिए जाने के लिए पीएनजीआरबी नोटिस के द्वारा पब्लिक कंसल्टेशन डाक्यूमेंट जारी करता है और स्टैकहोल्डरों की राय मांगता है। जब भी पाइपलाइन टैरिफ में इन विनियमों के अनुसार परिशोधन किया जाता है लाभ पर प्रभाव, यदि कोई हो, को स्वीकृत किया जाता है।

(ii) वर्ष के दौरान, पीएनजीआरबी ने निम्नलिखित ''अनंतिम'' प्रारंभिक यूनिट प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ आदेश अधिसूचित किए हैं, टैरिफ को कम कर संशोधित किया है। तदनुसार, कंपनी ने नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 449.31 करोड़ रुपए को अमान्य किया है :

क्र. सं.	आदेश संख्या और तारीख	पाइपलाइन का नाम	प्रभाव (करोड़ रु.)	निम्न से प्रभावी
1	टीओ/01/2014 दिनांक 30.5.2014	दाभोल – बंगलौर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (डीबीपीएल)	50.48	18 फरवरी, 2013
2	टीओ/02/2014 दिनांक30.05.2014	कोच्चि – कूट्टनाड –बंगलौर – मंगलौर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (केकेबीएमपीएल)	16.97	31 जुलाई, 2013
3	टीओ/05/2014 दिनांक 11.07.2014	छांयसा झज्जर हिसार, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (सीजेएचपीएल)	29.27	1 अप्रैल, 2010
4	टीओ/06/2014 दिनांक 11.07.2014	नारीमननाम और कुथालम उप–नेटवर्क (एनआरएम) और रामनाड उप–नेटवर्क (आरएमडी)	153.10	20 नवम्बर, 2008
5	टीओ/07/2014 दिनांक 22.10.2014	डुकली– महाराजगंज प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क	0.97	20 नवम्बर, 2008
6	टीओ/08/2014 दिनांक 29.10.2014	गुजरात प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क	198.52	20 नवम्बर, 2008
	कुल		**449.31**	

(iii) वर्ष के दौरान पीएनजीआरबी ने आदेश संख्या टीओ/02/2015, दिनांक 3 मार्च, 2015 द्वारा जामनगर लोनी पाइपलाइन (जेएलपीएल) के लिए 20 दिसम्बर, 2014 से प्रभावी संशोधित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ अधिसूचित किए हैं। इस आदेश के अनुपालन में कंपनी ने 10.71 करोड़ रुपए की राशि द्वारा राजस्व को मान्य किया है।

(iv) पीएनजीआरबी ने नियोजित पूंजी, मुद्रास्फीति की दर, बेहिस्राावि गैस की हानि, प्रचालन व्यय, परिमाण उत्तरदानकर्ता, भविष्य में पूंजी व्यय, कार्य के दिवसों आदि के कारण विभिन्न नियमनों के पश्चात अनंतिम टैरिफ आदेश जारी किए हैं। गेल ने निम्नलिखित टैरिफ आदेशों के संबंध में उक्त नियमनों के विरूद्ध एपीटीईएल के समक्ष अपीलें दायर की हैं, जो लंबित हैं और राहत, यदि कोई हो, को निर्णय के वर्ष के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

(क) के जी बेसिन
(ख) दाभोल –बंगलौर
(ग) कोच्चि – मंगलौर – बंगलौर
(घ) दादरी – बवाना – नंगल
(ङ) छांयसा – झज्जर–हिसार
(च) कावेरी बेसिन
(छ) डुकली – महाराजगंज
(ज) गुजरात नेटवर्क

46. ओएनजीसी ने पीएनजीआरबी द्वारा जारी अनंतिम टैरिफ आदेश के आधार पर अपनी उरान ट्राम्बे पाइपलाइन के लिए विभेदी परिवहन प्रभारों (प्रति 1000 एससीएम के लिए 12 रुपए और 226 रुपए के बीच अंतर) के 20 नवम्बर, 2008 से 31 मार्च, 2014 की अवधि के लिए 160.95 करोड़ रुपए के लिए दिनांक 31 मार्च, 2014 के डेबिट नोट जुटाए हैं। कंपनी ने इसके बदले में 195.80 करोड़ रुपए की राशि के दुतरफा आधार पर अपने ग्राहकों के लिए डेबिट नोट जुटाए हैं जिसमें से 31 मार्च, 2015 को 41.83 करोड़ रुपए प्राप्त कर लिए गए हैं। इन डेबिट नोट का साख पत्र के नकदीकरण के विरूद्ध कानूनी नोटिस सहित न्यायालय/पीएनजीआरबी में प्रमुख ग्राहकों द्वारा विरोध किया गया है। अंतिम निर्णय के लंबित होने तक 31 मार्च, 2015 को विविध देनदारों में 153.97 करोड़ रुपए की राशि देय है। उपर्युक्त को देखते हुए और वसूली के लिए शुरू की गई कार्रवाई योजना के अनुसार प्रबंधन की यह राय है कि इस अवस्था में कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है।

47. एमओपीएनजी की सलाह पर गेल पर वेट सहित 256.34 करोड़ रुपए की राशि के लिए फरवरी, 2012 से नवम्बर, 2013 की अवधि के लिए कतिपय गैस आपूर्ति के लिए गैर–एपीएम मूल्य के विभेद के लिए दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 को ओएनजीसी ने डेबिट नोट जुटाए, जिसने इसके बदले में 236.41 करोड़ रुपए ने तदनुरूपी डेबिट नोट जुटाए (31 मार्च, 2015 तक 2.90 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए) और 31 मार्च, 2014 को आबंटी ग्राहकों को 32.90 करोड़ रुपए निवल (वैट सहित) (पहले से वसूल की गई राशि और गैस पूल खाते में क्रेडिट की गई)। इन ग्राहकों ने गैस मूल्य में भूतलक्षी परिवर्तन के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए दावों का विवाद किया है। प्राप्त की गई कानूनी राय के अनुसार आबंटी ग्राहक अदा करने के उत्तरदायी नहीं हैं, और यह भी प्रेक्षित किया गया कि ओएनजीसीएल द्वारा उठाए गए डेबिट नोट/बीजक कल्पना मानने पर आधारित हैं और वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाते हैं, और इसके रिकार्ड में डेबिट नोट/बीजक के लिए कानूनी रूप से औचित्य पूर्ण आधार का सृजन नहीं करते। कंपनी ने मामले को एमओपीएनजी को संदर्भित किया है, जहां निर्णय अभी लंबित है। उपर्युक्त को देखते हुए विविध देनदारों में 233.51 करोड़ रुपए (विपणन मार्जिन सहित) की राशि शामिल की गई है और ओएनजीसी को 222.83 करोड़ रुपए की राशि देय हैं। उपर्युक्त को देखते हुए प्रबंधन की यह राय है कि इस अवस्था में कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है।

48. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने दिनांक 19.02.2014 को एफीलिएट कोड आफ कंडक्ट में अंतर्वेशन अधिसूचित किया है कि यदि कोई संस्था प्राकृतिक गैस की मार्केटिंग और परिवहन दोनों में शामिल है तो उसे दिनांक 31.03.2017 तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए अलग विधिक संस्था गठित करनी होगी और पहले प्रयोग का अधिकार तथापि, ऐसी संबद्ध संस्था के पास बना रहेगा। कंपनी ने पीएनजीआरबी की अधिसूचना के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील की है।

49. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी लेखाकरण मानक नियम, 2006 के तहत यथा अधिसूचित ''खंड रिपोर्टिंग'' पर एएस 17 के

अनुपालन में कंपनी ने निम्नलिखित व्यवसाय खंडों को रिपोर्ट योग्य खंडों के रूप में अपनाया है :

(i) संचरण सेवाएं
  (क) प्राकृतिक गैस
  (ख) एलपीजी

(ii) प्राकृतिक गैस व्यापार

(iii) पेट्रोकेमिकल

(iv) एलपीजी तथा अन्य तरल हाइड्रोकार्बन

(v) अन्य खंड (इसमें गेल, टीईएल, ई एंड पी, शहर गैस तथा पावर जनन खंड शामिल हैं)

इसमें कोई भौगोलिक खंड नहीं है।

खंडवार सूचना का प्रकटन **संलग्नक–क** के अनुसार दिया गया है।

50. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनियों के लेखा मानक नियम, 2006 के अधीन यथा अधिसूचित ''संबंधित पार्टी प्रकटन'' संबंधी लेखा मानक एएस 18 के अनुपालन में इसके साथ दर्ज किए गए संबंधित पार्टियों के नाम, संबंध का स्वरूप और लेनदेनों का ब्यौरा **संलग्नक–ख** में दिया गया है।

51. ''प्रति शेयर आय'' संबंधी लेखा मानक 20 के अनुपालन में प्रति शेयर आय धनराशि का परिकलन (मूल तथा तनुकृत) निम्नलिखित प्रकार हैं :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात निवल लाभ (करोड़ रुपए में)	3,039.17	4375.27
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1,26,84,77,400	1,26,84,77,400
प्रति शेयर उपार्जन (मूल तथा तनुकृत)	23.96	34.49
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (रुपए)	10.00	10.00

52.(i) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनियों के लेखा मानक नियम, 2006 के अधीन यथा अधिसूचित ''आय पर करों के लेखाकरण'' संबंधी लेखा मानक 22 के अनुपालन में कंपनी ने 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार समय निर्धारण अंतर के संबंध में 3308.65 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2566.37 करोड़ रुपए) की संचित निवल आस्थगित कर देयता की व्यवस्था की है। वर्ष के लिए 787.35 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 266.31 करोड़ रुपए) का निवल आस्थगित कर व्यय लाभ और हानि लेखा विवरण में प्रभारित किया गया है। आस्थगित कर देयता तथा परिसंपत्तियों का मदवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(₹ करोड में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार
	आस्थगित कर देयता :		
क)	मूल्यह्रास	6,475.08	5,895.86
ख)	अन्य	3.48	3.20
	कुल आस्थगित कर देयता (क)	**6,478.56**	**5,899.06**
	आस्थगित कर संबंधी परिसंपत्तियां:		
ग)	उपदान से भिन्न सेवानिवृत्त हितलाभों के लिए प्रावधान	205.55	144.25
घ)	संदिग्ध ऋणों/दावों/अग्रिमों/आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान	398.08	395.28
ङ)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35कघ के अधीन हितलाभ	2,239.51	2,649.69
च)	**अन्य (जिसमें वेतन संशोधन) के लिए देयता शामिल है**	281.70	143.47
	कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां(ख)	3,124.84	3,332.69
छ)	**आस्थगित कर देयता (निवल)(क–ख)**	**3,353.72**	**2,566.37**
ज)	**अर्जन को बनाए रखने के लिए अंतरित को घटाएं**	**45.07**	**0**
झ)	**आस्थगित कर दायित्व (छ ज)**	**3,308.65**	**2,566.37**

(ii) वर्ष के दौरान कंपनी ने 479.84 करोड़ रुपए के नियमित कर के विरूद्ध आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जे बी के प्रावधान के अनुसार न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के अनुसार 836.91 करोड़ रुपए के चालू कर के लिए प्रावधान किया है। कंपनी ने 357.07 करोड़ रुपए के एमएटी क्रेडिट की हकदारी की पहचान अगले 10 वर्षों के भीतर भविष्य की कर देनदारी के विरूद्ध समायोजन के लिए आस्ति के रूप में की है।

53. कंपनियों के लेखा मानक नियम, 2006 के अधीन यथा अधिसूचित ''संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करना'' संबंधी लेखा मानक 27 के अनुपालन में कंपनी के संयुक्त उद्यमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

(क) **संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां**

(i) महानगर गैस लिमिटेड : मुंबई में घरेलू वाणिज्यिक और लघु औद्योगिक उपभोक्ताओं को गैस और परिवहन क्षेत्र के लिए सीएनजी की आपूर्ति करने के लिए ब्रिटिश गैस पीएलसी तथा महाराष्ट्र सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम। प्रदत्त पूंजी में कंपनी की 35% (गत वर्ष 35%) प्रदत्त इक्विटी सहभागिता है और संयुक्त उद्यम कंपनी में प्रत्येक 10 रुपए के 4,44,50,000 इक्विटी शेयर अर्जित करने के लिए 44.45 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष : 44.45 करोड़ रुपए) का निवेश किया गया है।

(ii) इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड : दिल्ली में घरेलू वाणिज्यिक इकाइयों को गैस और परिवहन क्षेत्र के लिए सीएनजी की आपूर्ति करने के लिए बीपीसीएल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार के साथ एक संयुक्त उद्यम। प्रदत्त पूंजी में कंपनी की 22.5% (गत वर्ष 22.5%) की इक्विटी सहभागिता है और संयुक्त उद्यम कंपनी में प्रत्येक 10 रुपए के 3,15,00,000 इक्विटी शेयर अर्जित करने के लिए 31.15 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष : 31.50 करोड़ रुपए) का निवेश किया गया है।

(iii) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड : एलएनजी आयात सुविधाएं स्थापित करने के लिए बीपीसीएल, आईओसीएल और ओएनजीसीएल के साथ संयुक्त उद्यम। प्रदत्त पूंजी में कंपनी की 12.5% (गत वर्ष 12.5%) की इक्विटी सहभागिता है और संयुक्त उद्यम कंपनी में प्रत्येक 10 रुपए के 9,37,50,000 इक्विटी शेयर अर्जित करने के लिए 98.75 करोड़ रुपए (प्रति शेयर :5/– के प्रीमियम पर अबंटित 1,00,00,000 इक्विटी शेयर सहित) (पिछले वर्ष : 98.75 करोड़ रुपए) का निवेश किया गया है। कंपनी ने दहेज में दीर्घकालीन आधार पर 2.5 एमएमटीपीए की बुकिंग के लिए अग्रिम के रूप में सेवा कर सहित 421.35 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 140.45 करोड़ रुपए) भी अदा किए हैं।

(iv) भाग्यनगर गैस लिमिटेड : आंध्र प्रदेश में सीएनजी, ऑटो एलपीजी, प्राकृतिक गैस और अन्य गैसीय ईंधन के वितरण तथा विपणन के लिए एचपीसीएल के साथ एक संयुक्त उद्यम। प्रदत्त पूंजी में कंपनी की 22.50 प्रतिशत इक्विटी (पिछले वर्ष 22.50 प्रतिशत) सहभागिता है और संयुक्त उद्यम कंपनी में प्रत्येक 10 रुपए के 12,500 इक्विटी शेयर अर्जित करने के लिए 0.01 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.01 करोड़ रुपए) का निवेश किया गया। कंपनी से संयुक्त उद्यम कंपनी में इक्विटी शेयरों के लंबित आबंटन के लिए अग्रिम के रूप में 22.49 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 22.49 करोड़ रुपए) का भी भुगतान किया है।

(v) त्रिपुरा प्राकृतिक गैस कंपनी लिमिटेड : त्रिपुरा में पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन और वितरण के लिए असम गैस कंपनी लिमिटेड और त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम के साथ संयुक्त उद्यम। प्रदत्त पूंजी में कंपनी की 29% (गत वर्ष 29%) की इक्विटी सहभागिता है और संयुक्त उद्यम कंपनी में प्रत्येक 100 रुपए के 1,92,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 1,92,000 करोड़ इक्विटी शेयर) अर्जित करने के लिए 1.92 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1.92 करोड़ रुपए) का निवेश किया गया है।

(vi) सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड : कानपुर, उत्तर प्रदेश में घरेलू वाणिज्यिक और लघु औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा परिवहन क्षेत्र के लिए सीएनजी की आपूर्ति करने के लिए बीपीसीएल के साथ एक संयुक्त उद्यम। प्रदत्त पूंजी में कंपनी की 25% (गत वर्ष 25%) सहभागिता है और प्रत्येक 10 रुपए को 1,50,000 इक्विटी शेयर अर्जित करने के लिए 15 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 15 करोड़ रुपए) का निवेश किया गया है।

(vii) ग्रीन गैस लिमिटेड : आगरा तथा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में घरेलू, वाणिज्यिक और लघु औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा परिवहन क्षेत्र के लिए सीएनजी की आपूर्ति करने के लिए आईओसीसएल के साथ एक संयुक्त उद्यम। प्रदत्त पूंजी में कंपनी की 22.5% (गत वर्ष 22.5%) की इक्विटी सहभागिता है और संयुक्त उद्यम कंपनी में प्रत्येक 10 रुपए को 12,500 इक्विटी शेयर अर्जित करने के लिए 0.01 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। कंपनी ने संयुक्त उद्यम कंपनी में इक्विटी शेयरों के लंबित आबंटन के लिए अग्रिम के रूपए में 23.03 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 23.03 करोड़ रुपए) का भी भुगतान किया है।

(viii) महाराष्ट्र प्राकृतिक गैस लिमिटेड : पुणे, महाराष्ट्र में घरेलू, वाणिज्यिक और लघु औद्योगिक उपभोक्ताओं को गैस तथा परिवहन क्षेत्र के लिए सीएनजी की आपूर्ति करने के लिए बीपीसीएल के साथ एक संयुक्त उद्यम। प्रदत्त पूंजी में कंपनी की 22.5% (गत वर्ष 22.5%) की इक्विटी (पिछले वर्ष 22.50 प्रतिशत) सहभागिता है और संयुक्त उद्यम कंपनी में प्रत्येक 10 रुपए को 2,25,00,000 इक्विटी शेयर अर्जित करने के लिए 22.50 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 22.50 करोड़ रुपए) का निवेश किया गया है।

(ix) रत्नगिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड : दाभोल परियोजना के पुनः प्रवर्तन के लिए एनटीपीसी, एमएसईबी और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ संयुक्त उद्यम। प्रदत्त पूंजी में कंपनी की 32.8% (गत वर्ष 32.8%) की इक्विटी (पिछले वर्ष 32.88 प्रतिशत) सहभागिता है। संयुक्त उद्यम कंपनी में प्रत्येक 10 रुपए को 9,74,308,300 (पिछले वर्ष 9,74,308.300 इक्विटी शेयर) अर्जित करने के लिए 974.31 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 974.31 करोड़ रुपए) का निवेश किया गया है।

(x) अवंतिका गैस लिमिटेड : मध्य प्रदेश में घरेलू, वाणिज्यिक और लघु औद्योगिक उपभोक्ताओं तथा परिवहन क्षेत्र के लिए सीएनजी की आपूर्ति करने के लिए एचपीसीएल के साथ संयुक्त उद्यम। प्रदत्त पूंजी में कंपनी की 22.50 प्रतिशत (पिछले वर्ष 22.50 प्रतिशत) की इक्विटी सहभागिता है और संयुक्त उद्यम कंपनी में प्रत्येक 10 रुपए को 12,500 इक्विटी शेयर अर्जित करने के लिए 22.50 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 0.01 करोड़ रुपए) का निवेश किया गया है।

(xi) ओएनजीसी पेट्रो एडीशंस लिमिटेड (ओपीएएल) : गुजरात के दहेज में पेट्रोरसायन परियोजना स्थापित करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस कारपोरेशन लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड और गुजरात राज्य पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम। प्रदत्त पूंजी में कंपनी की 15.50 प्रतिशत की इक्विटी (पिछले वर्ष 15.50 प्रतिशत) सहभागिता है। संयुक्त उद्यम कंपनी में प्रत्येक 10 रुपए को 99,49,45,000 इक्विटि शेयर (पिछले वर्ष 99,49,45,000 इक्विटी शेयर) अर्जित करने के लिए 994.95 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 994.95 करोड़ रुपए) का निवेश किया गया है।

(xii) गेल चाइना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड : मुख्यतः चीन में गैस क्षेत्र के अवसरों का लाभ पाने के लिए चाइना गैस होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम। प्रदत्त पूंजी में कंपनी की 50 प्रतिशत इक्विटी सहभागिता है।

(xiii) तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड : 11 नवम्बर, 2011 को निगमित तुर्कमेनगाज (तुर्कमेनिस्तान), अफगान गैस एंटरप्राइज (अफगानिस्तान) और आईएसजीएस प्राइवेट लिमिटेड (पाकिस्तान) के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी। कंपनी की चुकता पूंजी की 25 प्रतिशत की इक्विटी सहभागिता है।

उपयुक्त संयुक्त उद्यमों के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षित/गैर–लेखापरीक्षित विवरणों के आधार पर परिसंपत्तियों तथा देयताओं और आय तथा व्यय में कंपनी का हिस्सा निम्नलिखित है : (वर्ष के दौरान, जिसमें लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त हुए हैं, अंतिम समायोजन किए गए हैं)।

(₹ करोड़ में)

		2014-15	2013-14
क.	**परिसंपत्तियां**	9,566.46	10,230.72
	चालू परिसंपत्तियों से इतर	8,568.55	8,428.16
	वर्तमान परिसंपत्तियां	997.91	1,802.56
ख.	**देयताएं तथा प्रावधान**	7,012.84	7,016.89
	चालू से इतर देयताएं	5,001.67	5,369.69
	वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	2,011.17	1,647.20
ग.	आय	6,847.89	7,239.53
घ.	व्यय	6,784.05	6,751.02
ङ	आकस्मिक देयता (*)	824.01	980.49

(*)कंपनी के पास उपलब्ध सूचना की सीमा तक।

(ख) संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्तियां

(i) कंपनी ने भारत सरकार की नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के अधीन संयुक्त बोली तथा समुद्रपार अन्वेषण बोली में भाग लिया और 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार 13 ब्लॉक (पिछले वर्ष 18 ब्लॉक) हैं जिनके लिए तेल एवं गैस की खोज तथा उत्पादन के लिए अन्य साझेदारों सहित संबंधित मेजबान सरकारों के साथ उत्पादन सहभागिता संविदा निष्पादित की हैं। कंपनी ब्लॉक आर जे–ओएनएन–2004/1, सीवाई–ओएनएन–2005/1 तथा सीबी–ओएनएन– 2010/1 को छोड़कर गैर प्रचालक है, इन ब्लॉकों में यह प्रचालक है, और यह उत्पादन सहभागिता संविदा में अपनी प्रतिशतता के आधार पर व्यय, आय, परिसंपत्तियों तथा देयताओं में हिस्सेदारी करती है। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार भारत के तेरह एनईएलपी ब्लॉकों में साझेदारी हित निम्नलिखित प्रकार से है :

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	साझेदारी हित
1	एमएन–ओएसएन–2000/2	20%
2	सीबी–ओएनएन–2000/1	50%
3	एए–ओएनएन–2002/1	80%
4	सीबी–ओएनएन–2003/2	20%
5	एएन–डीडब्ल्यूएन–2003/2	15%
6	आरजे–ओएनएन–2004/1	22.225%
7	सीवाई–ओएनएन–2005/1	40%
8	सीबी–ओएनएन–2000/1–रिंग फेंस्ड संविदा	50%
9	सीबी–ओएनएन–2010/11	25%
10	एए–ओएनएन–2010/2	20%
11	जीके–ओएसएन–2010/1	10%
12	जीके–ओएसएन–2010/2	10%
13	सीबी–ओएनएन–2010/8	25%

(ii) उपर्युक्त के अलावा निम्नलिखित ब्लाकों में कंपनी को गैर–प्रचालक के रुप में शामिल किया है:

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	साझेदारी हित
1	ए–1, म्यांमार*	8.5%
2.	ए–3, म्यांमार*	8.5%
3.	सीवाई–ओएस/2	25%

*इसके अतिरिक्त म्यांमार के अपतट के सुपुर्दगी स्थल से म्यांमार में भूतट तक गैस के परिवहन के प्रयोजन से म्यांमार एसएचडब्ल्यूई अपतट मिडस्ट्रीम पाइपलाइन में 8.5 प्रतिशत भागीदारी हित है।

(iii) संयुक्त प्रचालन परियोजना ब्लॉकों के संबंध में वर्ष के लिए परिसंपत्तियों, देयताओं, आय तथा व्यय में कंपनी का हिस्सा प्रचालकों द्वारा प्रस्तुत किए गए गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर कंपनी के वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है और उनका उल्लेख नीचे किया गया है : (अंतिम समायोजन उस वर्ष के दौरान किए जाते हैं जिसमें लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त किए जाते हैं।)

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
आय	666.11	245.04
व्यय	472.87	265.96
स्थायी परिसंपत्तियां (सकल ब्लॉक)	203.95	202.10
उत्पादक संपत्ति	925.46	864.01
अन्य परिसंपत्तियां	573.07	593.86
देयताएं	196.49	271.75

उपर्युक्त मूल्य में 31 मार्च, 2015 तक परित्यक्त 29 ई एंड पी ब्लॉक (जिसमें 31 मार्च, 2014 तक छोड़े गए 24 ब्लाक शामिल हैं) जिनमें कंपनी गैर प्रचालक थी से संबंधित निम्नलिखित राशियां शामिल हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
आय	**0.07**	0.07
व्यय	**17.40**	38.86
स्थायी परिसंपत्तियां (सकल ब्लॉक)	**0.01**	0.01
अन्य संपत्तियां	**3.25**	3.92
देयताएं	**29.46**	20.16

(iv) 31.03.2015 तक परित्यक्त ई एंड पी और सीबीएम ब्लॉकों की सूची नीचे दी गई है :

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	भागीदारी हित	परित्यक्त किए जाने की तारीख
1	केके–डीडब्ल्यूएन–2000/2	15%	15.08.2004
2	एमबी– डीडब्ल्यूएन–2000/2	15%	24.01.2007
3	जीएस– डीडब्ल्यूएन–2000/2	15%	24.01.2007
4	एनईसी–ओएसएन–97/1	50%	11.09.2007
5	एमएन–ओएसएन–97/3	15%	08.11.2007
6	एडी–7,म्यांमार	10%	28.02.2008
7	एमएन–ओएनएन–2000/1	20%	10.11.2008
8	आरएम–सीबीएम–2005/III	35%	11.05.2010
9	एमआर–सीबीएम–2005/III	45%	11.05.2010
10	ब्लॉक 56,ओमान	25%	10.06.2010
11	सीवाई–ओएनएन–2002/1	50%	28.03.2011
12	टीआर–सीबीएम–2005/III	35%	10.10.2011
13	एमबी–ओएसएन–2004/1	20%	29.03.2012
14	एमबी–ओएसएन–2004/2	20%	13.04.2012
15	केजी–डीडब्ल्यूएन–2004/3	10%	08.11.2012
16	सीवाई–डीडब्ल्यूएन–2004/4	10%	21.11.2012
17	केजी–डीडब्ल्यूएन–2004/5	10%	23.11.2012
18	सीवाई–डीडब्ल्यूएन–2004/2	10%	23.11.2012
19	सीवाई–पीआर–डीडब्ल्यूएन–2004/2	10%	23.11.2012
20	सीवाई–डीडब्ल्यूएन–2004/1	10%	28.11.2012
21	केजी–ओएनएन–2004/2	40%	10.02.2013
22	केजी–डीडब्ल्यूएन–2004/1	10%	15.06.2013
23	केजी–डीडब्ल्यूएन–2004/6	10%	13.09.2013
24	केजी–डीडब्ल्यूएन–2004/2	10%	04.06.2013
25	एएन–डीडब्ल्यूएन–2009/18	10%	11.07.2014
26	सीवाई–डीडब्ल्यूएन–2004/3	10%	25.11.2014
27	सीवाई–पीआर–डीडब्ल्यूएन–2004/1	10%	25.11.2014
28	एएन–डीडब्ल्यूएन–2009/13	10%	05.01.2015
29	एए–ओएनएन–2003/1	35%	05.02.2015

(v) ई एंड पी संयुक्त उद्यमों के संबंध में विभिन्न उत्पादन सहभागिता संविदाओं के अधीन प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य कार्यक्रम का हिस्सा 412.87 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 475.31 करोड़ रुपए) है।

(vi) मात्रात्मक सूचना

(क) 31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन के हिस्से का ब्यौरा :

(i) क्रूड आयल ब्लाक नम्बर सीबी–ओएनएन–2000/1 और सीबी–ओएनएन–2003/2

विवरण	प्रारंभिक स्टाक		उत्पादन (उपचारित और संसाधित कच्चा तेल#		विक्रय*		अंतिम स्टॉक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कच्चा तेल	(मी.टन)	करोड़ ₹	(मी.टन)	करोड़ ₹	(मी.टन)	करोड़ ₹	(मी.टन)	करोड़ ₹
31/03/15 को समाप्त हुआ वर्ष	567.28	0.68	18892.04	-	18708.61	63.28	750.71	0.96
31/03/14 को समाप्त हुआ वर्ष	589.25	0.41	20347.09	-	20369.06	79.21	567.28	0.68

*इसमें 0.23 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 5.37 करोड़ रुपए) की परीक्षण उत्पादन बिक्री शामिल है।

#ई एण्ड पी ब्लॉक सीबी–ओएनएन 2003/2 वर्ष 2014–15 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ है।

(ii) प्राकृतिक गैस ब्लाक सं. ए1 एवं ए3 (म्यांमार)

विवरण	प्रारंभिक स्टाक		उत्पादन		विक्रय*		अंतिम स्टॉक	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
प्राकृतिक गैस	(घन मी.)	करोड़ ₹	(घन मी.)	करोड़ ₹	(घन मी.)	करोड़ ₹	(घन मी.)	करोड़ ₹
31/03/15 को समाप्त हुआ वर्ष	0.52	0.26	324.39	0-32	4.400	520.96	0.510	0.27
31/03/14 को समाप्त हुआ वर्ष	-	-	90.960	-	90.440	147.68	0.520	0.26

*क्रमशः ए3 और ए1 ब्लाकों से 15.07.2013 तथा 10.01.2014 से उत्पादन शुरू हुआ

ख) प्रमाणित विकसित भंडार और प्रमाणित विकसित भंडार में कंपनी के हित की निवल मात्रा :

	प्रमाणित भंडार		प्रमाणित विकसित भंडार	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
कच्चा तेल : 000 मी.टन				
वर्ष के आरंभ में	166.11	162	164	150
परिवर्धन	0.01	24.46	2	34.35
विलोपन	0.11	0	0	0
उत्पादन	20.57	20.35	20.57	20.35
अंतिम शेष	145.44	166.11	145.43	164.00
गैसः मी.घन मीटर (एम3) में				
क) म्यांमार				
वर्ष के आरंभ में	6,118.71	6,220.00	5,719.71	-
परिवर्धन	-	-	-	5,821.00
विलोपन	-	-	-	-
उत्पादन	330.83	101.29	330.83	101.29
अंतिम शेष	5,787.88	6,118.71	5,388.88	5,719.71
ख) भारत				
वर्ष के आरंभ में	-	-	-	-
परिवर्धन	1609.52	-	-	-
विलोपन	-	-	-	-
उत्पादन	-	-	-	-
अंतिम शेष	1609.52	-	-	-

टिप्पणी :

1. कंपनी ई एंड पी ब्लॉकों में गैर–प्रचालनकर्ता साझीदार है जिनके लिए भंडार प्रकट किए जाते हैं।
2. शुरूआती तेल और गैस मूल्यांकन ईएंडपी ब्लाकों के संबंधित प्रचालकों द्वारा विशेषज्ञ तीसरी पार्टी एजेंसी/आंतरिक विशेषज्ञ मूल्यांकन के माध्यम से किया गया था। वर्षान्त तेल भंडारों का अनुमान प्रचालक से प्राप्त सूचना/वर्ष के दौरान विलोपन के आधार पर आधारित है। तेल और गैस का पुनर्मूल्यांकन संबंधित ब्लाक में हाइड्रोकार्बन की खोज या नए उल्लेखनीय डाटा के आधार पर संबंधित प्रचालक द्वारा किया जाता है।
3. वर्ष 2014–15 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में गेल का हिस्सा 1,51,328 बैरल है।

(ग) वर्ष के अंत में उत्पादन हिस्सेदारी करारों/संविदाओं के संबंध में ब्लाकों के भावी राजस्व से की जाने वाली वसूली लागत में, यदि कोई हो, शेष (कंपनी का हिस्सा) 1298.96 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 1300.77 करोड़ रुपए) है।

(vii) संयुक्त स्वामित्व परिसंपत्तियां :

गेल की संयुक्त स्वामित्व परिसंपत्तियां अर्थात 61.69 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 61.61 करोड़ रुपए) की लागत से गेल, वाघोडिया हीट रिकवरी स्टीम जेनरेशन सिस्टम (एचआरएसजी) परियोजना स्थापित की गई जिसमें कंपनी का हित 30.84 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 30.81 करोड़ रुपए) है।

54. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी लेखा मानक नियम, 2006 के तहत यथा अधिसूचित परिसंपत्तियों की हानि पर एएस 28 के अनुपालन में कंपनी ने 31.03.2015 को इसकी गेल टेल परिसंपत्तियों और गैस प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) संयंत्र उसार के संबंध में आस्तियों की हानि का मूल्यांकन किया है। तदनुसार :

(i) कंपनी ने इसकी गेल टेल परिसंपत्तियों के संबंध में 6.09 करोड़ रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 5.62 करोड़ रुपए) की हानि बनाई है और इसे लाभ तथा हानि विवरण में क्षति हानि के रूप में मान्य किया गया है।

(ii) कंपनी के प्रबंधन द्वारा जीपीयू, उसार के संबंध में किसी हानि पर विचार नहीं किया गया था जो रिच फीड गैस की अनुपलब्धता के कारण 16 जुलाई, 2014 बंद स्थिति में है। प्रबंधन ने संयंत्र को भविष्य में रिच फीड गैस की उपलब्धता तक परिरक्षण विधि में रखने का निर्णय लिया है।

55. ''प्रावधानों, प्रासंगिक देयताओं और प्रासंगिक परिसंपत्तियों'' संबंधी लेखा मानक 29 के अनुपालन में अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

संभावित दायित्व हेतु प्रावधान	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तन/समायोजित	अंतिम शेष
कानूनी और माध्यस्थम के मामले	525.83	53.75	2.93	576.65
कुल	525.83	53.75	2.93	576.65

परिवर्धनों में वर्ष के दौरान पूंजीकृत 1.77 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 10.41 करोड़ रुपए) शामिल हैं। इस अवस्था में निर्गमनों के प्रत्याशित समय निर्धारण का निश्चित रूप से पता नहीं लगाया जा सकता है।

56. स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीयन करार के संशोधित खंड 32 के अनुपालन में अपेक्षित सूचना **संलग्नक–ग** में दी गई है।

57. व्युत्पन्न प्रपत्र द्वारा या अन्यथा संरक्षित नहीं किया गया विदेशी मुद्रा प्रकटन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	मुद्राएं	राशि	
		31.03.2015	31.03.2014
उधार, जिसमें उपचित परंतु देय नहीं हुआ ब्याज शामिल है	अमरीकी डालर	94.87	95.45
	यूरो	0	0
	अन्य	0	0
विविध लेनदार/जमा तथा प्रतिधारण राशियां	अमरीकी डालर	276.48	266.69
	यूरो	31.68	57.23
	अन्य	22.14	10.08
विविध देनदार और बैंक शेष	अमरीकी डालर	45.06	27.49
	यूरो	0	0
	अन्य	0	0
निष्पादित किए जाने वाली शेष संविदाओं की अनिष्पादित राशि	अमरीकी डालर	118.05	278.43
	यूरो	5.75	43.58
	अन्य	2.76	19.85

58. कुछ मामलों में कंपनी ने ''सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006'' के अधीन सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों से उनकी स्थिति के संबंध में सूचना प्राप्त की है। कंपनी ने यह प्रमाणित किया है कि व्यावहारिक रूप से सभी आपूर्तिकर्ताओं को 7–10 दिन के अंदर अदायगी की जाती है। नियत तारीख के बाद कोई अदायगियां ध्यान में नहीं आई हैं। दिनांक 31 मार्च, 2014 को सभी आपूर्तिकर्ताओं को अदत्त रहने वाली राशि 3439.35 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4105.68 करोड़ रुपए) है। अधिनियम के अधीन कोई ब्याज अदा नहीं किया या देय नहीं था।

59. (क) भारत सरकार के अनुमोदन का पालन करते हुए कंपनी के शेयरधारकों ने 15 सितम्बर, 1997 को आयोजित वार्षिक आम सभा में संयंत्र तथा मशीनरी, उपसाधनों और अन्य परिसंपत्तियों सहित सभी परिसंपत्तियां जो लकवा परियोजना का भाग हैं, असम गैस क्रैकर काम्प्लेक्स को स्वतंत्र एजेंसी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मूल्य और बोर्ड द्वारा अपने विवेकाधिकार में उचित समझी जाने वाली शर्तों एवं अनुबंधों पर अंतरण का अनुमोदन कर दिया है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने लेपेटकटा में एक कंपनी का निर्माण करके असम गैस आधारित क्रैकर परियोजना स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसमें गेल की 70 प्रतिशत इक्विटी सहभागिता है। वर्ष 2006–07 के दौरान ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलीमर लिमिटेड नाम से एक कंपनी निगमित की गई है और गैस क्रैकर काम्प्लेक्स निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) ने दिनांक 13 जुलाई, 2011 की बैठक में यह संस्तुति की है कि लकवा सुविधा के स्वामित्व के मुद्दे पर व्यय विभाग, योजना आयोग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा प्रशासी मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मिलाकर बनाई गई समिति द्वारा निर्णय लिया जाए। 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार लकवा इकाई की स्थायी परिसंपत्तियों का निवल ब्लॉक और निर्माणाधीन पूंजी का मूल्य 260.27 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 261.14 करोड़ रुपए) है।

(ख) आपवादिक मदों में 79.14 करोड़ रुपए के प्रतिफल पर स्लम्प बिक्री में 62.86 करोड़ रुपए का लाभ शामिल है, जो वडोदरा में सीएनजी व्यवसाय (पाइपलाइन सहित) को वडोदरा गैस लिमिटेड, गेल गैस लिमिटेड और वडोदरा निगम सेवा समिति का संयुक्त उद्यम है, 01.10.2014 को बाजार मूल्य है।

60. संबंधित प्राधिकारियों के पास रेलवे क्रासिंग, वन क्रासिंग और विद्युत/टेलीफोन खम्भे तथा लाइनें हटाने और बिछाने के लिए 5.27 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 17.21 करोड़ रुपए) की अप्रतिदेय जमाराशियां किए गए कार्य/संबंधित विभाग से पुष्टि के आधार पर निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य के अधीन लेखाबद्ध की गई हैं।

61. (क) प्राप्य और देय व्यापार के शेष की पुष्टियों के लिए अनुरोध भेजे गए अधिकांश मामलों से शेषों की पुष्टि प्राप्त हो गई है। ये पुष्टियां समाधान और परिणामी समायोजनों के अध्यधीन हैं जो प्रबंधन की राय में महत्त्वपूर्ण नहीं है।

(ख) प्रबंधन की राय में सामान्य रूप से वसूली पर स्थायी परिसंपत्तियों और वर्तमान से इतर निवेशों से भिन्न परिसंपत्तियों का मूल्य उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस मूल्य पर इनका उल्लेख तुलन पत्र में किया गया है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी ने सी2 और सी3 परियोजना में 2974.28 करोड़ रुपए और पेट्रोकैमिकल परियोजना में 3867.98 करोड़ रुपए पूंजीकृत किए हैं।

62. वर्ष के दौरान अनुसंधान तथा विकास पर व्यय के लिए 27.74 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 28.96 करोड़ रुपए) की राशि को पूंजीकृत किया गया।

63. लाभ और हानि के विवरण में निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) जन संपर्क और प्रचार पर 44.90 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 36.20 करोड़ रुपए) का व्यय। वार्षिक कारोबार की तुलना में जन संपर्क और प्रचार पर वार्षिक व्यय का अनुपात 0.0006:1 (पिछले वर्ष 0.0006:1) हैं।

(ख) अनुसंधान और विकास व्यय 17.01 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 28.45 करोड़ रुपए)।

(ग) सत्कार व्यय 0.27 करोड़ रुपए) (पिछले वर्ष 0.21 करोड़ रुपए)।

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अन्य प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
I. लागत सहित भाड़ा (सीआईएफ) मूल्य आयात		
i. कच्चा माल	5,751.51	6,626.55
ii. संघटक और अतिरिक्त कल पुर्जे	148.90	149.89
iii. पूंजीगत माल	86.00	424.20
कुल	**5,986.41**	**7,200.64**
II. क) विदेशी मुद्रा में व्यय		
i. ब्याज/प्रतिबद्धता प्रभार	337.25	313.14
ii. तकनीकी/परामर्शी सेवा/ लाइसेंस शुल्क/इंजीनियरी	177.81	60.79
iii. अन्य	1,587.02	1,654.65
कुल	**2,102.08**	**2,028.58**
ख) विदेशी मुद्रा में अर्जन		
i. बिक्री	600.06	170.20
ii. अन्य (निविदा शुल्क सहित)	44.43	39.81
जोड़	**644.49**	**210.01**
III. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों, निदेशकों को प्रदत्त/देय पारिश्रमिक :		
वेतन तथा भत्ते	2.78	2.88
भविष्य निधि में अंशदान	0.26	0.48
अन्य हितलाभ तथा परिलब्धियां	0.47	0.62
कुल	**3.51**	**3.98**
स्वतंत्र निदेशक, निदेशकों का बैठक में भाग लेने संबंधी शुल्क	0.27	0.25

टिप्पणियां :

क) उपर्युक्त पारिश्रमिक के अतिरिक्त पूर्णकालिक निदेशकों को लोक उद्यम ब्यूरो के परिपत्र के अनुसार निजी यात्राओं सहित प्रति माह 1000 किलो मीटर तक की यात्रा हेतु स्टाफ कार का भुगतान आधार पर उपयोग करने की अनुमति है।

ख) परिशोधित लेखा मानक 15 के अनुसार पारिश्रमिक में छुट्टी, उपदान तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात हितलाभों के लिए प्रावधान शामिल नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत कर्मचारियों के लिए इनको अभिनिश्चित नहीं किया गया है (टिप्पणी संख्या 41 देखें)।

(iv) वर्ष के दौरान उपयोग किया गया कच्चा माल, सामान/अतिरिक्त कल पुर्जे।

विवरण	2014-15			2013-14		
	मात्रा	(करोड ₹)	%	मात्रा	(करोड ₹)	%
(i) खपत हुआ कच्चा माल गैस (एमएमएससीएम)						
– देशी	1,336.23	4,813.16	100	1,284.55	4,803.96	99.19
– आयातित	-	-	-	4.23	39.47	0.81
उप–जोड़	1,336.23	4,813.16	100.00	1,288.78	4,843.43	100.00
(ii) उपयोग किया गया सामान, अतिरिक्त कलपुर्जे						
– देशी		193.45	63.09		204.02	59.04
– आयातित		113.19	36.91		141.54	40.96
उप–जोड़		306.64	100.00		345.56	100.00
जोड़	1,336.23	5,119.80		1,288.78	5,188.99	

65. अन्य मात्रात्मक ब्यौरा **संलग्नक–घ** में दिया गया है।

66. आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन की अनुरूपता की दृष्टि से पुनर्समूहित/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

एन. के. नागपाल
सचिव

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)

प्रभात सिंह
निदेशक (विपणन)

बी. सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.एस. माथुर एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं. 008744एन

राजीव कुमार वाधवां
(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

कृते एस.के. मित्तल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं. 001135एन

एम. के. जुनेजा
(साझेदार)
सदस्यता सं. 013117

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2015

संलग्नक–क

वित्त वर्ष 2014–15 हेतु व्यवसाय खंडों के बारे में सूचना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खंड	संचारण सेवाएं**		प्राकृतिक गैस विपणन**	पेट्रो–केमिकल	एलपीजी एवं द्रवीकृत हाइड्रोकार्बन	अन्य खंड***	अनाबंटन योग्य	योग	विलोपन	समेकित योग
		प्राकृतिक गैस	एलपीजी								
1	**राजस्व**										
	बाह्य बिक्री / अन्य आय	3,048.80	440.55	42,686.56	4,594.90	5,052.75	745.89	-	56,569.45	-	56,569.45
	अंतः क्षेत्र बिक्री	300.34	-	6,487.48	125.18	-	16.79	-	6,929.79	6,929.79	-
	कुल राजस्व	**3,349.14**	**440.55**	**49,174.04**	**4,720.08**	**5,052.75**	**762.68**	**-**	**63,499.24**	**6,929.79**	**56,569.45**
2	**परिणाम**										
	खंड परिणाम (ब्याज और कर पूर्व लाभ)	1,315.60	237.95	560.86	130.59	1,921.71	225.00	-	4,391.71	-	4,391.71
	अनाबंटित व्यय (निवल)	-	-	-	-	-	-	398.38	398.38	-	398.38
	प्रचालनगत लाभ	**1,315.60**	**237.95**	**560.86**	**130.59**	**1,921.71**	**225.00**	**(398.38)**	**3,993.33**	**-**	**3,993.33**
	ब्याज व्यय	-	-	-	-	-	-	361.30	361.30	-	361.30
	ब्याज / लाभांश आय	-	-	-	-	-	-	652.33	652.33	-	652.33
	कराधान हेतु प्रावधान	-	-	-	-	-	-	1,245.19	1,245.19	-	1,245.19
	सामान्य गतिविधियों से लाभ / (हानि)	**1,315.60**	**237.95**	**560.86**	**130.59**	**1,921.71**	**225.00**	**(1,352.54)**	**3,039.17**	**-**	**3,039.17**
	असाधारण मदें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	निवल लाभ / (हानि)	**1,315.60**	**237.95**	**560.86**	**130.59**	**1,921.71**	**225.00**	**(1,352.54)**	**3,039.17**	**-**	**3,039.17**
3	**अन्य सूचना**										
	खंड परिसंपत्तियां	25,716.16	775.55	-	8,584.73	1,089.78	1,765.45	-	37,931.67	-	37,931.67
	अनिर्धारित सम्पत्तियां	-	-	-	-	-	-	14,961.56	14,961.56	-	14,961.56
	कुल परिसंपत्तियां	**25,716.16**	**775.55**	**-**	**8,584.73**	**1,089.78**	**1,765.45**	**14,961.56**	**52,893.23**	**-**	**52,893.23**
	खंड देयताएं अनाबंटित	5,333.08	65.51	-	702.03	248.45	210.76	-	6,559.83	-	6,559.83
	देयताएं	-	-	-	-	-	-	4,349.31	4,349.31	-	4,349.31
	कुल देयताएं	**5,333.08**	**65.51**	**-**	**702.03**	**248.45**	**210.76**	**4,349.31**	**10,909.14**	**-**	**10,909.14**
	स्थायी सम्पत्तियां अर्जित करने के लागत	320.22	15.54	-	6,872.10	25.83	79.81	139.95	7,453.45	-	7,453.45
	मूल्यह्रास*	649.10	50.62	-	78.59	44.52	111.46	39.97	974.26	-	974.26
	मूल्यह्रास से भिन्न और नकदीकरण	76.42	0.34	25.51	1.95	0.96	125.71	3.36	234.25	-	234.25

उत्पाद शुल्क में बिक्री शामिल है।

* अवधि पूर्व समायोजन को छोड़कर

** गैस संचरण व्यवसाय में गैस ट्रेडिंग व्यवसाय संबंधी परिसंपत्तियां एवं देयता सम्मिलित हैं।

*** अन्य खण्ड में गेलटेल, ई एंड पी, शहर गैस तथा पावर जेनरेशन शामिल है।

संलग्नक–क

वित्त वर्ष 2013–14 हेतु व्यवसाय खंडों के बारे में सूचना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खंड	संचारण सेवाएं**		प्राकृतिक गैस विपणन**	पेट्रो–केमिकल	एलपीजी एवं द्रवीकृत हाइड्रोकार्बन	अन्य खंड***	अनाबंटन योग्य	योग	विलोपन	समेकित योग
		प्राकृतिक गैस	एलपीजी								
1	**राजस्व**										
	बाह्य बिक्री / अन्य आय	3,827.65	418.07	42,623.35	4,537.20	5,461.91	376.92	-	57,245.10	-	57,245.10
	अंतः क्षेत्र बिक्री	276.53	-	6,298.32	44.49	-	15.63	-	6,634.97	6,634.97	-
	कुल राजस्व	**4,104.18**	**418.07**	**48,921.67**	**4,581.69**	**5,461.91**	**392.55**	**-**	**63,880.07**	**6,634.97**	**57,245.10**
2	**परिणाम**										
	खंड परिणाम (ब्याज और कर पूर्व लाभ)	1,801.61	215.26	1,580.29	1,361.22	1,021.44	5.16	-	5,984.98	-	5,984.98
	अनाबंटित व्यय (निवल)	-	-	-	-	-	-	(156.50)	(156.50)	-	(156.50)
	प्रचालनगत लाभ	**1,801.61**	**215.26**	**1,580.29**	**1,361.22**	**1,021.44**	**5.16**	**156.50**	**6,141.48**	**-**	**6,141.48**
	ब्याज व्यय	-	-	-	-	-	-	366.19	366.19	-	366.19
	ब्याज / लाभांश आय	-	-	-	-	-	-	627.03	627.03	-	627.03
	कराधान हेतु प्रावधान	-	-	-	-	-	-	2,027.05	2,027.05	-	2,027.05
	सामान्य गतिविधियों से लाभ / (हानि) असाधारण मदें	**1,801.61**	**215.26**	**1,580.29**	**1,361.22**	**1,021.44**	**5.16**	**(1,609.71)**	**4,375.27**	**-**	**4,375.27**
	असाधारण मदें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	निवल लाभ / (हानि)	**1,801.61**	**215.26**	**1,580.29**	**1,361.22**	**1,021.44**	**5.16**	**(1,609.71)**	**4,375.27**	**-**	**4,375.27**
3	**अन्य सूचना**										
	खंड परिसंपत्तियां	24,870.54	830.00	-	1,934.75	1,049.08	1,778.91	-	30,463.28	-	30,463.28
	अनाबंटित संपत्तियां	-	-	-	-	-	-	19,348.05	19,348.05	-	19,348.05
	कुल परिसंपत्तियां	**24,870.54**	**830.00**	**-**	**1,934.75**	**1,049.08**	**1,778.91**	**19,348.05**	**49,811.33**	**-**	**49,811.33**
	खंड देयताएं	5,687.48	75.03	-	549.14	367.35	292.05	-	6,971.05	-	6,971.05
	अनाबंटित देयताएं	-	-	-	-	-	-	2,933.46	2,933.46	-	2,933.46
	कुल देयताएं	**5,687.48**	**75.03**	**-**	**549.14**	**367.35**	**292.05**	**2,933.46**	**9,904.51**	**-**	**9,904.51**
	अचल संपत्तियां अर्जित करने के लागत	1,693.30	31.59	-	32.45	20.74	1,089.79	37.35	2,905.22	-	2,905.22
	मूल्यह्रास*	735.46	46.61	-	171.39	77.91	118.00	26.78	1,176.15	-	1,176.15
	मूल्य ह्रास से भिन्न गैर नकदी व्याज	468.06	0.16	94.28	0.37	(0.67)	1.00	0.95	564.15	-	564.15

उत्पाद शुल्क में बिक्री शामिल है।

* अवधि पूर्व समायोजन को छोड़कर

** गैस संचरण व्यवसाय में गैस ट्रेडिंग व्यवसाय संबंधी परिसंपत्तियां एवं देयता सम्मिलित हैं।

*** अन्य खण्ड में गेलटेल, ई एंड पी, शहर गैस तथा पावर जेनरेशन शामिल है।

संलग्नक–ख

संबंधित पार्टी प्रकटन

I) **संबंध**

क) संयुक्त उद्यम कंपनियां / सहयोगी कम्पनियां

1) महानगर गैस लिमिटेड
2) इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
3) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड
4) भाग्यनगर गैस लिमिटेड
5) त्रिपुरा नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
6) सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
7) ग्रीन गैस लिमिटेड
8) महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
9) अवन्तिका गैस लिमिटेड
10) गेल चाइना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड
11) ओएनजीसी पेट्रो–एडशिन्स लिमिटेड (ओपीएएल)
12) तापी पाइपलाइन कम्पनी लि.
13) गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड
14) नेशनल गैस कंपनी ''नेट गैस''
15) फेयम गैस कंपनी
16) चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

I) **पूर्णकालिक निदेशक (केएमपी) :**

1) श्री बी.सी. त्रिपाठी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2) श्री प्रभात सिंह
3) श्री एम रविन्द्रन
4) डॉ. आशुतोष कर्नाटक
5) श्री पी. के. जैन, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
6) श्री एस. वैंकटरमन (30 दिसम्बर, 2014 तक)

II) **कम्पनी सविच**

1) श्री एन. के. नागपाल

ग) अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों हेतु अनिगमित संयुक्त उद्यम :

1) एनईसी–ओएसएन–97 / 1 (भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 50%) गेल ने उस ब्लॉक को छोड़ दिया है।
2) ए–1, म्यांमार (भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 8.5%)
3) ए–3, म्यांमार (भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 8.5%)
4) एसएचडब्ल्यूई अपतट पाइपलाइन (भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 8.5%)
5) सीवाई–ओएस / 2 (भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 25%)
6) आरएम–सीबीएम–2005 / III (भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 35%) गेल ने उस ब्लॉक को छोड़ दिया है।
7) टीआर–सीबीएम–2005 / III (भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 35%) गेल ने उस ब्लॉक को छोड़ दिया है।
8) एमआर–सीबीएम–2005 / III (भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 45%) गेल ने उस ब्लॉक को छोड़ दिया है।
9) ए डी–7, म्यांमार (भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 10%) गेल ने उस ब्लॉक को छोड दिया है।
10) ब्लॉक–56, ओमान (भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 25%) गेल ने उस ब्लॉक को छोड़ दिया है।

सामान्य व्यवसाय के दौरान संबंधित पक्षों के साथ निम्नानुसार लेन–देन किए गए थे :

क) उपर्युक्त मद संख्या 1 (क) में उल्लिखित पक्षों से संबंधित विवरण :

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2013-14
1) बिक्री	3,669.77	3,645.75
2) उपर्युक्त (1) के लिए तुलन पत्र की तिथि के अनुसार प्राप्य राशि	283.70	231.64
3) क्रय	18,546.70	18,457.41
4) उपर्युक्त (3) के लिए तुलन पत्र की तिथि के अनुसार योग्य राशि	745.74	1,066.81
5) प्राप्त/प्राप्य अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति	7.34	10.24
6) उपर्युक्त (5) के लिए तुलन पत्र की तिथि के अनुसार प्राप्य राशि	2.72	18.58
7) लाभांश आय	134.44	135.74
8) अन्य आय	0.43	14.07
9) देनदारों के लिए सृजित प्रावधान	2.94	-
10) बट्टे खाते से प्राप्त होने वाले देनदारों के लिए सृजित प्रावधान	-	-
11) तुलन पत्र की तिथि तक निवेश	1,403.34	1,335.33
12) तुलन पत्र तिथि से इक्विटी के आवंटन हेतु अग्रिम	-	68.00
13) तुलन पत्र तिथि से दिया गया अग्रिम/ऋण	524.22	93.59

ख) I. उपर्युक्त मद संख्या 1 (ख) में उल्लिखित पक्षों से संबंधित विवरण :

(₹ करोड़ में)

	प्रबंधन मुख्य कार्मिक (केएमपी)		केएमपी से संबंधित	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
1) पारिश्रमिक	3.80	3.78	0.37	0.37
2) प्राप्ति योग्य बकाया ब्याज युक्त ऋण	0.12	0.22	-	-
3) प्रदत्त ऋणों पर अर्जित ब्याज	0.19	0.25	-	-
4) सेल्फ लीज	0.09	0.19	-	-

*पारिश्रमिक में मूल वेतन, भत्ते, प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि में अंशदान और परिलब्धियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को लोक उद्यम ब्यूरो के परिपत्र के अनुसार भुगतान पर 1000 किमी. प्रति माह की अधिकतम सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार का प्रयोग करने की अनुमति है।

ग) उपर्युक्त मद संख्या 1 (ग) में उल्लिखित पक्षों से संबंधित विवरण :

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2013-14
1) न्यूनतम कार्य योजना वचनबद्धता	-	-
2) सर्वेक्षण, उत्पादन, रॉयल्टी एवं अन्य व्यय	216.63	88.51
3) सीडब्ल्यू आईपी एवं अन्य परिसंपत्ति	27.55	314.36
4) तुलन पत्र की तिथि को बकाया राशि (अग्रिम का निवल)	51.69	142.46
5) बट्टेखाते डाली गई राशि–शुष्क कुआं व्यय	0.53	0.01
6) प्रचालन से बिक्री/व्यय	600.17	170.21
7) तुलन पत्र की तिथि को बकाया राशि (बिक्री के एवज में)	45.06	27.49

संलग्नक–ग

सूचीकरण करार के खण्ड 32 के अनुसार प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क.	सहायक कम्पनी	चालू वर्ष		गत वर्ष	
		31.03.2015 को राशि	31.03.2015 को समाप्त वर्ष में बकाया अधिकतम राशि	31.03.2014 को राशि	31.03.2014 को समाप्त वर्ष में बकाया अधिकतम राशि
1	**ऋणों के स्वरूप में ऋण एवं अग्रिम :**				
क.	अनुषंगी कंपनी को : गेल (ग्लोबल) सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	**52.89**	56.67	56.38	64.18
ख.	उन कंपनियों को जिनमें निदेशकों के हित है	**शून्य**	शून्य	शून्य	शून्य
ग.	जहां चुकौती समय सीमा नहीं है या 7 वर्ष पश्चात् चुकौती किया जाना है या ब्याज शून्य है या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 में वर्णित ब्याज से कम है।	**ऋण का चुकौती 23 सितम्बर, 2019 तक किया जाएगा। ऋण पर ब्याज दर 6 माह एलआईबीओआर + 100 आधार बिंदु हैं**		ऋण की चुकौती 23 सितम्बर, 2019 तक की जाएगी। ऋण पर ब्याज दर 6 माह एलआईबीओआर + 100 आधार बिंदु हैं	
2	अनुषंगी कंपनी द्वारा गेल (इंडिया) लिमिडेट और उसकी अनुषंगी कंपनी के शेयरों में निवेश	**शून्य**	शून्य	शून्य	शून्य

31.03.2015 को प्रभावी ब्याज की दर : 1.4019 (1% + 6 माह एलआईबीओआर 0.4019%)।

क.	संयुक्त उद्यम	चालू वर्ष		गत वर्ष	
		31.03.2015 को राशि	31.03.2015 को समाप्त वर्ष में बकाया अधिकतम राशि	31.03.2014 को राशि	31.03.2014 को समाप्त वर्ष में बकाया अधिकतम राशि
1	**ऋणों के रूप में ऋण एवं अग्रिम :**				
क.	अनुषंगी कंपनी को : भाग्यनगर गैस लिमिटेड	75	75	75	75
ख.	उन कंपनियों को जिनमें निदेशकों के हित है	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग.	जहां चुकौती समय सीमा नहीं है या 7 वर्ष पश्चात् पुनर्भुगतान किया जाना है या ब्याज शून्य है या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 में वर्णित ब्याज से कम है।	ऋण की चुकौती पांच मासिक किस्तों में किया जाएगा जो अगस्त, 2015 से आरंभ होगी।		ऋण की चुकौती पांच मासिक किस्तों में की जाएगी जो अगस्त, 2014 से आरंभ होगी	
2	अनुषंगी कंपनी द्वारा गेल (इंडिया) लिमिडेट और उसकी अनुषंगी कंपनी के शेयरों में निवेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

वर्ष के दौरान 31.03.2015 को प्रभावी ब्याज दर : 10% एवं 13% ।

संलग्नक – घ

V. लाइसेंस क्षमता, संस्थापित क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन *

	चालू वर्ष 2014-15				गत वर्ष 2013-14			
	लाइसेंस क्षमता	संस्थापित क्षमता	गैस थ्रूपट	उत्पादन क्षमता	लाइसेंस क्षमता	संस्थापित क्षमता	गैस थ्रूपट	उत्पादन क्षमता
i) आरएलएनजी सहित प्राकृतिक गैस (एमएमएससीएमडी)								
क) एचवीजे, डीवीपीएल, एसजी एवं डीयूपीएल–डीपीपीएल, केएमबीएल, दाभोल	171.35	171.35	81.80	-	171.35	171.35	83.16	-
ख) अन्य	34.68	34.68	10.30	-	34.68	34.68	13.06	-
ii) एलपीजी (मी/टन)	1170376	1112373	-	1039494	1170376	1112373	-	1026543
iii) प्रोपेन (मी/टन)	201085	201085	-	115808	2,01,085.00	2,01,085.00	-	134411
iv) इथिलीन (मी/टन)***	850000	896000		460059	4,00,000.00	4,46,000.00		450870
v) एचडीपीई/एलएलडीपीई (मी/टन)***	810000	810000		451625	4,10,000.00	4,10,000.00		4,40,155.00
vi) पेंटेन	73545	73545	-	22758	73,545.00	73,545.00	-	21,669.49
vii) एसबीपी साल्वेंट/नाफ्था	127773	127773		98745	1,27,773.00	1,27,773.00	-	119713
viii) कच्चा तेल (एमटी)				18892				20347
ix) सीएनजी (000' केजी)	-	-		0	-	-		18921
x) C2/C3**		562800	-	637102	0	562800	-	617613
xi) ब्यूटेन–1 **	30,000.00	30000	-	9245	10000	10000	-	9743
xii) (एमडब्ल्यू)								

टिप्पणी :

* कंपनी द्वारा प्रमाणित एवं लेखापरीक्षकों द्वारा समर्थित

** आंतरिक खपत

*** 27.3.2015 को सवंर्धित ब्यूटेन की 30.3.2015 को सवंर्धित इथीलीन, एचडीपीई/एलएलडीपीई की लाइसेंसयुक्त एवं संस्थागित क्षमता।

संलग्नक – घ

मात्रात्मक सूचना

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	प्रारंभिक स्टॉक		क्रय		बिक्री		आंतरिक खपत		समाप्ति पर स्टॉक	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	आरएलएनजी सहित प्राकृतिक गैस (एमएमएससीएम)										
	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	**324.08**	**1447.97**	25576.18	48287	24082.21	45336.14	2223.67	6806.80	313.13	1138.47
	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	319.84	782.18	**28874.90**	**47957.82**	**26695.23**	**45616.70**	**2205.10**	**6574.85**	**324.08**	**1447.97**
2	एलपीजी (मी./टन)										
	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	**5656.40**	**18.30**			**1039739.58**	**3921.36**	**4.03**		**5446.24**	**13.29**
	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	9956.33	20.66	-	-	1030469.25	3905.82	-	-	5656.40	18.30
3	पेंटेन (मी./टन)										
	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	**676.16**	**2.40**			**23323.96**	**128.41**	**21.00**		**242.11**	**0.59**
	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	885.86	2.04	-	-	22149.71	137.33	-	-	676.16	2.40
4	प्रोपेन (मी./टन)										
	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	**2349.29**	**9.11**			**115892.79**	**662.16**			**2258.93**	**6.16**
	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	3416.02	8.87	-	-	135094.25	932.55	-	-	2349.29	9.11
5	एसबीपी साल्वेंट (मी./टन)										
	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0.00**			**0.00**	**0.00**
	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00
6	नापथा (मी./टन)										
	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	**579.36**	**2.10**			**97987.31**	**487.30**			**977.05**	**2.29**
	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	841.63	1.76	-	-	119660.13	684.74	-	-	579.36	2.10
7	पॉलीमर्स (मी/टन)										
	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	**7013.95**	**43.66**			**441079.82**	**4974.59**	**4592.00**		**12951.23**	**114.99**
	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	16157.91	76.59	-		444888.58	4821.49	4728.61	-	7013.95	43.66
8	सी2/सी3 (मी/टन)*										
	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	**2427.88**	**8.56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**635966.86**		**3563.12**	**18.84**
	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	2471.45	5.44	-	-	-	-	-	-	2427.88	8.56
9	इथिलीन (मी/टन)*										
	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	**984.04**	**4.91**					**459881.56**		**1161.66**	**8.57**
	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	834.55	2.75	-	-	-	-	-		984.04	4.91
10	ब्यूटेन–1 (मी/टन)*										
	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	**446.58**	**2.93**					**9159.74**		**531.85**	**5.08**
	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	229.59	1.01	-	-	-	-	-	-	446.58	2.93
11	क्रूड ऑयल (मी/टन)										
	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	**567.28**	**0.68**			**18708.61**	**63.05**			**750.71**	**0.96**
	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	589.25	0.41			20369.06	73.84			567.28	0.68
12	सीएनजी (000' कि.ग्रा.)										
	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	**-**	**-**	**-**	**-**	**7862.18**	**27.61**	**-**	**-**	**-**	**-**
	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	-	-	-	-	**18920.95**	**79.02**	-	-	-	-
13	पावर (किलोवाट)										
	31.03.2015 को समाप्त वर्ष					**159056675**	**56.00**				
	31.03.2014 को समाप्त वर्ष					248923789	61.50				
14	अन्य उत्पाद (मी/टन)										
	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	**5530.09**	**28.42**			**40855.22**	**192.56**	**19537.19**		**3267.13**	**22.23**
	31.03.2014 को समाप्त वर्ष	6730.29	40.56		-	51197.08	273.53	11221.93		5530.09	28.42

टिप्पणी : (i) गैस की मात्रा के प्रारंभिक स्टॉक, क्रय, विक्रय और समाप्ति पर स्टॉक के समाधान में माप–सीमा के कारण अंतर है।

(ii) ईंधन और कच्चे माल हेतु प्रयुक्त प्राकृतिक गैस।

(*) पाता में अंतिम उत्पाद के निर्माण हेतु इथिलेन, ब्यूटेन–1 और C_2/C_3 की आंतरिक रूप से खपत की जाती है।

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	2014-15		2013-14	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
1. कर पूर्व निवल लाभ एवं असामान्य मदें		**4284.36**		**6402.32**
2. जमा :				
मूल्यह्रास	980.74		1180.05	
आरक्षित पूंजी	(0.12)		(0.12)	
विदेशी मुद्रा ऋण पर विनिमय दर में अंतर	199.42		447.90	
ब्याज पर व्यय	369.61		367.22	
निवेशों पर लाभांश आय	(324.75)		(336.34)	
ब्याज आय	(327.47)		(290.85)	
कार्मिक हितलाभ हेतु प्रावधान	169.55		(179.47)	
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	(69.25)		136.46	
संभावित अपेक्षाओं हेतु प्रावधान	50.82		193.09	
अन्य प्रावधान	(17.00)		(5.47)	
प्रावधान/बट्टे खाते डाली गई परिसम्पत्तियां/सीडब्ल्यूआईपी	55.25		41.38	
अपवाद संबंधी मदे	(62.86)		(344.95)	
परिसंपत्तियों (निवल) की बिक्री पर लाभ/हानि	2.78		1.23	
		1026.72		1210.13
3. कार्यचालन पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ (1 +2)		5311.08		7612.45
4. कार्यचालन पूंजी में परिवर्तन (नकद और बैंक शेष को छोड़कर)				
व्यापार और अन्य प्राप्य राशि	(3319.01)		(1385.55)	
माल–सूची	172.87		(719.43)	
व्यापार और अन्य भुगतान योग्य राशि	1189.48		1287.87	
		(1956.67)		(817.11)
5. प्रचालनों से उत्पन्न नकद (3+4)		3354.41		6795.34
6. प्रदत्त प्रत्यक्ष कर		(855.09)		(1873.77)
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद राशि (5+6)		**2499.32**		**4921.57**
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(1867.62)		(3855.00)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	173.43		18.62	
निवेश बिक्री/व्यवसाय	76.31		383.90	
अन्य कंपनियों में निवेश	(33.66)		(372.50)	
संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम	(20.36)		(35.85)	
प्राप्त ब्याज	327.47		292.76	
प्राप्त लाभांश	324.75		336.34	
निवेश गतिविधियों से निवल नकद राशि		**(1019.68)**		**(3231.73)**

(₹ करोड़ में)

	2014-15		2013-14	
		1479.64		1689.84
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह				
दीर्घावधि उधार से आय	500.00		1701.45	
दीर्घावधि उधार की चुकौती	(1645.05)		(722.11)	
अल्पावधि उधारी से चुकौती/आय	233.80		(223.74)	
प्रदत्त ब्याज	(745.68)		(653.28)	
प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर	(1332.05)		(1499.12)	
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी राशि		**(2988.98)**		**(1396.80)**
नकद और उसके समकक्ष में निवल वृद्धि (क+ख+ग)		**(1509.34)**		**293.04**
01.04.2014 को नकद एवं उसके समकक्ष (आरंभिक शेष)		**2650.98**		**2357.94**
31.03.2015 को नकद एवं उसके समकक्ष (अंतिम शेष)		**1141.64**		**2650.98**

1. **टिप्पणियां :**

नकद और उसके समकक्ष में निम्नलिखित शामिल है :		
तुलन पत्र के अनुसार नकद और बैंक शेष	**1141.64**	2650.98
विदेशी मुद्रा पर वसूल न की गई (लाभ)/हानि	**0.00**	0.00
कुल नकद और उसके समकक्ष राशि	**1141.64**	**2650.98**

2. नकद तथा उसके समकक्ष में ₹913.12 करोड़ का चिन्हित शेष शामिल है
(गत वर्ष ₹1128.95 करोड़) टिप्पणी 18 को देखें

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

एन. के. नागपाल
सचिव

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)

प्रभात सिंह
निदेशक (विपणन)

बी. सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.एस. माथुर एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं. 008744एन

राजीव कुमार वाधवां
(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

कृते एस.के. मित्तल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं. 001135एन

एम. के. जुनेजा
(साझेदार)
सदस्यता सं. 013117

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2015

संलग्नक – VIII

सहायक कम्पनियों/सम्बद्ध कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों में वित्तीय विवरण से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसरण में विवरण

भाग 'क' – सहायक कम्पनी

(₹ करोड़ में)

विवरण	गेल ग्लोबल सिंगापुर पीटीई लिमिटेड	गेल (ग्लोबल) यूएसए इंक (समेकित)	गेल गैस लिमिटेड	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एवं पॉलीमर लिमिटेड
1. इस तारीख को समाप्त सहायक कम्पनी का वित्तीय वर्ष	31.03.2015	31.12.2014	31.03.2015	31.03.2015
2. (क) रिपोर्टिंग करेंसी	USD	USD	INR	INR
(ख) संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को विनिमय दर	63.19	63.93	NA	NA
3. शेयर पूंजी	9.64	179.17	300.00	1173.71
4. प्रारक्षित एवं अतिरिक्त निधि	70.79	119.42	61.36	4687.31
5. कुल सम्पत्ति	141.84	1062.66	787.82	8710.78
6. कुल देयताएं	61.41	764.07	426.46	2849.76*
7. निवेश	120.48	0.00	0.00	0.00
8. कुल उत्पादन	540.15	334.80	1040.97	0.00
9. कराधान पूर्व लाभ	6.20	112.31	26.84	(1.62)
10. कराधान हेतु प्रावधान	0.00	39.06	8.92	0.00
11. कराधान पश्चात लाभ	6.20	73.25	17.92	(1.62)
12. प्रस्तावित लाभांश	-	-	-	-
13. शेयरहोल्डिंग %	100%	100%	100%	70%

टिप्पणी :

1. उन सहायक कम्पनियों के नाम जिन्होंने अभी प्रचालन शुरू करना है। शून्य
2. उन सहायक कम्पनियों के नाम जो वर्ष के दौरान परिसमाप्त हो गए हैं अथवा बेचे गए हैं। शून्य

* जिसमें अल्पांश ब्याज शामिल हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

एन. के. नागपाल	**सुबीर पुरकायस्थ**	**प्रभात सिंह**	**बी. सी. त्रिपाठी**
सचिव	निदेशक (वित्त)	निदेशक (विपणन)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संबद्ध कम्पनियों एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसरण में विवरण

भाग 'ख' : संबद्ध एवं संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

विवरण	महानगर गैस लि.	इन्द्रप्रस्थ गैस लि.	पेट्रोनेट एलएनजी लि.	भाग्यनगर गैस लि.	त्रिपुरा प्राकृतिक गैस निगम लि.	सेंट्रल यू.पी. गैस लि.	ग्रीन गैस लि.	महाराष्ट्र प्राकृतिक गैस लि.	अवन्तिका गैस लि.	ओएनजीसी पेट्रो एडीशन लि.	रत्नागिरी गैस एवं पॉवर (प्राइवेट) लि.	गुजरात राज्य एनर्जी जेनरेशन लि.	नेशनल गैस कम्पनी "नेट गैस"	फायूम गैस कम्पनी	चायना गैस होल्डिंग्स लि.
1 नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र	31.03.2014	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2014	31.03.2014	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2014	31.03.2014	31.12.2014	31.12.2014	31.03.2014
2 वर्ष समाप्ति तक कम्पनी द्वारा धारित संबद्ध/संयुक्त उद्यमों की शेयर सं.	4,44,50,000	3,15,00,000	9,37,50,000	2,25,00,000	1,92,000	1,50,00,000	2,30,42,500	2,25,00,000	2,25,00,000	99,49,45,000	97,43,08,300	2,07,60,000	0	19,000	15,00,00,000
3 संबद्ध/संयुक्त उद्यम में निवेश राशि															
4 सम्पत्ति % की सीमा	35%	22.50%	12.50%	22.50%	29%	25%	22.50%	22.50%	22.50%	15.50%	28.91%	5.96%	15%	19%	3%
5 महत्वपूर्ण प्रभाव	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम	निदेशक–मण्डल अथवा निवेशिती के तदनुरूपी अधिशासी निकाय के संबंध में प्रस्तुतीकरण	निदेशक–मण्डल अथवा निवेशिती के तदनुरूपी अधिशासी निकाय के संबंध में प्रस्तुतीकरण	निदेशक–मण्डल अथवा निवेशिती के तदनुरूपी अधिशासी निकाय के संबंध में प्रस्तुतीकरण	निदेशक–मण्डल अथवा निवेशिती के तदनुरूपी अधिशासी निकाय के संबंध में प्रस्तुतीकरण
6 समेकित नहीं करने के कारण	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
7 नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारण पर आरोप्य निवल मूल्य	453.94	396.71	699.41	15.51	8.49	31.04	22.67	37.71	12.03	313.31	506.87	As per AS-23 equity method is followed.			
8 वर्ष हेतु लाभ/हानि (i) समेकन में विचारित (ii) समेकन में विचारित नहीं	104.11 0	97.29 0	110.32 0	0.45 0	2.27 0	6.94 0	6.01 0	11.68 0	2.36 0	(0.12) 0	(405.22) 0	(8.24) 0	10.99 0	2.25 0	83.12 0

टिप्पणी :

1. उन सहायक कम्पनियों के नाम जिन्हें प्रचालन अभी शुरू करना है।
   i) गेल चाइना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड
   ii) तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड
2. उन सहायक कम्पनियों के नाम जो वर्ष के दौरान परिसमाप्त हो गए हैं अथवा बेंच दिए गए हैं। नहीं

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

एन. के. नागपाल	**सुबीर पुरकायस्थ**	**प्रभात सिंह**	**बी. सी. त्रिपाठी**
सचिव	निदेशक (वित्त)	निदेशक (विपणन)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अचल परिसम्पत्तियों की अनुसूची (टाउनशिप)

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक (लागत पर)				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2014 को	वर्ष के दौरान जमा / समायोजन	वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	31.03.2015 को	01.04.2014 को	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2015 को	31.03.2015 को	31.03.2014 को
भूमि : फ्री होल्ड	2,876.20	25.08	-	2,901.28	107.53	-	-	107.53	2,793.75	2,768.67
भूमि : लीज होल्ड	378.07	-	-	378.07	163.79	16.55	0.01	180.35	197.72	214.28
भवन, सड़कें आदि	29,077.21	7,389.09	351.34	36,114.96	8,094.79	2,478.28	41.54	10,614.61	25,500.35	20,982.42
ड्रेनेज, सीवेज एवं जल आपूर्ति प्रणाली आदि	1,551.87	46.44	16.48	1,581.83	932.65	13.69	(8.69)	937.65	644.18	619.22
फर्नीचर, फिक्सचर एवं अन्य उपकरण	1,873.90	499.20	88.77	2,284.33	1,126.61	288.63	51.29	1,466.53	817.80	747.29
परिवहन उपकरण	23.86	-	-	23.86	8.15	4.35	-	12.50	11.36	15.71
योग	**35,781.11**	**7,959.81**	**456.59**	**43,284.33**	**10,433.52**	**2,801.50**	**84.15**	**13,319.17**	**29,965.16**	**25,347.59**

टाउनशिप, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था पर 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष
	आय		
1	मकान किराए की वसूली	598.79	617.77
2	यूटिलिटिज की पुनः प्राप्ति	232.07	215.90
3	अन्य वसूलियां	38.11	30.67
4	आय की तुलना में व्यय का आधिक्य	7,910.93	4,816.04
	योग	8,779.91	5,680.38
	व्यय		
1	वेतन, मजदूरी और भविष्य निधि में अंशदान	690.15	723.68
2	उपभोज्य वस्तु, स्टोर और औषधियां	56.64	53.50
3	सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां के लिए सहायिकी	150.32	171.80
4	मरम्मत और अनुरक्षण	1,452.02	1,134.89
5	मूल्यह्रास	2,801.50	753.22
6	प्रसुविधाएं : विद्युत, गैस और जल	1,718.86	1,374.37
7	भूमि किराया	62.69	20.07
8	कल्याण–स्कूल	950.02	814.45
9	बस भाड़ा प्रभार	193.89	169.73
10	क्लब एवं मनोरंजन	10.88	21.11
11	विविध व्यय–कर, लाइसेंस शुल्क, बीमा आदि	330.79	207.30
12	बागवानी व्यय	362.14	236.26
	योग	8,779.91	5,680.38

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु गेल (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

गेल (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार करना कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम, की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(10) के तहत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। बताया गया है कि उन्होंने दिनांक 27 मई, 2015 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा इसे संपन्न किया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम, की धारा 143 (6)(क) के अंतर्गत गेल (इंडिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कागजातों के अवलोकन के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा कंपनी अधिकारियों से की गई पूछताछ और कुछ चयनित–लेखा रिकार्डों की जांच तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ भी पता नहीं चला है, जिस पर सांविधिक लेखापरीक्षों की रिपोर्ट पर पूरक टिप्पणी की जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

ह./–

(सुपर्णा देब)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड–II
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 16.07.2015

समेकित वित्तीय **विवरण**

समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

गेल (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों के सम्बंध में रिपोर्ट

हमने गेल (इंडिया) लिमिटेड (जिसका इसके बाद ''नियंत्रक कंपनी'' के रूप में उल्लेख है) और उसकी सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों तथा सम्बद्ध कम्पनियों (नियंत्रक कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों का ''समूह के रूप में एक साथ उल्लेख है) की एवं इसकी संबद्ध एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियों की संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कर ली है जिसमें 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र, उस समय समाप्त होने वाले वर्ष का समेकित लाभ एवं हानि विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और व्याख्यात्मक सूचना (जिसका इसके बाद ''समेकित वित्तीय विवरण'' के रूप में उल्लेख है) का सारांश सम्मिलित है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

नियंत्रक कम्पनी का निदेशक–मण्डल कंपनी अधिनियम, 2013 (जो इसके बाद ''अधिनियम'' के रूप में उल्लिखित है) की अपेक्षाओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के अनुसार इसकी संबद्ध एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियों सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक शामिल है। समूह में सम्मिलित कम्पनियों एवं इसकी संबद्ध एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियों के निदेशक–मण्डल समूह की सम्पत्तियों के रक्षोपाय हेतु और जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा इनका पता लगाने के लिए; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन करने तथा लागू करने के लिए; राय देने एवं आंकलन करने के लिए जो उचित एवं विवेकपूर्ण हो; उपयुक्त आन्तरिक वित्तीय कंट्रोलों को लागू करने तथा अनुरक्षण हेतु जिन्हें लेखाकरण रिकॉर्डों की परिशुद्धता एवं परिपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित किया जा रहा था, जो उन वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए संगत हैं, जो सही एवं उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं और महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे ये जालसाजी के कारण हों अथवा चूक के कारण, जिन्हें नियंत्रक कम्पनी के निदेशक द्वारा, जैसा कि ऊपर व्यक्त है, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया गया हो, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त लेखाकरण रिकॉर्डों के रखरखाव हेतु जिम्मेदार है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। लेखापरीक्षा करते समय; हमने उस अधिनियम के उपबंधों को लेखाकरण एवं लेखा परीक्षा मानकों एवं मामलों को ध्यान में रखा है, जिन्हें अधिनियम के उपबंधों और उसके तहत बने नियमों के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें कि समेकित वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत कथनों से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा सम्बंधी प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादन कार्यविधि शामिल है। चयनित कार्यविधि लेखापरीक्षक के निणर्य पर निर्भर करती है जिसमें कपट या त्रुटि के कारण होने वाले समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित महत्वपूर्ण गलत कथन के जोखिम का निर्धारण शामिल है। उस जोखिम निर्धारण में लेखापरीक्षक ग्रुप के समेकित वित्तीय विवरण तैयार तथा प्रस्तुत करने सम्बंधी नियंत्रक कम्पनी के सुसंगत आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो परिस्थितियों के अनुसार समुचित लेखापरीक्षा कार्यविधियां तैयार करने के लिए सही तथा उचित दृश्य प्रस्तुत करता है, बल्कि इस विषय पर राय व्यक्त करने के प्रयोजनार्थ नहीं कि नियंत्रक कम्पनी के पास ऐसे कंट्रोलों की उपयुक्त वित्तीय रिपोर्टिंग एवं आपरेटिंग प्रभावकारिता लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्ता का मूल्यांकन तथा नियंत्रक कम्पनी के निदेशक–मण्डल द्वारा तैयार लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगतता भी शामिल हैं, साथ ही समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा नीचे अन्य विषमगत पैराग्राफों के उप–पैराग्राफ (क), (ख) एवं (घ) में उल्लिखित अपनी रिपोर्टों के अनुसार प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करते हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

अभिमत

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण इस तरह अपेक्षित तरीके में अधिनियम के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं और 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार समूह की, इसके संबद्ध एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियों की समेकित कार्य स्थिति तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु उनका समेकित लाभ/हानि एवं उनके समेकित नकदी प्रवाह को भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नियमों की अनुरूपता में एक सही एवं उचित चित्र प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण मामला

हम महत्वपूर्ण वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकृष्ट करते हैं :

1. टिप्पणी सं. – 43, 30.9.2014 तक संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों पर कम वसूलियों में हिस्सेदारी करने के संबंध में।
2. टिप्पणी सं. 45 – पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा जारी विभिन्न अनंतिम परिवहन टैरिफ आदेशों के संबंध में, इन आदेशों को बिजली संबंधी अपीलीय अधिकरण (एपीटीईएल) में चुनौती दी गई है और समायोजन, यदि कोई हो, को मामले पर अंतिम रूप से निर्णय होने पर ही स्वीकार किया जाएगा।
3. टिप्पणी सं. 46 एवं 47 – ओएनजीसी द्वारा उत्पन्न ऋण पत्रों के संबंध में, जो सी–शृंखला गैस के गैर–एपीएम मूल्यों और ओएनजीसी के शहरी ट्रॉम्बे पाइपलाइन के विभेदी टैरिफ के संबंध में हैं और गेल द्वारा अपने ग्राहकों के संबंध में तैयार किए गए तदनुरूपी ऋण पत्रों के संबंध में हैं।

हमारी रिपोर्ट इन मामलों के संबंध में आशोधित नहीं है।

अन्य मामले

(क) हम सहायक कम्पनियों, नामतः गेल गैस लिमिटेड और गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं करते, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार ₹929.66 करोड़ की कुल परिसम्पत्तियों को, ₹ 1591.93 करोड़ के कुल राजस्व को और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए ₹14.05 करोड़ की निवल नकदी बहिप्रवाह राशि को दर्शाती हो, जैसा कि गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक के समेकित वित्तीय विवरणों एवं वित्तीय विवरण में विचार किया गया है, जिसके वित्तीय विवरण 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति के अनुसार ₹1062.67 करोड़ की कुल सम्पत्ति, ₹336.02 करोड़ के कुल राजस्व और ₹3.57 करोड़ के निवल नकदी प्रवाह को दर्शाते हैं। वित्तीय विवरणों/जानकारी में सहायक कम्पनी, नामतः ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलीमर्स लिमिटेड भी शामिल है, जिनके वित्तीय विवरण/जानकारी अलेखापरीक्षित हैं और 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार ₹8710.78 करोड़ की कुल परिसम्पत्तियों और ₹51.35 करोड़ की निवल नकदी प्रवाह को दर्शाते हैं। लेखापरिक्षत वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट को प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय सिर्फ यहां तक इन सहायक कम्पनियों के संबंध में शामिल राशियां एवं प्रकटनों से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) एवं (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक पूर्वोक्त सहायक कम्पनियों का संबंध है, दूसरे लेखापरीक्षकों की

रिपोर्टों पर और अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर, जैसा भी मामला हो, पर आधारित है।

(ख) समेकित वित्तीय विवरणों में सम्बद्ध कम्पनियों, नामतः फेयूम गैस कम्पनी, नेशनल गैस कम्पनी, चायना गैस होल्डिंग लिमिटेड और गुजरात स्टेट इनर्जी जेनरेशन लिमिटेड के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में यथा–विचारित ₹88.12 करोड़ निवल लाभ का ग्रुप का अंश भी शामिल है, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की गई है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, जो गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड एवं चायना गैस होल्डिंग को छोड़ कर है। जिनके विवरण अलेखापरीक्षित हैं। लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की रिपोर्टों को प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है। और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय सिर्फ यहां तक यह इन सहायक कम्पनियों के संबंध में शामिल राशियां एवं प्रकटनों से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) एवं (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक पूर्वोक्त सहायक कम्पनियों का संबंध है, दूसरे लेखापरीक्षों की रिपोर्टों पर और अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर, जैसा भी मामला हो, पर आधारित है।

(ग) गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक, फेयूम गैस कम्पनी और नेशनल गैस कम्पनी के संबंध में लेखों को 31 दिसम्बर, 2014 के अनुसार तैयार किया जाता है और चायना गैस होल्डिंग लिमिटेड के संबंध में लेखों को 30 सितम्बर, 2014 तक तैयार किया जाता है और इन्हें समेकन हेतु प्रयोग किया गया है। प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वोक्त कम्पनियों की रिपोर्टिंग तारीख को और 31 मार्च, 2015 के बीच जिसमें समायोजन आवश्यक है, कोई महत्वपूर्ण लेन–देन अथवा अन्य घटनाएं घटित नहीं हैं।

(घ) हम संयुक्त रूप से नियंत्रित उन कम्पनियों के वित्तीय विवरणों एवं वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं करते जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2015 के अनुसार उस तारीख कों समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में यथा–विचारित ₹50151.36 करोड़ की कुल परिसंपत्ति, ₹46,784.99 करोड़ के कुल राजस्व और ₹1341.46 करोड़ के निवल नकदी बहिर्प्रवाह को दर्शाती है। ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी अलेखापरीक्षित हैं, इसमें पेट्रोनेट एलएनजी लि., भाग्यनगर गैस लिमिटेड और अवन्तिका गैस लिमिटेड शामिल नहीं हैं। जिनके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹658.85 करोड़ की कुल सम्पत्ति, ₹39,874.91 करोड़ के कुल राजस्व और ₹862.32 करोड़ के निवल करने बहिर्प्रवाह को दर्शाते हैं और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की रिपोर्टों को प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है और हमारी राय में सिर्फ यहां तक यह इन सहायक कम्पनियों के संबंध में शामिल राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित हैं और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) एवं (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक पूर्वोक्त सहायक कम्पनियों का संबंध है, दूसरे लेखापरीक्षों की रिपोर्टों पर और अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर, जैसा भी मामला हो, पर आधारित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और निम्न अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट किए गए कार्य पर हमारे विश्वास के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में और अन्य लेखापरीक्षकों को रिपोर्टों तथा प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी के संबंध में आशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि भारत के केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार जारी कम्पनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 (''आदेश'') के तहत अपेक्षित है, जो नियंत्रक कम्पनी, सहायक कंपनी, सम्बद्ध कम्पनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनी पर आधारित है, जो भारत में नियमित हैं, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर अनुप्रयोज्य सीमा में एक विवरण संलग्नक ''क'' में देते हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) के द्वारा अपेक्षित है, हम अनुप्रयोज्य सीमा में रिपोर्ट देते हैं कि :–

(क) हमने समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त किया, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास से पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित उचित लेखाबहियों को कानूनन यथा अपेक्षित रखा गया है, जहां तक उन बहियों एवं अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की हमारी जांच से व्यक्त होता है।

(ग) समेकित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का समेकित विवरण और इस रिपोर्ट से संबंधित समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ अनुरक्षित संगत लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के अनुपालन में हैं।

(ङ) 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार नियंत्रक कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित पत्रों के आधार पर, जिन्हें नियंत्रक कम्पनी के निदेशक–मण्डल द्वारा ऑन रिकॉर्ड लिया गया है और भारत में निगमित इसकी सहायक कम्पनियों, संबद्ध कम्पनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर भारत में निगमित समूह कम्पनियों, इसकी सम्बद्ध कम्पनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियों के किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त करने से 31 मार्च, 2015 को अस्वीकार नहीं किया गया है।

(च) अन्य मामलों के संबंध में कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाए।

(छ) समेकित वित्तीय विवरण समूह की इसकी संबद्ध एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमों के प्रभाव को प्रकट करते हैं – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 32 को देखें।

(ज) समूह, इसके सम्बद्ध एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियों की निष्पन्न संविदाओं सहित दीर्घ अवधि संविदाओं पर कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि नहीं हुई।

(झ) इसमें भारत में नियमित नियंत्रक कम्पनी और इसकी सहायक कम्पनियों, संबद्ध कम्पनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियों द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को स्थानान्तरित किए जाने हेतु अपेक्षित अन्तरण राशियों में कोई देरी नहीं हुए है।

कृते जी. एस. माथुर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 008744एन

(राजीव कुमार वाधवां)
(भागीदार)
सदस्यता सं. 091007

कृते एस. के. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 001135एन

एम. के. जुनेजा
(भागीदार)
सदस्यता सं. 013117

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2015

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड के शेयरधारकों के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की अन्य कानूनी एवं विनियामक अपेक्षा संबंधी रिपोर्ट के पैरा 1 में उल्लिखित संलग्नक–1 हम सूचित करते हैं कि :

(I) (क) कम्पनी ने सामान्य तौर पर उचित रिकॉर्ड रखे हैं जो मात्रात्मक ब्यौरों एवं अचल सम्पत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरों को दर्शाते हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा अचल सम्पत्तियों की जांच का एक नियमित कार्यक्रम है, जो हमारी राय में उचित है, जिसमें कम्पनी के आकार एवं सम्पत्तियों के स्वरूप को दर्शाया गया है। अचल सम्पत्तियों की प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष रूप से जांच की गई है तथा रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जांच में कोई विशेष विसंगति जानकारी में नहीं आई थी।

(ii) (क) सम्पत्ति सूचियों की प्रबंधन द्वारा उचित अन्तरालों पर प्रत्यक्ष रूप से जांच की गई है, जिसमें इंजीयर्स इंडिया लि. एवं अन्य ठेकेदारों में निहित सामान एवं अतिरिक्त पुर्जे शामिल हैं। हमने स्पष्ट किया है कि वर्ष के अंत में गैस का स्टॉक टर्मिनलों में बड़े टर्बाईन फ्लो मीटर/गैस क्रोमैटोग्राफ के पठन के संदर्भ में लिए गए हैं। एलपीजी/पेंटेन/एसबीपी विलेयक के स्टॉक को टैंक स्तरीय गेज माप के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है, जिसे घनत्व के माप द्वारा और ताप संबंधी संशोधन फैक्टर को लागू करके टनभार में परिवर्तित किया जाता है। एलपीजी वैपोर मात्रा को मानक सूत्र द्वारा टन भार में परिवर्तित किया जाता है। सहायक गेल गैस लिमिटेड के परीक्षक ने भी उल्लेख किया है कि सम्पत्ति सूचियों की नियमित प्रत्यक्ष जांच की जाती है, जिसमें ठेकेदारों एवं परियोजना परामर्शदाताओं की सम्पत्ति सूचियां शामिल नहीं हैं।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, प्रबंधन द्वारा अपनाई गई सम्पत्ति सूची की प्रत्यक्ष जांच की प्रक्रियाएं उचित हैं और कम्पनी के आकार एवं इसके कारोबार के स्वरूप के संबंध में पर्याप्त हैं। सहायक कम्पनी, नामतः गेल गैस लिमिटेड क लेखापरीक्षक ने कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय के स्वरूप के संबंध में प्रत्यक्ष जांच की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने का सुझाव दिया है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी के अनुसार कम्पनी सम्पत्ति सूची का उचित रिकॉर्ड रख रही है और सम्पत्ति सूची की प्रत्यक्ष जांच पर कोई विशेष विसंगति ध्यान में नहीं आई।

(iii) हमें दी गई जानकारी के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम की धारा 189 के तहत रखे रजिस्टर में आने वाले कम्पनियों, फॅर्मों अथवा अन्य पार्टियों को प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया है।

(iv) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार सम्पत्ति सूची एवं अचल सम्पत्तियों की खरीद के लिए और माल की खरीद एवं सेवाओं के लिए कम्पनी के आकार एवं इसके कारोबार के स्वरूप के समनुरूप समान्यतौर पर पर्याप्त आन्तरिक कंट्रोल सिस्टम हैं। तथापि, गेल गैस लिमिटेड, सहायक कम्पनी के लेखापरीक्षकों ने उल्लेख किया है कि आन्तरिक कंट्रोल सिस्टम में बड़ी कमजोर नहीं देखी गई है सिवाय, प्रगतिमान कार्य पूंजी के पूंजीकरण के संबंध में सीडब्ल्यू आईपी की कुछ पुरानी मदें थी, जो संविदाओं के समाप्त होने तक गैर–पूंजीकृत रह गई है।

(v) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के तहत अथवा किसी अन्य संगत उपबंध के तहत आने वाले वर्ष के दौरान जनता से कोई जमाओं को स्वीकार नहीं किया है।

(vi) हमने कम्पनी द्वारा रखे जा रहे लागत रिकॉर्डों की कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्डों के रखरखाव हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार व्यापक रूप से समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथमदृटया निर्धारित लेखा एवं रिकॉर्डों को अनुरक्षित किया गया है।

(vii) (क) कम्पनी के रिकॉर्डों एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी सामान्य तौर पर अविवादित सांविधिक देयताओं को जमा करने में नियमित रही है, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उप–कर और तथा उपयुक्त प्राधिकरणों को देय कोई अन्य सांविधिक देयताएं शामिल हैं। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क, मूल्य वर्धित कर, उप–कर तथा कोई अन्य सांविधिक देयताओं के संबंध में देय अविवादित राशियां उस तारीख से, जिस तारीख से वे देय हैं, छह माह से अधिक अवधि के लिए वर्ष के अंत में बकाया में नहीं थीं।

(ख) जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है, जिस पर हमें विश्वास है, आयकर, बिक्री कर अथवा धन कर अथवा सेवा कर अथवा सीमाशुल्क अथवा उत्पाद शुल्क अथवा मूल्य वर्धित कर अथवा उप–कर की देय राशियों को विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है और मंच जहां, विवाद लंबित है, नीचे दिए गए हैं :

दिनांक 31.03.2015 को यथा स्थिति विभिन्न विधानों के अंतर्गत भुगतान न की गई विवादित राशि की मांग से संबंधित मामलों की सूची

गेल (इंडिया) लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	सांविधि		विवाद की विषय–वस्तु	राशि	विवाद की अवधि	स्थिति–फोरम
1.	प्रवेश कर	(क)	यू.पी. में प्राकृतिक गैस पर प्रवेश कर की मांग	189.24	1999–00 से 2009–10	इलाहाबाद उच्च, न्यायालय, व्यापार कर अधिकरण एवं अपर आयुक्त (अपील)
		(ख)	राजस्थान में प्राकृतिक गैस पर प्रवेश कर की मांग	5.18	2002–03 से 2005–06	उप–आयुक्त (अपील) अजमेर
		(ग)	मध्य प्रदेश में प्राकृतिक गैस पर प्रवेश कर की मांग	6.28	2008–09, 2011–12 एवं 2012–13	अधिकरण, भोपाल एवं अपर आयुक्त (अपील), ग्वालियर
2.	बिक्री कर एवं वैट	(क)	रियायती बिक्री कर हेतु घोषणा फॉर्म की गैर–स्वीकृति	0.37	1995–96 एवं 1996–97	अधिकरण, भोपाल

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	संविधि		विवाद की विषय–वस्तु	राशि 2014–15	विवाद की अवधि	स्थिति–फोरम
		(ख)	कर निर्धारण आदेश के अनुसार बिक्री पर की मांग	4.24	2005–06 एवं 2006–07	अपर आयुक्त (अपील), नोएडा
		(ग)	कर निर्धारण के अनुसार वैट की मांग	35.78	2010–11	अपर आयुक्त (अपील), नोएडा
		(घ)	संचारण प्रभारों पर सीएसटी की मांग	1.91	2006–07	वाणिज्यिक कर अधिकारी, नागापत्तनम
		(ङ)	सामग्री के अंतरण पर वैट की मांग	6.28	2011–12	अपर आयुक्त (अपील), ग्वालियर
		(च)	एलपीजी खपत क्रेडिट नोट्स की अस्वीकृति के कारण सीएसटी की मांग	1.44	2011–12 एवं 2012–13	अपर आयुक्त (अपील), ग्वालियर
		(छ)	इनपुट पर क्रेडिट की अस्वीकृति की मांग	107.58	2010–11 एवं 2012–13	अपर आयुक्त (अपील), ग्वालियर एवं आयुक्त (अपील) मुम्बई
		(ज)	एलपीजी आर्थिक सहायता अस्वीकृति के कारण वैट की मांग	18.20	2005–06	संयुक्त आयुक्त (अपील), मुम्बई
		(झ)	इलेक्ट्रीसिटी कम्पनी को प्राकृतिक गैस की बिक्री पर वैट की मांग	123.06	2007–08	संयुक्त आयुक्त (अपील), मुम्बई
		(ञ)	बैण्डविड्थ प्रभारों पर वैट की मांग	2.58	2008–09	संयुक्त आयुक्त (अपील), मुम्बई
		(ट)	घरेलू इस्तेमाल हेतु एलपीजी की बिक्री पर वैट की मांग	38.60	2007–08, 2008–09 एवं 2010–11	संयुक्त आयुक्त (अपील) मुम्बई
		(ठ)	स्परलाइन प्रभारों पर वैट की मांग	4.23	2011–12	अपर आयुक्त (अपील) इटावा
		(ड)	एलपीजी आर्थिक सहायता छूट की अस्वीकृति के कारण जी वैट एवं सीएसटी की मांग	37.72	2006–07	अधिकरण, गुजरात
		(ढ)	बिक्रीकर के भुगतान में देरी के लिए शासित	0.60	2003–04	संयुक्त आयुक्त (अपील), मुम्बई
		(ण)	दर परिवर्तन के कारण वैट की मांग	0.49	अक्तूबर 2011– से दिसम्बर 2011	संयुक्त आयुक्त, त्रिचि
		(त)	एलपीजी आर्थिक सहायता छूट की अस्वीकृति के कारण सीएसटी की मांग	49.38	2005–06	उच्च न्यायालय, ग्वालियर
		(थ)	सीएसटी बिक्री को स्थानीय बिक्री के मांग	0.15	2003–04	असम, राजस्व बोर्ड

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	सांविधि		विवाद की विषय–वस्तु	राशि 2014–15	विवाद की अवधि	स्थिति–फोरम
		(द)	बिक्री कर मांग	0.20	1998–99	मुम्बई अधिकरण
		(ध)	कर निर्धारण आदेश के अनुसार संशोधित बिक्री कर मांग	2.59	2003–04	संयुक्त आयुक्त (अपील), वड़ोदरा
3.	सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर	(क)	एलपीजी मूल्यांकन विवाद	18.72	जनवरी 2001 से फरवरी 2005	सेस्टेट, मुम्बई
		(ख)	पेंटेन के वर्गीकरण पर विवाद	106.70	अगस्त 2005 से जुलाई 2009	सेस्टेट, अहमदाबाद
		(ग)	एमएफओ वर्गीकरण पर विवाद	75.33	जुलाई 2004 से मार्च 2011	सेस्टेट, अहमदाबाद
		(घ)	इनपुट सेवाओं पर लिए गए क्रेडिट के लिए सीसीआर, 2004 के नियम 6(3) के तहत शुल्क की मांग	13.80	2008–09 एवं 2009–10	सेस्टेट, कोलकाता
		(ङ)	मार्केटिंग मार्जिन पर सेवाकर की मांग	733.28	अक्तूबर 2006 से मार्च 2013	सेस्टेट, दिल्ली
		(च)	संयुक्त उद्यमों एवं सरकारी विभागों में कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति पर सेवाकर की मांग	37.17	अक्तूबर 2005 से जून 2012	सेस्टेट, दिल्ली
		(छ)	सेवाकर विवरणियों के आधार पर विभेदी सेवाकर की मांग	0.11	अक्तूबर 2006 से मार्च 2007	आयुक्त (अपील), वड़ोदरा
		(ज)	हजीरा पर लिए गए सेनवेट एवं सेवा कर क्रेडिट को अस्वीकार करके उठाई गई मांग	9.01	अगस्त 2005 से मार्च 2012	सेस्टेट, अहमदाबाद एवं सेस्टेट, दिल्ली
		(झ)	इनपुट सेवाओं पर लिए गए सेनवेट क्रेडिट की अस्वीकृति द्वारा उठाई गई मांग	0.20	2008–09 एवं दिसम्बर 2010 से मार्च 2011	सेस्टेट, दिल्ली एवं आयुक्त (अपील), कानपुर
		(ञ)	एसएपी सॉफ्टवेयर की खरीद पर सीवीडी की मांग	0.07	मार्च 2006	सेस्टेट, दिल्ली
			उप–जोड़	**1630.49**		
4.	आयकर	(क)	अप्रदत्त मांग	76.75	निर्धारण वर्ष 2012–13	आ.क.आ. (अपील)
		(ख)	टीडीएस की मांग	3.10	निर्धारण वर्ष 2008–09 से निर्धारण वर्ष 2015–16	आईटीओ (टीडीएस)
5.	अन्य कर		संशोधित मूल्य पर अधिसूचित क्षेत्र कर एवं जीआईडीसी कर (ब्याज सहित)	3.98	1998–99 से अगस्त 2005 एवं 1998–99 से दिसम्बर 2009	अहमदाबाद उच्च न्यायालय
			जोड़	**1714.32**		

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	सांविधि		विवाद की विषय–वस्तु	राशि 2014–15	विवाद की अवधि	स्थिति–फोरम
1.	सेवा कर	(क)	सेवाकर एवं ब्याज	0.65	2003–04 से 2007–08	सेस्टेट, दिल्ली
		(ख)	सेवाकर एवं ब्याज	3.77	2006–07 से 2010–11	आयुक्त, न्यायनिर्णयन, दिल्ली
		(ग)	सेवाकर एवं ब्याज	0.31	2011–12	सेस्टेट, दिल्ली
		(घ)	सेवाकर एवं ब्याज	0.02	2012–13	अपर–आयुक्त, दिल्ली
		(ङ)	सेवाकर एवं ब्याज	0.04	2013–14	अपर–आयुक्त, दिल्ली
2.	सीमा–शुल्क अधिनियम	(क)	सीमा–शुल्क	8.82	2013–14 एवं 2014–15	सीमा–शुल्क आयुक्त, अपील
3.	आय कर अधिनियम, 1961	(क)	आय कर एवं ब्याज	12.44	2007–08	20.03.2015 को प्राप्त आदेश आयकर आयुक्त (अपील) के पास दायर की जाने हेतु लंबित अपील

भाग्यनगर गैस लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	सांविधि		विवाद की विषय–वस्तु	राशि 2014–15	विवाद की अवधि	स्थिति–फोरम
1	आयकर अधिनियम, 1961	(क)	आयकर निर्धारण देयताएं	0.97	2009–10	माननीय उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
		(ख)	आयकर निर्धारण देयताएं	0.66	2010–11	माननीय उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद

(ग) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के संगत उपबंधों एवं उसके तहत बने नियमों के अनुसार निदेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि को स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक था।

(viii) कम्पनी में वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संचित हानियां नहीं हैं और इसमें वर्तमान तथा आसन्न पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकदी हानियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ix) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय है कि कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों, बैंक एवं डिबैंचर धारकों को देय राशियों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

(x) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अपनी सहायक कम्पनियों द्वारा बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए गारंटी दी है। हमारी राय में शर्तें एवं अन्य निबंधन कम्पनी के हित में प्रथम दृष्टया अहितकर नहीं हैं।

(xi) समग्र आधार पर मियादी ऋणों से संबंधित निधियों के उपयोग की पुनरीक्षा के आधार पर और संबंधित जानकारी के आधार पर, जैसा कि हमें उपलब्ध कराई गई है, कम्पनी द्वारा लिए गए मियादी ऋण का उन्हीं कार्यों के लिए उपयोग किया गया है, जिनके लिए इन्हें प्राप्त किया गया था।

(xii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के संबंध में पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान ध्यान में नहीं आई हैं।

कृते जी. एस. माथुर एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 008744एन

राजीव कुमार वाधवां
(भागीदार)
सदस्यता सं. 091007

कृते एस. के. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म सं. 001135एन

एम. के. जुनेजा
(भागीदार)
सदस्यता सं. 013117

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2015

31 मार्च, 2015 को समेकित तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
I **इक्विटी तथा देयताएं**			
(1)**शेयरधारकों की निधियां**			
क) शेयर पूंजी	1	**1,268.48**	1,268.48
ख) आरक्षित और अधिशेष	2	**32,754.19**	31,188.47
		34,022.67	**32,456.95**
(2) अल्प ब्याज		**1,758.30**	**1,758.78**
(3) गैर–वर्तमान देयताएं			
क) दीर्घावधि उधार	3	**14,752.38**	16,060.85
ख) आस्थगित कर देयता (निवल)	42	**3,547.69**	2,730.35
ग) अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	**2,259.69**	900.26
घ) दीर्घावधि प्रावधान	5	**592.07**	414.26
		21,151.83	**20,105.72**
(4) **वर्तमान देयताएं**			
क) अल्पावधि उधार	6	**1,174.16**	1,044.78
ख) भुगतान योग्य व्यापार	7	**3,413.74**	4,289.08
ग) अन्य वर्तमान देयताएं	8	**6,733.71**	5,458.35
घ) अल्पावधि प्रावधान	9	**1,390.84**	1,728.27
		12,712.45	**12,520.48**
योग		**69,645.25**	**66,841.93**

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
II. **परिसम्पत्तियां**			
(1) **गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां**			
क) अचल परिसंपत्तियां			
(i) मूर्त परिसंपत्तियां	10	33,053.89	27,016.49
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां	10	796.16	762.88
(iii) कार्यशील पूंजी	11	13,805.93	18,489.89
		47,655.98	46,269.26
ख) गैर–वर्तमान निवेश	12	1,259.14	1,144.88
ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	5,943.25	4,545.59
घ) अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां	14	2,423.25	729.82
		57,281.62	52,689.55
(2) **चालू परिसंपत्तियां**			
क) वर्तमान निवेश	15	139.28	136.80
ख) मालसूची	16	2,354.56	2,587.05
ग) प्राप्ति योग्य व्यापार	17	3,209.94	3,446.79
घ) नकद तथा उसके समतुल्य	18	1,558.25	3,211.11
ङ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	19	4,152.17	4,442.49
च) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	20	949.43	328.14
		12,363.63	14,152.38
योग		69,645.25	66,841.93

अनुषंगी टिप्पणी 1 से 45 वित्तीय विवरण के एकीकृत भाग के रूप में हैं।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

एन. के. नागपाल
सचिव

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)

प्रभात सिंह
निदेशक (विपणन)

बी. सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.एस. माथुर एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं. 008744एन

कृते एस.के. मित्तल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं. 001135एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2015

राजीव कुमार वाधवां
(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

एम. के. जुनेजा
(साझेदार)
सदस्यता सं. 013117

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
I.	**प्रचालनों के राजस्व (सकल)**	21		61,617.96		62,873.60
	घटा : उत्पाद शुल्क			(914.00)		(955.29)
	प्रचालनों से राजस्व (निवल			60,703.96		61,918.31
II.	अन्य आय	22		863.42		918.21
III.	**कुल राजस्व (I+II)**			61,567.38		62,836.52
IV.	**व्यय**					
	उपभुक्त कच्चा माल			4,962.57		4,976.61
	क्रय			42,761.60		43,627.71
	तैयार माल की माल सूची में (वृद्धि)/कमी, कार्यशील तथा व्यापार स्टॉक					
	प्रारंभिक स्टॉक		1,574.78		948.33	
	घटा : अंतिम स्टॉक		(1,343.15)		(1,574.78)	
				231.63		(626.45)
	कर्मचारी लाभ व्यय	23		985.39		920.04
	वित्त लागत	24		651.83		668.71
	मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	25		1,432.57		1,644.22
	अन्य व्यय	26		6,112.29		5,015.95
	कुल व्यय			57,137.88		56,226.79
V.	**अपवादित एवं असाधारण मदों से पूर्व लाभ एवं कर (III-IV)**			4,429.50		6,609.73
VI.	**अपवादित मदें**			(62.86)		(312.69)
VII.	**असाधारण मदों से पूर्व लाभ एवं कर (V-VI)**			4,492.36		6,922.42
VIII.	**असाधारण मदें**			-		-
IX.	कर पूर्व लाभ (VII-VIII)			4,492.36		6,922.42
X.	कर व्यय					
	1. वर्तमान कर					
	– वर्तमान वर्ष (मैट क्रेडिट हकदारिता का निवल)			629.01		1,943.38
	– पूर्व वर्ष			(40.16)		(47.87)
	2. आस्थगित कर			832.07		299.32
	कुल कर व्यय			1,420.92		2,194.83
XI.	**कर पश्चात् लाभ**			3,071.44		4,727.59
	जमा : वर्ष हेतु अनुषंगी कंपनियों में लाभ/(हानि) का हिस्सा			88.12		58.89
	घटा : अल्प हिस्सा			(0.49)		0.26
XII.	**कर पश्चात समूह लाभ**			3,160.05		4,786.22
	प्रति शेयर आय का विवरण (अंकित मूल्य प्रति शेयर 10/– रु.)					
	– प्रति शेयर मूल आय (रु.)			24.91		37.73
	– प्रति शेयर कम हुई आय (रु.)			24.91		37.73
	निर्माण अवधि के दौरान व्यय	27				
	अवधि पूर्व समायोजन	28				

अनुषंगी टिप्पणी 1 से 45 वित्तीय विवरण के एकीकृत भाग के रूप में हैं।

उपर्युक्त अवधि में कोई अपवादात्मक अथवा असाधारण मदें या बंद प्रचालन नहीं है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

एन. के. नागपाल
सचिव

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)

प्रभात सिंह
निदेशक (विपणन)

बी. सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कृते जी.एस. माथुर एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं. 008744एन

राजीव कुमार वाधवां
(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

कृते एस.के. मित्तल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं. 001135एन

एम. के. जुनेजा
(साझेदार)
सदस्यता सं. 013117

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 1 : शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
अधिकृत		
10 रुपए मूल्य के 200,00,00,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष : 200,00,00,000)	2,000.00	2,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
पूर्ण रूप से प्रदत्त प्रति 10 रुपए मूल्य के 126,84,77,400 (गत वर्ष : 126,84,77,400) इक्विटी शेयर	1,268.48	1,268.48
योग	1,268.48	1,268.48

क) कंपनी में 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015		31 मार्च, 2014	
	संख्या	% होल्डिंग	संख्या	% होल्डिंग
पूर्ण प्रदत्त प्रति 10 रुपए मूल्य के इक्विटी शेयर				
(I) भारत का राष्ट्रपति (प्रवर्तक)	71,17,33,651	56.11%	71,17,33,651	56.11%
(ii) भारतीय जीवन बीमा निगम	11,61,05,407	9.15%	9,59,06,319	7.56%

ख) कंपनी के पास अव्वल दर्जे का इक्विटी शेयर है जिसका अंकित मूल्य 10/– प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर के धारक समय–समय पर घोषित किए जाने वाले लाभांश प्राप्त करने के हकदार होते हैं। तथा शेयरधारकों की बैठक में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में मतदान के हकदार होते हैं।

ग) 179,47,026 (पूर्ववर्ती वर्ष : 177,25,920) शेयर वैश्विक न्यासी प्राप्तियों के रूप में धारित हैं।

टिप्पणी 2 : प्रारक्षित एवं अतिरिक्त निधि

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
आरक्षित पूंजी				
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार	**3,299.22**		2,601.74	
जमा : लाभ एवं हानि/प्राप्त निधियों के विवरण से अंतरित	**1.82**		697.60	
घटा : लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित	**(0.12)**	3,300.92	(0.12)	3,299.22
शेयर प्रीमियम लेखा		**14.70**		14.70
डिवेंचर विमोचन आरक्षित	**11.67**		1.88	
बान्ड विमोचन आरक्षित				
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार	**167.27**		173.21	
जमा : लाभ एवं हानि विवरण से अंतरित	**61.77**		49.06	
घटा : लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित	**(25.00)**		(55.00)	
		204.04		167.27
सीएसआर आरक्षित				
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार	**31.00**		13.13	
जमा : लाभ एवं हानि विवरण से अंतरित	**-**		31.00	
घटा : लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित	**(30.00)**		(13.13)	
		1.00		31.00
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन भिन्नता लेखा		**25.13**		14.81
सामान्य आरक्षित				
पिछले वित्तीय विवरण के अनुसार	**3,314.55**		3,176.54	
जमा : लाभ एवं हानि विवरण से अंतरित	**315.30**		448.58	
जमा : बकाया संयुक्त उद्यम पुनर्संमूहन के कारण समायोजन	**(678.37)**		(310.57)	
(अन्य लेखों की टिप्पणियों के संदर्भ नोट सं.–37 को देखें)		**2951.48**		3314.55
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित पूंजी		**60.28**		59.14
लाभ एवं हानि विवरण में अधिशेष				
पिछले गत वित्तीय विवरण के अनुसार	**24,285.90**		21,518.88	
जमा : लाभ एवं हानि विवरण से अंतरित	**3,160.05**		4,786.22	
घटा : अनुषंगी कंपनियों से प्राप्त देय लाभांश का समायोजन	**(14.48)**		(13.40)	
घटा : विनियोजन				
अंतरिम लाभांश	**380.54**		570.81	
प्रस्तावित अंतिम लाभांश	**380.54**		748.40	
निगमित लाभांश कर	**153.56**		224.20	
आरक्षित बॉन्ड विमोचन से अंतरण	**(25.00)**		(55.00)	
आरक्षित बॉन्ड विमोचन में अंतरण	**61.77**		49.06	
सीएसआर आरक्षित में अंतरित	**(30.00)**		17.87	
आरक्षित डिवेन्चर विमोचन से अंतरण	**9.79**		1.88	
सामान्य आरक्षित	**315.30**		448.58	
		26184.97		24285.90
योग		**32,754.19**		**31,188.47**

टिप्पणी 3 : दीर्घावधि ऋण

(₹ करोड़ में)

	गैर–वर्तमान भाग		वर्तमान परिपक्वता	
	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
रक्षित				
(क) बॉन्ड				
बांड शृंखला–1	-	100.00	100.00	100.00
(6.10% रक्षित अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य बांड शृंखला–1 आबंटन की मान्य तारीख 22 अगस्त, 2003 में 8वें वर्ष की समाप्ति से 12वें वर्ष की समाप्ति तक 5 समान किस्तों में मोचनयोग्य है) (बांड को ग्राम टंडालजा, वड़ोदरा में फ्रीहोल्ड, गैर कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ उस पर निर्मित विद्यमान एवं भावी समूचे भवन और कंपनी की एलपीजी वाघोडिया संयंत्र, हजीरा संयंत्र, जीआईपी वाघोडिया संयंत्र, गंधार संयंत्र और वडोदरा संयंत्र स्थित परियोजनाओं में समस्त संयंत्र तथा मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, औजार तथा उपकरण एवं अन्य तथा विद्यमान एवं भावी दोनों सहित तथा स्थापित या अन्यथा और अलग या भंडार में पड़े हुए सहित चल परिसंपत्तियों को समरूप आधार पर प्रभारित कर रक्षित किया गया है)				
बांड शृंखला 2015	500.00	-	-	-
(8.30% रक्षित अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य बांड शृंखला 2015 आबंटन की मान्य तारीख 23 फरवरी, 2015 से 7 वर्ष की समाप्ति से 10वें वर्ष की समाप्ति तक 4 समान किस्तों में मोचनयोग्य है) (बांड को ग्राम टंडालजा, वडोदरा में फ्रीहोल्ड, गैर कृषियोग्य भूमि के साथ–साथ उस पर निर्मित विद्यमान एवं भावी समूचे भवन और कंपनी की एलपीजी वाघोडिया संयंत्र, हजीरा संयंत्र, जीआईपी वाघोडिया संयंत्र, गंधार संयंत्र और वडोदरा संयंत्र स्थित परियोजनाओं में समस्त संयंत्र तथा मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, औजार तथा उपकरण एवं अन्य तथा विद्यमान एवं भावी दोनों सहित तथा स्थापित या अन्यथा और अलग या भंडार में पड़े हुए सहित चल परिसम्पत्तियों को समरूप आधार पर प्रभारित कर रक्षित किया गया है)				
बांड 2010 शृंखला–1	500.00	500.00	-	-
(8.80% रक्षित अपरिवर्तनीय मोचनयोग्य बांड 2010 शृंखला–1 की आबंटन की मान्य तारीख 13 दिसम्बर, 2010 से 7वें वर्ष की समाप्ति पर मांग विकल्प के साथ सातवें वर्ष की समाप्ति से 10वें वर्ष की समाप्ति 4 समान किस्तों में मोचनयोग्य हैं) (बांड को ग्राम टंडालजा, वडोदरा में फ्रीहोल्ड, गैर कृषियोग्य भूमि के साथ–साथ उस पर निर्मत विद्यमान एवं भावी समूचे भवन और कंपनी की विजयपुर–दादरी पाइपलाइन परियोजनाओं में समस्त संयंत्र तथा मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, औजार तथा उपकरण एवं अन्य चल परिसम्पत्तियों को विद्यमान एवं भावी दोनों सहित था स्थापित या अन्यथा और अलग या भंडार में पड़े हुए सहित समरूप आधार पर प्रभारित कर रक्षित किया गया है)				
	1,000.00	600.00	100.00	100.00
आगे ले जाएं				

(₹ करोड़ में)

	गैर–वर्तमान भाग		वर्तमान परिपक्वता	
	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
पीछे से लाएं	1,000.00	600.00	100.00	100.00
बांड शृंखला – 2012	750.00	750.00	-	-
(9.14% रक्षित अरिवर्तनीय मोचनयोग्य बांड 2012 शृंखला–1 की आबंटन की मान्य तारीख 11 जून, 2012 से 5वें वर्ष की समाप्ति से 8वें वर्ष की समाप्ति तक मांग विकल्प के साथ 4 समान किस्तों में मोचनयोग्य हैं) (बांड को ग्राम टंडालजा, वडोदरा में फ्रीहोल्ड, गैर कृषियोग्य भूमि के साथ–साथ उस पर निर्मित विद्यमान एवं भावी समूचे भवन और कंपनी की विजयपुर स्थित कम्प्रेसर स्टेशन को छोड़कर विजयपुर–दादरी पाइपलाइन परियोजनाओं में समस्त संयंत्र तथा मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, औजार तथा उपकरण एवं अन्य चल परिसमपत्तियों को विद्यमान को विद्यमान एवं भावी दोनों सहित तथा स्थापित या अन्यथा और अलग या भंडार में पड़े हुए सहित समरूप आधार पर प्रभारित कर रक्षित किया गया है)				
(ख) सावधि ऋण				
एचडीएफसी बैंक से ऋण	-	900.00	-	
(ऋण की दहेज–विजयपुर चरण–II पाइपलाइन परियोजना की सपूर्ण पाइपलाइन, स्पर लाइन, संयंत्र एवं मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, उपकरण, औजार तथा उपकरण एवं अन्य चल परिसम्पत्तियां, विद्यमान एवं भावी दोनों सहित, या तो खुले में या बंद रूप में पड़ी हुई हो या अन्यथा और अलग या भंडार में पड़ी हुई या अन्यथा और अलग या भंडार में पड़ी हुई हो या मार्गस्थ अथवा गहरे समुद्र में हो, सहित संपूर्ण चल स्थायी परिसम्पत्तियों को समरूप आधार पर प्रभारित कर रक्षित कर दिया गया है। (झाबुआ और विजयपुर कंप्रेसर स्टेशन में प्लांट और मशीनरी को छोड़कर)। 5.05.2013 से 2 वर्ष की विलंबन अवधि को पूरा होने के बाद 6 माह से आरंभ होकर अर्धवार्षिक स्थान किस्तों के पहले वितरण की तारीख में 12 वर्षों की अवधि के भीतर चुकौती योग्य।				
तेल उद्योग विकास बोर्ड	-	121.00	121.00	237.50
(संपूर्ण पाइपलाइन, स्पर लाइनें, संयंत्र एवं मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, उपकरण, औजार तथा उपसाधन और वर्तमान एवं भावी अन्य चल परिसम्पत्तियां, जो संस्थापित की गई है अथवा नहीं, तथा या तो खुले रूप में पड़ी हैं या डिब्बों में बंद ऐसे ही पड़ी हैं या भंडार में है या समयःसमय पर उनकी सुरक्षा करते हुए उन्हें भंडार किया जाता है अथवा स्पर लाइनों सहित उधारकर्ता की छांयसा–हिसार पाइपलाइन परियोजना में लाया जाएगा या भंडार किया जाएगा या उधारकर्ता के आदेश या अवस्थिति के कारण किसी भी पार्टी के पास हो या मार्गस्थ हों अथवा समुद्र में हो या उधारकर्ता के अधिकार में कहीं भी और कभी भी आदेश या सुपुर्दगी की स्थिति में हो और स्थापन्न या वृद्धि की स्थिति में हो, उनको प्रथम प्रभार द्वारा गिरवी के माध्यम से रक्षित किया गया है। भुगतान की तारीख से एक वर्ष के विलंबन अवधि की समाप्ति के पश्चात् चार समान किस्तों में भुगतान योग्य। ऋण का भुगतान जुलाई, 2009 से मार्च, 2011 तक किया गया जिस पर भुगतान की तिथि के आधार पर वार्षिक ब्याज की दर 6.74% से 8.31% होगी।				
आगे ले जाएं	**1,750.00**	**2,371.00**	**221.00**	**337.50**

(₹ करोड़ में)

	गैर–वर्तमान भाग		वर्तमान परिपक्वता	
	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
पीछे से लाएं	1,750.00	2,371.00	221.00	337.50
तेल उद्योग विकास बोर्ड (संपूर्ण पाइपलाइन, स्पर लाइनें, संयंत्र एवं मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, उपकरण, औजार तथा उपसाधन और वर्तमान एवं भावी अन्य ख्ल परिसंपत्तियां, जो संस्थापित की गई है अथवा नहीं, तथा या तो खुले रूप में पड़ी हैं या भंडार में है या समय–समय पर उनकी सुरक्षा करते हुए उन्हें भंडार किया जाता है अथवा स्पर लाइनों सहित उधारकर्ता की छांयसा–झज्जर–हिसार पाइपलाइन परियोजना में लाया जाएगा। या भंडार किया जाएगा या उधारकर्ता के आदेश या अवस्थिति के कारण किसी भी पार्टी के पास हो या मार्गस्थ हो अथवा समुद्र मे हों या उधारकर्ता के अधिकार में कहीं भी और कभी भी आदेश या सुपुर्दगी की स्थिति में हों और स्थानापन्न या वृद्धि की स्थिति में हों, उनको प्रथम प्रभार द्वारा गिरवी के माध्यम से रक्षित किया गया है। भुगतान की तारीख से एक वर्ष के विलंबन अवधि समाप्ति के पश्चात् चार समान किस्तों में भुगतान योग्य। ऋण का भुगतान जुलाई, 2011 से जून, 2013 तक किया गया जिस पर भुगतान की तिथि के आधार पर वार्षिक ब्याज की दर 8.50% से 8.98% होगी।	788.75	1,205.00	416.25	291.25
तेल उद्योग विकास बोर्ड (संपूर्ण पाइपलाइन, स्पर लाइनें, संयंत्र एवं मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जे, उपकरण, औजार तथा उपसाधन और वर्तमान एवं भावी अन्य जल परिसंपत्तियां, जो संस्थापित की गई है अथवा नहीं, तथा या तो खुले रूप में पड़ी हैं या डिब्बों में बंद हैं या अब ऐसे ही पड़ी हैं या भंडार में हैं या समय–समय पर उनकी सुरक्षा करते हुए उन्हें भंडार किया जाता है अथवा स्पर लाइनों सहित उधारकर्ता की छांयसा–झज्जर–हिसार पाइपलाइन परियोजना में लाया जाएगा या भंडार किया जाएगा या उधारकर्ता के आदेश या अवस्थिति के कारण किसी भी पार्टी के पास हों या मार्गस्थ हों अथवा समुद्र में हों या उधारकर्ता के अधिकार में कहीं भी और कभी भी आदेश या सुपुर्दगी की स्थिति में हों और स्थानापन्न या वृद्धि की स्थिति में हों, उनको प्रथम प्रभार द्वारा गिरवी के माध्यम से रक्षित किया गया है।) भुगतान की तारीख से एक वर्ष के विलंबन की समाप्ति के पश्चात चार समान किस्तों में भुगतान योग्य। ऋण का भुगतान नवम्बर, 2013 से मार्च, 2014 तक किया गया जिस पर भुगतान की तिथि के आधार पर वार्षिक ब्याज की दर 8.94% से 9.27% होगी।	356.25	475.00	118.75	-
–बैंकों से	4,746.82	4,287.14	583.06	519.80
– अन्यों से	2,012.21	2,171.93	244.62	135.02
आगे ले जाएं	**9,654.03**	**10,510.07**	**1,583.68**	**1,283.57**

(₹ करोड़ में)

ब्यौरे	गैर–वर्तमान भाग		वर्तमान परिपक्वता	
	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
पीछे से लाएं	9,654.03	10,510.07	1,583.68	1,283.57
अरक्षित				
(क) बॉन्ड्स / डिबेंचर				
–गैर–परिवर्तनीय बाण्ड – 8.35% डिबेंचर–सरीज–I	162.50	37.50	-	-
–अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर – 9% डिबेंचर	3.30	-	-	-
(ख) सावधि ऋण				
बैंकों से :				
– **बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिसी यूएफजे लि.** (निकासी की अंतिम तिथि दिसंबर 2015, दिसंबर 2016 तथा दिसंबर 2017 से चौथे, पांचवें एवं छठे वर्ष की समाप्ति पर 1/3 का पुर्नभुगतान) ऋण पर प्लवमान ब्याज दर लागू है जो 6 माह एलआईबीओआर प्लस स्प्रेड से जुड़ा है।	421.27	606.10	210.63	-
– **बैंक ऑफ टोक्यो मित्सुबिसी यूएफजे लि.** (निकासी की अंतिम तिथि अर्थात अगस्त 2016 से पांचवें वर्ष की समाप्ति पर बुलेट पुर्नभुगतान ऋण पर प्लवमान ब्याज दर लागू है जो 6 माह एलआईबीओआर प्लस स्प्रेड से जुड़ा हुआ है)।	947.85	909.15	-	-
– **मिजुहो कॉर्पोरेट बैंक** (निकासी की अंतिम तिथि अर्थात जनवरी 2016, जनवरी 2017 तथा जनवरी, 2018 से चौथे, पांचवें एवं छठे वर्ष की समाप्ति पर 1/3 का पुर्नभुगतान ऋण पराप्लवमान ब्याज दर लागू है जो 6 माह एलआईबीओआर प्लस स्प्रेड से जुड़ा हुआ है।)	421.27	606.10	210.63	-
– **सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन** (निकासी की अंतिम तिथि अर्थात फरवरी 2016, फरवरी, 2017 तथा फरवरी 2018 से चौथे, पांचवें एवं छठे वर्ष की समाप्ति पर 1/3 का पुर्नभुगतान) ऋण पर प्लवमान ब्याज दर लागू है जो 6 माह एलआईबीओआर प्लस स्प्रेड से जुड़ा हुआ है।	421.27	606.10	210.63	-
– **जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को–ऑपरेशन (जेबीआईसी)** जून, 2013 से आरम्भ 20 अर्द्ध–वार्षिक समान किस्तों में चुकौती योग्य	191.42	245.35	27.35	30.67
– **सुमिटोमो बैंक** (निकासी की अंतिम तिथि अर्थात नवम्बर 2017 तथा नवम्बर 2018 से पांचवें एवं छठे वर्ष की समाप्ति पर 1/2 का पुर्नभुगतान ऋण पर प्लवमान ब्याज दर लागू है जो 6 माह एलआईबीओआर प्लस स्प्रेड से जुड़ा हुआ है)।	1,895.70	1,818.30	-	-
– **सोसाइटी जनरल** (22 अक्तूबर 2012 से आरंभ 20 अर्द्ध वार्षिक समान किस्तों में चुकौती)	305.31	337.90	46.97	45.05
– **केएफडब्ल्यू जर्मनी (साइमेंस सुविधा)** (मार्च, 2014 से आरंभ 20 अर्द्ध वार्षिक समान किस्तों में पुर्नभुगतान)	246.11	267.54	32.82	31.48
– **केएफडब्ल्यू जर्मनी (कॉपरियन सुविधा)** (नवम्बर, 2014 से आरंभ 14 अर्द्ध वार्षिक समान किस्तों में चुकौती)	69.29	78.55	12.60	6.04
(ग) अन्य				
–आस्थगित बिक्री कर	2.16	2.79	-	-
– अन्य अरक्षित	10.90	35.40	29.50	34.50
	5,098.35	5,550.78	781.13	147.74
जोड़	14,752.38	16,060.85	2,364.81	1,431.31

टिप्पणी 4 : अन्य दीर्घावधि देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
व्यापार देयताएं	2.82	2.63
गैस पूल राशि (अनन्तिम)	1,998.33	652.51
अन्य :		
परित्यक्त लागत (ई एंड पी) हेतु देयता	1.13	1.13
जमा तथा अन्य दीर्घावधि देयताएं	257.41	243.99
जोड़	2,259.69	900.26

टिप्पणी 5 : दीर्घावधि प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
कर्मचारी हितलाभ (उपदान सहित) हेतु प्रावधान	588.02	409.78
अन्य प्रावधान	4.05	4.48
जोड़	592.07	414.26

टिप्पणी 6 : अल्पावधि ऋण

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
रक्षित/आरक्षित ऋण	1,174.16	1,044.78
जोड़	1,174.16	1,044.78

टिप्पणी 7 : व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
व्यापार देयताएं (पीएमटी जेवी कंसोर्शियम को भुगतान योग्य 30.49 करोड़ रुपए (गत वर्ष 28.06 करोड़ रुपए) सहित	3,413.74	4,289.08
जोड़	3,413.74	4,289.08

टिप्पणी 8 : अन्य वर्तमान देयताएं

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
(क) दीर्घावधि ऋण की वर्तमान पूर्णता अवधि (नोट सं. 3 देखें)		
(i) रक्षित	1,583.68	1,283.57
(ii) अरक्षित	781.13	147.74
(ख) ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं	253.36	246.72
(ग) अप्रदत्त लाभांश	3.51	3.23
(घ) अन्य		
ग्राहकों, ठेकेदारों तथा अन्यों से अग्रिम/जमा	1,484.95	762.82
प्रतिधारण राशि	816.81	1,035.71
गैस पूल राशि	80.38	70.62
असंतुलन तथा अधिक प्रभार		
अन्य देयताएं	1,729.89	1,907.94
जोड़	6,733.71	5,458.35

टिप्पणी 9 : अल्पावधि प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	46.32	50.59
अन्य :		
प्रस्तावित लाभांश हेतु प्रावधान	380.54	748.40
संभावित अनिवार्यताओं हेतु प्रावधान	77.47	127.19
प्रस्तावित लाभांश पर कर हेतु प्रावधान	576.65	525.83
अन्य प्रावधान	309.86	276.26
जोड़	1,390.84	1,728.27

टिप्पणी 10 : अचल परिसंपत्तियां (मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियां)

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक (लागत पर)				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2014 को	वर्ष के दौरान जमा / समायोजन	वर्ष के दौरान बिक्री / समायोजन	31.03.2015 को	01.04.2014 को	वर्ष के लिए##	वर्ष के दौरान समायोजन	31.03.2015 को	31.03.2015 को	31.03.2014 को
मूर्त परिसंपत्तियां										
भूमि : फ्रीहोल्ड	196.64	11.61	0.77	**207.48**	-	0.01	-	-	**207.48**	196.64
लीजहोल्ड	433.71	18.24	1.56	**450.39**	52.01	11.54	0.24	**63.31**	**387.08**	381.70
भवन : कार्यालय / अन्य	834.84	314.79	36.41	**1,113.22**	221.78	33.63	(50.52)	**305.93**	**807.29**	613.06
आवासीय	447.80	82.38	3.87	**526.31**	87.58	10.74	(13.72)	**112.04**	**414.27**	360.22
सड़कें एवं दीवारें	2.21	-	0.07	**2.14**	0.41	0.27	0.02	**0.66**	**1.48**	1.80
विद्युत संस्थापन	3.18	0.31	-	**3.49**	0.55	0.54	(0.02)	**1.11**	**2.38**	2.63
बंक हाउस	2.56	0.36	-	**2.92**	2.01	0.25	(0.16)	**2.42**	**0.50**	0.55
संयंत्र और मशीनरी	36,715.16	7,025.36	526.55	**43,213.97**	13,421.73	1,056.04	135.61	**14,342.16**	**28,871.81**	23,293.43
रेलवे लाइनें एवं साइडिंग	5.47	-	-	**5.47**	5.18	0.01	(0.01)	**5.20**	**0.27**	0.29
संचार प्रणालियां	5.64	1.39	0.12	**6.91**	3.62	1.13	0.09	**4.66**	**2.25**	2.02
विद्युत उपकरण	278.24	185.46	9.17	**454.53**	110.45	30.87	(26.88)	**168.20**	**286.33**	167.79
फर्नीचर, फिक्सचर एवं अन्य उपकरण	239.02	87.31	20.49	**305.84**	116.67	31.94	(2.11)	**150.72**	**155.12**	122.35
कार्यालय उपकरण	215.77	37.74	17.24	**236.27**	131.79	32.67	2.54	**161.92**	**74.35**	83.98
वाहन	1.16	3.61	0.07	**4.70**	0.42	0.78	0.04	**1.16**	**3.54**	0.74
परिवहन उपकरण	6.15	1.43	(1.38)	**8.96**	3.68	0.75	(0.16)	**4.59**	**4.37**	2.47
ई एंड पी परिसंपत्तियां										
प्रमाणित / उत्पादनशील सम्पत्ति	2,043.88	255.57	(31.72)	**2,331.17**	259.08	231.49	(7.61)	**498.18**	**1,832.99**	1,784.80
सहायक उपकरण एवं सुविधा	2.05	0.43	(0.01)	**2.49**	0.73	0.10	-	**0.83**	**1.66**	1.32
अप्रमाणित लीजहोल्ड लागत	0.70	-	(0.02)	**0.72**	-	-	-	-	**0.72**	0.70
अमूर्त परिसंपत्तियां										
उपयोग का अधिकार	742.31	5.44	(0.08)	**747.83**	21.06	7.53	-	**28.59**	**719.24**	721.25
सॉफ्टवेयर / लाइसेंस / अन्य	118.11	49.30	5.67	**161.74**	76.48	14.05	5.71	**84.82**	**76.92**	41.63
जोड़	**42,294.60**	**8,080.73**	**588.78**	**49,786.55**	**14,515.23**	**1,464.33**	**43.06**	**15,936.50**	**33,850.05**	**27,779.37**
शामिल की गई संयुक्त उद्यमों तथा अनुषंगी कंपनियों की परिसंपत्तियों में शेयर	8,238.28	627.28	468.27	**8,397.29**	1,935.54	483.59	112.21	**2,306.92**	**6,090.37**	6,302.74
पूर्ववर्ती वर्ष	37,244.72	5,216.50	166.62	**42,294.60**	12,941.32	1,663.50	89.59	**14,515.23**	**27,779.37**	24,303.40
शामिल की गई संयुक्त उद्यमों तथा अनुषंगी कंपनियों की परिसंपत्तियों में शेयर	6,095.75	2,246.67	104.14	**8,238.28**	1,499.80	482.64	46.90	**1,935.54**	**6,302.74**	4,595.95

वित्त वर्ष हेतु मूल्यह्रास में 6.09 करोड़ की क्षति रुपए शामिल है (संयंत्र और मशीनरी के लिए)

टिप्पणी 11 : कार्यशील पूंजी

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
कैथोडिक सुरक्षा तथा प्रेषण प्रापण टर्मिनल सहित लाइनपाइप निर्माण तथा संबंधित सुविधाएं	1,184.72		943.33	
घटा : लाइनपाइप तथा संबंधित सुविधाओं हेतु प्रावधान	(96.28)	1,088.44	(87.49)	855.84
कम्प्रेसर स्टेशन		12.09		4.82
दूरसंचार/ दूर पर्यवेक्षण प्रणाली		8.20		6.79
एलपीजी पाइपलाइन परियोजना		0.63		0.22
एलपीजी परियोजना		0.10		0.67
पेट्रोकेमिकल		9,811.64		13,202.33
दूरसंचार परियोजना		-		0.02
अन्य		155.90		157.50
इंजीनियरिंग/परियोजना निर्माण		481.58		571.11
प्रक्रियाधीन अन्वेषणात्मक एवं विकासात्मक कूप	474.12		549.55	
घटा : शुष्क अन्वेषणात्मक कूप हेतु प्रावधान	-	474.12	-	549.55
सीएनजी स्टेशन का निर्माण		148.93		134.51
भवन	91.76		149.14	
घटा : भवन के परित्याग हेतु प्रावधान	(5.28)	86.48	(5.28)	143.86
लइनपाइन, भंडार में/मार्गस्थ पूंजीगत मदें	1,544.37		2,862.95	
घटा : हानि/अव्यवहृत हेतु प्रावधान	(6.55)	1,537.82	(0.28)	2,862.67
जोड़		13,805.93		18,489.89

टिप्पणी 12 : गैर वर्तमान निवेश

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
1. व्यापार निवेश				
उद्धृत				
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश :				
(i) संबद्ध कंपनियों में				
0.01/– हांगकांग डालर प्रति शेयर की दर से चाइना गैस होल्डिंग लि. चाइना में पूर्ण प्रदत्त 15,00,00,000 (गत वर्ष 15,00,00,000) इक्विटी शेयर जो	**37.03**		37.03	
1.148/– हांगकांग डालर प्रति शेयर के प्रीमियम पर अर्जित किए गए।	**60.34**		60.34	
जमा : साख	**280.78**		197.66	
जमा : अनुषंगी कंपनियों में लाभ का हिस्सा	**(43.97)**		(29.88)	
घटा : प्राप्त लाभांश		**334.18**		265.15
	21.21		21.21	
एलई 5/– प्रति शेयर की दर से नेट गैस इक्विटी शेयर में 3,000,000 (गत वर्ष : 3,000,000) जो एलई 34.5 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम पर अर्जित किए गए।	**62.41**		62.41	
जमा : साख	**107.20**		96.21	
जमा : लाभ का हिस्सा		**190.82**		179.83
(ii) अन्य	**0.86**		0.86	
गुजरात इंडस्ट्रीज पॉवर कमपनी लिमिटेड में 10–10 रुपए मूल्य के 5,70,600 (गत वर्ष : 5,70,600) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (वर्ष 1996–97 के दौरान 15/– रु. प्रति शेयर के प्रीमियम पर अर्जित 1,90,200 इक्विटी शेयर सहित)।		**556.29**		556.29
ओएनजीसी लिमिटेड में ₹ 5/– मूल्य के 205601068 (गत वर्ष : 205601068) पूर्ण प्रदत्त शेयर (वर्ष 1999–2000 के दौरान 162.34 प्रति शेयर के मूल्य पर प्रत्येक ₹10/– मूल्य के 3,42,66,845 शेयर अर्जित किए तथा वर्ष 2006–07 के दौरान प्रत्येक 10/– मूल्य बोनस शेयर प्राप्त किए गए। वर्ष 2010–11 के दौरान प्रत्येक 10/– मूल्य के 5,14,00,267 इक्विटी शेयर को 5–5 रुपए के इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया तथा 2010–11 के दौरान प्राप्त विभाजन के पश्चात 5–5 रुपए मूल्य के 1:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए गए)				
अनुद्धृत				
(i) संबद्ध कंपनियों में	**20.76**		20.76	
गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लि. में ₹10–10 मूल्य के 2,07,60,000 (गत वर्ष : 2,07,60,000) पूर्ण इक्विटी शेयर	**(7.20)**		1.04	
जमा : लाभ का हिस्सा	**(2.90)**		(2.90)	
घटा : प्राप्त लाभांश		**10.66**		18.90
	4.59		4.59	
मिस्र में पंजीकृत फेयम गैस कंपनी में एलई ₹100/– प्रति शेयर की दर पर 19,000 (विगत वर्ष 19,000) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	**3.50**		3.50	
जमा : साख	**11.94**		9.69	
जमा : लाभ का हिस्सा	**(11.31)**		(10.92)	
घटा : प्राप्त लाभांश		**8.72**		**6.86**

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
2. निवेश (अनुद्धृत, लागत पर)		
इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में निवेश :		
i) दर्पण को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, वडोदरा में ₹50/– प्रति शेयर की दर से (₹1,500/–) पूर्ण प्रदत्त 30 शेयर (गत वर्ष : 30)	-	-
ii) अशोक अपार्टमेंट्स को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड वडोदरा में ₹50/– प्रति शेयर की दर से (₹2,500/–) पूर्ण प्रदत्त 50 शेयर (गत वर्ष : 50)	-	-
iii) सानन्द मेम्बर्स ऐसोसिएशन, अहमदाबाद में ₹10/– प्रति शेयर की दर से (₹4,000/–) पूर्ण प्रदत्त 400 शेयर (गत वर्ष : 400)	-	-
iv) ग्रीनफील्ड (बी) को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, मुम्बई में ₹50/– प्रति शेयर की दर से (₹2.750) प्रदत्त 55 शेयर (गत वर्ष : 55)	-	-
v) एविलियन ग्रीनफील्ड कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि. मुंबई में 5 रुपए प्रत्येक के 50 शेयर (गत वर्षः 50)	-	-
vi) सूरज हाइट्स ए को–आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि. मुम्बई में ₹30/– प्रतिशेयर की दर से (₹1,500/–) पूर्ण प्रदत्त 50 शेयर (गत वर्ष : 50)।	-	-
vii) शील जीत को–ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि. मुम्बई में ₹5/– प्रत्येक शेयर की दर से, (₹500/–) पूर्ण प्रदत्त 10 शेयर (विगत वर्ष : 10)।	-	-
viii) साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन लि. हांगकांग में पंजीकृत, में 1/– यूएसडी के प्रत्येक शेयर की दर से पूर्ण प्रदत्त 8347 इक्विटी शेयर (पूर्ववर्ती वर्ष : 8347 इक्विटी शेयर)।	0.04	0.04
3. अन्य निवेश (अन्य गैर–वर्तमान)		
ग्रुप कंपनियों द्वारा अन्य निवेश/निवेश	51.87	11.25
4. निवेश हेतु अग्रिम (आबंटन होने तक)		
साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन लि.	105.70	105.70
जोड़	1,259.14	1,144.88

टिप्पणी 13 : दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
(क) पूंजी अग्रिम				
(रक्षित/अरक्षित–असंदिग्ध माने गए)	2,441.87		1,910.54	
(अरक्षित–संदिग्ध माने गए)	0.35		0.35	
	2,442.22		1,910.89	
घटा : संदिग्ध अग्रिम हेतु प्रावधान	(0.35)		(0.35)	
		2,441.87		1,910.54
(ख) प्रतिभूति जमा (अरक्षित)		154.39		137.90
(ग) अन्य ऋण एवं अग्रिम				
ऋण एवं अग्रिम				
– साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन		234.64		195.17
कर्मचारियों को ऋण				
– रक्षित, सही माने गए		300.41		269.60
– अरक्षित, सही माने गए		98.85		87.12
लंबित मांग की तुलना (मैट क्रेडिट हकदारिता का निवल) में आयकर के लिए अग्रिम				
– अरक्षित, सही माने गए	1,613.15		1,298.13	
– अरक्षित, संदिग्ध माने गए	107.57		85.72	
	1,720.72		1,383.85	
– घटाः लंबित मांग की तुलना में संदिग्ध आयकर हेतु प्रावधान	(107.57)	1,613.15	(85.72)	1,298.13
आयकर/टीडीएस				
– अरक्षित, सही माने गए	3,407.69		3,848.64	
घटा : कराधान हेतु प्रावधान	(3,071.07)	336.62	(3,612.67)	235.97
अन्य		763.32		411.16
(अरक्षित, सही माने गए)				
जोड़		5,943.25		4,545.59

टिप्पणी 14 : अन्य और वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
दीर्घावधि ट्रेड प्राप्य राशियां				
(अरक्षित, सही माने गए)	2,410.50		719.00	
(अरक्षित, संदिग्ध माने गए)	527.85		597.10	
	2,938.35		1,316.10	
घटा : असंदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	(527.85)		(597.10)	
		2,410.50		719.00
अन्य				
विविध पक्षों के पास जमा		6.86		4.48
अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियां		5.89		6.34
जोड़		2,423.25		729.82

टिप्पणी 15 : वर्तमान निवेश

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
अन्य वर्तमान निवेश / म्युचुअल फंड स्कीम	139.28	136.80
जोड़	139.28	136.80

टिप्पणी 16 : माल सूची

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
(क) तैयार माल (प्रक्रियाधीन सहित)				
गैस* / पॉलीमर / एलपीजी तथा अन्य उत्पादों का स्टॉक		1,342.33		1,574.01
*कैलोरिफिक मूल्य के समायोजन के पश्चात्				
(ख) कच्चा माल, भंडार, अतिरिक्त पुर्जे तथा अन्य				
(प्रबंधन द्वारा लिए गए, मूल्यांकित किए गए तथा प्रमाणित)				
		114.37		88.86
कच्चा माल		-		30.65
मार्गस्थ कच्चा माल		0.93		0.85
पाइपलाइन में सीएनजी तथा प्राकृतिक गैस				
भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे (निर्माण अधिशेष पूंजी / सामान सहित)	921.06		916.19	
घटा : हानि / अव्यवहृत हेतु प्रावधान	(24.13)		(23.51)	
		896.93		892.68
जोड़		2,354.56		2,587.05

टिप्पणी 17 : व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
(i) छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया प्राप्ति योग्य व्यापार				
– रक्षित, असंदिग्ध माने गए	3.87		0.04	
– अरक्षित, असंदिग्ध माने गए	856.36		189.69	
– अरक्षित, संदिग्ध माने गए	96.98	957.21	0.47	190.20
अन्य प्राप्ति योग्य				
– रक्षित, असंदिग्ध माने गए	11.28		10.22	
– अरक्षित, असंदिग्ध माने गए	2,338.43		3,246.84	
– अरक्षित, संदिग्ध माने गए	1.85		1.12	
		2,351.56		3,258.18
		3,308.77		3,448.38
घटा : संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान		(98.83)		(1.59)
जोड़		3,209.94		3,446.79

टिप्पणी 18 : नगद तथा नगदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
बैंक में शेष				
चालू खाता पर (निगमित नकद सावधि जमा सहित)	200.61		638.29	
चालू खाता पर भुगतान योग्य लाभांश	3.51		3.23	
सावधि जमा खाता पर (दीर्घावधि जमा सहित)	441.53		1,441.14	
अल्पावधि जमा पर गैस मूल राशि (अर्जित ब्याज, लेकिन देय नहीं ₹34.27 करोड़ (गत वर्ष : ₹28.99 करोड़) सहित	800.08		1,028.26	
अल्पावधि जमा पर असंतुलन तथा अधिक (अर्जित ब्याज, लेकिन देय नहीं ₹3.11 करोड़ (गत वर्ष ₹5.62 करोड़) सहित	79.92		70.18	
अल्पावधि जमा पर जेवी कंसोर्शियम (अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं ₹1.07 करोड़ (गत वर्ष : ₹2.29 करोड़) सहित	30.50		28.06	
		1,556.15		3,209.16
हस्तगत चेक/ड्राफ्ट/स्टाम्प	0.02		0.07	
हस्तगत नकदी	2.08		1.88	
		2.10		1.95
जोड़		**1,558.25**		**3,211.11**

टिप्पणी 19 : अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को		31 मार्च, 2014 को	
कर्मचारियों को ऋण/अग्रिम				
नकद या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम		48.24		50.14
– अरक्षित, असंदिग्ध माने गए (संदर्भ : लेखे की अन्य टिप्पणियों की टिप्पणी सं.36)	1,373.07		1,739.99	
– अरक्षित, संदिग्ध माने गए	0.99		0.67	
	1,374.06		1,740.66	
घटा : संदिग्ध अग्रिम हेतु प्रावधान	(0.99)		(0.67)	
		1,373.07		1,739.99
वसूली योग्य दावे				
– अरक्षित, असंदिग्ध माने गए	162.28		216.97	
– अरक्षित, संदिग्ध माने गए	1.13		2.28	
	163.41		219.25	
घटा : संदिग्ध दावे हेतु प्रावधान	(1.13)	162.28	(2.28)	216.97
सरकारी प्राधिकरणों तथा अन्यों के पास जमा/शेष				
–अरक्षित, असंदिग्ध माने गए	2,568.05		2,434.80	
–अरक्षित, संदिग्ध माने गए	1.86		1.59	
	2,569.91		2,436.39	
घटा : संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान	(1.86)	2,568.05	(1.59)	2,434.80
व्यापार तथा प्रतिभूति जमा				
–अरक्षित, असंदिग्ध माने गए		0.53		0.59
जोड़		4,152.17		**4,442.49**

टिप्पणी 20 : अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं	18.55	24.03
अन्य (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा पर प्रीमियम सहित)	930.88	304.11
योग	949.43	328.14

टिप्पणी 21 : प्रचालनों से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को	31 मार्च, 2014 को
क) उत्पाद / गैस की बिक्री	59,985.94	61,173.25
ख) सेवाओं की बिक्री	1,439.83	1,422.57
ग) दूरसंचार से आय	2.96	2.97
घ) अन्य प्रचालन आय	189.23	274.81
	61,617.96	62,873.60
घटा : उत्पाद शुल्क	(914.00)	(955.29)
योग	60,703.96	61,918.31

टिप्पणी 22 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	
दीर्घावधि (व्यापार) निवेश से लाभांश		341.59		353.79
निम्न पर ब्याज :				
–बॉन्ड / डिबेंचर (दीर्घावधि व्यापार निवेश)	-		-	
–बैंकों में जमा	117.15		183.04	
–अन्य	240.84		147.18	
	357.99		330.22	
जमा: निर्माण अवधि के दौरान व्यय में अंतरित (संदर्भ नोट सं. 27)	(11.00)		(16.80)	
		346.99		313.42
पुनः प्राप्त देयताओं सहित विविध आय	179.46		253.71	
जमा: निर्माण अवधि के दौरान व्यय में अंतरित (संदर्भ नोट सं. 27)	(4.62)	174.84	(2.71)	251.00
योग		863.42		918.21

टिप्पणी 23 : कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी तथा भत्ते	817.39	782.07
भविष्य तथा अन्य निधियों में अंशदान	136.89	119.28
कल्याण व्यय	153.63	139.32
सेकंडमेंट प्रभार	1.84	1.85
योग	1,109.75	1,042.52
घटा : कर्मचारी हित लाभ व्यय क्रियाशील पूंजीगत कार्य में अंतरित (संदर्भ नोट सं. 27)	124.36	122.48
योग	985.39	920.04

टिप्पणी 24 : वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष
निम्न पर ब्याज : –		
– सावधि ऋण	1,321.73	1,206.34
– बॉन्ड	125.25	134.03
– अन्य	10.13	3.44
अन्य उधारी लागत (वचनबद्धता तथा अन्य वित्त प्रभार)	32.29	40.20
ब्याज लागत के समायोजन से संबंधित विनिमय अंतर	-	-
जोड़	1,489.40	1,384.01
घटा : प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य में अंतरित ब्याज तथा वित्त प्रभार (संदर्भ नोट सं. 27)	837.57	715.30
योग	651.83	668.71

टिप्पणी 25 : मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष
मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	1,458.24	1,657.88
पूरी न की जाने वाली क्षति	6.09	5.62
	1,464.33	1,663.50
घटा : प्रक्रियाधीन पूंजीगत कार्य में मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय (संदर्भ नोट सं. 27)	31.76	19.28
योग	1,432.57	1,644.22

लेखांकन मानक (एएस) 28 तथा अपेक्षित ₹5.62 करोड़ (गत वर्ष : ₹0.39 करोड़) की पूरी न होने वाली परिसंपत्तियों की क्षति गेलटेल कैश जेनरेटिंग यूनिट के संबंध में है।

टिप्पणी 26 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	
पावर, ईंधन तथा जल प्रभार				
पावर तथा जल प्रभार	411.86		487.63	
ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैस	1,608.03		1,433.85	
		2,019.89		1,921.48
गैस पूल व्यय		1,517.48		454.77
उपर्युक्त भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे		325.21		359.55
किराया		45.56		45.06
दर एवं कर (गैस पर प्रवेश कर सहित)		235.13		174.26
लाइसेंस शुल्क – दूरसंचार		1.88		2.01
बैंडविड्थ खपत		0.69		0.03
मरम्मत और अनुरक्षण				
संयंत्र और मशीनरी	464.47		376.25	
भवन	36.22		22.84	
अन्य	72.52	573.21	41.08	440.17
बीमा		48.71		38.45
संचार व्यय		11.46		11.65
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		4.04		4.38
यात्रा व्यय		109.68		102.44
पुस्तकें तथा पत्रिकाएं		2.69		1.45
विज्ञापन तथा प्रचार		47.26		38.33
लेखापरीक्षकों को भुगतान				
लेखापरीक्षा शुल्क	0.81		0.87	
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.16		0.07	
कंपनी के विधि संबंधी मामले	-		-	
प्रबंधन सेवाएं (प्रमाणपत्र आदि जारी करने हेतु अन्य सेवाओं सहित)	0.32		0.21	
यात्रा एवं तुरंत देय लागत	0.51	1.80	0.35	1.50
मनोरंजन व्यय		0.90		0.87
भर्ती तथा प्रशिक्षण व्यय		16.84		17.02
वाहन किराया तथा चलाने का व्यय		45.90		41.43
उपकरण भाड़ा प्रभार		1.32		1.47
सीएनजी परिवहन		0.74		0.41
सीएनजी निस्सारण व्यय		-		-
सीएनजी स्टेशन पर प्रचालन व्यय		26.92		23.45
लीज प्रभार		42.46		29.73
सर्वेक्षण व्यय		20.41		69.01
बट्टे खाते डालेगए शुष्क कूप व्यय	113.40		41.38	
घटा : बट्टे खाते डाले गए शुष्क कूप व्यय हेतु प्रावधान	-	113.40	-	41.38
ऑयल तथा गैस उत्पादन व्यय (प्रचालक)		66.52		58.19
क्रूड ऑयल पर रायल्टी*		167.14		65.09

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष
परामर्शदायी प्रभार	56.52	55.99
वैधानिक तथा व्यावहारिक प्रभार	8.18	17.71
डाटा प्रोसेसिंग व्यय	2.95	7.40
दान	0.02	0.12
अनुसंधान तथा विकास व्यय	17.01	28.45
निदेशकों का शुल्क	0.04	0.04
बिक्री पर हानि बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियां (निवल)	(3.49)	2.93
बट्टे खाते डाले गए अप्राप्य ऋण / अग्रिम / माल सूची	0.94	0.15
संदिग्ध ऋणों, अग्रिमों, दावों, जमा और	68.91	386.27
अप्रयुक्त भंडार और पूंजीगत मंदों के लिए प्रावधान		
संभाव्य अनिवार्यताओं / आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान	49.83	180.45
स्टॉक पर उत्पाद शुल्क (निवल)	3.19	(9.01)
सहायक सुविधाओं पर व्यय	15.38	30.29
विक्रय और वितरण व्यय	46.33	31.52
बिक्री पर छूट	146.59	153.75
बिक्री पर कमीशन	16.55	16.28
डीलर का कमीशन	7.62	7.32
सुरक्षा व्यय	125.04	106.04
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	73.47	62.60
विदेशी मुद्रा लेन–देन तथा परिवर्तन पर निवल हानि	(49.35)	(23.71)
अन्य व्यय	802.39	504.61
पूर्व अवधि समायोजन (संदर्भ नोट 28)	109.24	(3.33)
योग	6,944.60	5,499.45
घटा : प्रगत्यधीन पूंजीगत कार्य में अंतरित निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय (संदर्भ नोट सं. 27)	832.31	483.50
योग	6,112.29	**5,015.95**

*₹43.96 करोड़ (गत वर्ष : ₹20.52) पेट्रोलियम लाभ में सरकार का हिस्सा सहित

टिप्पणी 27 : निर्माण अवधि के दौरान व्यय

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	
कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभ				
वेतन, मजदूरी और भत्ते	115.53		107.12	
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	4.95		9.27	
कल्याण व्यय	3.88	124.36	6.09	122.48
पावर, ईंधन और जल प्रभार		137.41		7.11
भंडार और अतिरिक्त पुर्जे		1.88		0.15
किराया		6.55		6.49
दर और कर		2.28		10.19
मरम्मत और अनुरक्षण – संयंत्र और मशीनरी		0.41		0.15
मरम्मत और अनुरक्षण–भवन		0.05		0.03
मरम्मत और अनुरक्षण – अन्य		14.60		1.28
बीमा		14.52		7.02
संचार व्यय		1.06		1.14
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		0.42		0.66
यात्रा व्यय		11.42		12.93
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं		0.01		0.02
विज्ञापन तथा प्रचार		0.99		0.59
लेखापरीक्षकों को भुगतान		0.17		0.18
मनोरंजन व्यय		0.26		0.56
भर्ती तथा प्रशिक्षण व्यय		1.47		1.48
वाहन किराया तथा चालन व्यय		6.18		5.18
व्यावसायिक तथा परामर्शदायी प्रभार		2.20		14.62
डाटा प्रोसेसिंग व्यय		0.01		-
अन्य व्यय		630.42		413.72
मूल्यह्रास		31.76		19.28
ब्याज एवं वित्त प्रभार		837.57		715.30
		1,826.00		1,340.56
घटा : ब्याज आय	11.00		16.80	
–विविध आय	4.62		2.71	
–बिक्री	-	15.62	-	19.51
निवल व्यय		1,810.38		1,321.05
घटा : क्रियाशील पूंजीगत कार्य में अंतरित				
क) कर्मचारी लाभ व्यय	124.36		122.48	
ख) ब्याज तथा वित्त प्रभार	837.57		715.30	
ग) मूल्यह्रास	31.76		19.28	
घ) अन्य व्यय	832.31		483.50	
ङ) अन्य आय	(15.62)	1,810.38	(19.51)	1,321.05
तुलन पत्र में ले जाया गया शेष		NIL		NIL

टिप्पणी 28 : पूर्व अवधि समायोजन

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष		31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष	
गैस की खरीद		(10.95)		(1.28)
वेतन, मजदूरी और भत्ते		0.05		(0.60)
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		-		3.24
कल्याण व्यय		106.00		-
उपयुक्त भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जे		(0.53)		-
किराया		2.68		0.63
मूल्यह्रास (निवल)		1.96		7.99
मरम्मत और अनुरक्षण		(2.99)		(0.78)
परामर्शदायी प्रभार		-		-
अन्य व्यय		11.85		2.80
जोड़		108.07		12.00
घटा :				
–बिक्री	(1.34)		3.18	
–ब्याज आय	0.11		0.16	
–विविध आय	0.06	(1.17)	11.99	15.33
जोड़ (कुल)		109.24		(3.33)

समेकित वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अन्य टिप्पणियां

29. (क) तैयारी का आधार

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) गेल (इंडिया) लिमिटेड (यहां इसके पश्चात् 'कंपनी' कहा जाएगा) और इसकी सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों से संबंधित है। लेखाओं को मूल लागत आधार पर लागू लेखा मानकों एवं अन्य अनुप्रयोज्य संबंधित संविधि के अनुसार तैयार किया गया है।

(ख) समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं :

I. लेखाकरण मानक (एएस) 21 'समेकित वित्तीय विवरण' के अनुसार अंतः वर्ग शेष और अंतः वर्ग लेनदेन को पूर्णतः निकालने के बाद, जिनके परिणामस्वरूप लाभ या हानि की वसूली नहीं की गई है, कंपनी तथा इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियां, देयताएं, आय तथा व्यय जैसी समान मदों पर प्राप्त मूल्यों को पंक्ति दर पंक्ति आधार पर जोड़ा गया है।

II. संबद्ध कम्पनियों में निवेश को लेखाकरण लेखाकरण मानक (एएस 23) ''समेकित वित्तीय विवरणों में संबद्ध विवरण में निवेश हेतु लेखाकरण'' के अनुसार इक्विटी विधि का प्रयोग करने के लिए लेखाबद्ध किया गया है। स्टेक अधिग्रहण की तारीख को सहयोगी कंपनी की इक्विटी में आनुपातिक भाग में निवेश की लागत पर आधिक्य/कमी को साख/पूंजीगत रिजर्व के रूप में माना गया है और उसे सहायक कंपनी में निवेश के धारण मूल्य में शामिल किया गया है तथा अलग से प्रकट किया गया है। तत्पश्चात निवेश की धारण राशि को सहयोगी कंपनी की निवल परिसंपत्तियों के भाग में अधिग्रहण पश्चात परिवर्तन में समायोजित कर दिया गया है।

III. संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों, देयताओं, आय एवं व्यय जैसी मदों को पंक्ति दर पंक्ति आधार पर आनुपातिक समेकन पद्धति अपना कर संयोजित किया गया है जिसमें ''संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग'' पर जारी लेखा मानकों (एएस) 27 के अनुरूप अप्राप्त लाभ या हानि के आनुपातिक भाग को हटा दिया गया है।

IV. समान लेनदेन और समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एक समान लेखा नीतियों का प्रयोग करते हुए समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं तथा लेखा टिप्पणियों में अन्यथा किए गए प्रकटीकरण को छोड़ कर इन्हें यथासंभव कंपनी के पृथक वित्तीय विवरण के समान ही प्रस्तुत किया जाता है।

V. सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों में स्टेक अधिग्रहण करने की तारीख को निवेशी कंपनी की इक्विटी में अपने आनुपातिक भाग से अधिक निवेश की लागत को वित्तीय विवरणों में साख के रूप में शामिल किया गया है। यदि सहायक कंपनी या संयुक्त उद्यम में किए गए निवेश की लागत निवेश करने की तारीख को निवेशी की इक्विटी में आनुपातिक भाग से कम हो तो उस अंतर को पूंजीगत आरक्षित माना जाता है।

VI. सहायक कम्पनियों के वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ/हानि के अल्पांश ब्याज के शेयर को चिन्हित कर लिया गया है तथा इसे समूह की आय में समायोजित किया गया है ताकि कम्पनी के शेयरधारकों को देय निवल आय का हिसाब लगाया जा सके।

VII. सहायक कम्पनियों की समेकित निवल परिसंपत्तियों को अल्पअंश हित शेयर के रूप में चिन्हित किया गया है इसे समेकित तुलन पत्र में कंपनी के शेयरधारकों के इक्विटी तथा देयताओं से अलग करके प्रस्तुत किया गया है।

VIII. समूह की सभी कंपनियों के लेखे मूल कंपनी की रिपोर्टिंग तारीख (अर्थात 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष) तक तैयार किए गए हैं, जो गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक, फेयम गैस और नैट गैस के मामले में जिसके लिए लेखों 31 दिसम्बर, 2014 तक तैयार किया जाता है। और चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड जिसके लिए लेखों को 30 सितम्बर, 2014 तक संबंधित कंपनी के प्रबंधन द्वारा सूचित किए अनुसार कोई उल्लेखनीय लेनदेन न होने के कारण उस तारीख के बाद की अवधि के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है।

IX. गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड और गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक नामक सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण क्रमशः सिंगापुर वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों और यूएस के सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धान्तों के अनुसार/अनुरूप और कम्पनी को प्रचलित मानते हुए तैयार किए गए हैं और मानक ए. एस–11 के अनुसार ''विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों के प्रभाव'' पर इन कम्पनियों के साथ लेनदेनों को गैर अविभाज्य प्रचालन समझा जाता है और तदनुसार समेकित वित्तीय विवरणों के प्रयोजन से वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये में परिवर्तित किया गया है।

X. फेयम गैस और नैट गैस के वित्तीय विवरण मिश्र के मानकों एवं मिश्र के संबंधित नियमों एवं विनियमों तथा कंपनी को प्रचलित मानते हुए ऐतिहासिक नियमों एवं विनियमों तथा कंपनी को प्रचलित मानते हुए ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं और लेखा मानक (ए एस) – 11 के अनुसार उन्हें भारतीय रुपये में परिवर्तित कर दिया गया है। चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड का वित्तीय विवरण हांगकांग के लेखा मानकों तथा संबंधित हांगकांग विधियों और विनियमों तथा कंपनी को प्रचलित मानते हुए ऐतिहासिक लागत के आधार पर किया गया है और लेखा मानक (ए एस) –11 के अनुसार उन्हें भारतीय रुपये में परिवर्तित किया गया है।

XI. सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी कंपनियों से भिन्न निवेश का लेखाकरण 'निवेशों का लेखाकरण' पर लेखा मानक (एएस)–13 के अनुसार किया गया है।

(ग) अन्य महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

इन्हें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के अंतर्गत रखा गया है, जैसा कि कम्पनी के अलग वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया गया है।

30. समेकित वित्तीय विवरण कम्पनी (गेल इंडिया लिमिटेड) उसकी सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कम्पनियों के लेखों को नीचे दिए गए अनुसार प्रकट करता है :–

कंपनी का नाम	गठन का देश	संबंध	31.03.2015 को स्वामित्व हित का अनुपात
गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड	सिंगापुर	सहायक कंपनी	100%
गेल ग्लोबल (यूएसए) यूएसए इंक (संदर्भ* 1)	यूएसए	सहायक कंपनी	100%
ब्रह्मपुत्र क्रैकर एवं पॉलीमर लिमिटेड	भारत	सहायक कंपनी	70.00%
गेल गैस लिमिटेड (संदर्भ* 2)	भारत	सहायक कंपनी	100%
महानगर गैस लिमिटैड	भारत	संयुक्त उद्यम	35.00%
इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	22.50%
पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	12.50%
भाग्यनगर गैस लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	22.50%
सेन्ट्रल यूपी गैस लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	25.00%
ग्रीन गैस लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	22.50%
महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड (एमएनजीएल)	भारत	सयुंक्त उद्यम	22.50%
अवन्तिका गैस लिमिटेड	भारत	संयुक्त उद्यम	22.50%
रत्नगिरी गैस एंड पॉवर (प्रा.) लिमिटेड (आरजीपीपीएल)	भारत	संयुक्त उद्यम	28.91% ##
त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड (टीएनजीसीएल	भारत	संयुक्त उद्यम	29.00%
ओएनजीसी पेट्रो–एडीशंस लिमिटेड (ओपॉल)	भारत	संयुक्त उद्यम	15.50%
गेल चाइना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड#	बरमूडा	संयुक्त उद्यम	50.00%
तापी पाइपलाइन कम्पनी लिमिटेड#	आइल ऑफ मैन	संयुक्त उद्यम	25.00%
फेयम गैस	मिस्र	सहयोगी कम्पनी	19.00%
गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन (जीएसईजी)	भारत	सहयोगी कम्पनी	5.96%
नेचुरल गैस कंपनी ''नैट गैस''	मिस्र	सहयोगी कम्पनी	15.00%
चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड	बरमूडा	सहयोगी कम्पनी	3.00%

*1 : गेल ग्लोबल (यूएसएस) इंक के समेकित वित्तीय विवरण में इसकी 100% अनुशंगी गेल ग्लोबल (यूएसए) एलएनजी एलएलसी शामिल है।

*2 : गेल गैस लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण में इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों यथा : आंध्र प्रदेश गैस वितरण कार्पोरेशन लिमिटेड एवं केरल गेल गैस लिमिटेड, वड़ोदरा गैस लिमिटेड और राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड में क्रमशः 25%, 26%, 25% और 26% हित शामिल है।

अब तक इक्विटी वृद्धि / निवेश नहीं किया गया है और इसलिए वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए गए है।

जेवी करार के अनुसार आनुपातिक स्वामित्व 32.88% है तथापि, शेयर होल्डिंग को संघीय साहूकारों द्वारा वास्तविक आधार पर इक्विटी में महत्वपूर्ण देयताओं के परिवर्तन पर बाद में विचार किया जाता है।

31. विभिन्न प्रकार के वातावरण, जिनमें सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम प्रचालन कर रही / रहे हैं, के परिप्रेक्ष्य में सहायक कम्पनियों / संयुक्त उद्यमों द्वारा अपनाई जा रही लेखा नीतियां निम्नलिखित के संबंध में कंपनी की लेखा नीतियों से भिन्न हैं। निम्नलिखित के संबंध में ऐसी भिन्न लेखा नीतियां अपनाई गई हैं :

विवरण	संयुक्त उद्यम / सहायक कंपनी का नाम	लेखाकरण नीतियां		गेल का आनुपातिक शेयर (सकल राशि) (करोड रुपये में)
		गेल (इंडिया) लिमिटेड	सहायक कम्पनियां / संयुक्त उद्यम	
मालसूचियां भंडार एवं अतिरिक्त कलपुर्जो का मूल्यांकन	सेन्ट्रल यूपी गैस कं. लिमिटेड	भारित औसत लागत या निवल प्राप्य मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, पर मूल्यांकित	भारित औसत आधार पर मूल्यांकित	0.84
	त्रिपुरा नेचुरल गैस कं. लिमिटेड	भारित औसत लागत या निवल प्राप्य मूल्य, इनमें से जो भी कम हो, पर मूल्यांकित	लागत पर मूल्यांकित	0.39

विवरण	संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम	लेखाकरण नीतियां		गेल का आनुपातिक शेयर (सकल राशि) (करोड रुपये में)
		गेल (इंडिया) लिमिटेड	सहायक कम्पनियां/ संयुक्त उद्यम	
मूल्यह्रास				
सॉफ्टवेयर/लाइसेंस	पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल)/ अवन्तिका गैस लिमिटेड (एजीएल)/ महानगर गैस लिमिटेड भाग्यनगर गैस लिमिटेड/महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड/आरजीपीपीएल	स्ट्रेट लाइन प्रणाली से 5 वर्षों में साफ्टवेयर/लाइसेंस का परिशोधन किया जाता है।	स्ट्रेट लाइन प्रणाली से साफ्टवेयर/लाइसेंस का परिशोधन निम्नानुसार किया जाता है : पेट्रोनेट एलएनजी–3 वर्ष अवन्तिका गैस लिमिटेड – 4 वर्ष महानगर गैस लिमिटेड – 6 वर्ष भाग्यनगर गैस लिमिटेड – 4 वर्ष महाराष्ट्र नेचुरल गैस लि. – 3 वर्ष आरजीपीपीएल– 3 वर्ष या विधिक अधिकार की अवधि, जो भी पहले हो।	1.51
समस्त परिसंपत्तियां	त्रिपुरा नेचुरल गैस कं. लिमिटेड	परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास एसएलएम आधार पर किया जाता है।	कम्प्यूटर (कर्मचारी) 25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से एसएलएम के आधार को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास डब्ल्यूडीवी आधार पर किया जाता है।	211
कर्मचारी हितलाभ	भाग्यनगर गैस लिमिटेड/ अवन्तिका गैस लिमिटेड	संशोधित एएस–15 लागू करना	एएस–15 को लागू करना अनिश्चित है।	गणना योग्य नहीं है
पूर्व प्रदत्त व्यय एवं पूर्व अवधि व्यय/आय	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लि. (बीसीपीएल)/ भाग्यनगर गैस लिमिटेड/आरजीपीपीएल/ ग्रीन गैस लि.	प्रत्येक मामले में 5 लाख रु. तक के पूर्वप्रदत्त व्ययों एवं पूर्व अवधि के व्ययों/आय को चालू वर्ष के संबंधित लेख में प्रभारित किया जाता है।	प्रत्येक मामले में 1 लाख रु. तक के पूर्वप्रदत्त व्ययों एवं पूर्व अवधि के व्ययों/आय को चालू वर्ष के संबंधित लेखा में प्रभारित किया जाता है	गणना योग्य नहीं है
	तेल गैस लि. बीसीपीएल एवं भाग्यनगर गैस लिमिटेड/आरजीपीपीएल ग्रीन गैस लि. को छोड़कर अन्य सभी सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	प्रत्येक मामले में 5 लाख रु. तक के पूर्वप्रदत्त व्ययों एवं पूर्व अवधि के व्ययों/आय को चालू वर्ष के संबंधित लेख में प्रभारित किया जाता है।	अनिश्चित/उपलब्ध नहीं	गणना योग्य नहीं है
आकस्मिक देयताएं	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	प्रत्येक मामले में 5 लाख रु. से अधिक की देयताओं को लेखा टिप्पणियों के द्वारा दर्शाया गया है।	प्रत्येक मामले में 1 लाख रु. से अधिक की देयताओं को लेखा टिप्पणियों के द्वारा दर्शाया गया है।	गणना योग्य नहीं है
	गेल गैस लिमिटेड, बीसीपीएल, एजीएल, भाग्यनगर गैस लिमिटेड को छोड़कर सभी सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	प्रत्येक मामले में 5 लाख रु. से अधिक की आकस्मिक देयताओं को लेखा टिप्पणियों के द्वारा दर्शाया गया है।	अनिश्चित/उपलब्ध नहीं	गणना योग्य नहीं है
पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	एजीएल/भाग्यनगर गैस लिमिटेड	प्रत्येक मामले में 5 लाख रु. से अधिक राशि की परिसंपत्ति लेखा के निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि को प्रकट किया गया है।	प्रत्येक मामले में 1 लाख रु. से अधिक राशि की परिसंपत्ति लेखा के निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि को प्रकट किया गया है।	गणना योग्य नहीं है
	गेल गैस लिमिटेड, बीसीपीएल, एजीएल, भाग्यनगर गैस लिमिटेड, ग्रीन गैस लि. को छोड़कर सभी सहायक कंपनियां एवं संयुक्त उद्यम	प्रत्येक मामले में 5 लाख रुपये से अधिक राशि की परिसंपत्ति लेखा के निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि को प्रकट किया गया है।	अनिश्चित/उपलब्ध नहीं	गणना योग्य नहीं है

उपर्युक्त विभेदी लेखाकरण नीतियों का प्रभाव लाभ तथा हानि के विवरण पर मात्रात्मक नहीं किया जा सका।

32. आकस्मिक देयताएं तथा प्रतिबद्धताएं (जिसकी व्यवस्था नहीं की गई है) :

I. आकस्मिक देयताएं

क) कंपनी के संबंध में दावे, जो ऋण के रूप में नहीं माने गए ₹8,286.66 करोड़ (गत वर्ष : ₹7,756.39 करोड़), इनमें मुख्यत: निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) परिसमाप्त हानि / मूल्य में कमी अनुसूची और प्राकृतिक गैस कीमत में अंतर आदि के कारण व्यापार हेतु देय और प्राकृतिक गैस संचरण प्रभार आदि के लिए उपभोक्ता से प्राप्य ₹1,709.68 करोड़ (गत वर्ष : ₹1649.56 करोड़) के दावे से संबंधित विधिक मामले।

(ii) आकलन वर्ष 2012–13 तक का आय कर आकलन कर लिया गया है और आकलन वर्ष 1996–97 से 2015–16 (आकलन वर्ष 1996–97 से 2011–12 के संबंध में गत वर्ष : ₹1,337.15 करोड़) के लिए ₹1,335.95 करोड़ (प्रावधान का निवल) की विभाग द्वारा किन्हीं अस्वीकृति / परिवर्धनों के संबंध में मांग, जो कंपनी द्वारा दावाकृत है और उसे परामर्श दिया गया है कि अपीलीय अधिकरण द्वारा यह मांग समाप्त हो सकती है या काफी कम हो सकती है। कंपनी ने ऐसे सभी आकलन वर्षों के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकरण में अपील दायर की है। फिर भी विभाग द्वारा किसी भी कार्रवाई से बचाव के उद्देश्य से ₹1256.09 करोड़ (गत वर्ष : ₹1298.24 करोड) अपीलीय प्राधिकरण को लंबित विभाग में कंपनी के पक्ष में सीआईटी (ए) द्वारा प्रदत्त राहत के विरूद्ध ₹170.05 करोड़ (ब्याज सहित) (गत वर्ष : ₹100.32 करोड़) (ब्याज सहित) की अपीलें आयकर अपीलीय प्राधिकरण, दिल्ली में दायर की हुई है।

(iii) सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, प्रवेश कर एवं सेवा कर आदि से संबंधित विवादास्पद कर मांग के संबंध में ₹4753.53 करोड़ (गत वर्ष : ₹4238.36 करोड़)।

ख) संयुक्त उद्यमों के लेखापरीक्षित / गैर लेखापरीक्षित लेखा विवरणों की आकस्मिक देयताओं में हिस्सेदारी ₹824.01 करोड़ (गत वर्ष : ₹980.49 करोड़)।

II. प्रतिबद्धताएं :

(क) निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की पूंजीगत लेखों में अनुमानित राशि, जिसके लिए व्यवस्था नहीं की गई है ₹3476.34 करोड़ (गत वर्ष : ₹3937.50 करोड़)।

(ख) संयुक्त उद्यमों के लेखापरीक्षित / गैर लेखापरीक्षित लेखा विवरणों के आधार पर निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की पूंजीगत लेखों में अनुमानित राशि, जिसके लिए व्यवस्था नहीं की गई है, में कंपनी का हिस्सा : ₹588.62 करोड़ (गत वर्ष : ₹842.47 करोड़)।

(ग) अन्य वचनबद्धताएं

(i) 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार संयुक्त उद्यमों, सहयोगी एवं सहायक कंपनियों से भिन्न कंपनियों में निवेश के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता ₹134.15 करोड़ (गत वर्ष :₹147.58 करोड़) है।

33. सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणियों का प्रकटीकरण किया गया है :

I. गेल गैस लिमिटेड

क) निर्माण के दौरान ₹12.48 करोड़ (गत वर्ष : ₹14.72 करोड़) का प्रासंगिक व्यय तैयार परियोजना एवं क्रियाशील पूंजीगत कार्य में परिसंपत्तियों के लिए प्रत्यक्ष लागत अनुपात में आबंटित किया गया है।

ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान टीटीजेड एवं देवास, कोटा, मेरठ एवं सोनीपत शहरों में परियोजना कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए ओआईडीबी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लिया है। जहां भी परियोजनाओं पर ऋण के संवितरण के बाद व्यय किया गया है तो उन पर ऋणाधान लागत का समुचित रूप से पंजीकरण किया गया है और आरंभिक क्रियाशील पूंजीगत कार्य में से पूरी की गई परियोजनाओं के संबंध में उनको इक्विटी द्वारा वित्त पोषित समझा जाएगा। ए एस 16 ''उधारी लागत'' के अनुसार कुल ₹18.56 करोड़ (गत वर्ष : ₹19.75 करोड़) का ब्याज एवं वित्त प्रभार का वहन किया गया जिसमें से वर्ष के दौरान ₹4.95 करोड़ की राशि (गत वर्ष 9.15 करोड़) का पूंजीकरण किया गया।

ग) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (''एमएसएमइडी अधिनियम, 2006'') के तहत प्रकटन :

विवरण	2014–15	2013–14
i) मूल राशि एवं उस पर देय ब्याज, प्रत्येक लेखाकरण वर्ष की समाप्ति पर किसी आपूर्तिकर्त्ता को अप्रदत्त रहता है;	₹0.07 करोड़	₹0.12 करोड़
ii) धारा 16 के अनुसार, खरीददार द्वारा प्रदत्त ब्याज की राशि जो प्रत्येक लेखाकरण वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद आपूर्तिकर्त्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ है;	-	–
iii) भुगतान करने में हुई देरी अवधि के लिए निर्धारित एवं देय ब्याज की राशि (जिसे अदा किया गया है परन्तु समाप्त हुए वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद) परन्तु इस अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बगैर;	-	–
iv) उद्भूत ब्याज की राशि और प्रत्येक लेखाकरण वर्ष की समाप्ति पर अप्रदत्त है; और	₹0.01 करोड़	–
v) और ब्याज की राशि जो उत्तरवर्ती वर्ष में भी ऐसी तारीख तक देय एवं देययोग्य रहती है, जहां उपरोक्तानुसार ब्याज देयताएं धारा 23 के तहत कम किए जाने योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ वास्तव में लघु उद्यम को अदा किए गए हों।	₹0.01 करोड़	–

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संबंध में उपरोक्त जानकारी को काफी हद तक निर्धारित किया गया है, कम्पनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है। इसकी लेखापरीक्षकों द्वारा पुष्टि की गई है।

घ) वर्ष के दौरान कम्पनी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कम्पनियों को शहर अथवा स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, तैयार करने, आपरेट करने अथवा विस्तार करने के लिए अधिकृत करने) विनियमन, 2008 के तहत बंगलूरु ग्रामीण एवं शहरी जिलों के भौगोलिक क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क बिछाने, तैयार करने, प्रचालन करने अथवा विस्तार करने के लिए प्राधिकरण की मंजूरी दी है। कम्पनी ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी ₹ 5199.99 करोड़ की एक निष्पादन बैंक गारण्टी पीएनजीआरबी को प्रस्तुत की है, जिसके लिए कॉरपोरेट गारण्टी मूल कम्पनी अर्थात गेल (इंडिया) लि. द्वारा उपलब्ध कराई गई है। एक वर्ष के लिए ₹ 5.38 करोड़ की बैक गारण्टी कमीशन को निर्माण के दौरान प्रासंगिक व्यय के रूप में अदा किया गया है और प्राप्त किया गया है जिसे वाणिज्यिक प्रचालन शुरू करने के वर्ष में प्रभारित किया जाएगा।

ङ) **कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व**

– वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा खर्च किए जाने हेतु अपेक्षित सकल राशि ₹0.43 करोड़ थी।

– वर्ष के दौरान खर्च की गई सकल राशि :

	नकदी में	नकदी में अभी अदा किए जाने वाली	कुल
किसी सम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	शून्य	शून्य	शून्य
उपरोक्त से भिन्न प्रयोजनों पर	शून्य	शून्य	शून्य

(i) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नियमों के अनुसार, उपरोक्त राशि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलाप की पहचान नहीं की गई थी और ऐसी कोई देयता उपगत नहीं हुई है जिसे वित्तीय विवरणों में स्वीकृत किए जाने की जरूरत हो।

II. ब्रह्मपुत्र क्रैकर एवं पॉलीमर लि.

क) समय अधिक बीतने और अन्य माइक्रो आर्थिक कारकों से ₹8920 करोड़ की स्वीकृत लागत की तुलना में परियोजना लागत में बढ़कर ₹913.52 करोड़ वृद्धि होने का अनुमान है। 30 जून, 2015 तक परियोजना को पूरा करने की समय–सीमा तय की गई है। तदनुसार, ₹9833.52 करोड़ की संशोधित परियोजना लागत हेतु प्रस्ताव को, जिसमें 30 जून, 2015 तक परियोजना को शुरू करना, राजस्व सहायता और प्लांट प्रचालन के 15 वर्ष तक एनआर रियायती गैस मूल्य/फीडस्टॉक छूट की अनुप्रयोज्यता शामिल है, प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है, जो कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा विधिवत रूप से अनुशंसित है। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

ख) पट्टाधारित भूमि, जिसमें ₹89.36 करोड़ (विगत वर्ष ₹81.87 करोड़) की राशि की विकास लागत शामिल है, में वह भूमि शामिल है जिसके लिए 30 वर्ष की अवधि हेतु पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है। जैसा कि भूमि का हक असम सरकार के पास है, इसलिए इसे उक्त अवधि में संबंध में परिशोधित किया जाएगा। ऐसी भूमि को मूर्त सम्पत्तियों के रूप में दर्शाया गया है।

III. पेट्रोनेट एलएनजी लि.

क) परियोजना सामग्री/उपकरण के आयात पर सीमाशुल्क को अस्थायी रूप से (चालू एवं पूर्ववर्ती वर्ष) निर्धारित किया गया है और इस संबंध में अतिरिक्त देयता/वापसी यदि कोई हो, को अंतिम निर्धारण संबंधी बहियों में हिसाब में लिया जाएगा।

ख) कम्पनी दहेज में विद्युत उत्पादन और पत्तन उपक्रमों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झक के तहत छूट के लिए पात्र है। पूर्ववर्ती वर्ष तक आयकर हेतु प्रावधान धारा 80 झक के तहत छूट पर विचार किए बगैर बहियों में किया गया है, क्योंकि आयकर विभाग द्वारा निर्धारण के समय छूट को अस्वीकार किया गया था। वर्ष के दौरान कम्पनी को कर निर्धारण वर्ष 2012–13 के लिए धारा 80 झक के तहत छूट दी गई है और इसलिए ₹123.14 करोड़ की कर लाभ राशि को कर निर्धारण वर्ष 2012–13 से 2014–15 के संबंध में बहियों में हिसाब में लिया गया है। इसके अलावा, कम्पनी ने कर निर्धारण वर्ष 2014–15 के लिए आय कर विवरणी भरते समय धारा 32 कग के तहत ₹20.38 करोड़ के आय कर छूट का दावा किया है और इसे चालू वर्ष के दौरान बहियों में हिसाब में लिया गया है।

IV. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड

क) कंपनी ने विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों से एक वर्ष से लेकर पांच वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर प्राप्त भूमि पर सीएनजी स्टेशन संस्थापित किए हैं। तथापि, ऐसी भूमि पर निर्मित/संस्थापित परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास सामान्य तौर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में विनिर्दिष्ट उपयोगी सीमा में किया जाता है क्योंकि प्रबंधन को प्राधिकरण द्वारा उक्त पट्टा अवधि के गैर–नवीकरण का पूर्वाज्ञान नहीं होता है।

ख) कंपनी ने कुछेक उपकरण एवं वाहनों को प्रचालित पट्टा करारों के तहत लिया है। उपरोक्त पट्टा करारों के तहत वर्ष के दौरान व्यय के रूप में स्वीकृत कुल पट्टा किराया कुल मिलाकर ₹7.73 करोड़ (विगत वर्ष : ₹7.51 करोड़) है।

V. महानगर गैस लिमिटेड

क) कंपनी ने कुछ सीएनजी खुदरा बिक्री केन्द्रों हेतु कुछ उपकरण/मशीनें पट्टे पर ली है। इन बिक्री केन्द्रों पर पट्टा प्रभार, सीएनजी की बिक्री पर आधारित है और अतः कोई न्यूनतम पट्टा भुगतान नहीं है। संविदा की अवधि एक या दो वर्ष है जिसे कंपनी के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है। संविदाओं में लाभांश, अतिरिक्त ऋण और आगे पट्टे पर देने के लिए प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। वर्ष के लिए ₹2.42 करोड़ (गत वर्ष : ₹1.88 करोड़) लाभ एवं हानि खाते में पट्टा भुगतान के रूप में स्वीकार किया है।

ख) कंपनी ने कुछ वाहनों को प्रचालन पट्टा करार आधार पर लिया है। पट्टा भुगतानों को लाभ एवं हानि विवरण में वर्ष हेतु "अन्य/विविध व्यय" के तहत ₹10.98 करोड़ (गत वर्ष : ₹8.46 करोड़) मान्य किया गया है।

ग) कंपनी ने कुछ आवासीय/कार्यालय परिसर/गोदाम पट्टा तथा लाइसेंस आधार पर लेने के लिए निष्पादित किए हैं। सभी करारों में नवीनीकरण का प्रावधान है। पट्टा भुगतानों को वर्ष में लाभ एवं हानि खाते में किराए के अधीन दर्शाया गया है, यह राशि वर्ष हेतु ₹10.04 करोड़ (गत वर्ष : ₹9.78 करोड़) है।

घ) गैर निरस्तीकरणीय प्रचालन पट्टों के भावी न्यूनतम भुगतान निम्नवत हैं :

	2014-15	2013-14
एक वर्ष से अधिक नही	₹3.48 करोड़	₹0.05 करोड़
एक वर्ष से अधिक लेकिन पांच वर्ष से अनधिक	शून्य	शून्य
पांच वर्ष से अधिक	शून्य	शून्य
जोड़	₹3.48 करोड़	₹0.05 करोड़

ङ) फॉरन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) ने अपने अनुमोदन के माध्यम से कंपनी को दिसम्बर, 2006 तक कंपनी की प्रदत्त पूंजी में 50% तक विदेशी इक्विटी भागीदारी की व्यवस्था को जारी रखने की अनुमति प्रदान की है। यह अनुमोदन इस शर्त के अध्याधीन है कि कंपनी, संयुक्त उद्यम करार के अनुसार प्रवर्तकों की शेयर होल्डिंग को 35% तक लाने के लिए आरंभिक जन प्रस्ताव (आईपीओ) लाएगी। एफआईपीबी ने दिनांक 2 जनवरी, 2015 के अपने पत्र के तहत कुछेक शर्तों के अनुपालन के अध्याधीन कम्पनी के संशोधित शेयरधारक ढांचे को रिकॉर्ड करने हेतु मंजूरी के संशोधन के संबंध में कम्पनी के प्रस्ताव को भारत सरकार की मंजूरी का उल्लेख किया है। एफआईपीबी ने यह भी उल्लेख किया है कि जनवरी, 2007 से 12 मार्च, 2008 की अवधि के दौरान विनिवेश शर्तों के गैर अनुपालन हेतु आरबीआई द्वारा संयोजन किया जाना आवश्यक होगा। कम्पनी ने विशेषज्ञों की राय के आधार पर ₹0.24 करोड़ की राशि की ऐसे संयोजन के संबंध में व्यवस्था की है। आईपीओ एवं शेयर होल्डिंग पोस्ट आईपीओ पूर्वोक्त पत्र का अनुपालन नियम जाएगा।

VI. भाग्यनगर गैस लिमिटेड

क) वर्ष के दौरान, ₹5.09 करोड़ राशि की मियादी ऋण/ब्रिज ऋण पर ब्याज की अचल सम्पत्तियां एवं कार्यशील पूंजी में विनियोजित किया गया है।

ख) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के उपबंधों और सीएसआर नियमावली, 2014 के अनुसार कंपनी को निवल लाभों की 2% राशि को खर्च करना आवश्यक है, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के उपबंधों के अनुसार संगणित है तथा अनुमत्य सीएसआर कार्यकलापों पर आसन रूप में पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत पर है। तथापि, जैसा कि, स्वतंत्र निदेशकों को 31 मार्च, 2015 तक नियुक्त नहीं किया जा सकता, कम्पनी सीएसआर कमेटी का गठन नहीं कर सकती और सीएसआर नीति भी तैयार नहीं कर सकती। वर्ष के दौरान कम्पनी ने ₹0.19 करोड़ उपलब्ध कराए है, जो निवल लाभों का 2% है, अनुमत्य सीएसआर कार्यकलापों पर इसे खर्च किए जाने के प्रयोजनार्थ है।

VII. सेंट्रल यू. पी. गैस लिमिटेड

क) वर्ष के दौरान कम्पनी ने कुछ सम्पत्तियों को प्रचालन पट्टा करारों के अधीन लिया है। उपर्युक्त पट्टा करारों के अधीन वर्ष के दौरान व्यय के रूप में मान्य कुल पट्टा किराया ₹1.16 करोड़ (गत वर्ष ₹0.85 करोड़) है। गैर निरस्तीकरणीय अवधियों के अधीन पट्टा बाध्यताएं निम्नलिखित हैं :

	2014-15	2013-14
आगामी 1 वर्ष में भुगतान योग्य राशि	₹0.28 करोड़	₹0.39 करोड़
आगामी 2 से 5 वर्षों में भुगतान योग्य राशि	शून्य	₹0.26 करोड़
5 वर्ष से अधिक अवधि में भुगतान योग्य राशि	शून्य	शून्य

ख) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यकलापों पर व्यय :

– वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा खर्च किए जाने हेतु सकल राशि – ₹0.67 करोड़ है

– वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि :

	नकदी में	अभी नकदी में अदा किया जाने हेतु ₹	कुल ₹
–किसी सम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	शून्य	शून्य	शून्य
–उपरोक्त से भिन्न प्रयोजनों पर	₹0.07 करोड़	₹0.01 करोड़	₹0.08 करोड़

VIII. ओएनजीसी पेट्रो एडिशन्स लिमिटेड

क) कम्पनी ने प्रचालन पट्टे पर सम्पत्तियों पर कुछेक कार्यालय/आवासीय परिसरों को लिया है, जो संबंधित करारों के अनुसार उपयुक्त नोटिस दे करके निरस्तीकरण योग्य है। वर्ष के दौरान निरस्तीकरणीय प्रचालन पट्टे के संबंध में ₹3.50 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष : ₹2.64 करोड़) अदा किए गए हैं।

ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2013-14
अप्रदत्त रही मूल राशि परन्तु वर्ष के अंत में देय नहीं	1.09	शून्य
वर्ष के अंत में उस पर देय ब्याज।	शून्य	शून्य
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कम्पनी द्वारा अदा किया गया ब्याज जो वर्ष के दौरान निर्धारित तारीख के बाद आपूर्तिकर्त्ता को की गई चुकौती की राशि के साथ है।	शून्य	शून्य
भुगतान करने में हुई देरी अवधि के लिए निर्धारित एवं देय ब्याज की राशि (जिसे अदा किया गया है, परन्तु समाप्त हुए वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद) परन्तु इस अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बगैर	शून्य	शून्य
उद्भूत ब्याज की राशि और प्रत्येक लेखाकरण वर्ष की समाप्ति पर जो अप्रदत्त है; और	शून्य	शून्य
और ब्याज की राशि जो उत्तरवर्ती वर्ष में भी ऐसी तारीख तक देय एवं देययोग्य रहती है, जहां उपरोक्तानुसार ब्याज देयताएं धारा 23 के तहत कम किए जाने योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ वास्तव में लघु उद्यम को अदा किए गए हों।	शून्य	शून्य

IX. रत्नागिरी गैस एवं पावर प्राइवेट लिमिटेड

क) वर्ष के दौरान नकदी, जो संघीय साहूकारों द्वारा महत्वपूर्ण देयताओं के परिवर्तन के कारण है, से निम्न नकदी के संबंध में शेयर जारी किए गए थे।

ख) आस्थगित कर सम्पत्तियों/देयता को हिसाब में नहीं लिया गया है क्योंकि कम्पनी को 31 मार्च, 2022 तक दस वर्षों को अवधि के लिए कर राहत दी गई है।

ग) कम्पनी ने वैकल्पिक ईंधन, अर्थात दिनांक 30 जुलाई, 2013 के सीईआरसी आदेश के आधार पर आरएलएनजी पर क्षमता घोषणा के आधार पर लाभार्थियों को निर्धारित बिल प्रभारों के रूप में ₹681.51 करोड़ (विगत वर्ष ₹1,222.83 करोड़) बिल तैयार किए। कम्पनी सीईआरसी विनियमनों के संबंध में क्षमता घोषित कर रही है और पश्चिम क्षेत्रीय पावर समिति (डब्ल्यूआरपीसी) सचिवालय द्वारा जारी मासिक क्षेत्रीय ऊर्जा खाता के आधार पर बिल तैयार कर रही है। कम्पनी सीईआरसी विनियमनों के तहत बिलों को न्यायसंगत रूप से प्राप्त कर रही है और लाभार्थियों से इसकी वसूली के लिए कानूनी रूप से प्राप्त कर रही है और लाभार्थियों से इसकी वसूली के लिए कानूनी रूप से हकदार है।

कम्पनी को ,आरएलएनजी पर क्षमता घोषणा संबंधी सीईआरसी आदेश के विरूद्ध मुख्य लाभार्थी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी अपीलीय अधिकरण (एपीटीईएल) में दायर अपील के संबंध में अपने पक्ष में निर्णय मिला है। तथापि, मुख्य लाभार्थी कोई राशि अदा नहीं की है और यह ज्ञातव्य है कि एपीटीईएल आदेश के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सम्पर्क बना रहे हैं। संबद्ध राशि जो महत्वपूर्ण है, लेखाकरण मानक–9 राजस्व स्वीकरण के अनुसार राजस्व स्वीकरण मामले का अंतिम समाधान होने तक स्थगित किया गया है।

X. ग्रीन गैस लिमिटेड

क) सीएनजी स्टेशन, गोमतीनगर, लखनऊ में भूमि के लिए कम्पनी के नाम में हक विलेखों की रजिस्ट्री लंबित है।

ख) वर्ष के दौरान कम्पनी ने कारपोरेट सामाजिक कार्यकलापों के संबंध में कोई व्यय प्राप्त नहीं किया है, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत अपेक्षित है। कमपनी सीएसआर समिति का गठन कर रही है।

34. संयुक्त उद्यम–पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड, इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड, भाग्यनगर गैस लिमिटेड, सेन्ट्रल यूपी गैस लिमिटेड, ग्रीन गैस लिमिटेड, अवंतिका गैस लिमिटेड, रत्नागिरी गैस एंड पावर (प्राइवेट) लिमिटेड, महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड, त्रिपुरा नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड, ओएनजीसी पेट्रो–एडिशंस लिमिटेड एवं गेल–चायना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड के लेखापरीक्षित/गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को समेकित विवरणों में शामिल किया गया है। इन संयुक्त उद्यम कंपनियों क लेखापरीक्षित/गैर लेखापरीक्षित आंकड़ों को समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है जो कि निम्न प्रकार हैं :

कुल परिसंपत्तियां ₹9566.46 करोड़ (गत वर्ष : ₹10230.72 करोड़) एवं कुल देयताएं ₹7012.84 करोड़ (गत वर्ष : ₹7239.53 करोड़) तथा कुल आय ₹6847.36 करोड़ (गत वर्ष ₹6784.02 करोड़) तथा कुल व्यय ₹6784.02 करोड़ (गत वर्ष : ₹6751.02 करोड़)।

35. एक सहयोगी कंपनी गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन (जीएसईजी) तथा चाइना गैस होल्डिंग्स लिमिटेड के गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अभाव में समेकन में शामिल किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण में कुल ₹74.88 करोड़ (गत वर्ष : ₹49.15 करोड़) का लाभ का हिस्सा शामिल किया गया है।

36. संयुक्त उद्यम करार के अनुसार अन्य संयुक्त उद्यम सहभागियों द्वारा कम सहभागिता के परिणामस्वरूप कंपनी अर्थात गेल (इंडिया) लिमिटेड के स्वामित्व के प्रतिशत तथा उसके द्वारा वर्तमान में धारित शेयर पूंजी के वास्तविक प्रतिशत में अंतर है। प्रबंधन की राय में यह स्थिति अस्थाई है और अन्य संयुक्त उद्यम सहभागी भी संयुक्त उद्यम करार के अनुसार शेयर पूंजी में शेष योगदान करेंगे। इसलिए, संयुक्त उद्यमों में गेल (इंडिया) लिमिटेड के स्वामित्व पर संयुक्त उद्यम करार में निर्दिष्ट प्रतिशत स्वामित्व की सीमा तक ही विचार किया जाता है जो आरजीपीपीएल के मामले को छोड़कर है, जहां समेकन वास्तविक प्रतिशत सम्पत्ति के आधार पर किया गया है।

संविदागत प्रतिशत के अतिरिक्त आज की तारीख को विभिन्न संयुक्त उद्यमों की इक्विटी शेयर पूंजी में अतिरिक्त योगदान को 'नकद अथवा वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में शामिल किया गया है, जो ₹604.72 करोड़ (गत वर्ष : ₹614.96 करोड़) है।

37. गत वर्ष में संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों को गैर लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया था जहां कहीं भी समेकन के समय लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं थे। संयुक्त उद्यम के पुनर्समूहन संबंधी समायोजन एवं संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियों के लेखापरीक्षित विवरण के कारण समयोजन तथा ऐसे संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों के विवरणों पर लाभ/(हानि) (₹678.37 करोड़) (गत वर्ष : ₹310.57 करोड़) है।

38. समेकित वित्तीय विवरणों को समान लेनदेन और समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए प्रयुक्त लेखा नीतियों के समान लेखा नीतियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है तथा इन्हें यथासंभव कंपनी के पृथक वित्तीय विवरण के समान ही प्रस्तुत किया गया है। परन्तु कम्पनी, सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों द्वारा अपनाई गई कुछ लेखाकरण नीतियों में भिन्नता है, लेकिन प्रबंधन की राय में उनका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है/उसकी मात्रा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण में रिपोर्ट/प्रकट किए गए 'अन्य व्यापक आय' के संबंध में समेकित विवरण में कोई उचित मूल्य समायोजन नहीं किया गया है।

39. कंपनी के लेखा मानक नियम, 2006 के अधीन अधिसूचित 'खंड रिपोर्टिंग' के संबंध में लेखा मानक 17 के अनुपालन में, आवश्यक जानकारी इस अनुसूची के **अनुलग्नक–क** के रूप में दी गई है। **व्यवसाय खंड** : व्यवसाय खंडों को इस प्रकार चिन्हित किया गया है :

(I) संचरण सेवाएं

क) प्राकृतिक गैस

ख) एलपीजी

(II) प्राकृतिक गैस व्यापार

(III) पेट्रोकैमिकल

(IV) एलपीजी एवं अन्य नकदी हाइड्रोकार्बन

(V) शहर गैस वितरण

(VI) गैर आबंटन योग्य

40. कंपनी के लेखा मानक नियम, 2006 के अधीन अधिसूचित लेखा मानक 18 के अनुपालन में ''संबंधित पक्ष प्रकटीकरणों'' के संबंध में संबंधित पक्षों के नाम, संबंध का स्वरूप तथा उसमें दर्ज किए गए लेन–देन के विवरण **अनुलग्नक–ख** में दिए गए हैं।

41. ''प्रति शेयर आय'' के संबंध में लेखा मानक–20 के अनुपालन में प्रति शेयर आय (मूल एवं तनुकृत) का परिकलन निम्नलिखित है :

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात निवल लाभ (₹ करोड़)	3,160.05	4,786.22
हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1,26,84,77,400	1,26,84,77,400
प्रति शेयर आय (मूल एवं तनुकृत) – ₹	24.91	37.73
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹)	10.00	10.00

42. 'आय पर करों के लिए लेखे' के संबंध में लेखा मानक–22 के अनुपालन में, कंपनी ने 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार आस्थगित कर देयता के लिए व्यवस्था की है। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार आस्थगित कर देयता का मदवार विवरण निम्न प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2013-14
आस्थगित कर देयता :		
क) मूल्यह्रास	**6677.37**	6064.28
ख) अन्य	**3.48**	3.20
घटा : आस्थगित कर परिसंपत्तियां :		
क) उपदान एवं सेवानिवृत्ति हित लाभों के लिए प्रावधान	**207.21**	145.08
ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क घ के अधीन लाभ	**2239.51**	2649.69
ग) संदिग्ध ऋणों/दावों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	**399.07**	396.19
घ) प्राथमिक व्यय एवं अन्य	**287.37**	146.17
निवल आस्थगित कर देयता/(सम्पत्ति)	**3547.69**	2730.35

43. **संयुक्त रूप से नियंत्रित परिसंपत्तियां**

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी की सम्पत्तियों, देयताओं, आकस्मिक देयताओं और पूंजी प्रतिबद्धताओं का भाग और लेखापरीक्षित/ अलेखापरीक्षित लेखों के आधार पर संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियों के संबंध में वर्ष की आय एवं व्यय नीचे दी गई हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015	31.03.2014
क. सम्पत्तियां		
–गैर चालू/दीर्घ अवधि सम्पत्तियां	**8,568.55**	8,428.16
–चालू सम्पत्तियां	**997.91**	1,802.56
जोड़	**9566.46**	10,230.72
ख. देयताएं :		
–गैर चालू/दीर्घ अवधि देयताएं	**5,001.67**	5,369.69
–चालू देयताएं एवं प्रावधान	**2,011.17**	1,647.20
जोड़	**7,012.84**	7,016.89
ग. आकस्मिक देयताएं	**824.01**	980.49
घ. पूंजीगत वचनबद्धताएं	**588.62**	842.47
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**
ङ आय	**6,847.89**	7,239.43
च. व्यय	**6,784.05**	6,751.02

43. अतिरिक्त जानकारी, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के तहत सहायक कम्पनियां/संबद्ध कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों के रूप में समेकित उद्यमों के संबंध में अपेक्षित है, **अनुलग्नक–ग** में दी गई है।

44. पूर्ववर्ती वर्ष के (पीवाई) आंकड़े पुनःसमूहित किए गए हैं/वर्गीकृत किए गए हैं, जहां कहीं भी चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के तदनुरूप आवश्यक है।

एन. के. नागपाल
सचिव

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)

प्रभात सिंह
निदेशक (विपणन)

बी. सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.एस. माथुर एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं. 008744एन

कृते एस.के. मित्तल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं. 001135एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2015

राजीव कुमार वाधवां
(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

एम. के. जुनेजा
(साझेदार)
सदस्यता सं. 013117

वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु व्यवसाय खंडों के बारे में सूचना

अनुलग्नक – "क"

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खंड	संचारण सेवाएं**		प्राकृतिक गैस करोबार**	पेट्रो–कैमिकल	एलपीजी एवं तरल हाइड्रोकार्बन	शहर गैस	अनाबंटित	योग	विलोपन	समेकित योग
		प्राकृतिक गैस	एलपीजी	टिप्पणी–1	टिप्पणी–2		टिप्पणी–3	टिप्पणी–4			
1	**राजस्व**										
	बाह्य बिक्री*	3,048.80	440.55	42,869.23	4,594.90	5,052.75	2,886.11	1,622.39	60,514.73	-	60,514.73
	अंतः क्षेत्र बिक्री	300.34	-	8,924.60	125.18	-	-	16.79	9,366.91	9,366.91	-
	कुल राजस्व	**3,349.14**	**440.55**	**51,793.83**	**4,720.08**	**5,052.75**	**2,886.11**	**1,639.18**	**69,881.64**	**9,366.91**	**60,514.73**
2	**परिणाम**										
	खंड परिणाम (ब्याज और कर पूर्व लाभ)	1,315.60	237.95	671.18	128.85	1,921.71	323.04	-	4,598.33	-	4,598.33
	अनाबंटित व्यय	-	-	-	-	-	-	65.60	65.60	-	65.60
	प्रचालनगत लाभ	1,315.60	237.95	671.18	128.85	1,921.71	323.04	(65.60)	4,532.73	-	4,532.73
	ब्याज व्यय	-	-	-	-	-	-	651.83	651.83	-	651.83
	ब्याज / लाभांश आय	-	-	-	-	-	-	699.58	699.58	-	699.58
	कराधान हेतु प्रावधान	-	-	-	-	-	-	1,420.92	1,420.92	-	1,420.92
	सामान्य गतिविधियों से लाभ / (हानि)	1,315.60	237.95	671.18	128.85	1,921.71	323.04	(1,438.77)	3,159.56	-	3,159.56
	असाधारण मदें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कर पश्चात लाभ (अल्प ब्याज के समायोजन पूर्व)	**1,315.60**	**237.95**	**671.18**	**128.85**	**1,921.71**	**323.04**	**(1,438.77)**	**3,159.56**	**-**	**3,159.56**
	जमा : अल्पांश में अंतरित (लाभ) / हानि का हिस्सा	**-**	**-**	**-**	**0.49**	**-**	**-**	**-**	**0.49**		**0.49**
	कर पश्चात लाभ (अल्प ब्याज के समायोजन के पश्चात)	**1,315.60**	**237.95**	**671.18**	**129.34**	**1,921.71**	**323.04**	**(1,438.77)**	**3,160.05**	**-**	**3,160.05**
3	**अन्य सूचना**										
	खंड परिसंपत्तियां	25,716.16	775.55	1,189.90	9,754.11	1,089.78	1,815.93	3,652.68	43,994.11	238.07	43,756.04
	अनाबंटित परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	25,889.21	25,889.21	-	25,889.21
	कुल परिसंपत्तियां	**25,716.16**	**775.55**	**1,189.90**	**9,754.11**	**1,089.78**	**1,815.93**	**29,541.89**	**69,883.32**	**238.07**	**69,645.25**
	खंड देयताएं	5,333.08	65.51	187.36	1,401.79	248.45	466.89	(68.60)	7,634.48	169.31	7,465.17
	अनाबंटित देयताएं	-	-	-	-	-	-	4,560.07	4,560.07	-	4,560.07
	कुल देयताएं	**5,333.08**	**65.51**	**187.36**	**1,401.79**	**248.45**	**466.89**	**4,491.47**	**12,194.55**	**169.31**	**12,025.24**
	अचल संपत्तियां अर्जित करने की लागत	320.22	15.54	124.16	6,929.70	25.83	233.46	431.82	8,080.73	-	8,080.73
	मूल्यह्रास#	649.10	50.62	39.42	103.87	44.52	87.35	489.45	1,464.33	-	1,464.33
	मूल्यह्रास के अतिरिक्त गैर–नकद व्यय #	76.42	0.34	25.52	1.95	0.96	(6.09)	(32.26)	66.84	-	66.84

*बिक्री, उत्पाद शुल्क का निवल है।

**गैस संचरण व्यवसाय में गैस ट्रेडिंग संबंधी परिसंपत्तियां एवं देयता सम्मिलित हैं।

टिप्पणियां :

1. संयुक्त उद्यम : पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड सहित।
2. सहायक कंपनी : बीसीपीएल संयुक्त उद्यम : ओपॉल सहित।
3. संयुक्त उद्यम : आईजीएल, बीजीएल, एमजीएल, सीयूजीएल, जीजीएल, एमएनजीएल, अवन्तिका, टीएनजीसीएल; सहायक कंपनी : गेल गैस तथा गेल के शहर गैस वितरण कारोबार सहित।
4. सहायक कंपनी : गेल (ग्लोबल) सिंगापुर लिमिटेड तथा गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक; सहयोगी कंपनी का शेयर तथा संयुक्त उद्यम : आरजीजीपीएल सहित।

वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु व्यवसाय खंडों के बारे में सूचना

अनुलग्नक – ''क''

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खंड	संचारण सेवाएं**		प्राकृतिक गैस करोबार**	पेट्रो–कैमिकल	एलपीजी एवं तरल हाइड्रोकार्बन	शहर गैस	अनाबंटित	योग	विलोपन	समेकित योग
		प्राकृतिक गैस	एलपीजी	टिप्पणी–1	टिप्पणी–2		टिप्पणी–3	टिप्पणी–4			
1	**राजस्व**										
	बाह्य बिक्री*	3,827.65	418.07	42,262.07	4,537.20	5,461.91	2,876.15	2,260.45	61,643.50	-	61,643.50
	अंतः क्षेत्र बिक्री	276.53	-	9,070.88	44.49	-	-	15.63	9,407.53	9,407.53	-
	कुल राजस्व	**4,104.18**	**418.07**	**51,332.95**	**4,581.69**	**5,461.91**	**2,876.15**	**2,276.08**	**71,051.03**	**9,407.53**	**61,643.50**
2	**परिणाम**										
	खंड परिणाम (ब्याज और कर पूर्व लाभ)	1,801.61	215.26	1,669.28	1,362.04	1,021.44	260.48	-	6,330.11	-	6,330.11
	अनाबंटित व्यय	-	-	-	-	-	-	(635.90)	(635.90)	-	(635.90)
	प्रचालनगत लाभ	1,801.61	215.26	1,669.28	1,362.04	1,021.44	260.48	635.90	6,966.01	-	6,966.01
	ब्याज व्यय	-	-	-	-	-	-	668.71	668.71	-	668.71
	ब्याज/लाभांश आय	-	-	-	-	-	-	684.01	684.01	-	684.01
	कराधान हेतु प्रावधान	-	-	-	-	-	-	2,194.83	2,194.83	-	2,194.83
	सामान्य गतिविधियों से लाभ/(हानि)	1,801.61	215.26	1,669.28	1,362.04	1,021.44	260.48	(1,543.63)	4,786.48	-	4,786.48
	असाधारण मदें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कर पश्चात लाभ (अल्प ब्याज के समायोजन पूर्व)	**1,801.61**	**215.26**	**1,669.28**	**1,362.04**	**1,021.44**	**260.48**	**(1,543.63)**	**4,786.48**	**-**	**4,786.48**
	जमा : अल्पांश में अंतरित (लाभ)/हानि का हिस्सा	-	-	-	(0.26)	-	-	-	(0.26)		(0.26)
	कर पश्चात लाभ (अल्प ब्याज के समायोजन के पश्चात)	**1,801.61**	**215.26**	**1,669.28**	**1,361.78**	**1,021.44**	**260.48**	**(1,543.63)**	**4,786.22**	**-**	**4,786.22**
3	**अन्य सूचना**										
	खंड परिसंपत्तियां	24,870.55	830.00	1,211.06	3,079.37	1,049.07	1,623.99	5,012.04	37,676.08	240.44	37,435.64
	अनाबंटित परिसंपत्तियां	-	-	-	-	-	-	29,406.29	29,406.29	-	29,406.29
	कुल परिसंपत्तियां	**24,870.55**	**830.00**	**1,211.06**	**3,079.37**	**1,049.07**	**1,623.99**	**34,418.33**	**67,082.37**	**240.44**	**66,841.93**
	खंड देयताएं	5,687.48	75.03	254.04	1,268.03	367.35	366.28	223.03	8,241.24	107.09	8,134.15
	अनाबंटित देयताएं	-	-	-	-	-	-	3,224.76	3,224.76	-	3,224.76
	कुल देयताएं	**5,687.48**	**75.03**	**254.04**	**1,268.03**	**367.35**	**366.28**	**3,447.79**	**11,466.00**	**107.09**	**11,358.91**
	स्थायी संपत्तियां अर्जित करने की लागत	1,693.30	31.59	526.96	111.61	20.74	254.87	2,577.43	5,216.50	-	5,216.50
	मूल्यह्रास#	735.46	46.61	38.51	185.62	77.91	104.04	475.35	1,663.50	-	1,663.50
	मूल्यह्रास के अतिरिक्त गैर–नकद व्यय #	468.06	0.16	94.31	0.37	(0.67)	5.51	(21.65)	546.09	-	546.09

*बिक्री, उत्पाद शुल्क का निवल है।

**गैस संचरण व्यवसाय में गैस ट्रेडिंग संबंधी परिसंपत्तियां एवं देयता सम्मिलित हैं।

टिप्पणियां :

1. संयुक्त उद्यम : पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड सहित।
2. सहायक कंपनी : बीसीपीएल संयुक्त उद्यम : ओपॉल सहित।
3. संयुक्त उद्यम : आईजीएल, बीजीएल, एमजीएल, सीयूजीएल, जीजीएल, एमएनजीएल, अवन्तिका, टीएनजीसीएल; सहायक कंपनी : गेल गैस तथा गेल के शहर गैस वितरण कारोबार सहित।
4. सहायक कंपनी : गेल (ग्लोबल) सिंगापुर लिमिटेड तथा गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक; सहयोगी कंपनी का शेयर तथा संयुक्त उद्यम : आरजीजीपीएल सहित।

संबंधित पार्टी प्रकटन

अनुलग्नक – ''ख''

I) **संबंध**

क) संयुक्त उद्यम कंपनियां/सहयोगी कम्पनियां

1) महानगर गैस लिमिटेड
2) इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
3) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड
4) भाग्यनगर गैस लिमिटेड
5) त्रिपुरा नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
6) सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड
7) ग्रीन गैस लिमिटेड
8) महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
9) अवन्तिका गैस कं. लिमिटेड
10) गेल चाइना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिग लिमिटेड
11) तापी पाइपलाइन कम्पनी लिमिटेड
12) ओएनजीसी पेट्रो–एडिशन्स लिमिटेड (ओपॉल)
13) गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लिमिटेड
14) नेशनल गैस कंपनी ''नैट गैस''
15) फेयम गैस कंपनी
16) चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)
पूर्णकालिक निदेशक/कम्पनी सचिव :

1) श्री बी. सी. त्रिपाठी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2) श्री प्रभात सिंह
3) श्री एस. वेंकटरमन (30 सितम्बर, 2014 तक)
4) श्री पी. के. जैन
5) श्री एम. रविन्द्रन
6) डॉ. आशुतोष कर्नाटक
7) श्री एन. के. नागपाल (सीएस)
8) श्री वी. सी. चित्तौड़ा
9) श्री ए. के. मित्तल
10) श्री एम. सी. देवगम
11) श्री के. चटराज
12) श्री नरेन्द्र कुमार
13) श्री एस. पी. शर्मा
14) श्री वी. एस. बैद
15) श्री प्रदीप मदान
16) श्री बी. एन. गोसाईं
17) श्री जे. एस. सैनी
18) श्री आर. के. माथुर
19) श्री रमन चढ्ढा
20) श्री ए. एम. तांबेकर
21) श्री अनिल कुमार

ग) अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों हेतु अनिगमित संयुक्त उद्यम :

1)	एनईसी–ओएसएन–97/1	(भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 50%, गेल ने इस को छोड़ दिया है)
2)	ए–1, म्यांमार	(भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 8.5%)
3)	ए–3, म्यांमार	(भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 8.5%)
4)	अपतट पाइपलाइन एसएचडब्ल्यूई	(भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 8.5%)
5)	सीवाई–ओएस/2	(भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 25%)
6)	आरएम–सीबीएम–2005/III	(भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 35% गेल ने इस ब्लॉक को छोड़ दिया है)
7)	टीआर–सीबीएम–2005/III	(भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 35% गेल ने इस ब्लॉक को छोड़ दिया है)
8)	एमआर–सीबीएम–2005/III	(भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 45% गेल ने इस ब्लॉक को छोड़ दिया है)
9)	एडी–7, म्यांमार	(भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 10% गेल ने इस ब्लॉक को छोड़ दिया है)
10)	ब्लॉक–56, ओमान	(भागीदारी हित के साथ गैर–प्रचालक : 25% गेल ने इस ब्लॉक को छोड़ दिया है)

II) सामान्य व्यवसाय के दौरान संबंधित पक्षों के साथ निम्नानुसार लेन–देन किए गए :

क) उपर्युक्त मद संख्या I (क) में उल्लिखित पक्षों से संबंधित विवरण :

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2013-14
1) बिक्री	**3,669.77**	3,645.75
2) उपर्युक्त (1) के लिए तुलन पत्र की तिथि के अनुसार प्राप्य राशि	**283.70**	231.64
3) क्रय	**18,546.70**	18,457.41
4) उपर्युक्त (3) के लिए तुलन पत्र की तिथि के अनुसार भुगतान योग्य राशि	**745.74**	1,066.81
5) प्राप्त/प्राप्य अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति	**7.34**	10.24
6) उपर्युक्त (5) के लिए तुलन पत्र की तिथि के अनुसार भुगतान योग्य राशि	**2.72**	18.58
7) लाभांश आय	**134.44**	135.74
8) अन्य आय	**0.43**	14.07
9) देनदारों के लिए सृजित प्रावधान	**2.94**	-
10) देनदारों की वापसी के लिए सृजित प्रावधान	-	-
11) तुलन पत्र की तिथि तक निवेश	**1,403.34**	1,335.33
12) तुलन पत्र तिथि से इक्विटी के आवंटन हेतु अग्रिम	-	68.01
13) तुलन पत्र तिथि से दिया गया अग्रिम/ऋण	**524.22**	93.59

ख) उपर्युक्त मद संख्या I (ख) में उल्लिखित पक्षों से संबंधित विवरण :

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2013-14
1) पारिश्रमिक	**8.22**	7.94
2) प्राप्ति योग्य बकाया ब्याज युक्त ऋण	**0.41**	0.56
3) प्रदत्त ऋणों पर अर्जित ब्याज	**0.71**	0.56
4) सेल्फ लीज	**0.13**	0.37
II केएमपी से संबंधित		
1) पारिश्रमिक*	**0.37**	0.37
2) प्राप्ति योग्य बकाया ब्याज युक्त ऋण	-	-
3) प्रदत्त ऋणों पर अर्जित ब्याज	-	-
4) सेल्फ लीज	-	-

* पारिश्रमिक में मूल वेतन, भत्ते, प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि में अंशदान और परिलब्धियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकों को लोक उद्यम ब्यूरो के परिपत्र के अनुसार भुगतान पर 1000 कि.मी. प्रति माह की अधिकतम सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार का प्रयोग करने की अनुमति है।

ग) उपर्युक्त मद संख्या I (ग) में उल्लिखित पक्षों से संबंधित विवरण :

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2013-14
1) न्यूनतम कार्य योजना वचनबद्धता	- -	
2) सर्वेक्षण, उत्पादन, रॉयल्टी एवं अन्य व्यय	**216.63**	88.51
3) सीडब्ल्यूआईपी एवं अन्य परिसम्पत्तियां	**27.55**	314.36
4) तुलन पत्र की तिथि को बकाया राशि (अग्रिम का निवल)	**51.69**	142.46
5) बट्टे खाते डाली गई राशि–शुष्क कुआं व्यय	**0.53**	0.01
6) प्रचालन से बिक्री / व्यय	**600.17**	170.21
7) तुलन पत्र की तिथि को बकाया राशि (बिक्री के संबंध में)	**45.06**	27.49

अनुलग्नक – 'ग'

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III द्वारा यथा–अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी

(₹ करोड में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम (शेयर%)	31.03.2015 को स्वामित्व हित का अनुपात	निवल सम्पत्ति (अर्थात कुल सम्पत्ति घटा कुल देयताएं)		लाभ अथवा हानि शेयर	
			समेकित निवल सम्पत्ति के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित निवल सम्पत्ति के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)
1	गेल (इंडिया) लि. (मूल)		85.59%	29,120	96.17%	3,039
2	सहायक कम्पनी					
	क) भारतीय					
	i) गेल गैस लिमिटेड	100%	1.06%	361	0.57%	18
	ii) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एवं पॉलीमर लि.	**70%**	12.06%	4,103	-0.03%	(1)
	ख) विदेशी					
	i) गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई लि.	**100%**	0.26%	88	0.19%	6
	ii) गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक	**100%**	1.03%	352	2.31%	73
3	सभी सहायक कम्पनियों में अल्पतम हित		5.17%	1,758	0.00%	-
4	सहायक कम्पनियां (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)					
	क) भारतीय					
	i) गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लि. (जीएसईजी)	**5.96%**	इक्विटी प्रणाली	इक्विटी प्रणाली	-0.25%	(8)
	ख) विदेशी					
	i) फेयम गैस	**19.00%**	इक्विटी प्रणाली	इक्विटी प्रणाली	0.06%	2
	ii) नेचुरल गैस कम्पनी ''नैट गैस''	**15.00%**	इक्विटी प्रणाली	इक्विटी प्रणाली	0.35%	11
	iii) चाइना गैस होल्डिंग लिमिटेड	**3.00%**	इक्विटी प्रणाली	इक्विटी प्रणाली	2.63%	83
5	संयुक्त उद्यम					
	क) भारतीय					
	i) महानगर गैस लिमिटेड	**35.00%**	1.45%	492	3.32%	105
	ii) इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	**22.50%**	1.45%	494	3.10%	98
	iii) पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	**12.50%**	2.09%	711	3.48%	110
	iv) भाग्यनगर गैस लिमिटेड	**22.50%**	0.05%	16	0.00%	-
	v) सेंट्रल यू.पी. गैस लिमिटेड	**25.00%**	0.11%	36	0.22%	7
	vi) ग्रीन गैस लिमिटेड	**22.50%**	0.11%	39	0.19%	6
	vii) महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड (एमएनजीएल)	**22.50%**	0.14%	47	0.38%	12
	viii) अवन्तिका गैस लिमिटेड	**22.50%**	0.04%	12	0.06%	2
	ix) रत्नागिरी गैस एवं पॉवर (प्राइवेट) लि. (आरजीपीपीएल)	**28.91%**	0.77%	262	-12.82%	(405)
	x) त्रिपुरा नेचुरल गैस कं. लि. (टीएनजीसीएल)	**29.00%**	0.04%	15	0.06%	2
	xi) ओएनजीसी पेट्रो–एडिशन्स लिमिटेड (ओपाल)	**15.50%**	1.26%	430	0.00%	-
	ख) विदेशी					
	i) तापी पाइपलाइन कम्पनी लिमिटेड#	**25.00%**	NA	NA	NA	NA
	ii) गेल चाइना गैस ग्लोबल एनर्जी होल्डिंग्स लि. #	**50.00%**	NA	NA	NA	NA

* समूह कम्पनियों में निवल सम्पत्तियों को सहायक कम्पनियों की कुल निवल सम्पत्तियां के आधार पर समझा जाता है और संयुक्त उद्यमों के आनुपातिक निवल सम्पत्तियों को समूह कम्पनियां, यदि कोई हो, सामान लेन–देनों को हटाए बगैर सकल आधार पर समझा जाता है।

\# इक्विटी वृद्धि / निवेश अब तक नहीं किया गया है और इस प्रकार वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए गए हैं।

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

	2014-15		2013-14	
क) प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
1 कर पूर्व निवल लाभ एवं असामान्य मदें		4,580.48		6,981.31
2 जमा :				
मूल्यह्रास	1,466.29		1,671.49	
आस्थगित राजस्व / बट्टे खाते डाले गए अन्य व्यय	0.94		0.15	
पूंजी आरक्षित निधि	(0.12)		(0.12)	
विनिमय दर में अंतर	(49.35)		(23.71)	
ब्याज पर व्यय	651.83		668.71	
निवेशों पर लाभांश आय	(341.59)		(353.79)	
ब्याज आय	(346.99)		(313.42)	
कार्मिक हितलाभ हेतु प्रावधान (ग्रेच्युटी सहित)	173.97		(177.91)	
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	27.99		136.44	
अन्य प्रावधान	40.92		249.83	
प्रावधान / बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियां / सीडब्ल्यूआईपी	113.40		41.38	
संभावित देयताओं / आकस्मिक हेतु प्रावधान	49.83		180.45	
अपवाद संबंधी मद	(62.86)		(312.69)	
परिसंपत्तियों (निवल) की बिक्री पर लाभ / हानि	(3.49)		2.93	
		1,720.77		1,769.74
3 कार्यचालन पूंजी में परिवर्तन से प्रचालन पूर्व लाभ (1+2)		6,301.25		8,751.05
4 कार्यचालन पूंजी में परिवर्तन (नकद और बैंक शेष को छोड़कर)				
व्यापार और अन्य प्राप्य राशि	(2,745.27)		(1,756.31)	
माल–सूची	229.30		(680.26)	
व्यापार और अन्य भुगतान योग्य राशि	1,448.09		247.19	
		(1,067.88)		(2,189.38)
		5,233.37		6,561.67
5 प्रचालनों से उत्पन्न नकद (3+4)		(1,019.25)		(1,946.49)
6 प्रदत्त प्रत्यक्ष कर				
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकद राशि (5+6)		4,214.12		4,615.18
ख) निवेश गतिवधियों से नकद प्रवाह				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद	(2,889.80)		(5,269.72)	
अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	173.43		18.62	
निवेश की बिक्री	62.86		383.90	
अन्य कंपनियों में निवेश	(156.21)		49.11	
प्राप्त ब्याज	352.47		322.17	
प्राप्त लाभांश	341.59		353.79	
निवेश गतिविधियों से निवल नकद राशि		(2,115.66)		(4,142.13)
शेष, आगे ले जाया गया		2,098.46		473.05

(₹ करोड़ में)

	2014-15		2013-14	
शेष आगे लाया		**2,098.46**		473.05
ग) वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह				
दीर्घावधि/अल्प उधारियों से आय	**1,494.64**		4,096.11	
दीर्घावधि/अल्प अवधि उधारियों की चुकौती	**(1,740.23)**		(2,031.49)	
पूंजी सहायता	**1.82**		697.60	
प्रदत्त ब्याज	**(1,482.76)**		(1,265.68)	
प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर	**(1,331.94)**		(1,499.13)	
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद राशि		**(3,058.47)**		(2.59)
नकद और उसके समकक्ष में निवल वृद्धि (क+ख+ग)		**(960.01)**		470.46
जेवी/सहायक कम्पनियों के लिए आरंभिक समायोजन		**(692.85)**		(323.97)
01.04.2014 को नकद एवं उसके समकक्ष (आरंभिक शेष)		**3,211.11**		3,064.62
31.03.2015 को नकद एवं उसके समकक्ष (अंतिम शेष)		**1,558.25**		3,211.11

टिप्पणी :

1. नकद और उसके समकक्ष नकदी में निम्नलिखित शामिल हैं :

नकद और बैंक शेष		
तुलन पत्र के अनुसार	**1,558.25**	**3,211.11**
वसूल न की गई विदेशी मुद्रा पर (आय)/हानि	-	-
कुल नकद और उसके समकक्ष नकदी	**1,558.25**	**3,211.11**

एन. के. नागपाल
सचिव

सुबीर पुरकायस्थ
निदेशक (वित्त)

प्रभात सिंह
निदेशक (विपणन)

बी. सी. त्रिपाठी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी समदिनांकित पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.एस. माथुर एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं. 008744एन

कृते एस.के. मित्तल एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म सं. 001135एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 मई, 2015

राजीव कुमार वाधवां
(साझेदार)
सदस्यता सं. 091007

एम. के. जुनेजा
(साझेदार)
सदस्यता सं. 013117

31 मार्च, 2014–15 को समाप्त वर्ष के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के तहत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह घोषणा दिनांक 27.05.2015 की उनकी लेखापरीखा रिपोर्ट के तहत उनके द्वारा की गई है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)क के तहत 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड, के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने गेल (इंडिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, परन्तु उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए **अनुलग्नक–क** में उल्लिखित कम्पनियों के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों की कार्यशील पेपरों की मदद के बगैर स्वतंत्र रूप से पूरी की गई है और प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों की जांच तक एवं कम्पनी के कार्मिकों एवं और कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जो सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी टिप्पणी अथवा अनुपूरक टिप्पणी को आयोग्य ठहराएगा।

कृते एवं भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक की ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.7.2015

(सुपर्णा देब)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड–II
नई दिल्ली

कंपनी की सामान्य जानकारी

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स जी. एस. माथुर एंड कम्पनी	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली
मैसर्स एस. के. मित्तल एवं कम्पनी	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

लागत लेखापरीक्षक

मैसर्स चन्द्र बाधवा एंड कंपनी	कॉस्ट एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली
मैसर्स रोहित एंड एसोसिएट्स	कॉस्ट एकाउंटेंट्स, वडोदरा
मैसर्स आर. नानाभॉय एंड कंपनी	कॉस्ट एकाउंटेंट्स, मुंबई
मैसर्स एम. गोयल एंड कंपनी	कॉस्ट एकाउंटेंट्स, जयपुर
मैसर्स धनन्जय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स	कॉस्ट एकाउंटेंट्स, पुणे
मैसर्स डीजीएम एंड एसोसिएट्स	कॉस्ट एकाउंटेंट्स, गुवाहाटी

कंपनी सचिव

श्री एन. के. नागपाल

स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के शेयर/जीडीआर सूचीबद्ध हैं

बीएसई लिमिटेड	तल–1 फिरोजजीजीसॉय टॉवर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई–400001
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट सं. सी/1, जी ब्लॉक, बाद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (पूर्वी), मुम्बई–400051
लंदन स्टॉक एक्सचेंज (जीडीआर)	10, पेटरनॉस्टर स्क्वेयर लंदन ईसी 4 एम 7 एलएस (यू.के.)

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

एमसीएस शेयर अंतरण एजेंट लिमिटेड	एफ–65, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–1, नई दिल्ली–110020

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कार्पोरेट एकाउंट्स ग्रुप (सीएजी) ब्रांच–II 4वां एवं 5वां तल रेडफोर्ट कैपिटल पार्श्वनाथ टावर, भाई वीर सिंह मार्ग, गोल मार्किट, नियर स्पीडपोस्ट ऑफीस, नई दिल्ली–110001
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9ए, फेल्प्स बिल्डिंग कनॉट प्लेस नई दिल्ली–110001
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	209–214, कैलाश बिल्डिंग 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001

पंजीकृत कार्यालय
16, भीकाएजी कामा प्लेस
आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066

अनुषंगी कार्यालय

गेल ग्लोबल (सिंगापुर) पीटीई, लिमिटेड,
वेंज बिजनेस सेंटर# 44–01 सनटेक टॉवर वन,
7, टेमसेक बुलवार्ड, सिंगापुर–038987

ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड
होटल ब्रह्मपुत्र अशोक, एम.जी. रोड,
गुवाहाटी, असम–781001

गेल गैस लिमिटेड
16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली–110066

गेल ग्लोबल (यूएसए) इंक
333, क्ले स्ट्रीट, सूट 3300, हॉसटॉन, टेक्सस–77002 (यूएसए)

गेल ग्लोबल (यूएसए)
एलएनजी एलएलसी 1675 साउथ स्टेट स्ट्रीट,
स्वीट–बी, डोवर डेलवारे–19901, यूएसए

शेयर होल्डर जानकारी

इक्विटी शेयर आईएसआईएन–आईएनई 129ए01019

स्टॉक एक्सचेंज	सेक्यूरिटी कोड
बीएसई	**532155**
एनएसई	**गेल**

शब्दावली

गैस उद्योग से संबंधित विशिष्ट शब्दावली

सीबीएम	कोल बेड मीथेन
सीजीडी	शहर गैस वितरण
सीएनजी	संपीडित प्राकृतिक गैस
डीयूपीएल	दहेज उड़ान वनवेल पाइपलाइन
डीजीएच	हाइड्रोकार्बन महानिदेशक
डीवीपीएल	दहेज–विजयपुर पाइपलाइन
ई एंड पी	अन्वेषण और उत्पादन
ईएसए	बाह्य संरक्षण लेखापरीक्षा
जीआरईपी	गैस रिहैबिलिटेशन तथा विस्तार परियोजना
जीपीयू	गैस प्रोसेसिंग इकाई
जीटीआई	गेल प्रशिक्षण संस्थान
एचडीपीई	उच्च घनत्व का पॉलीइथिलीन
एचवीजे	हजीरा विजयपुर जगदीशपुर
जेएलपीएल	जामनगर–लोनी पाइपलाइन
एलएलडीपीई	लीनियर निम्न घनत्व पॉलीइथिलीन
एलएचसी	तरल हाइड्रोकार्बन
एलएनजी	तरलीकृत प्राकृतिक गैस
एलपीजी	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एमडीपीई	मध्यम घनत्व का पॉलीइथिलीन
एमएससीएम	मिलियन मानक घन मीटर
एमएमबीटीयू	मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट
एमएमएससीएमडी	मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन
एमएमटी	मीट्रिक मिलियन टन
एमएमटीपीए	मीट्रिक मिलियन टन प्रति वर्ष
एमओपी एंड एनजी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमटी	मीट्रिक टन
एनईएलपी	नई अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति
ओ एंड एम	प्रचालन और अनुरक्षण
ओएलएचसी	अन्य तरल हाइड्रो–कार्बन
पीई	पॉली प्राकृतिक इथिलीन
पीएनजी	पाइप्ड प्राकृतिक गैस
पीएनजीआरबी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
एसबीपी साल्वेंट	विशेष ब्वायलिंग प्वाइंट साल्वेंट
टीपीए	टन प्रति वर्ष
वीएसपीएल	विजाग–सिकन्दराबाद पाइपलाइन

सामान्य संक्षिप्तियां

बीडी	व्यापार विकास
बीआईएस	व्यवसाय सूचना प्रणाली
सीएसआर	निगमित सामाजिक दायित्व
ईआरपी	इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग
एचआर	मानव संसाधन
एचएसई	स्वास्थ्य, संरक्षा और पर्यावरण
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
जेवीसी	सयुंक्त उद्यम कंपनियां
एमडब्ल्यू	मेगा–वाट
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र इकाई
क्यूसी	गुणवत्ता चक्र
एससीएडीए	पर्यवेक्षीय नियंत्रण और आंकड़ा अधिग्रहण
टीक्यूएम	समग्र गुणवत्ता प्रबंधन

वित्तीय शब्दावली

बीएसई	बंबई स्टॉक एक्सचेंज
सीएजीआर	कंपाउंडेड वार्षिक विकास दर
सीएपीईएक्स	पूंजीगत व्यय
ईबीआईडीटीए	ब्याज, मूल्यह्रास, कर और परिशोधन पूर्व आय
ईडी	उत्पाद शुल्क
ईपीएस	प्रति शेयर आय
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
एनएसई	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
पीएटी	कर पश्चात लाभ
पीबीआईडीटीए	ब्याज, मूल्यह्रास, कर तथा परिशोधन पूर्व लाभ
पीबीआईटी	ब्याज और कर पूर्व लाभ
पीबीटी	कर पूर्व लाभ
आरओसीई	नियोजित पूंजी पर आय
आरओआईसी	निवेश की गई पूंजी पर लाभ
आरओएनडब्ल्यू	निवल मूल्य पर लाभ

नोट्स

नोट्स

गेल की अखिल भारतीय उपस्थिति

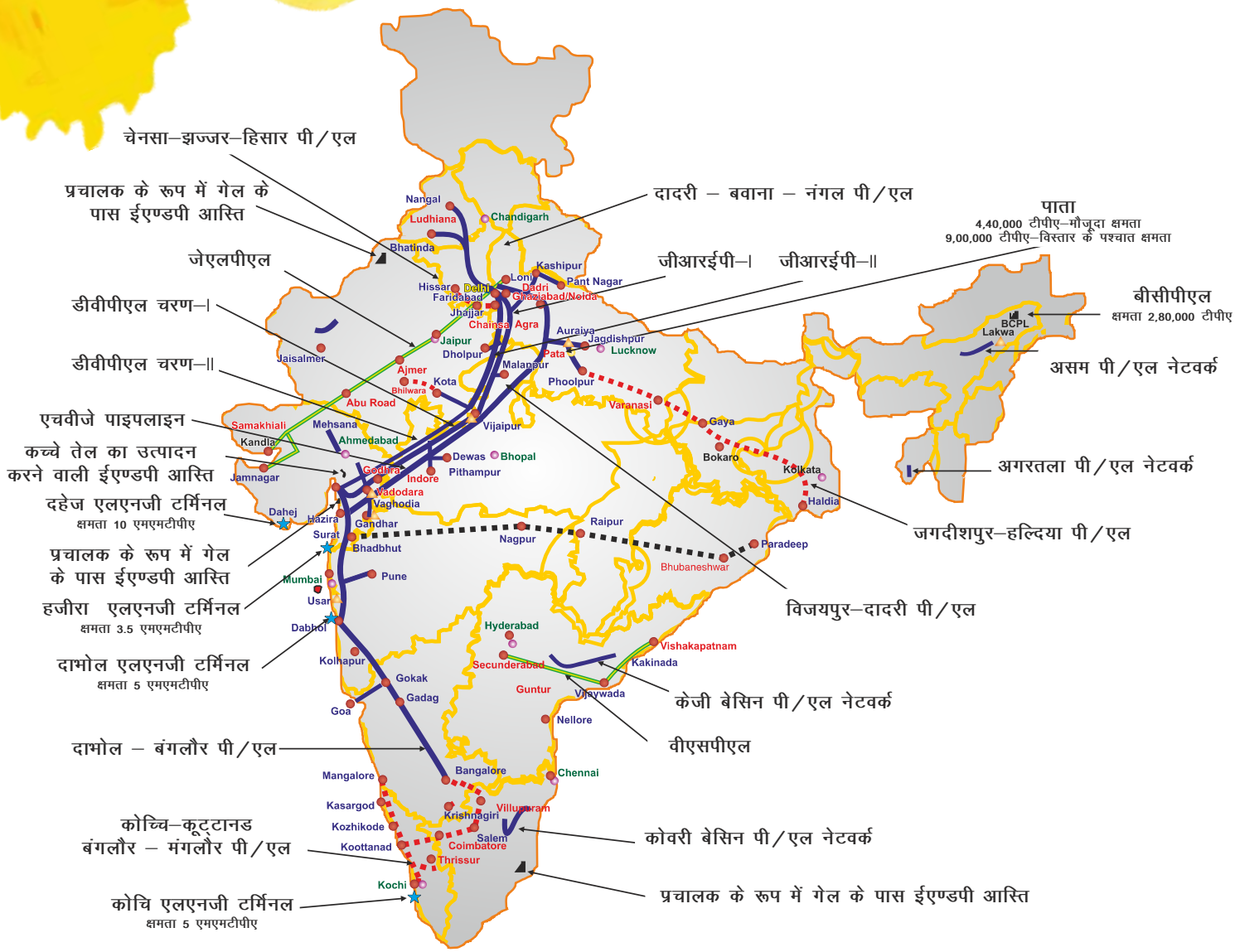

मौजूदा पाइपलाइन
निष्पादन के तहत पाइपलाइन
एलपीजी पाइपलाइन
हाल ही में प्राधिकृत पाइपलाइन

पाता संयंत्र
शाखा कार्यालय
क्षेत्रीय कार्यालय
एलएनजी टर्मिनल
प्रचालनाधीन
एलपीजी संयंत्र

मैप, स्केल करने के लिए नही

गेल (इंडिया) लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 16, भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम, नई दिल्ली–110066
www.gailonline.com